

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

सहकारिता एवं सामुदायिक विकास
[Co-operation and Community Development]

प्रो० आर० बी० उपाध्याय्यन करने से ज्ञात होता है कि

यूनिवर्सिटी कालेज आँव कामस-

जयपुर

एव

प्रो० ओमप्रकाश शर्मा

एम० कॉम०

व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग

सेठ जी० बी० पोदार कालेज

नवलगढ

रतन प्रकाशन मन्दिर

पुस्तक प्रकाशक एव विक्रेता

प्रधान कार्यालय : अस्पताल भाग, आगरा-३

प्रकाशक रतन प्रकाशन मन्विर
प्रधान कार्यालय हॉस्पिटल रोड, आगरा-३

शाखाएँ म्यू मार्केट, राजामण्डी, आगरा-२ ● ५६९३, नई
सड़क, दिल्ली ● गोरुकुण्ड, इन्दौर ● धामानी
मार्केट, चौडा रास्ता, जयपुर ● मॅस्टन रोड,
कानपुर ● अमीनाबाद पार्क, लखनऊ ● वैंस्टर्न
फचहरी रोड, मेरठ ● खजाची रोड, पटना-४ ।

प्रेमचन्द जैन द्वारा

प्रेम इलेक्ट्रिक प्रेस, १/११ महात्मा गांधी मार्ग आगरा-२ मे मुद्रित

दो शब्द

सहकारिता आर्थिक संगठन का एक रूप है। हमारे समाजवादी नमूने के समाज के निर्माण में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता के आधार पर विकास करने के प्रयत्न किये गये हैं। इस पुस्तक में भारत में सहकारिता आन्दोलन की वर्तमान स्थिति, विशेषताओं तथा समस्याओं का विमृष्ट विवेचन किया गया है। आन्दोलन का ध्यान से अध्ययन करने से ज्ञान होता है कि यह विशेष प्रगति नहीं कर सका है। देश में सहकारी शिक्षा का अभाव है। अधिकांश व्यक्ति सहकारिता के सिद्धान्तों में भ्रम नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इस आन्दोलन के समक्ष अनेक बाधाएँ हैं जिन्हें दूर करने के उपाय भी पुस्तक में दिये गये हैं।

प्रस्तुत पुस्तक राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत की जा रही है। 'सहकारिता एवं सामुदायिक विकास' इस वर्ष द्वितीय वर्ष वाणिज्य में अनिवार्य विषय रखा गया है। पुस्तक तीन खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड भारत में सहकारिता आन्दोलन से सम्बन्धित है। द्वितीय खण्ड में राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन का विवरण है तथा तृतीय खण्ड सामुदायिक विकास का है। पुस्तक में भाषा अत्यन्त सरल है तथा आधुनिकतम आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। विषय सामग्री मौलिक ग्रन्थों, पत्र पत्रिकाओं, सन्दर्भ ग्रन्थों तथा प्रतिवेदनो के आधार पर तैयार की गयी है। आशा है विद्यार्थियों के लिये यह अधिक उपयोगी सिद्ध होगी।

. अन्त में लेखकगण प्रकाशक महोदय तथा श्री एम० के० गुप्ता व्यवस्थापक जयपुर शाखा (रतन प्रकाशन मन्दिर) के सहयोग के लिये आभारी हैं जिन्होंने पुस्तक को शीघ्र छपाने में सहायता प्रदान की है। पाठकों से उपयुक्त सुझाव आमंत्रित हैं ताकि भविष्य में पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

W. S. Anand

—लेखक द्वय

विषय-सूची

प्रथम खण्ड

भारत में सहकारिता आन्दोलन

अध्याय

पृष्ठ संख्या

१. सहकारिता का अर्थ एवं सिद्धान्त ✓ ३—१६
२. भारत में सहकारिता आन्दोलन की उत्पत्ति तथा विकास ✓ १७—३३
३. सहकारी साख ३४—४७
४. केन्द्रीय सहकारी बैंक ४८—६१
५. शीर्ष बैंक ६२—७१
६. दीर्घकालीन सहकारी साख ७२—८२
७. सहकारी विपणन ✓ ८३—९६
८. उपभोक्ता सहकारिता ९७—११७
९. औद्योगिक सहकारिता ११८—१३६
१०. सहकारी गृह निर्माण समितियाँ १३७—१४८
११. सहकारी सेतो १४९—१६२
१२. बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियाँ १६३—१६८
१३. भारत में सहकारी समितियों का प्रबन्ध ✓ १६९—१८२
१४. पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता आन्दोलन १८३—२०४
१५. सहकारी अकेक्षण एवं पर्यवेक्षण ✓ २०५—२११

द्वितीय खण्ड

राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन

१. राजस्थान में सहकारी आन्दोलन की उत्पत्ति एवं विकास ३—११
२. राजस्थान में पंचवर्षीय योजना में सहकारी आन्दोलन १२—२६
३. राजस्थान में सहकारी आन्दोलन के विकास में बाधायें २७—३९

तृतीय खण्ड
सामुदायिक विकास

१. सामुदायिक विकास का अर्थ	३—१६
२. भारत में सामुदायिक विकास की उत्पत्ति एवं विकास	१७—२२
३. कार्यक्रम	२३—३५
४. सामुदायिक विकास प्रशासनिक ढाँचा	३६—४४
५. पञ्चवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास	४५—५७
६. सामुदायिक विकास आन्दोलन की प्रगति की समीक्षा	५८—६३
७. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण	६४—७२

प्रथम खण्ड

भारत में सहकारिता आन्दोलन

सहकारिता का अर्थ एवं सिद्धान्त (Principles and Meaning of Cooperation)

वर्तमान जीवन की समस्याओं को देखते हुए सहकारिता की अत्यन्त आवश्यकता है। सहकारिता की भावना इस सिद्धान्त पर स्थित है कि समाज के व्यक्ति परस्पर मिल जुल कर स्वेच्छा से कार्य करें। हर व्यक्ति के पास इतना धन नहीं होता कि वह अपना निजी व्यवसाय प्रारम्भ कर सके लेकिन सहकारिता के आधार पर कुछ व्यक्ति मिलकर अपना उद्योग धन्वा चला सकते हैं और उससे होने वाले लाभ के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस दृष्टि से सहकारिता की भावना आर्थिक संगठन का एक महत्वपूर्ण रूप है जो समाजवादी समाज की स्थापना में भी महयोग दे सकता है तथा इसमें व्यक्ति के आर्थिक एवं सामाजिक हितों की रक्षा भी हो सकती है। सहकारिता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा प्रेरणा से किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाते हुए, सम्पूर्ण आर्थिक ढाँचे का सामाजिकरण कर देता है। इसमें माधन, शक्ति और निर्देशन का केन्द्रीयकरण नहीं होता है अतः आर्थिक विकास के लिए सहकारिता सामाजिक न्याय को प्रमुखता देती है। यह समाज को आत्म निर्भर साहसी, स्वातन्त्र्य-प्रेमी और विधि पालक नागरिक बनाने का प्रशिक्षण देती है। इसका मूल उद्देश्य समाज में शोषण, अन्याय, आर्थिक संकट आदि का समाप्त करके आत्म-निर्भरता, स्वावलम्बन, एकता एवं सहयोग की भावना को प्रथम देना है। व्यक्ति अपने सयुक्त प्रयास, विचार एवं योग्यताओं द्वारा लाभ बढ़ सकते हैं और सामान्य समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार के कुशल प्रवन्ध एवं उत्पादन में मितव्ययिता के कारण उत्पादकता (Productivity) में वृद्धि होती है। एक आर्थिक संगठन के रूप में सहकारी समितियों का लक्ष्य अधिकतम लाभ कमाना नहीं है बल्कि उत्तम सेवाएँ प्रदान करना है। अतः सहकारी विचारधारा उदारतावाद एवं समाजवाद के सर्वोत्तम तत्वों का समन्वय करती है और ये दोनों महत्वपूर्ण आधुनिक दर्शन हैं।

सहकारिता की परिभाषा (Definition of Cooperation)

सहकारिता शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ के अन्तर्गत तो सहकारिता मिलजुल कर कार्य करने की विधि है। दूसरे सहकारिता व्यवसाय संगठन का एक रूप है।

किन्तु यह अन्य प्रकार के व्यवसाय संगठनों से भिन्न है। सहकारिता आर्थिक संगठन का एक ऐसा रूप है। जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से, समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिये संगठित होते हैं। अन्य शब्दों में किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर ईमानदारी से कार्य करने को सहकारिता कहा जाता है। सहकारिता के अर्थ को स्पष्ट करने के लिये विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं पर विचार करना आवश्यक है।

डा० सी० आर० फे ने सहकारी समिति को परिभाषित करते हुए लिखा है, "यह एक ऐसी सन्ध्या है जो मिल कर व्यापार करने के लिए निर्धन व्यक्तियों (धनहीनों) के द्वारा स्थापित की जाती है और जिसका संचालन सर्वत्र निस्वार्थ भावना से, ऐसी शर्तों पर होता है कि जो इसके मदस्य धन का भार लेते हैं, वे उन्हीं अनुपात में लाभ के हक्दार होते हैं जिस अनुपात में वे सन्ध्या का उपभोग करते हैं।" यह कथन डा० फे ने इंग्लैण्ड के उपभोक्ता भण्डारा के स्वरूप के आधार पर दिया है। आलोचकों का मत है कि इसमें स्वेच्छा तत्व को विनकुल छोड़ दिया है। दूसरे, इस परिभाषा में व्यापार (Trading) शब्द ने इसे सन्तुचित बना दिया है जो कि सहकारिता के प्रत्येक कार्यों को सम्मिलित करने में अममथ है। तीसरे डा० फे ने सहकारिता को निर्धन व्यक्तियों (The weak) का ही संगठन बताया है जबकि यह उचित नहीं है।

सर होरस प्लुकेट (Sir Horace Plunkett) के अनुसार संगठन द्वारा प्रभावशाली बनायी गयी आत्म सहायता ही सहकारिता कहलानी है।¹ दूसरे शब्दों में सहकारिता आत्म सहायता को अधिक, प्रभावशाली बनाती है। यद्यपि परिभाषा बहुत सरल है किन्तु इसमें सहकारिता के कई अन्य लक्षणों की जानकारी नहीं होती है।

श्री हेरिक के अनुसार, "सहकारिता स्वेच्छापूर्वक संगठित व्यक्तियों का कार्य है जो आपसो प्रबन्ध के अन्तर्गत, अपनी शक्ति और ससाधनों का अथवा दोनों का सामूहिक लाभ अथवा हानि के लिए उपयोग करते हैं।" इस परिभाषा में निस्वार्थ भावना को अधिक महत्व नहीं दिया गया है।

डा० जी० म्लाडेनाट्स (Mladenatz) ने सभी सहकारी समितियों में सामान्य गुण के आधार पर सहकारिता की परिभाषा दी है। उनके अनुसार "ये छोटे उत्पादक अथवा उपभोक्ताओं के एन्ड्रिक संगठन हैं जिसमें, एक सामूहिक आर्थिक उपक्रम द्वारा, जो कि सदस्यों द्वारा जुटाये गये ससाधनों से और उनकी जोखिम पर कार्य करता है, सेवाओं का आदान-प्रदान किया जाता है।"³

श्री एच० बलवंत के अनुसार, "सहकारिता एक प्रकार का संगठन है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से, मानव रूप में समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की उन्नति के लिए एकत्र होते हैं।"

1 Cooperation At Home and Abroad—C R Fay, Vol I 1948, page 5

2 "Self help made effective by organisation" Sir Horace Plunkett

3 The World Cooperative Movement Margaret Digby, page 8

श्री वी० एल० मेहता के अनुसार, "सहकारिता समान आवश्यकता व आर्थिक नक्ष्यो की प्राप्ति के लिये संगठित होने वाले व्यक्तियों की एच्छिक सस्याओ का प्रवर्तन करती है।"¹

सहकारी योजना मयिति के अनुसार, "सहकारिता, स्वेच्छापूर्वक, समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितो की उन्नति के लिये एहजित व्यक्तियों का संगठन है जिसमे लोग व्यक्तिगत कमजोरी को, अपन द्वारा सकलित साधनो से, परस्पर सहायता द्वारा आत्म सहायता को प्रभावशाली बनाकर और अपने नैतिक स्तर को मजबूत बनाकर, दूर करने के लिये संगठित होते है।"

उपरोक्त परिभाषाओ के आधार पर स्पष्ट है कि सहकारिता आर्थिक संगठन का एक रूप है। यह नियन्त्रण एवं अवसर की समानता तथा आय के वितरण की न्याय सगति पर आधारित अपने हितो के प्रवर्तन हेतु मानव समुदाय का स्वेच्छिक एवं प्रजातात्रिक संगठन है।

सहकारिता का अर्थ स्पष्ट करने के लिये इसके सिद्धान्तो के विषय मे जानना आवश्यक है। किसी भी संगठन के विषय मे यह जानने के लिये कि यह सहकारिता के अन्दगत है या नही, सहकारी सिद्धान्तो को देखना पडता है। सहकारिता की विशेषताये इन्ही पर आधारित होती है।

सहकारिता के सिद्धान्त (Principles of Cooperation)

सहकारिता का अर्थ जानने के लिय इसके लक्षणो पर विचार करना आवश्यक है। विभिन्न परिभाषाओ मे जिन-जिन बातो पर अधिक बल दिया गया है। उनके आधार पर कुछ सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया जा सकता है। सहकारिता के विभिन्न लक्षण इन्ही सिद्धान्तो पर आधारित है।

प्रो० हेंग्लर (Prof Hengler Rheinhold) ने सहकारिता के सिद्धान्तो को संगठनात्मक (Structural) और कार्यात्मक (Functional) आदि दो भागो मे विभक्त किया है।² संगठनात्मक सिद्धान्तो मे उन्होने 'प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण' सिद्धान्त को महत्वपूर्ण यतलाया है। दूसरे प्रकार के सिद्धान्तो मे उन सिद्धान्तो को सम्मिलित किया गया है जो कि सहकारी कार्य-विधि का प्रमाण अथवा ढग तथ करते है। संगठनात्मक सिद्धान्त सभी प्रकार की सहकारी समितियो मे सामान्य होते है जबकि कार्यात्मक सिद्धान्त विभिन्न समितियो मे भिन्न-भिन्न प्रकार से अपनाये जाते है। निम्नलिखित रूप मे हम सहकारिता के सिद्धान्तो का विश्लेषण कर सकते है —

-(१) खुसो एवं एच्छिक सदस्यता (Open and Voluntary Membership)

सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसको सदस्यता खुली एवं एच्छिक है।³ कुछ अपवादो को छोडकर, किसी भी सहकारी समिति मे सदस्यता का द्वार बन्द

1. V. L. Mehta, Cooperative Finance (Bombay, 1930) p 2.

2 Prof Hengler Rheinhold—"Cooperative Principles in the Modern World."

3 The Indian Cooperative Review April 1968 - Principles of Cooperative p. 301. "Membership in a cooperative is both open and voluntary.

नहीं होता। खुली-सदस्यता का अभिप्राय यह है कि कोई भी व्यक्ति जो कि सहकारी समिति से लाभ उठा सकता है वह इसका सदस्य बन सकता है। सदस्यता के लिये जाति, धर्म, लिंग आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता है। साधारणतया खुली सदस्यता उसी स्थिति में सम्भव हो सकती है जबकि सदस्यता एच्छिक हो। किन्तु एक सहकारी समिति में सदस्य होने के लिये कुछ निर्धारित योग्यताएँ होना आवश्यक है जैसे स्वस्थ मस्तिष्क, वयस्क, दिवालिया न होना आदि। सहकारी समितियों में अच्छे चरित्र वाले सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संघ (ICA) ने खुली एवं एच्छिक सदस्यता पर विशेष जोर दिया है। इस मस्यौदा की १९३७ की समिति^१ के अनुसार समितियों की सदस्यता इतनी खुली होनी चाहिये कि वे सभी व्यक्ति, जिनका चरित्र अच्छा है और वे सहकारिता का लाभ उठाना चाहते हों सदस्य बन सकें। इस समिति ने एच्छिक सदस्यता की आवश्यकता को भी महत्वपूर्ण बताया है।

सहकारिता एक इन प्रकार का एच्छिक संगठन है जिसमें किसी भी सदस्य के सम्मिलित होने तथा सदस्यता छोड़ने के लिये किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति समिति की सदस्यता ग्रहण करने अथवा छोड़ने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र है। डा० जी० म्लाडेनाट्स (Mladenatz) ने सहकारिता में एच्छिक सदस्यता को महत्वपूर्ण बताया है। किन्तु सहकारिता के रोकडेल सिद्धान्तों (Rochdale Principles) का अध्ययन करने पर ज्ञान होता है कि रोकडेल अग्रगामियों ने एच्छिक सदस्यता के सिद्धान्त पर बल नहीं दिया था।^२ किन्तु बाद में इस सिद्धान्त को और जोड़ दिया गया।

२) जनतान्त्रिक नियन्त्रण (Democratic Control)

सहकारी समितियाँ प्रजातान्त्रिक संगठन हैं।^३ सहकारी समिति की साधारण

Open membership means that anyone who could be benefited by a cooperative is at liberty to join it. "It must be open to all whom it can be of service." Voluntary membership means joining without being coerced in any way. Open membership is possible only when membership is voluntary.

1 1937 Committee (I C A) report, "The Present Application of the Rochdale Principles of Cooperation"

2 ग्रंट ब्रिटेन के सहकारिता आन्दोलन में रोकडेल अग्रगामियों का महत्वपूर्ण हाथ है। इन अग्रगामियों ने २४ अक्टूबर १९४४ में "The Rochdale Society of Equitable Pioneers" की स्थापना की थी। इन समिति के निम्न सिद्धान्त थे—(१) प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण (२) खुली सदस्यता (३) पूँजी पर निश्चित व्याज (४) क्रमानुसार लाभांश वितरण (५) नकद बिक्री (६) शुद्ध वस्तुओं का विपणन (७) सदस्यों के लिए शिक्षा की व्यवस्था (८) धार्मिक एवं राजनैतिक निष्पक्षता।

3 The I C A Commission of 1966 reaffirmed, "Cooperative societies are democratic organizations and, "members of primary societies should enjoy equal right of voting (one member, one vote) and participation in decisions, affecting their societies."

सभा में अनेक प्रकार के निर्णय लिये जाते हैं जिनमें सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्यों को मत देने का समान अधिकार प्राप्त होता है। सहकारी समिति की साधारण सभा में प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार के संगठन में पूंजी की बजाय मनुष्य को अधिक महत्व दिया जाता है। क्योंकि मत देने का अधिकार अशो के अनुपात में नहीं होता है। हम प्रकार के संगठन में मनुष्य, मनुष्य का शोषण नहीं करता है बल्कि सहयोग करता है।

'जनतान्त्रिक नियन्त्रण' सिद्धान्त रोकडेल अग्रगामियों ने भी अपनी समिति के सिद्धान्तों में सम्मिलित किया था। इस सिद्धान्त के आधार पर प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था चाहे उसने कितना ही धन जमा क्यों न कराया हो। विश्व के अनेक देशों के सहकारी आन्दोलनों में इसी सिद्धान्त को प्रधानता दी गई है। जनतान्त्रिक समाजवाद (Democratic Socialism) में सहकारिता का यह सिद्धान्त महत्वपूर्ण है।

पाल लैम्बर्ट (Paul Lambert) के अनुसार सहकारिता का जनतान्त्रिक नियन्त्रण का सिद्धान्त इसे अन्य पूंजीवादी संगठनों से अलग करता है। संयुक्त स्कॉच प्रमण्डलों (Joint Stock Companies) की साधारण सभा में मत देने का अधिकार अशो के आधार पर होता है। अतः सहकारिता इस संगठन से भिन्न है।

(३) आश्रय प्रत्यर्पण (Patronage Refund) •

आश्रय प्रत्यर्पण सिद्धान्त इस तथ्य पर आधारित है कि समिति को सदस्यों के प्रति और सदस्यों को समिति के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए।¹ इसके अनुसार जब सदस्य समिति से उपभोक्ता बन्मुख्य खरीदते हैं तब वे समिति द्वारा कमाये गये लाभ से आश्रय के आधार पर लाभांश के अधिकारी हैं। कृषि क्षेत्र में विपणन समिति में इसका सदस्य अपनी कृषि उपज समिति को प्रदान करते हैं तो समिति को जो कुल कारोबार में लाभ होता है वह आश्रय प्रत्यर्पण के रूप में वितरित किया जाता है।

यह सिद्धान्त १८४४ में ग्रेट ब्रिटेन के सहकारिता आन्दोलन में रोडवेल अग्रगामियों द्वारा सदस्यों को समिति से सेवा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन रूप में मिला था। अतः यह सिद्धान्त विश्व के अनेक देशों के सहकारी आन्दोलनों में अपनाया गया। वास्तव में देखा जाये तो यह सिद्धान्त न्यायिक वितरण की विचारधारा पर आधारित है। "यह लाभान के भुगतान की एक ऐसी विधि है जिसमें प्रत्येक सदस्य को उसके न्य के अनुसार हिस्सा प्राप्त होता है।"²

प्रो० पाल लैम्बर्ट (Paul Lambert) ने इन सिद्धान्त को नकारात्मक कहा है अर्थात् यह सिद्धान्त शुद्ध लाभ को पूंजी के अनुपात में बाँटने से रोकता है।³ इस प्रकार आश्रय प्रत्यर्पण सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा समिति के माध्यम से किये गये व्यापार (transactions) के आधार पर लाभांश प्राप्त होता है।

1 Mirdha Committee Report on Cooperation

2. Abbotts Fred, "Cooperative Efficiency and the Principles." Cooperative Principles in the Modern World, p 13.

3 Studies in the Social Philosophy of Cooperation, p 75

(४) पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता (Self Help Through Mutual Help)

भारतीय सहकारी सघ के अनुसार पारस्परिक सहायता सदस्यों के मध्य निजी सम्बन्धों का आधार है। इस सिद्धान्त की मान्यता है कि "एक सब के लिए, सब एक के लिये है।" इसका तात्पर्य है कि सभी सदस्य सहकारी समिति के लिए होते हैं और समिति उन सबकी सहायता करने के लिये। यदि किसी सदस्य को किसी समय सहायता की आवश्यकता होनी है तो अन्य सभी सदस्य उसकी समय पर मदद करते हैं। सहकारी समितियों में सदस्य अपने आर्थिक समाधानों को एकत्र करते हैं और अपनी व्यक्तिगत कमजोरी को पारस्परिक सहयोग से दूर करते हैं। सहकारिता में आत्म सहायता निजी व्यवसाय की आत्म सहायता से पर्याप्त भिन्न है। सहकारिता में आत्म सहायता पारस्परिक सहायता से सम्बद्ध है। अकेला निधन व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों को सहन करने में अममथ होता है। अतः अपने समाधानों को अन्य व्यक्तियों के साथ मिलाकर अपनी स्थिति का मुकाबला कर सकता है।

(५) सामान्य कार्य द्वारा सामान्य हित (Common Welfare Through Common Action)

सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य सामूहिक कार्य के द्वारा सामूहिक कल्याण की वृद्धि करना है। इससे प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त होती है और सहयोग की भावना जागृत होनी है। यह सिद्धान्त भी अन्य पूंजीवादी सगठनों से सहकारिता को भिन्न करता है। पूंजीवादी सगठनों में 'प्रत्येक अपने लिये' की भावना पाई जाती है जिसमें प्रतिस्पर्धा का उदय होता है। किन्तु सहकारिता में सामूहिक हित महत्त्वपूर्ण होने के कारण सहयोग की भावना की अभिवृद्धि होती है।

(६) अविभेदात्मकता का सिद्धान्त (Principle of Non-discrimination)

इस सिद्धान्त के अनुसार सदस्यता के लिये सामाजिक, राजनैतिक अथवा धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि जिस सस्था में सदस्यता का द्वार खुला होता है वहाँ जाति, धर्म, लिंग आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है। सहकारी समितियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाता है। कोई भी सामान्य योग्यता तथा अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति इनका सदस्य बन सकता है।

यह सिद्धान्त राजनैतिक एवं धार्मिक निष्पक्षता की विचारधारा का व्यावहारिक पक्ष है। कुछ विद्वानों ने राजनैतिक एवं धार्मिक निष्पक्षता को सहकारिता का अन्ग से सिद्धान्त माना है। किन्तु अविभेदात्मकता के सिद्धान्त और इसमें कोई विशेष अन्तर नजर नहीं आता है।

(७) सेवा भावना (Spirit of Service) :

सहकारी समिति के सदस्य निस्वार्थ भावना तथा ईमानदारी से कार्य करते हैं। सहकारिता केवल व्यवसाय ही नहीं बल्कि व्यवसाय और सेवा भावना दोनों का मिश्रण है। संयुक्त स्कन्ध प्रमण्डलों की भाँति इनका संचालन लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं वरन् निर्लाभ की भावना से किया जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सहकारी समितियों में लाभ कमाना वर्जित है। इनमें लाभ भी कमाया जाता है।

किन्तु अधिकतम लाभ कमाने की अपेक्षा अधिकतम सेवा प्रदान करने पर अधिक बल दिया जाता है। श्री एम० डालिंग तथा एमोरी एस बोगार्ड्स ने सहकारिता में धार्मिक तथा सेवा के सक्षण को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

(८) पूँजी पर सीमित व्याज का सिद्धान्त (Limited Interest on Capital) .

“पूँजी पर सीमित व्याज का सिद्धान्त सहकारी विचारधारा का मूल तत्व प्रदर्शित करता है अर्थात् सहकारी आन्दोलन में पूँजी के स्वामित्व से उत्पन्न विषमताओं को निष्प्रभाव करने और आर्थिक कारोबार के सर्वाधिक प्रेरक उद्देश्य लाभ की वृत्ति को नष्ट करने का यत्न करता है।” ग्रेट ब्रिटेन के रोकडेल अग्रगण्यो ने भी अपनी समिति में इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। अन्तर्गण्ट्रीय सहकारी संघ (ICA) द्वारा निगुक्त १९६६ के कमोशन ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि सहकारी समितियों में पूँजी पर व्याज दिया जाता है तो सीमित दर से देना चाहिए। कमोशन ने इस पर भी जोर दिया है कि इस प्रकार संगठन में पूँजी पर व्याज अनिवार्य (Compulsory) नहीं होता है।¹

(९) नकद विक्रय, शुद्ध वस्तुयें तथा ठीक नाप तौल का सिद्धान्त (Cash Trading, Purity of Goods and Correct Weightment) :

नकद विक्रय सहकारिता के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सहकारी समितियों को आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न होने के कारण उधार विक्रय नहीं किया जाना चाहिए। उधार विक्रय से डूबत ऋण (Bad-debts) की अधिक सम्भावना रहती है जिसमें सहकारी समितियों को बहुत नुकसान हो सकता है। अतः यह सिद्धान्त अनिवार्य रूप से अपनाया चाहिए। यह प्रायः निश्चित है कि उधार वस्तुयें न मिलने के कारण सदस्य मित्तव्ययो बनने हैं और अपनी आवश्यकताओं को भी सीमित रखते हैं। इसके अतिरिक्त जिन वस्तुओं का विक्रय किया जा रहा है वे शुद्ध तथा नाप-तौल में पूर्ण होनी चाहिए। विशुद्ध वस्तुओं के विक्रय के कारण लम्बी अवधि में अधिक सफलता मिलने की सम्भावना होती है।

(१०) शिक्षा की अभिवृद्धि (Promotion of Education) -

सहकारी आन्दोलन को स्वस्थ एवं आत्म निर्भर बनाने के लिए सहकारी शिक्षा पर अधिक बल दिया जाये। इसकी आवश्यकता विकासशील राष्ट्रों में और भी अधिक है क्योंकि इनमें सदस्यों की सामान्य शिक्षा का स्तर निम्न है। अन्तर्गण्ट्रीय सहकारी संघ (ICA) में सहकारी शिक्षा के विकास को सहकारिता का आधारभूत सिद्धान्त माना है। सभी सहकारी समितियों को अपने सदस्यों, कर्मचारियों तथा कार्यालय अधिकारियों के लिए शिक्षा को उचित व्यवस्था करनी चाहिये। ‘वास्तव में शिक्षा के प्रसार के बिना सदस्यों की सामान्य सभा जो समिति के लिये सर्वोच्च सत्ता है, एक प्रबल शक्ति नहीं बन सकती एवं सहकारी मस्याओं में स्वशासन यथार्थ नहीं रह सकता।’

सहकारी शिक्षा का विकास सहकारी संगठन तथा सरकार दोनों द्वारा किया जा सकता है। अतः ये सहकारी शिक्षा को विकास गतिविधियों का अभिन्न अंग मान

1. The 1966 Commission (ICA) report.

2. Mirdha Committee Report on Cooperation, page 13.

कर चलें सभी विक्रम सम्भव है।¹ साधारणतः सहकारी आन्दोलन अशिक्षित तथा निर्धन जनता के लिये है अतः सहकारिता के सिद्धान्तों की उन्हें जानकारी देना नितांत वाछनीय है।

(११) सहकारी समितियों में सहकारिता (Cooperation among Cooperatives):

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संघ के १९६६ के सम्मेलन ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया।² इस सिद्धान्त के अनुसार सभी सहकारी समितियाँ (स्थानीय, राज्यस्तरीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर) को एक दूसरे को सहयोग देना चाहिये। यह सिद्धान्त सगठनात्मक समस्या से सम्बन्धित है। उदाहरण के लिये सभी राज्य सहकारी बैंक एक राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना कर सकते हैं। इसी प्रकार अनेक देशों की राष्ट्रीय सहकारी बैंक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सहकारी बैंक स्थापित कर सकते हैं। जत आपसी सहयोग से सहकारिता का क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता है। आपसी सहयोग कई प्रकार से हो सकता है जैसे सहकारी समितियों में आपस में वित्तियोजन, व्यवसाय, सहकारी शिक्षा तथा संयुक्त सहकारी इकाइयों की स्थापना आदि। हावर्ड ए० कौडिन (Howard A. Cowden) ने कहा है कि विभिन्न देशों के सहकारिता आन्दोलनों में इस सिद्धान्त का अभाव पाया जाता है।

(१२) पूँजी की अपेक्षा मानव को अधिक महत्त्व (Importance to the Human being rather than Capital)

सहकारिता में पूँजी की अपेक्षा मानव को अधिक महत्त्व दिया जाता है। अन्य पूँजीवादी सगठनों में (जैसे संयुक्त स्कन्ध प्रमण्डल) में पूँजी के आकार पर मत देने का अधिकार होता है किन्तु सहकारिता में पूँजी को महत्त्व न देकर 'मानव' को अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 'एक व्यक्ति एक मत' के सिद्धान्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सहकारिता सगठन में पूँजी की अपेक्षा 'व्यक्ति' का अधिक महत्त्व है।

सहकारिता की उत्पत्ति (Origin of Cooperation)

आपसी सहयोग कोई नयी विचारधारा नहीं है। प्राचीन काल से ही व्यापार में पारस्परिक सहयोग से कार्य चलता आ रहा है। प्राचीन काल में ग्रामीण जीवन इसी विचारधारा पर आधारित था। मुख्यतः कृषि क्षेत्र में इसका बहुत महत्त्व था। किन्तु आधुनिक अर्थ में सहकारिता की उत्पत्ति अधिक प्राचीन नहीं है। अठारहवीं शताब्दी के मध्य इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति का प्रारम्भ हुआ। इस क्रान्ति से वहाँ की जनता के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। फलतः वहाँ पूँजीपति तथा श्रमिक के दो वर्गों का जन्म हुआ। औद्योगिक क्रान्ति ने निर्धन वर्ग को अधिक बुरी तरह प्रभावित किया। रोबर्ट ओडिन ने 'सामाजिक सहयोग' (Socialistic Association) की विचार

1 Indian Cooperative Review, January 1969, page 212.

2 The Commission of 1966 (ICA) added New Principle, "Principle of growth by mutual cooperation among cooperatives"

घारा का प्रतिपादन किया।¹ यद्यपि रोबर्ट अविन से पूर्व भी सहकारिता को व्यवहार में लाने का प्रयत्न किया गया था किन्तु सफलता नहीं मिल सकी। इसके लिए सन् १७९५ में प्रथम प्रयास किया गया था। हुल (Hull) के निवासियों ने हुल मिल विरोधक समिति (Hull Anti-Mill Society) की स्थापना की। किन्तु यह अधिक नहीं चल पायी। दूसरी तरफ रोबर्ट अविन के निरन्तर प्रयत्नों से १८२१ में *The Cooperative and Economical Society* की स्थापना हुई।

सहकारिता आन्दोलन के अनेक प्रयत्न १८३० से १८३९ तक किये गये किन्तु सबसे महत्वपूर्ण कदम २१ दि० १८४४ का है जबकि रोकडेल अग्रगामियों (Rochdale Pioneers) ने "The Rochdale Society of Equitable Pioneers" की स्थापना की। वास्तव में आधुनिक सहकारिता आन्दोलन का प्रारम्भ यही में होता है। रोकडेल अग्रगामियों ने अपने विचारों को सहकारी सिद्धान्तों के रूप में व्यक्त किया जो कि विश्व के अनेक देशों में फैल गये। अतः इंग्लैण्ड उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन का जन्म स्थान माना जाता है।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी के किसानों तथा श्रमिकों की दशा भी बहुत खराब थी। ऐसी स्थिति में यहाँ सहकारी विचारधारा बढने लगी। फलतः समितियों की स्थापना सबसे पहले हुई।² जर्मनी में ग्रामीण व ग्रुपि क्षेत्रों में रेफिसिन समितियाँ स्थापित की गयीं और नगरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों के लिये शुल्जे डेलिश समितियाँ बनायीं गयीं। छोटे-छोटे सहकारी साख की विचारधारा इटली, स्विटजरलैण्ड, बेल्जियम, फ्रांस तथा जायरलैण्ड में भी फैलने लगी। जर्मनी की भाँति शुल्जे डेलिश आधार पर इटली, स्विटजरलैण्ड, बेल्जियम, फ्रांस आदि में सहकारी बैंक स्थापित किये गये और इन देशों में ग्रामीण साख के लिये रेफिसिन बैंक के नमूने के बैंक स्थापित हुए।

सहकारी उत्पादन आन्दोलन का प्रारम्भ फ्रांस में हुआ। यह विचारधारा Fourier (1772-1837) और Buchez (1796-1865) के द्वारा प्रतिपादन की गयी। डेनमार्क में सबसे पहले Cooperative Animal Husbandry का विकास हुआ और विश्व के अन्य देशों ने इसका अनुकरण किया। इटली सहकारी खेती (Cooperative Farming) तथा श्रम समितियों में अग्रगामी है।

उपरोक्त यूरोप के देशों में सहकारी आन्दोलन का पर्याप्त विकास हुआ जिनका भारतवर्ष में भी अनुकरण किया। यहाँ विभिन्न देशों के विभिन्न प्रकार के सहकारी आन्दोलनों के आधार पर आन्दोलन चालू किया गया।

1. Robert Owen (1771-1858) is generally regarded as the founder of the modern cooperative movement.
2. Germany is the parent-country of cooperative banking, and the pioneers there of the town and country banks respectively were Herr Schulze, Mayor of Delitzsch, and Herr F. W. Raiffeisen burgomaster of a group of villages round Neuwied."

भारत में सहकारिता आन्दोलन की उत्पत्ति (Origin of Cooperative Movement in India)

भारत में सहकारिता की उत्पत्ति दोमबी शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में हुई। उसीसकें शताब्दी के अन्तिम वर्षों में देश में नियंत्रण, अमान्ति तथा अराजकता बहुत बढ़ चुकी थी। यूरोप की औद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव भारत पर बहुत दूर पडा। विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय कुटीर उद्योग का पतन हुआ तथा बंगोरुगारे बलन लगी। किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गयी। फलतः तत्कालीन भारत सरकार ने १९०१ में सर एडवर्ड ला (Sir Edward Law) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने जननी के रेडिफिन समितियों की नीति भारत में सहकारी समितियों बनाने का सुझाव दिया। सन् १९०४ में भारत में सहकारी माछ समिति अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम सहकारी माछ समितियों से सम्बन्धित था। सन् १९१२ में इसका अधिनियम पारित किया गया। जिसमें गुरु सहकारी समितियों की स्थापना की व्यवस्था भी की गयी। भारतीय सहकारी आन्दोलन का विकास यूरोप के सहकारी आन्दोलन के आधार पर हुआ।

सहकारिता एवं अन्य पद्धतियों में भिन्नता

सहकारिता तथा पूँजीवाद (Cooperation and Capitalism) .

पूँजीवाद तथा सहकारिता दोनों अतिरु सुगठन हैं। पूँजीवाद में व्यवसाय का माछन निजी क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें उत्पादन के विभिन्न माधनों पर धनिगत स्वामित्व होता है। उत्पादक गण पूँजी के सञ्चय पर अतिरु ध्यान देते हैं। अतः पूँजीवाद में पूँजी को अतिरु महत्व दिया जाता है। सहकारिता तथा पूँजीवाद दोनों में निम्नलिखित अन्तर है —

(१) सहकारिता में सदस्यों की अधिकतम सेवा की उरुध विरुध ध्यान दिया जाता है किन्तु पूँजीवाद में लाभ को अतिरु महत्व दिया जाता है। यद्यपि सहकारिता में लाभ कमाया जा सकता है किन्तु किसी भी व्यक्ति या वर्ग का अतिरु करके नहीं। सहकारिता में चरित्र निर्माण को प्रधानता दी जाती है।

(२) सहकारिता में मानव को अतिरु महत्व दिया जाता है जबकि पूँजीवाद में 'पूँजी' सर्वोपरि है। पूँजीवाद में पूँजी व्यक्तियों पर धानन करती है। सहकारिता में मनुष्य पूँजी पर धानन करता है। इस प्रकार के माछन में धन को मानव कल्याण का साधन माना जाता है।

(३) सहकारिता नियंत्रण व्यक्तियों को शक्ति प्रदान करती है किन्तु पूँजीवाद नियंत्रण को अतिरु नियंत्रण बनाता है। अतः पूँजीवाद में व्यक्तियों का अतिरु धीरुध होता है। सहकारिता में 'परस्पर सहायता द्वारा बाल्य सहायता' का सिद्धान्त महत्वपूर्ण है।

(४) सहकारिता में धन का वितरण न्यायिक होता है। पूँजीवाद में धन का अनुमान वितरण होता है। पूँजीपति अधिक धनिधाराता होते जाते हैं और नियंत्रण अतिरु नियंत्रण। इसने समाज में वर्ग सुनय का उदय होता है। पूँजीपतियों के धीरुध के कारण नियंत्रण व्यक्तियों की स्थिति अत्यन्त खराब हो जाती है।

(५) सहकारिता तथा पूँजीवाद दोनों में प्रतिस्पर्धा का तत्त्व होता है। किन्तु सहकारिता में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा (Fair Competition) होती है और पूँजीवाद में गलाकाट प्रतिस्पर्धा। पूँजीवाद में स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा होती है जिसे कमजोर प्रतिद्वन्दी को मार्ग से हटा दिया जाता है।

उक्त विवरण से सहकारिता तथा पूँजीवाद का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। वास्तव में देखा जाय तो पूँजीवाद के दोषों को दूर करने के लिये ही सहकारिता का जन्म हुआ।

सहकारिता और समाजवाद में अन्तर (Difference between Cooperation and Socialism)

यद्यपि सहकारिता तथा समाजवाद दोनों का उद्देश्य व्यक्तियों में समानता लाना है तथापि दोनों में पर्याप्त भिन्नता है। इन दोनों में अन्तर स्पष्ट करने से पूर्ण समाजवाद के द्विपक्ष में जानना आवश्यक है। समाजवाद में सामाजिक कल्याण को सर्वोपरी रख कर सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें उत्पादन तथा वितरण पर केन्द्रीय नियन्त्रण होता है। समाजवाद तथा सहकारिता दोनों का प्रमुख उद्देश्य पूँजीवाद की बुराइयों को दूर करना है। इन दोनों में निम्नलिखित अन्तर है।

(१) सहकारिता में वैयक्तिक स्वतन्त्रता का गुणपाया जाता है। किन्तु समाजवाद में इसका अभाव पाया जाता है। समाजवाद में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को समाप्त कर दिया जाता है। सहकारी समिति के सदस्यों को सभी कार्य करने की स्वतन्त्रता होती है किन्तु उन कार्यों से किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिये।

(२) सहकारिता में पूँजीवाद की बुराइयों समाप्त करने के लिये सम्पत्ति और पूँजी को हटाने की प्रवृत्ति होती है। सहकारिता निजी पूँजी को संचय करने के विरुद्ध नहीं है। सहकारी समिति की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये सदस्यों से अधिक पूँजी एकत्र कर सकती है किन्तु पूँजी पर नियन्त्रण व्यक्तियों का होता है न कि पूँजी का व्यक्तियों पर।

(३) सहकारिता एक एन्डिङ्क सगठन होने के नाते समाजवाद से भिन्न है। सहकारिता में पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता की जाती है। सहकारिता राज्य की तथा अन्य किसी प्रकार की बाहरी सहायता पर आधारित होती है। समाजवाद में व्यक्ति सरकार पर अधिक आधारित होते हैं। सहकारिता में आत्म निर्भरता के तत्त्व की तरफ आगे बढ़ा जाता है।

(४) सहकारिता में व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा सहकारिता के आधार पर धीरे-धीरे परिर्वतन होता है वल्कि समाजवाद में तेज गति से परिर्वतन होते हैं।

सहकारिता ऐसा सगठन है जो कि पूँजीवाद तथा समाजवाद दोनों में अपनायी जाती है। जिस पूँजीवाद को यह बदलना चाहती है उसमें भी इसे स्थान प्राप्त है। अतः सहकारिता अत्यन्त महत्वपूर्ण आर्थिक सगठन है।

सहकारिता तथा श्रमिक सघ (Cooperation and Trade Union)

सहकारिता तथा श्रमिक सघ दोनों ही एन्डिक्क सगठन हैं। किन्तु सहकारिता में कुछ न कुछ व्यवसाय किया जाता है। श्रमिक सघ कोई भी व्यवसाय नहीं करते हैं। इनकी स्थापना पूँजीपतियों अथवा मिल मानिकों के विरुद्ध अपने हितों को रक्षा के लिये की जाती है। सहकारिता में मानिकों को हटा देने का उद्देश्य होता है। सहकारिता शान्तिपूर्वक धीरे-धीरे पूँजीवाद के दोषों को दूर करती है जबकि श्रमिक सघ पूँजीपतियों के विरुद्ध सघर्ष करते हैं। अतः सहकारिता तथा श्रमिक सघों में पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है।

सहकारिता तथा सयुक्त स्कन्ध प्रमण्डल (Cooperation and Joint Stock Companies)

सहकारिता तथा सयुक्त स्कन्ध प्रमण्डल दोनों व्यापार करने के सगठन हैं। किन्तु दोनों में बहुत अन्तर है। सहकारिता में व्यक्ति को पूँजी से अधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है जबकि इन प्रमण्डलों में इसके विपरीत होता है। सहकारिता का 'एक व्यक्ति एक मत' सिद्धान्त इसे सयुक्त स्कन्ध प्रमण्डल से भिन्न करता है। इन प्रमण्डलों में मताधिकार अर्थात् पूँजी के आधार पर होता है।

सहकारिता में अपने सदस्यों को अधिकतम सेवा प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है जबकि सयुक्त स्कन्ध प्रमण्डल में पूँजीवाद की भाँति अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सहकारिता अन्य सगठनों से भिन्न है। सहकारिता और दान सस्थाओं में भी पर्याप्त भिन्नता है साथ ही अन्य अनेक सस्थाओं से भी सहकारिता भिन्न है।

समाजवादी समाज में सहकारिता का स्थान (Role of Cooperation in a Socialist Society)

समाजवादी समाज में सामाजिक कल्याण को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता है। सामाजिक कल्याण की वृद्धि में जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठता है। समाजवादी समाज में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये धन, आय तथा अवसरों का समान वितरण किया जाता है। समाजवादी समाज का उद्देश्य धन के केन्द्रीयकरण को रोकना है। इसके लिये सहकारिता का प्रमुख स्थान हो सकता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सहकारिता में नमानता का सिद्धान्त बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसमें पूँजी को महत्त्व न देकर 'मानव' को अधिक महत्त्व दिया जाता है। अतः समाजवादी समाज में इस उद्देश्य की पूर्ति में सहकारिता का स्थान बहुत ऊँचा है।

समाजवादी समाज के निर्माण के लिये आर्थिक नियोजन का आश्रय लिया जाता है। नियोजित अर्थ व्यवस्था में सहकारिता एक प्रभावशाली यन्त्र हो सकती है। यदि योजनाओं के माध्यम से धन के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को नष्ट करना

है तो सहकारिता का सहयोग बहुत आवश्यक है।¹ "समाजवादी ढंग के समाज की हमारी परिकल्पना में कृषि और उद्योग दोनों में बहुत बड़ी सच्यता में विकेन्द्रीकृत इकाइयों की स्थापना निहित है। इन छोटी इकाइयों के विस्तार और संगठन के लाभ मुख्यतः एकत्र होकर प्राप्त हो सकते हैं। भारत में आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन पर भी जोर दिया जा रहा है और इसमें सहकारिता के संगठन के लिये बड़ा भारी क्षेत्र है। इसलिये नियोजित विकास के रूप में एक सहकारिता क्षेत्र की रचना हमारी राष्ट्रीय नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है।"² भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना में सहकारिता का सामाजिक स्वायत्तत्व और आर्थिक विकास का प्रमुख आधार माना है।

समाजवादी समाज में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे का शोषण नहीं होता है इस उद्देश्य की पूर्ति भी सहकारिता में की जा सकती है इसमें 'शोषण' की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाता है। पारम्परिक सहायता से आपसी सहायता होने के कारण शोषणहीन समाज की स्थापना होती है। हमारी नियोजित अथ व्यवस्था में सहकारिता को उत्तरोत्तर आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेना चाहिये। कृषि, सिंचाई, लघु उद्योग, विपणन, माल रवाना गृह निर्माण आदि अनेक कार्यों में सहकारी विकास आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी विकास से पूँजीवादी अथ व्यवस्था के दोष दूर हो सकेंगे।

समाजवाद में उत्पात्ति के विभिन्न साधनों पर सामूहिक अधिकार होता है। पूँजीवाद में इसके विपरीत कुछ ही व्यक्तियों का अधिकार होता है। सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें उत्पात्ति के विभिन्न साधनों पर कुछ ही व्यक्तियों का अधिकार नहीं होता है। उत्पादित वस्तुओं पर सामूहिक अधिकार होता है। उत्पादन में प्राप्त लाभ कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में नहीं एकत्र होता है अतः धन का केन्द्रीयकरण नहीं हो पाता है। इस प्रकार सहकारिता समाजवाद लाने में उल्लेखनीय योगदान दे सकती है।

समाजवाद में राष्ट्रीय आय को समानता के आधार पर बाँटने के प्रयत्न किये जाते हैं। सहकारिता बहुत अग तक यह व्यवस्था करने में योगदान देता है। निर्धन व्यक्तियों को इसमें अधिक लाभ होता है जत कमजोर वर्ग में राष्ट्रीय आय का वितरण में सहकारिता महत्वपूर्ण है। कृषि, उद्योग एव वाणिज्य के क्षेत्र में सहकारी आधार पर विकास करने में जो आय प्राप्त होती है उसका समानता के आधार पर वितरण किया जाता है। अतः सहकारिता समाजवादी नमून के समाज की स्थापना में अत्यन्त उपयुक्त है।

प्रश्न

1. 'सहकारिता' से आपका क्या तात्पर्य है? इसके मुख्य मुख्य सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिये।
2. सहकारिता की परिभाषा देते हुये इसके लक्षणों की विवेचना कीजिये।

1 Planning Commission—The First Five Year Plan, Govt of India 1952.
2 The Second Five Year Plan, Govt of India

३. समाजवादी समाज की स्थापना में सहकारिता का क्या स्थान है ? संक्षेप में लिखिये ।
४. निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट कीजिये
- (i) सहकारिता एव समाजवाद
 - (ii) सहकारिता एव पूंजीवाद
 - (iii) सहकारिता एव सयुक्त स्कन्ध प्रमण्डल
-

भारत में सहकारी आन्दोलन की उत्पत्ति तथा विकास (Origin and Development of Cooperative Movement in India)

भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही सहकारिता के सिद्धान्त ग्रामीण जीवन में काम लिये जाते रहे हैं। व्यक्ति मिल जुल कर परस्पर सहयोग से कार्य करते थे किन्तु आधुनिक अर्थ में बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में सहकारिता का जन्म हुआ। इसमें पूव यूरोपीय देशों में सहकारी आन्दोलन विकसित हो चुका था। इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप समाज धनवान और निर्धन दो वर्गों में विभक्त हो गया। धर्मिकों का शोषण होने लगा। निर्धन वर्ग अधिक निर्धन और धनवान अधिक धनवान होते चले गये। ऐसी स्थिति में सहकारिता का जन्म हुआ। सन् १८४३ में इंग्लैण्ड में रोकडेल में २८ बुनकरों ने अग्रगामी समिति का निर्माण किया। यद्यपि यहाँ इससे पूर्व भी प्रयत्न किये गये थे किन्तु यह सफल प्रयत्न था। जर्मनी में सन् १८५० में रैफिसिन (Raiffeisen) एव शूलजे डेलिस (Schulze Delitzsch) नामक दो व्यक्तियों ने सहकारी समितियों की स्थापना की थी। रैफिसिन प्रकार की समितियाँ ग्रामों तथा शूलजे डेलिस समितियाँ शहरी भागों में संगठित की गयीं। भारत वर्ष में इन्हीं दो प्रकार की समितियों को आधार मानकर आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया गया।

इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर पड़ा। भारत भी प्रभावित हुआ। यहाँ उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में निर्धनता, अराजकता, अज्ञान्ति तथा बेरोजगारी फैल चुकी थी। यूरोप की अपेक्षा हमारे देश में औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव अधिक गम्भीर थे। यहाँ बुटीर एव लघु उद्योग बन्धे नष्ट होने लग। विदेशों में बनी सस्ती वस्तुएँ अधिक बिकने लगी। देश की राष्ट्रीय आय बहुत कम हो गयी। लाखों व्यक्ति बेरोजगार हो गये। अतः व्यक्तियों ने खेतों की तरफ बढ़ना प्रारम्भ कर दिया। देश में जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जा रही थी। जिसका भार भूमि (कृषि भूमि) पर बढ़ने लगा। खेतों का आकार छोटा हो गया। फलतः कृषि फल अलाभकारी सिद्ध होने लगे। दूसरी तरफ पंजीवादी विचार के व्यापक हो जाने से मध्यस्थ वर्ग भी पतनपने लगा। ये व्यापारी या मध्यस्थ निर्धन जनता

का और अधिक शोषण करने लगे। इन कारणों से ग्रामीण जनता परेशान हो गयी तथा किसान ऋणग्रस्त हो गये थे। महाजनो का आधिपत्य बढने लगा। सरकार ने इनके बढते हुए प्रभाव को रोकने के लिये तथा किसानो को सुविधायें प्रदान करने के लिये कुछ अधिनियम जैसे Deccan Agricultural Relief Act (1879), Land Improvement Loans Act (1883) तथा Agriculturists Act (1884) पारित किये। अन्तिम दोनो अधिनियम आज भी लागू है जिनको तकावी नियम कहा जाता है। सन् १८८३ के अधिनियम के अन्तर्गत किसान को उत्पादक कार्यों के लिए निजी ब्याज दर पर ऋण मिलता है। सन् १८८४ के अधिनियम ने अकाल पीडितो को सास प्रदान करने की व्यवस्था की। सर्व प्रथम १८९२ मे सहकारी समितियाँ गठित करने का विचार किया गया। इसी वर्ष मद्रास सरकार ने फ्रेडरिक निकल्सन (Frederick Nicholson) को जर्मन ग्रामीण बैंको के अध्ययन के लिए भेजा। निकल्सन ने अपना प्रतिवेदन दो भागों मे सन् १८९५ और १८९७ मे प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने प्रतिवेदन मे असंमित दायित्व वाली सहकारी साख समितियाँ स्थापित करने की सिफारिश की। भारत सरकार ने सर एडवर्ड ला (Sir Edward Law) की अध्यक्षता मे एक समिति नियुक्ति की। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन मे भारत मे रेफिसिन नमूने की सहकारी साख समितियाँ स्थापित करने का सुभाव दिया। सन् १९०१ मे आकाल आयोग ने पारस्परिक साख सगठन स्थापित करने की सिफारिश की।

उपरोक्त प्रयत्नो के फलस्वरूप सन् १९०४ मे सहकारी साख अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के पश्चात् भारत मे आधुनिक सहकारिता का जन्म हुआ। यद्यपि इस वर्ष से पूर्व भी कुछ पारस्परिक साख समितियाँ कार्य कर रही थी किन्तु उनका कोई भी कानूनी आधार नहीं था। इस अधिनियम ने सहकारी साख के विकास के लिये उचित एव अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा की। अध्ययन की सुविधा के लिए भारत मे सहकारी आन्दोलन के विकास को विभिन्न चरणो मे विभक्त किया गया है।

प्रथम चरण (१९०४ से १९११)

प्रथम चरण प्रथम सहकारी अधिनियम से प्रारम्भ होता है। वास्तव मे देखा जाये तो यह काल एक प्रयोग मात्र था। आन्दोलन की प्रेरक इस समय सरकार थी। सरकार समितियों के विकास के लिये ऋण की व्यवस्था करती थी। सन् १९०९ में सहकारी समितियों की कायशील पूंजी मे सहकारी ऋण का भाग २२ प्रतिशत था। आन्दोलन के विकास मे सबसे बड़ी कठिनाई थी जनता की अशिक्षा। समितियों के सदस्य भी सहकारी सिद्धान्ता से अनभिज्ञ थे। आन्दोलन की सफलता से पूर्व सन् १९०४ के अधिनियम के विषय मे जानना आवश्यक है जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है।^१

सन् १९०४ के सहकारी अधिनियम की विशेषतायें

(१) समितियाँ ग्रामीण एव शहरी वर्गो मे विभक्त की गयी। जिन समितियों की कुल सदस्यता के ८० प्रतिशत किमान है तो वह समिति ग्रामीण समिति होगी

1 The Law passed in 1904 modelled largely on the 'English Friendly Societies Act'

और जिन समितियों में ८० अतिरिक्त किसान नहीं हैं वे समितियाँ शहरी कहलायेंगी ।

(२) कोई भी १० व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति निर्मित कर सकते हैं ।

(३) ग्रामीण समितियों का दायित्व असीमित होगा । किन्तु शहरी समितियाँ सीमित अथवा असीमित किसी भी प्रकार की हो सकती हैं ।

(४) प्रान्तों में पञ्जीयन अधिकारी द्वारा सहकारी समितियों के पञ्जीयन की व्यवस्था की गयी ।

(५) समितियों का कार्य क्षेत्र सीमित था और कहीं कहीं पर तो विशेष जाति या वन तक ही सीमित क्षेत्र था ।

(६) समितियाँ सदस्यों को ऋण व्यक्तिगत जमानत अथवा वास्तविक सम्पत्ति जमानत पर दिया जाता था ।

(७) समिति के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और सदस्य द्वारा खरीदे जाने वाले वस्तुओं की सीमा भी निर्दिष्ट होगी ।

(८) ग्रामीण समितियाँ लाभ का विभाजन नहीं करेंगी किन्तु कोष की जमा राशि की वैधानिक सीमा के पश्चात् कुछ लाभ सदस्यों में वितरित किया जा सकेगा । शहरी समितियाँ लाभ का एक चौथाई संचित कोष में रखकर शेष को लाभान्वित के रूप में बाँट सकेंगी ।

(९) प्रत्येक समिति का वार्षिक अकेक्षण पञ्जीयन अधिकारी का वैधानिक कर्तव्य होगा ।

(१०) पञ्जीयन अधिकारी की अनुमति से एक समिति दूसरी समिति को ऋण प्रदान कर सकेगी ।

(११) समितियाँ आशुकर स्टाम्प फीस और पञ्जीयन फीस से मुक्त होगी ।

(१२) पञ्जीयन अधिकारी को समितियों के नियन्त्रण और पयवेक्षण के व्यापक अधिकार दिये जायेंगे ।

इस अधिनियम के पारित हो जाने से देश के अनेक भागों में सहकारी साख समितियाँ स्थापित होने लगी । सन् १९०४ के अधिनियम में गैर साख (Non Credit) समितियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी । इसके अतिरिक्त स्थानीय ढाँचे अथवा केन्द्रीय बैंकों की स्थापना की भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी । सन् १९११ में सहकारी साख समितियों की संख्या ८ हजार से भी अधिक थी ।

द्वितीय चरण (१९१२ से १९१६)

सन् १९०४ के अधिनियम की कमियाँ को दूर करने के लिये १९१२ में दूसरा अधिनियम पारित किया गया । इस अधिनियम के साथ ही भारत में सहकारी आन्दोलन का द्वितीय चरण प्रारम्भ हुआ । पिछले ८ वर्षों के अनुभव के आधार पर नवीन अधिनियम तैयार किया गया । इस अधिनियम की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं ।

सन् १९१२ के अधिनियम की विशेषतायें

(१) इस अधिनियम के अन्तर्गत साख समितियों के अतिरिक्त गैर साख समितियों की स्थापना भी की जा सकती थी। समितियों का उद्देश्य सहकारी आधार पर अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की रक्षा करना होना चाहिये।

(२) जब तक स्थानीय सरकार (Local Government) ने कोई निर्देश नहीं दे दिया हो

(अ) केन्द्रीय समितियों का दायित्व सीमित होगा।

(ब) ग्रामीण साख समितियों का दायित्व असीमित होगा।

(३) समिति के संगठन के लिये कम से कम १० व्यक्तियों का होना आवश्यक है जो कि व्यस्क हों।

(४) समितियों को गैर सदस्यों से जमा तथा ऋण प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।

(५) समितियों की निधियों के विनियोजन पर कुछ नियन्त्रण लगा दिये गये।

(६) समितियों के लिये लाभ का एक चौथाई संचित कोष में रखना अनिवार्य किया गया। इसके पश्चात् समितियाँ शेष लाभ का १० प्रतिशत दान स्वरूप दे सकती हैं। शेष लाभ सदस्यों में वितरित किया जा सकेगा।

(७) राज्य सरकारों को सहकारी समितियों के लिये नियम बनाने के पर्याप्त अधिकार प्रदान किये गये।

(८) ऋणों की वसूली में समितियों के ऋण को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(९) जो समितियाँ सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं थी उनको सहकारी शब्द लिखने का अधिकार नहीं होगा।

(१०) पंजीयन अधिकारी को समिति की जांच करने का पर्याप्त अधिकार दिया गया।

इस अधिनियम ने सहकारी आन्दोलन को नया मोड़ दिया। सहकारी साख समितियों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भी समितियाँ गठित की जाने लगीं। समितियाँ अब ग्रामीण तथा शहरी आधार पर वर्गीकृत न की जाकर दायित्व के आधार पर की जाने लगीं। प्राथमिक एव केन्द्रीय स्तर पर समितियों की संख्या बढ़ने लगी। सन् १९१४-१५ तक समितियों की संख्या १२ हजार से भी अधिक हो गयी और उनकी सदस्य संख्या भी बढ़ कर ५ लाख हो गयी। आन्दोलन की प्रगति का मूल्यांकन करने लिये सरकार ने १९१४ में एक समिति की नियुक्ति की जिसके अध्यक्ष सर एडवर्ड मेक्लेगन थे और समिति ने अपना प्रतिवेदन सन् १९१५ में प्रस्तुत किया। इसमें निम्नलिखित सुझाव पेश किये गये—

(१) समितियाँ ऋण केवल सदस्यों को ही प्रदान करें।

(२) ऋण उत्पादन कार्यों के लिये प्रदान किये जायें और इस सम्बन्ध में अधिकारी गण यह देखें की प्रदान किया गया ऋण अच्छी तरह काम में लाया गया है या नहीं।

- (३) ईमानदारी पर अधिक जोर दिया गया ।
- (४) सदस्यों को उचित जमानत पर ऋण प्रदान किया जाये ।
- (५) ऋणों की अदायगी नियमित रूप से होती रहनी चाहिए ।
- (६) सदस्यों में मितव्ययिता को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

उनमें बचत की आदत डालनी चाहिए और समिति के आन्तरिक साधनों को अधिक मजबूत बना लेना चाहिए ।

(७) गैर-साख समितियाँ जैसे ऋण-विक्रय तथा अन्य समितियों को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये ।

(८) लेखा पुस्तकों को उचित जाँच करनी चाहिये ।

(९) समिति के सदस्यों को उचित सहकारी सिद्धान्तों की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए ।

(१०) राज्य स्तर पर प्रान्तीय बैंक स्थापित करने चाहियें ।

सन् १९१९ में सहकारी समितियों की संख्या और सदस्यता बढ़कर क्रमशः २८ हजार एव ११ लाख हो गयी । कार्यशील पूंजी में भी पर्याप्त वृद्धि हुई । इन समितियों की कार्यशील पूंजी १५ करोड़ रुपये हो गयी । केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना हुई जिनसे प्राथमिक समितियों को ऋण उपलब्ध होते थे ।

तृतीय चरण (१९१९ से १९२९)

इस काल में प्रान्तों में सहकारी विकास के राज्य सरकारों ने पर्याप्त प्रयत्न किये । सन् १९१९ में मान्चेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के अन्तर्गत सहकारिता प्रान्तीय विषय बना दिया गया । विभिन्न राज्यों में अलग-अलग अधिनियम पारित किये जाने लगे । बम्बई में सन् १९२५ में, मद्रास में १९३२, बिहार और उड़ीसा में १९३५, कर्ग में १९३७ और बंगाल में १९४० में अधिनियम पारित किये गये ।^१ सन् १९१९ के पश्चात् कई अखिल भारतीय प्रान्तीय समितियाँ नियुक्त की गयी जिनमें से मुख्य *Oaken Committee of U P*, *King Committee of C. P*, *Town and Committee of Madras*, *Royal Commission on Agriculture*, *Central Banking Inquiry Commission (1931)* है ।

सन् १९१९ से १९२९ के मध्य अवधि में आन्दोलन तेज गति से विकसित हुआ इस काल में गैर साख और औद्योगिक क्षेत्र में अधिक समितियाँ संगठित हुईं । सन् १९२६-२७ में माही आयोग (Royal Commission) के आन्दोलन की सफलता के लिये कुछ सुझाव दिये । आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया कि यदि सहकारिता असफल होती है तो ग्रामीण भारत की सर्वोत्तम आवागें असफल हो जायेंगी ।^२ सन् १९२० में समितियों की संख्या २८४ हजार सदस्य संख्या ११३ लाख तथा कार्यशील पूंजी १५१८ करोड़ थी जो कि सन् १९२९ में बढ़कर क्रमशः ९४ हजार, ३७ लाख एव ७५ करोड़ हो गयी । इस प्रकार सभी क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई ।

1 Reserve Bank Review of Cooperative movement in India, 1939 46 (Bombay), p 80

2 "If Cooperation fails, there will fail the best hope of rural India" Royal Commission

चतुर्थ चरण (१९२६ से १९३८)

यह काल विश्वव्यापी मन्दी में प्रारम्भ हुआ। सन् १९२९ में अमेरिका में आर्थिक मन्दी प्रारम्भ हुई जो कि विश्व के अनेक देशों में फैलने लगी। भारतवर्ष में भी इसका प्रभाव पड़ा। आन्दोलन को धक्का पहुँचा। मूल्य नीचे गिरने से किसानों पर ऋण बढ़ता चला गया। समितियाँ ऋण को वसूली नहीं कर पायीं। अतः बकाया राशि बहुत बढ़ गयी जिससे कई समितियों का विघटन प्रारम्भ हो गया। उत्तर-प्रदेश तथा पंजाब में स्थिति अधिक खराब हुई। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने सन् १९३१ में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति नियुक्त की जिसका कार्य आन्दोलन की स्थिति का अध्ययन करके सुझाव देना था। इस मन्दी काल में किसान भूमि को बन्धक रखकर ऋण लेने में अधिक उत्सुक थे। फलतः भूमि बन्धक बैंकों की स्थापना होने लगी। १९२९ में मद्रास में केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक स्थापित हुई। सन् १९३५ में बम्बई में एक प्रान्तीय भूमि बन्धक बैंक तथा कुछ प्राथमिक समितियाँ स्थापित की गयीं।

सन् १९३५ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई। वास्तव में यह सहकारी आन्दोलन में महत्त्वपूर्ण घटना थी। बैंक में भूमि विभाग स्थापित किया गया। इस काल में समितियों की सहायता तथा कार्यशील पूँजी में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई।

पंचम चरण (१९३६ से १९४७)

सन् १९३८ के पश्चात् वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगे जिससे आन्दोलन को कुछ सहायता मिली। बकाया ऋण की वसूली होने लगी। समितियों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। युद्ध काल में वस्तुओं के मूल और बढ़े जिससे समितियों को अधिक सुविधायें मिलीं। सन् १९४४ में सरकार ने प्रो० डी० आर० गाडगिल की अध्यक्षता में कृषि वित्त समिति (Agricultural Finance Committee) नियुक्त की। समिति ने दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन ऋणों को उचित प्रकार से नियन्त्रित करने पर जोर दिया। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि केवल सहकारी साख समितियाँ ही कृषि साख की पूर्ति नहीं कर सकती हैं अतः प्रत्येक राज्य में सरकार की सहायता से कृषि साख निगम (Agricultural Credit Corporations) की स्थापना की जाये। सन् १९४५ में श्री आर० जी० सरैया की अध्यक्षता में एक अन्य समिति की नियुक्ति की गयी जिसे सहकारी योजना समिति (Cooperative Planning Committee) कहा जाता है। समिति ने सुझाव दिया कि किसानों की सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ जो कि उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिये हैं सहकारिता के क्षेत्र के अन्तर्गत लायी जायें। अगले १० वर्षों में कम से कम ५० प्रतिशत गाँव और ३० प्रतिशत ग्रामीण जनता सहकारी क्षेत्र में लायी जायें। ग्रामीण समितियों की निम्नतम सीमा ३० निर्धारित कर दी जाये। विपणन समितियों का सर्वांगीण विकास किया जाये और सभी सुझाव मान लिये गये।

भारतवर्ष में सन् १९४० से सन् १९४७ तक की प्रगति का विवरण आगे दिया जा रहा है।

सहकारी आन्दोलन की प्रगति

वर्ष	समितियाँ (संख्या) (हजारों में)	सदस्यता (लाखों में)	कार्यशील पूंजी (करोड़ रुपये)
१९४०	११६.८	६०.००	१०४.६८
१९४७	१३९.०	९१.००	११६.००

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि समितियों की संख्या सदस्यता तथा कार्यशील पूंजी सभी में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। सदस्यता और कार्यशील पूंजी में वृद्धि तेज गति से हुई। नियन्त्रण काल में विपणन समितियाँ अधिक गठित हुईं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्

भारत १५ अगस्त १९४७ को स्वतन्त्र हुआ किन्तु विभाजन हो गया। विभाजन के फलस्वरूप देश के सामने नयी समस्याएँ उत्पन्न हो गयीं। इन समस्याओं में से कुछ समस्याओं को सहकारी आधार पर सुलझाने का निर्णय लिया गया। शरणार्थी समस्या के समाधान के लिये गृह निर्माण समितियाँ स्थापित होने लगीं। सेवा मुक्त सैनिकों को बसाने के लिये भी सहकारिता का सहारा लिया गया। नियोजित अथ-व्यवस्था में सहकारिता को उचित स्थान मिला। पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी विकास का विवरण नीचे दिया गया है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के आधार पर विकास करने के महत्त्व को पर्याप्त स्थान दिया गया। इस योजना में देश के आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग (Planning Commission) ने ग्राम पंचायतों तथा सहकारी संस्थाओं की स्थापना पर जोर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने सन् १९५१ में अखिल भारतीय ग्रामीण साख जाँच समिति नियुक्ति की। समिति ने ग्रामीण ऋण को एकीकृत योजना का मुभाव दिया जिसमें विभिन्न स्तरों पर राज्य की भागीदारी हो सके। ऋण के साथ विपणन समितियों के उचित समन्वय की व्यवस्था पर बल दिया गया। समिति ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारें सहायता देने और मार्ग दर्शन के कार्यों के अतिरिक्त ऋण माल सवारने, विपणन गतिविधियों में भागीदार हो। समिति की अधिकतर सिफारिशें मान ली गयीं जिन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काम में लाया गया। योजना में प्रगति का विवरण आगे की तालिका से स्पष्ट हो जाता है —

सभी किस्मों की सहकारी समितियाँ (प्रगति का दृष्ट)

[सम्पूर्ण भारत]

मद	१९५०—५१	१९५५—५६
१. समितियों की संख्या (लाखों में)	१.८	२.४
२. प्राथमिक समितियों की सदस्य संख्या (लाखों में)	१३७	१७६
३. अदा पूंजी (करोड़ रुपये)	४५	७७
४. कार्य कर पूंजी (करोड़ रुपये)	२७६	४६९

[स्रोत—रिपोर्ट १९६८-६९, भारत सरकार (सहकारिता विभाग) पृष्ठ ७५]

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम योजना काल में सभी मदों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। समितियों की संख्या में वृद्धि होने से सदस्यता तथा कार्यशील पूंजी में वृद्धि हुई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी विचार धारा अधिक व्यापक हुई। इस योजना में समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना का संकल्प लिया गया। कृषि तथा उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में विवेकीकृत इकाइयों की स्थापना पर बल दिया गया। लोकतान्त्रिक पद्धति पर आर्थिक विकास करने में सहकारिता को विविध रूपों में प्रयोग में लाने पर बल दिया गया। नियोजित विनास में सहकारिता क्षेत्र को राष्ट्रीय नीति का प्रमुख उद्देश्य माना गया। द्वितीय योजना में सहकारी विकास योजना में निम्नलिखित व्यापक उद्देश्य रखे गये—

(१) सहकारी क्षेत्र में ऋण नीति का नवीनीकरण करना चाहिए ताकि कमजोर वर्ग लाभ प्राप्त कर सकें।

(२) राज्य सरकार द्वारा सहकारी ढाँचे के सभी स्तरों पर अदा पूंजी में भाग लेना चाहिए जिससे यह सुदृढ़ हो सके।

(३) सहकारी ऋण को विपणन के साथ सम्बन्धित किया जाये।

(४) विपणन एवं माल संचार के कार्य सहकारिता के क्षेत्र में अधिक विकसित किए जायें।

(५) समितियों के पास भण्डारण की उचित व्यवस्था करना।

(६) पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक ढाँचे को सुदृढ़ बनाना और प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करना।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने १९५८ में इस क्षेत्र के लिये एक नवीन विचारधारा रखी। इसके अनुसार सहकारी नीति का प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करना है।—सन् १९५९ में मेहता समिति नियुक्त की गई जिसका मुख्य कार्य साथ

के विस्तार के लिये सक्रिय मुद्राव देना था। समिति ने अपना प्रतिवेदन १९६० में प्रस्तुत किया। दिसम्बर १९५९ में श्री निजलिगप्पा की अध्यक्षता में एक कार्य कर दल (Working Group) नियुक्त किया गया। इस योजना का नागपुर कार्यस प्रस्ताव भी महत्त्वपूर्ण है। द्वितीय योजना में निम्न प्रकार उन्नति हुई —

सभी किस्मों की सहकारी समितियाँ (प्रगति रूख)
(सम्पूर्ण भारत)

मद	१९६०-६१
१. समितियों की संख्या (लाखों में)	३.३
२. प्राथमिक समितियों की संख्या (लाखों में)	३४२
३. अंश पूंजी (करोड़ रुपये)	२२२
४. कार्य कर पूंजी (करोड़ रुपये)	१३१२

[स्रोत—रिपोर्ट १९६८-६९, भारत सरकार (सहकारिता विभाग) पृ० ७५]

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष की तुलना में द्वितीय योजना के अंतिम वर्ष में समितियों की संख्या में ९० हजार की वृद्धि हुई। प्राथमिक समितियों की सदस्य संख्या वर्ष १९५५-५६ की तुलना में वर्ष १९६०-६१ में लगभग दुगुनी हो गयी। अंश पूंजी लगभग तीन गुनी हो गई। कार्यशील पूंजी वर्ष १९५५-५६ में ४६९ करोड़ रुपये थी जो कि वर्ष १९६०-६१ में बढ़ कर १३१२ करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार समितियों की संख्या में अधिक वृद्धि न होकर सदस्यता एवं कार्यशील पूंजी में वृद्धि हुई। वास्तव में समितियों के दृढीकरण के लिये सहायता एवं कार्यशील पूंजी में पर्याप्त वृद्धि होना आवश्यक है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

तृतीय योजना में सहकारिता को सामाजिक स्थायित्व और आर्थिक विकास का आधार माना गया। इस योजना में आन्दोलन को पुनर्संगठन का प्रमुख उद्देश्य रखा गया। इस योजना में निम्न लक्ष्य रखे गये —

(१) तीसरी योजना अवधि में ५२००० समितियों को सुदृढ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

(२) इस काल में मण्डी केन्द्रों पर ९९० और ग्रामीण क्षेत्रों में ९२०० नये गोदाम बनाये जायेंगे। नये ३० चीनी कारखाने खोलने का लक्ष्य रखा गया। लगभग ७८३ बहुक्रिया सम्बन्धी कारखाने संगठित किये जायेंगे।

(३) अग्रगामी योजनाओं के रूप में ३२०० सहकारी कृषि समितियाँ स्थापित की जायेंगी।

(४) योजना में २२०० फुटकर तथा ५० थोक स्टोरो को सहायता देने का निश्चय किया गया।

योजना काल में कई समितियों तथा अध्ययन दलों ने अपने प्रतिवेदन पेश किये। श्री एस० डी० मिश्रा की अध्यक्षता में सहकारी प्रशिक्षण से सम्बन्धित अध्ययन दल गठित किया गया। सन् १९६२ में श्री बी० पी० पटेल की अध्यक्षता में तकावी ऋण तथा सहकारी साख समिति नियुक्त की गयी। रेलवे तथा डाकतार विभागों में सहकारियों के अध्ययन के लिये विशेष दल नियुक्त किया गया था जिसका प्रतिवेदन १९६३ में प्राप्त हुआ। सन् १९६२ में औद्योगिक सहकारी समितियों पर विशेष दल नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त सन् १९६३ में श्री मेहता की अध्यक्षता में सहकारी शासन प्रबन्ध सम्बन्धी समिति नियुक्त की गयी। तृतीय योजना काल में अन्य कई समितियाँ भी नियुक्त की गयी थीं। जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। समय-समय पर प्राप्त हुये सुझावों के आधार पर विकास किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

सहकारी आन्दोलन की प्रगति

मद	१९६०-६१	१९६५-६६
१. प्राथमिक कृषि साख समितियों की सदस्यता (मिलियन)	१७	२६.१
२. कृषि परिवार (सहकारी क्षेत्रों में)—प्रतिशत	३०	४२
३. अल्प एवं मध्य कालीन ऋण प्रदान किये गये (करोड रुपये)	२०२	३४२
४. दीर्घकालीन ऋण (प्रदान किये गये) करोड रुपये	११.६	५८
५. समितियों द्वारा बेची गयी कृषि उपज (करोड रुपये)	१७५	३६०
६. सहकारी कृषि विधियन (Processing) समितियाँ	१००४	१५००
७. भण्डारण (मिलियन टन)	२३	२४

(Source—Fourth Five Year Plan 1969-74, Draft p 169)

सभी प्रकार की समितियों की सहायता वर्ष १९६५-६६ के अन्त में ३.५ लाख थी। प्राथमिक समितियों की सदस्य सख्या ५०३ लाख हो गयी। इन समितियों की अर्ध पूंजी व कार्यशील पूंजी क्रमशः ४५१ एवं २००० करोड रुपये हो गयी। इस योजना में समितियों के दृढीकरण पर विशेष जोर दिया गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास

तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य एक वर्षीय योजनाओं में कृषि साख, विपणन विधियन तथा उपभोक्ता व्यापार में पर्याप्त उन्नति की गयी। केन्द्रीय सहकारी विभाग राष्ट्रीय तथा शीर्ष स्तरों पर महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सहकारी ढाँचे का विकास करने और प्राथमिक स्तर पर इस ढाँचे को वैज्ञानिक व्यवस्था करने और सहायता देने में उचित प्रयत्न किये। भारत सरकार ने नवीन कृषि नीति अपनायी जिसके कारण सहकारी ऋण नीति पर प्रभाव पडा। देश के अनेक भागों में

सधन कृषि कार्यक्रम अपनाये गये। प्राथमिक ऋण समितियों ने अधिक ऋण प्रदान किये। भूमि विकास बैंको ने दीर्घ कालीन ऋणों में वृद्धि की। वर्ष १९६६-६७ के अन्त में प्राथमिक ऋण समितियों ने ३९६ करोड़ रुपये के अल्पकालीन एवं मध्य-कालीन ऋण प्रदान किये जो बढ़कर वर्ष १९६७-६८ के अन्त तक ४०५ करोड़ रुपये हो गये। वर्ष १९६८-६९ के अन्त तक इन भागों की राशि ४५० करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है। भूमि बन्धक बैंको ने वर्ष १९६६-६७, १९६७-६८ एवं १९६८-६९ में क्रमशः ५८ करोड़, ८३ करोड़ एवं १०० करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये। वर्ष १९६६-६७ में कृषि सहकारी विपणन समितियों ने ३३८ करोड़ रुपये का व्यापार किया जो कि वर्ष १९६७-६८ एवं १९६८-६९ में बढ़कर क्रमशः ४६२ करोड़ एवं ४७५ करोड़ रुपये का हुआ।

राष्ट्रीय भागों में उपभोक्ता सहकारी समितियाँ आवश्यक वस्तुओं उचित मूल्यों पर प्रदान करती रही। वर्ष १९६७-६८ में थोक सहकारी भण्डारों द्वारा किये गये कुल विक्रय का मूल्य १७१ करोड़ रुपये था। इन वर्षों में सहकारी खेती, मछली पालन डेरी, श्रमिक निर्माण सहकारी समितियों ने भी प्रगति की। सहकारी शिक्षण तथा प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी बढ़ते गये। इस प्रकार चतुर्थ योजना के प्रारम्भ होने तक आन्दोलन को दृढ़ करने के अनेक प्रयत्न किये गये।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सहकारिता का विकास इस आन्दोलन को सुदृढ़ करने के साथ-साथ किया जायेगा। इस काल में सहकारी समितियों के उचित ढाँचे को सुदृढ़ करने की नीति अपनायी जायेगी। विभिन्न क्षेत्रों में अधिक समितियों की स्थापना पर जोर न देकर वर्तमान समितियों की स्थिति में पर्याप्त सुधार किया जायेगा। चतुर्थ योजना में सहकारी विकास कार्यक्रमों पर कुल १५१ ४१ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। जिसका विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है —

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सहकारी कार्यक्रमों के लिये प्रावधान

विवरण	प्रावधान (करोड़ रुपये)
१ राज्य	९६ ६८
२. केन्द्र शासित प्रदेश	३ ९८
३ केन्द्रीय योजनाएँ	२२ ००
४ केन्द्रीय क्षेत्र	२८ ७५
५. कुल	१५१ ४१

(Source—Fourth Five Year Plan 19०9-74 Draft p 167)

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सहकारी समितियों की सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि की जायेगी जिससे अश पूंजी तथा कार्यशील पूंजी की राशि में वृद्धि हो सकेगी। सहकारिता के क्षेत्र में अधिक परिवार लाये जायेंगे। सहकारी विकास के लक्ष्य निम्न तालिका से स्पष्ट हो सकते हैं—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य

कार्यक्रम	इकाई	वप १९६८-६९ सम्भावित	लक्ष्य (१९७३-७४)
१. सदस्यता (प्राथमिक कृषि साख समितियाँ)	मिलियन	३०	४२
२. कृषि परिवार (कार्य क्षेत्र में)	प्रतिशत	४५	६०
३. अल्प एव मध्यकालीन ऋण	करोड रुपये	४५०	७५०
४. दीर्घकालीन ऋण	"	१००	७००
५. समितियों द्वारा बेची गयी कृषि उपज	"	४७५	९००
६. भण्डारण	मिलियन टन	२६	४६
७. उपभोक्ता वस्तुओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन****	करोड रुपये	२७५	५००
८. शहरी उपभोक्ता समितियों का फुटकर विक्रय	"	२७५	४००

(Source—Fourth Five Year Plan 1969-74, Draft, p 167)

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सहकारी प्रशिक्षण एव शिक्षा की तरफ भी उचित कदम उठाये जायेंगे। विभिन्न प्रकार की समितियों की सदस्यता में भी पर्याप्त वृद्धि की जायेगी इस योजना के अन्त तक लगभग ६० प्रतिशत परिवार सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चतुर्थ योजना काल में अल्प एव मध्यकालीन ऋणों में पूर्व की तुलना में अधिक बल दिया जायेगा। वर्ष १९६८-६९ की तुलना में वर्ष १९७३-७४ में दीर्घकालीन ऋण सात गुने हो जायेंगे जब कि अल्प एव मध्य कालीन ऋण इस काल में लगभग दुगने भी नहीं हो पायेंगे। इस काल में सर्वाधिक बल समितियों के दृढीकरण पर दिया जायेगा।

आन्दोलन की प्रगति के कारण

भारत में सहकारी आन्दोलन एक लम्बे समय तक बहुत नीची प्रगति से विक्रम करता रहा। पंचवर्षीय योजनाओं में आन्दोलन को गति प्रदान करने के अनेक प्रयत्न किये गये किन्तु फिर भी आशातीत सफलता नहीं मिल सकी। इसने प्रमुख कारण अग्रलिखित हैं—

१) निरक्षरता :

भारतवर्ष में निरक्षरता सहकारी आन्दोलन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा रही है। अधिकांश किसान अशिक्षित हैं जो कि न तो सहकारी सिद्धान्तों को जानते हैं और न ही समितियों के नियमों व उपनियमों से परिचित होते हैं। अशिक्षा के कारण जिस वर्ग को सहकारिता से अधिक लाभ पहुँचना चाहिये था नहीं पहुँच सका। अशिक्षित जनता किसी भी प्रकार के सहाय्य परिवर्तन में विश्वास नहीं कर सकी। वस्तुतः समितियों में अधिक सदस्य नहीं हो सके। लम्बी अवधि के पश्चात् तक भी किसान कृषि साख एवं विपणन के महत्त्व को नहीं समझ पाये।

(२) वित्तीय कठिनाइयाँ :

हमारे देश में समितियों के पास सदस्य के द्वारा आयी गयी पूँजी का अभाव रहता है। असा पूँजी की कमी राशि होने के कारण अन्य नितियाँ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती। वित्त के अभाव में कृषि साख समितियाँ अपने सदस्य किसानों की साख सम्बन्धी आवश्यकतायें पूर्ण करने में असफल रहती हैं। इससे जनता में अविश्वास व्याप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसानों को बाध्य होकर महाजनो की शरण में जाना पड़ता है। अन्य प्रकार की समितियों के पास भी अपनी निजी नितियाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं होती हैं जिनसे उनके कार्य संचालन में बाधा आती है। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में वित्तीय सहायता के अनेक प्रयत्न किये हैं, किन्तु फिर भी यह समस्या जटिल है। देश में अनेक समितियाँ ऐसी स्थिति में हैं जो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पा रही हैं।

(३) अकुशल प्रबन्ध

भारतवर्ष में सहकारी समितियों का प्रबन्ध अकुशल व्यक्तियों के हाथों में है। अधिकांश समितियों में अवैज्ञानिक प्रबन्ध है। वर्तमान समय में उचित प्रबन्ध व्यवस्था का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। समितियों के कर्मचारी बैंकिंग विधियों एवं कानूनों से भी भिन्न नहीं हैं। विपणन समितियों के कर्मचारी व्यापार कुशल नहीं हैं। सहकारी समितियों में कुशल प्रबन्धक न आने का कारण है कि ये सहाय्य पर्याप्त वेतन देने में असमर्थ हैं। अतः कुशल व्यक्ति आकर्षित नहीं हो पाते हैं।

(४) असन्तुलित विकास :

भारतवर्ष में सहकारी आन्दोलन प्रारम्भ में साख के क्षेत्र में अधिक विकसित हुआ। गैर साख समितियों के विकास की तरफ विशेष ध्यान न देने के कारण आन्दोलन का तेज गति से विकास नहीं हो पाया। साख के साथ-साथ अन्य आर्थिक नितियाँ जैसे विपणन आदि की तरफ भी पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे कृषकों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का निर्माण किया जाने लगा। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की समितियों के गठन पर बल दिया है।

(५) कठिन प्रतिप्रेषिता :

सहकारी आन्दोलन को निजी क्षेत्र से कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महाजनो का अधिक प्रभाव है। ये व्यक्ति

अपने हितों की रक्षा के लिये समितियों के विभिन्न सदस्यों में फूट डालते हैं जिससे दलबन्दी पैदा हो जाती है। समितियों को कमजोर बनाकर फिर इनसे प्रतियोगिता की जाती है। कृषि विपणन समितियों से निजी व्यापारी प्रतिस्पर्धा करते हैं। समितियों के पास कुशल व्यक्तियों का अभाव पाया जाता है। जिससे प्रतिस्पर्धा का सामना करना कठिन हो जाता है।

(६) व्याज की ऊँची दर -

विसानों को प्रदान किया जाने वाला सहकारी ऋण महंगा होता है। हमारे देश में सहकारी साख समितियाँ ६१ प्रतिशत से १२ प्रतिशत तक व्याज लेती हैं। रिजर्व बैंक समितियों को बहुत कम व्याज दर पर ऋण प्रदान करती है किन्तु समितियों के प्रबन्ध व्यय के अधिक हो जाने के कारण व्याज की दर ऊँची करनी पड़ती है। अतः सहकारिता के विकास के लिये सामान्यतः ६ प्रतिशत व्याज दर उचित हो सकती है।

(७) अनुचित सरकारी हस्तक्षेप :

सहकारी आन्दोलन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये क्योंकि यह तो एक एन्टिचक आन्दोलन है। हमारे देश में सरकारी अधिकारियों ने आन्दोलन में अनुचित हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया है जिससे जनता इसे सरकारी आन्दोलन मानने लगी है जबकि आन्दोलन जनता का है। अनेक समितियों के प्रबन्ध मण्डल में भी सरकारी प्रतिनिधि भी होते हैं जिनका हस्तक्षेप अनुचित रहता है।

(८) अन्य

भारतवर्ष में अधिकांश सहकारी समितियाँ कमजोर हैं। प्रायः स्वार्थी लोग अपना समितियों में अनुचित विधियों से प्रभाव बढ़ा लेते हैं। जिससे दलबन्दी एवं पक्षपात को बढावा मिलता है। समितियों के अधिकारी एवं कार्यकर्ता अपने सम्बन्धियों अथवा दल के लोगों का अधिकतर ऋण स्वीकार करते हैं। समितियों के सदस्यों के पास पर्याप्त जमानत का भी अभाव पाया जाता है। जिससे ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। समितियों के हिसाब-किताब की उचित व्यवस्था भी नहीं होती है। इन सब कमियों के कारण आन्दोलन तेज गति से विकास नहीं कर सका।

आन्दोलन की सफलता के सुभाव

भारत में सहकारी आन्दोलन की सफलता के निम्नलिखित सुभाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं—

(१) सहकारी शिक्षा का विस्तार

सहकारी विकास के लिये सरंघा समिति ने शिक्षा के पुनर्गठन एवं विकास का सुभाव दिया। सहकारिता की सफलता के लिये सहकारी सिद्धान्तों की समझना और उनको कार्य रूप में परिणित करना बहुत आवश्यक है। सहकारी शिक्षा के प्रसार में जनता आन्दोलन के महत्व को समझ सकेगी। यह कार्यक्रम छोट बच्चों

से ही प्रारम्भ करना चाहिये। इनको मातृ भाषा में सहकारिता की शिक्षा प्रदान करनी चाहिये। सहकारी योजना समिति ने सुझाव दिया कि हमारे देश में विश्व विद्यालय स्तर पर 'सहकारिता' विषय सम्मिलित किया जाना चाहिये। इसमें युवक वर्ग सहकारिता को अच्छी तरह से समझ सकेगा जिससे भविष्य में आन्दोलन अधिक प्रगति कर सकेगा। सहकारी शिक्षा के विस्तार से विभिन्न समितियों के सदस्य भी सहकारी सिद्धान्तों से परिचित हो सकेंगे। अतः भविष्य में आन्दोलन को विकास की गति प्रदान करने के लिये सहकारी शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है।

(२) सहकारी प्रशिक्षण व्यवस्था :

सहकारी प्रशिक्षण से आसय उस कार्यक्रम से है जिसके अन्तर्गत सहकारी सस्थाओं व सहकारी विभाग के वेतन प्राप्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाये। प्रशिक्षण के महत्त्व को ध्यान में रखकर योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारी समितियों व सहकारी विभागों के प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये १० लाख रुपये का प्रावधान किया। भारत सरकार ने नवम्बर १९५३ में सहकारी प्रशिक्षण की एक केन्द्रीय समिति नियुक्त की। इसके अतिरिक्त सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में अनेक प्रयत्न इस क्षेत्र में किये हैं किन्तु फिर भी इस तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सरैया समिति ने भी सहकारी प्रशिक्षण की सिफारिश की थी। सहकारी प्रशिक्षण से कर्मचारियों प्रशासकों तथा यमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है जिससे समितियों को नुकसान नहीं होता और वे प्रतिस्पर्धा में अच्छी तरह से टिक सकेंगी। अक्टूबर १९६१ में राज्यों में सहकारिता मन्त्रियों के सम्मेलन में सहकारी प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया गया। इसके पश्चात् निरन्तर इस आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है और प्रशिक्षण व्यवस्था के अनेक कदम भी उठाये गये हैं। भविष्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक व्यापक रूप प्रदान करना चाहिये।

(३) उचित वित्त व्यवस्था .

सहकारी समितियों के समुचित विकास के लिये पर्याप्त मात्रा में धन होना आवश्यक है। हमारे देश में ऋण प्रदान करने वाली समितियाँ धनाभाव में अपने सदस्यों की माँग पूरी नहीं कर पा रही हैं। अतः उनके लिये पर्याप्त मात्रा में वित्त व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिये केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा राज्य सरकारें अधिक सहयोग दे सकती हैं। अन्य प्रकार की समितियों को भी पर्याप्त मात्रा में निधियाँ प्राप्त करने में सरकार को अधिक प्रयत्न करना चाहिये। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने इस तरफ प्रयत्न किये हैं किन्तु इतना ही आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये भविष्य में अधिक सहयोग की आवश्यकता है। भारत वर्ष में नवीन कृषि नीति अपनायी है जिनमें सघन कृषि कार्यक्रम चालू किये गये हैं। इनकी सफलता में सहकारी समितियाँ अधिक उपयोगी हो सकती हैं। सरकार पर्याप्त मात्रा में धन प्रदान करके इस आन्दोलन के माध्यम से नवीन कृषि कार्यक्रमों को सफल बना सकती हैं।

(४) अच्छा नेतृत्व .

वास्तव में देखा जाये तो वर्तमान समय में हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे नेतृत्व का अभाव है। सहकारी आन्दोलन में भी अभी तक उचित नेतृत्व नहीं मिल

पाया है। हमारी सहकारिता को परिश्रमी, ईमानदार, उत्साही, दूरदर्शी, प्रशिक्षित एवं योग्य नेताओं की आवश्यकता है। यह समस्या अत्यन्त जटिल है। योजना आयोग ने भी इस समस्या पर विचार किया और इस बात पर बल दिया कि उचित नेतृत्व सहकारी विकास का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आज देश में अधिकांश समितियों को अच्छा नेतृत्व नहीं मिला हुआ है जिसके कारण ये प्रगति नहीं कर पा रही हैं। समितियों की असफलता में समाज का विश्वास सहकारिता आन्दोलन के प्रति कम होता जा रहा है। अतः सरकार को ऐसे सभी प्रयत्न करने चाहिए जिसमें सहकारिता के क्षेत्र में उचित नेतृत्व प्राप्त हो सके।

(५) आन्दोलन की व्यापकता :

सहकारी आन्दोलन को इतना व्यापक बनाया जाये कि अनेक आर्थिक क्रियाएँ इसके द्वारा सम्पादित की जा सकें। अब तक आन्दोलन केवल कुछ विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही विकास कर पाया है। भारतवर्ष में आरम्भ में सहकारी साख के क्षेत्र में अधिक उन्नति हुई किन्तु धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में भी सहकारिता का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। अभी तक अन्य क्षेत्रों में सतोपजनक प्रगति नहीं हो सकी है। अतः आन्दोलन का क्षेत्र अधिक विस्तृत किया जाना चाहिये।

(६) कमजोर समितियों का दृढीकरण :

भारतवर्ष में अनेको सहकारी समितियाँ इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि उनका कार्य अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है। कुछ समितियाँ कार्य बन्द कर चुकी हैं। समितियों के कमजोरी के मुख्य कारण उचित नेतृत्व का अभाव एवं आर्थिक स्थिति का क्षीण होना है यद्यपि नृतीय पंचवर्षीय योजना में समितियों को सुदृढ करने के प्रयत्न किये गये हैं। किन्तु अधिक सफलता नहीं मिल सकी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी समितियों को सुदृढ बनाने पर अधिक बल देने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसके लिये अधिक समितियों का गठन न करके वर्तमान समितियों को मजबूत बनाने की योजना है। वास्तव में जब तक देश को सभी समितियों को सुदृढ नहीं बना दिया जाता है आन्दोलन प्रगति नहीं कर सकेगा।

(७) उचित समन्वय

सहकारी आन्दोलन की विभिन्न गति विधियों में उचित समन्वय का अभाव है। इसके कारण विभिन्न अंग आपस में सहयोग नहीं कर पाते हैं। सहकारी आन्दोलन में समन्वय स्थापित करने के लिये सघीय सस्थाओं का स्थान बहुत उल्लेखनीय है। भारतवर्ष में सघीय सस्थाएँ स्थापित हुई हैं किन्तु अच्छी तरह से समन्वय कार्य सम्पन्न नहीं हो पाया है। उदाहरणतः सहकारी साख में प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण साख समितियाँ हैं, जिला स्तर पर केन्द्रीय बैंक तथा राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक स्थापित किये गये हैं। विभिन्न प्राथमिक सहकारी साख समितियों का समन्वय केन्द्रीय बैंक करते हैं और केन्द्रीय बैंक का समन्वय शीर्ष बैंक करते हैं। किन्तु अनेको कारणों से हमारे देश में उचित समन्वय नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियों जैसे ऋण विपणन, गृह निर्माण, औद्योगिक तथा उपभोक्ता समितियों में भी समन्वय का अभाव है। ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है जिससे उक्त विभिन्न गतिविधियों में समन्वय स्थापित किया जा सके।

(८) भण्डारण सुविधा का विस्तार :

सहकारी विपणन समितियों के विक्रम के लिये उचित भण्डारण व्यवस्था होनी आवश्यक है। सहकारी समितियों के पास इतना धन नहीं होता कि वे गोदाम बना सकें। ऐसी स्थिति में वे मरामतियाँ पर्याप्त मात्रा में धान को उचित रूप में भण्डारण करने में असमर्थ रहती हैं। फलतः माल नष्ट हो जाता है। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में भण्डारण व्यवस्था के लिये समितियों का धन प्रदान करने के प्रयत्न किये हैं किन्तु फिर भी अनेकों समितियों के पास पर्याप्त भण्डारण सुविधायें नहीं हैं। सरकार को अधिक गोदामों के निर्माण में सहयोग प्रदान करना चाहिए।

(९) अन्वेषण पयवेक्षण एवं निरीक्षण व्यवस्था :

अन्वेषण की आवश्यकता दो कारणों से है। प्रथम अन्वेषण किसी भी समिति की वित्तीय स्थिति का सूचक है और दूसरे भारत जैसे देश में जहाँ सरकारी संरक्षण है अन्वेषण सहकारिता के सार्वजनिक रूप को बनाये रखने के लिये आवश्यक है। हमारे देश में अन्वेषण व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है अतः इस तरफ पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है। बृहत् आकार एवं कारोबार वाली बड़ी संस्थाओं में समवर्ती (Concurrent) अन्वेषण की व्यवस्था होनी चाहिये। समितियों के अन्वेषण के लिये लेख तैयार करने की तिथि निर्धारित कर देना चाहिये जिसके उत्तरदायी प्रबन्धकारिणी के मदस्य होंगे। समितियों के लिये पयवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिये। उचित समय पर निरीक्षण होते रहने में विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को रोका जा सकता है।

(१०) अग्र

सहकारी आन्दोलन की सफलता के लिये सदस्य समिति में प्रति भक्ति भाव रखें तथा उनका उच्च चरित्र होना आवश्यक है। आन्दोलन में स्त्रियों का योगदान अभी तक पर्याप्त नहीं है अतः स्त्रियों का अधिक सहयोग प्राप्त करना चाहिये। इसके प्रतिरिक्त इस बात पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाये कि समितियाँ सहकारी सिद्धान्तों पर कार्य करें भारतवर्ष के सहकारी आन्दोलन में अभी तक सघीय टाचा उचित नहीं हो पाया है। अतः इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

उक्त मुद्दों को ध्यान में रख कर प्रगति के प्रयत्न करने पर निश्चय ही सफलता मिल सकेगी। सहकारी आन्दोलन को एक नयी दिशा मिलनी और कृषि, उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्रों में सहकारिता का पर्याप्त विकास हो सकेगा। आशा है चतुर्थ योजना में पर्याप्त उन्नति हो सकेगी।

प्रश्न

१. भारत में सहकारी आन्दोलन के आरम्भ एवं विकास का वर्णन कीजिये। हमारे देश में इस आन्दोलन की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?
२. भारत में सहकारी आन्दोलन की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ? इसके विकास के सुझाव दीजिये।
३. भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी विकास के क्या-क्या प्रयत्न किये गये हैं ? सहकारी आन्दोलन में क्या-क्या नवीन प्रवृत्तियाँ हैं ?

सहकारी साख (Co-operative Credit)

सहकारी साख सहकारी आन्दोलन का एक प्रमुख अंग है। भविष्य में भुगतान की प्रतिज्ञा के आधार पर वर्तमान में कोई भी मूल्यवान् वस्तु जैसे मुद्रा, वस्तु अथवा सेवाएँ प्राप्त करना ही साख है। जो धन उधार लिया जाता है वह ऋण होता है। अतः साख उधार देने की प्रक्रिया है। यह कार्य सामान्य तथा बैंको अथवा धन उधार देने वाले महाजनो द्वारा किया जाता है। सहकारी साख समिति एक विशेष प्रकार की बैंक है जो कि साख सुविधाएँ प्रदान करती है। अतः जो साख सहकारी बैंको के द्वारा प्रदान की जाती है उसे सहकारी साख कहा जाता है। सहकारी बैंक को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, "यह सामूहिक स्वामित्व सभाओं और असीमित सदस्यता के व्यक्तियों का एक स्वेच्छिक संगठन है जिसकी स्थापना प्रजातन्त्रीय आधार पर, लघु उत्पादको अथवा श्रमिकों द्वारा की जाती है, जिसमें सदस्यों की बचत को मन्त्रित किया जाता है। तथा उनको ब्याज और भुगतान की आसन्न शर्तों पर साख प्रदान की जाती है। अविक्रय (Surplus) को मन्त्रित कोष में रख लिया जाता है या जमाकर्ताओं, ऋणियों तथा अशदानाओं में विपरीत कर दिया जाता है। यह संगठन बाहरी श्रोतों से सदस्यों के लिये ऋण प्राप्त करते समय सदस्यों के मामूहिक उत्तरदायित्व का प्रयोग करता है।"¹

सहकारी बैंको का जन्म स्थान जर्मनी है। सबसे पूर्व सहकारिता में साख और ऋण का प्रयोग यही हुआ। जर्मनी में सहकारी साख के विकास के लिए रॉफर्सिन तथा शुल्जे डेलिट्श दो प्रकार की समितियाँ स्थापित की गई थी।² रॉफर्सिन

1 Cooperative Banking, N Barou

2 The pioneers of the town and country banks respectively were Herr Schulze, Mayor of Delitzsch and Herr F W Raiffeisen, burgomaster of a group of villages round New wied

समितियाँ ग्रामीण तथा कृषि साख के लिए थीं और शुल्के डेलिक्व, नगरो तथा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए स्थापित की गई थी। ये दोनों प्रकार की सहकारी समितियाँ विश्व के अनेक देशों के लिए आदर्श हो गयी। जर्मनी से धीरे-धीरे सहकारी साख दूसरे देशों में फैली।

भारतवर्ष में भी सहकारी साख ग्रामीण तथा शहरी ऋण व्यवस्था आदि दो भागों में विभक्त है। जहाँ तक ग्रामीण सहकारी ऋण-व्यवस्था का प्रश्न है, इसे पुन दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भाग में अल्प व मध्यकालीन ऋण आते हैं और दूसरे में दीर्घकालीन ऋण। अल्प व मध्यकालीन साख का टाँचा तीन सीढ़ियों की तरह है। ग्राम स्तर की प्राथमिक कृषि ऋण दायी समिति (सेवा समिति) प्रकार की माग का आधार है। दूसरी सीढ़ी केन्द्रीय सहकारी बैंको की है जिनके सदस्य प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समितियाँ होती हैं। तीसरी सीढ़ी राज्य स्तर के शीर्ष बैंक की है जिनके सदस्य केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं।

दीर्घकालीन ऋण भूमि बंधक बैंको द्वारा प्रदान किया जाता है। "दीर्घकालीन ऋण के लिए प्रत्येक राज्य में शीर्ष स्तर की एक केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक होती है। कुछ स्थानों पर शीर्ष भूमि बंधक बैंक अपनी प्राथमिक बैंको की सहायता से, जो कि तालुका या जिला स्तर पर होनी हैं अपना कारोबार चलाती हैं और कुछ अन्य स्थानों पर इनकी शाखाएँ कार्य करती हैं।"²

शहरो में साख के लिए कर्मचारी ऋणदायी सहकारी समितियाँ व अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक होने हैं। इन समितियों द्वारा शहरी कर्मचारियों, मजदूरों अथवा छोटे उद्योगों को साख प्रदान की जाती है।

ग्रामीण साख समितियाँ (Rural Co-operative Credit Societies)

प्रायः कहा जाता है कि भारतीय ग्रामीण किसान ऋण में ही जन्म लेता है जीवन विताता है, और मरते समय भी अपने उत्तराधिकारियों पर ऋण छोड़ जाता है सन् १९५४ में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति और सन् १९६२ में ग्रामीण ऋण और विनियोग सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदनो में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि भारतीय किसान ऋण प्रस्त है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में भाव्य समस्याओं का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। किसान अपनी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति महाजनो अथवा माहकारों में करते रहे है। किन्तु महाजन तथा साहकार इन परिस्थितियों का अनुचित लाभ उठाते है और विमानो या भोपण करते हैं। ऐसी स्थिति में सहकारी ऋण समितियाँ उत्तम साधन सिद्ध हो सकती हैं। वास्तव में देखा जाए तो भारतीय सहकारी आन्दोलन का सूत्रपात भी ग्रामीण ऋण समितियों से हुआ है।

उद्देश्य

ग्रामीण साख समितियों की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य है —

(१) ग्रामीण क्षेत्रों में साख की सुविधायें प्रदान करके ढुपि का सुधार करना प्रमुख उद्देश्य है।

(२) जसा कि पूव कहा जा चुका है भारत में ग्रामीण साख में साहूकारों और महाजनो का प्रमुख हाथ रहा है। किन्तु इनके द्वारा किसानों की महाजना आदि पर निभरता कम की जाती है।

(३) कम व्याज की दर पर ऋण प्रदान करना भी उद्देश्य है ताकि किसानों को अधिक लाभ हो सके।

(४) ग्रामीण सहकारी माय समितियों का प्रमुख उद्देश्य वचत तथा विनियोग की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन देना है। ग्रामीण क्षेत्रों की वचत अनेक कारणों से उत्पादन कार्यों में नहीं लग पाती है अतः उनके विनियोजन के प्रोत्साहन के लिए ये समितियाँ बहुत सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

(५) इन समितियों के विकास का यह भी उद्देश्य है कि जनता में सहयोग तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो।

(६) सदस्यों में स्वमेवा (Selfhelp) तथा मितव्ययिता (Thrift) की भावना भी इन समितियों द्वारा उत्पन्न की जाती है।

सदस्यता (Membership)

सहकारी माय समितियों में सदस्यता खुली एवं एच्छिक होती है। किन्तु फिर भी अच्छा चरित्र, स्वस्थ मस्तिष्क, दिवालिया न होना आदि गुणों का होना आवश्यक है। सहकारिता के अविभेदात्मकता के सिद्धांत के अनुसार सदस्यता के लिये किसी भी प्रकार का राजनैतिक, धार्मिक एवं जातीय भेदभाव भी नहीं होता है।

प्रबंध

सहकारिता में प्रजातान्त्रिक प्रबंध होता है। सर्वोच्च सत्ता साधारण सभा में होती है। साधारण सभा में समिति के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। नीति सम्बन्धी निणय इसी सभा में लिए जाते हैं। वर्ष में कम से कम एक बार आम सभा जो कि सामान्यतः वार्षिक अन्वेषण के बाद बुलाई जाती है। निणय बहुमत पर लिए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है। और प्रतिनिधित्व (Proxy) विरतुल वरजित होती है। साधारण सभा में प्रबंधक समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। यह समिति, समिति के सभी कार्यों की देखभाल करती है। कम चारियों की नियुक्ति, निवृत्ति, नियन्त्रण, हिमाय किताव रखना, निधियों की व्यवस्था ऋण व वसूली की व्यवस्था तथा अन्य कई कार्यों का दाखिल इसी समिति पर ही है।

साधारण सभा में पक्की तल पर (Balance Sheet) हिमाय किताव, विवरण आदि पर विचार किया जाता है। इनके अतिरिक्त नए सदस्यों को सम्मिलित करके उपनिषमावृत्ती में मशोदन करने तथा अन्य कई प्रकार के निणय भी लिए जाते हैं।

कार्यक्षेत्र

सामान्यतः ग्रामीण ऋण समितियाँ एक समिति एक गाँव' सिद्धान्त पर आधारित होती हैं किन्तु यदि गाँव का आकार छोटा हो तो एक से अधिक गाँव भी सम्मिलित किये जा सकते हैं। 'एक गाँव में एक समिति' की विचार धारा इस तथ्य पर आधारित है कि एक दूसरे की जानकारी के कारण सदस्य परस्पर नियंत्रण रख सकते हैं। इनका क्षेत्र सीमित रखने से बड़े लाभ हो सकते हैं। प्रथम समिति के चुनाव में उत्तम चरित्र के व्यक्तियों को प्रानता दी जा सकती है। दूसरे समिति में प्राप्त ऋण के उपयोग की जानकारी आसानी से हो जाती है क्योंकि सभी सदस्य एक दूसरे की अच्छी तरह जानते हैं। तीसरे सदस्य को ऋण की आवश्यकता वास्तव में बताए गए कारण से है या नहीं अतः 'एक समिति एक गाँव' का सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियाँ का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और न ही उसके सदस्यों का संख्या अधिक हो। प्राथमिक समिति का कार्यक्षेत्र २-४ मील से अधिक का नहीं होना चाहिए और उसके अन्तर्गत ३,००० से अधिक आबादी नहीं होनी चाहिए। अर्थात् ५०० कृषक परिवार या ७०० ग्रामीण परिवारों से अधिक इनका कार्य क्षेत्र नहीं होना चाहिए।¹

दायित्व

दायित्व की दृष्टि से सहकारी ग्राम माध्य समितियाँ सीमित असीमित दायित्व वाली दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। भारत में सन् १९१२ के सहकारी अधिनियम के अनुसार समितियाँ सीमित और असीमित दायित्व के आधार पर बंटी गईं। सहकारी ऋण समितियों के दायित्व का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि समितियाँ जन्म लेंगी तथा संचालन में भी सम्बन्ध रखती हैं। इनसे ऋण प्राप्त करना है जिनका भुगतान करना होता है। ऐसी स्थिति में यह पहला निश्चित करना आवश्यक है कि दायित्व किस प्रकार का होगा। समिति बन्द होने पर ऋण भाग का दायित्व पूर्ण निश्चित करना पड़ता है।

असीमित दायित्व

असीमित दायित्व के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर निजी रूप से भी समिति के ऋण को पूरा करना पड़ता है। समिति जो ऋण प्रदान करता है उसमें प्रति प्रति हो जाती है तो जनदारियों के भुगतान के लिए सदस्यों का दायित्व कब तक उनके हिस्से तक ही सीमित नहीं होता है बल्कि उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति से भी अनुपात के अनुसार भुगतान करना पड़ता है।

असीमित दायित्व के पक्ष में तर्क

(१) असीमित दायित्व में ऋण प्राप्त करने में आसानी रहती है क्योंकि ऋण देने वाले को इनसे अधिक सुरक्षा होती है। असीमित दायित्व के कारण समितियों का सभी तरफ विश्वास किया जाता है। मेकल्यन समिति के अनुसार असीमित

1 सहकारी समाज, जयपुर, १९६८, सहकारी ऋण, पृष्ठ—२

दायित्व के कारण केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं तथा अन्य बैंको का विश्वास बढ़ जाता है जिससे अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं ।

(२) असीमित दायित्व आपसी जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है । सभी सदस्य सतर्क रहते हैं । और देव रख की भावना जागृत होती है । यदि कोई सदस्य लापरवाही से काम कर रहा है तो उसे तुरन्त ही रोका जा सकता है ।

(३) दायित्व असीमित होने के कारण सदस्य अधिक सावधान रहते हैं और प्रबन्ध समिति के लिए ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करते हैं जो कि बहुत योग्य एवं कुशल होते हैं । उचित प्रबन्ध हो जाने से समिति को हानि नहीं उठानी पड़ती है ।

असीमित दायित्व वाली समितियों के विरुद्ध में भी कुछ कहा जा सकता है । ऐसी समितियों में सदस्यों को भय रहता है कि यदि नुकसान हो गया तो उसको व्यक्तिगत सम्पत्ति से भी भुगतान किया जायेगा अतः कई लोग इसके सदस्य नहीं बनते । दूसरे, ये समितियाँ बहुत छोटे क्षेत्र तक फैली हो सकती हैं क्योंकि सभी सदस्यों की आपसी, व्यक्तिगत जानकारी होनी आवश्यक है ।

सीमित दायित्व

सीमित दायित्व का आशय है कि आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को निजी सम्पत्ति से समिति के ऋणों का भुगतान नहीं करना पड़ता बल्कि जितनी हिस्सा पूंजी उनके लिए है केवल उतने तक ही दायित्व सीमित है । जहाँ पर सहकारी समितियों का कार्य क्षेत्र विस्तृत होता है और सदस्यों में पारस्परिक जानकारी नहीं होती वहाँ सामान्यतया दायित्व सीमित रखा जाता है ।

सीमित दायित्व के पक्ष में तर्क

(१) सीमित दायित्व में सदस्यों को अधिक नुकसान नहीं उठाना पड़ता है । यदि किसी कारण से समितियों को निरन्तर हानि होनी जा रही है तो सदस्यों को इसे निजी सम्पत्ति से पूरा करना बहुत बुरा लगता है । सीमित दायित्व होने के कारण दूसरों के द्वारा की गई गड़बड़ी से अधिक नुकसान नहीं होता है बल्कि केवल अपने द्वारा लिये गये अंश तक ही सीमित दायित्व होता है । अतः सदस्य मर्यादा अधिक हो सकती है ।

(२) असीमित दायित्व के कारण समितियाँ अपने सदस्यों को अधिक मात्रा में ऋण दे देना हैं जबकि सीमित दायित्व में ऐसा नहीं होता है । ऋण की मात्रा कम होने के कारण ये समितियाँ असफल नहीं होती हैं ।

(३) जब व्यापार, व्यापार चक्रों (विशेषकर मण्टी) से प्रभावित होता है तो असीमित दायित्व में कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं । व्यापारिक मंदी से नुकसान अधिक होता है जिसे व्यक्तिगत सम्पत्ति से पूरा किया जाता है अतः बहुत से व्यक्ति सदस्यता के लिए हिचकित करते हैं । किन्तु यह कठिनाई सीमित दायित्व वाली समितियों में नहीं पाई जाती है ।

(४) असीमित दायित्व वाली समितियाँ असाधारणतया छोटे क्षेत्रों के लिए ही उपयुक्त रहती हैं । किन्तु कभी कभी छोटे क्षेत्र होने के कारण समितियों का

आकार अनाधिक हो जाता है जिससे अनेक नुकसान हो सकते हैं ऐसी स्थिति में सीमित दायित्व महत्वपूर्ण हो जाता है। सीमित दायित्व के कारण समितियाँ का आकार बढ़ा किया जा सकता है।

यद्यपि असीमित व सीमित दायित्व वाली समितियाँ दोनों ही म. गुण व दोष पाये जाते हैं। किंतु ग्रामीण सहकारी साख समितियों का क्षेत्र छोटा होता है अतः य असीमित दायित्व वाली उपयुक्त रहती है। इ.ग सम्बन्ध में गार्डगैल कृषि पित्त उप-समिति ने भी इन ग्रामीण सहकारी साख समितियों के असीमित दायित्व पर जोर दिया है।

निधियाँ (Funds)

सहकारी साख समितियों में धन का लेन देन होता है अतः निधि की आवश्यकता पड़ती है। समिति के कोषों को कई भागों में विभक्त किया जा सकता है। समिति के निजी कोष पर्याप्त न होने के कारण बाहरी स्रोतों पर आधारित रहना पड़ता है। इनका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

(क) निजी निधियाँ (Owned Funds)

(i) अंश (Shares)

अंश सहकारी साख समितियों में निधि प्राप्त करने के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। असीमित तथा सीमित दोनों ही दायित्वों वाली समितियों में अंश पूजी होती है। सामान्यता अंशों का मूल्य कम होता है और इसका भुगतान भी छोटी-२ किश्तों में किया जाता है अतः सदस्यों को अधिक कठिनाई नहीं होती है। अंश पूजा कोई भी व्यक्ति जब तक सदस्य होता है वागस नहीं की जा सकती है।

(ii) संचित एवं अन्य कोष (Reserve and other Funds)

निजी निधियों में समिति के संचित कोष भी सम्मिलित हैं। सहकारी समिति अपने लाभ का कुछ प्रतिशत प्रतिवर्ष संचित कोष में जमा कर लेती है। इस संचित कोष में समिति में सदस्यता के लिए प्रवेश शुल्क भी सम्मिलित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त व्याज तथा अन्य किय गये अंशों की राशि भी इतने रखा जाता है। सहकारी साख समितियों में अन्य भी कई प्रकार के कोष रखे जाते हैं जैसे समाज कल्याण कोष, विकास कोष आदि।

(ख) उधार ली हुई निधियाँ (Borrowed Funds)

ग्रामीण सहकारी साख समितियाँ म. प्रारम्भ में निजी धन का अभाव पाया जाता है अतः सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसके लिए धन उधार लिया जाता है। सहकारी समिति की उधार लेन की क्षमता उसकी निजी निधि एवं दायित्व पर निर्भर है। निजी निधि अधिक होती है तथा दायित्व असीमित होता है तो अधिक उधार मिल सकता है।

(ग) निक्षेप (Deposits)

निष्ठाप गैर सदस्यों तथा सदस्यों दोनों से ही प्राप्त किये जा सकते हैं। यदि

यदि इन समितियों में पैसा लगाना अधिक सुरक्षित रहता है तो निक्षेप भी अधिक हो सकते हैं। कभी-कभी सदस्यों से अनिवार्य रूप से भी निक्षेप लिये जाते हैं।

(घ) अन्य (Others)

उपरोक्त स्रोतों के अतिरिक्त उपहार, भेंट तथा चढ़े द्वारा भी निधियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। इन स्रोतों से बहुत थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता है अतः इन पर निर्भर रहना उचित नहीं है।

सहकारी साख्त समितियों के ऊपर लिखित स्रोतों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, इस विषय पर भी विचार करना आवश्यक है। सहकारी समितियों की निजी निधियाँ, ऋण निधियों से सवथा श्रेष्ठ है। निजी निधियों पर समिति का अधिकार होता है और इनमें समिति की स्थिति सुन्दर होती है। परन्तु सहकारी समिति के पास यदि निजी निधियों का अभाव है तो निक्षेप एव ऋण में से किसी को अन्यथा दोनों को चुनना पड़ता है। निक्षेप कई कारणों से ऋण से उत्तम होते हैं। निक्षेप पर व्याज की दर ऋण की अपक्षा कम हुआ करती है। निक्षेप की मात्रा अधिक होने पर समिति में विश्वास भी बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त निक्षेप की अवधि निश्चित रखी जा सकती है जबकि ऋण की अवधि ऋण देने वाले निर्धारित करते हैं। अतः ऋण की तुलना में निक्षेप उत्तम होते हैं। किन्तु कभी-कभी अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिए ऋण लेना पड़ता है।

ऋण (Loans)

ग्रामीण सहकारी साख्त समितियों का मुख्य कार्य अपने सदस्यों का ऋण प्रदान करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन समितियों को अपनी ऋण नीति निर्धारित करनी पड़ती है। यह नीति इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए कि सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर आसानी से कम व्याज की दर पर ऋण उपलब्ध हो सके। किन्तु प्रत्येक सहकारी समिति को उधार दिये जाने वाले धन की सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक होता है। उधार देने की नीति में कुछ सिद्धान्त लागू करना चाहिए। प्रथम, ऋण जहाँ तक हो सके उत्पादक कार्यों के लिए ही दिया जाना चाहिए। द्वितीय ऋण की अदायगी उचित एवं नियमित होनी चाहिए। तृतीय उधार लेने वाले ऋण उसी काम में ले जिसके लिए उधार लिया गया है। मेकनगन समिति ने भी इन बातों पर विशेष बल दिया था।¹

ऋण स्वीकार करने में पूरे सदस्य की सम्पत्ति के विवरण को देखा जाता है जिसके आधार पर ऋण सीमा निर्धारित की जाती है। इसी सीमा के अन्दर ऋण प्रदान किये जाते हैं। वैसे विभिन्न राज्यों में ऋण सीमा निर्धारित करने की भिन्न भिन्न व्यवस्थाएँ हैं। सम्पत्ति के अतिरिक्त सदस्य के चार्ज, ईमानदारी आदि गुणों पर भी ध्यान दिया जाता है।

1. एडवर्ड मेकलेगन समिति 1914 में गठित हुई जिसने अपनी रिपोर्ट 1915 में दी थी।

सुरक्षा (Security)

सहकारी समितियाँ जो ऋण प्रदान करती हैं उसकी सुरक्षा की तरफ ध्यान देना आवश्यक है। सहकारिता में व्यक्तिगत सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इमानदारी इसका गहत्वपूर्ण लक्षण है। किन्तु महाकांक्षी समितियों को व्यवहार में वर्षक सुरक्षा का महारा लना पड़ता है। भारत में कृषि वित्त उप-समिति तथा सहकारी प्रायोजन समितियाँ ने भी ऋण देन में व्यक्तिगत सुरक्षा, साख माग्यता और धन वापस लौटाने की क्षमता पर विचार करने पर ज़ोर दिया है। व्यक्तिगत सुरक्षा के अतिरिक्त अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को बंधक रखकर भी ऋण प्रदान किया जाते हैं। ग्रामीण सहकारी साख समितियाँ फसल का बंधक रख कर भी ऋण प्रदान करती हैं। ऋण की सुरक्षा के लिये फसल पर समिति का अधिकार होता है। अतः ऋण सुरक्षित हो जाते हैं।

पहले सहकारी ऋण के लिये अचल सम्पत्ति का अमानत के रूप में रखा जाता था। व्यक्तिगत अमानत में एक-दूसरे सदस्यों की अमानत आवश्यक थी। किन्तु आजकल सदस्यों की उत्पादन कार्यों के आधार पर और उनके ऋण चुका देने की क्षमता के अनुसार प्रदान किया जाते हैं।

व्याज दर (Interest rate)

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से किसानों को उचित व्याज की दर पर ऋण दिया जाना चाहिए। व्याज की दर न तो अधिक ऊँची होनी चाहिए और न अधिक नीची। ऊँची व्याज दर होने से किसानों को अधिक नुकसान होगा अर्थात् सहकारी साख का लक्ष्य भी पूरा नहीं होगा। दूसरी तरफ यदि व्याज दर बहुत नीची रखी जाती है तो इसमें समिति को अधिक नुकसान होने की संभावना रहती है। अतः उचित व्याज दर होनी चाहिए। व्याज दर निर्धारण में केन्द्रीय सहकारी बैंक की व्याज दर पर भी विचार किया जाता है और इसके अतिरिक्त समिति के प्रवर्धक व्यय आदि का ध्यान भी रखकर व्याज का निर्धारण किया जाता है।

व्याज की दर निश्चय ही अनेक कारणों से निर्धारित होती है जिससे कोष निर्माण करने की दर व विभिन्न स्तरों पर रखे जाने वाले लाभों व व्यवस्थापकीय व्यय आदि होते हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा कृषि उत्पादन वृद्धि के लिये राज्य सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता की उपनिधि कराकर महत्वपूर्ण प्रोग दिया गया है। रिजर्व बैंक द्वारा फसली ऋण आवश्यकताओं और उपज की विश्वों के लिये राज्य सहकारी बैंकों का ऋण, बैंक व्याज दर में दो प्रतिशत कम कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा उठाये गये इस कदम में अंतिम ऋण प्राप्तकर्ता से कम व्याज दर लेने में बहुत सहायता मिलती है।”

ऋण की वापसी

(Repayment of the loans)

ग्रामीण सहकारी साख समितियों के सामने सदस्यों द्वारा ऋण की वापसी की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का हल अदायगी में नियमितता है। ऋण की

वापसी में देरी या तो जानबूझ कर की जा सकती है या किन्हीं कारणों से। जो ऋण फसलों के ऊपर लिया जाता है वह फसलों के तैयार होने पर वापिस हो जाना चाहिए। कभी-कभी लिया गया ऋण अन्य कार्यों के प्रयोग में ले लिया जाता है जिससे समय पर वापसी नहीं हो पाती।

भारतवर्ष में ग्रामीण सहकारी साख समितियों के बकाया में बहुत बढ़ोत्तरी होती जा रही है। भारत में सन् १९५०-५१ में कृषि ऋण समिति का सदस्यो पर देय तिथि के बाद (Overdues) बकाया ऋण कुल बकाया ऋण (Out Standues) का २२% था जो कि १९५५-५६ में बढ़कर २५% हो गया। सन् १९६१-६२ में इसका भाग २४.५% हो गया। इस बढ़ोत्तरी को रोकने के लिये कई बातों पर विचार करना होगा। प्रथम, ऋण उत्पादन कार्यों के लिये ही दिये जाएं। द्वितीय, जो ऋण प्रदान किये गये हैं उनका उसी कार्य में प्रयोग हुआ है या नहीं जिसके लिये ऋण दिया गया था। तीसरे, सहकारी ऋण को क्रय-विक्रय के साथ जोड़ना अविक अच्छा रहता है। इनके अतिरिक्त, कुशल प्रवचन व सदस्यो की इमानदारी आदि पर भी विचार करना उचित होता है।

अकेक्षण एव देखरेख (Audit and supervision)

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के प्रमुख कार्यों में अकेक्षण भी एक है। यद्यपि रजिस्ट्रार यह कार्य अपने से नीचे के अधिकारियों को दे सकता है अथवा किसी बाहरी सख्या को भी दे सकता है। मद्रास समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि अकेक्षक कार्य को विभागीय अधिकारी ही सम्पन्न करे। इस समिति ने विभाग के प्रशासनिक एव अकेक्षण अलग-अलग उप-विभाग बनाने पर बल दिया है।¹

ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति तथा सहकारी कानून समिति (१९५७) ने भी अकेक्षण की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार पर ही रखी है। सहकारी कानून समिति (Committee on cooperative law) ने सुझाव दिया है कि यदि आवश्यकता पडती है तो विभाग में अलग-अलग अकेक्षण की इकाई स्थापित की जानी चाहिए जिनका अधिकारी मुख्य अकेक्षक (Chief-Auditor) होगा और ये इकाई रजिस्ट्रार के नियन्त्रण में कार्य करेगी। रजिस्ट्रारो की पन्द्रहवीं कॉन्फ्रेंस में भी इस नतीजे पर पहुंच गया कि प्रधान अकेक्षक और रजिस्ट्रार के नीचे एक विशेष कार्यालय होना चाहिए जो कि अकेक्षण कार्य करे।²

सहकारी समितियों के अकेक्षण के लिये कुछ विद्वानों ने स्वतन्त्र अकेक्षण पर भी बल दिया है। रॉयल कमिशन ने इस विचार धारा को गलत बताया है। और कहा है कि सरकार को शिक्षा पर अधिक व्यय करना चाहिए न कि अकेक्षण पर।³ सहकारी आयोजन समिति (The Cooperative Planning Committee) ने सुझाव दिया है कि एक अकेक्षक के पास ५० समितियाँ होनी चाहिये। किन्तु व्यवहार में यह सख्या अधिक होती है भारत में भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग

1 Madras, report of the committee on co-operation, 1939 40 page 315

2 India. Proceedings of the fifteenth conference of registrars page 199.

3 Royal Commission on Agriculture, Report page 53

संस्थाएँ हैं। इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने कहा है कि अकेलक एक तरफ तो बहुत कम है और दूसरी तरफ वे प्रशिक्षित भी नहीं हैं। इसके कारण प्रतिवर्ष अनेकों समितियाँ बिना अकेक्षण के ही रह जाती हैं। उदाहरण स्वरूप वर्ष १९६०-६१ में लगभग २७,८०० कृषि साख समितियाँ बिना अकेक्षण के रह गयीं।

मिर्चा समिति (१९६४) के अनुसार अकेलको का कर्तव्य है कि वे ऐसी घटनाओं की सूचनाएँ दें जिससे कानून, नियम अथवा उपाधियों के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ हो, रोकड़ की बाकी की जाँच तथा लेखों की शुद्धता का प्रमाणोकरण करे, देखें कि ऋण उचित रूप के उचित अवधि एवं उद्देश्यों के लिये आवश्यक एवं पूर्ण जमानत के दिये जाते हैं, भुगतानों की जाँच किताबी जमा खर्च अथवा अनुचित अवधि वृद्धि की रोक हेतु प्रयत्न करें और साधारणतया यह देखें कि समिति सुदृढ़ नीतियों पर कार्य कर रही है एवं कम्पटी अधिकारी तथा साधारण सदस्य अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को समझते हैं।¹

अकेक्षण के अतिरिक्त इन ग्रामीण सहकारी साख समितियों की देख रेख भी आवश्यक है। सरंथा समिति के सुझाव के अनुसार २५ सहकारी समितियों के लिये एक देख रेख वाला व्यक्ति (Supervisor) होना चाहिये जबकि मद्रास समिति ने १५ समितियों के लिये एक व्यक्ति का सुझाव दिया है।² किन्तु सहकारी विकास योजनाओं के अनुसार प्रत्येक १५ बड़े आकार की समितियों के लिये एक व्यक्ति देख-रेख करे तथा प्रत्येक २५ छोटे आकार की समितियों व अन्य समितियों के लिये एक व्यक्ति कार्य करे। देख-रेख का कार्य मधीय समितियों द्वारा किया जाता है। प्राथमिक समितियों की देख-रेख का कार्य अधिकांश राज्यों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किया जाता है।

लाभ वितरण (Distribution of Profit)

सहकारी समितियों के सन् १९१२ के अधिनियम के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में कुछ नियम हैं। इस अधिनियम के आधार पर शुद्ध लाभ का एक चौथाई संचित कोष (Reserve fund) में रखने के पश्चात् शेष लाभ को समिति के पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर सदस्यों को बाँटा जा सकता है। इस अधिनियम में अंगीकृत दायित्व वाली समितियों के लिये लाभ वितरण पर रोक है। अधिनियम में यह यताया गया है कि इन समितियों में लाभ वितरण करने से पूर्व स्थानीय सरकार (Local Government) की स्वीकृति आवश्यक है। इस अधिनियम में जड़ हित के लिये भी धन लगाने की सीमा निर्धारित है। कोई पञ्जीकृत समिति पूर्व पञ्जीयन अधिकारी की सट्टमनि में लगभग ६९ एक चौथाई भाग संचित कोष में रखने के पश्चात् १०% लाभ का भाग जनहित कार्यों में लगा सकती है।

भारत में ग्रामीण सहकारी साख समितियों की प्रगति (Progress of Rural Cooperative Credit Societies in India)

ग्रामीण सहकारी साख समितियों में कृषि साख समितियाँ प्रमुख हैं। बंगे

1 Mircha Committee Report, page 63

2 Report of the Cooperative planning Committee page 20.

ग्रामीण साख समितियों में अकृषीय साख समितियाँ भी आती हैं। किन्तु उनके बारे में अलग से आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। व्यापार की मात्रा तथा सहायता की दृष्टि से इनका महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है। श्री एफ० बी० वेस (Shri F B Wace) न कहते हैं कि ये समितियाँ नाममात्र अक्षय रही हैं। क्योंकि इनके सदस्यों के पाम कम सम्पत्ति व अनिश्चित आय रही है जो सदस्यों का शैक्षणिक स्तर भी नीचा रहा है।¹ कृषि साख समितियों की प्रगति का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

प्राथमिक कृषि साख समितियाँ भारत में सहकारी आंदोलन महत्वपूर्ण हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से इन समितियों की सहायता और सदस्य संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जून १९६६ के अंत तक भारत में इन प्रकार की लगभग ११२ लाख समितियाँ थीं जिनकी सदस्य संख्या लगभग २७ मिलियन थी। इन समितियों ने सहकारिता वष १९६५-६६ में लगभग ३३८ करोड़ रुपये का ऋण अपने सदस्यों को प्रदान किया। नीचे तालिका में प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति दी गई है।

प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (अखिल भारत)

वर्ष	समितियों की संख्या (लाखों में)	सदस्यता (लाखों में)	हिस्सा पंजी (करोड़ रुपये)	ऋण प्रदान किये (करोड़ रुपये)
१९५०-५१	१०५	४४०८	७६१	२२९०
१९५५-५६	१६० (५२%)	७७९१ (७६%)	१६८० (१२०%)	४९६२ (११६%)
१९६०-६१	२७२ (३०%)	१७०४१ (११८%)	५७७५ (३४३%)	२०२७५ (३०८%)
१९६५-६६	१९२ (१४%)	२६१३५ (५०%)	११५३२ (९७%)	३३७९४ (६६%)

(कोष्ठक में दी गयी संख्या पांच वर्षों में वृद्धि की प्रतिशत है।) Source—
Indian Co-operative Review Jan 1969 page 283

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष १९५०-५१ की तुलना में वर्ष १९५५-५६ में समितियों की संख्या तथा सदस्यता में क्रमशः ५२% और ७६% की वृद्धि हुई है। १९६०-६१ में पुनः इन दोनों में पर्याप्त वृद्धि हुई। किन्तु वर्ष १९६५-६६ में समितियों की संख्या में कुछ कमी हुई जबकि सदस्य संख्या में वृद्धि हुई है। अर्थात् पूँजी तथा प्रदान किये गये ऋण में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।

वर्ष १९६८-६९ में इस प्रकार की सहकारी समितियों की सदस्य संख्या ३० मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है जबकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (१९७३-७४) में यह संख्या ४२ मिलियन हो जायेगी।² वर्तमान समय

1 Punjab Report on Co-operative Movement 1939 page 124
2 Fourth five year plan 1969-74 Draft page 167

में इन समितियों में प्रभावित ४५% किसान परिवार हैं जो कि वर्ष १९७२-७४ में ६०% हो जायेंगे। वर्तमान समय में इस धान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि इन सहकारी समितियों को पुनर्संगठित किया जाये। मरैया समिति तथा अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वोद्योग समिति प्रतिवेदन में इन सहकारी समितियों के पुनर्संगठन पर विशेष ध्यान दिया गया है। आजकल बड़े आकार की समितियाँ बनाना का प्रयत्न किया जा रहा है। यही कारण था कि सन् १९६५-६६ में इन समितियों की संख्या में ९.४% की कमी हुई जब कि सदस्य संख्या, हिस्सा पूंजी तथा ऋण की मात्रा में क्रमशः ५३.७%, ९७.७% और ६६.६% की वृद्धि हुई।

ग्रामीण सहकारी साख समितियों की मद प्रगति के कारण

भारत में यद्यपि ग्रामीण कृषि साख समितियों में उन्नति की है किन्तु फिर भी यह मनोपजनक नहीं है। तेजगति से विकास न होने के अनेक कारण हो सकते हैं किन्तु उनमें से मुख्य कुछ निम्नलिखित हैं—

(१) किसानों का अशिक्षित होना :

भारत में ग्रामीण साख समितियों के विकास में सबसे बड़ी बाधा कृषकों की अशिक्षा है। समितियों के सदस्य इनके नियमों आदि के विषय में भ्रम नहीं होते हैं। बहुत से लोग सहकारिता की विचारधारा से भी परिचित नहीं होते हैं। इनके लिये सरकार को शिक्षा का विस्तार करना चाहिये जिसमें सहकारिता की शिक्षा भी दो जाये। किमान इस प्रकार के आन्दोलन से अधिक से अधिक लाभ तभी उठा सकते हैं जबकि उनको सहकारिता की पूर्ण जानकारी हो।

(२) धन की कमी :

सहकारी साख समितियों की सफलता के लिये धन की मात्रा मनोपजनक होनी चाहिये। भारत में अनेकों कारणों से ग्रामीण साख समितियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में वे ग्रामीणों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती हैं। समितियों से सदस्य पर्याप्त मात्रा में धन जमा करना सचने में असमर्थ होते हैं अतः इन समितियों को केन्द्रीय सहकारी बैंको पर निर्भर रहना पड़ता है। किन्तु केन्द्रीय बैंको से भी पर्याप्त मात्रा में धन समय पर नहीं मिल पाता है जब अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं।

(३) कुशल कार्यकर्ताओं की अपर्याप्तता :

कुशल, अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों से ही प्रबन्ध कुशलपूर्वक चलाया जा सकता है। भारत में सहकारी समितियों के प्रबन्ध कार्य में नए कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं हैं अतः उनमें कुशलता का अभाव है। समितियों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वृत्तनिक कर्मचारियों की भी कमी रहती है। ऐसी स्थिति में उचित हिसाब-किताब तथा पत्र व्यवहार भी नहीं हो सकता है। अतः सहकारी समितियाँ इन कमी के कारण हानि उठा रही हैं और अतिक्रम अवस्था में हैं।

(४) महाजनो से प्रतिपोगिता :

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महाजनो का प्रभाव है। महाजन अनेक गलत कार्यों से समितियों के सदस्यों में फूट डालते हैं और स्वयं लाभ उठाते हैं। इधर

समितियाँ धनाभाव में इनकी प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाती हैं। यदि सहकारी समितियों की प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार हो जाये और वित्तीय साधनों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो जाये तो इस कठिनाई का मुकाबला किया जा सकता है।

(५) व्याज की ऊँची दर

ग्रामीण सहकारी समितियों द्वारा जो व्याज दर ली जाती है वह बहुत ऊँची है। हमारे देश में ७½% से ९½% व्याज दर वसूल की जाती है। सदस्यों को यह व्याज दर लाभकारी नहीं होती है। रिजर्व बैंक इन समितियों को सस्ती व्याज दर पर पैसा देती है अतः इन्हें भी नीची व्याज दर पर पैसा देना चाहिये। व्याज की उपयुक्त दर ६% हो सकती है।

(६) जमानत की कठिनाई .

समितियों से ऋण प्राप्त करने के लिये निजी सम्पत्ति अथवा दो सदस्यों की जमानत आवश्यक होती है। कुछ किसान जो छोटे होने हैं और जिनके पास भूमि भी नहीं है वे इस आन्दोलन का लाभ नहीं उठा सकते हैं। सम्पत्ति के अभाव में वे जमानत नहीं रख सकते और फलतः उन्हें ऋण भी नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति में केवल बड़े किसानों को ही ऋण उपलब्ध हो सकता है।

(७) असीमित दायित्व :

ग्रामीण साख समितियों में सदस्यों के दायित्व असीमित होने के कारण हानि से लोग डरते हैं अतः अधिक सदस्य नहीं बन पाते।

उक्त कारणों से भारतीय ग्रामीण सहकारी साख समितियाँ अधिक विकास नहीं कर पायीं। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के सुझावों के पश्चात् हमारे देश में इन समितियों में कुछ प्रगति की है द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में इन सुझावों के आधार पर आगे बढ़ा गया। वर्तमान समय में इन पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा राज्य सरकारों से सहकारी समितियों को ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक का कार्य बहुत सराहनीय है। इसने राष्ट्रीय कृषि साख बोर्डों की स्थापना की है जिनसे राज्य सरकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्राप्त होता है। इन बैंकों में ग्रामीण सहकारी बैंकों को ऋण प्राप्त होता है। आशा है भविष्य में ग्रामीण सहकारी साख समितियों की अधिक तेजगति से प्रगति होगी।

आल इण्डिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट १९६९ के सुझाव —

(१) प्राथमिक स्तर पर सहकारी साख समितियों को सुदृढ तथा सक्षम बनाना आवश्यक है। यह कार्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में पूरा हो जाना चाहिए।

(२) कृषि साख-समिति के अन्तर्गत ३००० जनसंख्या की सीमा नहीं होनी चाहिए। इस समिति के कार्यक्षेत्र में ३००० से अधिक जनसंख्या भी हो सकती है और इस सम्बन्ध में सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिये।

(३) एक सक्षम प्राथमिक कृषि साख समिति के व्यापार की मात्रा इतनी

होनी चाहिए कि वह समिति अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर सके। इस सम्बन्ध में यह भी आवश्यक है कि समिति का क्षेत्र इतना बड़ा भी होना चाहिए जिससे किसानों को इनकी सुविधाएँ प्राप्त करने में कठिनाई हो।

(४) समितियाँ केवल अधिक साख सुविधायें एवं वितरण सुविधायें ही प्रदान न करें बल्कि निपेक्षों का उचित उपयोग करें और सेवानों को व्यापक रूप प्रदान करें।

(५) सभी राज्यों ने कृषि साख समितियों को सीमित दायित्व वाली समितियों में परिवर्तन किया जाए।

(६) प्राथमिक समितियाँ पूर्वापेक्षा ग्रामीण संस्थानों के उपयोग के लिये अधिक प्रयत्न करें। ये समितियाँ इस स्थिति में आ जायें कि अपने कार्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के निक्षेपों को स्वीकार कर सकें और सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान कर सकें।

(७) कृषि साख समितियों को केन्द्रीय समितियाँ विशेष प्रकार की साख प्रदान कर सकती हैं जिससे उबरक आय कृषि के लिए आवश्यक वस्तुएँ, उपभोक्ता वस्तुएँ आदि के लिए वित्त, प्रदान किया जा सके।

प्रश्न

१. ग्रामीण सहकारी साख समितियों के विषय में आप क्या जानते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में साख प्रदान करने में वे कहां तक सफल रही हैं?
२. ग्रामीण सहकारी साख समितियों की निधियों के कौन कौन से स्रोत हैं? निधियों के विभिन्न स्रोतों में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है?
३. ग्रामीण सहकारी साख आन्दोलन की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं? सुधार के सुझाव दीजिए।
४. सन् १९५० से ग्रामीण सहकारी साख समितियों ने क्या प्रगति की है? क्या इनका कार्य सतोपजनक है? इनमें आप क्या सुधार करना चाहते हैं?
५. भारत में कृषि साख सहकारी समितियों के क्या कार्य हैं? इनकी धीमी प्रगति के क्या कारण हैं?
६. भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण सहकारी साख समितियों का क्या महत्त्व है? इनके विक्रम के माग में क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं? इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपने सुझाव दीजिये।

केन्द्रीय सहकारी बैंक (Central Co-operative Banks)

केन्द्रीय सहकारी बैंक मध्यस्तरीय सहकारी समितियाँ हैं। ये प्रारम्भिक सहकारी समितियों और दीर्घ सहकारी बैंकों के मध्य एक कड़ी का काम करती हैं। सामान्यता व जिलास्तर पर कार्य करती हैं। अतः उन्हें जिला सहकारी बैंक (District Co-operative Bank) भी कहा जाता है। केन्द्रीय बैंक जिला स्तर पर ऋण नीति का समन्वय व ऋण प्राप्ति के लिए कार्यरत बनाने हैं। भारत में सन् १९०४ के सहकारी अधिनियम में इस प्रकार की सहकारी समितियाँ का कोई वैधानिक मान्यता नहीं थी। किन्तु अतः द्वितीय सहकारी अधिनियम पारित हुआ तब केन्द्रीय सहकारी बैंकों की व्यवस्था की गयी। इनकी स्थापना के पूर्व यह विचारधारा व्याप्त थी कि ग्रामीण सहकारी साख्त समितियाँ की वित्तीय आवश्यकताएँ स्थानीय जमा से ही पूरा हो जायेंगी। किन्तु स्थानीय जमा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण अन्य व्यक्तियों में ऋण प्राप्त किया गया। इस कठिनाई के दूर करने के लिये केन्द्रीय वित्त सस्यता बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। सन् १९१२ के अधिनियम में ऐसी व्यवस्था के लिये केन्द्रीय बैंक स्थापित करने की भी व्यवस्था की गयी। पल्लव देश के अनेक भागों में केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित हो गये। इस नये अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गयी कि इन सस्यताओं का दायित्व सीमित होगा।

आधुनिक विचारधारा में मध्य स्तरीय सस्यताओं और व्यक्तियों को उपयुक्त नहीं माना जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक भी मध्यस्तरीय होने के कारण इनकी आवश्यकता नहीं है। उनका मत है कि इन सस्यताओं के कारण ग्रामीण साख्त समितियों को ऋण उपलब्ध होने में अनुचित समय लगता है। इसके अलावा, इन सस्यताओं के कारण व्याज दर भी ऊँची हो जाती है। अतः माध्यमिक मोन को समाप्त कर देना चाहिए किन्तु केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के कारण उनको समाप्त करना उचित नहीं है। सहकारी धान्दोनेन की अच्छी प्रगति के लिये जनता और सघ में अधिक दृष्टि नहीं होगी

चाहिये। यह दूरी इन्हीं बैंको के माध्यम से दूर की जा सकती है। ये समितियाँ अपन से नीचे की समितियों में उचित समन्वय रखती हैं। व्यवहार में प्राथमिक सहकारी साख समितियों को शीर्ष बैंको तक सीधे पहुँचने में अनेक कठिनाइयाँ आ सकती हैं जिनके कारण समितियों को देल रोक तथा ऋण प्राप्ति में कठिनाइयाँ आ सकती हैं।

वर्गीकरण

केन्द्रीय सहकारी साख समितियों का वर्गीकरण सर एडवर्ड मैकलेगन समिति (MacLagan Committee) के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है। इस समिति में निम्नलिखित वर्गीकरण किया है —

- (१) प्रथम प्रकार की केन्द्रीय सहकारी बैंको में केवल व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं।
- (२) दूसरे प्रकार की केन्द्रीय बैंको में केवल समितियाँ ही सदस्य हो सकती हैं।
- (३) तीसरे, जिनमें समितियाँ और दोनों ही सदस्य बन सकते हैं।

इन तीनों प्रकार की समितियों में सर्वप्रथम १९१५ में प्रथम प्रकार की केन्द्रीय बैंक स्थापित हुईं जिनमें कि सदस्य केवल व्यक्ति थे। ये समितियाँ अधिक सकल नहीं हो सकीं और मन्व १९३० तक समाप्त हो गयीं। दूसरे प्रकार की सहकारी साख समितियों में सदस्य केवल सहकारी साख समितियाँ ही हैं जिनका समन्वय ये बैंक करते हैं। प्राथमिक ग्रामीण साख समितियों के ये सघ के रूप में हैं। तृतीय केन्द्रीय बैंको में सदस्य व्यक्ति और समितियाँ दोनों होते हैं। भारत में सर्वाधिक इसी प्रकार के केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं। सहकारी साख समितियों को पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया जाता है। सहकारी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुये सघीय आकार की सहकारी समिति उपयुक्त है। मैकलेगन समिति ने व्यक्तिगत सदस्यता को अनुचित ठहराया।^१ मद्रास समिति (Madras Committee) ने भी व्यक्तिगत हिस्सेदारी की समाप्ति पर जोर दिया।^२

केन्द्रीय सहकारी बैंको का आधार

(Size of Central Cooperative Society)

केन्द्रीय सहकारी बैंको का आकार ऐसा होना चाहिए कि ये जनता में विश्वास पैदा कर सकें तथा ये बैंक व्यापारिक बैंको से प्रतिस्पर्धा कर सकें। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति तथा अन्य समितियों ने सुझाव दिया है कि आकार को ध्यान में रख कर एक जिले में एक केन्द्रीय सहकारी बैंक होनी चाहिये। रिजर्व बैंक की वर्तमान परामश दायी समिति (Reserve Banks Standing Advisory Committee on Agricultural Credit) ने सुझाव दिया था कि इन समितियों की कार्यशील पूंजी २० से २५ लाख रुपये तक होनी चाहिये और चुकता पूंजी, हिस्सा पूंजी और संचित कोष लगभग ३ लाख रुपये होने चाहिये।

1. Report of the Committee on Cooperation in India Page 32

2. Madras, Report of Committee on Cooperation, 1939-4-p 1920.

उद्देश्य

केन्द्रीय सहकारी बैंक निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये स्थापित किये जाते हैं —

(१) प्राथमिक सहकारी साख समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इन समितियों का निर्माण किया जाता है। जैसा कि पूव कहा जा चुका है। प्राथमिक सहकारी समितियों के वित्तीय साधन सतोपजनक नहीं होते अतः बाहरी साधनों पर आधारित रहना पड़ता है। बाहरी साधनों में इस प्रकार के बैंक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

(२) सदस्यों को उचित व सुविधाजनक शर्तों पर ऋण देने की आवश्यकता होती है अतः निधियाँ एकत्र करने के उद्देश्य से इन समितियों का निर्माण किया जाता है।

(३) तृतीय महत्वपूर्ण उद्देश्य है समन्वय का प्राथमिक सहकारी साख समितियों के लिये यह आवश्यक था कि नजदीक से देख रेख के लिये उनके सम्बन्धित कोई सघीय इकाई हो। इन समितियों के समन्वय (Coordination) के लिये केन्द्रीय सहकारी बैंको का निर्माण किया गया।

(४) सम्बन्धित सभी सहकारी समितियों के निरीक्षण एव पर्यवेक्षण (Inspection and Supervision) की व्यवस्था करना भी प्रमुख उद्देश्य है।

(५) केन्द्रीय सहकारी बैंक मितव्ययिता को प्रोत्साहन देते हैं। मदस्य समितियों तथा अन्य लोगों को बचत के लिये प्रोत्साहन भी इनसे प्राप्त होता है।

(६) सहकारी आन्दोलन के विकास में सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से भी इन समितियों की स्थापना की गई है।

कार्य क्षेत्र

केन्द्रीय सहकारी बैंको का कार्य क्षेत्र निश्चित करने से पूव इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह कुशल आर्थिक इकाई बन सके। बैंक का व्यवसाय इतना होना चाहिये कि वह पर्याप्त मात्रा में कमचारी रख सके और व्यय को वहन कर सके। इन बैंको का कार्य क्षेत्र इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिये कि ये प्राथमिक समितियों की आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सकें और जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापना की गयी है, पूरा न कर सकें।

मेकलेगन समिति (Meclagan committee) के अनुसार इन बैंको का कार्य-क्षेत्र इतना होना चाहिये कि वे सुविधापूर्वक तथा कुशलतापूर्वक कार्य कर सकें। भारतवर्ष में गुजरात, महाराष्ट्र में समितियों का कार्यक्षेत्र बड़ा है जबकि पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में इनका कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत कम है। मद्रास में सामान्यतया क्षेत्र एक राजस्व जिला (Revenue district) है।¹ पंजाब मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में आजकल केन्द्रीय बैंक का कार्यक्षेत्र अधिक

किया जा रहा है क्योंकि इन राज्यों में एक जिले से भी कम कार्य क्षेत्र पड़ता है। रिजर्व बैंक के सुझाव के आधार पर इन राज्यों में एक जिले में एक केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित की जा रही है।¹

केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्य

(Functions of central cooperative banks)

केन्द्रीय सहकारी बैंक के निम्नलिखित कार्य हैं—

(१) केन्द्रीय सहकारी बैंक अपनी सदस्य सहकारी समितियों को उचित व नीचो ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। भारत में प्रारम्भिक सहकारी साख समितियों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उचित ब्याज दर पर उनको वाहगे निधियों की आवश्यकता पड़ती है। जिसकी पूर्ति इन बैंकों द्वारा की जाती है।

(२) ये बैंक सहकारी समितियाँ में सन्तुलन केन्द्र के रूप में कार्य करती हैं। जिन समितियों के पास अधिक मात्रा में धन होता है उसे जमा करती हैं और जिनकी आवश्यकता होती है उन्हें प्रदान करती हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार की समितियों के मध्य सन्तुलन कर्ता का कार्य करते हैं।

(३) ये गैर सदस्यों से भी जमा स्वीकार करते हैं और उसे आवश्यकता वाली सदस्य समितियों को प्रदान कर देती हैं। इससे बचन को प्रोत्साहन मिलता है।

(४) केन्द्रीय सहकारी समितियों का प्रमुख कार्य पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण भी है। सदस्य समितियों का समय-समय पर निरीक्षण एवं देख रेख इन्हीं के द्वारा की जाती है। इस कार्य की पूर्ति होने से समन्वय सम्भव हो सकता है जो कि सहकारी आन्दोलन की सफलता का महत्वपूर्ण अंग है।

(५) केन्द्रीय सहकारी बैंक सामान्य बैंकिंग कार्य भी सम्पन्न करती हैं। सामान्य बैंकिंग कार्यों में धनादान, हण्डी एवं रेलवे रसीद आदि का एकत्र करना तथा हण्डी ड्राफ्ट आदि जारी करना है। ये बैंक फसल तथा जेवर को वन्धक रख कर व्यक्ति सदस्यों को ऋण भी प्रदान कर सकती हैं।

(६) यदि किसी स्थान पर शीर्ष बैंक नहीं है तो वहाँ रजिस्ट्रार की आज्ञा से पारस्परिक लेन देन करना भी इन बैंकों का कार्य है।

(७) ये बैंक आवश्यकता पड़ने पर अपनी सदस्य समितियों को आवश्यक परामर्श भी देती हैं।

उपरोक्त विवरण के स्पष्ट हैं कि केन्द्रीय सहकारी बैंक सम्बद्ध समितियों को वित्तीय मायन उपलब्ध कराने हेतु बैंकों द्वारा जरा पूर्णता एकत्र करके, जनता से

1 In 1961-62, Punjab, Madhya Pradesh Bihar, Orissa and W Bengal had 25, 54, 35, 17 and 29 central banks respectively. The number of districts in these states was 19, 43, 17, 13 and 15 and plans are now being carried out in these states to reduce the number of central banks so as to have one strong viable central bank generally for one district. "The cooperative Movement in India, E. M. Hough p 257"

धरोहर प्राप्त करके तथा राज्य सहकारी बैंको से ऋण लेकर कोप का निर्माण करती है। और उसे बढ़ाती हैं। ये बैंक कृषि समितियों को उत्पादन कार्य के लिए त्रय-विक्रय समितियों को त्रय-विक्रय व वितरण कार्यों के लिये तथा औद्योगिक व अन्य समितियों की कार्यशील पूंजी के साधन प्रदान करती है। "केन्द्रीय सहकारी बैंको से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राथमिक सहकारियों से निवृत्त का व निरन्तर सम्पर्क रखें उनकी आवश्यकताओं और चठनाइयों के प्रति सहानुभूति व सहयोग प्रदान करें और नीति विषय मामलों पर उनका मार्ग दर्शन करें। कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सहकारी बैंको के पास प्राथमिक सहकारियों के निरीक्षण व देख रेख के अधिकार हैं जबकि कुछ राज्यों में देख रेख का कार्य सहकारी विभाग करते हैं। अब उत्तरांतर यह समझा जाने लगा है कि केवल केन्द्रीय सहकारी बैंक ही वित्तीय साधना एव वसूली की देख रेख के लिए सर्वांगिक उपयुक्त है।"¹

प्रबन्ध (Management)

केन्द्रीय बैंको का सामान्य प्रबन्ध सचालक मण्डल के हाथों में होता है जो कि वार्षिक आवार पर अथवा किसी अन्य आधार पर सचालक चुन कर बनाया जाता है। इन बैंको में भी अन्य सहकारी बैंको की भाँति 'एक सदस्य एक मत' सिद्धान्त को अपनाया जाता है। सामान्य सभा जो कि सर्वोच्च सत्ता होती है। सदस्यों द्वारा अथवा सदस्य समितियों के प्रतिनिधियों की बनी होती है। आम सभा में सचालक मण्डल के सचालकों का चुनाव होता है। मेकलेगन समिति की मान्यता थी कि कोई भी सामान्य ज्ञान वाला, उचित खाते रख लेने वाला तथा पुर्वानुमान कर सकने वाला व्यक्ति सचालक चुना जा सकता है जो कि यह देख सके कि कार्यशील पूंजी नियमित रूप से कार्य कर रही है या नहीं और पर्याप्त मात्रा में तरल धन हमेशा रखा जाता है या नहीं।

सचालक मण्डल में सचालकों की संख्या विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग है। किन्तु सामान्यतः इनकी संख्या १० से २० के मध्य ही रखनी चाहिए। यह मण्डल कार्यकारिणी इकाइयों की नियुक्ति भी कर सकता है जो कि कार्य शीघ्रता में कर सके। सचालक मण्डल की बैठक माह में लगभग एक बार होनी आवश्यक है। साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है और नीति सम्बन्धी निर्णय यहाँ पर लिये जाते हैं वे कार्य रूप में परिणित करने के लिए सचालक मण्डल को दे दिए जाते हैं।

कार्यशील पूंजी (Working Capital)

केन्द्रीय सहकारी बैंको की कार्यशील पूंजी के निम्नलिखित स्रोत हैं।

(१) अश पूंजी (Share Capital) .

केन्द्रीय सहकारी बैंक में सहकारी समितियों तथा व्यक्ति अश पूंजी में योगदान देते हैं। कई केन्द्रीय सहकारी बैंको में केवल सहकारी समितियाँ ही अश खरीदती हैं। अशो का मूल्य १० रु० से ५०० रु० तक हो सकता है किन्तु व्यवहार में अधिकांश बैंको में इनका मूल्य ५० अथवा १०० रु० होता है।

(२) संचित कोष (Reserve Funds) .

संचित कोष के निर्माण के लिये तथा प्रतिवर्ष इस कोष में लाभ का प्रतिशत संचित करने के सम्बन्ध में सन् १९१२ के अधिनियम में व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सहकारी साव्य सन्स्था को जोकि गंजीकृत है, अपने लाभ का एक चौथाई संचित कोष में जमा करना आवश्यक है। केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने कुछ विशेष कार्यों के लिए अन्य प्रकार के सुरक्षित कोषों का भी निर्माण करती है।

भागवतवर्ष में केन्द्रीय सहकारी बैंको की पूंजी वर्ष १९५१-५२ में ९८० करोड़ रुपये थी जब कि वर्ष १९६५-६६ में बढ़ कर १०१९४ करोड़ हो गयी। अर्थात् पूंजी वर्ष १९५१-५२ में कार्यशील पूंजी की ६३% थी। वर्ष १९६५-६६ में अर्थात् पूंजी कार्यशील पूंजी को १७५% थी।^१

मैकलैगन समिति ने (The MacLagan Committee) के अनुसार केन्द्रीय सहकारी बैंको की अर्थात् पूंजी तथा संचित कोष दोनों मिलाकर कुल दायित्वों के कम से कम १२५% तक होने चाहिए।

(३) जमा (Deposits) .

केन्द्रीय सहकारी बैंको की निधियों में जमा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये बैंक सदस्यों तथा गैर सदस्यों दोनों ही से जमा स्वीकार करती है। वचत जमा तथा निश्चित जमा का जमा में प्रमुख स्थान होता है। किन्तु कुछ बैंक चालू जमा भी प्राप्त करते हैं। जमा का राशि १९५०-५१ में भारत में केन्द्रीय सहकारी बैंको में ३८२३ करोड़ थी जोकि वर्ष १९६५-६६ में बढ़कर २३६५९ करोड़ रुपये हो गई। कार्यशील पूंजी में जमा का भाग सन् १९५१-५२ तथा १९६५-६६ में क्रमशः ६३६% और ४०५% था।

(४) ऋण (Loans)

केन्द्रीय सहकारी बैंक बाहर से ऋण भी प्राप्त करती है। यह ऋण व्यापारिक बैंको, सरकार व राज्य सहकारी बैंको तथा अन्य स्रोतों से भी प्राप्त कर सकता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत राज्य सहकारी बैंक होना है जो कि गंजीयन अधिकारी की अनुमति पर ऋण प्रदान करती है। वर्ष १९५१-५२ तथा वर्ष १९६५-६६ में भारत में केन्द्रीय सहकारी बैंको द्वारा प्राप्त ऋण की राशि क्रमशः १२०८ करोड़ रु० तथा २४४९९ करोड़ रुपये है। कार्यशील पूंजी का वर्ष १९५१-५२ तथा १९६५-६६ में क्रमशः २०१% तथा ४२% ऋण था। वर्ष १९५५-६६ तक केन्द्रीय बैंको में ऋण का प्रतिशत (कार्यशील पूंजी में) बहुत कम था किन्तु इसके पश्चात् स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है।

भारत में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की कार्यशील पूंजी की रचना
(करोड़ रुपये में)

विवरण	वर्ष १९५१-५२	वर्ष १९६५-६६
१. कार्यशील पूंजी	६०.११	५८३.५२
२. निजी विज़ियाँ (awned)	९.८०	१०१.९४
३. जमा	३८.२३	२३६.५९
४. ऋण	१२.०८	२४४.९९

(Source India 1968)

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि हमारे देश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की कार्यशील पूंजी में प्रथम तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष १९५१-५२ में जहाँ कार्यशील पूंजी की राशि ६०.११ करोड़ रुपये थी वहाँ तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में ५८३.५२ करोड़ रुपये हो गयी।

ऋण प्रदान करने की विधि तथा प्रदान किये गये ऋण

केन्द्रीय सहकारी बैंक सहकारी समितियों तथा व्यक्तिगतों को ऋण प्रदान करती हैं। ऋण केवल सहकारी मास समितियों को ही नहीं बल्कि अन्य सहकारी समितियों को भी प्रदान किया जाता है जो कि इनकी सदस्य होती हैं। विन्तु मास समितियों के अनिश्चित अन्य समितियों को ऋण प्रदान करने में पूव आड के रूप में बहुमूल्य वस्तुओं धोण्ड, सरकारी प्रपत्र कृषि वस्तुओं आदि को रखा जाता है। ऋण प्रदान करने में पूव ऋण की गति निश्चित की जाती है।

ऋण प्राप्त करने के लिए सदस्य केन्द्रीय बैंक के पास प्रार्थना पत्र भेजते हैं। इनकी पर्याप्त छान-बीन की जाती है और सब तर्फ से मनोप मिल जान पर ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण की राशि प्रार्थी के खाते में जमा कर दी जाती है। आवश्यकता पडने पर वह अपने खाते से धन निकालता रहता है। जब ये बैंक व्यक्तियों को ऋण प्रदान करती हैं तब व्यक्तिगत जमानत दो व्यक्तियों की ली जाती है। जो दो व्यक्ति जमानत लेते हैं। उनको सम्पत्ति का लेखा बैंक अपने पास रखता है।

भारत वर्ष में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष १९५१-५२ तथा १९६५-६६ में क्रमशः १०५.६४ करोड़ तथा ७०१.६६ करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया। ऋण अल्पकालीन तथा मध्यकालीन दिये जाते हैं। अल्पकालीन ऋण कृषि कार्यों के लिये मौसमी, उपज वितरण, उपभोग औद्योगिक तथा अन्य उद्देश्यों के लिये प्रदान किये जाते हैं और मध्यकालीन ऋण कुओं की मरम्मत, पशु खरीदन, पम्प सेट्स भूमि सुधारने तथा अन्य कई उद्देश्यों के लिये होते हैं।

जून सन् १९६५ के अन्त में इन बैंकों के बकाया ऋण व्यक्तिगत तथा समितियों के क्रमशः ३.३७ करोड़ और ४३४.३७ करोड़ रुपये थे। इस वर्ष कुल

मिति बाद (Overdues) राशि ८७.०५ करोड़ रुपये थी जो कुल बकाया घन राशि १९.८ प्रतिशत थी ।

ब्याज दरें (Interest rates)

ग्रामीण सर्वेक्षण साख समिति के अनुसार अनेक राज्यों में समितियों को प्रदान किये गये ऋण की ब्याज दरें बहुत ऊँची हैं । इसका प्रमुख कारण है उनकी आर्थिक स्थिति का खराब होना । इन समितियों का व्यापार भी छोटा होता है जिसके कारण प्रबन्ध के खर्चे अधिक पड़ते हैं । ऐसी स्थिति में ब्याज दर नीची रखना कठिन है । विभिन्न राज्यों में ब्याज दरें भिन्न-भिन्न हैं । मद्रास तथा महाराष्ट्र में समितियों को दिये गये ऋण पर ब्याज दर ४.३% है । आसाम तथा विहार में यह दर ५% है । पंजाब में ५.३% ब्याज दर है और पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में ६.३% है । समय-समय पर दरों में परिवर्तन होता रहता है ।

लाभ विभाजन

सामान्यतः प्रबन्ध सम्बन्धी सभी खर्चों और संचित ऋणों में घन रखने के पश्चात् शेष लाभ को हिस्सेदारों में वितरित कर दिया जाता है । जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है कि इन बैंकों का व्यापार छोटे आकार का होता है । जबकि प्रबन्ध व्यय अधिक हो जाता है अतः लाभ की मात्रा कम रहती है ।

भारत में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की प्रगति

सर्वप्रथम सन् १९१२ के सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंको को वैधानिक अधिकार प्रदान किये गये । इसके पश्चात् सन् १९१४ में मेकनेगन समिति का गठन किया गया जिसने अपना प्रतिवेदन १९१५ में पेश किया । इस समिति ने भी केन्द्रीय बैंको को सहकारी समितियों के वर्गीकरण में रखा था । केन्द्रीय बैंको का भी इन समिति ने वर्गीकरण किया जिसका विवरण अध्याय के आरम्भ में दिया गया है । प्रथम प्रकार की केन्द्रीय बैंको में केवल व्यक्ति ही सदस्य होने थे । ऐसी समितियाँ १९३० तक समाप्त हो गयीं । जिन समितियों में समितियाँ सदस्य हैं और समितियाँ तथा व्यक्ति दोनों सदस्य हैं ऐसी समितियाँ भारत में वर्तमान समय में हैं । किन्तु ऐसी केन्द्रीय बैंको की संख्या अधिक है जिनमें सहकारी समितियाँ और व्यक्ति दोनों सदस्य हैं ।

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्रीय सहकारी बैंक का पर्याप्त विकास हुआ है । यद्यपि वर्तमान समय में इनकी संख्या पहले से कम हो रही है किन्तु सदस्यता तथा पूंजी में वृद्धि हो रही है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष से तुलना की जाये तो इन बैंकों की संख्या में बहुत कमी हुई है । कमी होने का कारण सरकारी नीति है । सरकार चाहती है कि इन बैंकों का क्षेत्र अधिक विस्तृत किया जाये और इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो । अधिक संख्या की बजाय बड़े आकार की बैंको के विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है । केन्द्रीय बैंको की सदस्यता, कार्यशील पूंजी, प्रदान किये गये ऋणों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

केन्द्रीय सहकारी बैंको की संख्या वर्ष १९५०-५१ में ५०१ थी जब कि वर्ष १९६१-६२ में घट कर ३८७ हो रह गयी । तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष

तक इस संख्या में पुन ४१ की कमी हुई। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थिति प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में निम्न प्रकार रही है —

केन्द्रीय सहकारी बैंक

विवरण	वर्ष		
	१९५१-५२	१९६१-६२	१९६५-६६
१. सख्या	५०९	३८७	३४६
२. सदस्यता	२,३११,३१९	३,९५,६००	३,६२,१५६
३. दिये गये ऋण (लाख ₹० में)	२०,५६४	३८,४४०	७७,१६६
४. कार्यशील पूंजी (लाख ₹० में)	६,०११	३५,२६५	५८,३५२

(Source India 1968)

उक्त तालिका में स्पष्ट है कि वर्ष १९५१-५२ की तुलना में वर्ष १९६१-६२ में बैंकों की संख्या में बहुत कमी हुई किन्तु सदस्यता, दिये गये ऋण तथा कार्यशील पूंजी में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष १९६१-६२ की तुलना में १९६५-१९६६ में संख्या तथा सदस्यता दोनों में कमी हुई है किन्तु प्रदान किये गये ऋण तथा कार्यशील पूंजी में सतोयजनक वृद्धि हुई है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस बात पर ध्यान दिया जायेगा कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति ठीक हो। साथ ही इन बैंकों के ऋण की समय पर अदायगी नहीं होनी है। अतः स्थिति विगटती जा रही है। मितिवाद (overdues) की राशि बढ़ती जा रही है। वर्ष १९६७-६८ में मितिवाद की राशि कुल बकाया का २५% थी जबकि १९६१-६२ में १२.४% थी। भारत वर्ष में कुल ३४७ केन्द्रीय सहकारी में ६३ ऐसी हैं जिनका मचित मितिवाद (averdues) बकाया था ५०%, में भी अधिक है। इसमें केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पुन सगठन में बड़ी कठिनाई आ रही है।¹

केन्द्रीय सहकारी बैंकों की समस्याएँ

(Problems of Central Banks)

भारतवर्ष में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के सामने अनेक समस्याएँ हैं। कुछ समस्याएँ तो इन बैंकों के शोष के कारण उत्पन्न हो गयी हैं और कुछ अन्य कारणों में। इन समस्याओं के कारण इनका पर्याप्त विकास भी नहीं हो रहा है। प्रमुख समस्याएँ निम्न प्रकार हैं —

(१) वित्त का अभाव

केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या वित्त के अभाव की है। इन बैंकों में सदस्यों को समय पर पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं उपलब्ध हो पाता है

क्योंकि एक तरफ तो इन बैंकों को जमा कम मिल पाते हैं और दूसरी तरफ सदस्यों पर मित्तिवाद (Overdues) अधिक होते हैं जिनके कारण पैसे का अभाव हो जाता है। जैसाकि पूर्व कहा जा चुका है, हमारे देश में इन बैंकों का सदस्यों पर वर्ष १९६७-६८ में बकाया ऋण का २५% मित्तिवाद (Overdues) के रूप था। मित्तिवाद निरन्तर बढ़ रहे हैं। वर्ष १९६०-६१ की तुलना में इस प्रतिशत में बहुत वृद्धि हुई है। इस समस्या के कारण इन बैंकों की कार्य विधि में कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयी हैं।

(२) राज्य सहकारी बैंको अथवा शीर्ष सहकारी बैंको पर निर्भरता :

केन्द्रीय सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंक अथवा शीर्ष सहकारी बैंको अथवा धन प्राप्त करती हैं। यदि इन बैंको से धन मिलने में विफल हो जाय अथवा नहीं मिले तो आर्थिक संकट बट जाता है। इन बैंको की निजी पूंजी (Owned Capital) बहुत कम है अतः ऊपर की बैंको पर निर्भर रहना पड़ता है। शीर्ष सहकारी बैंको पर अधिक निर्भर रहने के कारण भी अनेको बाह्य कार्य में बाधायें आती हैं। कभी-कभी तो शीर्ष बैंको से पैसे मिलने के अभाव में ये बैंक सदस्यों को ऋण नहीं दे पाती हैं फलतः इनकी साख गिरने लगती है।

(३) निजी पूंजी की न्यूनता .

भारत वर्ष में केन्द्रीय सहकारी बैंको के पास निजी पूंजी की न्यूनता पाई जाती है। अद्य पूंजी तथा संचित कोषों का कुल कार्य शील पूंजी में कम प्रतिशत है। वर्ष १९६५-६६ में निजी पूंजी (owned Capital) कार्यशील पूंजी का १७.५% थी। निधियों के अभाव में इनको जमा तथा ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे भी कभी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। भारतवर्ष में अनेको केन्द्रीय सहकारी बैंक इस प्रकार के हैं जिनकी निजी पूंजी की मात्रा बहुत कम है। संचित कोषों में भी धन राशि बहुत कम है।

(४) मित्तिवाद (overdues) की बढ़ती हुई प्रवृत्ति :

जैसा कि कहा जा चुका है कि हमारे देश में केन्द्रीय बैंको का सदस्य समितियों पर ऋण बकाया बढ़ रहा है जिसकी वापसी की तिथी भी निश्चल चुकी है। मित्तिवाद ऋण की मात्रा बढ़ने के कारण धन का निरन्तर अभाव होने लगता है। वर्ष १९६७-६८ में ३४.७% से ६३% केन्द्रीय बैंक इस प्रकार के थे जिनका मित्तिवाद ऋण कुल बकाया ऋण का ५०% था ऐसी स्थिति में बैंको का विकास बहुत कठिन हो जाता है। मित्तिवाद ऋण की प्रवृद्धि निरन्तर बढ़ रही है।

(५) कुछ बैंको में व्यक्तिगत सदस्यता :

कुछ केन्द्रीय बैंको में समितियों के साथ-साथ व्यक्तिगत सदस्य भी हैं। इन व्यक्तिगत सदस्यों के कारण भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयी हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि ये व्यक्ति अधिक मात्रा में स्वयं ऋण ले लेते हैं अथवा अपन सम्बन्धियों को दिलावा देते हैं। यह भी कहा जाता है कि ये व्यक्तिगत सदस्य प्रबन्ध समिति में भी भा जाते हैं जिससे कई प्रकार की अनियमिततायें होती हैं। २

(६) व्यापार की कम मात्रा और प्रबन्ध व्यय अधिक :

केन्द्रीय सहकारी बैंको के पास व्यापार की मात्रा कम होती है किन्तु उनकी तुलना में प्रबन्ध व्यय अधिक पड़ जाता है। यह स्वाभाविक है जिस सस्था में व्यापार कम होता है तो प्रबन्ध व्यय अधिक पड़ता है। अन्य बैंकिंग कार्यों में ये बैंक दक्ष भी नहीं होती हैं। क्योंकि इनमें प्रशिक्षित कर्मचारियों का भी अभाव पाया जाता है।

(७) प्रशिक्षित व कुशल कर्मचारियों का अभाव :

केन्द्रीय सहकारी बैंको में प्रशिक्षित एव कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो पाती क्योंकि ये सस्थायें अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को नहीं रख सकती हैं। कर्मचारी अधिकांश बैंकिंग विधियों और ज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं। कार्य कुशलता का भी उनमें अभाव पाया जाता है। अतः केन्द्रीय सहकारी बैंको का विकास अधिक तेज गति से नहीं हो रहा है।

(८) अवंज्ञानिक प्रबन्ध :

केन्द्रीय सहकारी बैंको का प्रबन्ध भी वंज्ञानिक ढंग से नहीं हो पाता है। प्रबन्धक समिति के सदस्य भी प्रबन्ध कार्य में अधिक कुशल नहीं होते हैं। कुशल प्रबन्धकों को अलग से नियुक्त करने में अधिक व्यय पड़ता है। अतः ऐसी सस्थाओं में कुशल प्रबन्ध की समस्या बहुत जटिल है। आजकल वंज्ञानिक प्रबन्ध का महत्व बहुत बढ़ गया है इसके अभाव में अनेकों सस्थायें समाप्त हो जाती हैं।

(९) सरकारी मनोनीत अधिकारी

केन्द्रीय सहकारी बैंको में सहकारी मनोनीत सदस्य की प्रबन्ध समिति में होते हैं। कुछ बैंको में तो अध्यक्ष भी सरकारी अधिकारी होते हैं। अतः कई कठिनाइयाँ सामने आने लगती हैं। यह निश्चित है कि जहाँ सरकार धन लगाती है तो उसके प्रतिनिधित्व के लिये भी प्रबन्ध में कुछ मनोनीत व्यक्ति आये किन्तु उनके आने में कभी कभी निणय लेने में तथा कार्य में शिथिलता आ जाती है। सरकारी मनोनीत अधिकारियों के विषय में यह भी शिकायत है कि ये प्रत्येक बैंक में भाग भी नहीं लेते हैं।

(१०) प्राथमिक साख समितियों का बहुमत :

प्रायः यह देखा जाता है कि केन्द्रीय बैंको की सदस्यता में बहुमत सहकारी साख सस्थाओं का होता है अतः प्रतिनिधित्व भी उन्हीं का अधिक होता है। इसके कारण केवल सहकारी साख समितियों के हितों की अधिक रक्षा हो पाती है। दूसरे प्रकार की समितियों को समुचित लाभ नहीं हो पाता है।

उपरोक्त समस्याओं के कारण भारत में केन्द्रीय सहकारी बैंको का अधिक विकास नहीं हो पाया। हमारे देश में कमजोर बैंको की सस्था अधिक हैं। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में इसके आकार बढ़ाने तथा उचित संरचना के प्रयत्न किये गये हैं। किन्तु अनेक कारणों से सफलता नहीं मिल पाती है।

निराकरण के उपाय

मिर्धा कमेटी रिपोर्ट में केन्द्रीय सहकारी बैंको की समस्याओं के निराकरण के कुछ उपाय बताये गये हैं। इस मिति की रिपोर्ट के अनुसार तथा कुछ अन्य उपयुक्त निम्न उपाय हो सकते हैं।

(१) हमारे देश में सघीय सस्यायें अनेको कारणों से बहुत बड़ी सस्या में व्यक्तिगत सदस्यों को प्रवेश दे ही रही हैं। किन्तु शुद्ध सघीय सस्याओं में व्यक्तिगत सदस्यों को स्थान नहीं देना चाहिये।¹ ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख दो कारण थे जिनके कारण सदस्यता अच्छी मानी गयी। प्रथम, नेतृत्व प्रदान करने के लिये और द्वितीय अन्न पूंजी बढाने के लिये। मिर्धा मिति की रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में व्यक्तिगत सदस्यों को इन सघीय सस्याओं में सदस्य नहीं बनाया जाये। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिनमें व्यक्तिगत सदस्य हैं वहाँ यह प्रावधान किया जाना चाहिये कि इनको सभापति, उपसभापति, मन्त्री और कोषाध्यक्ष न चुना जाये।²

(२) कुछ विद्वानों का मत है कि केन्द्रीय सहकारी बैंको को राज्य सहकारी बैंको अथवा शीर्ष बैंको की ब्रान्च बना देनी चाहिये ताकि मध्यस्थता का अन्न हो जाये। किन्तु कुछ अन्य कारणों से यह बहुत कठिन कार्य है।

(३) रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय साख सवेंक्षण समिति के गुभाव के अनुसार जोर दिया है कि केन्द्रीय सहकारी बैंको को सर्वप्रथम कृषि साख समितियों की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देना चाहिये। व्यक्तिगत सदस्यों को निश्चित सीमा से बाहर श्रृण प्रदान करने पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये।

(४) केन्द्रीय सहकारी बैंक में सामान्यतया साख समितियाँ, कृषि समितियाँ, धर्म, सहकारी समितियाँ, औद्योगिक समितियाँ तथा अन्य कई प्रकार की समितियाँ सदस्य होती हैं। इनमें कृषि साख समितियों का यह मत होना आवश्यक है। इसके लिये आवश्यक है कि सभी प्रकार की सहकारी समितियों के हितों की रक्षा की जाये। प्रबन्धकारी मिति में सभी प्रकार की समितियों को यथोचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

(५) मिर्धा समिति के अनुसार किसी मिति की प्रवन्ध कारिणी समिति में सरकार द्वारा मनोनयन न्यूनतम होना चाहिये और किसी भी दशा में कमेटी के सदस्यों की सस्या के एक तिहाई अथवा तीन जो भी कम हो में अधिक सदस्यों का मनोनयन नहीं होना चाहिये। यह मुनिश्चित करने के लिये कि मनोनीति सचालक अपन दायित्वों का पालन करते हैं, उनके लिए एक आचरण संहिता विकसित करना चाहिये। ऐसी आचरण संहिता बनाने समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिये।
(i) समिति की बैठक में निर्णयित उपस्थिति (ii) यदि मनोनीत सचालक बहुमत के निर्णय को दोषपूर्ण और हानिकारक समझे तो अतहर्मात् सूचक टिप्पणी अंकित करना (iii) मनोनीत सचालको को अधिकार तथा अन्य दण्डों से सम्बन्धित उसी अनुमानन में साना जो निर्वाचित सचालको पर लागू होना है।

1 Madras, Report of Committee our Cooperation 1939-40 p 219-20

2. Mircha Committee Report our Cooperation, 1964 p 57-58.

(६) केन्द्रीय सहकारी, बैंको के द्वारा प्रदान किये गये ऋण की वापसी की समस्या निम्नतर बट रही है। इस समस्या के निराकरण के लिये जिन सदस्य समिति अत्र वा व्यक्तिगत सदस्यों का समय पर ऋण वापस नहीं हुआ है वापसी की जांच करनी चाहिये। यदि बकाया वापसी बिना किसी टोस के है ता उन्हें दण्ड होना चाहिये।

(७) इन बैंको के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिये। इसके अतिरिक्त कुशल व्यक्तियों की भविष्य में नियुक्ति करनी चाहिये ताकि इन बैंको का अधिक विकास हो सके।

(८) बैंको के सम्मुख धन की कमी को दूर करने के लिये जमा (Deposits) पर व्यक्ति व्याज दना चाहिये ताकि अधिक जमा हो।

(९) सार्व बैंको को ऋण प्रदान करने में अधिक समय नहीं लगाना चाहिये।

(१०) कमजोर इकाइयों को मजबूत बनाना चाहिये।

आज इण्डिया स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रिश्चू कमेटी (१९६९) के निम्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण है।

(१) जिन जिलों में एक से अधिक केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यशील हैं उनके जांच करके यह ज्ञात किया जाय कि क्या इन बैंको का विलय आवश्यक है जिन्हें एक जिले में एक बैंक हो जाय।

(२) केन्द्रीय बैंक को ऋण स्वीकार करने की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिये। इन बैंको का शाखाओं में सहाय समितियाँ स्थापित की जानी चाहिये जिनको निर्धारित सीमा तक ऋण स्वीकार करने की शक्ति प्रदान की जाये।

(३) अधिक अवधि पर बकाया ऋणों के कारण जो केन्द्रीय बैंक कार्य करने में असमर्थ हैं उनका पुनर्वासन (Rehabilitation) का कार्यक्रम तैयार करना चाहिये। प्रत्येक केन्द्रीय बैंक के प्राप्य और अप्राप्य बकाया ऋणों का सर्वेक्षण करना चाहिये और प्राप्त करने के प्रयत्न करने चाहिये। अप्राप्य बकाया धनगति का पूर्ण करने के लिये राज्य सरकार का सहायता देनी चाहिये।

उपरोक्त विवरण ने स्पष्ट है कि भारत में केन्द्रीय बैंक की स्थिति अधिक अच्छी नहीं है। इसे सुधार के लिए भविष्य में उपर दिए गये सुझावों को काम में लाना अधिक उपयुक्त होगा। छोटें आकार की केन्द्रीय बैंक का बड़े आकार में परिवर्तित करना चाहिये। इन बैंको की सुदृढ़ संरचना करना परमावश्यक है। आशा है भविष्य में इस तरफ पर्याप्त ध्यान दिया जावेगा।

प्रश्न

१. केन्द्रीय सरकारी बैंको से आपका क्या अनिश्चय है। इसके कार्यों का सक्षिप्त विवरण दीजिये।

२. भारत में केन्द्रीय बैंको की क्या समस्याये हैं । इनके समाधान के सुझाव दीजिये ।
 ३. आपकी राय में भारत में केन्द्रीय सहकारी बैंको का कार्य सतोपजनक है ? यदि नहीं तो सुझाव दीजिये ।
 ४. केन्द्रीय बैंको की कार्यशील पूंजी के कौन-कौन से स्रोत हैं ? इन स्रोतों का किस प्रकार का भाग है ?
 ५. सन् १९५० में केन्द्रीय सहकारी बैंको को प्रगति का सक्षिप्त विवरण दीजिये । भविष्य में विकास के उन्नित सुझाव दीजिये ।
-

शीर्ष बैंक (Apex Banks)

इन बैंको को राज्य सहकारी बैंक अथवा प्रादेशिक सहकारी बैंक भी कहा जाता है। राज्य के सहकारी संगठन में इनकी सत्ता सर्वोपरि होती है। हमारे देश में लगभग प्रत्येक राज्य में एक ऐसा बैंक है। राज्य से प्राथमिक समितियाँ सबसे नीचे की कड़ी होती हैं। उनकी सघीय इकाइयाँ केन्द्रीय सहकारी बैंक होती हैं और केन्द्रीय बैंको के ऊपर सघीय इकाई शीर्ष बैंक होते हैं। ये राज्यों के सहकारी साधनों के समन्वय केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं। शीर्ष बैंक सहकारी आन्दोलन का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह बैंक छोटी तथा बिखरी हुई प्राथमिक समितियों और मुद्रा बाजार के मध्य एक कड़ी का काम करती है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा प्राप्त अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋणों को प्राथमिक सहकारी साख समितियों तक पहुँचाने में इन सस्थाओं का प्रमुख स्थान है। अतः सहकारी संगठन के ढाँचे में ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक समितियाँ होती हैं, जिले के स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होते हैं जिन्हें शीर्ष बैंक कहा जाता है। शीर्ष सहकारी बैंको का प्राथमिक सहकारी साख समितियों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध भी हो सकता है किन्तु साधारणतया केन्द्रीय बैंको के माध्यम से अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है।

शीर्ष बैंक राज्य स्तर पर शीर्ष पर एक पयवेक्षक निवाय की भाँति कार्य करती है। राज्य में सहकारी आन्दोलन के प्रचार की व्यवस्था भी यहीं पर होती है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम मद्रास में सन् १९०७ में राज्य भर में ऋण देने के लिये एक केन्द्रीय बैंक बनार्या गया जिसमें सरकारों सहायता नहीं सी गयी। किन्तु यह १९१७ तक बन्द हो गयी और इस समय मद्रास केन्द्रीय सघीय बैंक (Madras Central Union Bank) की स्थापना की गयी जो कि शीर्ष बैंक के रूप में थी।²

मेकनेगन समिति ने १९१५ में अपनी रिपोर्टें पेश की थी जिसमें प्रान्तीय सहकारी बैंकों को माल्य समितियों के वर्गीकरण में सम्मिलित किया। शीर्ष सहकारी साख समितियों का निर्माण कई राज्यों जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा प्राचीन केन्द्रीय प्रदेशों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किया गया। भारतवर्ष में वर्तमान समय में २२ शीर्ष बैंक हैं जिनकी सदस्यता २१,०१० है।¹

सदस्यता (Membership)

शीर्ष सहकारी समितियाँ दो प्रकार की होती हैं—प्रथम केन्द्रीय बैंकों द्वारा स्थापित और दूसरी मिश्रित। मिश्रित सदस्यता में व्यक्तिगत, केन्द्रीय बैंक तथा अन्य सीधे सम्बन्ध रखने वाली समितियाँ आती हैं। हमारे देश में मिश्रित सदस्यता वाली शीर्ष बैंकों की संख्या बहुत अधिक है। पहले शीर्ष बैंकों में व्यक्तिगत सदस्यता अधिक थी जबकि आजकल घटती जा रही है। वर्तमान में राज्य सरकारें इन बैंकों में सामीदार बन गयी हैं।

भारतवर्ष में शीर्ष बैंकों की वर्ष १९५०-५१ में कुल सदस्यता २३,२७२ थी जो कि वर्ष १९६१-६२ में बढ़कर ३०,४६८ हो गयी। किन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में इसमें पर्याप्त कमी हुई और सदस्य संख्या २१,०१० ही रह गयी।

प्रबन्ध (Management)

अन्य सहकारी बैंकों की भाँति इसमें भी सर्वोच्च सत्ता साधारण सभा में निहित होती है। नीति सम्बन्धी निर्णय इसी में लिये जाते हैं जिन्हें कार्य रूप में परिणित करने के लिए सचालक मण्डल की नियुक्ति की जाती है। आजकल राज्य सरकारें भी भागीदार हो गयी हैं अतः उनके मनोनात सदस्य भी सचालक मण्डल में होते हैं। भारत में व्यक्तिगत सदस्य अधिकांश बैंकों के सचालक मण्डलों में अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक रहे हैं। नानावटी समिति (Nanavati Committee 1947) ने शम्भूई को शीर्ष बैंक में देखा कि सचालक मण्डल में ७ सचालक व्यक्तिगत सदस्यों में से थे, तीन-तीन प्रतिनिधि केन्द्रीय बैंकों और कृषि समितियों तथा दो प्रतिनिधि शहरी बैंकों (Urban banks) में से थे।²

आजकल व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या घटती जा रही है अतः प्रबन्ध में भी इनका हाथ कम हो रहा है। निर्षा समिति ने अपने प्रतिवेदन में सघीय समितियों में व्यक्तिगत प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण पद देने पर प्रतिबन्ध लगाने पर दल दिया है।³

कार्यक्षेत्र

शीर्ष सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र राज्य स्तर तक होता है। प्रत्येक राज्य में एक शीर्ष बैंक होता है जो सम्पूर्ण राज्य के सहकारी आन्दोलन के लिए उत्तरदायी

1. India, 1968 p. 265

2. Bombay Report of Agricultural credit Organisation Committee, p 29-30

3. Mirdha Committee, 1964, Report p 58

है। राज्य के सहकारी आन्दोलन का पर्यवेक्षण, समन्वय तथा प्रचार कार्य इन्हीं बैंकों के हाथ में है। राज्य की सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक सदस्य होती हैं। इनके माध्यम से प्राथमिक समितियों को ये बैंक सहायता प्रदान करती हैं।

उद्देश्य

शीर्ष बैंकों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

(१) शीर्ष बैंकों को स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है कि राज्य स्तर पर एक सघीय मस्था स्थापित करना।

(२) शीर्ष बैंक केन्द्रीय बैंकों के कार्यों पर नियन्त्रण करने के उद्देश्य से स्थापित किये गये हैं।

(३) आजकल प्रबन्ध के सिद्धान्तों में समन्वय (Coordination) का बहुत महत्व है। सरकारी आन्दोलन में केन्द्रीय बैंकों में समन्वय स्थापित करने का उद्देश्य इन्हीं बैंकों में पूरा किया जाता है।

(४) राज्य के सहकारी आन्दोलन के लिये वित्त व्यवस्था में इन बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य स्तर पर सघीय मस्थाओं का निर्माण आवश्यक हो गया।

शीर्ष बैंकों के कार्य

मेकलेगन समिति के अनुसार शीर्ष बैंकों का प्रमुख कार्य राज्य स्तर पर वित्तीय साधन उपलब्ध कराना है। ये बैंक केन्द्रीय बैंकों के कार्य संचालन पर नियन्त्रण रखकर प्रदत्त के समन्वय कार्य को सम्पादित करती हैं। शीर्ष बैंकों को इनके कार्यों के आधार पर केन्द्रीय बैंकों के लिये सन्तुलन केन्द्र भी कहा जाता है। इन बैंकों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं।

(१) शीर्ष बैंकों का प्राथमिक कार्य इनके कार्यक्षेत्र में इन आन्दोलन के वित्त को सन्तुलित करना है। यह कार्य जमा (Deposits) आकर्षित करके अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अतिरिक्त धन को प्रयोग में लाकर तथा अन्य साधनों से धन प्राप्त करके किया जाता है।

(२) शीर्ष बैंक एक राज्य स्तर की सघीय इकाई हैं जिसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य की सभी केन्द्रीय बैंक आती हैं। इन बैंकों के कार्यों पर नियन्त्रण रखना भी शीर्ष बैंकों का प्रमुख कार्य है। विभिन्न केन्द्रीय बैंकों में समन्वय स्थापित करने से शीर्ष बैंकों का महत्वपूर्ण हाथ है।

(३) शीर्ष बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंकों जयवा अपने सदस्यों को अल्प अथवा मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक प्राथमिक समितियों को ऋण प्रदान करते हैं। उनके पास पर्याप्त धन का अभाव पाया जाता है। अतः शीर्ष बैंक इनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति ऋण प्रदान करके करते हैं। ये बैंक रिजर्व बैंक से धन प्राप्त करते हैं और उसे केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से प्राथमिक समितियों तथा अन्य समितियों तक पहुंचाते हैं।

(४) कुछ राज्यों में शीर्ष बैंक कुछ व्यापारिक बैंकिंग कार्य भी करते रहे हैं। ये बैंक व्यापारियों तथा अन्य व्यक्तियों को भी ऋण प्रदान करते रहे हैं। यद्यपि रिजर्व बैंक ने इस प्रकार की विचारधारा रखी है कि शीर्ष बैंक व्यापारिक बैंकिंग कार्यों में अधिक भाग न लेकर अन्य सहकारी कार्यों की खोज करके उनमें भाग लें ताकि सहकारिता का अधिक विकास हो सके। कुछ राज्यों विशेषकर बम्बई और मद्रास में इन बैंकों में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को भी ऋण प्रदान किया है।

(५) शीर्ष बैंक, केन्द्रीय बैंक तथा अन्य मदस्य समितियों के पर्यवेक्षण का कार्य करती हैं; समय-समय पर इन संस्थाओं को उचित राय भी इन बैंकों से मिलती रहती है।

(६) शीर्ष बैंकों का एक प्रमुख कार्य अपने नीचे की सभी समितियों के लिये एक सन्तुलन बिन्दु का कार्य करता है।

शीर्ष बैंकों की कार्यशील पूंजी

शीर्ष सहकारी बैंकों की कार्यशील पूंजी के निम्नलिखित स्रोत हैं—

(१) अदा पूंजी (Share Capital)

कार्यशील पूंजी का प्रारम्भिक साधन अदा पूंजी है। इसी पूंजी के आधार पर इन बैंकों को जमा तथा ऋण मिलते हैं। बैंकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये अदा पूंजी की मात्रा पर्याप्त करना बहुत आवश्यक है। भारत में अदा पूंजी में वृद्धि करने के कई प्रयत्न किये गये हैं। केन्द्रीय बैंक की ऋण सीमा उनकी अदा पूंजी से जोड़ दी गयी है जिसके कारण ये बैंक अधिक अदा खरीदते हैं।

भारतवर्ष में वर्ष १९५१-५२ में शीर्ष बैंकों की कुल कार्यशील पूंजी ३६.७२ करोड़ रुपये थी जिसमें अदा पूंजी १.९० करोड़ रुपये थी। वर्ष १९६०-६१ में कार्यशील पूंजी और उसमें अदा पूंजी की मात्रा क्रमशः २५६.०९ करोड़ तथा २१.२६ करोड़ रुपये हो गयी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में कार्यशील पूंजी तथा उसमें अदा पूंजी की मात्रा क्रमशः ३७९.९८ करोड़ रुपये तथा २८.८३ करोड़ रुपये हो गयी। अतः स्पष्ट है कि शीर्ष बैंकों की अदा पूंजी में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है।¹

(२) संचित व अन्य कोष (Reserve and Other Funds)

कार्यशील पूंजी का द्वितीय महत्वपूर्ण भाग संचित तथा अन्य कोष है। लाभ का एक निश्चित प्रतिशत इन कोषों में संचित करना पड़ता है। यह निजी पूंजी का ही एक भाग होता है। हमारे देश में सभी शीर्ष बैंकों के इन कोषों में वर्ष १९५१-५२, १९६१-६२ तथा वर्ष १९६५-६६ में क्रमशः २.३६ करोड़, ७.५९ करोड़ तथा १६.१३ करोड़ रुपये की राशि थी।

(३) जमा (Deposits)

शीर्ष बैंक अपने पास निक्षेप सदस्यों तथा अमदस्यों दोनों ही से स्वीकार

करते हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक अधिकतर अपने तरत धन के कुछ अंश को तथा अपने अतिरिक्त धन को इन बैंकों के पास जमा करा देने हैं। ये बैंक जमाकर्ताओं को उनके अचल जमाओं पर ऋण भी प्रदान करते हैं। जमाओं का कायशील पूंजी में महत्वपूर्ण भाग रहता है। पहले तो सभी खेतों में जमाओं में अधिक धन मिलता था किन्तु आजकल ऋण की मात्रा बढ़ रही है। वर्ष १९५१-५२ में निक्षेपों की घनराशि सभी शीप बैंकों की २१.१८ करोड़ रुपये थी जो कि अन्य सभी खेतों से कहीं अधिक थी। इस वर्ष कायशील पूंजी का अधिकतम भाग निक्षेप के द्वारा प्रदान किया गया था। किन्तु वर्ष १९६१-६२ में ऋणों की मात्रा निक्षेपों से अधिक हो गयी। यद्यपि निक्षेपों की घनराशि वर्ष १९५१-५२ की तुलना में बढ़कर ८१.४४ करोड़ रुपये हो गयी। वर्ष १९६४-६६ में शीप बैंकों में जमा घनराशि १४६.११ करोड़ रुपये हो गयी।

(४) ऋण (Loans)

कायशील पूंजी का प्रमुख स्रोत आजकल ऋण ही है ऋण अधिकतम सरकार तथा रिजर्व बैंक आर इण्डिया से उपलब्ध होत है। रिजर्व बैंक से ऋणों की मात्रा निरन्तर बढ़ रही है। शीप बैंकों को कम व्याज दर पर ऋण प्राप्त होता है जिसे ये बैंक केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से प्राथमिक स्तर तक पहुंचाता है। भारत में वर्ष १९५१-५२ में शीप बैंकों की कायशील पूंजी में निक्षेपों के पदचान् ऋण का स्थान था किन्तु वर्ष १९६१-६२ में ऋण निक्षेपों में अधिक थे। इसका पदचान् निरन्तर ऋणों का स्थान सर्वोपरि है। वर्ष १९५१-५२, १९६१-६२ तथा १९६५-६६ में जमा ऋणों की राशि ११.०७ करोड़, १८५.७९ करोड़ एवं १९८.५२ करोड़ रुपये थी।^१ शीप बैंकों की ऋणों की राशि वर्ष १९६६-६७ में १९९.९२ करोड़ रुपये के लगभग थी जो कि रिजर्व बैंक से १७०.९९ करोड़ रुपये, सरकार से २२.६८ करोड़ रुपये एवं अन्य साधनों से ४.२५ करोड़ रुपये थी।^२

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में उधार लिये गये ऋणों की मात्रा निरन्तर बढ़ रही है वर्ष १९६७-६८ तथा १९६८-६९ में शीप बैंकों ने इस बैंक से क्रमशः १९७.६० करोड़ तथा २४५.१३ करोड़ रुपये ऋण लिया।^३ इस बैंक के अतिरिक्त शीप बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, कृषि पुनर्निर्माण निगम, स्टेट बैंक, ग्राम बैंक तथा सरकार से भी ऋण लेती है।

शीप बैंक का केन्द्रीय बैंक से सम्बन्ध

शीप बैंक राज्य स्तर की सर्वोच्च सघीय संस्था है। सघीय संस्था होने के नाते ये बैंक केन्द्रीय बैंकों को समय-समय निवेदन देते हैं तथा इनकी क्रियाओं में समन्वय स्थापित करते हैं। इस दृष्टि से केन्द्रीय बैंकों की कार्यविधि की देख-रेख भी शीप बैंक करते हैं। शीप बैंक केन्द्रीय बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं। केन्द्रीय बैंक, शीप बैंकों के सदस्य होने के नाते इनके प्रतिनिधि शीप बैंकों की मायारण

1 India, 1969 p 269.

2 The Times of India Directory and Year Book, 1969 page 89

3 Reserve Bank of India Bulletin Dec 1969 P 1941.

समा में होते हैं और प्रबन्धक समिति में चुने जाते हैं। इस प्रकार शीर्ष बैंको के प्रबन्ध में भी केन्द्रीय बैंक भाग लेती है।

शीर्ष बैंको का रिजर्व बैंक से सम्बन्ध

शीर्ष बैंक राज्यों के सहकारी आन्दोलनों को रिजर्व बैंक के साथ जोड़ते हैं। ये सभी बैंक रिजर्व बैंक के सदस्य होने हैं जिनको रिजर्व बैंक से वित्तीय सहायता इसके अतिरिक्त निरन्तर रिजर्व बैंक इन बैंको को विभिन्न विषयों पर सलाह भी प्रदान करती है शीर्ष बैंक राज्य सहकारी आन्दोलन तथा रिजर्व बैंक के मध्य एक कड़ी है। रिजर्व बैंक राज्यों के सहकारी आन्दोलनों को इन्हीं बैंको के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। शीर्ष बैंक रिजर्व बैंक में जपन खाते भी भी रखती है। वे शीर्ष बैंक जो रिजर्व बैंक में अपने खाते रखते हैं उनकी सख्या तथा रिजर्व बैंक से उधार ली गयी धन राशि निम्न तानिका से स्पष्ट है—

शीर्ष बैंक जो कि रिजर्व बैंक में खाते रखे हुए हैं

वर्ष	संख्या	रिजर्व बैंक से उधार (Borrowings) (करोड़ रु० में)	रिजर्व बैंक के पास शेष (करोड़ रु० में)
१९६०-६१	२०	८८ २९	१ ५९
१९६५-६६	१८	१६६ ७८	३ ८२
१९६६-६७	१९	१६९ ३१	५ ११
१९६७-६८	२०	१९७ ६०	५ ६८
१९६८-६९	२४	२४५ १३	६ ७९

(Source Reserve Bank of India Bulletin, Dec 1969 P 1941)

उक्त तानिका से स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक में शीर्ष बैंको को निरन्तर ऋण बढ़ता जा रहा है। इनके अतिरिक्त रिजर्व बैंक के पास शेष (balance) भी बढ़ता जा रहा है। अतः स्पष्ट है कि शीर्ष बैंको का रिजर्व बैंक से बहुत महत्वपूर्ण सम्बन्ध रिजर्व बैंक के १९५१ के अधिनियम के पश्चात् शीर्ष बैंको को आर्थिक वित्तीय सहायता मिलने लगी है।

पञ्चवर्षीय योजनाओं में प्रगति

सन् १९५१ के रिजर्व बैंक अधिनियम धन ज्ञान के पश्चात् अल्पकाल में ही कई शीर्ष बैंक स्थापित हुए। इस अधिनियम से इन बैंको को मात्र सम्बन्धी अधिक सुविधाएँ प्रदान की गयीं। वर्ष १९५१-५२ में भारत में कुल शीर्ष बैंको की संख्या केवल १६ थी जो कि १९६६-६७ में बढ़कर २५ हो गयी। सर्वस्य संख्या १९५१-५२ में २३२३२ थी जो कि १९६१-६२ तक बढ़कर ३०,४६८ हो गयी। किन्तु अनेक कारणों से इसमें तृतीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक कमी हुई और कुल सदस्य संख्या २१०१० हो गयी। जून १९६७ के अन्त में देश में कुल २५ शीर्ष बैंक

ये जिनकी सदस्य संख्या ८२९० व्यक्तिगत तथा १३१६७ बैंक तथा समितियाँ थीं¹। शीप बैंको की सदस्यता में व्यक्तिगत सदस्यता कम होती जा रही है। आजकल राज्य सरकारें इनमें भागीदार बनकर आ रही हैं।

शीप बैंको की असा पूंजी, रिजर्व फंड, जमा, ऋणों में पचवर्षीय योजनाओं में निरन्तर वृद्धि हुई है। इन बैंको की कुल कार्यशील पूंजी वर्ष १९५१-५२, १९६१-६२ तथा १९६५-६६ में क्रमशः ३६.७२ करोड़ रुपये, २५६.०९ करोड़ रुपये तथा ८१.१८ करोड़ रुपये थी। वर्ष १९६६-६७ में ४०२.१५ करोड़ रुपये कार्यशील पूंजी थी जो कि पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। कार्यशील पूंजी में वृद्धि होने के अनेक कारण थे। इन बैंको की निजी पूंजी, जमा तथा रिजर्व बैंक से ऋण की मात्रा में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। नीचे दी गई तालिका से शीप बैंको के विकास की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

भारत में शीप बैंक

विवरण	१९५१-५२	१९६१-६२	१९६५-६६	१९६६-६७
१ सख्या	१६	२१	२२	२५
२ सदस्यता (करोड़ रुपये)	२३२७२	३०४६८	२१०१०	२१४५७
३ असा पूंजी	१.९०	२१.२६	२८.८३	३१.१६
४ संचित एव अन्य कोष	२.३६	७.५६	१६.१३	२४.४८
५ जमा	२१.१८	८१.४४	१४६.५१	१४७.२८
६ अन्य ऋण	११.२७	१४५.७६	१६८.५२	१६६.६३
७ कार्यशील पूंजी	३६.७२	२५६.०६	३८६.६८	४०२.१५
८ दिये गये ऋण	५५.२७	२५६.२६	४७४.२२	४५०.७५
९ ऋण बकाया	२०.०१	१.६५१	३०७.६३	३२५.१६
१० ऋण मितिबाद (Over dues)	३.२२	८.१०	६.३४	१६.६२

(Source India 1969 P. 269)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि केवल सदस्यता को छोड़कर अन्य सभी मदों में निरन्तर वृद्धि हुई है। शीप बैंको द्वारा प्रदान किये गये ऋणों की मात्रा, बकाया धन की राशि तथा ऋणों की मिति बाद (Over dues) की समस्या बड़ी भयंकर है। इसमें बहुत तेज गति से वृद्धि होनी जा रही है। इसकी मात्रा वर्ष १९५१-५२ की तुलना में वर्ष १९६६-६७ में ५ गुनी हो गयी है। वर्ष १९६७-६८ में शीप सहकारी

बैंको की असा पूंजी तथा डिपॉजिट्स क्रमशः ३४.६७ तथा १८०.६७ करोड़ रुपये हो गये।¹

शीर्ष बैंकों की समस्याओं व निराकरण के उपाय

भारत में शीर्ष बैंको के विकास में निम्नलिखित बाधाएँ हैं—

(१) वित्तीय समस्या

जंसा कि पूर्व कहा जा चुका है ये बैंक राज्य के सहकारी आन्दोलन में सर्वोपरि हैं। सहकारी आन्दोलन को वित्तीय सहायता देना भी इन्हीं का दायित्व है। ये बैंक केन्द्रीय बैंको के माध्यम के प्राथमिक सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करते हैं। किन्तु इनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि नीचे की समितियों को वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति कर सकें।

इस समस्या के समाधान के लिए निजी पूंजी में वृद्धि करना आवश्यक है ताकि उसके आधार पर जमा तथा ऋण अधिक उपलब्ध हो सकती है। देश के शीर्ष बैंको ने असा पूंजी बढ़ाने के लिए केन्द्रीय बैंको को दिये जाने वाली ऋण की सीमा उनके द्वारा खरीदे गये असा के अनुसार तय कर दी है। फलतः केन्द्रीय बैंको ने अधिक ऋण प्रदान करने के लिये अधिक असा खरीदने प्रारम्भ किये हैं। रिजर्व बैंक ने भी इन बैंको को अधिक ऋण दिया है।

(२) बकाया ऋण व मितिवाद (Over dues) में वृद्धि

शीर्ष बैंको द्वारा प्रदान किये गये ऋण की बकाया राशि तथा मितिवाद में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। जब शीर्ष बैंको को केन्द्रीय बैंको तथा अपने अन्य सदस्यों से, जिनको ऋण प्रदान किये गये हैं, समय पर बकाया राशि वापिस नहीं होती है तो ये बैंक रिजर्व को तथा अन्य बैंको को जिनके ऋण लिया है समय पर लौटाने में असमर्थ होती हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए मितिवाद के वित्तीय सदस्य ने बिना उचित कारण के बकाया घन नहीं लौटाया है उसे अधिक दण्ड दिया जाना चाहिये।

(३) कुशल प्रबन्ध का अभाव

शीर्ष बैंको में प्रबन्धक मण्डल में कुशल संचालकों का अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुशल [कर्मचारियों का भी अभाव पाया जाता है। कुछ शीर्ष बैंक हैं जिनमें कार्य करने वालों तथा संचालकों को बैंकिंग अनुभव का अभाव है। ऐसी स्थिति में न तो कोई उचित निर्णय प्रबन्धक मण्डल में लिया जा सकता है और न उसको उचित रूप से कार्य रूप में परिणित भी किया जा सकता है।

इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है प्रथम, संचालक मण्डल के सदस्य बैंकिंग अनुभव वाले हों तथा रटाफ भी बैंकिंग अनुभव का हो ताकि इसके नियमों के आधार पर कार्य किया जा सके।

(४) व्यक्तिगत सदस्यता •

भारत में अग्रिकाण शीर्ष बैंकों में व्यक्तिगत सदस्यता है। इसके कारण सहकारी संगठन के ढाँचे में रुकावट आती है। साधारणतया व्यक्तिगत सदस्य प्रवन्ध मण्डल में भी सचानक निरुक्त हो जाते हैं। व्यक्तिगत सदस्य अपने आर्थिक हितों को रक्षा के लिये धन का दुरुपयोग करते हैं। पिछले वर्षों में व्यक्तिगत ऋण (जो कि मिनित्राद है) की मात्रा बढ़ती जा रही है।

इस सम्बन्ध में मित्रों समिति ने सुझाव दिया है कि शीर्ष बैंकों से व्यक्तिगत सदस्यता समाप्त करन व प्रयत्न करन चाहिए। शीर्ष बैंक सहकारी संगठन के ढाँचे में एक राज्य स्तर की शुद्ध संपीय इकाई होनी चाहिए अर्थात् उसमें केन्द्रीय बैंक ही सदस्य हो ताकि जान्दोवन को उचित प्रगति हो सके।

अन्य सुझाव

शीर्ष बैंक के विकास के लिए कुछ अन्य सुझाव भी हैं जो निम्न प्रकार हैं—

(१) शीर्ष बैंक व्यापारिक बैंकिंग कार्य भी करने हैं। इस सम्बन्ध में मुनाब यह है कि शीर्ष बैंक अपनी गतिविधियां को सहकारी क्षेत्र में नयी खोज करके बढ़ावे तो सहकारी आन्दोलन को गति प्रदान हो सकती है। विभिन्न क्षेत्रों के सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान करके नवीन कार्य क्षेत्र ढूँढना चाहिए जो कि सहकारिता के क्षेत्र में जा सकें। इनमें कार्य करन में व्यापारिक बैंकिंग कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा सुझाव इस सम्बन्ध में यह हो सकता है कि यदि व्यापारिक बैंकिंग कार्य करते भी हैं तो इन बैंकों द्वारा व्यापारिक कार्यों में ऋण नहीं देना चाहिए।

(२) शीर्ष बैंकों के विकास के लिए तथा उनको वित्तीय सहायता देन में सरकार को अग्रिक भाग लेना चाहिए। यद्यपि आजकल सरकार इनमें भागीदार होने लगे हैं किन्तु इनको इन बैंकों में अग्रिक धन लगाना चाहिए।

(३) मित्रों समिति ने सुझाव दिया है "संघीय समिति की प्रवन्धकारिणी मना में, सदस्य समितियों द्वारा प्रतिनिधित्वन समस्त महत्त्वपूर्ण हितों को प्रतिनिधित्व दिना जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होना चाहिए तथा प्रादेशिक या कार्यात्मक आधार पर स्थानों का आवंटन करना चाहिए।"

(४) सहकारी समिति के संरचना के स्पष्ट प्रतिरूप (Clear Structural Pattern) का ध्यान में रखना उत्त्यन्त आवश्यक है। इसका आशय है कि प्राथमिक समिति कवन व्यक्तिगत सदस्यों ने बनी होनी चाहिए, केन्द्रीय समिति केवल प्राथमिक समितियों में तथा शीर्ष सहकारी समितियां कवन केन्द्रीय सहकारी भास्व समितियों द्वारा निर्मित होनी चाहिए। विधित सदस्यता में अनेक अनियमिततायें उत्पन्न हो गयी हैं।

आज इण्डिया स्ट्रन क्रेडिट ग्विडू कमेटी रिपोर्ट १९६९ में शीर्ष बैंकों के निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं —

(१) जिन भागों में राज्य सरकारें, शीर्ष को बैंकों अथ पूंजी में योगदान, दीर्घकालीन निक्षेप, व्यवस्थापकीय अनुदान अथवा अन्य प्रकार की सुविधायें सुदृढ़

वना रही है, वहाँ राज्य सरकारों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक की सलाह से, बैंको के प्रबन्धक मण्डलों को अच्छी तरह से पुनर्संगठन किया जाना चाहिए।

(२) इन प्रकार की शीर्ष बैंको में रिजर्व बैंक को प्रत्येक बैंक में एक अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए जो प्रबन्धक मण्डल की बैठक में भाग ले सके और सहकारी शाख के पुनर्सं गठन तथा विस्तार के लिए आवश्यक सलाह प्रदान कर सके।

(३) जिन भागों में सहकारी शाख के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है वहाँ राज्य सरकारें शीर्ष बैंको की अग पुँजी के योगदान में वृद्धि करे ताकि पर्याप्त शाख प्रदान की जा सके।

(४) पुनसंठित शीर्ष बैंको में कुशल कर्मचारियों की व्यवस्था, उपयुक्त एवं प्रशिक्षण के माध्यम से करना चाहिए।

(५) कितने भागों में केन्द्रीय बैंक अच्छी स्थिति में नहीं है और वे अपने अन्तर्गत प्राथमिक कृषि शाख समितियों को पर्याप्त शाख समितियों को पर्याप्त सामन व्यवस्था नहीं कर पाती हैं वहाँ शीर्ष बैंक अपनी शाखा स्थापित कर सकती है। यह शाखा उस समय तक कार्य करे जब तक केन्द्रीय बैंक पुन संगठित न हो जाये और अच्छी तरह कार्य करने न लग जाये।

प्रश्न

१. शीर्ष बैंको अथवा राज्य सहकारी बैंको से आपका क्या अभिप्राय है ? इनके कार्यों का वर्णन कीजिए।
२. भारतवर्ष में वर्तमान समय में शीर्ष बैंको की क्या स्थिति है ? पञ्च-वर्षीय योजनाओं में इनकी प्रगति का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
३. शीर्ष बैंको की कौन-कौन सी मुख्य समस्याएँ हैं ? उनके समाधान के उनके समाधान के सुभाव दीजिए।
४. शीर्ष बैंको का सहकारी आन्दोलन में क्या स्थान है ? में किस प्रकार से आन्दोलन की प्रगति में सहायक होते हैं ?
५. भारत में शीर्ष बैंको की कार्यशील पुँजी के कौन-कौन से स्रोत हैं ? पञ्चवर्षीय योजनाओं में इन स्रोतों की स्थिति का वर्णन कीजिए।

दीर्घकालीन सहकारी साख (Long Term Cooperative Credit)

किसानों की साख सम्बन्धी आवश्यकताएँ अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन होती हैं। दीर्घकालीन ऋण की अवधि ५ वर्ष से लेकर २० से ३० वर्ष तक होती है। इस प्रकार के ऋण भूमि खरीदने, कुआँ बनवाने, बाजार भूमि के खेती योग्य बनाने, पुराने ऋण को चुकाने तथा भूमि के स्थायी विकास के लिये होते हैं। इन ऋणों की पूर्ति भारत में प्राचीनकाल से ही साहूकार तथा महाजन करते चले आये हैं। वर्तमान काल में सहकारी क्षेत्र में भूमि बन्धक बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ग्रामीण सहकारी समितियाँ केवल अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण ही प्रदान कर सकती हैं किन्तु दीर्घकालीन ऋण नहीं प्रदान करती हैं क्योंकि इनके पास लम्बी अवधि तक देने के लिये धन का अभाव होता है। भारतवर्ष में सन् १८८३ के भूमि सुधार ऋण कानून (Land Improvement Loans Act) के अन्तर्गत दीर्घकालीन तकलीफ ऋण की सुविधा प्रदान की गई थी। किन्तु अनेक बाधाओं के कारण यह विधि अधिक उत्तम सिद्ध न हो सकी। अतः भूमि बन्धक बैंकों का विकास इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया।

भूमि बन्धक बैंक (Land Mortgage Banks)

भूमि बन्धक बैंकों से तात्पर्य इस प्रकार के बैंकों से है जो कि किसानों को उनकी भूमि की जमानत पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ये बैंक सहकारिता के क्षेत्र में सीमित दायित्व वाली होती हैं जो किसानों को १५ वर्ष से २० वर्ष तक की अवधि के ऋण प्रदान करती हैं। कुछ देशों में अधिकतम अवधि २० वर्ष से भी अधिक है। हमारे देश में सभी भूमि बन्धक बैंक सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

भूमि बन्धक बैंको को सहकारी, अर्द्ध सहकारी तथा असहकारी (व्यापारिक) आदि तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। भारत में यह अर्द्ध सहकारी (Quasi cooperative) समूह है। यहाँ भूमि बन्धक बैंको का आधार सघात्मक है अर्थात् प्राथमिक समितियों में प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक होती हैं जिनके सदस्य व्यक्ति होते हैं और ये समितियाँ केन्द्रीय सरकारी भूमि बन्धक बैंको की सदस्य होती हैं। भारत में सन् १९६७ के अन्त तक १६ केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक थे और प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों की संख्या ७०७ थी।^१

आवश्यकता

भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अतः उनको अपनी कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता पड़ती है। किसानों को कुछ कार्यों में अधिक धन खर्च करना पड़ता है अतः अल्पकालीन में ऋण लेकर वापिस नहीं किया जा सकता है। इस परिस्थिति में दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। वे कार्य जिनमें अधिक व्यय करना पड़ता है, तथा जमीन खरीदने परियोजनाएँ लगाने, पुराने ऋणों को चुकाने, कुँआ खोदने तथा भूमि सुधारने आदि हैं।

ग्रामीण सहकारी साख समितियाँ कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं। लम्बी अवधि के ऋण प्रदान करने में व्यापारिक बैंक भी रुचि नहीं लेते। किसानों की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है जो कि दीर्घकालीन साख भुविधाएँ प्रदान कर सकें। जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है सन् १९८३ में भूमि सुधार कानून के अन्तर्गत तत्कालीन ऋण प्रदान किये जाते रहे हैं जो कि दीर्घकालीन होते हैं। यह व्यवस्था भी अनेक कठिनाइयों के कारण अधिक लोकप्रिय न हो सकी। ऐसी स्थिति में भूमि बन्धक बैंको की स्थापना अत्यन्त आवश्यक हो गयी।

भूमि बन्धक बैंकों के कार्य

(Functions of land Mortgage Banks)

भूमि बन्धक बैंको का प्रमुख कार्य किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है। ये ऋण भूमि को प्रथम बन्धक रखकर दिये जाते हैं। बैंक ऋण प्रदान करने की निम्नतम तथा अधिकतम सीमा निर्धारित कर लेती हैं। भारतवर्ष में निम्नतम सीमा ४०० रु० है और अधिकतम सीमा १०,००० से १५,००० रुपये तक है। दीर्घकालीन ऋण पुराने ऋण चुकाने अथवा भूमि सुधार के लिए जैसे मिचार्ड, कुँआ व मकान बनाने के लिए, भूमि जोतने योग्य बनाने के लिए, मशीनें तथा आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए दिये जाते हैं।

भूमि बन्धक बैंको के अन्य कार्य भूमि व वृद्धि विधियों में सुधार करना, किसानों के लिए मकान बनवाना तथा किसानों को भूमि खरीदने आदि में सहायता प्रदान करना है। भारतवर्ष में अधिकांश ऋण पुराने ऋणों को चुकाने में ही काम में

लिये गये है। यद्यपि आजका कृषि उत्पादन बायो में भी अधिक ऋण स्वीकार किये जाने लगे हैं। वर्ष १९६६-६७ में प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको द्वारा प्रदान किये गये ऋण की राशि ४० करोड़ रुपये थी जबकि वर्ष १९६५-६६ में ४१.२३ करोड़ रुपये हो गई।¹

सदस्यता

(Member ship)

भारतवर्ष में अधिकांश राज्यों में राज्य स्तर पर केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक हैं जो प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको की सघीय सदस्यताएँ हैं। केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको में प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक, अन्य समितियाँ तथा व्यक्तिगत सदस्य होते हैं। भारत वर्ष में ३० जून १९६७ को केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक १९ थी जिनकी सदस्यता में ८७२ प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंक व समितियाँ तथा ७७१,२५४ व्यक्ति सम्मिलित हैं।¹

भारत वर्ष में प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको की सदस्यता ३० जून १९६७ को ७०७ थी जिनकी कुल सदस्यता १२.५५ लाख थी।² इन बैंको में व्यक्तिगत सदस्य होते हैं।

कार्यशील पूँजी

(Working Capital)

प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको की कार्यशील पूँजी के निम्नलिखित स्रोत हैं—

(१) अंश-पूँजी (Share Capital)

प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको में अंश सदस्यों द्वारा खरीदे जाते हैं। अंशों में प्राप्त धन राशि का कार्यशील पूँजी में महत्वपूर्ण भाग होता है। अंश पूँजी की मात्रा के ऊपर ही अन्य प्रकार की निधियाँ निर्भर रहती हैं। प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको में अंश पूँजी बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को भी सदस्यता दी है जिनके पास भूमि नहीं है पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको की सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष १९५१-५२ में इन बैंको की अंश पूँजी केवल ५८ लाख रुपये थी जो कि १९६१-६२ में बढ़कर २.८३ करोड़ रुपये हो गई। १ वर्ष १९६६-६७ में इसमें और अधिक वृद्धि हुई है। इस वर्ष अंश पूँजी की राशि १४.१४ करोड़ रुपये हो गई।

(२) संचित कोष व अन्य कोष (Reserve Fund and other Funds)

संचित कोष व अन्य कोष भी प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको की कार्यशील पूँजी के अंग हैं। लाभ के एक निश्चित प्रतिशत को संचित अथवा अन्य कोषों में संचित कर लिया जाता है। हमारे देश में संचित कोष तथा अन्य कोषों की राशि वर्ष १९५१-५२ में क्रमशः १३ तथा ५ लाख रुपये थी जो कि वर्ष १९६१-६२ में बढ़कर क्रमशः ३९ तथा २९ लाख हो गई। वर्ष १९६६-६७ में पुनः वृद्धि हुई और राशि क्रमशः १०७ व ७९ लाख हो गई।

1 India 1969, P 271

2 The Times of India Directory and Year Book 1969 P 84

3 India 1969, P 271

(३) ऋण (Borrowings) -

प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको की कार्यशील पूंजी में सबसे महत्वपूर्ण भाग ऋणों का है। ये बैंक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों से ऋण लेते हैं। हमारे देश में सभी प्राथमिक बैंकों द्वारा लिए गए ऋण की राशि वर्ष १९५१-५२ में ६८४ करोड़ रुपये थी जो कि वर्ष १९६५-६६ में बढ़कर ११९-८४ करोड़ रुपये हो गई।

उपरोक्त विवरण स्पष्ट है कि भारत में प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों की कुल कार्यशील पूंजी वर्ष १९६६-६७ में १७३-५९ करोड़ रुपये थी।

केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको की कार्यशील पूंजी

(१) अंश पूंजी (Share Capital)

केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको की अंश पूंजी कार्यशील पूंजी का प्राथमिक साधन है। अंश पूंजी की मात्रा इतनी नहीं होती कि सभी प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको की वित्तीय आवश्यकताएँ पूर्ण की जा सकें। किन्तु फिर भी अंश पूंजी के आधार पर ही ऋण सुविधाएँ मिल सकती हैं। भारतवर्ष में वर्ष १९५१-५२ में अंश पूंजी ४४ लाख रुपये थी जो कि वर्ष १९६६-६७ में बढ़कर १८-९३ करोड़ रुपये हो गई। अंश पूंजी में वृद्धि होने के प्रमुख कारण संवस्था में तेजगति से वृद्धि नहीं है।

(२) संचित व अन्य कोष

कार्यशील पूंजी में संचित व अन्य कोषों की राशि भी सम्मिलित की जाती है। भारतवर्ष में केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको के संचित तथा अन्य कोषों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष १९५१-५२ में संचित एवं अन्य कोषों की राशि क्रमशः २१-२५ लाख एवं १२ लाख रुपये थी जो कि १९६६-६७ में बढ़कर क्रमशः १-९२ एवं १-६१ करोड़ रुपये हो गई।

(३) ऋण-पत्र

इन बैंको में मदद्यों द्वारा प्रदान की गई पूंजी की मात्रा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती है अतः ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। केन्द्रीय बैंको की कार्यशील पूंजी में ऋण-पत्रों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकारें केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको द्वारा निर्गमित ऋण-पत्रों की गारन्टी देती हैं। केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंको द्वारा ऋण के बदले में दिए गए बन्धक पत्रों (Mortgage Bonds) की जमानत पर ऋण पत्रों का निर्गमन करती हैं। भारतवर्ष में वर्ष १९५१-५२ में ऋण पत्रों की राशि ७८३ करोड़ रुपये थी जो कि वर्ष १९६१-६२ में बढ़कर ४७-७४ करोड़ रुपये हो गयी। वर्ष १९६६-६७ में इनकी राशि बढ़कर २३२-०३ करोड़ रुपये हो गयी।

(४) ऋण .

केन्द्रीय भूमि बन्धक-बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया तथा राज्य सरकार से ऋण प्राप्त करती हैं। वर्ष १९५१-५२ में कुल प्राप्त किए गए ऋण की राशि १-५३ करोड़ रुपये थी जो कि वर्ष १९६१-६२ में बढ़कर ५४-६ करोड़ रुपये हो गयी।

वर्ष १९६६-६७ में ऋण की राशि १०१ करोड़ रुपये थी। इन ऋणों की राशियों में निक्षेपों की राशि भी सम्मिलित है।

सिंकिंग कोष (Sinking Fund)

केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको द्वारा जो ऋण पत्र जारी किए जाते हैं उनकी अवधि समाप्त पर भुगतान करना पड़ता है। इसके पहले अवमोचन कोष (Redemption Fund) बनाया जाता था किन्तु आजकल रिजर्व बैंक के परामर्श के आधार पर सिंकिंग कोष निर्मित किया जाता है। प्रतिवर्ष कुछ धन राशि इस कोष में डालदी जाती है जो कि भविष्य में ऋण-पत्रों के भुगतान में काम में ली जाती है।

भूमि बन्धक बैंको की ऋण देने की नीति (Loaning policy of Land Mortgage Banks.)

भूमि बन्धक बैंक अपने सदस्यों को भूमि गिरवी रखकर दीर्घकालीन ऋण किस प्रकार के कार्यों के लिए लिया जा रहा है इस सम्बन्ध में विचार किया जाता है। बैंक सामान्यतः भूमि जो बन्धक के रूप में रखी गयी है, के दो तिहाई मूल्य तक ऋण प्रदान करती है। ऋण प्रदान करने से पूर्व कृषक की भूमिका योग्य एव अनुभवी अधिकारियों से मूल्यांकन कराया जाता है। ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य और कृषक की आय के बारे में जानकारी प्राप्त करके ऋण की राशि निश्चित की जाती है। भारत वर्ष में भूमि बन्धक बैंको द्वारा दिए जाने वाले ऋण की न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है। न्यूनतम सीमा ४०० रुपये है और अधिकतम सीमा १०,००० रु० से १५,००० रु० है। ब्याज की दर सामान्यतः ४ या ४.५० प्रतिशत है।

भारत में भूमि बन्धक बैंकों का विकास एव वर्तमान स्थिति

भारतवर्ष में १९ वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में भूमि बन्धक बैंको की स्थापना के प्रयत्न किये गये। ये प्रयत्न फ्रांस के आधार पर हुए किन्तु अनेक बाधाओं के कारण सफलता नहीं मिल सकी। २० वीं शताब्दी में प्रथम प्रयास १९२० में पंजाब के ज़ांग (Ghang) नामक स्थान पर किया गया। धीरे-धीरे पंजाब में इस प्रकार के बैंक की वृद्धि होने लगी। किन्तु मन्दी की स्थिति के कारण इन बैंको की स्थिति खराब हो गयी और पुराने ऋणों की धमूनों पर ही अधिक ध्यान दिया जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम सफल प्रयत्न १९२९ में मद्रास में किया गया। इस वर्ष यहाँ केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक खोला गया।¹ इस बैंक के कार्यों में सरकार की पर्याप्त सहायता मिली। इसके ऋण पत्रों को सरकार की गारन्टी प्राप्त हुई। राज्य में प्रारम्भिक बैंक पहले स्थापित हो चुकी थी। जिसकी स्थिति १९२९ की केन्द्रीय बैंक से सुदृढ़ हो गयी। धीरे-धीरे मैसूर, बम्बई, कोचीन, उड़ीसा में भूमि बन्धक बैंक स्थापित हुए। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई।

1 Reserve Bank, Review of Cooperative Movement 1939-40 p 36,

केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के आरम्भ में हमारे देश में कुल मिलाकर ६ केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक थे। तृतीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (१९६५-६६) में केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों की संख्या वर्ष १९५१-५२ की तुलना में तीन गुनी हो गई। ये बैंक राज्य स्तर पर सघीय संस्था हैं जो कि प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों के माध्यम से किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं। केन्द्रीय बैंक अपनी निधियाँ मुख्यतः ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त करती हैं। वर्ष १९६६-६७ में इन बैंकों की संख्या तथा सदस्य संख्या क्रमशः १९ तथा ७७२५२६ हो गई। इन बैंकों की प्रगति निम्न तालिका में स्पष्ट की गई है

केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक

विवरण	१९५१-५२	१९६१-६२	१९६६-६७	१९६६-६७
१. संख्या	७	१७	१८	१९
२. सदस्यता	३४,५७९	२,९९,३८३	४,०२,९३४	७७२५२६
३. अंश पूंजी (लाख रुपये)	४४	५७३	१५३९	१८९३
४. माचत कोष " "	२५	७४	१५७	१९२
५. अन्य कोष " "	२२	५६	१०८	१६१
६. ऋण पत्र " "	७८३	४७७४	१७८३७	२३२०३
७. ऋण (जमा सहित)	१५३	५४६	७२६	९०९
८. कार्यशील पूंजी " "	१०१७	६१७०	२०६५९	२६३५८
९. प्रदत्त ऋण " "	२५१	१४७५	५७४१	५८८५
१०. बकाया ऋण " "	८०५	४०९०	१६३२६	२०७३७

(Source India 19०9 P. 271)

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत में पञ्चवर्षीय योजनाओं में केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों की संख्या, सदस्य संख्या, कार्यशील पूंजी में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इन बैंकों द्वारा प्रदान किये गए ऋण में भी बहुत वृद्धि हुई है। विन्तु फिर भी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाई है। राज्य सरकारों ने तथा रिजर्व बैंक ने इन बैंकों के विकास में बहुत योगदान दिया है। सरकार ने ऋण पत्रों की गारन्टी दी है तथा सहानुभूति भी प्रदान की है।

जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है कि प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों की सदस्य होती हैं। इन बैंकों के विकास में केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों का हाथ महत्वपूर्ण रहा है। इन बैंकों की प्रगति का वर्णन नीचे दिया जा रहा है।

प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक

वितरण	१९६१-६२	१९६१-६१	१९६५-६६	१९६६-६७
१. असा पूंजी	५८	२८३	१११८	१४१४
२. संचित कोष	१३	३६	८८	१०७
३. अन्य कोष	५	२३	६७	७६
४. ऋण	६८४	३४८७	११६८४	१५७६०
५. कार्यशील पूंजी	७६०	३८३१	१३६९३	१७३५६
६ अदत्त ऋण	१३०	१२५६	४१२३	५०८५
७ वकाया ऋण	६६६	३५२८	१२४३३	१५४६७

(Source India 1969 P. 271)

प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको की सख्या वर्ष १९६६-६७ के ६७३ से ७०० हो गयी। इनसे से ४४८ आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा मंगूर में थी। इन बैंको की सदस्य संख्या १०४८ लाख से १३.५५ लाख हो गयी। इन बैंको के गतिवाद (Overdues) की राशि वर्ष १९६६-६७ के अन्त में ५७ करोड रुपये थी जबकि इसके पिछले वर्ष ४४ करोड रुपये थी।

भारतवर्ष में दक्षिणी भारत में प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको की संख्या उत्तरी भारत की तुलना में बहुत अधिक है। अतः दक्षिण भारत में इनको अच्छी प्रगति हुई। इतना होते हुए भी हमारे देश में भूमि बन्धक बैंक ग्रामीण दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पायी है। भूमि बन्धक बैंको की प्रगति के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं।

धीमी प्रगति के कारण (Causes of slow Progress)

भारतवर्ष में भूमि बन्धक बैंको के मार्ग में अनेको बाधाएँ हैं। विभिन्न बैंको के संगठन तथा संचालन में अनेको दोष है। योग्य संचालकों तथा कुशल कर्मचारियों का सदस्य अभाव रहा है। पूंजी की कमी विशेष बाधा रही है। इन बैंको की धीमी प्रगति के निम्नलिखित कारण हैं।

(१) सस्ती ब्याज दर का अभाव

भूमि बन्धक बैंको से सस्ते ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है किन्तु यह अभी सम्भव हो सकता है जबकि ये स्वयं कम ब्याज दर पर विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त कर सकें। हमारे देश में अनेको कठिनाइयाँ के कारण ये बैंक सस्ती दर पर व पर्याप्त मात्रा में निधियाँ नहीं प्राप्त कर पाती हैं अतः वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं होती है। स्वयं ये बैंक ऊँची ब्याज दर पर निधियाँ प्राप्त करके सस्ती ब्याज दर पर ऋण देने में असमर्थ हैं।

(२) प्रबन्ध कुशलता में कठिनाई

भारतवर्ष में भूमि बन्धक बैंको के सामने प्रबन्ध कुशलता की बहुत बड़ी कठिनाई है। योग्य अनुभवों एवं उत्साही सचालकों की कमी पायी जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कमचारियों भी अनुभवहीन तथा अप्रशिक्षित होते हैं। इसके कारण उनमें कार्यक्षमता का अभाव पाया जाता है। इनकी कार्यक्षमता पर ही बैंको की कार्यक्षमता निर्भर करती है। बैंको की प्रबन्ध समितियाँ द्वारा निणय भी उचित व शीघ्र नहीं लिये जाते हैं जिससे ऋण मिलने में बहुत देर हो जाती है।

(३) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की उदासीनता

इस बैंक की स्थापना के पश्चात् एक नम्बी अवधि तक इसमें दीघकालीन ऋणा की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त यह बैंक आरम्भ में कई वर्षों तक शायीय व्यक्तियों के वित्तीय तथ्यों पर अध्ययन नहीं करवा पायी। यद्यपि आजकल रिजर्व बैंक इस तरफ ध्यान दे रही है किन्तु इने अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

(४) किसानों की ऋण चुकाने की क्षमता का ज्ञान नहीं

भारतवर्ष में भूमि बन्धक बैंको के समान यह समस्या रही है कि किसानों की ऋण चुकाने की क्षमता का पता किस प्रकार लगाया जाय। इसका कारण यह रहा है कि भारतवर्ष में वर्षा अनिश्चित एवं अनियमित है अतः फसल वर्षा पर निर्भर रहती है। जिस वर्ष वर्षा अच्छी नहीं होती अथवा अधिक हो जाती है फसलें नष्ट हो जाती हैं फलतः किसान अपनी ऋण अदायगी की क्षमता नहीं जमा करा पाते हैं।

(५) भारतीय किसानों की अज्ञानता

अधिकांश भारतीय किसान विलुक्त अधिक्षित हैं अतः भूमि बन्धक बैंको के महत्व को भी नहीं समझते हैं और इनमें सदस्यता ग्रहण नहीं करते। आज भी यह समस्या बनी हुई है। किसान इन बैंको के लाभ को उठाने की वजाय साहूकारों तथा महाजनों से ऋण प्राप्त करना अधिक उत्तम समझते हैं। इस कठिनाई के कारण इन बैंको का विकास तेज गति में नहीं हो पाया।

(७) ऋणों की स्विकृति में विसम्बन्ध

बैंको के सामने जनेको कठिनाइयों तथा कमचारियों व सचालकों की अयोग्यता के कारण ऋणा की स्विकृति में विसम्बन्ध हो जाता है। कुछ भूमि बन्धक बैंको को ऐसा स्थिति है कि उनके सामने वित्तीय समस्या बहुत भयंकर होती है और वे ऋणा की स्विकृति लम्बी अवधि तक नहीं कर पाती हैं। इससे उनकी रूपाय पर बुरा प्रभाव पड़ना है। ऋणा की स्विकृति में देरी हो जाने से जिस उद्देश्य के लिये ऋण लिये जाते हैं वह पूरा नहीं हो पाता है।

(८) अधिकांश ऋण, ऋण चुकाने के लिये

भारतवर्ष में किसानों द्वारा भूमि बन्धक बैंको से लिया गया ऋण अपने पुराने ऋण चुकाने के लिये ही काम में लिया जाता रहा है। उत्पादक कार्यों में

ऋण काम न लेने के कारण किसानों की ऋण चुकाने की क्षमता कम हो जाती है फलतः वे ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं। आजकल उत्पादक कार्यों के लिये ऋण प्रदान किये जाने लगे हैं।

(९) ऋण प्रदान करने की कार्यविधि कठिन

भूमि बन्धक बैंको से ऋण प्राप्त करने के लिये- किसानों को लम्बी एवं कठिन कार्य विधि से गुजरना पड़ता है। किसानों को तहसीलदार से भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र लेना पड़ता है और इसके अतिरिक्त अनेको प्रमाण पत्र लेने पड़ते हैं जिन्हें अनपढ़ किसान लेने में पर्याप्त कठिनाई महसूस करते हैं।

(१०) पूँजी की कमी

पूँजी की लगभग सभी भूमि बन्धक बैंको के सामने एक समस्या है। प्राचीन जनता अशिक्षित होने के कारण असा नहीं खरीद पाती है। फलतः प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक अधिक असा पूँजी नहीं जुटा सकती हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको से भी आवश्यकतानुसार ऋण नहीं मिल पाता है। वित्त के अभाव से इन बैंको की कार्य विधि में बहुत असुविधा रहती है।

(११) अन्य

भारतवर्ष में साहूकारों तथा महाजनो के साथ इन बैंको की प्रतिस्पर्धा बनी है। महाजनो तथा साहूकारों द्वारा अनेक सुविधायें दिये जाने के कारण अधिक व्याज दर पर भी किसान ऋण लेते रहे हैं। इस बाधा के अतिरिक्त भूमि स्वामित्व प्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण अनेको किसान इन बैंको की सेवा से वंचित रहे।

उपरोक्त कठिनाइयों के कारण भारत में भूमि बन्धक की प्रगति तेज गति से नहीं हो सकी। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने इन बैंको की स्थिति सुधारने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

(A) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक

- (१) प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक स्थापित होनी चाहिये।
- (२) जो वास्तुकारों नियम (Tenary laws) भूमि बन्धको बैंको के नियोजित विकास में बाधक हैं उनमें उपयुक्त सुधार किया जाना चाहिये।
- (३) बन्धक का पंजीयन साधारण तथा सस्ता होना चाहिये। इसके अतिरिक्त पंजीयन में अनुचित समय भी नहीं लगाना चाहिये। साधारणतः पंजीयन के लिये अधिक समय लग जाता है जिससे अनेको असुविधायें हो जाती हैं।
- (४) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको की असा पूँजी में सरकार का भाग कम से कम ५१ प्रतिशत होना चाहिये। यदि आवश्यकता पड़े तो यह भाग अधिक भी किया जा सकता है जिसमें वित्तीय कठिनाइयाँ कम की जा सकें।
- (५) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको की असा पूँजी में भाग लेने का प्रावधान अपन नियमों में करे।

(६) भारत में अधिकांश ऋण, पुराने ऋणों को चुकाने के काम में लिये जाते रहे हैं किन्तु उत्पादक कार्यों के लिये ऋण दिया जाना चाहिये ।

(७) उत्पादक कार्यों के लिये द्वितीय तथा तृतीय ऋण व्यवस्था भी की जानी चाहिये । अर्थात् भूमि बन्धक बैंको को इस प्रकार का अधिकार दिया जाना चाहिये ताकि किसानों को द्वितीय व तृतीय ऋण उत्पादक कार्यों के लिये दे सकें ।

(८) विभिन्न उद्देश्यों के लिये प्रदान किये जाने वाले ऋणों की बापसी की अवधि पूर्व निर्धारित कर देनी चाहिये ।

(९) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक ऋण पत्र जारी करे तो वे भिन्न भिन्न अवधि के लिये हो जिससे कि विभिन्न उद्देश्यों के लिये ऋण देने के लिये उचित निधियाँ हो सकें । इसके अतिरिक्त प्राथमिक ऋण पत्र भी जारी किये जाने चाहिये ।

(१०) केन्द्रीय भूमि बन्धक द्वारा विशेष विकास ऋण पत्र जारी किये जाने पर रिजर्व बैंक इनको खरीवे ।

(११) राज्य सरकारें इन बैंकों के ऋण पत्रों की गारण्टी दें ।

(१२) रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को ऋण पत्रों के प्रभावनाओं बाजार बनाने में सहायता करनी चाहिये ।

(B) प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक (Primary land Mortgage Banks)

(१) प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको की स्थापना से पूर्व क्षेत्र की उपलब्ध जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये ।

(२) प्राथमिक बैंक का क्षेत्र न तो अधिक बड़ा होना चाहिये और न अतिक छोटा अर्थात् आर्थिक आकार होना चाहिये ।

भारत में भूमि बन्धक बैंको की उन्नति के लिये रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें उचित प्रयत्न करें । भूमि बन्धक बैंको के संगठन तथा वित्तीय स्थिति सुधारने में इनका महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है । भारत में कृषि के विकास की नीति के अनुसार तेज गति के विकास के लिये दीर्घकालीन ऋणों का भी विशेष महत्व होगा । अतः इन बैंको के विकास के लिये प्रयत्न करना चाहिये ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (१९६१-७४) में भूमि बन्धक बैंको के विस्तार का कार्यक्रम रखा गया है । इन बैंकों के विस्तार में तथा इन बैंको को विभिन्न सुविधायें प्रदान करके चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक कृषि विकास के लिये ७०० करोड़ रुपये की ऋण सुविधायें प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष १९६८-६९ में दीर्घकालीन ऋणों की राशि १०० करोड़ रुपये थी । इस बड़े अन्तर को पाटने के लिये भूमि बन्धक बैंको को अधिक वित्तीय सुविधायें रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा केन्द्रीय व राज्य सरकारें प्रदान करेंगी । आशा है भविष्य में ये बैंक कृषि विकास के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभप्रद हो सकेंगी ।

प्रश्न

१. भूमि बन्धक बैंको से आपका क्या अभिप्राय है ? इनके क्या क्या कार्य हैं ? भारत में इनकी वर्तमान स्थिति का विवेचन कीजिये ।
 २. भूमि बन्धक बैंको के कार्यों का विवरण देते हुये लिखिये कि इनकी बीमो प्रगति के क्या कारण है ।
 ३. भारतवर्ष में भूमि बन्धक बैंका की क्या-क्या समस्याये हैं ? इनके विकास के लिये सुझाव दीजिये ।
 ४. भारतीय किसानों की दीर्घकालीन ऋण आवश्यकताओं को भूमि बन्धक बैंक कहाँ तक पूरी कर पाये हैं ? क्या आप कोई सुधार के लिये सुझाव देना चाहेंगे ?
 ५. पञ्चवर्षीय योजनाओं में भूमि बन्धक बैंक की प्रगति पर टिप्पणी लिखिये ।
-

सहकारी विपणन (Cooperative Marketing)

विपणन का आशय क्रोता तथा विक्रेताओं को निकट लाने की क्रिया से है। वस्तुओं के उत्पादक से अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए जिन-जिन कार्यों को करना पड़ता है वे सभी विपणन के अन्तर्गत आते हैं। यदि वे कार्य सहकारिता के आधार पर किये जायें तो इसे सहकारी विपणन कहा जाता है। विपणन के अन्तर्गत पैदावार को एकत्र करना, श्रेणीकरण, प्रविधिकरण (Processing), यातायात व्यवस्था, वस्तुओं का भण्डारण, उपभोक्ताओं तक माल पहुँचाना, विक्रय के लिए वित्त व्यवस्था आदि कार्य सम्मिलित किये जाते हैं। सहकारी विपणन में सहकारी समितियों द्वारा ये कार्य किये जाते हैं।

आवश्यकता (Need)

भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में सहकारी विपणन का बहुत महत्व है। कृषि पदार्थों के विपणन में मध्यस्थ तथा व्यापारी लाभ कमाते हैं जिससे वस्तुओं के मूल्यों में बहुत वृद्धि हो जाती है। इन आवश्यक खर्चों को कम करने के लिए और उत्पादक तथा उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करने के लिए विश्व के प्रायः सभी देशों में सहकारी विपणन के महत्व को स्वीकार किया है। इस व्यवस्था में किसान अपनी उपज को व्यापारियों अथवा अन्य मध्यस्थों को न बेचकर सहकारी समितियों को देते हैं। कहीं-कहीं पर ये समितियाँ कमीशन एजेंट अथवा आइडलिये का काम करती हैं। इससे एक मध्यस्थ वर्ग जो कि किसानों और उपभोक्ताओं के मध्य होता है, समाप्त हो जाता है। कुछ सहकारी समितियाँ किसानों से माल खरीद कर उसे बाजार में बेचने कायम बनाती हैं। और उसे बेचकर जो लाभ प्राप्त करती हैं वे या तो सदस्यों में बाँट देती हैं या किसानों के कल्याणार्थ अन्य कार्यों में लगा देती हैं। सहकारी विपणन का महत्व निम्न प्रकार है।

(१) कृषि उपजों के विपणन में अनेकों बुराइयाँ प्रचलित हैं :—इनमें से तोल में गड़बड़ी, दलाल व क्रोताओं के मध्य गठबन्धन, उत्पादन की कीमत में कटौतियाँ

आदि प्रमुख हैं। इस बुराई को काफी सीमा तक सहकारी विपणन दूर कर सकती है।

(२) सामान्यतः मध्यस्थ जो सेवार्यो विपणन को प्रदान करते हैं उनके बंदों में वे अधिक पैसे वसूल करते हैं इससे एक तरफ किसानों को उनके उत्पादन का कम भाग प्राप्त होता है और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। विश्व के अनेक देशों में इस बुराई को दूर करने के लिए महकारी विपणन का सहारा लिया गया है और बहुत हद तक इस बुराई को दूर किया गया है।

(३) आजकल मूल्य वृद्धि की समस्या बहुत भयंकर है। समष्टित सहकारी विपणन व्यवस्था से मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है कि मध्यस्थों के न रहने से उनके द्वारा बड़ी मात्रा में लाभ समाप्त हो जायेगा। फलतः वस्तुओं के मूल्य नीचे होंगे। इसके अतिरिक्त किसानों को पूर्व की अपेक्षा अधिक मूल्य मिल सकेगा।

(४) हमारे देश में सहकारी विपणन के विकास का एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। सहकारी माल के प्रसार के लिए सहकारी विपणन समितियाँ बहुत महत्त्व की हो सकती हैं। सहकारी माल समितियों द्वारा जो ऋण किसानों को प्रदान किया जाता है उसको वापिसी में सहकारी विपणन समितियाँ महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। अतः सहकारी माल के अधिक विकास में सहकारी विपणन का महत्त्वपूर्ण स्थान हो सकता है।

(५) किसानों को आर्थिक शिक्षा प्रदान करने में सहकारी विपणन समितियाँ अधिक सहायक हो सकती हैं। सहकारी विपणन में किसानों की स्वयं की समस्याएँ उन्हीं के प्रयत्नों से दूर की जाती हैं जो कि उनको मूलभूत आर्थिक सत्य की शिक्षा देती हैं। सहकारी समितियाँ किसानों को बताती हैं कि विपणन की समस्या और उत्पादन की समस्या बहुत निकट से सम्बन्धित हैं।¹

(६) सहकारी विपणन से किसान की स्थिति एक विक्रेता के रूप में सुधर हो जाती है। छोटी मात्रा में माल बेचने की बजाय बड़ी मात्रा में माल बेचा जाता है।

सहकारी विपणन समितियों के कार्य

सहकारी विपणन समितियों के कार्य निम्नलिखित हैं

(१) उपज का विक्रय

सहकारी विपणन समितियाँ अपने सदस्यों के माल को बाजार में बेचने का कार्य करती हैं। किसान अपनी उपजों को इन सहकारी समितियों को दे देते हैं। ये सहकारी समितियाँ उस माल को उचित मूल्य पर या तो थोक व्यापारियों या बाजार में बेच देती हैं।

(२) ऋण सुविधायें

सहकारी विपणन समितियाँ अपने सदस्यों को उनकी उपज को बन्धक रखकर

उनकी आर्थिक सहायता करती है। किसानों को उनकी उपज के लिए कभी-कभी कुछ मात्रा में आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है इसकी पूर्ति ये समितियाँ ऋण प्रदान करके करती हैं। फसल आ जाने पर समितियाँ प्रदान किये गये ऋण की मात्रा वसूल कर लेती है।

(३) सग्रह व्यवस्था

सहकारी विपणन समितियाँ अपने सदस्यों की उपजों को एकत्रित करती हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनके पास भण्डारण की व्यवस्था नहीं होती। विपणन समितियों के पास गोदाम होते हैं जिनमें अपने सदस्यों की उपजों को एकत्रित कर लेती हैं।

(४) बर्गीकरण (Grading)

उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिये उसको बर्गीकृत किया जाता है। यह कार्य किसान व्यक्तिगत स्तर पर नहीं कर सकते हैं। माल के बर्गीकरण से अच्छे किस्म के माल का मूल्य मिल जाता है।

(५) संचयन (Pooling)

सहकारी विपणन समितियाँ संचयन का काम करती हैं जिससे मूल भाव की शक्ति बढ़ जाती है। संचयन के कारण माल बड़ी मात्रा में एक साथ बेचा जा सकता है। उसको थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बेचने की आवश्यकता नहीं होती।

(६) यातायात व्यवस्था

सहकारी विपणन समितियाँ अपने सदस्यों के माल के लिये यातायात की व्यवस्था करती हैं। खेतों से माल को भण्डार गृहों तक लाने की व्यवस्था ये समितियाँ करती हैं। इसके अतिरिक्त माल को बेचने के लिए बाजार तक पहुँचाने के लिये भी परिवहन व्यवस्था करती हैं।

(७) उपज वृद्धि में सहायता

ये समितियाँ उपज बढ़ाने के लिए वृष्टि आवश्यकता की सामग्री के वितरण की व्यवस्था करती हैं। साधन समितियाँ उपज बढ़ाने के लिए औजार, बीज, उर्वरक आदि आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराती हैं।

(८) अन्य :

सहकारी विपणन समितियाँ कहीं-कहीं पर कमीशन एजेंट का कार्य भी करती हैं। सरकार की वसूली (Procurement) तथा मूल्य निर्वाह नीति (Price Support Policy) के अनुसार उनको सहायता प्रदान करती हैं।

विपणन समितियों का कार्य क्षेत्र

प्राथमिक विपणन समितियों का कार्यक्षेत्र मण्डी स्तर तक होता है। मण्डियों में त्रय-विक्रय का कार्य होता है जहाँ पर उपज की विक्री होती है और किसान यहाँ अपनी बेटी की आवश्यकताओं की वस्तुएँ खरीदने आते हैं। भारतवर्ष में द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत इन समितियों का पुनर्गठन विभिन्न मण्डी स्तरों पर किया गया।

सदस्यता (Membership)

सामान्यतः इन समितियों की सदस्यता व्यक्तिगत उत्पादकों और कार्य क्षेत्र में विद्यमान ग्राम समितियों के लिए खुली होती है। इन समितियों की पूंजी में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह भी सुझाव है कि इन समितियों में उपभोक्ताओं को भी सदस्य बनाया जाये। इस तरफ अभी तक कोई विशेष कदम नहीं उठाये गये हैं।

विपणन समितियों का ढाँचा

भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में विपणन समितियों का ढाँचा दो या तीन सीढियों का है। दोनों प्रकार के ढाँचे ही महत्वपूर्ण हैं। दो सीढियों वाले ढाँचे में बाजार स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियाँ होती हैं और राज्य स्तर पर शीर्ष विपणन समितियाँ। तीन सीढियों के ढाँचे में शीर्ष सस्थाओं और प्राथमिक सस्थाओं के मध्य केन्द्रीय सस्थायें होती हैं। किन्तु आजकल यह ढाँचा चार सीढियों वाला हो चुका है क्योंकि सन् १९५८ में राष्ट्रीय स्तर पर एक सस्था (राष्ट्रीय कृषि विपणन सघ) की स्थापना हो चुकी है। भारतवर्ष में जून १९६६ के अन्त में एक राष्ट्रीय कृषि विपणन सघ, २० शीर्ष विपणन समितियाँ (राज्य स्तर) १६० केन्द्रीय विपणन समितियाँ तथा ३१६६ प्राथमिक विपणन समितियाँ थी।

वित्त व्यवस्था

सहकारी विपणन समितियों की वित्त व्यवस्था के लिए अंश पूंजी, सचिव कोष, सरकार तथा रिजर्व बैंक से लिया गया ऋण, गैर सदस्यों से लिया हुआ ऋण, सदस्यों तथा गैर सदस्यों की अमानत आदि स्रोत हैं। ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंक में मुख्य रूप में प्राप्त होता है। भारतीय सहकारी बैंक (State Bank of India) इन समितियों को कृषि उपज की जमानत पर ऋण प्रदान करती है। जून १९६६ के अन्त में प्राथमिक विपणन समितियों की कार्यशील पूंजी ६३ ७० करोड़ रुपये, और केन्द्रीय विपणन समितियों की कार्यशील पूंजी १७ ३१ करोड़ रुपये थी। राष्ट्रीय तथा शीर्ष विपणन सस्थाओं की कार्यशील पूंजी क्रमशः ३१ लाख रुपये तथा ४०.०७ करोड़ रुपये थी।¹

सहकारी विपणन समितियों के लाभ

सहकारी विपणन समितियों से किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होता है किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल जाता है और उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर वस्तुएँ उपलब्ध हो जाती हैं। देश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म वृद्धि की समस्या बहुत भयकर है। इस समस्या के समाधान में भी इन समितियों के मुख्य लाभ निम्न प्रकार हैं

(१) अनावश्यक मध्यस्थ वर्ग की कमी

सहकारी विपणन समितियाँ अनावश्यक मध्यस्थ वर्ग को समाप्त करती हैं। यह वर्ग किसानों और उपभोक्ताओं के मध्य कार्य करते हैं। ये किसानों से माल सस्ते भाव पर खरीद कर बाजार में ऊँचे मूल्य पर क्रेताओं को बेचते हैं। इस प्रकार यह

वर्ग बड़ी मात्रा में लाभ कमाता है। सहकारी विपणन समितियाँ स्वयं यह कार्य करती हैं जिससे मध्यस्थ वर्ग समाप्त होने लगता है। प्रायः विश्व के अनेक देशों में सहकारी विपणन ने इन मध्यस्थों की बुराइयों को समाप्त किया है।

(२) माल रोकने की क्षमता

प्रायः किसान अपनी उपजों को महाजनो व अन्य लेनदारों को फलन निकालते हैं वेच देते हैं। क्योंकि इन लोगों से किसान ऋण लेते हैं। वे अपनी उपजों को ग्राहकों अथवा महाजनो की इच्छानुसार भाव पर माल बेच देते हैं। किसानों में अपने माल को अनुकूल भावों तक रोकने की क्षमता नहीं होती है। यह क्षमता सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से लायी जा रही है। ये समितियाँ किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान भी करती हैं।

(३) मोल भाव की क्षमता में वृद्धि

सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से किसानों की मोलभाव करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इनके अभाव में किसानों को प्रतिकूल मूल्यों पर भी माल बेचना पड़ जाता है। क्योंकि भारतीय किसानों के सामने अनेको समस्याएँ हैं जिनके कारण वह मोल-भाव नहीं कर सकते। मोल-भाव करने की क्षमता में वृद्धि होने से किसानों को अधिक मूल्यों की प्राप्ति में अधिक स्थिति अच्छी होने लगती है। उनको अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है।

(४) आय में वृद्धि

किसानों की आय में सहकारी विपणन से दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है। प्रथम, इनको अनेक उत्पादों के अनुसार पर्याप्त मूल्य मिल जाता है तथा द्वितीय, समितियों को जो लाभ होता है वह सदस्यों को मिल जाता है अथवा उनके कल्याण कार्यों में लगा दिया जाता है।

(५) वित्तीय सहायता

किसानों के माल को रख कर सहकारी विपणन समितियाँ उनको ऋण भी प्रदान करती हैं जिसमें उनको माल शीघ्र नहीं बेचना पड़ता है क्योंकि उनकी वर्तमान आवश्यकताओं के लिए सहायता मिल जाती है। माल को भविष्य में उचित मूल्य हो जाने पर बेचा जाता है।

(६) कृषि उत्पादन में वृद्धि :

कृषि उत्पादन तथा कृषि विपणन दोनों एक दूसरे से बहुत धनिष्ठ सम्बन्धित हैं। सहकारी विपणन से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है फलतः वे उत्पादन कार्यों में नवीन विधियों का प्रयोग करने हैं। जिससे उत्पादन में और तेज गति से वृद्धि होती है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनमें बीज छोटे-मोटे विकास के साधन आदि के लिये ये समितियाँ वित्तीय साधन जुटाती हैं।

(७) सहकारी साख अन्दोलन में सहायक

सहकारी साख समितियों के कार्य को सहकारी विपणन समितियाँ सरल बना देती हैं। साख समितियों के द्वारा प्रदान किये गये ऋण की वसूली में विपणन समि-

तियाँ बहुत सहायता पहुँचाती हैं। ये समितियाँ माल बेचकर साख समितियों को ऋण वापस कर देती हैं। भविष्य में सहकारी साख के विकास में विपणन समितियाँ बहुत सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त सहकारी विपणन समितियाँ किसानों के माल का विज्ञापन करती हैं। ये समितियाँ देश के अनेक भागों के थोक व्यापारियों व बड़े उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित कर सकती हैं और माल का उचित मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर किसानों को ये समितियाँ उचित परामर्श भी देती हैं।

भारत में आरम्भ में धीमी प्रगति (Initial slow Growth in India)

विपणन समितियों के विभिन्न लाभ होते हुए भी सहकारी अधिनियम बनने से एक लम्बी अवधि तक इनका विकास नहीं हो पाया। भारत में आरम्भ में सहकारी साख का विकास हुआ किन्तु देश के किसी भी भाग में सहकारी विपणन के विकास की तरफ सगठित प्रयास नहीं किया गया। हमारे देश में कुछ राज्यों में १९४० के पश्चात् सहकारी विपणन की प्रगति हुई।¹ अन्य भागों में इस क्षेत्र में सीमित विकास हुआ। सामान्यतया ये विपणन समितियाँ कृषि पदार्थों के विपणन का कार्य करती थीं। उत्तर प्रदेश में गन्ना समितियों के विकास के साथ-साथ सहकारी विपणन आन्दोलन तेज गति में बढ़ने लगा।

सहकारी योजना समिति (The Cooperative Planning Committee) ने सुझाव दिया कि १५ वर्षों में भारत में विपणन के लिए २००० प्राथमिक विपणन समितियाँ जो कि २००० मण्डियों के क्षेत्रों के लिए होंगी, स्थापित की जानी चाहिये। इनके अलावा ११ राज्य स्तरीय विपणन समितियाँ और एक अखिल भारतीय स्तर का विपणन संघ स्थापित किया जाना चाहिए। ये सुझाव कार्य रूपा में परिणित नहीं हो पाये। सन् १९५१ में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने सर्वेक्षण किया और देखा कि हमारे देश में सहकारी विपणन समितियों की स्थिति ठीक नहीं है। इस समिति के अनुसार भारत में कुछ ही समितियाँ ऐसी थीं जो तत्कालता से कार्य कर रही थीं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार ने सहकारी विपणन और साख दोनों पर जोर दिया। इस योजना में सहकारी विपणन के सम्बन्ध में कोई विशेष नक्ष्य निर्धारित नहीं किये जा सके जिसमें नियोजित प्रगति सम्भव नहीं हो सकी। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने इस तरफ ध्यान देने के लिए पर्याप्त सुझाव दिये जिनके आधार पर द्वितीय योजना में प्रगति की गई। भारत में प्रथम योजना के अन्तिम वर्ष (१९५५-५६) में कुल ५३ करोड़ रुपये की कृषि उपज का विपणन इन समितियों द्वारा दिया गया।

1. The cooperative planning committee (1945) observed that in the early forties, cooperative marketing of agricultural produce had made some progress in states like Madras, Bombay, Uttar Pradesh and Panjab "Indian cooperative Review, Oct 1968 P 49"

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अच्छी प्रगति—अखिल भारतीय ग्रामीण माल सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के आधार पर द्वितीय योजना में सहकारी विपणन का कार्यक्रम चालू किया गया। द्वितीय योजना के अन्तर्गत विपणन समितियों के गठन के सम्बन्ध में भन्तीयोजनाक प्रगति हुई। सन् १९५८ में मण्डी स्तरों पर इन समितियों का पुनर्गठन किया गया। प्राथमिक समितियों के शीर्ष या राज्य स्तरीय संगठन अनेक राज्यों में स्थापित हुए। कुछ राज्यों, जैसे उत्तरप्रदेश आदि में इस प्रकार का संगठन इस योजना में पूर्व ही गया था। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सघ की स्थापना हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक समितियों के पुनर्गठन के अतिरिक्त राज्य स्तर पर सहकारी विपणन सघों के लक्ष्य निर्धारित किये गये। ग्रामीण एवं बाजार स्तरों पर गोदामों के निर्माण तथा सहकारी विपणन के लक्ष्य निर्धारित किये गये। विभिन्न प्रकार की विपणन समितियों की सहायता के लिए योजना में वित्त व्यवस्था की गयी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १८०० प्राथमिक विपणन समितियाँ और १५०० गोदाम बनाने का निश्चय किया गया था। इस काल से विभिन्न प्रयत्नों से यह आशा की गयी कि कृषि उपजों के बिक्रय का १०% सहकारी विपणन द्वारा हो सकेगा। वर्ष १९६०-६१ में विपणन समितियों द्वारा १७५ करोड़ रुपये की कृषि उपज का विपणन इन समितियों द्वारा किया गया। इस काल में समितियों ने सहकारी सहायता से मण्डी स्तर पर १७०० गोदाम एवं ४१७० ग्रामीण गोदाम बनाये।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रगति

तृतीय पंचवर्षीय योजना में द्वितीय योजना में चालू किये गये प्रयत्नों के आधार पर विकास किया गया। इस काल में सहकारी विपणन का विस्तार किया गया और इस आन्दोलन को अधिक शक्ति प्रदान की गयी। सरकारी सहायता के अतिरिक्त राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation) ने अपनी निधियों में से वित्तीय सहायता प्रदान की।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में ५४४ नयी विपणन समितियाँ गठित करने का लक्ष्य रखा गया। इन काल में किस्म निर्धारण के लिये आवश्यक सामान व कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया गया।

तीसरी योजना के अन्तर्गत विपणन समितियों द्वारा मण्डी स्तर पर ९०० गोदाम बनाने और लगभग ९४०० ग्रामीण गोदाम बनाने का लक्ष्य रखा गया। इन प्रयत्नों में योजना के अन्त तक १२ लाख टन अतिरिक्त माल रखने की क्षमता हो सकेगी। इस योजना में ३३ सात भण्डारों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया।^१

जून १९६६ तक भारत में प्राथमिक, केन्द्रीय, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः ३१९६ एवं १६० और २० तथा विपणन समितियाँ थीं। तीसरी योजना के अन्त तक गोदाम क्षमता २५ लाख टन थी जो कि द्वितीय योजना के अन्त तक ७५ लाख टन थी। तीसरी योजना के अन्त तक सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से देखे गये माल की राशि ३६० करोड़ रुपये थी। इनमें से काद्यान्न १३७ करोड़ रुपये, चन्ना १४७ करोड़ रुपये तथा अन्य फसलें ७६ करोड़ रुपये थी।

पिछले वर्षों में विपणन समितियों ने कुछ वस्तुओं के निर्यात में पर्याप्त सहयोग दिया है। यह कार्य राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन सघ द्वारा सम्पन्न किया जाता है। प्राथमिक समितियाँ विभिन्न वस्तुओं के निर्यात के लिए तैयार करती हैं। वर्ष १९६५-६६ में ६५.६१ लाख रुपये की वस्तुओं का निर्माण विपणन समितियों के माध्यम से किया गया।

वार्षिक योजनाएँ एवं चतुर्थ योजना

तृतीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात् १९६६-६६ में वार्षिक योजनाएँ चलती रही। १९६६-६७ में सहकारी विपणन समितियों द्वारा बेची गयी वस्तुओं का मूल्य ३३८ करोड़ रुपये था जो कि वर्ष १९६७-६८ में बढ़ कर लगभग ४०० करोड़ रुपये हो गया। वर्ष १९६८-६९ में इन समितियों का अनुमानित विक्रय ४७५ करोड़ रुपये का था। इन वर्षों में खाद्यान्न तथा गन्ना का विपणन में प्रमुख स्थान रहा। इन वर्षों में सहकारी विपणन को सहकारी माख के साथ जोड़ने के भी पर्याप्त प्रयत्न किये गए। वर्ष १९६६-६७ में सहकारी विपणन समितियों के कुल उत्पादन में सम्बन्धित ऋण की वसूली ४६ करोड़ रुपये थी जो कि वर्ष १९६०-६१ में केवल १० करोड़ रुपये ही थी।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र में अधिक विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के आरम्भ में हमारे देश में लगभग ३२०० प्राथमिक विपणन समितियाँ थीं जिनमें से ५०० विशेष वस्तुओं की विपणन समितियाँ थीं। ऊँचे स्तर पर २० शीर्ष विपणन समितियाँ तथा तीन वस्तु विपणन सघ राज्य स्तर पर थे। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन सघ था। इस योजना के आरम्भ में १७३ केन्द्रीय विपणन समितियाँ थीं।

योजनाओं में प्रगति एवं चतुर्थ योजना के लक्ष्य

वर्ष	बेचे गये मान की राशि (करोड़ रुपये)
१९५०-५१	४७
१९५५-५६	५३
१९६०-६१	१७५
१९६५-६६	३६०
१९६८-६९ (संभावित)	४७५
१९७३-७४ (लक्ष्य)	६००

(Source—Fourth Five year plan Draft 1969-74 p 167)

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना के अंतिम वर्ष में वर्ष १९६८-६९ की तुलना में ४२५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त माल बेचा जायगा। ये चतुर्थ योजना

के अंतिम वर्ष तक ८ मिलियन टन खाद्यान्न, ३६ मिलियन टन गन्ना, १८ टन गठे, ०.६ मिलियन टन मूँगफली, १०,००० टन फल तथा सब्जियाँ आदि का विक्रय करेगी। वर्ष १९७३-७४ तक जगभर १० करोड़ रुपये का इनके द्वारा माल निर्यात किया जायेगा। चतुर्थ योजना काल में भण्डारण क्षमता ४६ मिलियन टन कर दी जायगी जो कि वर्ष १९६८-६९ में २६ मिलियन टन थी। इस प्रकार षट्पक्ष पंचवर्षीय योजना में सहकारी विपणन की तरफ विशेष ध्यान दिया जायेगा।

सहकारी विपणन समितियों के विकास में बाधाएँ

विश्व के अनेक देशों में सहकारी विपणन बहुत सफल रही है। कनाडा, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, जापान, आस्ट्रेलिया तथा स्वेडन में अधिकतर पदार्थों का विपणन इन्हीं समितियों द्वारा किया जाता है। डेनमार्क तथा हॉलैंड में फल, दूध व अण्डों के उत्पादन का ९०%, विपणन सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। जापान में चावल और न्यूजीलैंड में पनीर का विपणन भी ऐसी समितियों द्वारा किया जाता है। भारत वर्ष में भी इन देशों की तरह सहकारी विपणन का विकास किया जा सकता है। अब तक की इस आन्दोलन की उपलब्धियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में सहकारी विपणन की प्रगति धीमी रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कोई विशेष सगठित प्रयास नहीं किये जा सके किन्तु द्वितीय योजना में विकास कुछ तेज गति में हो रहा है।

भारत में सहकारी विपणन में कुछ सगठनात्मक विशेषकर प्रबन्ध एवं तकनीकी क्षेत्रों में कमियाँ हैं। कुछ राज्यों में शीर्ष विपणन संघों ने अच्छा कार्य किया है उदाहरणतः पंजाब राज्य विपणन संघ। किन्तु देश के अनेक राज्यों में इस प्रकार के संघों ने सहकारी विपणन में विशेष योगदान नहीं दिया। सहकारी विपणन समितियों के मार्ग में निम्नलिखित बाधाएँ हैं —

(१) शिक्षित सदस्य

भारत वर्ष में अधिकांश ग्रामीण जनता अशिक्षित है। सहकारी समितियों के अनेक सदस्य सहकारिता के महत्त्व को नहीं समझते हैं। यहाँ तक कि कुछ क्षत्रों में लोग उतने परम्परागत होते हैं कि वे नवीन विधियों को काम में लेना बुरा समझते हैं। इन भ्रष्टाचारों के कारण सहकारी विपणन समितियाँ अधिक विकास नहीं कर पायीं। सदस्यों की अज्ञानता के कारण वे समितियों के प्रति बफादार नहीं रहते।

(२) निजी व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा

हमारे देश में अधिकांश कृषि विपणन निजी व्यापारियों के हाथ में है। ये व्यापारी समितियों के साथ कड़ी प्रतियोगिता करते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यापारी समिति के सदस्यों को भडकाते हैं। कभी-कभी तो व्यापारियों के एजेंट समितियों के सदस्य हो जाते हैं जो इनकी असफल बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण किसान सहकारिता के महत्त्व को समझने में असमर्थ रहते हैं और वे महाजनों का अधिक विश्वास करते हैं। फसल कोले समय ये किसान महाजनों से ऋण ले लेते हैं और फसल आने पर उन्हीं के हाथों बेच देते हैं।

(३) वित्त का अभाव

वित्त के अभाव में सहकारी विपणन समितियाँ अपने कार्य क्षेत्र को विस्तृत नहीं कर सकी हैं। इन समितियों की अश पूंजी नाममात्र की होती है जब कि महाजन अथवा व्यापारी जो प्रतिस्पर्धा करते हैं धनी होते हैं। वित्त की कमी के कारण ये समितियाँ किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान नहीं कर सकती और न ही भण्डारण की सुविधा हो पाती है।

(४) अकुशल प्रबन्ध व अप्रशिक्षित कर्मचारी

विपणन समितियाँ कुशल, अनुभवी तथा ईमानदार कार्यकर्त्ताओं की सेवाएँ प्राप्त करने में असफल रहती हैं। किसी भी मस्या की सफलता कुशल प्रबन्ध पर निर्भर करती है। इन समितियों में सामान्यतः अनुभव हीन व्यक्ति कार्य करते हैं। ये समितियाँ कार्यकर्त्ताओं को उचित वेतन भी नहीं दे पाती अतः अच्छे व्यक्ति आकर्षित नहीं कर पाती हैं। फलतः इन समितियों के कार्यों में अनेकों कठिनाइयाँ आती हैं।

(५) यातायात सुविधाओं का अभाव

हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी उचित यातायात के साधनों का अभाव है। कुछ वस्तुएँ जैसे दूध, फल व सब्जियाँ जो शीघ्र नष्ट होने वाली हैं, यातायात के तीव्रगामी साधनों के अभाव में खराब हो जाती हैं। जिससे अधिक नुकसान होने की सम्भावना रहती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में सड़कों के अभाव में मान मण्टी तक लाना भी कठिन हो जाता है।

(६) भण्डारण की सुविधा न होना

सहकारी विपणन समितियों के पास अपने गोदामों का अभाव होने के कारण भण्डारण की सुविधा रहती है। अनाज तथा अन्य कृषि उपजों को सुरक्षित रखना अत्यन्त आवश्यक है नहीं तो चूहे आदि इन्हें नष्ट कर डालते हैं। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में भण्डारण व्यवस्था के लिये गोदामों का निर्माण किया गया है किन्तु फिर भी अनेकों समितियों के पास गोदाम नहीं है।

(७) वर्गीकरण व प्रमापीकरण की व्यवस्था न होना

उपज के वर्गीकरण व प्रमापीकरण में उचित मूल्य प्राप्त करने में सुविधा रहती है वर्गीकरण एक विशेष कार्य है जिसके लिये उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है जो कि इन समितियों के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। प्रमापीकरण का भी विक्रय में बहुत बड़ा महत्व है। समितियों के पास अनेक सुविधाओं के अभाव में यह क्रिया बहुत कठिन रहती है।

(८) व्यापारिक दक्षता की कमी

त्रय विक्रय के लिये व्यापारिक दक्षता का होना आवश्यक है। निजी व्यापारियों में व्यापार कुशलता बहुत अधिक होती है। परन्तु इन समितियों के कर्मचारी उनकी तुलना में कम दक्ष होते हैं फलतः वे प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते। व्यापारिक कुशलता के अभाव में कभी-कभी इन समितियों को हानि भी उठानी पड़ती है। विपणन में व्यावसायिक पूर्वानुमान (Business forecasting) का बहुत बड़ा महत्व है

जिसमें वर्तमान तथा भूतकालीन घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विपणन समितियों के अधिकार कर्मचारियों में पूर्वानुमान की क्षमता का अभाव होता है।

(९) राजनीति का अखाड़ा

विपणन समितियों के सदस्यों में व्यक्तिगत मतभेद के कारण राजनीतिक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं प्रभावशाली व्यक्ति समितियों के प्रबन्ध पर अधिकार जमाकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं। जिससे अन्य लोगों का विश्वास इन समितियों से टूटने लगता है। भारतवर्ष में अनेकों समितियाँ इसका शिकार बनी हुई हैं।

(१०) अन्य

विपणन समितियों के सदस्यों में सद्भाव का अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बाजार की दिन प्रतिदिन की गति विधियों और मूल्य सम्बन्धी सूचना के अभाव के कारण कार्य में कठिनाइयाँ आती हैं। सहकारी विपणन समितियों को पर्याप्त तकनीकी सलाह भी नहीं मिल पाती है। इन समितियों की क्रिया कठिन है। किसानों को फसल समितियों में देने से पूर्व कई प्रकार के पत्र भरने पड़ते हैं। जितने ये अच्छा नहीं समझते हैं और अपना माल व्यापारियों को बेच देने हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभिन्न बाधाओं के कारण विपणन आन्दोलन अधिक विकास नहीं कर पाया। निजी व्यापारी दिन रात कठिन प्रयत्न करते हैं। किन्तु समितियों के कर्मचारी अधिक मेहनत नहीं करना चाहते हैं। निजी व्यापारियों आर्डांतियों तथा गम्भीरता की कुरानता, अनुभव तथा सम्पन्नता को देखते हुए यह आवश्यक है कि सहकारी विपणन में पर्याप्त सुधार किये जायें।

सहकारी विपणन की प्रगति के सुभाव

हमारे देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्तरों पर सहकारी विपणन का ढाँचा गमन नहीं है। धीरे-धीरे इसमें गमानतावाना अत्यन्त आवश्यक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है कि भावी विकास के लिए सहकारी विपणन का पुनर्संगठन किया जाये। सहकारी विपणन की सफलता के लिये सहकारी नियोजन समिति (१९४६) तथा अखिल भारतीय ग्रामीण साख जांच समिति को सिकारिहें महत्त्वपूर्ण है।

सहकारी नियोजन समिति १९४६ (Cooperative planning committee १९४६) के सुझाव

इस समिति के अनुसार प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों का पुनर्संगठन किया जाना चाहिये ताकि ये अपने सदस्यों के साधारण आर्थिक विकास के केन्द्र का कार्य कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये —

(१) साख और बित्री क्रियाओं में सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिये ताकि साख और विपणन दोनों का उचित विकास हो सके।

(२) साधारण कृषि आवश्यकताओं जैसे उन्नत बीज, साद एवं अन्य कृषि उपकरण तथा किसानों की अन्य साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति इन समितियों को करनी चाहिये।

(३) समितियों को माल लाइसेंस प्राप्त भण्डार गृहों में ही एकत्र करना चाहिये ।

(४) प्रांतीय सहकारी समिति का संगठन किया जाये जो कि प्राथमिक समितियों के लिये मध्यस्थों का कार्य कर सके ।

समिति के मुद्दावों को मान लिया गया और इन्हे पंचवर्षीय योजनाओं में कार्य रूप में भी परिणित किया गया है । किन्तु कुछ मुद्दावों को पर्याप्त रूप से व्यवहार में नहीं लाया गया है अथवा कम लाया गया है ।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख जाँच समिति की सिफारिशें

(Recommendations of the all India Rural Survey Committee)

रिजर्व बैंक ने वर्ष १९५१-५२ में अखिल भारतीय ग्रामीण साख जाँच समिति की नियुक्ति की थी जिसका प्रतिवेदन दिसम्बर १९५४ में प्रकाशित किया गया । समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये —

(१) सहकारी विपणन समितियों की प्रगति के लिये दीर्घ कालीन ऋण प्रदान करने के लिये एक *National cooperative development and warehousing board* की स्थापना की जानी चाहिये । यह मण्डल एक राष्ट्रीय विकास कोष (National cooperative development fund) स्थापित करेगा जो राज्य सरकारों को विपणन समितियों में अदा क्रय करने अथवा विपणन कार्यों में सहयोग देने के लिए उचित शर्तों पर दीर्घकालीन ऋण देगा ।

(२) राज्य सरकारें सहकारी क्रय विक्रय के विकास को योजना बनायेंगी तथा तकनीकी सेवायें उपलब्ध करायेंगी ।

(३) सहकारी विपणन में सभी स्तरों पर किसानों का प्रतिनिधित्व होगा चाहिये ।

(४) प्राथमिक विक्रय समिति के कार्य क्षेत्र में यदि नियमित बाजार है तो स्थानीय विक्रय समिति को प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिये ।

(५) समितियों की स्थापना और संगठन ऐसा हो कि जिसमें किसानों को संगठन में उचित प्रतिनिधित्व मिले ।

(६) विपणन समितियों के सदस्यों को अनिवार्य रूप से समिति को अग्र पूंजी में अनुदान देना चाहिये ।

(७) राज्य सरकारें कुटीर उद्योगों के अलावा सभी मिलों, कारखानों को लाइसेंस दें जो कि कृषि सम्बन्धित कार्य कर रही है । नया लाइसेंस देते समय इन समितियों को प्राथमिकता दें ।

इस समिति के विभिन्न मुद्दावों में निश्चय ही विपणन का विकास तेज गति से हो सकेगा ।

अन्य सुझाव

उपरोक्त समितियों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने ग्रामीण साख सर्वेक्षण की पाँचवीं शृंखला में सहकारी विपणन विकास की सर्वेक्षण की रिपोर्टें

प्रकाशित की है।¹ सर्वेक्षण वर्ष १९६२-६३ की अवधि से सम्बन्धित है। इस सर्वेक्षण में विकास के अनेक सुझाव पेश किये हैं रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सहकारी विपणन समितियों की स्थापना के लिए उचित आयोजन की आवश्यकता है। इनकी स्थापना के लिए जितना धेनर रखा जायेगा वह उचित है या नहीं जो कि उचित समय में समितियों को मुहठ बना देगा। सहकारी विपणन समितियों को सरकार की तरफ से त्रय करने का कार्य भी मिलना चाहिए जिसमें समितियों का कमीशन मिल सके। इस सर्वेक्षण में इस बात पर अधिक ध्यान दिया गया कि समितियों के पास सतोपजनक भण्डारण सुविधाएँ होनी चाहिए। विपणन समितियों को माल सवारने के कार्यों का विकास करना चाहिए।

उपरोक्त सुझावों के अतिरिक्त कुछ अन्य सुझाव निम्न प्रकार हो सकते हैं।

(१) सरकारी विपणन समितियों के विनास को वृषि विकास कार्यक्रम के साथ जोड देना चाहिए। इनकी स्थापना को सघन वृषि कार्यक्रम वान क्षेत्रों में प्रापमिकता बानी चाहिए। सहकारी विपणन समितियाँ सघन वृषि कार्यक्रमों में सहयोग दे। ये समितियाँ वृषि आवश्यकता के उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं के वितरण द्वारा सघन वृषि कार्यक्रम को सफल बना सकती हैं। विशेषकर खाद के वितरण में निजी क्षेत्र में इन समितियों की प्रतिस्पर्धा करनी पडेगी। प्राथमिक विपणन समितियाँ किसानों की छोटी-छोटी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरि अपनी पूंजी से भी कर सकती है।

(२) सहकारी विपणन समितियों के प्रबन्ध के लिए विशेष कदम उठाये जाने चाहिये। समितियों में काम करने वान कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण की वी व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National cooperative development corporation) सहायता प्रदान कर रहा है। किन्तु भविष्य में इन तरफ अधिक प्रयत्न किए जाने चाहिए।

(३) अब तक विपणन समितियाँ सामान्यतः अपन सदस्यों के माल को एजेंट के रूप में बेचने का कार्य किया है। कुछ सीमा तक इन समितियों ने आउट राइट त्रय (Out right Purchase) भी किए हैं। किन्तु वर्गीकरण और संचयन (Pooling) का कार्य प्रगति नहीं कर पाया है। यद्यपि गुजरात में तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में इस तरफ ध्यान दिया गया है यद्यपि स्थिति अभी तक सतोपजनक नहीं है।

(४) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वृषि विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी जिसके कारण वृषि अर्थव्यवस्था में मूल्य समर्थन की आवश्यकता होगी। इसके लिए सहकारी विपणन समितियों को सजग भाग लेना चाहिए।

(५) सहकारी विपणन समितियों को अपना कार्यक्षेत्र व्यापक करना चाहिए। अपने व्यापार के विस्तार के लिए ये समितियाँ विभिन्न वाणिज्यिक कार्य कर सकती हैं जिसमें इनकी आर्थिक स्थिति सुहठ हो जाएगी। इस सम्बन्ध में विपणन समितियों

1. "Development of cooperative marketing survey report (A summary) Reserve Bank of India Bulletin May 1962, p. 651

को केवल सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) की भाँति ही कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि निजी क्षेत्र की भाँति भी कार्य करना चाहिए ।

(६) सहकारी विपणन समितियों व ढाँचे में विभिन्न राज्यों में विवेकीकरण की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में दान्तवला समिति (Dant Wala Committee) की सिफारिशें अधिक हितकर होंगी ।

(७) जापान की भाँति भारतवर्ष में भी बहुउद्देशीय विपणन संगठन स्थापित किए जाने चाहिए ।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि विपणन समितियों के भावी विकास के लिए वित्तीय साधन, समितियों का प्रबन्ध तकनीकी संगठन, सरकारी नीति आदि अनुकूल होने चाहिए । ये समितियाँ आत्म निर्भर होंगी तभी तेज गति से विकास हो सकेगा । आशा है भविष्य में नियोजित अर्थव्यवस्था में सहकारी विपणन के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हो सकेगी ।

प्रश्न

१. सहकारी विपणन से आपका क्या अनिश्चय है ? इसको क्या आवश्यकता है ?
२. सहकारी विपणन समितियों के कार्यों का वर्णन करते हुए बताइए कि भारत में इन समितियों ने कहीं तक अपने कार्यों को पूरा किया है ।
३. भारत में सहकारी विपणन समितियों के मार्ग में क्या बाधाएँ हैं ? इनके निराकरण के उपाय बताइए ।
४. पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी विपणन के क्षेत्र में क्या-क्या प्रयत्न किए हैं ? भावी विकास के लिए सुझाव दीजिए ।

उपभोक्ता सहकारिता (Consumers Cooperation)

उपभोक्ता मानवता का आर्थिक नाम है। विश्व में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो कि कुछ न कुछ उपभोग न करता हो। उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करता है और उपभोक्ता उनका उपभोग करता है दोनों के मध्य निकट का सम्बन्ध होना अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु व्यावहारिक जीवन में उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य एक मध्यस्थो की कटी होती है। ये मध्यस्थ उत्पादक के माल को अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं। अतः माल उपभोक्ता तक पहुँचने से पूर्व अनेक मध्यस्थों के हाथों से गुजरता है। मध्यस्थ अपनी सेवाओं के बदले अपना पारिश्रमिक लाभ के रूप में रखते हैं। फलतः वस्तुओं की कीमत ऊँची हो जाती है जिससे उपभोक्ताओं को हानि होती है। इस हानि से बचने के लिए उपभोक्ता संगठित होकर सहकारी समितियों के माध्यम से अपनी उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसे उपभोक्ता सहकारिता कहा जाता है। सहकारी समितियों के माध्यम से उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम उपयोगिता पाने में सफल हो सकता है। मध्यस्थ वगैरे उपभोक्ताओं का अनेक तरीकों से शोषण कर सकते हैं। सामान्यतः मिलावट, कम तोल, बेईमानी, ऊँचे मूल्य आदि के माध्यम से स्वयं अधिक लाभ कमा लेते हैं। सहकारिता इन सभी बुराइयों को समाप्त कर देती है। यद्यपि मध्यस्थों की बुराइयों को सरकारी नियन्त्रण द्वारा भी कम किया जा सकता है किन्तु ऐतिहासिक अनुभव बताता है कि नियन्त्रण इन समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है।

उपभोक्ता सहकारिता का जन्म सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहाँ पूँजीवाद और निर्धन दो वर्गों का जन्म हुआ। ऐसी स्थिति में रॉबर्ट आदेन (Robert Owen) ने नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया। तत्पश्चात् रोचडेल के अग्रगण्य (Rochdel Pionces) ने सन् १८४२ में अग्रगण्य समिति बनायी। इंग्लैंड से यह विचारधारा अन्य यूरोपीय देशों में फैली।

भागतुर्वर्ष में वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में सहकारिता का जन्म हुआ। वर्तमान आरम्भ में सहकारी साख का विकास हुआ किन्तु बाद में उनमोक्षा सहकारिता का भी विकास हुआ। उनमोक्षा सहकारिता में व्यक्ति बड़े पैमाने के काम प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की सहकारिता में पुत्रक, शोक तथा कुछ परिस्थितियों में ही उत्पादन तथा संवार कार्य भी करने पड़ते हैं।

आवश्यकता (Need)

उनमोक्षा सहकारी समितियों स्थापित करने की निम्नलिखित आवश्यकता है—

(१) उनमोक्षाओं को उचित मूल्य पर वस्तुओं प्राप्त करने के लिए उत्पादन एवं उनमोक्षा के मध्य की मध्यस्थ शक्ति को समाप्त करना होगा। इस कार्य को सहकारिता के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। एवं मध्यस्थों की उन्नति कार्यवाहियों को निरन्तर द्वारा बन किया जा सकता है किन्तु उनकी दुर्दशाओं को पूर्ण एवं स्थायी रूप में सहकारी समितियों से समाप्त किया जा सकता है। अतः सहकारी समितियों अत्यन्त आवश्यक है।

(२) उनमोक्षाओं को वस्तुएं मुद्र, उचित शानों पर, ठीक में पूर्ण उत्पन्न होनी चाहिये। व्यापारी लोग कम ठीक, मिश्रकट आदि कार्यों द्वारा उचित रूप कमजोर में गये रहते हैं। इन दुर्दशाओं को उनमोक्षा सहकारिता से दूर किया जा सकता है।

(३) छोटे उत्पादकों को गम पहुंचाने के लिए भी उनमोक्षा मन्त्रा महत्वपूर्ण है। कमी-कमी छोटे उत्पादकों को बाजार में व्यापारियों को बहुत नीचे मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेचना पड़ती हैं अतः सहकारिता द्वारा उनकी हानि से बचना जा सकता है।

(४) भागतुर्वर्ष में वर्तमान समय में मूल्य वृद्धि एवं महत्वपूर्ण समस्या है। मूल्य वृद्धि का एक प्रमुख कारण विभिन्न व्यापारी गम है। यदि सहकारिता के माध्यम से इन मध्यस्थों को समाप्त कर दिया जाए तो वास्तव में मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति भागत में उनमोक्षा मन्त्राओं व सुनर कार्यों से की है। बाजार की अपेक्षा इन मन्त्राओं में मान उचित कीमतों पर निर्यात होता है जिससे व्यापारी वस्तुओं की कीमत बढ़ान में अग्रगण्य हो जाते हैं।

(५) सहकारी उत्पादन को सफलता के लिए भी सहकारी उनमोक्षा समितियों का विस्तार आवश्यक है।

(६) सहकारी उनमोक्षा मन्त्राओं में वस्तुओं उधार नहीं मिल पाती हैं किन्तु बाजार की अपेक्षा उचित दाम पर तथा शुद्ध मिश्रणी है अतः अधिकतर उनमोक्षा नहीं से खरीदते हैं। इसके विपरीत व्यापारी लोग उधार वस्तुओं देते हैं जिस पर भार लेते हैं और अगुड तथा उच्च मूल्य पर वस्तुओं देते हैं। सहकारिता में उधार न मिलने के कारण उनमोक्षाओं की निरर्थकता होती है। अतः सहकारी उनमोक्षा मन्त्रा बहुत महत्वपूर्ण है।

उनमोक्षा सहकारिता मूल्य निरन्तर तथा अनुचित वितरण को व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है हाना लक्ष्य समाप्तवादी नमूने का समाप्त बनाना है जिसके बाजारों को

प्राप्त करने में सहकारी भण्डार बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। वस्तुओं का वितरण इनके द्वारा सरकारी नियन्त्रण में हो सकता है। अतः भारत की वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में उपभोक्ता सहकारिता अत्यन्त वांछनीय है।

सदस्यता (Membership)

भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति जो १८ वर्ष का हो चुका हो इसका सदस्य बन सकता है। सदस्यता खुली एवं स्वेच्छिक होती है। व्यक्तियों के अतिरिक्त उपभोक्ता सहकारिता में संस्थायें, अर्थात् सरकारी संस्थायें, क्लब, स्कूलें आदि भी सदस्य बन सकती हैं। सहकारी भण्डारों की अन्य सहकारी संस्थायें भी सदस्य बन सकती हैं। सहकारी भण्डारों की अन्य सहकारी संस्थाएँ भी सदस्य बना सकती हैं। यद्यपि इन भण्डारों में सदस्यता खुली होती है। तथापि कोई भी व्यक्ति सदस्य होने का दावा नहीं कर सकते और संचालक मण्डल किसी भी व्यक्ति को लेने से इन्कार कर सकता है। भारतवर्ष में कुछ राज्यों में किसी व्यक्ति को सदस्यता के लिये बिना उचित कारण के लिए मना नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिये मध्य प्रदेश में सदस्यता न मिलने पर कोई भी व्यक्ति कार्यवाही कर सकता है। इस सम्बन्ध में धम्बई में सहकारी अधिनियम में बहुत अच्छी व्यवस्था की गयी है। इस अधिनियम के आधार पर कोई भी उपभोक्ता सहकारी समिति बिना कोई सतोपजनक कारण के किसी भी व्यक्ति को सदस्यता के लिये मना नहीं कर सकती।¹ कहीं-कहीं पर उपभोक्ता भण्डारों में पुराने दो सदस्यों के द्वारा सिफारिश करने पर किसी भी व्यक्ति को सदस्य बनाया जाता है।

भारतवर्ष ने विश्व की तुलना में उपभोक्ता भण्डारों की औसत सदस्यता को बहुत किया है। वर्ष १९४६-५० के आधार पर इंग्लैण्ड में औसत सदस्यता १०७४५ थी जबकि भारत में १६६ थी। इनके अतिरिक्त फिनलैण्ड, स्वीडन, चीन तथा रोवियत रूस में इसी वर्ष सदस्यता क्रमशः १६४३, १३५२, एवं १२५० थी।²

भारत में जून १९६६ के अन्त में कुल थोक सहकारी भण्डारों की संख्या २८० थी जिनकी सदस्यता ५, २१, २२६ थी। इसी समय प्राथमिक उपभोक्ता भण्डारों की संख्या एवं सदस्यता क्रमशः १३१००, तथा २६, ३६, २७७ थी।³

कार्यशील पूँजी (Working Capital)

कार्यशील पूँजी निजी तथा उधार ली गयी निधियों का योग होता है। इसमें अक्षपूँजी, रिजर्व कोष, ऋण तथा निक्षेप आते हैं अक्षपूँजी सदस्यता पर आधारित है। भारतवर्ष में अनेक उपभोक्ता सहकारी समितियों में निम्न सदस्यता होने के कारण अक्षपूँजी भी कम है। अन्य देशों की भाँति भारत में भी भण्डारों की अधिकतम पूँजी निर्धारित होती है जिससे ऊपर बिना नियमों में परिवर्तन करना अतम्भव है। अक्षो

1. Cooperative Act provides 45—A No consumers' society shall without sufficient cause refuse admission to membership to any person duly qualified therefore under its laws

2. Consumer Cooperation in India, by S. C. Mehta, p 131

3. India 1986, p. 268

की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है। कहीं-कहीं पर तो सदस्यों के लिये प्रति व्यक्ति अधिकतम अंशों की सीमा भी निर्धारित होती है।

भारत वर्ष में अधिकांश उपभोक्ता भण्डारों में प्रवेश शुल्क सामान्यतः एक रुपया प्रति सदस्य लिया जाता है जो कि वापिस नहीं किया जा सकता और संचित कोष में रखा जाता है। भारत वर्ष में जून १९६७ के अन्त में कार्यशील पूंजी की स्थिति निम्न प्रकार है।

सहकारी भण्डारों की कार्यशील पूंजी

(जून १९६७)

विवरण	संख्या	सदस्यता	कार्यशील पूंजी (लाख रुपये)
१. थोक सहकारी समितियाँ	३७१	१०८११०७	२९९८
२. प्राथमिक सहकारी समितियाँ	१३८३७	३३७१६२२	२०६३

(Source—India 1969 p 272)

प्रबन्ध (Management)

सहकारी उपभोक्ता समितियों का प्रबन्ध प्रजातांत्रिक होता है। सदस्यों की साधारण सभा में सर्वोच्च सत्ता निहित होती है। "व्यक्ति एक मत" सिद्धान्त के आधार पर सभा का कार्य चलता है। साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होती है। देश में कहीं-कहीं पर समितियों के उपनियमों के अनुसार वर्ष में दो बार भी बैठक बुलाई जाती है। कभी-कभी सदस्यों अथवा रजिस्ट्रार के आग्रह पर विशेष बैठक (Special Meeting) भी बुलाई जा सकती है। भारतवर्ष में इन बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या बहुत कम रहती है। साधारण सभा संचालक मण्डल की नियुक्ति करती है जो कि इसके निर्णयों को कार्यरूप में परिणित करवाता है। आवश्यकता पड़ने पर संचालक मण्डल अपने कार्यों को उप-समिति को भी सौंप देता है।

सहकारी उपभोक्ता भण्डार आन्दोलन की प्रगति

आधुनिक उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन का जन्म इंग्लैण्ड में १८४४ में हुआ। भारतवर्ष में १९१२ में सहकारी समिति अधिनियम पारित करने के साथ इसका जन्म हुआ। उस समय से लेकर स्वतन्त्रता प्राप्ति तक इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। सन् १९१२ से १९२८-२९ तक केवल ३२७ प्राथमिक सहकारी भण्डार संगठित किये गये। इसके पश्चात् के दश वर्षों में भी प्रगति धीमी रही। वर्ष १९३८-३९ में भण्डारों की संख्या ३९६ हो गयी। द्वितीय महायुद्ध काल में आवश्यक वस्तुओं की कमी महसूस हुई। युद्ध के तुरन्त पश्चात् भी इन वस्तुओं का अभाव रहा अतः सहकारी उपभोक्ता भण्डारों का विकास होने लगा। इस काल में बहुत से भण्डार सरकार

द्वारा विभिन्न नियन्त्रित वस्तुओं के वितरण के लिये काम में लिये गये। फलतः भण्डारों की सख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में इन आन्दोलन का विकास कुछ तेज गति से हुआ। वर्ष १९४९-५० में भण्डारों की सख्या ८९४९ ही रही जिनकी सदस्य सख्या २१*५५ लाख हो गयी जबकि वर्ष १९३८-३९ में ३९६ भण्डारों की सदस्य सख्या ०.४३ लाख थी। प्रथम योजना से पूर्व इस आन्दोलन की प्रगति निम्न प्रकार थी —

प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की प्रगति

विवरण	१९३८-३९	१९४९-५०
१. भण्डारों की सख्या	३९६	८९४९
२. सदस्यता (लाखों में)	०.४३	२१*५५
३. निधि निधियाँ (लाख रुपये में)	२*४७	४५९ ४६
४. विक्रय (लाख रुपये में)	५७*१५	७०४५*४१
५. लाभ " "	१०१*००

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि दस वर्षों में भण्डारों की सख्या सदस्य सख्या तथा निजी पूंजी में बहुत वृद्धि हुई। इन भण्डारों द्वारा विभिन्न वस्तुओं के विक्रय में भी पर्याप्त उन्नति हुई। वर्ष १९३८-३९ में इन भण्डारों का विक्रय केवल ५७*१२ लाख रुपये का था जबकि १९४९-५० में बढ़ कर ७०४५*४१ लाख रुपये हो गया।

सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की उन्नति प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने से पूर्व तक तेज गति से हुई किन्तु बाद में पुनः धीमा विकास हुआ जिसका कारण वस्तु नियन्त्रण हटा लेना था। नियन्त्रण हटा लेने से इन भण्डारों के व्यवसाय की अवनाति आरम्भ हो गयी। फलतः इनकी सख्या में कमी होने लगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारिता पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान दिया गया। नियोजित अर्थव्यवस्था में वितरण योग्य व्यापार के लिये सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को अधिक उपयुक्त समझा गया। किन्तु वर्ष १९५१-५२ में विभिन्न वस्तुओं पर से नियन्त्रण समाप्त होते ही इन भण्डारों का व्यवसाय गिरने लगा और भण्डारों की सख्या कम होने लगी। प्रथम योजना में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की प्रगति निम्न प्रकार है

प्रथम योजना में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की प्रगति

विवरण	१९५१-५२	१९५२-५६
१. भण्डारों की संख्या	९७५७	७३५९
२. सदस्यता (लाखों में)	१८.४६	१४.१४
३. निजी निधियाँ (लाख रुपये में)	५५२.७०	४९०.००
४. विक्रय (लाख रुपये में)	८२१५.६९	१४४८.००
५. लाभ (लाख रुपये में)	८०.८७	२९.००
६. हानि (लाख रुपये में)	३७.६४	४०.००

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि अनेकों कारणों से भण्डारों की संख्या, सदस्यता, निजी निधियाँ, विक्रय, लाभ आदि में बहुत कमी हुई और हानि की राशि में वृद्धि हुई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की आवश्यकता व महत्व को ध्यान में रखते हुये इस बात पर जोर दिया गया कि इन भण्डारों की समस्याओं का अध्ययन करके विस्तृत विकास का कार्यक्रम तैयार किया जाये। सरकार ने सन् १९५८ में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि तथा चीनी की कमी के कारण विक्रय व्यवस्था उचित दामों की दुकानों के माध्यम से करना चाहा। यह कार्य उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से करना उचित समझा गया। इस प्रयत्न के माध्यम से उपभोक्ता भण्डारों की अवनति को रोकने की व्यवस्था हुई। इसमें प्राथमिक भण्डारों की साधारण प्रगति हुई और विक्रय की राशि में कुछ सुधार हुआ। सन् १९६० में उपभोक्ता भण्डारों का विक्रय का मूल्य ५१५३.०८ लाख रुपये या जबकि वर्ष १९५५-५६ एवं १९५८-५९ में क्रमशः १४४८.०० लाख एवं २७०८.६५ लाख रुपये ही था। भण्डारों के साथ की मात्रा में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। लाभ की राशि वर्ष १९५८-५९ तथा १९६० में क्रमशः ४६.८४ लाख रुपये एवं ६१.१६ लाख रुपये थी।

हमारे देश में वर्ष १९५९-६० में शोक विक्रय भण्डारों की संख्या तथा सदस्य संख्या क्रमशः ६५ एवं १२३८५ थी। और कार्यशील पूंजी की राशि ५८ लाख रुपये थी।

१९६१ की समिति की सिफारिशें^१

१९ नवम्बर १९६० को भारत में उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन के अध्ययन के लिये एक समिति का गठन करने का विचार किया गया। २५ फरवरी सन् १९६१ को इस विचार के आधार पर National Co-operative Development and ware housing Board द्वारा इस समिति की नियुक्ति की गयी।

समिति ने अपना प्रतिवेदन मई १९६१ में प्रस्तुत कर दिया जिसमें निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें थीं।

(१) संगठनात्मक और संरचनात्मक (Organisational and Structural)

(i) बड़े शहरों व औद्योगिक नगरों में जहाँ पर कि मध्य एवं कम आय वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक है, उपभोक्ता भण्डारों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

(ii) एक शहर में अनेको अलग भण्डारों के स्थान पर कुछ ही मजबूत भण्डारों का संगठन किया जाये जिनकी अनेक शाखाएँ विभिन्न भागों में स्थापित की जायें।

(iii) उपभोक्ता भण्डार सरकारी कर्मचारियों, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं, व्यापार व औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों में स्थापित करने चाहिएँ ताकि उनके सदस्यों से बकाया राशि उनके वेतन में से पूरी की जा सके।

(iv) ग्रामीण स्तर पर सेवा सहकारी समितियों सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के कार्यों को सम्पादित करें जिससे ग्रामीण जनता को आवश्यकता की वस्तुएँ उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सकें।

(v) थोक उपभोक्ता भण्डारों की स्थिति सुदृढ़ की जाये। जिन क्षेत्रों में इनकी बहुत आवश्यकता है वहाँ अतिशीघ्र इनकी स्थापना की जाये।

(vi) जिन भागों में प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार स्थापित नहीं किये जा सकते हैं अथवा पुराने भण्डारों को सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता वहाँ पर थोक भण्डार अपनी शाखाएँ खोलें। जब ये शाखाएँ अच्छी तरह कार्य करने लगे तो उनको स्वतंत्र भण्डार बना दिये जायें।

(vii) प्राथमिक भण्डारों की अंश पूंजी में २५०० रु० और थोक भण्डारों की अंश पूंजी में २५,००० रु० की अंश पूंजी सरकार खरीद कर इनकी सहायता करें।

(viii) भण्डार के संगठन के समय आकार और वार्षिक सुदृढ़ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। प्राथमिक भण्डारों की कम से कम अंश पूंजी ५००० रु०, सदस्यता २५० तथा वार्षिक विक्रय की राशि एक लाख रुपये होनी चाहिये। जिला तथा क्षेत्रीय स्तर के थोक भण्डारों की सदस्यता कम से कम १०० प्राथमिक भण्डार, ५०,००० रु० अंश पूंजी, वार्षिक २ लाख रुपये कार्यशील पूंजी होनी चाहिये। शीघ्र स्तर के भण्डार के लिये २०० प्राथमिक भण्डारों की सदस्यता, १ लाख रुपये अंश पूंजी ५ लाख रुपये कार्यशील पूंजी तथा ३० लाख रुपये का वार्षिक विक्रय होना आवश्यक है।

(ix) इंग्लैण्ड की भाँति भारतवर्ष में भी स्त्रियों द्वारा उचित भाग लेना चाहिये। इसके लिये सभी सदस्य अथवा क्रय करने वाली स्त्रियों को शीघ्रता एवं उचित तरीके से क्रय करने में मदद करनी चाहिये। सभी सदस्यों की एक विशेष उप-समिति बनायी जाये जो कि विभिन्न परिवारों में जाकर स्त्रियों को भण्डारों से माल खरीदने के लिये तैयार करें।

(x) वॉलेंटो, स्कूलो तथा अन्य संस्थाओं में इस प्रकार के भण्डार संग्रहित करने के भरसक प्रयत्न किये जायें ।

(xi) देश के सभी राज्यों में थोक भण्डार स्थापित किये जायें जहाँ ये नहीं हैं और जहाँ पर हैं उनको सुदृढ बनाया जाये ।

(xii) नीचे स्तर पर प्राथमिक भण्डार इनके ऊपर जिला एव क्षेत्रीय भण्डार और सबसे ऊपर शीर्ष भण्डार (राज्य स्तर पर) हो तो बहुत उपयुक्त होगा ।

(xiii) अभी या देरी से देश में राष्ट्रीय स्तर पर संघीय संगठन स्थापित करना चाहिये जो कि देश के उपभोक्ता सहकारिता को उचित दिशा प्रदान कर सके ।

(२) वित्त (Finance)

(i) प्राथमिक भण्डारों के अंश का अधिकतम मूल्य १० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये और थोक भण्डारों में यह राशि अधिकतम १०० रुपये हो सकती है ।

(ii) उपभोक्ता भण्डार व्याज की उचित दरें रख कर निक्षेप (Deposits) का आकर्षित करें ।

(iii) सरकार सहकारी भण्डारों को अंश पूंजी में भाग ले जो कि १० से १५ वर्षों की अवधि में वापिस किया जा सके ।

(iv) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया केन्द्रीय सहकारी बैंकों को कुछ अतिरिक्त विधियाँ प्रदान करें जो कि इन भण्डारों की वित्तीय सहायता के काम में लिये जा सकें ।

(v) केन्द्रीय सरकारी बैंक इन भण्डारों की विधियों के दुगने तक ऋण प्रदान करें । शीर्ष सहकारी बैंक शीर्ष थोक भण्डारों को उनकी विधियों के ४ गुने तक ऋण प्रदान करें जिसमें सरकार की गारन्टी हो । यदि हानि होती है तो उसको केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा शीर्ष बैंक ५० ४० १० के अनुपात में वहन करें ।

(vi) यदि केन्द्रीय सहकारी बैंक, उपभोक्ता भण्डारों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो तो स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया आवश्यक वित्तीय सुविधायें प्रदान करे ।

(३) व्यवसायिक विधियाँ एव कार्य विधि

(i) भण्डारों को सदस्यों की मासिक अथवा त्रैमासिक बैठकें बुलानी चाहिये जिनमें इनके कार्य विधि के सुधार के लिये सुझावों पर विचार विमर्श किया जाये भण्डारों में सुझाव की पुस्तकें (Suggestion Books) होनी चाहियें जिनमें क्रेता अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को लिख सकें ।

(ii) यदि विधियाँ पर्याप्त हैं तो प्राथमिक भण्डार साधारण विधियन जैसे तेल

पेरने, चावल कूटने तथा आटा बनाने का कार्य करें। बड़े आकार की विधियन गति विधियाँ थोक भण्डारों द्वारा सम्पादित की जानी चाहियें।

(iii) आयात लाइसेंस देते समय इन भण्डारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। आयात सलाहाकार परिषद (Import Advisory Council) में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को सरकार पर्याप्त एवं प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रदान करें।

(iv) उपभोक्ता भण्डार उचित ऋय एवं मूल्य नीति अपनाये। मूल्य नीति ऐसी हो जिससे उपभोक्ताओं को भी हानि न हो और भण्डारों को भी नुकसान न हो।

(v) उपभोक्ता भण्डार किस्म का ऊँचा स्तर निर्धारित करें। शुद्धता एवं पूर्ण सोल की भी तरफ भी विशेष ध्यान दें।

(vi) प्राथमिक भण्डार अपने विषय को बढ़ाने तथा अपने सदस्यों की सुविधा के लिये धरेलू सुपुदगी ही दें।

(vii) शीघ्र उपभोक्ता भण्डारों को सरकार दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराये जिससे ये भण्डार उपभोक्ता माल की वसूली तथा विक्रय के लिये ट्रक खरीद सकें।

(viii) भण्डार अपने खाते इस तरह से रखें कि लागत तथा लाभ आदि के विषय में उचित जानकारी होती रहे।

(४) प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण एवं प्रबन्ध (Democratic Control and Management)

(i) सदस्यों को सहकारी भण्डारों की विचारधारा, गिद्धान्त तथा गति विधियों के बारे में उचित शिक्षा प्रदान की जाये।

(ii) प्रबन्धक मण्डल अथवा संचालक मण्डल के संचालकों को चुनने से पूर्व उनके व्यापारिक अनुभव सदस्यों में विश्वास पैदा करने की क्षमता और कार्यों में उचित भाग लेने की योग्यता आदि बातों पर विचार करना चाहिये।

(iii) भण्डारों के मनेजरो को सहकारिता के अतिरिक्त व्यापारिक गति विधियों, दुकान प्रबन्ध विशेषकर विक्रय वृद्धि आदि का प्रशिक्षण देना चाहिये।

(iv) नीचे के स्तर के कर्मचारियों को भी विक्रय, खाते स्वन्व आदि रखन, पैकिंग, सजावट आदि का प्रशिक्षण देना चाहिये।

(५) सरकारी सहायता (Government Assistance)

(i) प्रत्येक राज्य में उपभोक्ता भण्डारों के पर्याप्त पर्यवेक्षण, निरीक्षण अवेक्षण आदि की व्यवस्था के लिये अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये जान चाहिए।

(ii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा सहकारी विकास कार्यक्रमों में लगाये गये अतिरिक्त कर्मचारियों के व्यय का ५०% वहन करे।

(iii) सरकार कुछ धुने हुये प्राथमिक एवं शीर्ष भण्डारों को प्रथम तीन से पाँच वर्षों तक प्रबन्ध से सम्बन्धित सहायता प्रदान करे। प्राथमिक भण्डार को यह सहायता १८०० रुपये तक और शीर्ष भण्डारों को १२,००० रुपये तक होनी चाहिये इस सहायता को ५० ५० के आधार पर केन्द्र तथा राज्य सरकार वहन करे।

समिति के उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रख कर यदि कार्य किया जाय तो निश्चय ही उपभोक्ता भण्डार आन्दोलन का तेज गति से विकास होगा।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में उपभोक्ता सहकारी समितियों के अध्ययन के नियम गठित की गयी समिति को सिफारिशों के आधार पर विकास किया गया। योजना के आरम्भ से ही उपभोक्ता भण्डारों के विकास का नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम में २२०० प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार शहरी क्षेत्रों में और प्रत्येक राज्य में शीर्ष थोक भण्डार की स्थापना करने की व्यवस्था थी। भण्डारों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने सहायता देने का निश्चय किया। सन् १९६२ में चीनी आक्रमण के कारण आपत कालीन स्थिति घोषित की गयी और मूल्य नियन्त्रण के लिये उपभोक्ता भण्डारों के विकास पर बल दिया गया। भारत सरकार द्वारा कई योजनाएँ तैयार की गयीं जिनका विवरण निम्न प्रकार है —

(१) शहरी क्षेत्रों के लिये केन्द्र संचालित योजना

सन् १९६२ में हमारे देश में उन मुख्य नगरों एवं कस्बों में जिनकी जनसंख्या ५० हजार से अधिक हो उपभोक्ता भण्डारों का जाल बिछाने का कार्यक्रम चालू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत बँस में २०० थोक भण्डार और ४००० प्राथमिक भण्डार अथवा शाखाएँ संगठित करने का निश्चय किया गया। प्रत्येक थोक भण्डार में औसत रूप से २० प्राथमिक भण्डार या शाखाएँ होंगी। कार्यक्रम निम्न प्रकार से था।

वर्ष	थोक भण्डार	प्राथमिक शाखाएँ
१९६२-६३	७०	७००
१९६३-६४	१३०	३३००

केन्द्रीय सरकार ने इस योजना में ११ करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया। योजना में एक थोक भण्डार को ४ लाख १० हजार रुपये तक अधिकतम सहायता प्रदान की जा सकती है। ऐसी सहायता २ लाख रुपये की ऋण क्रेडिट १ लाख रुपये का पूंजी, १ लाख रुपये टुक अथवा गोदाम बनाने के लिए और १० हजार रुपये व्यवस्थापकीय खर्चों के लिए दी जा सकती है। प्राथमिक भण्डार अथवा शाखाएँ जो कि थोक भण्डार के अन्तर्गत आते हैं, ४५०० रुपये की सहायता प्राप्त कर सकते हैं ऐसी सहायता २५०० रुपये का पूंजी और २००० रुपये व्यवस्थापकीय खर्चों के लिये दी जा सकती है।

(२) औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता भण्डार

श्रम व रोजगार मन्त्रालय ने सन् १९६२ में हुये राष्ट्रीय भाव सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता भण्डार संगठित करने की योजना तैयार की। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के

सस्थानों में भण्डार संगठित किये जायेंगे जहाँ से २५० ह० से अधिक श्रमिकों की मर्यादा हो । मिल मालिकों द्वारा निम्न प्रकार सहायता उपलब्ध करायी जाने का प्रावधान था ^२

(१) अन्न पूंजी अक्षदान	२५०० रुपये
(२) कार्यशील पूंजी ऋण	१०,००० ,,
(३) ३ वर्षों के लिए व्यवस्थापकीय अनुदान	७८०० ,,
(४) निशुल्क अथवा आंशिक किराये पर स्थान की उपलब्धि	

(३) सरकारी कर्मचारियों के लिये उपभोक्ता भण्डार

भारत सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली सरकार कर्मचारियों के लिये एक केन्द्रीय भण्डार और उसकी शाखाएँ स्थापित की हैं । राज्यों में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये उपभोक्ता भण्डारों की स्थापना की है । अन्न पूंजी, कार्यशील तथा प्रबन्धकीय व्ययों के लिये राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है ।

(४) ग्रामीण क्षेत्रों की योजना

भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष १९६२ में १५ हजार ग्रामीण समितियों द्वारा सामग्री वितरण का कार्य किया जा रहा था । इन समितियों के अतिरिक्त अनेकों क्षेत्रों में सेवा समितियाँ भी यह कार्य कर रही हैं । इस योजना के अन्तर्गत चीनी और मिट्टी का तेल इन समितियों के माध्यम से निर्धारित करने की व्यवस्था रखी गयी । इस आशय के लिये ४५ हजार ग्राम समितियाँ और २ हजार विपणन समितियाँ कार्य करेंगी ।

उपरोक्त नयी योजना (केन्द्रीय योजना) के प्रारम्भ हो जाने से उपभोक्ता सहकारिता का विकास तेज गति से होने लगा । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में थोक भण्डारों की संख्या २८० थी और उनकी सदस्य संख्या तथा कार्यशील पूंजी क्रमशः ५२१२२६ एव ३३१३ लाख रुपये थी । प्राथमिक भण्डारों की संख्या १३१०० थी । इनकी सदस्य संख्या एव कार्यशील पूंजी क्रमशः २९३९२७७ एव १८१८ लाख रुपये थी ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण १६७ करोड़ रुपये का था जो कि वर्ष १९६५-६६ में बढ़कर १९८१ करोड़ रुपये हो गया । शहरी क्षेत्रों में शहरी उपभोक्ता भण्डारों द्वारा वितरण वर्ष १९६०-६१ तथा १९६५-६६ में क्रमशः ४० करोड़ तथा २०० करोड़ रुपये था ।^३

1. सहकारी समाज, पृष्ठ ३५ ।

2. Fourth Five Year Plan Draft 1969-74, p 167.

तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मध्य तीन वर्षों तक एक पंचवर्षीय योजनाएँ चलती रही। इस काल में भी सहकारी उपभोक्ता भण्डारों का विकास निरन्तर होता रहा। वर्ष १९६८-६९ में केन्द्र द्वारा प्रायोजित उपभोक्ता सहकारी समितियों की योजना के सगठित समितियों को सुदृढ करने पर बल दिया गया। जिन भागों में उपभोक्ता सहकारी समितियाँ नहीं हैं वहाँ तथा विश्वविद्यालयों में ऐसी समितियाँ सगठित करने के प्रयत्न किए गए। अधिक आबादी वाले नगरों तथा कस्बों में बहु-विभागी भण्डार/सुपर बाजार खोलने का कार्य किया गया। जून १९६८ के अन्त में देश में ३५१ थोक भण्डार थे जबकि वर्ष १९६७ में इनकी संख्या ३४५ थी। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सगठित हुआ। १४००० भण्डारों में से इन थोक भण्डारों से जो प्राथमिक भण्डार व शाखाएँ सम्बद्ध हुई हैं, उनकी संख्या १०६१७ तक पहुँच गई जबकि इसके पूर्व ९४७१ भण्डार ही थोक भण्डारों से सम्बद्ध थे। ३० जून १९६७ को बहुविभागी भण्डारों/सुपर बाजारों की संख्या ३८ थी जो कि ३० जून १९६८ को बढ़कर ७२ हो गयी। जून १९६८ के अन्त तक विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में उपभोक्ता भण्डारों की संख्या २८ हो गयी। इसके पूर्व वर्षों में राज्य स्तर पर सगठित १४ शीर्ष सहकारी उपभोक्ता सघ और एक राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता सघ अच्छी तरह कार्य करते रहे।^१

श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ने औद्योगिक तथा खान प्रतिष्ठानों में जो समितियाँ करने की योजना चालू की थी उसके अन्तर्गत १९६७-६८ तक २२३६ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सगठित किए गए। इनके अतिरिक्त कई उचित मूल्य की दूकानों की भी स्थापना की। इस योजना के अन्तर्गत सगठित उपभोक्ता समितियाँ तथा उचित मूल्य की दूकानों के माध्यम से वर्ष १९६७-६८ में लगभग ६० करोड़ रुपये की बिक्री की गई। श्रमिक कल्याण निधि से प्राप्त वित्तीय सहायता से कोयला और अभ्रक की खानों के श्रमिकों के लिए १३ थोक भण्डार खोले गए। वर्ष १९६७-६८ के अन्त में रेल कर्मचारियों के लिए ४२६ सहकारी भण्डार थे और डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिए १५८ उपभोक्ता भण्डार सगठित किए गए थे।

थोक भण्डारों की प्रगति

केन्द्र द्वारा प्रायोजित उपभोक्ता सहकारी समितियों की योजना के अन्तर्गत जून १९६८ के अन्त तक ३५१ थोक भण्डार सगठित किए गए। भविष्य में इन भण्डारों को अधिक मजबूत बनाने की योजना है। थोक भण्डारों की प्रगति (केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत) निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है

वर्षान्त स्थिति

विवरण	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८
१. गठित किए गए भण्डारों की संख्या	२५२	३४५	३५१
२. कार्य कर रहे भण्डारों की संख्या	२२८	३१३	३४१
३. सदस्य संख्या			
(i) व्यक्ति (लासों में)	४.१८	६.६६	८.१६
(ii) प्राथमिक उपभोक्ता समितियाँ	५९३३	७०५२	८०१४
(iii) अन्य समितियाँ	५९८६	७३७७	७३३७
४. केन्द्रीय/थोक भण्डारों द्वारा स्थापित गाँवों की संख्या	१९३६	२४१९	२५०३
५. प्रदत्त अक्ष पूंजी (करोड़ रुपये में)	४.००	७.२१	९.१५
६. कार्यकर पूंजी (करोड़ रुपये में)	१६.४५	२१.७४	२७.२०
७. विक्री (करोड़ रुपये में)	१४३.५२	१७३.६५	१७१.१०

[Source—Report 1968-69, Govt of India, Ministry of Agriculture community Department and corporation (Coop Deptt. p 44]

उक्त सारिणी से स्पष्ट है कि थोक-भण्डारों की सदस्यता, अक्ष पूंजी, कार्यशील पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष १९६७-६८ में १९६६-६७ की तुलना में कुछ कमी हुई है जिसका कारण नियन्त्रण के अन्तर्गत चीनी तथा अन्य नियमित वस्तुओं की सप्लाई कम उपलब्ध हुई। इस वर्ष वस्तुओं के मूल्यों में उतार चढ़ाव आने के कारण कुछ भण्डारों को हानियाँ भी हुईं। थोक भण्डारों का कार्य विस्तार हुआ फलतः अधिनियम वस्तुओं की वर्ष १९६७-६८ में विक्री ३१% तक पहुँच गयी।

बहु-विभागीय भण्डार/सुपर बाजारों की प्रगति

भारतवर्ष में सन् १९६६ में रुपये का अवमूल्यन किया गया। इसके परिणाम देश के बड़े शहरों तथा कस्बों में बहु-विभागीय भण्डार/सुपर बाजार संगठित करने का कार्यक्रम चालू किया गया। यह कार्यक्रम २ साल से कम आवादी वाले कस्बों में चयन करके प्रारम्भ किया गया। जून १९६८ के अन्त में बहु-विभागीय भण्डार/सुपर बाजारों की संख्या ६० हो चुकी थी। १२ अन्य बहु-विभागीय भण्डारों ने भी कार्या-रम्भ कर दिया। वर्ष १९६८-६९ में २२ नये भण्डार स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। जून १९६८ के अन्त तक इन भण्डारों ने २२ करोड़ रुपये की वस्तुएँ बेची।

हमारे देश में बहु-विभागीय भण्डार/सुपर बाजारों के कार्यों से मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडा है। यद्यपि अनेकों भण्डारों को आरम्भ में हानि हुई है। वर्तमान

समय में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ये भण्डार अपनी विक्री बढ़ावें और व्यवस्थापकीय व्यय कम करें ताकि हानि न हो।

राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ

राज्य स्तर पर उपभोक्ता सहकारिता ढाँचे में राज्य सरकारी उपभोक्ता संघ शीर्षस्थ सस्यार्य हैं। जन १९६८ के अन्त तक हमारे देश में १४ राज्य उपभोक्ता संघ स्थापित किए गए। इस समय इन संघों से सम्बद्ध समितियों की संख्या २६५ थी और इन संघों की प्रदत्त अंश पूंजी ७८.०० लाख रुपये थी। इसमें सहकारी अंशदान ५६४ प्रतिशत और शेष ४३.६ प्रतिशत सदस्यों का अंशदान था। राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ वस्त्रों, दालों, मसालों, आयातित तथा ज्वल की गई वस्तुओं का विपणन करते हैं। इनके अतिरिक्त टायर, ट्यूब, ब्नेड्स, ड्राइ बॅटरी सैल बेबीफूड आदि का विपणन करते हैं। सभी संघों की जून १९६८ को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष की विक्री ६१२.० लाख रुपये थी।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ

भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता सहकारिता की संघीय संस्था १९६६ में स्थापित की गयी। इस संघ ने अपना कार्य सितम्बर १९६६ में प्रारम्भ किया। आगे के वर्षों में संघ ने अपनी व्यापारिक तथा प्रवर्तन सम्बन्धी गतिविधियों का विस्तार किया। जून १९६८ को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष में संघ ने कुल २५ करोड़ रुपये की विक्री की। लगभग ५६ लाख रुपये के मूल्य की ज्वल वस्तुओं की सप्लाई की। "अपनी प्रवर्तन सम्बन्धी गतिविधियों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने I. L. O. के विशेषज्ञों की सलाह से एक थोक भण्डार में प्रायोगिक तौर पर एक सरलवृत्त लेखा पद्धति आरम्भ की है और देश के अन्य भागों के थोक भण्डारों के प्रतिनिधियों के लिए इस बात के लिए प्रबन्ध किए गए हैं कि वे इसका अध्ययन करें और अपने भण्डारों में अपनायें।"²

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नए भण्डारों के संगठित करने की बजाय विभिन्न स्तरों पर वर्तमान भण्डारों को सुदृढ बनाया जाएगा। इस योजना के केन्द्रीय थोक भण्डारों को पुनर्संगठित और सुदृढ किया जाएगा। पुनर्संगठन का उद्देश्य इनकी बड़े आकार की बहु-पुटकर इकाई सहकारी समितियाँ (Large sized multi-retail unit Co-operative Societies) बनाना है। इस उपभोक्ता भण्डार आन्दोलन का ऊपरी ढाँचा जिसमें राज्य स्तरीय संघ और राष्ट्रीय संघ हैं, सुदृढ बनाया जाएगा।³ इस योजना में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों द्वारा निम्न प्रकार वितरण की प्रगति की जाएगी।

1. Report 1968-69 Govt. of India (Coop. Deptt.) p. 48

2. Fourth Five Year Plan Draft 1969-74, p. 164

प्रगति एव चतुर्य योजना के लक्ष्य
(मूल्य करोड़ रुपये में)

वितरण	१९६०-६१	१९६५-६६	१९६८-६९ (अनुमानित)	१९७३-७४ (लक्ष्य)
१. उपभोग्य वस्तुओं का ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण	१६'७	१९८'१	२७५	५००
२. सहरी उपभोक्ता समितियों का छुटकर विक्रय	४०	२००	२७५	४००

(Source—Fourth Five year Plan draft 1969-74, Page 167)

तालिका से स्पष्ट है कि चतुर्य योजना के लक्ष्य पूर्व के वर्षों की तुलना में बहुत अधिक है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहरी एव ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ता भण्डारों का विस्तार किया जाएगा। नियमित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के विक्रय का प्रतिशत भी बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रय बढ़ाने के लिए विपणन तथा ग्रामीण समितियों का कार्य शत्रु विस्तृत किया जाएगा। ऐसे प्रयत्न भी किए जायेंगे जिससे सहकारी सेवा प्रभावित बनाई जा सके जिससे सहकारी भण्डार स्थायी वितरण की समस्याएँ कम जायें। उपभोक्ता समितियों तथा विपणन समितियों के कार्यों में उचित समन्वय स्थापित किया जाएगा।

मूल्य नीति (Price Policy)

सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की मूल्य नीति पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः मूल्य नीति (i) नुकसान आधार पर (ii) न लाभ न नुकसान आधार (iii) लाभ आधार (iv) बाजार भाव आदि पर निर्भर करती है। सहकारी भण्डारों में नुकसान आधार (Loss Basis) पर वस्तुएँ बेचना बहुत कठिन है क्योंकि इससे इनको बहुत नुकसान होगा जिससे इनका भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। कुछ विद्वान इस बात पर बल देते हैं कि उपभोक्ताओं को अधिक लाभ पहुँचाने की दृष्टि से अल्पतः आवश्यक वस्तुएँ न लाभ न नुकसान आधार (No profit No Loss Basis) पर बेची जायें। किन्तु इस विधि में लागत व खर्चों को ही वसूल किया जायगा। इस विधि को अपनाते पर भण्डारों के नाबी विकास के लिये विधियों का अभाव रहेगा। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी कठिनाई यह आयेगी कि गैर सदस्यों को लागत मूल्य पर कैसे माल बेचा जा सकता है। इस बात को सदस्य सहन नहीं करेंगे। इस विधि में नुकसान न हो जाये इसके लिए प्रत्येक इकाई पर खर्चों का वितरण कठिन होगा। अतः लागत पर बेचने का आशय ही कार्यशील पूँजी को नष्ट करना और लाभपूर्ण अग्रिम त्रय न कर सकना।

सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की मूल्य नीति लाभ आधार (profit basis) पर भी आधारित होती है। इस आधार में लागत में कुछ प्रतिशत और जोड़ दिया जाता है और इस मूल्य पर वस्तुयें बेची जा सकती हैं। किन्तु निजी व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिये बाजार भाव सर्वोत्तम समझा गया है। बाजार भाव भण्डारों के लाभ को बढ़ाते हैं जिससे सदस्यों को उचित लाभानु मिलते हैं। फलतः अधिक व्यक्ति सदस्य बनते हैं। किन्तु यदि बाजार भाव अनुचित तरीके से ऊँचे हो गये हैं तो उपभोक्ता भण्डारों को बाजार भाव से कम मूल्य पर वस्तुयें बेचनी चाहियें।

भारत में उपभोक्ता सहकारिता की धीमी प्रगति के कारण

भारत में सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन की प्रगति धीमी गति से हुई। विश्व के अनेक देशों में इस क्षेत्र में सहकारिता ने उल्लेखनीय कार्य किया। विशेषकर इंग्लैण्ड में उपभोक्ता भण्डारों ने बहुत प्रगति की। भारतवर्ष में इस आन्दोलन की धीमी प्रगति के निम्नलिखित कारण थे —

(१) छोटी एव अनाधिक आकार की इकाइयाँ

भारतवर्ष में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का अनाधिक आकार है। छोटे एव अनाधिक आकार होने से व्यवस्थापकीय अधिक पडता है और कुल विक्रय की मात्रा कम होती है। इससे भण्डारों को नुकसान होता है। निरन्तर हानि होने से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है और यहाँ तक कि अनेकों स्थानों पर इनकी बन्द करना पडा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कई भण्डारों को बन्द करना पडा। इस योजना के प्रथम वर्ष के अन्त में उपभोक्ता भण्डारों की संख्या १७५७ थी जो कि घट कर १९५५-५६ में ७३५९ ही रह गयी। गृह प्रवृत्ति पुन बनी गयी और वर्ष १९६० में इनकी संख्या पुन घट कर ४२५५ हो गयी।

(२) नियन्त्रित वस्तुओं के व्यापार पर निर्धनता

भारतवर्ष में अधिकांश उपभोक्ता भण्डार नियन्त्रित वस्तुओं के वितरण का कार्य करते रहे हैं। देश में जब भी नियन्त्रण हटाया गया है अथवा ढीला किया गया है, इनके व्यापार की मात्रा में पर्याप्त कमी हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कई वस्तुओं पर से नियन्त्रण हटा लेने के कारण समितियों की कुल विक्री बहुत घट गयी और फलतः अनेक इकाइयाँ बन्द हो गयी।

(३) समितियों के कर्मचारियों में व्यापारिक योजना एव कुशलता का अभाव

उपभोक्ता भण्डारों में कार्य करने वाले कर्मचारी व्यवसाय कुशल नहीं होते हैं क्योंकि न तो उनको व्यापारिक प्रशिक्षण ही मिल पाता है और न ही व्यापारिक अनुभव होता है। किन्तु उपभोक्ता समितियों की सफलता व्यापारिक कुशलता पर निर्भर रहती है। निजी व्यापारी इस कार्य में बहुत कुशल होते हैं अतः उनकी प्रतिस्पर्धा में भण्डारों का कार्य चलना कठिन हो जाता है। व्यापारिक अकुशलता के कारण कभी-कभी बहुत नुकसान हो जाता है जिससे इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। हमारे देश में अधिकांश भण्डार ऐसे हैं जिनमें बहुत ही कम व्यक्ति कुशल एव अनुभवी हैं।

(४) कुशल प्रबन्ध का अभाव

सहकारी भण्डारों की प्रबन्ध समिति में कुशल प्रबन्धकों की कमी पायी जाती है। आजकल वैज्ञानिक एवं कुशल प्रबन्ध का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। भण्डारों की प्रबन्ध समितियों में प्रायः बहुत कुशल व्यक्ति इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उनको पारिश्रमिक नहीं मिलता है। प्रबन्ध के उच्च स्तर पर कम कार्य क्षमता वाले व्यक्तियों के कारण निर्णय बहुत धीरे-धीरे लिये जाते हैं जिससे व्यापार को हानि होती है।

(५) वित्तीय समस्या

वित्त भण्डारों की प्रमुख समस्या रही है। अनेकों भण्डार आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हैं। इसका कारण है सदस्यता की कमी। आरम्भ में हमारे देश में सरकारी सहायता बहुत कम थी अतः भण्डारों को समय-समय पर वित्त की कठिनाई अनुभव होती रही। धन के अभाव में कार्यों का विस्तार करना बहुत कठिन होता है। भण्डारों को दुकानों, गोदामों तथा व्यवस्थापकीय कार्यों के लिये पैसे की कमी रहती है। आजकल केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें आदि सहायता कर रही हैं।

(६) सीमित मांग की वस्तुओं का अधिक स्टॉक

कुछ भण्डारों के पास ऐसे माल का स्टॉक बहुत इकट्ठा हो गया है जिसकी मांग सीमित है। कायशील पूँजी का बड़ा भाग इस प्रकार के माल में लगा होने के कारण भण्डारों के सामने समस्या खड़ी हो गयी है। व्यावसायिक योग्यता के अभाव में निणय उचित नहीं लिये जा सकते हैं जिसके कारण बिना मांग की वस्तुओं का भी बड़ी मात्रा में क्रय कर लिया जाता है। इस प्रकार कार्यशील पूँजी बेकार हो जाने के कारण अन्य वस्तुओं खरीदने में कठिनाइयाँ आती हैं।

(७) सदस्यों की सद्भावना व रचि की कमी

उपभोक्ता सहकारिता आन्दोलन में विभिन्न समितियों के सदस्यों में समिति के प्रति सद्भावना का अभाव पाया जाता है। अनेकों मदस्य अन्य स्थानों से वस्तुएं खरीदते हैं। इससे भण्डारों के कुल विषय में कमी हो जाती है। आन्दोलन की प्रगति के लिये आवश्यक है सभी सदस्य भण्डारों के उद्देश्यों को समझे और उनके कार्य क्षेत्र को विस्तृत करने में मदद करें। इन भण्डारों के विभिन्न कार्यों में रचि भी लें ताकि अधिक विकास हो सके।

(८) दोष पूर्ण खाता प्रणाली

हमारे देश में समितियों के खाते रखने की पद्धति दोष पूर्ण है जिसके कारण विभिन्न निणय लेने में कठिनाई होती है। उचित खातों के अभाव में भण्डारों की कार्य क्षमता का पता चलाना कठिन है। इसका प्रमुख कारण है कि भण्डारों के पास अनुभवी एकाउन्टेन्ट्स का अभाव होता है।

(९) कम पारिश्रमिक अथवा अवैतनिक सेवाएँ

सहकारी भण्डारों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। अन्य उमर के अधिकारियों को या तो पारिश्रमिक बिलकुल ही

नहीं दिया जाता है अथवा बहुत कम। इससे उनकी कार्य में रचि बहुत कम होती है। प्रबन्धक मण्डल के सचालको को पारिश्रमिक न देने के कारण वे भण्डारों के कार्यों में विलकुल रचि नहीं लेते हैं।

(१०) अन्य

भारतवर्ष में उपभोक्ता सहकारिता में सगठनात्मक ढाँचा (Organizational Structure) बहुत कमजोर है। वस्तुओं के विक्रय के लिये बाजार का अध्ययन करना आवश्यक होता है किन्तु भण्डार यह कार्य नहीं कर पाते हैं जिन्से उपभोक्ताओं की रचि का अध्ययन नहीं हो पाता है। कभी कभी सदस्यों की रचि के अनुसार वस्तुयें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं जिससे उनकी रचि मनाप होने लगती है। भारतवर्ष में स्त्रियाँ अशिक्षित होने के कारण इस आन्दोलन में अधिक सहयोग नहीं दे पायी हैं। भण्डारों की कार्य लागत अनुपात रहित होती है।

उपरोक्त कठिनाइयों के कारण भारतवर्ष में इस आन्दोलन का तेज गति से विकास नहीं हो पाया। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में इन भण्डारों के विकास के कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा सके। द्वितीय योजना में इस आन्दोलन के अध्ययन के लिये समिति गठित की गयी जिसकी सिफारिशें पहले बनायी जा चुकी हैं। तृतीय योजना में एक नवीन केन्द्रीय कार्यक्रम चारु किया गया है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने भी इस आन्दोलन को तर्फ ध्यान देना शुरू कर दिया है।

सुधार के सुभाव

हमारे देश में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों का विकास तेज गति से करने की आवश्यकता है। विभिन्न सहरी भागों में आन्दोलन ने विकास किया है किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अच्छी नहीं है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में इस क्षेत्र में विकास की अधिक गति प्रदान करनी चाहिये। इसके लिये प्रमुख सुभाव निम्नलिखित हो सकते हैं

(१) सदस्यता एवं कार्यशील पूँजी में वृद्धि

आन्दोलन के तेज विकास के लिये इस प्रकार के प्रयत्न किये जाने चाहिएँ कि सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि हो सके। सदस्यता में वृद्धि होने से अर्थ पूँजी में वृद्धि होती है जिससे काय शील पूँजी भी अधिक हो जाती है इससे भण्डारों की आर्थिक स्थिति अपने आंतरिक साधनों से बढ़ायी जा सकती है। भारत सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया है कि भण्डारों की समस्या में वृद्धि करने की वजाय सदस्यता में वृद्धि की जाये और वर्तमान समितियों को सुदृढ बनाया जाय।

(२) सदस्यों को सुविधायें

सहकारी भण्डार अपने सदस्यों को अनेक प्रकार में सुविधायें प्रदान करें उनकी रचि में वृद्धि कर सकते हैं। भण्डार अपने सदस्यों को उधार की सुविधायें, रोकड़ी बढ़ा, स्थगित भुगतान आदि सुविधायें प्रदान करें। इनके अतिरिक्त

सदस्यों को घर सुपुर्दगी (Home delivery) की सुविधा प्रदान करके विक्री की मात्रा भी बढ़ायी जा सकती है और सदस्यों को सुविधा भी मिल जाती है। इन सुवधाओं से सदस्यों में भण्डारों के प्रति सद्भावना का उदय होगा।

(३) कर्मचारियों की सुविधायें

वर्तमान परिस्थितियों में कितनी भी सस्था को अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिये कर्मचारियों को उचित सुविधायें प्रदान करनी चाहियें। भारतवर्ष में सहकारी भण्डारों के कर्मचारियों को इन सुविधाओं का प्रायः अभाव रहा है। वेतन के अलावा अन्य सुविधायें जैसे धर्म, कल्याण, बोनस, चिकित्सा, घर व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें प्रदान करनी चाहियें। निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में कर्मचारियों को अनेक सुविधायें होती हैं जिससे श्रमिकों का झुकाव इनकी तरफ अधिक होता है। उपभोक्ता भण्डारों में इनके अभाव में कुशल कर्मचारी नहीं आ पाते हैं।

(४) व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार

उपभोक्ता समितियों को अपनी विभिन्न व्यावसायिक गति विधियों में आवश्यक सुधार करने चाहियें। दुकान स्थापित करने से पूर्व अनेक बातों पर विचार करना चाहिये। वस्तुओं की उचित सजावट करनी चाहिये और उनके विक्रय के लिये विज्ञापन व्यवस्था भी करना चाहिये। आजकल प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिये बाजार अनुसन्धान अत्यन्त आवश्यक है। उपभोक्ताओं की रुचि के अध्ययन की व्यवस्था करनी चाहिये। भण्डारों को अपनी दूकानों पर सुभाव स्कीम (Suggestion scheme) चालू करनी चाहिये। इसके लिये सुझाव पुस्तिका रखी जाये जिसमें क्रेता आवश्यक सुझाव समय समय पर लिख सकें। विक्रय की दृष्टि से स्थियों को विक्रय कार्य में अधिक भर्ती करना चाहिये।

(५) उत्पादकों से प्रत्यक्ष सम्पर्क

बाजार में उचित मूल्य पर वस्तुयें प्रस्तुत करने के लिये भण्डारों को प्रत्येक उत्पादकों से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। इसके अभाव में मध्यस्थों से माल खरीदना पड़ता है जिससे उनका कमीशन वस्तुओं के मूल्य में सम्मिलित हो जाता है। इसका प्रभाव भण्डारों के लाभों पर पड़ता है। यद्यपि तृतीय पंचवर्षीय योजना में चालू की गयी नवीन केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत इन तरफ ध्यान दिया गया है किन्तु इस तरफ और अधिक ध्यान देना आवश्यक है।

(६) सरकारी सहायता

भण्डार आन्दोलन की प्रगति में सहकारी सहायता बहुत आवश्यक है। जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है कि इन भण्डारों के सामने वित्तीय समस्या महत्वपूर्ण है। इस समस्या के निराकरण के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करनी चाहिये। सहकारी प्रशिक्षण, व्यवस्थापकीय व्ययों, गोदाम बनाने तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सरकारी सहायता बहुत आवश्यक है। सरकार भण्डारों की अज्ञात पूंजी में अतिरिक्त योगदान दे।

(७) प्रशिक्षण व्यवस्था

सहकारी भण्डारों के कर्मचारियों के लिये उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये। इस प्रशिक्षण में व्यवसाय प्रबन्ध, खातो तथा सहकारी सिद्धान्तों को उचित व्यवस्था होनी चाहिये। इससे भण्डारों का कार्य सुदृढ होगा और कर्मक्षमता में वृद्धि होगी।

(८) व्यापार का प्रसार

उपरोक्ता भण्डारों को अनियन्त्रित वस्तुओं का व्यापार अधिक मात्रा में करना चाहिये। हमारे देश में अनेक ऐसी समितियाँ हैं जो कि नियन्त्रित वस्तुओं का ही व्यापार करती हैं। नियन्त्रण हट जाने पर इनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। इससे बचने के लिये यह आवश्यक है कि अनियन्त्रित वस्तुओं का व्यापार बढ़ाया जाय इसके अतिरिक्त भण्डारों का व्यापार क्षेत्र भी विस्तृत किया जाये ताकि विश्वोद्वेग बढ़ सके।

(९) सघीय सङ्गठन का युद्ध बनाना

भारत में भण्डारों का सघीय सङ्गठन अधिक सुदृढ नहीं है। यद्यपि पिछले वर्षों में राज्यों में शीर्ष सघ और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च राष्ट्रीय सघ स्थापित किए जा चुके हैं किन्तु इन सघीय इकाइयों से सभी प्राथमिक भण्डार सम्बद्ध नहीं हैं। इस कमी के कारण विभिन्न समितियों में उचित समन्वय का अभाव पाया जाता है। सघीय स्थायें समय-समय पर उचित सहायता अपने से नीचे के भण्डारों को देकर विकास की गति को अधिक तेज कर सकते हैं।

(१०) अन्य

उपरोक्त सुझावों के अतिरिक्त भण्डारों का समय पर अन्वेषण, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण होना आवश्यक है। अन्वेषण व्यवस्था से किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं होगी। पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण से भी कार्य उचित तरह से चलता रहेगा सरकार को इन भण्डारों को विक्रय में कुछ करों की छूट देनी चाहिए। इस आन्दोलन को इंग्लैण्ड की भाँति भारत में भी स्त्रियाँ अधिक सफल बना सकती हैं इसके लिये स्त्रियों को अधिक सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। भण्डारों में वस्तुयें खरीदने के लिए आने वाली स्त्रियों को उचित सुविधायें प्रदान करना आवश्यक है। उनको शीघ्रता से वस्तुयें देनी चाहियें ताकि उनका अधिक समय खराब न हो।

उक्त सुझावों से निश्चय ही भण्डार आन्दोलन का तेज गति से विकास हो सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाली समितियों में समन्वय स्थापित करना नितान्त वाञ्छनीय है। आशा है भविष्य में उपरोक्ता भण्डारों का उचित विकास होगा।

प्रश्न

१. उपभोक्ता सहकारिता की क्या आवश्यकता है ? इस आन्दोलन की पञ्चवर्षीय योजनाओं में जो प्रगति हुई है उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए ।
 २. उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ? युष्मत् के सुझाव भी दीजिए ।
 ३. क्या आपकी राय में उपभोक्ता सहकारिता आन्दोलन की प्रगति सतोषजनक रही है ? अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण सहित कीजिए ।
 ४. 'उपभोक्ता सहकारिता' विषय पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए ।
-

औद्योगिक सहकारिता (Industrial Cooperation)

कुटीर एवं लघु उद्योगों का विश्व के प्रायः सभी देशों में उल्लेखनीय स्थान होता है। वृहत् उद्योगों में विकसित देश जैसे इंग्लैण्ड एवं अमेरिका में भी इन उद्योगों का महत्त्व स्वीकार किया गया है। जापान में वृहत् उद्योगों एवं कुटीर व लघु उद्योगों में उचित समन्वय गजर आता है। भारतवर्ष में भी प्राचीन काल से ही ये उद्योग प्रसिद्ध रहे हैं। भारत गाँवों का कृषि प्रधान देश है अतः सहायक धन्ये के रूप में इन उद्योगों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। देश में बढ़ती बेकारी को दूर करने के लिये इन उद्योगों का सहारा लिया जा सकता है। इन उद्योगों को वृहत् उद्योगों की कठिन प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिये आधुनिक रूप देना नितात आवश्यक है। कुटीर एवं लघु उद्योगों को नया रूप देने के लिये सहकारी औद्योगिक समितियों को सर्वोत्तम उपयुक्त समझा जाता है। भारतीय कुटीर उद्योगों का ब्रिटिश शासन काल में पतन हुआ किन्तु किसी न किसी रूप में ये उद्योग जीवित अवश्य रहे। भारत में सहकारिता आन्दोलन १९०४ में पारित सहकारिता अधिनियम से प्रारम्भ हुआ। उस समय के कृषि साक्ष में विशेष प्रवृत्ति हुई किन्तु औद्योगिक क्षेत्र में कोई उन्नति न हो सकी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इन उद्योगों को हमारी औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण स्थान मिला और इनका उचित विकास प्रारम्भ हुआ। कर्ष समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए सहकारिता के आधार को सर्वोत्तम बताया।

औद्योगिक सहकारिता ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति (नारीगर या अन्य लघु एवं कुटीर उद्योगों में लगे हुए या औद्योगिक कार्यकर्ता) भ्रमानता के आधार पर अपने सामान्य हित के उद्देश्य से आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से संगठित होते हैं विश्व के अनेक देशों में लघु तथा कुटीर उद्योगों में ही औद्योगिक सहकारिता उन्नति कर पाई है। भारतवर्ष में भी अधिकांश औद्योगिक सहकारी समितियाँ इन्हीं उद्योगों

में पायी जाती है। अतः औद्योगिक सहकारिता के अन्तर्गत आमतौर पर कारीगरों वस्तुकारों, औद्योगिक श्रमिकों और लघु उद्योगिकों की सहकारी समितियाँ आती हैं। ये समितियाँ सीमित दायित्व की होती हैं।

औद्योगिक सहकारी समितियाँ दो वर्गों में विभक्त की जा सकती है। प्रथम कारीगरों की औद्योगिक समितियाँ और दूसरे उत्पादक वर्ग की समितियाँ जिगने छोटे उद्योगपति आते हैं। प्रथम वर्ग वाली समितियों में वे व्यक्ति सदस्य होते हैं जो अधिकांश वशानुक्रम से इस पेशे को करते आ रहे हैं जैसे बुनकर, सुहार, कुम्हार, चर्मकार आदि। इस प्रकार की समितियों को निम्न उद्देश्यों से संगठित किया जाता है।

(१) सदस्यों को आवश्यकतानुसार उचित व्याज दर पर वित्तीय सहायता करना। समितियाँ अपने सदस्यों के लिए उद्योगों को अच्छी तरह चलाने के लिये पर्याप्त मात्रा में निम्न व्याज दर पर ऋण व्यवस्था करती हैं।

(२) कारीगरों को सस्ते भाव से कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। इन समितियों द्वारा बच्ची सामग्री थोक भावों से खरीदी जाती है और सदस्यों को समेत ढाँचे पर प्रदान की जाती है।

(३) इन समितियों की स्थापना का यह भी उद्देश्य है कि सदस्यों को आधुनिक औजार अथवा यंत्र थोक भाव से खरीद कर उचित मूल्यों पर प्रदान करना।

(४) कारीगरों के सामने वस्तु विक्रय की बड़ी भारी समस्या है। इस समस्या के समाधान के उद्देश्य से ये समितियाँ विक्रय की उचित व्यवस्था करती हैं। कारीगरों को इससे उचित कीमतें प्राप्त हो जाती हैं।

(५) कारीगरों को विभिन्न उत्पादन क्रियाओं में तकनीकी व अन्य सलाह देने का उद्देश्य भी महत्त्वपूर्ण है।

(६) जो माल उत्पादित किया जाता है उसका वर्गीकरण एवं प्रचार करके माँग बढ़ाना भी उल्लेखनीय उद्देश्य है।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये निर्धन कारीगर समितियों का संगठन करते हैं जिससे वे उत्पादन वृद्धि करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। आय बढ़ने से जीवन स्तर ऊँचा उठता है आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत छोटे पूँजीपति संगठित होते हैं। बड़े उद्योगों से अपने उद्योगों को बचाने के लिये ये मध्य स्तरों के उद्योगपति यह प्रयास करते हैं। सामान्यतः छोटे पूँजीपति, श्रमिक, व्यवस्थापक, विक्रेता आदि समितियों में सदस्य होते हैं। ये समितियाँ उत्पादन से लगाकर विक्रय तक की प्रिया स्वयं करती हैं अतः इनकी सन्ध्या अल्प है।

औद्योगिक सहकारी समितियों की आवश्यकता

औद्योगिक सहकारिता हमारे सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक संगठन है। इसके द्वारा सामाजिक उद्देश्यों में निर्धन व कमजोर व्यक्तियों के हितों की रक्षा की जा सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए औद्योगिक सह-

कारिता धन के उचित वितरण में सहयोग देती है। भारतवर्ष में निर्धन एवं धनवान् दोनों वर्ग हैं। वार्षिक नियोजन से उद्योगों का तेज गति से विकास किया गया है जिनमें धन कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथ में जाने लगा है। धन के समान व उचित वितरण के लिये सहकारिता सर्वोत्तम माध्यम हो सकता है। हमने समाजवादी समाज के नूतन का समाज बनाने का सकल्प लिया है जो कि सहकारिता के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। औद्योगिक सहकारिता की आवश्यकता निम्न प्रकार है —

(१) कुटीर व लघु उद्योगों के विकास के लिये

ब्रिटिश काल में भारतीय कुटीर व लघु उद्योगों का पतन हुआ। प्राचीन काल में भारत विश्व में इस क्षेत्र में बहुत आगे था। इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति का भारतीय उद्योगों पर भी अग्रजों के शासनकाल में बहुत प्रभाव पड़ा। किन्तु फिर भी भारतीय कुटीर उद्योग थोड़ी बहुत मात्रा में जीवित अवश्य रहे। इन उद्योगों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता के आधार को चुना गया है। भारतीय कारीगरों तथा छोटे उत्पादकों में सहकारी आधार पर कार्यरम्भ किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के आधार पर समितियाँ संगठित करने के लिए बल दिया गया। द्वितीय योजना में छोटी मात्रा के उत्पादन की अनेक क्रियाओं को सहकारी क्षेत्र में लाने पर जोर दिया गया। तृतीय योजनाओं में भी इस तरह पर्याप्त ध्यान दिया गया।

(२) बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए

बीसवीं शताब्दी में भारत में बड़े-बड़े उद्योगों का विकास हुआ। कुटीर तथा लघु उद्योगों को इनसे बड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इन बातों पर विचार किया गया कि कुटीर एवं लघु उद्योगों का पर्याप्त विकास किया जाए। इन उद्योगों को बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा सहन करनी पड़ती है अतः ऐसे प्रयत्न किए जायें जिनमें वे उद्योग प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। इसके लिए सहकारिता का सहारा लेना उपयुक्त समझा गया। सहकारी समितियाँ कारीगरों को पर्याप्त मात्रा में वित्त महायता देती हैं, बीजारों की व्यवस्था करती हैं और उत्पादित माल का विक्रय करने में मदद करती हैं। ये समितियाँ कम उत्पादन लागत पर माल तैयार करके प्रतिस्पर्धा में टिक सकती हैं।

(३) रोजगार दिनांक

सहकारी औद्योगिक समितियों के विकास से रोजगार में भी वृद्धि होती है। जनसंख्या की तेजगति में वृद्धि होने के कारण इसका भार कृषि भूमि पर बढ़ता जा रहा है। इस समस्या का समाधान लघु उद्योगों का सहकारी आधार पर विकास करके किया जा सकता है। अधिक सहकारी समितियों का विकास होने से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल जाएगा। भारतवर्ष में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष भर कार्य नहीं रहता है। किसान वर्ष के कुछ ही महिनो में कार्य करते हैं शेष समय व्यर्थ ही जाता है। इस काल में किसानों को लघु उद्योगों के विकास से रोजगार दिलाया जा सकता है। सहकारी आधार पर बड़े पैमाने पर भी उत्पादन किया जा सकता है जिसमें अनेकों श्रमिकों को रोजगार मिलता है। बहुत से कारीगर (परिवार) अपनी जीविका चला सकते हैं।

(४) बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ

सहकारी आधार पर लघु एव कुटीर उद्योगों का विकास करके उनसे बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। समितियों में अनेकों सदस्य होते हैं जो अपने साधनों को एकत्रित करते हैं और सम्मिलित प्रयत्नों से बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। विभिन्न सस्याओं में इस समितियों को ऋण भी मिल जाता है। बड़े उद्योगों की भांति सहकारी समितियाँ भी नवीन विधियों में उत्पादन करती हैं। थम विभाजन एव रिनिष्टता आदि का अभाव न होने के कारण आर्थिक विकास तेज गति से हो सकेगा। सहकारी समितियाँ द्वारा अधिक उत्पादन किए जाने पर आय में वृद्धि होगी जिससे पूँजी निर्माण भी अधिक होगा। पूँजी निर्माण अधिक होने से उद्योगों में पुन विनियोजन अधिक होगा। यह क्रम निरन्तर चलता रहेगा। इससे आर्थिक विकास तेज गति से होगा।

(५) छोटे उद्योगों को अधिक वित्तीय व अन्य आर्थिक सुविधायें

सहकारी समितियाँ छोटे उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। समितियाँ सदस्यों के लिए उद्योग को पर्याप्त मात्रा में चलाने के लिए निम्न व्याज दर पर धन की व्यवस्था करती हैं। कुछ समितियाँ जो स्वयं उत्पादन करती हैं वे आसानी से अन्य सस्याओं से धन प्राप्त कर लेती हैं जिससे धन की समस्या नहीं रहती है। समितियों को अपनी प्रशर्पूँजी के कई गुने तक व्याज उपलब्ध हो जाता है जिससे सस्ता कच्चा माल आधुनिक औजार आदि खरीदने में कठिनाई नहीं होती है।

(६) उत्पादित माल का विपणन

उत्पादित माल का विपणन भी एक जटिल समस्या है। छोटे उत्पादक व्यक्तिगत रूप से अपने उत्पादित माल को विस्तृत बाजार में नहीं बेच पाते हैं। सामान्यतः ये स्थानीय माँग की ही पूर्ति करते हैं किन्तु अपनी वस्तुओं की अधिक माँग उत्पन्न करने में सर्वथा असमर्थ होते हैं। माल के विपणन काम में सहकारी समितियों का स्थान उल्लेखनीय हो सकता है। समितियाँ अपने सदस्यों का माल वर्गीकृत व सवार कर बाजार विस्तृत करती हैं। जो समितियाँ स्वयं निर्माण कार्य में लगी होती हैं वे स्वयं सभी कार्य करती हैं। इस प्रकार औद्योगिक सहकारी समितियाँ बाजार विस्तृत करके सदस्यों की आय में पर्याप्त वृद्धि करती हैं और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाती हैं।

(७) उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहयोग

वर्तमान समय में हमारे देश में सतुलित आर्थिक विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए उद्योगों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। उद्योगों के विकेंद्रीकरण से एक ही पूँजी कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में एकत्र नहीं होगी और इसके एक ही स्थान विशेष पर अधिक उद्योग नहीं होंगे अर्थात् सतुलित विकास संभव हो सकेगा।

(८) अथ

औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास से देश की कुल आय में वृद्धि होगी

क्योंकि अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलने से उत्पादन में वृद्धि होगी जिनसे आम भी बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त समितियाँ अपने सदस्यों को सेवा भवना, सफाई और मित्रता का पाठ सिखाती हैं। समितियाँ देश के तेज आर्थिक विकास में सहायक होती हैं।

हमारा उद्देश्य समाजवादी नपूने का समाज बनाना है जिसमें सहकारिता का महत्वपूर्ण स्थान है। धन के न्यायसंगत वितरण में सहकारी समितियाँ बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। अतः औद्योगिक विकास में सहकारिता की उल्लेखनीय भूमिका है।

वृहत उद्योग एवं सहकारिता

विश्व के अनेक देशों के सहकारी आन्दोलन के अध्ययन से पता चलता है कि सहकारिता केवल लघु एव कुटीर उद्योगों में अधिक सफल रही है। भारतवर्ष में भी यही स्थिति है। सामान्यतः कमजोर एव निर्धन व्यक्ति अथवा छोटे उद्योगपति ही सहकारिता के आधार पर औद्योगिक उत्पादन करते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सहकारिता केवल निर्धन एव निर्बल व्यक्तियों का संगठन है। किन्तु यह हमेशा सत्य नहीं होता। बड़े उद्योगों में सहकारिता का विकास न होने के कुछ कारण हैं। प्रथम, सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं है बल्कि सेवा को अधिक महत्त्व दिया जाता है। सहकारिता कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में धन इकट्ठा नहीं होने देता। अतः अविकलाश धनी व्यक्ति सहकारिता की तरफ न बढ़कर अपन विभी उद्योग स्थापित करना उत्तम समझते हैं ताकि उनको अधिकतम लाभ मिल सके।

दूसरे, वृहत उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिये बहुत बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है क्योंकि सामान्यतः सहकारी समितियों के पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि बड़े उद्योग स्थापित कर सकें। उदाहरणतः लौह एव इस्पात उद्योग की स्थापना के लिये ५० से १०० करोड़ तक की पूंजी की आवश्यकता होती है। सीमेन्ट, जूट, सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना के लिये भी बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है जिसका या तो सरकार प्रबन्ध कर सकती है या बड़े पूंजीपति। सहकारी समितियों में धनवान व्यक्ति इसलिये अपनी पूंजी नहीं लगाना चाहते क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। अतः सहकारी क्षेत्र वृहत उद्योगों में उल्लेखनीय स्थान नहीं प्राप्त कर सकता।

तीसरे, सहकारिता में प्रजातान्त्रिक प्रबन्ध एव नियन्त्रण महत्वपूर्ण है। अविकलाश सहकारी समितियाँ अवैतनिक व्यक्तियों द्वारा प्रबन्धित हैं। कहीं-कहीं कर्मचारियों को कम पारिश्रमिक देकर कार्य चलाया जाता है। उन कर्मचारियों एव प्रबन्धक साधारण सभा के प्रति अधिक उत्तरदायी नहीं ठहराये जा सकते हैं। किन्तु बड़े उद्योगों में प्रबन्ध बहुत योग्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और प्रबन्धकों को बहुत ऊँची वेतन दी जाती है। ये साधारण सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिये आवश्यक स्थानों पर बहुत योग्य एव अनुभवी व्यक्तियों को रखना पड़ता है जिससे प्रबन्धक पर बहुत बड़ा खर्चा होना है। सहकारी समितियाँ इतना प्रबन्ध व्यय बहन नहीं कर सकती।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सहकारी समितियाँ बड़े पैमाने पर

उत्पादन करने में असमर्थ हैं। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके कुछ अपवाद भी हैं उदाहरण के लिये इंग्लैंड में थोक समितियाँ बड़े-बड़े औद्योगिक उत्पादन कार्य करती हैं और अपने स्वयं के यातायात के माधनों द्वारा कार्य सम्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त स्वीडन में भी सहकारी आधार पर उत्पादन इतनी बड़ी मात्रा में होता है कि बड़े बड़े निजी उत्पादकों से अच्छी तरह प्रतिस्पर्धा की जा सकती है। भारतवर्ष में अभी ऐसी स्थिति नहीं है। छोटे, एवं मध्य श्रेणी के उद्योगों में सहकारिता के आधार पर उत्पादन किया जा रहा है।

भारत में औद्योगिक सहकारी समितियाँ

जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है कि भारत में कुटीर तथा उद्योगों के क्षेत्र में सहकारिता ने अधिक प्रगति की है। अध्ययन की सुविधा के लिये औद्योगिक समितियों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। विवरण निम्न प्रकार है

(A) बुनकरों की समितियाँ

भारत में हाथ करपा उद्योग का यहाँ की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय स्थान है। इस उद्योग में लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है और प्रतिवर्ष लगभग ३५० करोड़ रुज से भी अधिक कपड़ा बनाते हैं। इस उद्योग के विकास में मुख्य समस्याएँ कच्चे माल की कमी, विपणन, बड़ी गिनों में प्रतिस्पर्धा, वित्त आदि हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिये कई व्यक्तियों का संगठन बहुत आवश्यक है। ये व्यक्ति अपने आर्थिक साधन एकत्र करके सहकारी आधार पर उत्पादन कर सकते हैं। हमारे देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व सहकारिता ने इस क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं की। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में सहकारी आधार पर हाथ करपा उद्योग को विकसित करने के प्रयत्न किये गये तथापि सफलता नहीं मिल सकी। इस उद्योग की उन्नति सन् १९१२ में अखिल भारतीय हाथ करपा बोर्ड (All India Handloom Board) की स्थापना से हुई है। इससे पूर्व शाही आयोग (Royal Commission) ने सिफारिश की थी कि शमीण उद्योगों को तेज बढ़ती प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिये सहकारी आधार पर इनका विकास करना आवश्यक है।^१

बुनकर समितियों के उद्देश्य

बुनकरों की समितियों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

(१) समिति द्वारा सदस्यों के लिये कच्चे माल की समस्या का निवारण करना। इसके लिये समितियाँ आवश्यक माल इकट्ठा खरीद लेती हैं जिससे सस्ता माल उपलब्ध हो जाता है। सदस्यों को सस्ता कच्चा माल मिल जाने से तैयार माल की कीमतें भी ऊँची नहीं होती हैं। अतः विक्रय में सुविधा होती है।

1. The Royal Commission had observed that "for the Survival of the village industry in the fast increasing competition it is essential that they are developed on a Co-operative basis"

(२) बुनकरो के समझ बर्तमान खर्चों के लिये धन का अभाव होता है। समितियाँ अपने पास धन इकट्ठा करती हैं और सदस्यों को चालू खर्चों की पूर्ति के लिये व्यवस्था करती हैं।

(३) प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिये माल उत्तम किस्म का होना आवश्यक है इसके लिये आधुनिक व उत्तम विधियाँ काम में लानी पड़ती हैं। इस सम्बन्ध में समितियाँ तबनीकी सलाह प्रदान करती हैं।

(४) माल की अधिक माँग उत्पन्न करने के लिये छपाई, रगाई आदि की आवश्यकता होती है। समितियाँ इन कार्यों की सेवाएँ प्रदान करती हैं।

(५) समितियाँ अपने सदस्यों के निर्मित माल के विक्रय की उचित व्यवस्था करती हैं।

हाथ करघा समितियों के प्रकार

प्राथमिक स्तर पर हाथ करघा समितियाँ दो प्रकार की होती हैं। प्रथम प्रकार की समितियाँ अपने सदस्यों को उत्पादन के लिये विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती हैं ये समितियाँ इकट्ठा सूत खरीदती हैं और सदस्यों को प्रदान कर देती हैं। इसके अनिश्चित ऋण प्रदान करना, उत्पादित माल को बेचने का कार्य भी करती हैं। दूसरे प्रकार की समितियाँ स्वयं सदस्यों के द्वारा माल उत्पन्न कराती हैं सदस्य मिल जुल कर माल उत्पन्न करते हैं। उत्पादन के लिये समिति करघे एवं अन्य उपकरण लगाती हैं। उत्पादन कार्य में भाग लेने वाले बुनकरो को मजदूरी प्रदान की जाती है। लाभार्थ भी बुनकरो द्वारा कमायी गयी मजदूरी के अनुपात में वितरित कर दिये जाते हैं।

बुनकरो की सहकारी समितियों के सघीय संगठन में प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक समितियाँ होती हैं। इन समितियों के ऊपर जिला स्तर पर केन्द्रीय समितियाँ होती हैं। राज्य स्तर पर राज्य सरकारी समिति तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बुनकर समिति होती है। जून १९६७ के अन्त में हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक सघ, राज्य स्तर पर २२ सघ केन्द्रीय समितियाँ १०७ तथा प्राथमिक समितियाँ १२८१६ थीं।^१

बुनकर समितियों की प्रगति

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व बुनकर समितियों ने कोई प्रगति नहीं की। सन् १९५० से इस उद्योग को मदी का सामना करना पड़ा। बिना विके माल की मात्रा अधिक हो गयी और बुनकरो में बेरोजगार बढ़ने लगा सरकार ने ऐसी स्थिति में उद्योग की सहायता के प्रयत्न किये। सन् १९५२ में आखिल भारतीय हाथ करघा बोर्ड स्थापित किया। बोर्ड की स्थापना से इस उद्योग का नवीन युग प्रारम्भ हुआ। इसने हाथ करघा उद्योग के विकास के सहकारी आधार पर विकास के अनेक कार्यक्रम बनाये। प्रथम पंचवर्षीय योजना १९५०-५१ में प्रारम्भ हुई जिसमें सहकारिता के आधार पर विकास करने पर बल दिया गया। अखिल

भारतीय बुनकर हाय करषा बोर्ड के पदचात् १९५३ मे देश मे १७६० बुनकर समितियाँ थी, जिनकी सदस्यता ७१३ लाख थी और समितियों मे ४३१ लाख करषा लगे हुए थे।¹

आरम्भ मे बुनकरों की समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी किन्तु बाद मे समितियों के अपने साधनों से अधिक धन पाने के प्रयत्न किये गये। इसके लिये विभिन्न प्रकार की बुनकर समितियों मे अशो का मूल्य बढ़ाया गया। सदस्यों की सख्या मे भी वृद्धि करने के प्रयत्न किये गये। इन प्रयत्नों से करषों की संख्या मे पर्याप्त वृद्धि हुई। वर्ष १९५३ मे जहाँ करषों की संख्या ४३१ लाख थी वहाँ प्रथम, द्वितीय तथा तीसरी योजना के अन्त मे करषों की सख्या क्रमशः १०.२६ लाख १३.२४ लाख १४.४ लाख हो गयी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे हस्त करषा उद्योग पर २९ करोड रुपये व्यय किए गये। इससे इन समितियों के विकास मे पर्याप्त सहायता मिली। वर्ष १९६१ के अन्त मे बुनकर समितियों की सख्या १०८४९ थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना मे प्रथम दो योजनाओं मे की गयी प्रगति के अनुभव तथा उन्नति के नवीन कार्य त्रयो के आधार पर तेज गति से विकास करने के प्रयत्न किये गये। प्रथम तीन योजनाओं मे किये गये प्रयत्नों से करषों की सख्या और समितियों की कार्य-शील पूंजी मे पर्याप्त वृद्धि हुई। वर्ष १९६५-६६ मे प्राथमिक बुनकर समितियों की प्रदत्त पूंजी बढ़ कर ६.४७ करोड रुपये हो गयी और संचित कोष बढ़ कर ८.७८ करोड रुपये हो गये। कुल कार्यशील पूंजी इस वर्ष के अन्त तक ३३.८२ करोड रुपये हो गयी। ३० जून १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष मे बुनकर समितियों द्वारा ५३.०३ करोड रुपये का माल उत्पादित किया गया और ५३.८६ करोड रुपये का माल बेचा गया। जून १९६६ के अंत मे १८८८ विनय डिपो ९२ नमूने बनाने की फंक्शियाँ और ६८५ रुप घर कार्यशील थे।² जून १९६७ के अंत मे बुनकर समितियों की स्थिति निम्न प्रकार थी

बुनकर सहकारी समितियाँ³

(जून १९६७)

समितियों का प्रकार	सख्या	सदस्यता	पूंजी
१ राष्ट्रीय	१	११५८	९०
२ राज्य	२२	८५१०	७९५
३ केन्द्रीय	१०५	७३७१	१५३
४ प्राथमिक	१२,८१६	१३,३३,०२१	३५२४

(Source—India 1969)

- 1 Indian Cooperative Review July 1969, Special Number Industrial Cooperative, page 502
- 2 The Times of India Year Book 1968, p 272
- 3 India 1969 p 272

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हाथ करघा उद्योग में सहकारिता का अधिक विकास किया जायेगा। इस काल में इस बात पर अधिक बल दिया जायेगा कि ये समितियाँ उत्पादक (Producer) हों। भविष्य में नयी समितियों के संगठन पर अधिक जोर न देकर वर्तमान समितियों का हठीकरण किया जायेगा। अखिल भारतीय हाथ करघा बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि सहकारी समितियों को उत्पादन विक्रय नमूने की बनानी है। बोर्ड ने विक्रय में सहायता के लिये छुट (Rebate) का काय क्रम चालू किया है। इसके अतिरिक्त बोर्ड किस्म नियन्त्रण विज्ञापन, प्रचार आदि कार्यों की तरफ अधिक ध्यान देगा।

बुनकर समितियों की समस्यायें

भारतवर्ष में हाथ करघा सहकारी समितियों के विकास में अनेक बाधाएँ हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं

(१) प्रतिस्पर्धा

हाथ करघा उद्योग को मिल के कपड़े से कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। बुनकर समितियों द्वारा जो माल तैयार किया जाता है उस पर मिलों की तुलना में लगातार मूल्य अधिक पड़ता है अतः विक्रय में बहुत बड़ी कठिनाई आती है। समितियों को कपड़ा बनाने के लिये मिलों से जो सूत क्रय करना पड़ता है यह ऊँचे मूल्यों पर उपलब्ध होता है जिसका प्रभाव लगातार मूल्य पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त मिलों को बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ मिलते हैं जिससे ये कम लागत पर कपड़ा तैयार कर लेती हैं।

(२) वित्तीय कठिनाई

बुनकर समितियों के पास वित्तीय साधनों का अभाव पाया जाता है। बुनकर अधिकांश निधन होते हैं अतः अधिक पूँजी की व्यवस्था करने में असमर्थ होते हैं। समितियाँ पर्याप्त मात्रा में सदस्यों को ऋण सुविधाएँ नहीं दे पाती हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक विधियाँ काम में लेने के लिये भी अधिक धन की आवश्यकता होती है। यद्यपि आजकल सघीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सरकार भी सहायता प्रदान करती है किन्तु समितियों के पास निजी पूँजी का अभाव है। निजी पूँजी के अभाव में बड़ी मात्रा में उत्पादन कार्य बहुत कठिन होते हैं।

(३) उचित विक्रय व्यवस्था का अभाव

समितियों के पास अच्छे कर्मचारियों का अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय स्थिति भी कमजोर होती है जिससे विक्रय की उचित व्यवस्था नहीं हो सकती है। समितियाँ न तो बाजार अनुमोदन कर पाती हैं और न ही विक्री बढ़ाने के तरीके अपना पाती हैं। समितियाँ प्रायः वेतन कम देती हैं। अतः अच्छे विक्रय करने वाले कर्मचारी इन समितियों में आना ही नहीं चाहते।

(४) किस्म नियन्त्रण का अभाव

बुनकर समितियाँ किस्म नियन्त्रण पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती हैं। यद्यपि आजकल अखिल भारतीय हाथ करघा बोर्ड इस तरफ ध्यान दे रहा है तथापि किस्म

औद्योगिक सहकारिता

में अधिक सुधार नहीं हो पाया है। किस्म नियन्त्रण के अभाव में माल की मांग अधिक विस्तृत नहीं हो सकती।

(५) हाथ करघों का बिखरा होना

ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ करघे बिखरे हुये होते हैं। ऐसी स्थिति में उनको उचित तरीके से संगठित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बुनकरों की कुशलता में भी वृद्धि नहीं हो पाती है।

उक्त समस्याओं के कारण हाथ करघा उद्योग अधिक विकास नहीं कर सका है। अखिल भारतीय हाथ करघा बोर्ड ने इन समस्याओं के समाधान के अनेकों प्रयत्न किये हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यह बोर्ड अधिक सुविधाएँ प्रदान कर सकेगा।

(B) अन्य औद्योगिक समितियाँ

बुनकर समितियों के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक समितियों में हस्तकला, खादी, रेशम, जटा जूट कटाई मिल, चोनी मिले आदि सम्मिलित की जा सकती हैं। हस्तकला विकास के लिये अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, १९५३ (All India Handicrafts Board 1953) की स्थापना की जा चुकी है। इस बोर्ड में ४० विभिन्न कलाओं के लिये आर्थिक सहायता की व्यवस्था की है। इनमें से कुछ मुख्य कलाएँ हाथी दाँत दरियाँ, छपाई, जरी का काम नक्कासी, दर्तन आदि हैं। यह उद्योग निर्यात द्वारा विदेशों मुद्रा के अर्जन में भी सहायक है। जून १९६६ के अन्त में हमारे देशों में कुल हस्त कला समितियाँ २७९० थीं। इनकी सदस्य संख्या १०८ लाख, पूंजी १७६०२ हजार रुपये एवं बिक्री १५५५५ हजार रुपये थी।

पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण उद्योग सहकारी समितियों की तरफ भी ध्यान दिया गया। इन समितियों के तेल, साबुन, गुड़, खण्डसारी, बाल, चमड़ा, कुटीर दियासलाई, लुहार का कार्य, बडई, रेशा, मधुमक्खी पालन आदि उद्योग हैं। ३० जून १९६६ को तेल निकालने की ४४६३ समितियाँ, गुड़ एवं खण्डसारी ४८४१ समितियाँ, अन्य ग्रामीण समितियाँ ९७९६ थीं। इन समितियों का विकास गाँधी दर्शन के आधार पर किया जा रहा है।

नारियल की रस्सी बनाने वाली समितियों का सबसे अधिक विकास केरल में किया गया है। यह उद्योग निर्यात भी करता है। नारियल की रस्सियों का वार्षिक उत्पादन १,५०,००० टन है। इस उत्पादन का लगभग आधा निर्यात कर दिया जाता है। केरल में इस उद्योग में ३५ लाख व्यक्ति लगे हुए हैं जिनमें से सहकारी क्षेत्र में ११२ लाख श्रमिक आते हैं। सन् १९५० में सहकारी आधार पर इस उद्योग में तेज गति से विकास करना प्रारम्भ किया। सन् १९५४ में अखिल भारतीय नारियल रस्सी बोर्ड (All India Coir Board) की स्थापना की गयी। नारियल की रस्सी बनाने के लिये नारियल का छिन्नका कच्चा माल होता है। इसे प्राप्त करने के लिये छिन्नका समितियाँ (Husk Societies) स्थापित की गयीं हैं। ये समितियाँ रस्सी बनाने वाली समितियों को कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं वर्ष १९६७-६८ में नारियल की रस्सी बनाने वाली समितियों की स्थिति निम्न प्रकार थी —

नारियल की रस्ती बनाने वाली समितियाँ
(१९६७-१९६८)

राज्य एव केन्द्र शासित प्रदेश	सख्या (समितियाँ)	सदस्यता
केरल	४७६	११२९९०
तामिलनाडु	३५	२५९६
मंसूर	३४	३१२९
आन्ध्र प्रदेश	३	३७४
उडीसा	६	५४३
महाराष्ट्र	७	७५६
गुजरात	२	१०४
पश्चिमी बंगाल	५	१५४
पाण्डिचेरी	२	१५२

सहकारी औद्योगिक मिलों में चीनी कारखानों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमारे देश में ७६ सहकारी चीनी के कारखाने थे जिनके द्वारा कुल चीनी उत्पादन का २६४ प्रतिशत उत्पादित की गयी। वर्ष १९६७-६८ के अन्त में सहकारी चीनी मिलों की संख्या ७९ हो गयी और उनके द्वारा उत्पादन देश के कुल चीनी उत्पादन की ३१४ प्रतिशत था। वर्ष १९६७-६८ में समितियों की सदस्य संख्या ३४१०१७ थी जबकि वर्ष १९६५-६६ में २८०२५२ थी।¹

उपरोक्त समितियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की औद्योगिक समितियाँ भी हैं। सभी प्रकार की औद्योगिक समितियों में अनेक प्रयत्न करने के बाद भी अधिक सफलता नहीं मिल सकी। जून १९६६ को हमारे देश में सभी प्रकार की औद्योगिक समितियों की जो स्थिति थी वह नीचे दी जा रही है।

सभी प्रकार की औद्योगिक समितियाँ
(जून १९६६)

संख्या	४८३६१
सदस्यता	३०७६०८६
पूंजी	१२२८९ करोड़ रुपये
विक्रय	१३०९८ करोड़ रुपये

औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या, सदस्य, पूंजी तथा विक्रय में पर्याप्त वृद्धि हुई है किन्तु फिर भी सतोपजनक वृद्धि नहीं कही जा सकी। चतुर्थ पंचवर्षीय

1 रिपोर्ट १९६८-६९ भारत सरकार (सहकारिता विभाग) पृष्ठ ९६।

योजना में इस क्षेत्र में समितियों को अधिक सुदृढ़ करने के प्रयत्न किए जायेंगे। सभी प्रकार की समितियों की संख्या बढ़ाने के बजाय उनका दृढीकरण करने के प्रयत्न किए जायेंगे।

औद्योगिक सहकारी समितियों की वित्तीय सहायता

भारतवर्ष में औद्योगिक समितियों को निम्नलिखित स्रोतों से सहायता प्राप्त होती है -

(१) सहकारी बैंक -

औद्योगिक समितियों को निधियाँ प्राप्त करने के साधनों में केन्द्रीय सहकारी बैंको का स्थान उल्लेखनीय है। राज्य सहकारी बैंक भी इन समितियों को अल्प एवं मध्यकालीन ऋण सुविधायें उपलब्ध कराती है। वृत्तीय योजना के अन्त में १४२ केन्द्रीय सहकारी बैंको में से ६५ बैंको ने विधिवत समितियों को ऋण दिये, १३७ बैंको ने बुनकर समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की और ११८ बैंको ने अन्य औद्योगिक समितियों को सहायता दी।^१

औद्योगिक ऋण प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंको ने निम्नलिखित प्रयत्न किए हैं

- (i) इन समितियों को निधियाँ उपलब्ध कराने के लिए अपनी निधियों में से कुछ भाग सुरक्षित रचना।
- (ii) समितियों के ऋण प्राप्त करने के प्रायोजना पत्रों और अन्य कार्यों के लिए औद्योगिक उप-समिति का संगठन करना।
- (iii) अपने संचालक मण्डल में औद्योगिक समितियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करना।
- (iv) औद्योगिक समितियों के मामलों की देखरेख के लिए उप-व्यवस्थापक, उप-सचिव और निरीक्षक नियुक्त करना।

सहकारी बैंको द्वारा औद्योगिक समितियों को २३ प्रतिशत कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान कराने के लिए सरकार अनुदान देती है जिससे बैंक दर ब घटी हुई दर का अन्तर पूरा किया जा सके। सहकारी बैंक जो ऋण औद्योगिक समितियों को प्रदान करते हैं उनसे जो हानि होती है उसे सरकार पूरा करती है और इसके लिए एक गारण्टी का कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें नुकसान ९० प्रतिशत तक केन्द्र व राज्य सरकारों के अन्तर्गत में वहन करती हैं। सहकारी बैंक इन समितियों को निम्न प्रकार भी सहायता प्रदान करती है -^२

- (i) सहकारी बैंक औद्योगिक समिति को उसकी निजी पूंजी तक मलिन अकोमोडेशन उपलब्ध कराती है।

1. Role of Industrial Cooperative Banks p 539, Indian Cooperative Review, July 1969, Industrial Cooperatives Special Number.

2. सहकारी समाज, जयपुर, फरवरी १९६८, पृष्ठ ४२१

(ii) बैंक के गोदाम में कच्चा माल तथा तैयार माल रखा जाए उस पर रहन ऋण सुविधा देती हैं।

(iii) प्रथम और द्वितीय सुविधायें न मिल सकें वहाँ कारखानों के अनुसार अग्रिम धन दिया जाता है।

(iv) ऋता को भेजे जाने वाले सामान की रेलवे रसीद पर अग्रिम देना।

(v) व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहक को आयात करने अथवा थोक के काम करने पर जो सुविधायें उपलब्ध कराती हैं वे सभी सुविधायें सहकारी बैंक औद्योगिक समितियों को प्रदान करती हैं।

उक्त सभी सुविधाओं की व्यवस्था के बाद भी औद्योगिक सहकारी समितियों की वित्तीय सहायता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती है।

(२) औद्योगिक सहकारी बैंक

औद्योगिक सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए औद्योगिक सहकारी बैंकों की भी स्थापना की जाने लगी है। प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय औद्योगिक बैंक होनी चाहिए जिसकी अनेकों उप समितियाँ विभिन्न क्षेत्रों में हों।¹ औद्योगिक बैंक राज्य स्तर पर तथा क्षेत्रीय व जिला स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं। देश में कुछ राज्यों में क्षेत्रीय व जिला स्तर और राज्य स्तर की औद्योगिक बैंक स्थापित हो चुकी हैं। जिला अथवा क्षेत्रीय बैंकों में व्यक्तिगत सदस्यता भी खुली होती है किन्तु शीप बैंकों में सदस्यता केवल सहकारी समितियों तक ही सीमित होती है।

(३) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

स्टेट बैंक ने भी औद्योगिक सहकारी समितियों को माल देना प्रारम्भ किया है। जो औद्योगिक बैंक औद्योगिक समितियों को माल प्रदान करने में असमर्थ हैं उनको स्टेट बैंक से सहायता दी जायेगी।² औद्योगिक समितियों को दो प्रकार के उद्देश्यों के लिये साख की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम, पूंजीगत समितियों और द्वितीय कार्यशील पूंजी के लिये। यह बैंक दोनों प्रकार की साख सुविधायें प्रदान करती हैं। स्टेट बैंक औद्योगिक सहकारी समितियों को घटी दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। यह बैंक सन् १९५६ से पाइलट (Pilot) योजना के अन्तर्गत औद्योगिक समितियों को सहायता प्रदान कर रहा है।

- 1 Role of Industrial Cooperative Banks, p 541, Indian Cooperative Review, July 1969
- 2, On the recommendation of the Working Group the Central Govt decided that "Wherever Cooperative banks were not in a position to finance industrial cooperation they may be financed by the State Bank of India

स्टेट बैंक कार्यशील पूंजी के लिये जो अग्रिम देता है जिनमे से कुछ निम्नलिखित हैं ^१

(१) 'ताने और चाबी' अग्रिम ('Lock and Key' Advances)

ये अग्रिम स्वीकार करने योग्य कच्चे माल और निर्मित माल के रहन पर प्रदान किया जाता है। इस अग्रिम से समितियां अधिक मात्रा में कच्चा माल खरीद सकती हैं। जो कच्चा माल शीघ्र कार्य में नहीं लिया जाता है वह बैंक के ताने और चाबी के अन्तर्गत होता है इसी प्रकार तैयार माल को सुपुर्दगी तक के लिये माल प्रदान किया जाता है।

(२) 'फैक्ट्री टाइप अग्रिम ('Factory Type' Advances)

इस प्रकार का अग्रिम जो स्टॉक निर्माण विधि (process) के अन्तर्गत है, उसके रहन पर दिया जाता है। फैक्ट्री में बैंक की तरफ से पूरे समय निगरानी के लिये एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार के अग्रिम उत्पादन कार्यों के लिये होते हैं।

(३) कार्यशील पूंजी के लिये कुछ अग्रिम निर्मित माल को सुपुर्दगी के विनिमय पत्रों के रहन पर भी स्वीकार किये जाते हैं।

(४) कर्षण कार्यशील पूंजी अग्रिम सरकारी गारण्टी अथवा शीपिंग या केन्द्रीय या औद्योगिक सहकारी बैंकों की गारण्टी पर दिया जाता है।

स्टेट बैंक सहकारी समितियों को कच्चे माल खरीदने के लिये भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

रिजर्व बैंक

भारतवर्ष में रिजर्व बैंक शीपिंग वुनकर समितियों को मूल खरीदने के लिये सहायता देती है। यह व्यवस्था सन् १९५२ में चालू की गयी है। किन्तु १९५३ के पश्चात् इस बैंक ने सभी लघु एव कुटोर उद्योगों का उत्पादन तथा विक्रय के लिये सहायता प्रदान करनी प्रारम्भ कर दी है। हाथ करषा उद्योग के लिये एक पाइलट योजना चालू की गयी है।

अन्य वित्तीय सुविधाएँ

राज्य वित्त निगम उत्पादन करने वाली, माल सवार सहकारी समितियों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन सहायता प्रदान करते हैं। सहकारी औद्योगिक बस्तियों को जीवन बीमा निगम (L. I. C.) द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है औद्योगिक समितियों को राजकीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

औद्योगिक सहकारी विकास में बाधाएँ

हमारे देश में सहकारिता के आधार पर औद्योगिक विकास के अनेक

1. State Bank of India and Industrial Cooperative p 545, Indian Cooperative Review, July 1969.

प्रयत्न पंचवर्षीय योजनाओं में किये गये किन्तु कोई विशेष प्रगति न हो सकी। इस दिशा में बढ़ने के माग में अनक बाधाएँ हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है

(१) वित्तीय कठिनाइयाँ

औद्योगिक समितियों के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या वित्तीय साधनों का अभाव है। पंचवर्षीय योजनाओं में शीपकेन्द्रीय व औद्योगिक सहकारी बैंकों ने वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की है किन्तु फिर भी औद्योगिक समितियों के पास पर्याप्त मात्रा में निधियाँ नहीं हो पाती हैं। वास्तव में देखा जाये तो केन्द्रीय सहकारी बैंक इन समितियों को अच्छी तरह से पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध नहीं करा सकी हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक बैंकों का भी अभी तक विशेष विकास नहीं हो सका है अतः वित्तीय कठिनाई बनी हुई है। यह एक सामान्य अनुभव की बात है कि उत्पादन कार्यों में अधिक धन की आवश्यकता है। बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदना पड़ता है और वस्तु निर्माण के लिये भी अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। धन के अभाव में उत्पादन में आधुनिक उपकरणों एवं विधियों का उपयोग भी नहीं हो सका है जिसका प्रभाव उत्पादन लागत पर पड़ता है।

(२) विक्रय प्रणाली

औद्योगिक समितियों के निमित्त माल के विपणन को भी प्रमुख समस्या है। समितियों के पास कभी-कभी निमित्त माल माँग के अभाव में इकट्ठा हो जाता है। माँग के अभाव का मुख्य कारण है उचित विपणन व्यवस्था का अभाव। उत्पादकों का माल विस्तृत बाजार में पहुँचाने की कठिनाई होती है। वस्तुओं का प्रचार भी नहीं हो पाता है। माल विक्रय योग्य बनाने के लिये प्रमाणीकरण विधियन आदि कार्यों की व्यवस्था न होने के कारण माल की साख अच्छी नहीं हो पाती है। फलतः कम माल विक्रयता है।

(३) कच्चे माल की मात्रा

सामान्यतः औद्योगिक सहकारियों में निधन व्यक्ति सदस्य बनते हैं। उनके पास धन का अभाव होता है और दूसरी तरफ समितियों के पास भी सीमित साधन होते हैं जिससे पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल का क्रय करना कठिन होता है। समितियाँ अपने सदस्यों के नियम अथवा स्वयं के लिये (यदि उत्पादन करती हैं) पर्याप्त मात्रा में माल नहीं खरीद पाती हैं जिससे वस्तुओं के उत्पादन में कठिनाई आती है। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियाँ थोक कच्चा माल भी नहीं खरीद पाती हैं। अतः उच्च मूल्यों पर कच्चा माल उपलब्ध होता है। यद्यपि आजकल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने कच्चे माल को रहन रख कर अधिम देना प्रारम्भ किया है। किन्तु इससे भी कई बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

(४) प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव

वर्तमान काल में बड़े-बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में जीवित रहने के लिये कम कीमत पर उत्तम निम्न के माल के उत्पादन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यह सब प्रशिक्षित एवं कुशल कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अधिकांश औद्योगिक समितियों

मे कर्मचारी प्राचीन विधियों से उत्पादन करते हैं जिससे माल की उत्तम किस्म नहीं होती है। अकुशल कर्मचारियों में उत्पादकता भी निम्न होती है अतः समितियों की उत्पादकता भी नीची रहती है।

(५) प्राविधिक सहायता का अभाव

आधुनिक विधियों से उत्पादन करने के लिये प्राविधिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है। नवीन औजारों को काम में लाने के लिये तकनीकी ज्ञान बहुत जरूरी है। हमारे देश में अधिकांश समितियों में उत्पादन में लगे व्यक्तियों को प्राविधिक ज्ञान नहीं है। इसके अतिरिक्त बहुत सी समितियाँ प्राविधिक सहायता के अभाव में नवीन उपकरणों को काम में भी नहीं ले पाती हैं।

(६) किस्म नियन्त्रण की कठिनाई :

किस्म नियन्त्रण आधुनिक उत्पादन की मूल आवश्यकता है। बाजार में उत्तम किस्म की वस्तुएँ अधिक विक्रती हैं। यद्यपि बड़े-बड़े उत्पादन गृहों में किस्म नियन्त्रण अपनाया गया है किन्तु सहकारी समितियाँ अनेक कारणों से किस्म नियन्त्रण नहीं कर पाती हैं। वस्तुओं के अभाव में एक प्रमाण की नहीं होती है जिससे उनकी साख नहीं बन पाती है। इसकी तरफ बड़े-बड़े उद्योगों के द्वारा निर्मित माल प्रेषित होता है जो कि बाजार में अधिक पसन्द किया जाता है।

(७) ऊँची लागत पर उत्पादन

औद्योगिक समितियों द्वारा अनेक कारणों से उत्पादन लागत ऊँची पड़ती है। लागत दर ऊँची होने का प्रमुख कारण निम्न उत्पादकता है। श्रमिक प्राचीन विधियों को काम में लेते हैं जिससे उनकी उत्पादकता में सुधार नहीं हो पाता है। माल का उत्पादन थोड़ी मात्रा में भी होता है जिससे अधिक उत्पादन की मितव्ययिता नहीं मिल पाती है। अतः लागत ऊँची पड़ती है।

(८) कठिन प्रतिस्पर्धा

बड़े-बड़े उद्योगों का विश्वास तेज गति से हो रहा है। उत्पादन की नवीन विधियाँ भी उनमें काम में ली जा रही हैं। क्रिया नियन्त्रण, कुशल कर्मचारी, आधुनिक प्रबन्ध, वित्तीय सुविधाओं आदि के कारण उत्तम और नीची लागत पर वस्तुएँ तैयार हो जाती हैं। बड़े उद्योगों को वृद्ध मात्रा में उत्पादन के लाभ भी मिलते हैं। अतः इनकी प्रतिस्पर्धा में औद्योगिक समितियों की स्थिति बहुत कमजोर होती है। दोनों क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें लघु एव बृटीर उद्योग टिक नहीं पाते हैं।

(९) अग्न्य

औद्योगिक समितियाँ बाजार अनुसन्धान करने में असमर्थ होती हैं। वस्तुओं की विभिन्न प्रकार की डिजाइनें नहीं डाल पाती हैं जिससे कम वस्तुएँ विक्रती हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक समितियों में कई प्रकार की संगठनात्मक कठिनाइयाँ भी हैं।

उक्त कठिनाइयाँ के कारण भारत के औद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता महत्व-

पूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सकी है। बड़े-बड़े उद्योगों के लिये यह क्षेत्र उपयुक्त सिद्ध नहीं हो पाया है। अतः औद्योगिक सहकारिता पिछड़ी अवस्था में है।

सुधार के सुभाव

औद्योगिक सहकारी समितियों को नयी शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है। समितियाँ स्वयं अपनी प्रबन्ध क्षमता को सुधार कर और अपने सदस्यों को दिन प्रतिदिन के कार्यों में अधिक लगाने का प्रयत्न करके सफलता प्राप्त कर सकती हैं। समितियाँ आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हानी चाहिये। औद्योगिक सहकारी आन्दोलन के लिये प्रथम और द्वितीय वर्किंग ग्रुप (Working Groups) ने अध्ययन किया और सुधार के सुभाव पेश किये। प्रथम वर्किंग ग्रुप ने जुलाई १९५८ में अपना प्रतिवेदन पेश किया। द्वितीय वर्किंग ग्रुप ने अपना प्रतिवेदन मई १९६३ में पेश किया। उपरोक्त अध्ययन दलों द्वारा दिये गये सुभाव तथा कुछ अन्य सुझाव निम्न प्रकार हैं

(१) कुछ सहकारी समितियों को आयातित कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। तृतीय योजना में यह समस्या भयंकर हो गयी। यद्यपि इस बाधा को दूर करने के प्रयत्न किये गये किन्तु फिर भी समस्या भयंकर है। इस समस्या के समाधान के लिये ऐसी औद्योगिक समितियाँ को कच्चा माल उपलब्ध कराया जाय जो कि निर्यात व्यापार में महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार ने कुछ समय पूर्व सहकारी समितियों के लिये कच्चे माल के आयात के लिये कुछ छूट भी दी है। समितियों को कच्चा माल, तथा कुछ आवश्यक सामान मगवाने के लिये लाइसेन्स देने की व्यवस्था करने का निर्णय किया है।

सरकार भविष्य में निर्यात किए जाने वाले सामान के उत्पादन के लिए समितियों को आवश्यक कच्चे माल के आयात की सुविधा प्रदान करे। इसके अतिरिक्त लाइसेन्स समितियाँ भी कुछ ढील दें ताकि औद्योगिक समितियों को पर्याप्त मात्रा में माल मिल सके।

(२) वित्तीय समस्या के समाधान के लिए औद्योगिक बैंक का पर्याप्त सहाय में संगठन किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में सघीय सहकारी ढाँचा बहुत आवश्यक है। प्राथमिक औद्योगिक बैंक केन्द्रीय औद्योगिक सहकारी बैंक की स्थापना करें। केन्द्रीय औद्योगिक सहकारी बैंक राज्य सीमा शीर्ष औद्योगिक बैंक स्थापित करें और राष्ट्रीय स्तर पर सभी शीप बैंक द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक बैंक स्थापित की जायें। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया भी औद्योगिक सहकारियों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करे।

(३) डामरी समिति (Damry committee) ने अपने प्रतिवेदन में औद्योगिक सहकारी समितियों का पुनसंगठन किया जाए। समितियों की सहाय में वृद्धि करने के स्थान पर समितियों का ढाँचा सुदृढ़ करना आवश्यक है। समितियों की सदस्यता, कार्यशील पूंजी तथा विन्नी में पर्याप्त वृद्धि की जाये। कमजोर समितियाँ जिनका सुधार किसी भी तरह सम्भव नहीं है उन्हें समाप्त करना चाहिए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस बात पर जोर देने का प्रयत्न किया जायगा कि समितियों की सहाय में वृद्धि करने के स्थान पर जो समितियाँ वर्तमान में उन्हें सुदृढ़ किया जाये।

(४) औद्योगिक समितियों की वस्तुओं की बिक्री की समस्या को भी अविलम्ब दूर किया जाये। वस्तुओं के विक्रय के लिए बाजार अनुसन्धान करना चाहिए और दूर दूर तक वस्तुओं को पहुँचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। बिक्री बढ़ाने के अन्य तरीके भी काम में लाने आवश्यक हैं। वस्तुओं की माँग पर बिक्री निभर करती है अतः माँग बढ़ाने के जो साधन हैं वे सभी काम में लेकर औद्योगिक समितियों की प्रगति की जा सकती है।

(५) उत्पादन कार्यों में किस्म नियन्त्रण की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। किस्म नियन्त्रण से वस्तुओं की किस्म सुधर जाती है और वस्तुओं प्रमाण के आधार पर तैयार हो जाती हैं। इससे वस्तुओं की साख बढ़ती है और माँग भी अधिक हो जाती है।

(६) समितियाँ अपने कार्य करने वाले श्रमिकों को अथवा सदस्यों को प्राविधिक शिक्षा प्रदान करे। कमचारियों को उचित प्रशिक्षण देने से उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। प्रशिक्षण उत्पादन विधियों और प्रबन्ध के लिए हो सकता है।

(७) सहकारी समितियों में आपस में आवश्यक वस्तुओं के व्यापार पर भी जोर देना चाहिए। उदाहरण के लिये गृह निर्माण समितियाँ ऐसी निर्माणी समितियों से माल ले सकती हैं जो कि खिडकियाँ, दरवाजे आदि बनाती हों। इसी प्रकार छोटे-मोटे इंजीनियरिंग के सामान बनाने वाली समितियों से कृषि औजार सस्ते जा सकते हैं।

उपरोक्त सुझावों के अतिरिक्त उत्पादन समितियों के निरीक्षण की भी उचित व्यवस्था की जाये। बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल कुटीर उद्योगों के लिये छोड़ दिया जाये। समितियों के प्रबन्धकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उत्पादन कार्यों में आधुनिक विधियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाये। सहकारिता के सिद्धान्तों की जानकारी सभी सदस्यों को दी जाये। इस प्रकार औद्योगिक सहकारी आन्दोलन का विराम किया जा सकता है। आता है कि भविष्य में इस दिशा में पर्याप्त उन्नति हो सकेगी।

प्रश्न

- भारतवर्ष में औद्योगिक सहकारिता की क्या आवश्यकता है ? इस क्षेत्र में क्या सफलता मिली है ? आप भविष्य में विकास के लिये क्या सुझाव देना चाहते हैं ?
- भारत में औद्योगिक सहकारी आन्दोलन की प्रगति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्या औद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता को सफलता मिली है ?
- औद्योगिक सहकारी विकास के माग में क्या बाधाएँ हैं ? इनके निराकरण के उपाय बतलाइये।

४. वृहत् उद्योगों में सहकारिता का विकास क्यों नहीं किया जा सका है ? क्या आपकी राय में बड़े उद्योगों के लिये सहकारिता उपयुक्त है ? कारण सहित उत्तर लिखिए ।
 ५. भारतवर्ष में बुनकर समितियों की प्रगति तथा समस्याओं का वर्णन कीजिए ।
 ६. 'औद्योगिक सहकारिता' विषय पर एक निबन्ध लिखिए ।
-

सहकारी गृह निर्माण समितियाँ (Cooperative Housing Societies)

आज विश्व में गृह निर्माण समस्या लगभग सभी देशों में है। भोजन और वस्त्र के पश्चात् गृह प्रमुख आवश्यकता है। मनुष्य के जीवन स्तर और रहन सहन में निरन्तर परिवर्तन होता जा रहा है। जनसंख्या तेजगति से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में गृह समस्या होना स्वभाविक भी है। भारतवर्ष में जनसंख्या की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ग्रामीण जनता शहरी की तरफ बढ़ने लगी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् निरन्तर बाहर से शरणार्थी देश में आ रहे हैं। प्रतिवर्ष देश के किसी न किसी भाग में बाढ़ आ जाती है जिससे घर नष्ट हो जाते हैं। इन सब परिस्थितियों में गृह निर्माण समस्या को अधिक गम्भीर बना दिया है। देश के अनेक बड़े-बड़े नगरों में औद्योगिकरण तेज गति से हो रहा है। श्रमिक तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है जिससे रहने की समस्या जटिल होती जा रही है। गृह समस्या निम्न तथा मध्य वर्ग के लिये अधिक भयंकर है। तृतीय पक्षवर्षीय योजना के अन्त तक हमारे देश में ७४ लाख घरों की कमी थी। गृह समस्या विश्व के विकसित राष्ट्रों जैसे संयुक्त राज्य अमरीका, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन आदि में भी है। एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका आदि के विकासशील राष्ट्रों के सामने यह समस्या जनसंख्या के तेजगति से बढ़ने के कारण विकट होती जा रही है। गृह निर्माण समस्या उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है घरों के निर्माण पर बहुत बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता। निम्न आय तथा मध्यम आय वाले व्यक्ति इतनी बड़ी मात्रा में धन जुटाने में असमर्थ हैं। अतः सहकारिता के आधार पर समस्या का समाधान किया जा सकता है। इंग्लैण्ड में सहकारी आधार पर घर निर्माण कार्य उन्नीसवीं शताब्दी में प्रारम्भ हो गया था। हमारे देश में सन् १९१५ में चम्बई में इस प्रकार के प्रयत्न किये गये। धीरे-धीरे देश के अन्य भागों में भी आन्दोलन ने प्रगति की।

सहकारी गृह निर्माण समितियों का प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों को घर सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराना है। समितियाँ सम्मिलित रूप में उचित दामों पर घर प्रदान करती हैं। गृह निर्माण समितियाँ भवन बनाने के लिये सदस्यों की विभिन्न सुविधायें प्रदान करती हैं। समितियाँ सदस्यों की गृह समस्या का निवारण करके उनका जीवन स्तर ऊँचा उठाती हैं। निर्माण समितियाँ सदस्यों को मकान गिरवी रख कर ऋण भी प्रदान करती हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये गृह निर्माण आन्दोलन ने छत्तिसगढ़, महाराष्ट्र, मैसूर और पश्चिमी बंगाल में अधिक उत्थिति की। हमारे देश में पञ्चवर्षीय योजनाओं में गृह निर्माण समस्या को अधिक ध्यान में रखते हुए भी इस क्षेत्र में विनियोजन निरन्तर गिरता रहा है। इसका प्रमुख कारण राज्य सरकारों ने इस तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया है। वास्तव में गृह समस्या के निराकरण की तरफ न ध्यान देने की नीति बल्किाणकारी राष्ट्र के लिये उपयुक्त नहीं है। गृह निर्माण से अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ हो सकते हैं। अच्छे घरों में रहने वाले व्यक्ति स्वस्थ होते हैं। उनकी कार्यक्षमता अधिक होती है। तथा इनमें रहने वाले परिवार अधिक अनुशासनशील होते हैं।

गृह निर्माण समितियों का वर्गीकरण

गृह निर्माण समितियों के विभिन्न रूप निम्न प्रकार हैं —

(१) व्यक्तिगत गृह स्वामित्व वाली समितियाँ (Individual Home Ownership Societies) .

व्यक्तिगत गृह स्वामित्व वाली समितियाँ वास्तव में देखा जाये तो विदेश प्रकार की ऋण समितियाँ होती हैं। यद्यपि ये समितियाँ ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त अन्य कई घर निर्माण सम्बन्धी बातों में सहायता प्रदान करती हैं। ये समितियाँ अपनी पूंजी का निर्माण अथवा पूंजी और जमा क रूप में करती हैं। जो सदस्य मकान खरीदते हैं वे मकान के मूल्य का एक निश्चित भाग समिति में जमा करवा देते हैं। ये समितियाँ मकानों को गिरवी रख कर ऋण भी प्रदान करती हैं। ऋण की अवधि पाँच वर्ष से २० वर्ष तक हो सकती है। समितियाँ गृह निर्माण के लिये आवश्यक सामान भी उपलब्ध कराती हैं। मकान बनाने में पूर्व भूमि प्राप्त करने की समस्या भी विकट होती है। समितियाँ सस्ते मूल्यों पर भूमि दिलाने में भी सहायता प्रदान करती हैं।

(२) किरायेदार मालिक समितियाँ (Tenant Ownership Housing Societies) .

ये गृह निर्माण समितियाँ अपने सदस्यों को मकान बनवा देती हैं। आरम्भ में घरों का स्वामित्व समितियों के पास होता है। सदस्य महीने में किराया जमा करते रहते हैं। मकान किराये से समितियाँ अपने ऋणों का भुगतान करती रहती हैं। समितियाँ जब अपना पूरा ऋण चुका देती हैं तब किरायेदार मकान के मालिक हो जाती हैं। इसके पश्चात् भी समितियाँ सदस्यों से थोड़ी मात्रा में किराया लेती हैं जो कि समिति के व्ययों पर व्यय किया जाता है। समिति के सदस्य इन मकानों को समिति की पूर्ण अनुमति के बिना न तो किराये पर दे सकते हैं और न ही वे उन मकानों को बच सकते हैं। यह एक व्यवस्था समिति पक्ष में निर्मित रूप में कर लेती है।

(३) सह सप्तशरो गृह निर्माण सहकारी समितियाँ (Copartnership)

ऐसी समितियाँ सदस्यों के लिये मकान बना कर सदस्यों को दे देती हैं और उनसे किराया लेती हैं। समितियाँ मकानों की अनुमानित लागत का एक चौथाई भाग सदस्यों से बराबरी के रूप में ले लेती हैं। समितियाँ किराया इतना लेती हैं जिससे समिति के व्यवस्थापकीय व्यय और किस्तों (जो समिति चुकाती है) को पूरित होवा रहे। जब समितियाँ लागत के बराबर किराया सदस्यों से प्राप्त कर लेती हैं अपना ऋण चुका देती हैं तब शेष तीन-चौथाई रकम के अग्र दे दिये जाते हैं। समितियाँ अन्य अनेक सुविधायें जैसे खेल के मैदान सफाई, बाग आदि भी प्रदान करती हैं।

(४) फ्लैट स्वामित्व निर्माण समितियाँ (Flat Ownership Housing Societies)

ऐसी समितियाँ बहुत बड़ा मकान बनवा कर उसमें छोटे-छोटे फ्लैट बनवा लेती हैं और सदस्यों को दे देती हैं। इस प्रकार के मकान के विभिन्न खण्डों पर सदस्यों के अलग अलग स्वामित्व होते हैं।

सहकारी गृह निर्माण समितियों के लाभ

हमारे देश में गृह निर्माण समस्या बहुत गम्भीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिये सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यम आय तथा निम्न आय वाले व्यक्तियों के लिये बड़ी मात्रा में गृह निर्माण पर व्यय करना बहुत कठिन है। सहकारी आधार पर यह कार्य सरल हो जाता है। गृह निर्माण निजी क्षेत्रों में ही हो सकता है किन्तु उसके कई दोष हैं जिनके कारण सहकारिता का महत्व और भी बढ़ जाता है। गृह निर्माण समितियों के निम्नलिखित लाभ हैं -

(१) गृह निर्माण के लिये विभिन्न सुविधायें :

गृह निर्माण समितियाँ अपने सदस्यों को मकान बनाने के लिये ऋण की व्यवस्था करती हैं ऋण के अतिरिक्त मकान बनाने से सम्बन्धित कई कामों में सलाह भी प्रदान करती हैं। समितियाँ सदस्यों को गृह निर्माण के लिये आवश्यक सामान की भी व्यवस्था करती हैं। जो समितियाँ स्वयं मकान बनाती हैं। वे अपने सदस्यों को अन्य सुविधायें प्रदान करती हैं। इन समितियों के सदस्य जब मकान को लागत किराये के रूप में चुका देता है तो उनका व्यक्तिगत स्वामित्व हो जाता है।

(२) मकान मालिकों का दुर्व्यवहार न होना :

निजी क्षेत्र के मकान मालिक किरायेदारों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं। सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को जो मकान किराये पर देती हैं उनमें सदस्यों के हितों की तरफ अधिक ध्यान दिया जाता है। उचित किराये पर मकान मिल जाने के कारण किरायेदारों का शोषण भी नहीं होता है।

(३) जीवन स्तर ऊँचा उठाने में सहायक

सहकारी गृह निर्माण समितियाँ अच्छे मकान बनवा कर अपने सदस्यों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में सहायता प्रदान करती हैं। समितियाँ मकानों में अनेक सुविधायें प्रदान करती हैं। मकान आधुनिक ढंग के बनाये जाते हैं।

(४) श्रमिकों व कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि -

ये सहकारी समितियाँ अप्रत्यक्ष रूप से देश के श्रमिकों व कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि कराती हैं। अच्छे घरों की व्यवस्था होने से व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। उनका सम्पूर्ण परिवार सुखी रहता है जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है।

(५) उचित किराये पर मकान

किरायेदार समितियाँ अपने सदस्यों को उचित किराये पर मकान की व्यवस्था करती हैं। इससे निम्न व मध्यम वर्ग की आय में वृद्धि होती है क्योंकि उनको अधिक धन किराये पर व्यय नहीं करना पड़ेगा। कई बार मकान मिलने में भी कठिनाई होती है जिसे समितियाँ दूर कर सकती हैं।

(६) मध्यम व निम्न आय के व्यक्तियों के पास घर

धनवान व्यक्ति तो मकान बनवाने में सामर्थ्य होते हैं किन्तु निर्धन व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में मकान बनवाना स्वप्न ही रह जाता है। सहकारिता के माध्यम से निर्धन व्यक्ति भी घर बनाने में समर्थ हो जाते हैं क्योंकि गृह निर्माण समितियाँ अपने सदस्यों को इसके लिए लाभ व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराती हैं।

(७) कल्याणकारी राष्ट्र निर्माण में सहायक

सरकारी गृह निर्माण समितियाँ कल्याणकारी राज्य की स्थापना में बहुत सहायता प्रदान करती हैं। निर्धन व्यक्तियों के कल्याण में ये समितियाँ उल्लेखनीय स्थान प्राप्त कर रही हैं। निर्धन व्यक्तियों के पास उचित घर हो जाने से उनके आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है और उनका जीवन स्तर ऊँचा उठता है। देश के कमजोर वर्ग को ऊँचा उठाने में इस प्रकार की समितियाँ आवश्यक हैं।

(८) अन्य -

कई नगरों में निजी क्षेत्र भी मकानों की माँग की पूर्ति नहीं कर पाता है। इन भागों में सहकारी आधार पर गृह निर्माण करके सदस्यों की भलाई की जा सकती है। जिन भागों में मकान बहुत महंगे हैं वहाँ पर भी समितियाँ उपयोगी सिद्ध हुई हैं। औद्योगिक नगरों में किरायेदार सहकारी गृह निर्माण समितियाँ उपयुक्त हो सकती हैं।

भारत सरकार ने गृह निर्माण समस्या पर विचार किया है और सहकारिता के महत्त्व को भी उपयुक्त स्थान दिया है। पंचवर्षीय योजनाओं में इस तरफ ध्यान भी दिया गया है। किन्तु आशाजनक सफलता नहीं मिल पायी है। समाजवादी समाज के निर्माण में सहकारी गृह निर्माण समितियाँ उल्लेखनीय कार्य कर सकती हैं।

केन्द्रीय सरकार को गृह निर्माण योजनाओं और सहकारिता

केन्द्रीय सरकार ने गृह निर्माण समस्या को दृष्ट करने के लिए कुछ योजनाएँ चलाई हैं। इन योजनाओं में सहकारी समितियों का योगदान उल्लेखनीय हो सकता है। केन्द्रीय सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में हैं

(१) आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण समितियाँ (Subsidised Industrial Housing Scheme) :

औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए भवन निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार ने मिल मालिकों को आर्थिक सहायता देने की योजना तैयार की है। सरकार मिल मालिकों के कर्मचारियों व श्रमिकों के लिए भवन निर्माण के लिए भवन तथा भूमि के ६२½ प्रतिशत तक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसमें ५० प्रतिशत मूल्य ऋण तथा शेष १२½ प्रतिशत अनुदान स्वरूप दिया जाता है।

सहकारी समितियों को सुविधायें

उपरोक्त योजना यदि श्रमिकों की सहकारी समितियों के माध्यम से पूर्ण की जाती है तो सरकार कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करती है जैसे भूमि तथा मकान की कुल लागत के ९० प्रतिशत तक ऋण व अनुदान उपलब्ध हो जाते हैं। कुल लागत का ६५ प्रतिशत ऋण के रूप में और २५ प्रतिशत अनुदान के रूप में। समितियों को ऋण की राशि का भुगतान ३३½ प्रतिशत मकान बनाने के आरम्भ में, ३३½ प्रतिशत मकान के नीचे से ऊपर आ जाने पर, और ३३ प्रतिशत मकान के छत तक आ जाने पर दिया जाता है।

समितियों के मकान बनाने के लिये जो अनुदान दिया जाता है वह ५० प्रतिशत तक मकान तैयार हो जाने पर दिया जाता है। ५० प्रतिशत अकेक्षण के पश्चात् लेखे प्रस्तुत करने पर दिया जाता है। इस प्रकार सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी योजना कार्यान्वित की जा सकती है।

(२) निम्न आय समूह की गृह निर्माण योजना (Low Income Group Housing Scheme)

इस योजना के अन्तर्गत ६००० रु० तक वार्षिक आय वाले व्यक्ति आते हैं। अधिकतम ऋण सीमा ८००० रु० तक है। अधिकतम देय ऋण की सीमा वार्षिक आय के आधार पर निर्धारित की गयी है। ऋण प्रायः ३० वर्षों तक के लिए प्रदान किया जाता है। इस योजना में केन्द्रीय सरकार राशियों को ४½ प्रतिशत व्याज दर पर ऋण देती है। ऋण, २० प्रतिशत स्वीकृत के तुरन्त पश्चात् मिल जाता है। मकान की नींव तैयार हो जाती है तब ५० प्रतिशत रकम दे दी जाती है। शेष ३० प्रतिशत धन छत स्तर तक मकान बनने पर उपलब्ध हो जाता है।

(३) मध्यम आय समूह गृह निर्माण योजना (Middle Income Group housing Scheme) .

इस योजना के अन्तर्गत ६००० रु० से १२,००० रु० तक की आय वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। ऋण की अधिकतम सीमा २०,००० रु० तक है जो कि १०,००० रु० वार्षिक आय से अधिक और १२,००० रु० वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को उपलब्ध होती है। इस योजना में भी अधिक देय ऋण सीमा आय वर्गों के आधार पर बाँट दी गयी है। ऋण के वापिस भुगतान की अवधि प्रायः ३० वर्षों की है।

सहकारी समितियों को भी जिनके सदस्यों की आय ६००० रु० से १२,००० वार्षिक है ऋण दिया जाता है। शर्तें वही हैं जो ऊपर दी गई हैं।

उपरोक्त सरकार की योजनाओं में सहकारी समितियों के माध्यम से कार्य अधिक उपयुक्त रहता है क्योंकि व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करने में आसानी रहती है।

गृह निर्माण समितियों की प्रगति

भारत में इस प्रकार का आन्दोलन सन् १९१५ में बम्बई में एक गृह निर्माण समिति के संगठन से प्रारम्भ हुआ। यद्यपि मद्रास में सन् १९१४ में प्रथम समिति का पञ्जीयन हो चुका था किन्तु उससे सन् १९२३ में सरकारी सहायता प्राप्त करके अच्छी तरह से कार्यारम्भ किया। विश्वव्यापी मंदी के समय में देश के अनेक भागों में आन्दोलन व्यापक होने लगा। इसका कारण था इस काल में वस्तुओं के मूल्य बहुत नीचे हो गये थे जिससे मकान कम लागत पर बनने लगे। चारों तरफ मकान बनने लगे इससे सहकारी समितियों को भी बढ़ावा मिला। जिन लोगों के पास बचत होती थी वे भवन निर्माण में लगा देते थे। द्वितीय महायुद्ध काल में इस आन्दोलन ने कोई विशेष उन्नति नहीं की। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने गृह समस्या की तरफ ध्यान दिया और सहकारिता के आधार पर समस्या के निराकरण पर विचार किया। भारतवर्ष में बम्बई में वर्ष १९४४-४५ में १२९ गृह निर्माण समितियाँ थीं और इसी वर्ष मद्रास में ११४ समितियाँ थीं। वर्ष १९४६-४७ और १९४७-४८ में बम्बई में १६५ नयी समितियों का पञ्जीयन किया गया। इस प्रकार इस राज्य में इस आन्दोलन ने तेजगति से प्रगति की। मद्रास में वर्ष १९४९-५० में ऐसी समितियों की संख्या १९३ हो गयी। अन्य राज्यों में समितियों की संख्या अधिक नहीं थी।

केन्द्रीय सरकार सन् १९४८ में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना आरम्भ किया जबकि इसने राजस्थान को ६४ लाख रुपये प्रतापनगर टाउनशिप परियोजना के लिए जो कि उदयपुर सहकारी समिति के द्वारा प्रारम्भ की गयी थी, प्रदान किये। सन् १९५२ से केन्द्रीय सरकार ने आर्थिक सहायता प्राप्त गृह निर्माण योजना चालू की।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में सहकारी गृह निर्माण समितियों ने कोई विशेष प्रगति नहीं की। यद्यपि समितियों की संख्या, सदस्यता तथा कार्यशील पूंजी में वृद्धि हुई है किन्तु कोई आशाजनक प्रगति नहीं हो सकी। निम्न तालिका से प्रथम योजना की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है

भारत में गृह निर्माण सहकारिता

वर्ष	संख्या समितियाँ	सदस्यता	कार्यशील पूंजी (करोड़ रुपये)
१९५०-५१	१४८२	०९१	१३९४
१९५५-५७	२९६३	१८३	२८१८

तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में अन्त में समितियाँ सगुण्य दुगनी हो गयी और सदस्यता भी लगभग दुगनी हो गयी। कार्यशील पूंजी दुगने से भी कुछ ज्यादा हो गयी। किन्तु जितने प्रयास किये गये थे उतनी सफलता न मिल सकी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी समितियों की संख्या सदस्यता तथा कार्यशील पूंजी में वृद्धि हुई। इस काल में प्रगति का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है

द्वितीय योजना में गृह निर्माण समितियाँ

वर्ष	संख्या (समितियाँ)	सहायता	कार्यशील पूंजी (करोड़ रुपये)
१९५६-५७	३०८१	२.१६	३०.७८
१९६०-६१	६४५८	३.८१	५७.७३

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि समितियों की संख्या दुगने से भी अधिक हो गयी। किन्तु सहायता और कार्यशील पूंजी में इसी अनुपात से वृद्धि नहीं हुई। वास्तव में सफलता प्राप्त करने के लिए सहायता और कार्यशील पूंजी में वृद्धि होना आवश्यक है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रथम दो योजनाओं के अनुभव के आधार पर कार्य किया गया। इस काल में सहायता तथा कार्यशील पूंजी बढ़ाने के अधिक प्रयत्न किये गये समितियों की प्रगति निम्न तालिका में स्पष्ट है—

तृतीय योजना में गृह निर्माण सहकारियाँ

वर्ष	संख्या (समितियाँ)	सदस्यता	कार्यशील पूंजी (करोड़ रुपये)
१९६१-६२	७८७७	४.५५	६४.३४
१९६५-६६	११७६५	१४०.००

तृतीय योजना के अन्त में हमारे देश में १३ राज्य स्तरीय सहकारी समितियाँ थी और ११७६५ प्राथमिक समितियाँ थी जिनकी कार्यशील पूंजी १४० करोड़ रुपये थी। वर्ष १९६५-६६ में इन समितियों ने १७,००० स्वतन्त्र घरों का निर्माण किया और १५,००० टन्मेंटस् का निर्माण किया।

तृतीय योजना के पश्चात् वार्षिक योजनाओं में भी गृह निर्माण समितियों

की तरफ ध्यान दिया गया। जून १९६७ को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष के अन्त में समितियों की स्थिति निम्न प्रकार थी—

गृह निर्माण समितियाँ (जून १९६७)

	संख्या	सदस्यता	काय शील पूंजी (करोड़ रुपये)
१. राज्य स्तरीय गृह निर्माण समितियाँ	१६	७४७०	४१.१८
२. प्राथमिक समितियाँ	११८१०	७२४६६१	१२४.२९

(Source—India 1969, p 272)

इस काल में समितियों की संख्या में वृद्धि करने के स्थान पर उनकी सदस्यता तथा कायशील पूंजी में वृद्धि करने पर अधिक ध्यान दिया गया। वर्ष १९६६-६७ में समितियों ने ३११२५ मकान/टनमेंट बनाये।¹ वर्ष १९६७-६८ और १९६८-६९ में भी सदस्यता तथा कायशील पूंजी बढ़ाने के अधिक प्रयत्न किये गये।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गृह निर्माण में सहकारी समितियाँ अधिक भाग ले सकेंगी। इस काल में कमजोर समितियों के दृढीकरण पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। समितियों की संख्या अधिक न बढ़ा कर समितियाँ बड़े आकार की बनायी जायेंगी। नयी समितियाँ उन भागों में गठित की जायेंगी जहाँ समितियाँ या तो हैं नहीं अथवा अनुकूल परिस्थितियाँ हैं।

विकास में बाधाएँ

सहकारी गृह निर्माण आन्दोलन कोई विश्व प्रगति नहीं कर पाया। सरकार की गृह निर्माण योजना में—सहकारी समितियों का भाग बहुत कम है। इन समितियों के विकास में अनेक बाधाएँ हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है --

(१) सरकार द्वारा कम सहयोग

गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत सरकार ने जो सहकारी समितियों के माध्यम से अधिक कार्य नहीं करवाया। कुछ राज्य सरकारों ने सामाजिक गृह निर्माण परियोजनाओं के अन्तर्गत सहकारी समितियों को कोई सहायता नहीं दी। उदाहरण के लिए आसाम, जम्मू एव काश्मीर में इस प्रकार की सहायता नहीं दी गई। अन्य राज्य सरकारों ने भी पर्याप्त मात्रा में इस परियोजना के अन्तर्गत पर्याप्त सहायता नहीं प्रदान की। राज्य सरकारों की ऐसी नीति के कारण गृह निर्माण समितियाँ केन्द्रीय सरकार की इस योजना में अधिक भाग नहीं ले सकी।

1 Report 1968-69, Govt of India (Cooperative Deptt)

(२) वित्तीय कठिनाइयाँ :

अन्य क्षेत्र की सहकारी समितियों की भाँति ये समितियाँ भी वित्तीय समस्या की गिकार हैं। इन समितियों के वित्त के मुख्य साधन जीवन बीमा निगम (L.I.C) तथा सरकार हैं। कुछ राज्यों में जीर्ण गृह निर्माण समितियाँ नहीं हैं जो कि प्राथमिक समितियों को पर्याप्त सहायता प्रदान कर सकें। राज्य सरकारों ने इन समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है। इन समितियों को वित्तीय समस्याओं की तरफ इन सरकारों ने पर्याप्त ध्यान ही नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में पर्याप्त विकास बहुत कठिन है।

(३) उचित मूल्यों पर भूमि न प्राप्त होना :

हमारे देश में गृह निर्माण समितियाँ पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्यों में भूमि प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं। अधिकांश राज्यों में सरकारी अधिकारियों ने समितियों को भूमि देने में प्राथमिकता नहीं दी है। समितियाँ धन के अभाव में ऊँची कीमत पर पर्याप्त मात्रा में भूमि नहीं खरीद सकती हैं जिसमें धारण समितियाँ गृह निर्माण में अधिक भाग नहीं ले पायी हैं।

(४) भवन निर्माण के आवश्यक सामान के मूल्यों में वृद्धि :

गृह निर्माण के लिये सीमेंट तथा अन्य अनेक प्रकार के सामान की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश में बढ़ती हुई कीमतों के कारण विभिन्न प्रकार के सामान का मूल्य भी बहुत बढ़ गया है। कभी समितियों को भवन निर्माण का खराब कच्चा माल मिल जाता है जिससे अच्छे मकान बनाने में कठिनाई होती है। समितियाँ विभिन्न प्रकार के माल के उत्पादकों से सम्पर्क नहीं कर पाती हैं क्योंकि कुछ राज्यों में शीर्ष समितियाँ नहीं हैं।

(५) कुशल प्रबन्धकों का अभाव :

गृह निर्माण समितियों के सामने भी अन्य प्रकार की समितियों की भाँति कुशल प्रबन्धकों की कमी पायी जाती है। समितियाँ अधिक वेतन देकर कुशल मैनेजर रखने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास धन का अभाव पाया जाता है। अनुदान प्रबन्धक विभिन्न कार्यों को उचित प्रकार से नहीं कर पाते हैं। प्रबन्ध बुद्धालता के अभाव में न तो भावी योजनाएँ बना पाते हैं और न समय पर निर्णय ले पाते हैं।

(६) निजी लाभ के लिये समितियों का गठन :

कुछ ताहसी अपने निजी लाभ के उद्देश्य से गृह निर्माण समितियाँ बना लेते हैं। ये मकान बना कर ऊँचे मूल्यों पर बेच कर लाभ कमा लेते हैं। इस प्रकार की क्रिया से सहकारिता का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है।

(७) अन्य -

कुछ समिति के संगठन कर्ता बहुमत के लिये ऐसे व्यक्तियों को सदस्य बना लेते हैं जो वास्तव में इच्छुक नहीं हैं। कहीं-कहीं पर लाभ कमाने के उद्देश्यों से भवनों की किराये पर दे दिया जाता है। इससे समितियों के प्रति जनता का

विश्वास कम होता है। सरकार तथा स्थानीय सस्थायों मकान बनाने के पश्चात् बड़ी मात्रा में कर लगा देती हैं। स्थानीय सस्थायों समितियों को भवन निर्माण कार्य में कोई विशेष सहयोग भी नहीं देती हैं।

उपरोक्त समस्याओं के कारण गृह निर्माण समितियाँ तेज गति से विकास नहीं कर पायीं। सहकारी नियोजन समिति ने सन् १९४६, वार्षिक रूप में सन् १९६३ तथा इसके पश्चात् मिर्चा समिति ने इन समितियों के सुधार के लिये सुझाव दिये हैं।

सहकारी नियोजन समिति के सुझाव

सन् १९४६ में सहकारी नियोजन समिति ने गृह समस्या को सुलझाने के लिए कुछ सुझाव दिये। समिति के कुछ सुझावों पर कई राज्यों ने अधिक ध्यान नहीं दिया। यदि इन सुझावों पर ध्यान दिया जाये तो निश्चय ही प्रगति को गति प्रदान हो सकेगी। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्न प्रकार हैं —

(१) राज्य सरकारें, नगर विकास ट्रस्ट तथा नगरपालिकायें मकान निर्माण, भूमि बेचते समय सहकारी समितियों को प्राथमिकता दें।

(२) प्रत्येक राज्य में शीर्ष स्तर पर केन्द्रीय सहकारी गृह निर्माण समिति स्थापित की जानी चाहिए जो कि प्राथमिक समितियों के लिये उचित मूल्यों पर भूमि खरीदने के लिए धन दे सकें।

(३) गृह निर्माण समितियों के धन की आवश्यकता की पूर्ति जीवन बीमा निगम (L. I. C.) सरकार तथा विशेष परिस्थितियों में भूमिवचक बैंक द्वारा की जाय।

(४) समितियों की सम्पत्ति को ध्यान में रखकर कर न लगा कर व्यक्तिगत सदस्यों को ध्यान में रखना चाहिये।

कार्यकारी दल के सुझाव

(Working Group or Housing Cooperatives)

सन् १९६३ में कार्यकारी दल नियुक्ति किया गया जिसने अपना प्रतिवेदन सन् १९६४ में प्रस्तुत किया। इस दल के निम्नलिखित सुझाव थे —

(१) राज्यों को गृह निर्माण परियोजना के अन्तर्गत प्रदान किये गये धन में से २० प्रतिशत सहकारी गृह निर्माण समितियों के लिए सुरक्षित रखा जाये।

(२) निम्न व्यय अर्थात् गृह निर्माण, परियोजना, में, विशेष, चालने, बालने ऋण की अधिकतम सीमा ८००० से १०,००० कर दी जाये।

(३) ऋण का भुगतान करते समय प्रथम विस्तृत १२ माह के स्थान पर २४ माह के पश्चात् देय होनी चाहिए।

(४) सरकार भूमि, सीमेंट, अन्य मकान बनाने में काम आने वाले सामान प्रदान करने में सहकारी समितियों को प्राथमिकता प्रदान करें।

(५) राज्यों में जहाँ १०० या इससे अधिक प्राथमिक गृह निर्माण समितियाँ हैं वहाँ शीर्ष समिति की स्थापना की जाये ।

(६) राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सघ स्थापित किया जाये ।

(७) राज्यों में गृह निर्माण समितियों को ऋण प्रदान करने के लिये गृह बन्धक बैंक स्थापित की जायें ।

(८) गृह निर्माण समितियों को गृह कर से ३० प्रतिशत छूट प्रदान की जाये ।

मिर्धा समिति (१९६४) के सुझाव

गृह निर्माण समितियों की कुरीतियों को रोकने के लिये मिर्धा समिति ने कुछ सुझाव दिये हैं । इनका विवरण निम्न प्रकार है —

(१) हमें आधारभूत रूप से यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि गृह निर्माण समितियाँ अल्प साधन वाले व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के लिए हैं । इसके लिए सदस्यता निश्चित सीमा की आय वाले व्यक्तियों के लिए निश्चित कर दी जाय ।

(२) "भवन निर्माण के लिए भूमि तथा निर्माण सामग्री का विशेष अल्पस (Quota) देने के लिए सरकारी सहायता उसी समय प्रदान की जाय जबकि समिति के सदस्य आय की उच्च सीमा नियमों का पालन कर रहे हों ।"

(३) यदि समिति के किसी सदस्य के पास उसी नगर या कस्बे में यदि कोई अन्य मकान है तो उसे निवास के लिए घर का आवंटन नहीं करना चाहिए ।

(४) समिति के प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति से कुछ विशेष परिस्थितियों में किराये पर मकान देने के अलावा किराये पर देना बन्द कर देना चाहिए ।

(५) शीर्ष सघ को अपनी सदस्य प्राथमिक समितियों की देखरेख का अधिकार होना चाहिए ।

(६) यदि सदस्य किस्त ब्याज सहित नहीं चुकाते हैं तो समिति अपनी सम्मति को वापिस ले ले और प्रतीक्षा सूची के सदस्यों को उस मकान का आवंटन कर देना चाहिए ।

उक्त सुझावों के आधार पर गृह निर्माण समितियाँ में प्रचलित कुरीतियाँ समाप्त हो जायेंगी और आवंटन उचित दशा की तरफ अग्रसर हो सकेगा ।

अन्य सुझाव

(१) समितियों को पुनर्जीवित करना तथा दृढीकरण करना

कमजोर समितियों को पुनर्जीवित करके उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ करनी चाहिए । इसके लिए सदस्य सख्या में वृद्धि करनी चाहिए । इससे अग पूँजी में भी वृद्धि होगी जिससे समिति की कायदात्मक पूँजी बढ सकेगी । अनुभूत पञ्चवर्षीय योजना में समितियों के दृढीकरण पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान बनाया गया है । मन्दिप्य में जिन समितियों की आर्थिक स्थिति ठीक ही उन्ही का पञ्जीयन किया जाए ।

(५) प्रशिक्षण व्यवस्था

सरकार को समितियों के प्रबन्धको को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। भारतवर्ष में सहकारी आन्दोलन उस समय तक सफ़र नहीं हो सकेगा जब तक समितियों का प्रबन्ध प्रशिक्षित एव प्रबन्धको द्वारा न किया जाएगा। प्रबन्धको के अतिरिक्त अन्य पर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(३) सरकार तथा स्थानीय सस्थाओं का सहयोग

सरकार तथा स्थानीय सस्थाये जैसे नगर पालिकायें, नगर विकास न्याय आदि गृह निर्माण सस्थाओ को उचित सहयोग प्रदान करे। भूमि के आबटन तथा अन्य सुविधाओ मे इन समितिया को प्राथमिकता दें।

(४) अन्य

केन्द्रीय सरकार की गृह निर्माण योजनाओ के अन्तर्गत सहकारी समितियों का स्थान अधिक व्यापक बनाया जाय। राज्य सरकारें समितियों को पर्याप्त सहायता प्रदान करे। समितियों के अकेशन, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की उचित व्यवस्था की जाए।

अब तक के सहकारी गृह निर्माण आन्दोलन की सबसे बड़ी कमी रही है कि कमजोर वर्ग को अधिक लाभ नहीं पहुँच पाया है। एक तरफ जहाँ कमजोर वर्ग को सुविधा के लिए समितियों का गठन किया जाता है वहाँ उन्हें लाभ भी नहीं मिल पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गृह निर्माण समितियाँ सफलता प्राप्त नहीं कर पायी हैं। अतः इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

प्रश्न

१. भारतवर्ष में गृह निर्माण समस्या के समाधान में गृह निर्माण सहकारी समितियों का क्या स्थान है? क्या समितियाँ इस समस्या को सुलझा पायी हैं?
२. भारतवर्ष में गृह निर्माण समितियों की प्रगति का विवरण देते हुए इनकी समस्याये बताइये।
३. गृह निर्माण समितियों के विकास में कौन-कौन सी बाधाएँ हैं। इन्हें दूर करने के क्या उपाय हैं।
४. भारत में कितने प्रकार की गृह निर्माण समितियाँ पायी जाती हैं? एक औद्योगिक क्षेत्र में आप किस प्रकार की समिति के सगठन की सिफारिश करेंगे।

सहकारी खेती (Cooperative Credit)

भारतीय कृषि की उन्नति के लिये तथा उसे स्वावलम्बी बनाने के लिए कृषि प्रणाली का पुनर्संगठन आवश्यक है। पुनर्संगठन का सर्वोत्तम उपाय सहकारी खेती है। सहकारी खेती व्यक्तिगत कृषि स्तर को बड़े पैमाने पर बनाने के लिये तथा बड़े पैमाने के लाभों की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण संगठन है। इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व की रक्षा करते हुए भूमि का एकीकरण किया जाता है और समुक्त रूप में खेती की जाती है। कृषि के पुनर्संगठन की कुछ अन्य विधियाँ भी हो सकती हैं जैसे पूंजीवादी कृषि, सहकारी कृषि अन्य सामूहिक कृषि। भारतवर्ष में ये प्रणालियाँ अनेक कारणों से उपयुक्त नहीं हैं। पूंजीवादी कृषि समुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, आदि देशों में प्रचलित हैं। भारतवर्ष में भी इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे चाय, कढ़वा, आदि देशों में प्रचलित हैं। भारतवर्ष में भी इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे चाय, कढ़वा, आदि देशों में प्रचलित हैं। सरकारी कृषि अथवा सामूहिक कृषि प्रणालियाँ हम में अधिक प्रचलित हैं। इनमें सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा होता है। किन्तु हमारे देश में जनतांत्रिक सिद्धान्तों को अधिक महत्व दिया जाता है। सहकारी खेती में जनतांत्रिक नियन्त्रण सिद्धान्त महत्वपूर्ण है अतः यह प्रणाली सर्वोत्तम है।

सहकारी खेती सहकारी सिद्धान्तों पर आधारित कृषि उत्पादन की प्रणाली है जिसमें छोटे-छोटे भू-स्वामी बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ कमाने के उद्देश्य से संगठित होते हैं। खेतों पर स्वामित्व उनका यथावत् बना रहता है। अतः व्यक्तिगत स्वामित्व को ध्यान में रखते हुए भूमि का एकीकरण किया जाता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। अन्य शब्दों में किसान मिल कर सहकारिता के आधार पर खेती करते हैं जिसमें भूमि के आधार पर सदस्यों को लाभान्वित किया जाता है और किये गये कार्य के लिये मजदूरी दे दी जाती है। इसमें सहकारी कार्य का प्रबन्ध सभी सदस्य प्रजातांत्रिक आधार पर करते हैं और पदाधिकारियों का चुनाव कर लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के सलाहकार मण्डल ने

सहकारी कृषि को पारिभाषित करते हुए लिखा है, "सहकारी कृषि समिति में किसानों को अपनी भूमि के स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होता है और कार्य समुक्त रूप से पूरा किया जाता है।" सलाहकार मण्डल को परिभाषा सहकारी समुक्त कृषि के लिये उपयुक्त है। किन्तु सहकारी कृषि के अन्य भी कई प्रकार हैं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी कृषि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है, "सहकारी खेती में भूमि का एकीकरण होता है और समुक्त प्रबंध होता है।¹ भूमि के एकीकरण में व्यक्तियों का (जिनकी भूमि है) स्वामित्व होता है किन्तु समिति का प्रबन्ध प्रजातांत्रिक होता है। सभी सदस्य मिलकर जनतांत्रिक आधार पर नियन्त्रण करते हैं।

भारत में सहकारी खेती की विशेषतायें

भारतवर्ष में सहकारी कृषि कार्यक्रम की निम्नलिखित विशेषतायें हैं²

(१) सहकारी कृषि समितियों में सदस्यता ऐच्छिक है। किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की अनिवार्यता नहीं है।

(२) अधिकांश सदस्यता छोटे भूमि वाले अथवा भूमिहीनों की होती है।

(३) भूमि प्रदान करने वाले किसानों का भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। सामान्यतः भूमि का एकीकरण कम से कम पाँच वर्षों तक के लिये होता है।

(४) समिति के सदस्य कार्य करते हैं जिसके लिये उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है और भूमि अनुपात में लाभांश दिया जाता है।

(५) समितियाँ सेवा सहकारी कृषि समिति, सहकारी समुक्त कृषि, सहकारी सामूहिक कृषि, सहकारी लगान दर कृषि आदि चार प्रकार की होती हैं।

सहकारी खेती के प्रकार

सहकारी खेती समितियों के विभिन्न रूप निम्न प्रकार हैं

(१) सहकारी उत्तम कृषि समिति (Cooperative better Farming Society)

सहकारी उत्तम कृषि को सेवा सहकारी खेती समिति (Service Cooperative Farming Society) आदि कह सकते हैं। इसमें किसान अपनी अपनी भूमि पर खेती करते हैं किन्तु अपनी कुछ आवश्यकतायें सहकारी समिति से पूरी करते हैं जैसे बीज, कृषि उपकरण, खाद आदि। इन समितियों में भूमि का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है और प्रबन्ध भी व्यक्तिगत ही होता है। समितियाँ सदस्यों को उत्पादन के लिए अनेक सुविधायें देती हैं साथ ही निपण्य करों को भी सम्भर करती हैं। ये सहकारी समितियाँ अपने पास कृषि यन्त्र भी रखती हैं। आवश्यकता पड़ने पर सदस्य

1 Third Five year plan defined cooperative farming as one 'Which necessary implies pooling of land and its joint management

2 Cooperative Farming p. 173, Indian Cooperative Review Jan 1969

किसानों को किराये पर दिया जा सकता है। आजकल हमारे देश में इन समितियों के कार्य साधन समितियाँ कर रही हैं अतः उत्तम समितियों का महत्व बहुत घट गया है।

(२) सहकारी समुक्त कृषि (Cooperative Joint Farming)

सहकारी समुक्त कृषि में भूमि का एकीकरण इस प्रकार किया जाता है कि भू-स्वामियों का स्वामित्व बना रहता है किन्तु कार्यों का प्रबन्ध समुक्त होता है। सभी समिति के सदस्य मिलकर कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव करते हैं। यह समिति का प्रबन्ध करती है। वास्तव में सहकारी समिति का आशय सहकारी समुक्त खेतों से ही होता है। समिति सदस्यों की भूमि का एकीकरण करती है और आवश्यकता पड़ने पर मजदूरों की तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियाँ भी करती है। सदस्य कार्य भी कर सकते हैं उसके लिए उन्हें मजदूरी दी जायेगी। लाभ में से खर्च और उचित उचित कोष रखने के पश्चात् सदस्यों को भूमि के अनुपात में बाँट दिया जाता है।

सहकारी समुक्त कृषि समितियों में सदस्यता सामान्यतः सभी किसानों के लिये खुली होती है। छोटी छोटी भूमि के टुकड़े वाले किसान तथा भूमि रहित धार्मिक जो कि खेतों के कार्य में योग देते हैं सदस्य हो सकते हैं। भारत सरकार ने यह सुझाव दिया है कि अनुपस्थित भूमि पतियों (Absent Landlords) को सदस्य न बनाया जाये यदि वे निर्बल, शारीरिक कमी, अधिक भागों में लगे हुए किसान न हों। इस सम्बन्ध में अनुपस्थित भूमिपतियों की सदस्यता कुल सदस्यता के एक चौथाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सहकारी समुक्त कृषि प्रणाली में संचयन (Pooling) की अवधि निम्नतम पाँच वर्षों की है। विशेष परिस्थिति में इस अवधि के मध्य में भी सदस्य बलग हो सकता है। बलग होने पर उसे मूलभूट वापिस मिल जाता है किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वही धण्ड उसे मिले। समिति समान उपज का दूसरा खेत भी उसे दे सकती है।

सहकारी कृषि के अन्तर्गत समिति के लिये उसके पंजीयन के लिये कोई निश्चित आकार नहीं दिया गया है किन्तु ऐसी समितियों के पास पर्याप्त मात्रा में भूमि होनी चाहिए। सरकार की भी ऐसी नीति है कि आर्थिक सहायता उन्हीं समितियों को प्रदान की जाती चाहिए जो कि निकट भविष्य में स्वायत्तत्व ही पायेंगी। विभिन्न राज्यों ने आर्थिक सहायता पाने के लिये अपने अपने राज्यों में सदस्यता की न्यूनतम संख्या और न्यूनतम क्षेत्र निर्धारित कर दिया है।

(३) सहकारी लगान दार खेतों समिति (Cooperative Tenant Farming)

इस प्रकार की समितियों को सहकारी आसामी समिति अथवा सहकारी खेतों कृषि समिति भी कहा जाता है। समिति सरकार से पर्याप्त मात्रा में भूमि खरीद लेती है। सामान्यतः ऐसी समितियाँ नये कृषि क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं। इस भूमि को उचित आकार के खेतों में विभक्त करके समिति अपने सदस्यों को खेतों के लिये किराये पर दे देती है। ये समितियाँ सदस्यों को सिंचाई, खाद, बीज आदि का प्रबन्ध करती हैं। सदस्यों की आवश्यकता पड़ने पर तांत्रिक सलाह प्रदान करना और उत्पादित माल की विपणन के लिये व्यवस्था करना आदि कार्य भी समितियाँ

करती है। भूमि का स्वामित्व सदस्यों का व्यक्तिगत न होकर समिति का होता है। सामान्यतः बजर भूमि जो कि कृषि योग्य बनायी जाती है वहाँ इस प्रकार की सहकारी समितियाँ अधिक सफल हुई हैं।

(४) सहकारी सामूहिक खेती (Cooperative Collective Farming) •

सहकारी सामूहिक खेती में कृषि का स्वामित्व समिति के पास होता है तथा कृषि से सम्बन्धित कार्य सामूहिक रूप में किये जाते हैं। इस प्रकार की समितियों में या तो किसान अपनी जमीन का स्वामित्व समितियों को दे देते हैं अथवा समिति स्वयं सदस्यों की तरफ से सरकार से भूमि अपने नाम ले लेती है। सहकारी सामूहिक खेती में श्रम अधिक महत्वपूर्ण है। समिति स्वयं खेती करती है और सदस्य मिलजुल कर एक साथ कार्य करते हैं और पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। कार्यशील पूंजी अर्थात् से प्राप्त होती है। सदस्यों की साधारण सभा प्रबन्ध समिति निर्वाचित करती है और संचालन यही प्रबन्ध समिति करती है। श्रमिक की मजदूरी समिति की साधारण सभा में तय की जाती है। सदस्यों को लाभांश प्राप्त मजदूरी के आधार पर दिया जाता है क्योंकि भूमि का अनुपात इसलिए नहीं होता कि सदस्य के नाम भूमि नहीं होती है। सामूहिक खेती का रूस में बहुत प्रचलन है किन्तु सहकारी सामूहिक खेती और रूस की सामूहिक खेती में पर्याप्त अन्तर है जो निम्न प्रकार है

(१) सहकारी सामूहिक खेती समितियों का एन्ड्रिखक संगठन होता है जबकि रूसी सामूहिक खेती अनिवाय होती है।

(२) सहकारी सामूहिक खेती के श्रमिक स्वतन्त्र होते हैं किन्तु रूसी सामूहिक खेती के श्रमिक स्वतन्त्र नहीं होते।

(३) सहकारी सामूहिक समितियाँ प्राचीन तथा नवीन दोनों ही प्रकार की विधियों को काम में लेती हैं किन्तु रूस में सामूहिक खेती में खेती के नवीन यन्त्र काम में लाये जाते हैं।

(४) सहकारी सामूहिक खेती में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता जबकि रूसी सामूहिक खेती में सरकारी हस्तक्षेप बहुत होता है।

(५) सरकारी सामूहिक खेती में भूमि पर समितियों का अधिकार होता है जबकि रूसी सामूहिक खेती में भूमि पर सरकारी अधिकार होता है।

सहकारी कृषि के लाभ

किसानों के जीवन स्तर को उठाने के लिये यह आवश्यक है कि न्यूनतम व्यय में अधिकतम उत्पादन किया जाये। भारतवर्ष में अधिकांश भागों में किसानों के पास छोटे-छोटे खेत हैं जिनका आकार अनार्थिक है। इन छोटे खेतों में आधुनिक विधियों से खेती करना असम्भव है। अतः हमारे देश में धन, समय तथा उपजाऊ भूमि का अपव्यय होता है। भूमि होते हुए भी उत्पादन कम होता है और खर्च सफट बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में खेती को स्वावलम्बी बनाना आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कृषि प्रणाली का पुनर्संगठन किया जाना चाहिए। यद्यपि पुनर्संगठन की कई विधियाँ हैं तथापि भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में

रखते हुए सरकारी खेती उपयुक्त है। सरकारी खेती के अन्तर्गत किसानों का भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है और बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ उपलब्ध हो सकते हैं। कृषि में आधुनिक विधियाँ काम में लायी जा सकती हैं। जहाँ एक व्यक्ति सभी खानों को जुटाने में असमर्थ होता है, वहाँ सम्मिलित प्रयास से काम इसी विधि द्वारा चलाना उत्तम हो सकता है। सभी समिति के सदस्य अपने साधनों को संकलित करते हैं और संगठित प्रयास से विकास करते हैं। सहकारी खेती के निम्न-लिखित लाभ हैं

(१) व्यक्तिगत स्वामित्व

सहकारी खेती के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वामित्व की रक्षा की जाती है और भूमि का एकीकरण करके सम्मिलित प्रयास किये जाते हैं। हमारे देश में किसान भूमि पर से व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त नहीं करना चाहते ऐसी स्थिति में सहकारी खेती द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। समिति के सदस्य भूखण्ड समिति को प्रदान करते हैं जिन पर उनका व्यक्तिगत अधिकार होता है। जब सदस्य समिति को छोड़ते हैं तो उनको भूमि वापस मिल जाती है। व्यक्तिगत स्वामित्व के अभाव में हमारे देश में समितियाँ संघटित नहीं हो पाती हैं।

(२) बृहत् पैमाने की कृषि के लाभ

भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार होते हुए भी इस प्रणाली में बृहत् पैमाने की खेती के लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। छोटे-छोटे किसानों से भू-खण्डों का एक बड़ा फार्म बना लिया जाता है और उस फार्म में आधुनिक विधियाँ काम में लायी जाती हैं। छोटे खेतों का अनाधिक आकार होता है जिन पर उत्पादन व्यय अधिक होता है किन्तु आर्थिक आकार के कार्यों में मितव्ययिता हो जाती है। कई प्रकार के खेती जो अलग-अलग खेतों पर करने पड़ते थे वे अब नहीं करने पड़ते हैं। सहकारी खेती में फार्म बड़ा होता है अतः नवीन कृषि यन्त्रों का प्रयोग भी अच्छी तरह हो सकता है। तथा बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

(३) ऋण प्राप्ति की क्षमता में वृद्धि

छोटे छोटे कृषक जब अपने खेतों पर अलग-अलग खेती करते हैं तो उनको कृषि कार्यों के लिए ऋण प्राप्ति में बहुत कठिनाई होती है। कमी-कमी तो इन किसानों को ऋण उपलब्ध भी नहीं होता है। किन्तु सहकारी समितियों की ऋण प्राप्ति करने की क्षमता अधिक होती है। पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध हो जाने पर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीन विधियों को अपनाया जा सकता है। कृषि यन्त्र खरीदे जा सकते हैं। भूमि का पर्याप्त सुधार किया जा सकता है।

(४) सरकारी सहायता आसान

कृषि विकास के लिए सरकार जो सहायता प्रदान करने की योजनाएँ कार्यान्वित करती है तो समितियों के माध्यम में कार्य बहुत सरल हो जाता है जबकि छोटे-छोटे किसानों को अलग-अलग सहायता प्रदान करने में कई बाधाएँ आती हैं। वर्तमान समय में हमारे देश में नवीन कृषि नीति के अन्तर्गत सरकार ने कई प्रकार की विकास परियोजनाएँ चालू की हैं जो कि सहकारिता के माध्यम से बहुत सरसता से चालू की जा सकती हैं। सरकार ने सहकारी खेती के महत्व को समझा भी है।

(५) भूमि की उत्पादकता में वृद्धि

सहकारी खेती के द्वारा भूमि की उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है। भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिये उन्नत बीज, नवीन कृषि विधियाँ, कृषि यन्त्र, सिंचाई खाद आदि काम में लाये जाते हैं। भारत में निर्धन किसान व्यक्तिगत तौर पर इनको काम में लाने में असमर्थ है। सहकारी समितियाँ सरलता से इन आवश्यक चीजों को खरीद कर अथवा सुविधा प्रदान करके भूमि की उत्पादकता बढ़ा सकती हैं।

(६) उचित विपणन व्यवस्था

हमारे देश में कृषि उपज की विपणन की उचित व्यवस्था नहीं है। किसानों के पास उपज को सुरक्षित रखने के न तो भण्डार हैं और न ही यातायात के पर्याप्त साधन हैं जिससे बाजार में ले जाकर वे अपनी उपजों को बेच सकें। इसके अतिरिक्त उनको मध्यस्थों के माध्यम से अपना सामान बेचना पड़ता है जिससे उनको अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। सरकारी खेती के अरति समितियाँ सभी प्रकार की विपणन सुविधायें प्रदान करती है।

(७) सहायक उद्योगों का विकास

सहकारी खेती के अन्तर्गत बड़े बड़े फार्म होते हैं और उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होता है। इन बड़े कृषि फार्मों में सहायक उद्योग धन्धे चलाये जा सकते हैं जिससे ग्रामीण जनता को रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा कृषि उपज के दिनों के अतिरिक्त बेकार समय का सदुपयोग करने के लिये भी इन उद्योगों का महत्व अधिक है।

(८) कृषि श्रमिकों की दशा में सुधार

कृषि क्षेत्र में सस्थागत सुधार करके ही श्रमिकों की दशाओं को सुधारा जा सकता है। व्यक्तिगत खेतों में सरकार के श्रमिकों के सम्बन्धित सुरक्षा नियम लागू नहीं किये जा सकते हैं। इसके लिये खेती में सस्थागत परिवर्तन ही उपयुक्त हो सकता है। सहकारी खेती के अन्तर्गत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, उचित काम के घण्टे, श्रम कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की जा सकती हैं। हमारे देश में कृषि श्रमिकों की दशा दयनीय है जिसे सुधारना बहुत आवश्यक हो गया है। इनकी दशा के सुधार में सहकारी खेती में उचित प्रयत्न किये जा सकते हैं।

(९) तकनीकी सुविधायें

सहकारी समितियाँ प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त कर सकती हैं। कृषि की नवीन विधियों में तकनीकी शिक्षा अथवा राहायता की आवश्यकता होती है। समितियाँ यह सुविधा प्रदान कर सकती हैं जबकि व्यक्तिगत सेवा में कठिनाई रहती है।

(१०) रोजगार में वृद्धि

सहकारी खेती के अन्तर्गत समितियों में कुछ भूमिहीन किसान भी सदस्य होते हैं। ये सदस्य समिति के कार्यों में भाग ले सकते हैं अथवा श्रमिकों के रूप में कार्य

करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर खेती होने के कारण कई व्यक्तियों को एक साथ रोजगार प्राप्त होता है। ज्यों ज्यों उत्पादन बढ़ता है फार्म की गतिविधियाँ भी बढ़ती हैं और धन सभ्या में भी निरन्तर वृद्धि होती है।

(११) ग्रामीण क्षेत्रों में पूँजी निर्माण

सहकारी खेती के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि होती है। आय की वृद्धि से बचत प्रभावित होती है। अधिक बचत होने के कारण उसे पुनर्नियोजन किया जाता है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की बचत को प्रोत्साहित करके पूँजी निर्माण किया जा सकता है।

(१२) नियोजन में सहायता

हमारे आर्थिक नियोजन में कृषि विकास के भी कार्यक्रम चालू किये गये हैं। इन कार्यक्रमों की सफलता में सहकारी खेती से बहुत सहायता मिलती है। कृषि उपज सम्बन्धी बाँकडे भी अच्छी तरह उपलब्ध हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के कृषि विकास के कार्यक्रमों को अपना कर उत्पादन के नद्यों की प्राप्ति हो सकती है।

सहकारी खेती से ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हो सकेगा। किसानों की आय बढ़ेगी जिससे उनके रहन सहन का स्तर भी ऊँचा उठेगा। सहकारी खेती एक तरह से किसानों के व्यक्तिगत अधिकारों को सुरक्षित रखती है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत खेती के दोषों को दूर करती है और किसानों के जीवन को सुखमय बनाती है।

सहकारी खेती के दोष

उपरोक्त लाभों के बावजूद हम यह नहीं कह सकते कि सहकारी खेती दोष मुक्त है। इस प्रणाली में निम्नलिखित दोष हैं।

(१) बेरोजगारी फैलने का डर

सहकारी खेती के अन्तर्गत बड़े पैमाने का उत्पादन किया जाता है जिसमें बड़े-बड़े गतिविधियों के, मशीनों आदि काम में लाये जाते हैं। मशीनों आदि का प्रयोग में लाने की आवश्यकता होगी। अतः अधिक बेरोजगार हो जायेंगे। यद्यपि यह अवधि के लिये ही हो सकता है। दीर्घकाल में तो रोजगार सामान्य सुझावों के अन्तर्गत उत्पादन बढ़ने से फार्मों में अन्ततः भारतवर्ष में अकुशल प्रवन्ध की आशंका है।

यह आवश्यक नहीं है कि सभी समितियों को कुशल प्रवन्धक उपलब्ध कराये जायें। यदि किसी समिति को कुशल प्रवन्धक उपलब्ध नहीं हो तो उसका प्रवृत्त समितियों के हाथों में चला जाता है जिससे भारी नुकसान हो सकता है अतः अनेकों सदस्य किसानों को हानि उठानी पड़ती है। हमारे देश में अनेकों समितियों के सामने यह बाधा है।

(३) उपज में कमी की आशंका

यह भी आवश्यक नहीं है कि व्यक्तिगत फार्मों की तुलना में सहकारी आधार पर उत्पादन बढ़ जायेगा। यह भी हो सकता है कि अनेक कारणों से उत्पादन भी न बढ़ पाये और उत्पादन व्यय भी कम न होने पाये। हमारे देश में यह बहुत कठिन है कि सभी सदस्य अपने कार्यों और दायित्वों को अच्छी तरह निभायें। सहकारी फार्मों का संचालन का आधार भी प्रजातांत्रिक होता है अतः कर्मचारी अथवा श्रमिक अधिक मेहनत नहीं करते हैं। व्यक्तिगत खेती के अन्तर्गत श्रमिक अधिक काम करते हैं। स्वयं मालिक भी अपने खेत में अपनी पूर्ण शक्तियाँ लगा देता है।

(४) अधिक व्यय

सहकारी खेती के अन्तर्गत व्यक्तिगत खेती की तुलना में अधिक व्यय करने पड़ेगे। सहकारी प्रणाली में स्थायी तथा चालू खर्चों में भी वृद्धि हो जाती है। श्रमिक समय-समय पर अधिक सुविधायें और ऊँची मजदूरी की माँग करेंगे जिससे लागत व्यय में वृद्धि हो जायेगी। व्यक्तिगत फार्मों की तुलना में सहकारी खेती में मजदूरी से कम काम लिया जाता है जिसका प्रभाव किसानों की आय पर पड़ता है।

(५) अन्य

व्यक्तिगत कृषि प्रणाली में किसान व्यक्तिगत रूप से स्वतन्त्र होते हैं। अपने खेत को सुधारने के लिए किसान बेहद मेहनत करता है। अपनी इच्छानुसार कार्य करता है। इसके अतिरिक्त सहकारी खेती में कमी-कमी अनेकों कमियों के कारण भूमि का दुरुपयोग भी होने लगता है। समितियों में गन्दी राजनीति प्रवेश से खेती है जिससे किसानों में असंतोष व्याप्त होने लगता है।

उपरोक्त सहकारी कृषि के गुण-दोषों पर विचार करने के पश्चात् हम कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत में पूँजीवादी खेती के स्थान पर सहकारी खेती अधिक उपयुक्त सिद्ध हो सकती है। धीरे-धीरे सहकारिता का व्यापक विस्तार करना चाहिए। हम वर्तमान समय में एक दम सहकारी खेती का भी सहारा नहीं लेना चाहिए। हम धीरे-धीरे सहकारी खेती का विस्तार कर सकते हैं जो कि हमारी सामाजिक और आर्थिक नीतियों के अनुकूल है। सहकारी खेती के दोषों को नैतिक उत्थान के द्वारा तथा सहकारिता के सिद्धान्तों का पालन करके दूर किया जा सकता है।

(९) तकनीक, सहकारी कृषि और सरकारी प्रयत्न

सहकारी समितियों सहकारी आयोजन समिति ने १९४६ में सहकारी खेती कृषि की नवीन समिति ने देश के विभिन्न राज्यों में सहकारी कृषि के प्रयोग होती है। सिफारिश की। सन् १९४९ में कुमारप्पा समिति ने आर्थिक जोतों के नार्डर को महत्वपूर्ण बताया। इसके लिए सहकारी खेती उपयुक्त हो सकती है।

(१) म पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्संगठन पर जोर दिया गया। इसके लिए सहकारी ग्राम प्रबन्ध स्वीकार किया गया। सन् १९५२ में भारतीय कांग्रेस ने सुझाव पेश किया कि जहाँ भी सम्भव हो सके राज्य द्वारा सहकारी खेती की समितियाँ संगठित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। विभिन्न प्रयत्नों

के कारण देश में प्रथम योजना के अन्त तक देश में कुल १००० सहकारी खेती समितियाँ संगठित हो गयीं। वास्तव में देखा जाये तो सहकारी खेती की दिशा में प्रगति विशेष अच्छी नहीं थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुभव के आधार पर पर कार्य प्रारम्भ किया गया। इस काल में सहकारी खेती के विस्तार के लिए तेज गति से विकास करने पर जोर दिया गया। द्वितीय योजना में लिखा है, "इस प्रकार के विकास के प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि अगले दश वर्षों में देश में अधिकांश खेती योग्य भूमि पर सहकारी खेती का आधार सृष्ट हो जाये।" इस योजना के प्रारम्भ में चीन जाने वाले प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया जिसमें सहकारी खेती के विकास पर जोर दिया गया। सन् १९५७ में एक अन्य प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया जो कि चीन व जापान जाने वाले प्रतिनिधि मण्डल का था। इस प्रतिवेदन में भी सहकारी कृषि को महत्वपूर्ण बताया गया।

नागपुर अधिवेशन का प्रस्ताव

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सन् १९५९ में अखिल भारतीय नागपुर अधिवेशन में सहकारी कृषि के सम्बन्ध में उल्लेखनीय प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित थीं

(१) भारतीय कृषि का पुनर्संगठन सहकारी संयुक्त कृषि (Cooperative Joint Farming) के आधार पर किया जाये।

(२) किसानों का भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व सुरक्षित रखा जाये।

(३) कृषि भूमि का एकीकरण करके सहकारी संयुक्त खेती की जाये।

(४) भूमि के अनुपात में किसानों को लाभान्वित वितरित दिया जाये। जो सबसे संयुक्त कृषि भूमि पर कार्य करते हैं तो उनको सजदूरी दी जाये और काम के अनुसार लाभ में से भी भाग दिया जाये।

(५) देश में सेवा सहकारी समितियों के द्वारा कार्य करना प्रारम्भ किया जाये।

द्वितीय योजना काल में सन् १९५९ में सरकार ने निर्जनिगप्पा समिति नियुक्त की। इन समिति ने सहकारी खेती समितियों की आर्थिक एवं तकनीकी समस्याओं के निराकरण के उपाय बताये। प्रतिवेदन १९६० में प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस प्रतिवेदन पर विचार किया। तृतीय योजना में इस समिति के सुझावों के माध्यम पर कार्यक्रम बनाये गये। जून सन् १९६१ के अन्त तक भारतवर्ष में ६३२५ सहकारी कृषि समितियाँ भी जिनकी सदस्यता ३ लाख से भी अधिक थी और पूंजी लगभग १० लाख रुपये लगी हुई थी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास का निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया

(१) प्रत्येक जिले में एक अप्रगामी (Pilot) सहकारी कार्य परियोजना चालू की जाये। ऐसी प्रत्येक परियोजना में कम से कम १० सहकारी फार्म परियोजना

प्रारम्भ की जाये। देश भर में ऐसी ३३०० सहकारी कृषि समितियों की स्थापना की जाये। अग्रगामी परियोजनायें सहकारी कृषि विकास के लिये भविष्य में आधार होगी।

(२) इस प्रकार की समितियों को १२००० रु० विभिन्न कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाये। केन्द्रीय सरकार ने इस व्यवस्था के लिये ६ करोड़ रुपये का प्रावधान किया। राज्य सरकारों ने भी लगभग इतनी ही धनराशि का प्रावधान किया।

(३) सहकारी कृषि कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र में राष्ट्रीय सहकारी खेती सलाहकार मण्डल (National Cooperative Farming Advisory board) की स्थापना की गयी। राज्यों में भी मण्डलों का गठन किया गया।

(४) तीसरी योजना में सरकार को अतिरिक्त प्राप्त भूमि पर सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाने का कार्यक्रम था।

(५) तृतीय योजना काल में अग्रगामी तथा गैर अग्रगामी योजना खण्ड की सहकारी खेती समितियों के लिये ११ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया था।

गाडगिल समिति (Gadgil Committee) ने सहकारी खेती के लिए कई सुझाव दिये। समिति ने ऊँची उत्पादकता के विषय में निर्देशन दिये। इस समिति ने सहकारी खेती समितियों के सर्वेक्षण करने पर जोर दिया।

तीसरी योजनाकाल में ५५०१ सहकारी खेती समितियाँ गठित की गयीं जिनकी सदस्य संख्या १,१८,८३५ थी और जिनके पास ५,८३,७६८ एकड़ भूमि थी।^१

तृतीय योजना के पश्चात् तीन वार्षिक योजनाओं में भी सहकारी कृषि समितियों का विकास किया गया। वर्ष १९६६-६७ तथा वर्ष १९६७-६८ में हमारे देश में क्रमशः ५२१ तथा ४४९ सहकारी खेती समितियाँ संगठित की गयीं। मार्च १९६८ के अन्त में देश में ८५८२ सहकारी खेती समितियाँ थी जिनकी सदस्य संख्या २,१४,४४० थी जिनके पास लगभग ११ लाख एकड़ भूमि थी। दिसम्बर १९६८ के अन्त तक १४५ समितियाँ और गठित हुईं। भारतवर्ष में प्रशिक्षण तथा शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च १९६८ तक सहकारी कृषि समितियों के १४८७ सचिवों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

भविष्य के लिये कार्यक्रम

भविष्य में इस क्षेत्र में कमजोर समितियों को सुदृढ़ करने की योजना है। जनवरी १९६८ में राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल ने निम्नलिखित सुझाव दिये।

(१) राज्य सरकारें पुरखोच्चिक्त्तण कार्यक्रम को प्राथमिकता प्रदान करें। नयी समितियाँ वही पर स्थापित की जायें जहाँ पर पर्याप्त साधन उपलब्ध हो तथा परिस्थितियाँ अनुकूल हो।

(२) सबस्य समिति की सम्पूर्ण भूमि पर संयुक्त खेती करें।

(३) जो समितियाँ निर्धारित सहकारी सिद्धान्तों पर काम करें उन्हें को वित्तीय सहायता प्रदान की जाये। परिणामात्मक विकास की बजाय प्रकारात्मक विकास की तरफ अधिक ध्यान दिया जाये।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अधिक सहकारी कृषि समितियों के संगठन के स्थान पर वर्तमान समितियों को सुदृढ किया जायेगा। कमजोर समितियों को पुन-जिवत करने पर प्राथमिकता दी जायेगी। जिन भागों में परिस्थितियाँ बहुत ही अनुकूल हैं केवल वही पर नयी समितियाँ संगठित की जायें।

सहकारी कृषि विकास के मार्ग में बाधाएँ

सहकारी कृषि विकास मार्ग में सामाजिक एवं आर्थिक विपन्नता, प्रबन्धकीय समस्याएँ आदि प्रमुख बाधाएँ हैं। समितियों के पास पर्याप्त मात्रा में धन भी नहीं है। मुख्य बाधाओं का वर्णन निम्न प्रकार है।

(१) खेतों के प्रति मोह .

भारतवर्ष में किसान अपने खेतों के प्रति बहुत अधिक मोह रखते हैं। आर्थिक तथा सामाजिक विपन्नताओं के कारण किसान भूमि सहकारी कृषि के अन्तर्गत जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः समितियों के पास पर्याप्त मात्रा में भूमि का अभाव पाया जाता है।

(२) प्रबन्ध कुशलता का अभाव :

सहकारी कृषि समितियों के समस्त अन्य सहकारी समितियों की भाँति प्रशिक्षित एवं कुशल कर्मचारियों का अभाव पाया जाता है। किसान इस बात से बहुत डरते हैं कि कहीं अकुशल प्रबन्ध के कारण उन्हें नुकसान नहीं हो जाये। यदि सहकारी कृषि के कारण हानि हो जाती है तो किसान जिन्होंने अपनी भूमि दे दी है अपना कार्य नहीं चला पायेंगे। इस डर से वे अपनी भूमि को समितियों के अन्तर्गत नहीं लाते हैं।

(३) वित्तीय कठिनाइयाँ

सहकारी कृषि समितियों को अपने फार्मों पर आधुनिक विधियों से खेती करने के लिए बड़े-बड़े उपकरण एवं मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। कभी-कभी सिंचाई सुविधा भी प्रदान करनी पड़ती है। इसके लिए बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश समितियाँ कमजोर स्थिति में हैं अतः वे नवीन विधियों एवं मशीनों का उपयोग नहीं कर पाती हैं।

(४) अशिक्षा एवं अज्ञानता .

शिक्षा के अभाव में ग्रामीण जनता परम्परागत कृषि को उपयुक्त समझती है। वह निसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहती। अधिकांश किसान सहकारी सिद्धान्तों से भी भिन्न नहीं होते हैं।

(५) अन्य :

भारत में ग्रामीण भागों में अच्छे नेतृत्व का अभाव है जो कि आन्दोलन को सही दिशा प्रदान कर सकें। अधिकांश समितियाँ बहुत कमजोर हो चुकी हैं जिनको कि पुनर्जीवित करना आवश्यक है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार भारतवर्ष में सहकारी कृषि विकास के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं जिनको दूर करना आवश्यक है। नीचे इस समिति के लिये सुझाव दिए गए हैं।

निराकरण के उपाय

अक्टूबर सन् १९६५ में प्रो० डी० आर० गाटगिल समिति ने सहकारी खेती समितियों के विकास के लिये उल्लेखनीय सुझाव दिये हैं। समिति ने छोटे छोटे किसानों को अधिक आकर्षित करने पर जोर दिया। इस समिति ने जिला तथा राज्य स्तर पर संघीय इकाइयाँ स्थापित करने का भी सुझाव दिया था। कुछ अन्य सुझाव निम्नलिखित हो सकते हैं

(१) उचित प्रबन्ध व्यवस्था

सहकारी कृषि समितियों के विकास के लिए समितियों की उचित प्रबन्ध व्यवस्था अति आवश्यक है। इसके लिए प्रबन्ध कर्मचारियों को तथा सचिवों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में प्रशिक्षण व्यवस्था की गयी है किन्तु इस तरफ अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों को अन्य प्रकार की सहकारी समितियों की तुलना में सहकारी खेती समितियों में अधिक प्रशिक्षित होना चाहिए क्योंकि इन समितियों में किसान अपनी जमीन समिति को खेती के लिए प्रधान करते हैं जबकि अन्य समितियों में इस प्रकार की जीविकोपार्जन की सम्पत्ति नहीं लानी पड़ती। समितियों के मनेजरो को प्रशिक्षण देने की उचित व्यवस्था शीघ्र करनी चाहिए।

(२) समितियों का संगठन

समिति के संगठन से पूर्व व्यक्तियों में वास्तविक इच्छा और आवश्यकता होनी चाहिए। समितियों को आर्थिक आकार प्रदान करने के लिए नयी समितियाँ खोलने के लिए एक निश्चित निम्नतम सदस्य संख्या होनी चाहिए। सामान्यतः सभी सदस्य लगभग एक ही जैसी स्थिति के होने चाहिए। एक गाँव में एक से अधिक समिति का भी निर्माण किया जा सकता है यदि परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल हो और सदस्य संख्या अधिक हो। कृषि के लिये विभिन्न सुविधाओं भी वहाँ होनी चाहिए। भूमि सहित और भूमि रहित सदस्यों में मत देने के अधिकार में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि कोई सदस्य समिति से अलग होता है तो उसे उसकी भूमि वापस कर देनी चाहिए। इसके लिए कम से कम पाँच वर्ष की अवधि निश्चित कर देनी चाहिए। किन्तु कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में सदस्य समिति छोड़ता है तो उसे भूमि वापस कर देनी चाहिए। यदि किसी कारण समिति उसी सदस्य की भूमि देने में असमर्थ हो रही हो तो उसी उत्पादकता की तथा उसी गुण वाली दूसरी भूमि उसे दे देनी चाहिए। इससे सदस्य अधिक आकर्षित हो सकते हैं।

सहकारी सेती

(३) वित्तीय व्यवस्था .

सहकारी सेती समितियों को भूमि बन्धक बैंको में सदस्य बनने देना चाहिए। इन बैंको से ये समितियाँ दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कर सकती हैं। जिन भागों में भूमि बन्धक अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रही हैं उन भागों से राज्य सरकार दीर्घ कालीन ऋण की सुविधाएँ प्रदान करें। मध्यकालीन ऋणों के लिये केन्द्रीय सहायता बैंक बहुत उचित है। सरकार भी इस प्रकार के ऋण प्रदान कर सकती है। सभी सेती समितियाँ केन्द्रीय बैंको से सम्बन्धित कर देनी चाहिए। मर्मिन के लिए अधिकतम साख सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। सहकारी सेती समितियाँ यदि अपने कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए सहायता चाहती है तो उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अधिक बन्द उपजाओ, मिट्टी के कटाव आदि को रोकने के लिए सहायता दी जाती है तो समितियों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। समितियों को अपने सदस्यों की सहायता करने के लिये लाभ में से कुछ धन संचित करना चाहिये। उनको आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करना चाहिये। सदस्यों में मितव्ययिता और बचत की आदत डालने का प्रयत्न करना चाहिए।

(४) कमजोर समितियों को पुनर्जीवित करना .

कमजोर समितियों का कार्य भली प्रकार नहीं चल पाता है अतः इनको पुनर्जीवित करना चाहिए। भारत सरकार ने यद्यपि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम पर विशेष बल देने का प्रावधान किया है तथापि इस तरफ अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है समितियों की सहायता में अधिक धृष्टि करने से कोई लाभ नहीं है बल्कि उनका आर्थिक आकार व मृदुता आवश्यक है। समितियाँ अपने कार्यों को अच्छी तरह चला सकें ऐसी अवश्य होनी चाहिये। जिन समितियों की हालत बहुत खराब है उनका सुधार भी कठिन है उन्हें बन्द कर देना चाहिए।

(५) अधिक भूमि संचित को जाप :

इस प्रकार के प्रयत्न किये जायें कि समिति के कार्यक्षेत्र में सभी सदस्यों की पूरी भूमि आ जाये। ऐसा निश्चिन्त कार्यक्रम तैयार किया जाये कि धीरे धीरे सारी भूमि समिति में लाने का प्रयत्न किया जाये। इससे समिति के पास भूमि की कमी नहीं रहेगी। अधिक भूमि संचय करने के लिये समिति को उचित नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। इससे समिति में विश्वास अधिक होगा। ऐसे व्यक्तियों को समिति के प्रबन्ध में लगाया जाये जो कि अपने कार्य और व्यवहार से अधिक सदस्य बना सकें।

(६) नवीन विधियों तथा मशीनों का प्रयोग

सहकारी कृषि समितियों को बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए सिंचाई, उन्नतसोल बीज, खाद, आधुनिक उपकरण तथा मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। समितियाँ इन नवीन विधियों और मशीनों को काम में ले ताकि अधिक मात्रा में उत्पादन हो सके। इससे उत्पादन लागत कम होगी और लाभ की मात्रा बढ़ जायेगी। लाभ बढ़ जाने से समितियों में विश्वास बढ़ेगा और अधिक व्यक्ति आकर्षित हो सकेंगे।

(७) निरीक्षण व्यवस्था

सहकारी साख समितियों की कार्यप्रणाली को उचित समय पर जाँच हीठी रहनी चाहिये। समय समय पर निरीक्षण होने से गड़बड़ियाँ नहीं होगी। खाते भी वंज्ञानिक तरीकों से रखने चाहिए और उनके अकेक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिये।

(८) उत्तम कार्य की दशाएँ एव मानव सम्पर्क

श्रम की उत्पादकता बढ़ाने के लिये उत्तम कार्य दशाएँ तथा मानव सम्पर्क बहुत आवश्यक है। इसके लिये श्रमिकों के लिये काम के घण्टे निश्चित कर देने चाहिए। काम करने की उचित परिस्थितियाँ करनी चाहियें। श्रम कल्याण की व्यवस्था भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। इन सुविधाओं से श्रमिकों की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है।

(९) अग्य :

वित्तीय सहायता उन्हीं समितियों की की जानी चाहिये जो कि वास्तव में उन्नति करने लायक है। जो समितियाँ केवल सहायता के लिये ही गठित की गयी हैं उन्हें सहायता नहीं देनी चाहिये। सहकारी खेती तथा चकबन्दी कार्यक्रम का उचित समन्वय किया जाना चाहिये। नई स्थापित की जाने वाली समितियों में सदस्यों में भारी असमानता नहीं होनी चाहिए अर्थात् कुछ सदस्य बड़े भूमिपति और कुछ बहुत छोटे और निर्धन किसान। लगभग एक जमी आर्थिक स्थिति के किसानों को समिति का सदस्य बनाया जाना उचित रहता है।

उपरोक्त सुझावों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के सिद्धान्तों की उचित जानकारी दी जानी चाहिये। सदस्यों को भी इसकी शिक्षा देनी चाहिये। आशा है भविष्य में हमारी नवीन कृषि नीति में सहकारी खेती महत्त्वपूर्ण कार्य करेगी।

प्रश्न

१. सहकारी कृषि से आपका क्या अभिप्राय है ? इसके गुण व दोषों की विवेचना कीजिए।
२. सहकारी खेती क्या है ? हमारे देश में इसका क्या महत्त्व है ? सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में इसके लिये क्या प्रयत्न किये हैं ?
३. सहकारी कृषि से क्या तात्पर्य है ? भारत में यह कहाँ तक सफल हुई है।
४. भारतवर्ष में सहकारी खेती की क्या-क्या समस्याएँ हैं ? इनके निराकरण के उपाय बताइए।
५. 'सहकारी खेती' विषय पर एक निबन्ध लिखिये।

बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियाँ (Multipurpose Cooperative Societies)

सहकारी साख समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक दशा सुधारने में सफल नहीं हो सकी। हमारे देश में यह विवाद उठा कि उन भागों में एक उद्देश्यीय समिति या हो या अनेकों उद्देश्यों की समितियाँ स्थापित की जायें। सन् १९३७ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की कृषि साख शाखा ने बहुउद्देश्यीय विचार धारा पर जोर दिया। उस समय से ऐसी समितियाँ स्थापित करने पर विचार किया जाने लगा। बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति से तात्पर्य ऐसी समिति से है जो किसानों को साख के अतिरिक्त अन्य प्रकार की उचित सुविधायें भी प्रदान करें। एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये समितियों का आकार भी बड़ा हो जाता है। बहुउद्देश्यों में साख व्यवस्था, किसानों की उपज का विपणन, उनके लिये उन्नत बीज, खाद उपकरण व्यवस्था तथा किसानों की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सम्मिलित किये जाते हैं। बहुउद्देश्यों में मनोरंजन शिक्षा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा भी सम्मिलित किये जा सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि एक समिति उपरोक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति करे। व्यवहार में ये समितियाँ कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं जैसे किसानों को साख और विपणन की सुविधायें प्रदान करती हैं। विश्व के अन्य देशों में भी समितियाँ एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। उदाहरण के लिये इंग्लैंड में उपभोक्ता मण्डल ने मूह निर्माण कार्य करना प्रारम्भ किया और जर्मनी में साख समितियों ने विपणन का कार्य भी सम्पन्न किया। विदेशों में इस प्रकार की सफलता तथा भारत में ग्रामीण साख समितियों की असफलता के कारण बहुउद्देश्यीय समितियों का विकास बहुत विवाद करने के पश्चात् किया गया।

बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियाँ एक नियन्त्रण के अन्तर्गत अनेक कार्य करती हैं। भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में इन समितियों के विकास की बहुत सम्भावना है। एक ही धाम में विभिन्न उद्देश्यों के लिये अलग-अलग समितियों की स्थापना अत्यन्त कठिन कार्य है। जैसा कि पूर्व कहा गया है एक उद्देश्य की समितियाँ केवल एक ही

कार्य करती हैं जैसे साख व्यवस्था या कृषि उपजो का विक्रय या उपभोग वस्तुओ की पूर्ति। द्वितीय विश्व युद्ध के आरम्भ तक हमारे देश मे एक उद्देश्य की पूर्ति (विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रो मे साख व्यवस्था) की समितियाँ स्थापित हुईं। किन्तु उस समय इस बात पर अधिक विचार किया गया कि ऐसी समितियाँ स्थापित की जायें जो साख के अतिरिक्त किसानो की अन्य आवश्यकताओ की भी पूर्ति कर सकें। वास्तव मे देखा जाये तो बहुउद्देश्यीय समितियाँ ग्रामीण साख समितियो के सुधार के रूप मे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने सुझाव दिया था कि इन समितियो के माध्यम से किसानो और कारीगरो की दैनिक जीवन की आवश्यकताओ की पूर्ति की जा सकेगी जमे उपज के लिये वित्त व्यवस्था, बीज, खाद- उपकरण और उपभोग्य वस्तुओ आदि की व्यवस्था, उपज के विपणन की उचित व्यवस्था राहायक धन्धो को प्रोत्साहन आदि। इनके अतिरिक्त ये समितियाँ सामाजिक संगठन की सेवा करेगी जो कि ग्रामीण दशाओ मे सुधार लायेगी और उत्तम जीवन यापन की स्थिति पंदा करेगी।¹ रिजर्व बैंक की इस सिफारिश को सन् १९४६ मे रयाल सीमा सहकारी जाँच समिति, मद्रास ने भी समर्थन दिया।² समिति के अनुसार वर्त्तमान ग्रामीण सहकारी समितियाँ अधिक उन्नति नही कर सकती हैं क्योंकि पिछले अनेको वर्षों मे उनकी प्रगति देखी जा चुकी है अतः उनमे सुधार करने के लिये बहुउद्देश्यीय समितियाँ स्थापित की जायें।

आवश्यकता

हमारे देश मे ग्रामीण क्षेत्रो मे सहकारी साख का ही अधिक विकास हो सका है। किसानो और ग्रामीण कारीगरो की अनेक आवश्यकतायें हैं जिनमे से साख एक है। इन लोगो को समितियो से ऋण मिल पाता है किन्तु अन्य आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये महाजनो तथा व्यापारियो पर निर्भर रहना पडता है। किसानो को उन्नत बीज, खाद तथा औजारो के लिये साहकारी अथवा महाजनो पर निर्भर रहना पडता है। ऐसी स्थिति मे किसानो को लाभ नही हो सकता है। यदि विभिन्न उद्देश्यो की पूर्ति के लिये अलग-अलग समितियाँ स्थापित की जायें तो किसानो को अलग अलग व्यवहार करना पडता है। विभिन्न समितियो मे अलग सदस्यता ग्रहण करने के निचे प्रवेश शुल्क और अश खरीदने पडते हैं। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रो मे किसान अनेको असुविधाओ के कारण कई प्रकार की समितियाँ स्थापित भी नही कर पाये हैं। अनेक समितियाँ स्थापित करने के लिये कई क्षमत् उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ ग्रामो मे तो एक समिति की भी स्थापना कठिन होती है। अतः बहुउद्देश्यीय समितियो की बहुत आवश्यकता है।

देश मे सहकारी आन्दोलन को व्यापक बनाने मे इन समितियो का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रो मे यदि किसानो को अन्विकाश आवश्यकताओ की पूर्ति सहकारी आधार पर पूरी की जाती है तो जनता मे इसके प्रति विश्वास बढ़ेगा। जनता सहकारिता के सिद्धान्तो तथा उद्देश्यो से अधिक परिचित हो सकेगी। इन

1. Reserve Bank of India Review of cooperative movement, 1939 46 p 10
2. Report of the Rayalaseema Coperative Enquiry Committee Madras (1946)

समितियों से सहकारिता का प्राथमिक ढाँचा सुदृढ़ हो जायेगा। वर्तमान परिस्थितियों में कमजोर समितियों का सुदृढीकरण किया जा रहा है। भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में समितियाँ सगठित की जायें वे बहुउद्देश्यीय हों ताकि उनकी स्थिति अधिक सुदृढ़ हो। इन समितियों की गतिविधियाँ भी अधिक होगी जिससे कार्य भी व्यापक होंगे। फलतः अधिक सहायता एवं कार्यशील पूंजी होगी। ये समितियाँ जनता को अधिकाधिक सुविधायें प्रदान करके उनकी सुल समृद्धि में वृद्धि कर सकेंगी और देश में सर्वांगीण विकास होने लगेगा।

बहुउद्देश्यीय समिति की विशेषताएँ

इन समितियों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं —

(१) बहुउद्देश्यीय समितियों का सगठन अनेको उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जाता है। साख के अतिरिक्त किसानों तथा कारीगरों की जो आवश्यकताएँ होती हैं उन्हें ये समितियाँ पूरा करती हैं।

(२) अनेको प्रकार के कार्यों का संचालन करने के कारण समितियों का कार्य क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक होता है। प्रायः एक ग्राम या आस-पास के ग्रामों सहित ग्राम समिन्वित किये जाते हैं।

(३) अपेक्षाकृत सदस्य संख्या अधिक होती है क्योंकि समितियाँ कई कार्य करती हैं अतः अधिकांश ग्रामीण व्यक्ति समितियों के सदस्य हो जाते हैं।

(४) समितियों का दायित्व सीमित होता है। इसलिये कार्यशील पूंजी भी अपेक्षाकृत अधिक होती है।

(५) समितियाँ एच्छिक सगठन हैं और सदस्यता खुली होती है।

(६) समितियों का प्रबन्ध जनतान्त्रिक नियन्त्रण के आधार पर होता है। सामान्य सभा में सर्वोच्च सत्ता निहित होती है।

(७) समितियों का कार्य वैतनिक कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

बहुउद्देश्यीय समितियों के लाभ

बहुउद्देश्यीय समितियाँ एक उद्देश्यीय समितियों की तुलना में अधिक उपयोगी सिद्ध हुई हैं। एक उद्देश्यीय समितियाँ केवल साख व्यवस्था के उद्देश्य की ही पूर्ति करती हैं किन्तु बहुउद्देश्यीय समितियाँ अनेको आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सुविधायें प्रदान करती हैं। ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास में इन समितियों का उत्प्रेरणीय योगदान हो सकता है। किसानों तथा कारीगरों को साहूकारों महाजनों तथा व्यापारियों के शोषण से बचाने के प्रमुख साधन ये समितियाँ हैं। मुख्य-मुख्य भाग निम्न प्रकार हैं —

(१) सर्वांगीण विकास में योगदान :

बहुउद्देश्यीय समितियाँ ग्रामीण जनता की अनेको आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनके सर्वांगीण विकास में योगदान देती हैं। पर्याप्त एवं उचित सुविधायें प्राप्त करके सदस्य सुखी एवं समृद्ध होते हैं। शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा

ग्राम सुधार क्षेत्र में भी समितियाँ बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। समितियाँ सदस्यों को सम्पन्न करके उनका जीवन स्तर ऊँचा उठाती हैं। किसानों की आय में भी निरन्तर वृद्धि होती रहती है।

(२) श्रम व समय की बचत :

बहुउद्देश्यीय समितियाँ अपने सदस्यों को एक स्थान पर अनेक सुविधायें प्रदान करती हैं। इससे उनके समय में बचत होती है। क्योंकि इनके अभाव में व्यक्तियों को कई स्थानों में जाकर वस्तुयें खरीदनी पड़ेगी। अपनी उपजों को बाजार में बेचने के लिये बहुत सा समय व्यर्थ खोना पड़ेगा। कुछ वस्तुयें जो ग्रामों में उपलब्ध नहीं हैं उनके लिये शहरों में जाकर लानी पड़ती हैं अतः समय और श्रम दोनों अधिक पड़ते हैं। किन्तु ये समितियाँ श्रम और समय दोनों में बचत कर देती हैं।

(३) मितव्ययिता :

कई कार्यों के लिये एक समिति होने के कारण व्यवस्थापकीय एव सगठन के व्ययों में मितव्ययिता होती है। विभिन्न कार्यों के लिये कई समितियों के गठन से अलग अलग ये कार्य करने पड़ते हैं। समितियों के लिये अलग कार्यालयों की आवश्यकता पड़ती है तथा अलग अलग कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। अतः व्यर्थ का व्यय बढ़ना है। बहुउद्देश्यीय समितियों की दशा में ये खर्च टल जाते हैं और बड़ी मात्रा में व्यापार के लाभ उपलब्ध हो जाते हैं।

(४) प्रबन्ध कुशलता के लाभ -

एक उद्देश्यीय समितियों की तुलना में बहुउद्देश्यीय समितियों में अधिक कर्षण व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं। इन समितियों का कार्य सत्र व्यापक होता है। आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है अतः चतनिक प्रशिक्षिता कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। उचित प्रबन्ध के कारण लाभ भी अधिक होती है जिससे सहकारिता में लोगों का अधिक विश्वास पैदा होता है।

(५) साख एवं विपणन में समन्वय :

साख समितियों और विपणन समितियों के पृथक-पृथक सगठित होने के कारण उनमें उचित समन्वय नहीं हो पाता है। सहकारी साख, सहकारी विपणन के साथ जोड़ने में कठिनाई उत्पन्न होती है किन्तु बहुउद्देश्यीय समितियाँ दोनों कार्य स्वयं करती हैं अतः दोनों कार्यों में उचित समन्वय सम्भव हो पाता है। सदस्यों को प्रदान किये गये ऋणों की वापसी में अधिक कठिनाई नहीं होती क्योंकि विपणन कार्य के कारण किसानों की उपजें समिति द्वारा सम्पन्न की जाती हैं।

(६) सुदृढ़ आर्थिक स्थिति :

बहुधनीय समिति होने के कारण सदस्य समस्या अधिक होती है और कार्यशील पूँजी भी अधिक होती है। समिति को यदि कोई एक कार्य में हारिण होता है तो वह दूसरे कार्यों में पूर्ण हो जाती है। अतः समितियाँ सफलतापूर्वक कार्य करती रहती हैं। सुदृढ़ स्थिति होने से जनता का इन पर विश्वास भी अधिक होता है। एक उद्देश्यीय समितियों की स्थिति सुदृढ़ नहीं पायी जाती है। देश में अधिकांश ऋण समितियाँ कमजोर स्थिति में हैं जिनका हृदीकरण किया जा रहा है।

भारतवर्ष में बहुउद्देश्यीय समितियों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास आदि राज्यों में अच्छी प्रगति की है। इन राज्यों में इन समितियों का उपजो के विपणन, किसानों के लिये बीज, खाद और औजार व्यवस्था, पुराने ऋण चुकाने में योगदान कार्य सराहनीय है। इन समितियों में मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भी प्रशंसनीय कार्य किया है।

बहुउद्देश्यीय समितियों के दोष

बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों में कुछ दोष भी हैं। प्रायः समितियों में इतने कुशल व्यक्ति नहीं पाये जाते हैं जो कि इनकी विभिन्न क्रियाओं को अच्छी तरह से पूरा कर सकें। कुछ गाँवों में समितियों का आकार भी छोटा होता है अतः प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति बहुत कठिन होती है। ऐसी स्थिति में एक उद्देश्य वाली समितियाँ भी उपयुक्त सिद्ध हो सकती हैं समितियों के मुख्य दोष निम्नलिखित हैं —

(१) बहुउद्देश्यीय समितियों को कई कार्य करने पड़ते हैं अतः कार्य प्रणाली बहुत जटिल हो जाती है। प्राचीन व्यक्ति इन सब बातों को नहीं समझ पाते हैं अतः कुछ ही व्यक्ति समितियों के संचालन में भाग लेकर अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं।

(२) विभिन्न कार्यों से यह ज्ञात करना कठिन होता है किस कार्य में सफलता मिली है और किस में नहीं। एक कार्य के लाभों से दूसरे कार्य की हानि पूरी की जाती है। इससे एक कार्य की हानि को दूसरे कार्यों के लाभों से छुपाया जाता है।

(३) अनेकों कार्यों का एक साथ सम्पादन करने के कारण विभिन्न समस्याएँ अच्छी तरह से पूरी नहीं की जाती हैं। एक उद्देश्य वाली समिति अपने कार्य को अधिक कुशलता के साथ सम्पन्न कर सकती है।

(४) साख की विपणन के साथ सम्बन्धित करने से भी कभी-कभी अतिविक्रम पूर्ण ऋण प्रदान किये जाते हैं। समितियाँ विपणन को बढ़ाने के लिये उदरियों को अधिक मात्रा में ऋण दे देती हैं।

(५) बहुउद्देश्यीय समितियों में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है जिसका कि विरोध किया जाता है।

उक्त दोषों को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि बहुउद्देश्यीय समितियाँ उपयुक्त नहीं हैं। वास्तव में देखा जाये तो इन समितियों की वर्तमान समय में बहुत आवश्यकता है। इनके माध्यम से प्रामोत्थान किया जा सकता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सहकारिता के विकास के लिये सुसंगठित कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। पहले तो कृषि साख ही आन्दोलन का आधार था किन्तु सन् १९५६ के पश्चात् विपणन व्यवस्था को भी उचित स्थान दिया गया है। प्राचीन विकास के लिये सहकारिता का आधार स्वीकार किया जा चुका है जिसके लिये सहकारी बहुउद्देश्यीय समितियाँ अत्यन्त महत्व की हैं।

बहुउद्देश्यीय समितियों की प्रगति

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने सन् १९३७ में बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियाँ स्थापित करने का सुझाव दिया। इसके दो वर्ष पश्चात् विभिन्न प्रान्तों के सहकारी

पंजीयन अधिकाग्रियो ने इनका समर्थन किया। सरैया समिति ने सन् १९४६ में बहुउद्देशीय समितियों का सुझाव दिया। इस समिति ने मुझाव दिया कि दस वर्ष की अवधि में ५० प्रतिशत गाँव और ३० प्रतिशत जनसंख्या इन समितियों के अन्तर्गत आ जायें। सन् १९४७ से प्रथम योजना प्रारम्भ होने से पूर्व तक इन समितियों के विकास में पर्याप्त सफलता मिली। वर्ष १९५०-५१ में ऐसी समितियों की संख्या ४० हजार थी। सन् १९५५-५६ में इन समितियों की संख्या ६५ हजार थी जो कि १९५९-६९ में बढ़कर ७५ हजार हो गयी। सदस्यता २४ लाख से बढ़कर ४४ लाख हो गयी।

पिछले वर्षों में यह अनुभव किया गया है कि बहुउद्देशीय समितियाँ अति सफल नहीं हो पायी हैं। प्रायः समितियाँ एक उद्देश्य की पूर्ति तो अच्छी तरह से कर सकती हैं। किन्तु कई उद्देश्यों की पूर्ति करना बहुत कठिन है। इन समितियों की पर्याप्त सफलता के अभाव में भारत वर्ष में बृहत्कार समितियाँ स्थापित की जाने लगी और वर्तमान समय में सेवा सहकारी समितियाँ स्थापित की जाने लगी हैं। सेवा समितियाँ भी बहुउद्देशीय विचार धारा के अन्तर्गत हैं। इन समितियों के भी एक उद्देश्य न होकर कई उद्देश्य हैं। इनका प्रचार निरन्तर बढ रहा है।

प्रश्न

१. बहुउद्देशीय सहकारी समितियों से आपका क्या अभिप्राय है? इनकी क्या आवश्यकता है।
२. बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के लाभ हानि की विवेचना कीजिये।
३. बहुउद्देशीय समिति की प्रगति का संक्षिप्त विवरण दीजिये।

भारत में सहकारी समितियों का प्रबन्ध (Management of Co-operative Societies in India)

सहकारी समितियों का प्रबन्ध जनतान्त्रिक ढंग से होता है। एब्राहम लिंकन के अनुसार जनतान्त्रिक प्रशासन के अन्तर्गत सरकार जनता की, जनता द्वारा तथा जनता के लिये होती है।¹ सहकारी समिति का प्रबन्ध, सदस्यों का, सदस्यों के लिये, साधारण सभा और प्रबन्धक मण्डल के माध्यम से किया जाता है। साधारण सभा में समिति की सर्वोच्च सत्ता निहित है।² सामान्यतः प्रबन्ध तीन प्रकार का होता है—उच्च स्तरीय, मध्यस्तरीय तथा निम्न स्तरीय। उच्च स्तरीय प्रबन्ध के अन्तर्गत प्रबन्धक मण्डल होता है जो कि साधारण सभा के निर्णयों तथा नीतियों को कार्य रूप में परिणित करवाता है। साधारण सभा नीतियों से सम्बन्धित निर्णय लेती है। साधारण सभा में सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त हैं। निर्णय लेने में सभी को समान सुविधायें दी जाती हैं। कोई भी सदस्य नीति निर्धारण के समय स्वतन्त्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकता है। इस में “एक व्यक्ति एक मत” का सिद्धान्त काम में लिया जाता है। स्पष्ट है कि प्रबन्ध में पूंजी की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्त्व दिया जाता है। सदुक्त स्वल्प प्रमण्डलों में आम सभा अथवा साधारण सभा में अंशों के आधार पर मत देने का अधिकार होता है। जहाँ इन सस्याओं में मनुष्य की अपेक्षा पूंजी को अधिक महत्त्व दिया जाता है। सभी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय साधारण सभा में बहुमत के आधार पर लिये जाते हैं इसलिये समितियों का प्रबन्ध स्वयं सदस्यों के हाथों में होता है। सदस्यों द्वारा चुने हुये व्यक्ति प्रबन्धक समिति अथवा सचालक मण्डल में आते हैं जो कि उनके निर्णयों के आधार पर समितियों के संचालन की व्यवस्था करते हैं।

1. Government of the people, by the people, for the people.
—Abraham Lincoln.
2. The General Body is the supreme authority of the society in whom the ultimate authority lies

कभी-कभी समिति के सदस्य बहुत अधिक हो जाते हैं और सदस्यों के पास समय भी कम होता है। ऐसी स्थिति में तदर्थ (ad hoc Committees) समितियाँ गठित की जाती हैं जिनमें समिति के सभी सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ये तदर्थ समितियाँ समय-समय पर निरन्तर कार्य में आने वाले नीति सम्बन्धी मामलों, जैसे क्रय, विक्रय, कर्मचारियों का चयन, सदस्य की शिक्षा आदि पर निर्णय लेती हैं। तदर्थ समितियाँ साधारण सभा द्वारा नियुक्त की जाती हैं जिनमें सदस्यों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं।

साधारण सभा

साधारण सभा समिति के सभी सदस्यों की बनी होती है। साधारण सभा में समिति की सर्वोच्च सत्ता रहती है। यदि इस में सदस्य अधिक होते हैं तो प्रतिनिधि साधारण सभा नियुक्त की जाती है।

सदस्यता

जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है साधारण सभा में समिति के सभी सदस्य सम्मिलित रहते हैं। समितियों में सदस्यता खुली एवं एच्छिक होती है। कोई भी साधारण बुद्धि तथा अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति सदस्य बन सकता है। प्रत्येक सदस्य को अपनी इच्छानुसार समिति छोड़ने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। प्राथमिक समितियों में सदस्य व्यक्ति होते हैं। किन्तु सघीय संस्थाओं में समितियाँ सदस्य होती हैं।

साधारण सभा के कार्य

साधारण सभा समिति की सर्वोच्च सत्ता है। नीति सम्बन्धी तथा अनेक महत्वपूर्ण निणय इसी में लिये जाते हैं। उसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं

(१) साधारण सभा प्रबन्धक मण्डल अथवा संचालक मण्डल का चुनाव करती है। संचालक मण्डल साधारण सभा के महत्वपूर्ण निणया एवं नीतियों को कार्य रूप में परिणित करता है। अतः इसके चुनाव में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। संचालकों के चुनाव में भी सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त हैं। एक व्यक्ति का एक मत' के सिद्धान्त के आधार पर चुनाव होता है।

(२) साधारण सभा अक्षेको की नियुक्ति करती है। अक्षेक समिति के खातों का अक्षेण करते हैं अतः उनकी नियुक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

(३) संचालक मण्डल, संस्था या किसी व्यक्ति द्वारा रखे गये प्रस्तावों को साधारण सभा पास कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है अथवा उममें संशोधन कर सकती है। ये प्रस्ताव निम्न हो सकते हैं —

(a) अधिकारियों के प्रतिवेदन जिनमें व्यापारिक और लाभ-हानि-खाता, पक्की तलपट, अक्षेकों की रिपोर्ट आदि सम्मिलित हैं।

(b) लाभ अथवा आधिक्य को लगाना, स्टॉकनरी तथा अन्य कोषों में रखी गयी धन राशि, ब्याज का भुगतान, अश पूंजी पर लाभान, क्रय पर बोनस अथवा छूट देना आदि।

(c) किसी सदस्य को बाहर निकालना ।

(d) समिति का विघटन, एक दूसरे में मिलना तथा विलय ।

(e) समिति का बजट । यद्यपि बजट को स्वीकार करना सञ्चालक मण्डल का कार्य है किन्तु कुछ समितियों के उप-नियमों में यह व्यवस्था होती है कि समिति का बजट आम सभा में स्वीकार किया जाना आवश्यक है ।

(f) समिति के उप-नियमों में परिवर्तन ।

(g) कभी-कभी सञ्चालक मण्डल के महत्त्वपूर्ण नीति सम्बन्धी निणय जैसे क्रय अथवा भवन निर्माण आदि साधारण सभा के सामने सूचनाय अथवा सुधार के लिये रखे जाते हैं ।

(४) आवश्यकता पडने पर साधारण सभा तदर्थ समिति अथवा प्रतिनिधि साधारण सभा की भी नियुक्ति करती है ।

(५) समस्त महत्त्वपूर्ण एवं नीति सम्बन्धी निर्णय साधारण सभा में लिये जाते हैं ।

(६) साधारण सभा सञ्चालक मण्डल को सत्ता डेलेगेट करती है ।

(७) सञ्चालक मण्डल को समिति के प्रबन्धक के विषय में साधारण सभा आवश्यक निर्देशन भी देती है ।

प्रारम्भिक समितियों में यदि सदस्य संख्या बहुत अधिक है तो साधारण सभा को समय-समय पर बैठके अत्यन्त कठिन हो जाती है क्योंकि न तो सदस्यों के पास इतना समय है कि वे बैठक में सम्मिलित हो सकें और न ही इतनी जगह बैठक के लिए होती है । अतः प्रतिनिधि साधारण सभा की नियुक्ति की जाती है ।

सञ्चालक मण्डल (Board of Directors)

सञ्चालक मण्डल में साधारण सभा द्वारा चुने गये प्रतिनिधि (सञ्चालक) सदस्य होते हैं । साधारणतः प्रधान मैनेजर को भी इसमें सदस्य बनाया जाता है जिसको मत देना का भी अधिकार प्रदान किया जाता है । सञ्चालक मण्डल में सरकार के मनोनीत व्यक्ति भी सदस्य हो सकते हैं । यदि सरकार अथवा पूंजी में योगदान देती है तो निश्चय ही उसका प्रतिनिधि होना चाहिये । कुछ ऐसे उदाहरण भी देखने को आये हैं जिनमें अधिकांश सदस्य सरकार के मनोनीत किये गये हैं । किन्तु मिर्धा समिति (१९६४) ने अपने प्रतिवेदन में सरकार के मनोनीत व्यक्तियों का सामा निश्चित करने को कहा है । सामान्यतः सरकार जिन समितियों में अथवा पूंजी का अदान करती है उनमें कुछ सञ्चालक (साधारणतया तीन अथवा कुल सञ्चालकों की संख्या न एक तिहाई जो भी कम हो) वह मनोनीत कर सकती है ।

बनावट एवं संघर्ष

सञ्चालक मण्डल में सञ्चालकों की संख्या न तो अधिक होनी चाहिये और न बहुत कम । कुछ विद्वानों का मत है कि जहाँ तक हो सके सञ्चालकों का संख्या कम होनी चाहिये । अधिक संख्या होने से शीघ्र निणय नहीं लिये जा सकते हैं । सहकारी

समितियों के लिये ७ से ९ सदस्य सचालक मण्डल में तो हो उपयुक्त है। यदि इनकी संख्या ९ या ११ से अधिक है तो सबसे ऊपर एक अन्य समिति नियुक्त कर देनी आवश्यक है।¹ यदि सचालक मण्डल में सचालको की संख्या कम है तो निर्णय बिना कठिनाई के लिया जा सकते हैं। बड़े सचालक मण्डल में निर्णय लेने में देर हो जाती है क्योंकि कई व्यक्तियों का शीघ्र एक मत होना कठिन है। इसके अतिरिक्त सचालको की बंटकें भी छोटे सचालक मण्डल की स्थिति में आसानी से हो सकती हैं। भारतवर्ष में अनेक सहकारी समितियों में सभी सचालक एक साथ रिटायर होते हैं। किन्तु आजकल वैज्ञानिक एवं आधुनिक प्रबन्ध में यह उचित नहीं है। इसके लिये अलग समाप्त अवधि उपयुक्त समझी जाती है। इसमें सभी सचालक एक साथ न रिटायर होकर कुछ अवधि के अन्तर से होते हैं। इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं —

- (i) प्रबन्ध को निरन्तर जारी रखने के लिये उपयुक्त रहती है।
- (ii) प्रबन्ध में अकस्मात् परिवर्तन नहीं होने देने के लिये भी अच्छी रहती है। क्योंकि अल्प अवधि के लिये चुने गये सचालक अचानक ऐसे निर्णय नहीं ले लें जिससे बहुत बड़ा और मूलभूत परिवर्तन हो जाये।
- (iii) पहले के चले आ रहे प्रबन्ध के अनुभव का लाभ उठाने के लिये एक साथ सभी सचालको को रिटायर करना अनुचित है।

अतः यह विधि बहुत ही उपयुक्त समझी जाती है। इस व्यवस्था में पहले के प्रबन्ध की अच्छाइयों को अपनाया जा सकता है। एक दम परिवर्तन हो जाने से सचालक मण्डल के कार्य में आरम्भ में कठिनाई आती है और निर्णय लेने में अधिक समय लग जाता है जिससे समिति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

कार्य (Functions)

सचालक मण्डल को साधारण सभा अपनी शक्ति का प्रतिनिधित्व (delegation of Authority) प्रदान करती है। साधारण सभा नीति सम्बन्धी निर्णय लेकर उन्हें कार्य रूप में परिणित करने के लिये सचालक मण्डल को सौंप देती है। सचालक मण्डल अपने यहाँ—सहकारी समिति अधिनियम की सीमाओं के अन्दर, साधारण सभा के निर्देशनों के अन्तर्गत अपनी शक्ति को कार्य रूप देता है।² इसको समिति के नियमों, उप-नियमों और साधारण सभा में जो प्रस्ताव पास हुये हैं आदि को ध्यान में रखकर निर्णय लेने पड़ते हैं। सचालक मण्डल के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं

(१) सचालक मण्डल साधारण सभा से अधिकार प्राप्त करके उनको कार्य रूप में परिणित करवाता है।

(२) सचालक मण्डल जन समुदाय के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने है।

1 Indian Co operative Review, April 1969, p 1004

2 Management Cadre for Co operatives by K. K. Taimni, Kurukshetra' November 1968 p 17.

(३) यह समिति के उचित संचालन के लिये आवश्यक निर्णय लेता है। निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जाते हैं।

(४) संचालक मण्डल प्रधान मैनेजर की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त यह अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्तियाँ भी कर सकता है।

(५) समिति के कार्य के लिये संचालक मण्डल समिति के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होता है।

(६) यह समिति के प्रबन्ध को उचित व्यवस्था करता है।

(७) संचालक मण्डल का अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य है समय-समय पर समिति की प्रगति की जाँच करना।

(८) समिति को समय-समय पर बाहरी निधियों की आवश्यकता पड़ती है। संचालक मण्डल इन आवश्यक निधियों को उधार लेने की व्यवस्था करता है।

(९) साधारण सभा की साधारण और विशेष बैठकें सम्पन्न कराना और उनके लिये एजेन्डा स्वीकार करना।

(१०) समिति में सदस्यों के प्रवेश स्वीकार करना, सदस्यों के हिस्सों का हस्तांतरण, अग्री को वापिस लेने से सम्बन्धित विषयों पर कार्य करना।

(११) समिति की तरफ से वार्षिक कार्यवाहियाँ करना और आवश्यकता पड़ने पर समझौता करना।

(१२) समिति के कर्मचारियों के लिये सेवा नियम (Services rules) बनाना जिनमें वेतनमान एवं भत्ते निर्धारित करना, कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम चालू करना आदि।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त समितियों के स्वभाव के आधार पर संचालक मण्डल अलग-अलग कार्य करते हैं। वस्तुतः ये समिति के सभी मामलों को सम्भालते हैं। संचालक मण्डल के कर्तव्यों में कर्मचारियों की नियुक्ति, नियन्त्रण, सेवा निवृत्ति, उचित हिसाब-किताब रखना, निधियों की व्यवस्था करना, ऋण स्वीकार करना और उनकी देखरेख करना तथा समिति के व्यापार सम्बन्धी लेख पत्रों में प्रतिनिधित्व करना आदि सम्मिलित किये जाते हैं। संचालक मण्डल में निर्णय बहुमत से लिये जाते हैं और समिति की उप-नियमावली में बैठक का कोरम (quorum) भी तय किया हुआ होता है। इस प्रकार समिति के प्रबन्ध में संचालक मण्डल का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

शक्ति का प्रतिनिधित्व सौंपना (Delegation of Power)

अच्छे प्रबन्ध में संचालक मण्डल मैनेजर को अपनी सत्ता अथवा शक्ति का स्पष्ट प्रतिनिधित्व सौंप देते हैं। व्यवसाय सगठन जितना अधिक बड़ा होता है शक्ति का प्रतिनिधित्व बढ़ता जाता है। अधिकांश सहकारी समितियों में संचालक मण्डल दिन प्रति दिन के मामलों में अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अतः उनको अपनी शक्ति कार्य करने के लिये पूरे समय काम करने वाले मैनेजर को देनी पड़ती है। प्रतिनिधित्व के लिये शक्ति वही व्यक्ति या मण्डल दे सकता है जिसके पास स्पष्ट शक्ति होती है। अतः मण्डल केवल वही शक्तियाँ मैनेजर को प्रतिनिधित्व के लिये सौंप सकता है जो कि उसके पास हैं। यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि संचालक

मण्डल अपनी शक्तियाँ मैनेजर को सौंप देता है किन्तु वह उत्तरदायित्व (Responsibility) का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। साधारण सभा के प्रति सचालक मण्डल उत्तरदायी होता है। यद्यपि मैनेजर, सचालक मण्डल के लिये उत्तरदायी होता है किन्तु इसमें सचालक मण्डल का साधारण सभा के प्रति उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाता।

जनरल मैनेजर (General Manager)

जनरल मैनेजर समिति के सगठन में सर्वोच्च अधिकारी होता है जो कि समिति का कार्य संचालित करता है। सचालक मण्डल इसकी नियुक्ति करता है। मैनेजर की कुशलता पर समिति की सफलता निर्भर होती है। भारतवर्ष में अधिकांश समितियों में कुशल प्रबन्धको का अभाव पाया जाता है। इसका मुख्य कारण सहकारिता के क्षेत्र में प्रबन्धको को पर्याप्त वेतन नहीं प्रदान किया जा सकता है जबकि सार्वजनिक एव निजी क्षेत्र में कुशल प्रबन्धको को अच्छा वेतन दिया जाता है। प्रबन्धको को समय-समय पर अनेको निर्णय लेने पड़ते हैं। किन्तु योग्यता के अभाव में तो ये शीघ्र निर्णय ले पाते हैं और न ही उचित निर्णय हो पाते हैं। फलतः समितियाँ कुशलता पूर्वक कार्य करने में असमर्थ होती हैं।

कार्य (Functions)

प्रधान प्रबन्धक (General Manager) प्रबन्धक मण्डल अथवा सचालक मण्डल के नीति निर्णयों के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों को समिति के प्रबन्ध के काम में लाता है। इसके मुख्य कार्य निम्न लिखित हैं —

(१) प्रधान प्रबन्धक समिति के सम्पूर्ण सगठन के प्रधान के रूप में कार्य करता है। समिति के कार्य की निरन्तर देख रखा करता है।

(२) प्रधान प्रबन्धक क्रय, मूल्य निर्धारण, विक्रय आदि के सम्बन्ध में दिन प्रतिदिन विचार विमर्श का प्रबन्ध करता है।

(३) वह मासिक व्यावसायिक प्रतिवेदन सचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करता है।

(४) वह समिति के वार्षिक और मासिक क्रय, विक्रय, लागत व्यय आदि के सम्बन्ध में बजट तैयार करता है और उसे मण्डल के समक्ष मजूर करवाने के लिये प्रस्तुत करता है।

(५) बड़े आकार की समितियों में अपने से नीचे के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा निवृत्ति करता है।

(६) नीचे के स्तर के कर्मचारियों के वेतन मान भत्ते निर्धारित करना तथा वृद्धि (In crements) देना भी प्रधान प्रबन्धक को अनेक समितियों में सौंपा जाता है।

(७) सचालक मण्डल की बैठकों में प्रधान प्रबन्धक भाग लेता है। वह अपने अनुभव तथा समस्याएँ मण्डल के समक्ष रख सकता है और अपनी राय भी व्यक्त कर सकता है। कुछ समितियों के मण्डलों में प्रधान प्रबन्धक को मत देने का अधिकार भी दिया जाता है।

(८) समिति के संचालन के दिन प्रतिदिन के मामलों में निर्णय भी लेता है।

(९) समितियों का उचित हिसाब-किताब रखने की जिम्मेवारी प्रबन्धक की होती है।


(१०) प्रबन्धक अपने अन्तर्गत संगठन में सभी विभागों जैसे हिसाब किताब विभाग (Accounts Department), क्रय विभाग, विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग सामान्य प्रबन्ध विभाग आदि में उचित समन्वय (Co-ordination) स्थापित करता है।

(११) प्रबन्धक सम्बन्धित विभागों को प्रबन्धक मण्डल अथवा सचालक मण्डल के निर्णयों से अवगत कराता है।

स्पष्ट है कि प्रधान प्रबन्धक संगठनात्मक ढाँचे में एक महत्त्वपूर्ण अधिकारी होता है जो कि सचालक मण्डल के निर्णयों को कार्य रूप में परिणत करवाता है। वह अपने से नीचे के अधिकारियों को उनके विभागों से सम्बन्धित शक्ति का प्रतिनिधित्व सौंपता है। अतः वह एक प्रमुख प्रशासक होता है।

बड़े आकार की उपभोक्ता सहकारी समितियों में प्रजातांत्रिक प्रबन्ध का चार्ट निम्न प्रकार हो सकता है —

उपभोक्ता सहकारी समिति में प्रजातांत्रिक प्रबन्ध^१



उक्त चार्ट एक बड़े आकार की उपभोक्ता सहकारी समिति के प्रबन्ध का है। इसमें सदस्य सर्वोपरि होते हैं। इन समितियों में समितियाँ तथा व्यक्तिगत सदस्य दोनों प्रकार के होते हैं। सदस्यों के पश्चात् साधारण सभा आती है जिसमें समिति की सर्वोच्च सत्ता निहित है। साधारण सभा में सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। साधारण सभा के पश्चात् सचालक मण्डल का स्थान है जिसमें साधारण सभा के चुने हुये प्रतिनिधि होते हैं। सचालक मण्डल प्रधान प्रबन्धक की नियुक्ति करता है। प्रधान प्रबन्धक के पश्चात् विक्रय, ऋय एवं स्टोरेज, सदस्य शिक्षा, एकाउन्ट्स, कर्मचारी प्रबन्ध (Personnel Administration) तथा आन्तरिक अकेक्षण विभाग आते हैं।

कर्मचारी नीति (Personnel Policy)

किसी भी व्यवसाय सस्या की सफलता उचित मनुष्य शक्ति, मशीन तथा कच्चेमाल के उचित उपभोग पर निर्भर है। मनुष्य शक्ति के उत्तम उपयोग के लिये यह आवश्यक है कि श्रमिकों को उचित सुविधायें प्रदान की जायें। समितियों के प्रबन्धकों को इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनानी चाहिएँ जिससे श्रमिकों को अधिकतम सतोष मिल सके। श्रमिकों को विभिन्न सुविधायें प्रदान करने के लिए कर्मचारी सम्बन्ध का एक अलग विभाग बड़ी-बड़ी समितियों में स्थापित किया जा सकता है। कर्मचारी प्रबन्ध (Personnel Administration) विभाग के निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं —

(१) कर्मचारी की नियुक्ति एव पदोन्नति

कर्मचारी प्रबन्ध में कर्मचारियों की नियुक्ति एक महत्त्वपूर्ण अंग है। कर्मचारियों की नियुक्ति के समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि कार्य के लिये उचित श्रमिकों को नियुक्त किया जाये। जो व्यक्ति जिन कार्यों के योग्य हैं उन्हें उन्हीं कार्यों में लगाया जाये। सहकारी समितियों में नियुक्ति करते समय सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है। यदि सदस्य पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध हो तो अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त किया जाता है। भारतवर्ष में सहकारिता के क्षेत्र में नियुक्तियाँ इतनी वैज्ञानिक विनियमों से नहीं की जाती हैं जितनी सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की सस्याओं में की जाती हैं। समितियों में नियुक्ति करते समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि प्रशिक्षित अनुभवी व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाये। अच्छे व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये अधिक वेतन व्यवस्था भी आवश्यक है।

नियुक्त किये गये कर्मचारियों को भविष्य में पदोन्नति की सुविधा प्रदान करनी चाहिये। पदोन्नति करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना चाहिये। ऐसे व्यक्तियों को पदोन्नति नहीं देनी चाहिये जो उसके योग्य नहीं हों। उचित आधार पर पदोन्नति करने से कर्मचारियों के उत्साह में वृद्धि होती है। फलतः उनकी कार्यक्षमता में भी उन्नति होती है।

(२) मजदूरी एवं वेतन प्रबन्ध

कर्मचारी प्रबन्धन में उचित मजदूरी नीति अत्यन्त आवश्यक है। कार्य के अनुसार श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी देनी चाहिये। मजदूरी एवं वेतन निर्धारण में वैज्ञानिक विधियों को अपनाना आवश्यक है। सामान्यतः कर्मचारियों की बुनियादि

आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाये इतना वेतन आवश्यक रूप से देना चाहिये अन्यथा कर्मचारी मानसिक दृष्टि से पीड़ित होंगे और उनके उत्पाह में कमी आ जायेगी। सहकारिता के क्षेत्र में मजदूरी दरें और वेतन मान ऐसे होने चाहिये कि कुशल, अनुभवी एवं प्रशिक्षित कर्मचारी आमानी से आकर्षित किये जा सकें। अभी तक हमारे देश में सहकारिता के क्षेत्र में कर्मचारियों को बहुत कम वेतन दिया जाता है जिसके कारण अच्छे व्यक्ति इस तरफ न आकर सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र को सस्थाओं में चले जाते हैं।

(३) प्रशिक्षण सुविधायें -

उत्तम प्रबन्ध के लिये प्रशिक्षण अनिवार्य है। कर्मचारियों को उचित ढंग से प्रशिक्षण प्रदान करने से उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। नव नियुक्त कर्मचारी प्रशिक्षण के अभाव में अकुशल होते हैं अतः वे कार्य करने में असमर्थ होते हैं। भारतवर्ष में प्रशिक्षण सुविधायें सहकारी समितियों में तो कोई विज्ञाप प्रदान नहीं की जाती हैं किन्तु अन्य सस्थाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। इस अध्याय के अन्त में इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।

(४) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

आजकल सहकारिता के क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना भी होने लगी है। इन उद्योगों में मशीनों से काम चलाया जाता है। कभी-कभी इनमें अनेक कारणों से दुर्घटनाएँ घट सकती हैं अतः श्रमिकों को सुरक्षा सुविधायें प्रदान करनी चाहिए। कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिये भी सुविधायें प्रदान करनी चाहिए। ये सुविधायें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में प्रदान की जा रही हैं अतः इस क्षेत्र में भी इस तरफ ध्यान देना आवश्यक है।

(५) कल्याण कार्यक्रम

श्रमिकों को कार्य करने की दशा सुधारने के लिए कल्याण कार्यक्रम अपनाये जाते हैं। कल्याण कार्यक्रमों में गृह सुविधा, ठण्डे पानी की व्यवस्था, जल-पान-गृह व्यवस्था, आराम गृह आदि सुविधायें सम्मिलित की जा सकती हैं। इन सुविधाओं से श्रमिकों एवं कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। भारतवर्ष में सहकारिता के क्षेत्र में ये सुविधायें बहुत कम प्रदान की जा रही हैं। इसका कारण है समितियों का छोटा आकार तथा उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होना। भविष्य में बड़े आकार की समितियों में ये सभी सुविधायें प्रदान करनी चाहिए।

(६) अन्य सुविधायें

अन्य सुविधाओं के अन्तर्गत प्रोविडेंड फण्ड, थोस काम के उचित घण्टे, वेतन सहित छुट्टियों की सुविधायें आदि हैं। इनके माध्यम से कर्मचारियों का पर्याप्त सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। ये सुविधायें बड़ी समितियों विशेषकर उपभोक्ता मण्डल, शहरी सहकारी बैंक आदि में प्रदान की जा रही हैं।

श्रम सम्बन्ध (Labour Relations)

भारतवर्ष में निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में सहकारी समितियों में श्रम-सम्बन्ध अच्छे पाये जाते हैं। इसके अनेक कारण हैं। प्रथम, श्रमिक कम

सरया में होते हैं अतः वे संगठित नहीं हो पाते हैं। द्वितीय, इन समितियों के कर्मचारियों में श्रमिक सघों का अभाव पाया जाता है। समितियाँ अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में पायी जाती हैं अतः श्रम सघों से उनका सम्पर्क नहीं हो पाता है। तृतीय, अधिकांश श्रमिक एवं कर्मचारी अशिक्षित होते हैं, अकुशल होते हैं अतः वे किसी भी प्रकार से अपने सम्बन्ध प्रबन्ध से नहीं तोड़ते हैं। चतुर्थ अधिकांश समितियों में सदस्य ही कार्य करते हैं अतः वे स्वयं प्रबन्ध में होते हैं और स्वयं कर्मचारी भी।

सहकारिता क्षेत्र में श्रम-सम्बन्ध अच्छे होने का प्रमाण यह ही सकता है कि निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में इसमें हड़ताले तथा तालाबन्दी नहीं के बराबर है। सामान्यतः सहकारी समितियों के कर्मचारी हड़ताले नहीं करते हैं अतः तालाबन्दी की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। आजकल धीरे धीरे कर्मचारियों की सरया में वृद्धि होती जा रही है। इसके कारण श्रम-सम्बन्ध कुछ ढीले पड़ने लगे हैं। जिन समितियों में श्रमिक एवं कर्मचारी सरया अधिक है और वे संगठित हैं वहाँ अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए हड़ताले भी कर देते हैं। शहरी क्षेत्रों में जो समितियाँ हैं उन पर अन्य क्षेत्रों की सस्थाओं का प्रभाव पड़ चुका है। उदाहरण के लिए शहरी सहकारी बैंकों के कर्मचारी बैंकों के श्रमिक सघों के सदस्य बनते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल भी कर देते हैं। ग्रामीण समितियों में अभी तक इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

सहकारी समितियों में श्रम सम्बन्ध बहुत अच्छे होने अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इनमें अधिकांश कर्मचारी मालिक (समिति के सदस्य) भी होते हैं। आजकल श्रमिकों एवं कर्मचारियों को समितियों के सदस्य बनाये जा रहे हैं जिसे यदि कोई सिनायत होती है तो वे साधारण सभा में रख सकते हैं। सहकारिता के क्षेत्र में कर्मचारियों में सेवा भावना भी होती है अतः वे अधिक सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। किन्तु आवश्यक सुविधायें प्रदान करना नितान्त आवश्यक है।

कर्मचारी प्रशिक्षण (Training)

सहकारी समितियों के कर्मचारियों की प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रशिक्षण से तात्पर्य सहकारी सस्थाओं व सहकारी विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। भारतवर्ष में सहकारी आन्दोलन की धीमी प्रगति का मुख्य कारण समितियों के कर्मचारियों तथा नेताओं के प्रशिक्षण का अभाव रहा है। प्रशिक्षण से कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। प्रशिक्षण शिक्षा के क्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। मनुष्य इसके माध्यम से किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। प्रशिक्षित व्यक्ति उत्तम एवं कुशल व्यवसाय में दक्ष होते हैं, कृषि पर शाही आयोग (Royal Commission on Agriculture) के अनुसार आन्दोलन की सफलता कार्यकर्ताओं के उत्साह एवं कुशलता पर आधारित है। सन् १९३५ में एम० डार्लिंग ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की एक योजना बतलायी।

प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये पर्याप्त शिक्षकों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की आवश्यकता पड़ती है। प्रशिक्षण निम्न प्रकार से प्रदान किया जा सकता है —

(१) सस्था के कार्यक्षेत्र के अन्दर प्रशिक्षण,

- (२) सस्था के बाहर प्रशिक्षण ,
- (३) बाहरी व्यक्तियों को प्रशिक्षण ।

सस्था के भीतर प्रशिक्षण व्यवस्था सस्था के कार्य के साथ-साथ प्रदान किया जाता है । सहकारी समितियों में कमचारियों के चयन के पश्चात् उनको आरम्भ में समिति के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है । बड़े आकार की सहकारी समितियाँ जैसे विभागीय मण्डारों में इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है । समिति के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये समिति के पास इतना धन होना आवश्यक है कि प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जा सके । उत्पादन सहकारी समितियों में श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण देना आवश्यक है । इसके लिये समितियाँ अपने सग-ठन के अन्तर्गत प्रशिक्षण विभाग स्थापित कर सकती हैं । किन्तु अनेकों समितियाँ इतने छोटे आकार की तथा अधिक दृष्टि से कमजोर होती हैं कि सस्था के अन्तर्गत प्रशिक्षण व्यवस्था करने में असमर्थ हैं । भाग्यवश में सरकार इस तरह पर्याप्त ध्यान दे सकती है । सस्था के बाहर या तो सरकार प्रशिक्षण व्यवस्था करती है अथवा राष्ट्रीय सहकारी मर्यादा यह कार्य भार सम्भाल सकती हैं । पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार ने इस तरह पर्याप्त ध्यान दिया है । सरकारी प्रयत्नों के देखने से पूर्व अनेक समितियों के गुणाओं का उल्लेख करना आवश्यक है ।

सहकारी योजना समिति की सिफारिशें

सन् १९४६ में सहकारी योजना समिति ने सहकारी प्रशिक्षण एवं शिक्षा की आवश्यकता की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया । इस समिति ने निम्न वर्गों के व्यक्तियों की प्रशिक्षण व्यवस्था पर जोर दिया —

- (i) ग्रामीण समितियों के प्रबन्धक मण्डलों के सदस्यों,
- (ii) ग्रामीण समितियों के सचिवों,
- (iii) सहकारी समितियों के कार्यकर्ताओं,
- (iv) अनुसन्धान एवं शोध कार्यों में लगे हुये व्यक्तियों
- (v) सहकारी विभाग के अधिकारियों तथा कमचारियों ।

समिति का दृढ़ विश्वास था कि उक्त कमचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण उपलब्ध करा दिया जाये तो निश्चय ही भारत में सहकारी आन्दोलन सफल होगा । सहकारी योजना समिति ने सुभाष दिया कि समितियों के प्रबन्धक मण्डल के सदस्यों को दो सप्ताह तथा सचिवों को छ सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाये ।

सहकारी प्रशिक्षण के अध्ययन दल के सुझाव

(Recommendations of the Study Team on Cooperative Training)

इस अध्ययन दल के अध्यक्ष श्री एस० मिश्रा थे । दल ने अपना प्रतिवेदन सन् १९६१ में प्रस्तुत किया । दल ने सुझाव दिया कि सहकारी आन्दोलन की विरोध समस्याओं के सम्बन्ध में आवश्यक रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाये । इस दल ने सहकारी सस्थाओं तथा सहकारी विभाग के कमचारियों को अलग-अलग वर्गों की

व्यवस्था करनी चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की कि भारतीय सहकारी सघ शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करे।

इस अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय सरकारी सघ को सौंप दिया। सघ ने सहकारी प्रशिक्षण समिति नियुक्त की।

सहकारी प्रशिक्षण के लिए समिति (Committee for Co-operative Training)

सहकारी प्रशिक्षण समिति के निम्नलिखित कार्य हैं —

(१) देश में सहकारी समितियों तथा सहकारी विभागों के कमचारियों के प्रशिक्षण एव शिक्षा व्यवस्था का संगठन तथा उचित निर्देशन करना।

(२) सहकारी प्रशिक्षण एव शिक्षा सम्बन्धित कार्यों में उचित समन्वय स्थापित करना। पाठ्यक्रम परीक्षा विधियाँ निश्चित करना शिक्षा तथा प्रशिक्षण के स्तर को बनाये रखने के प्रयत्न करना।

(३) शोध कार्यों तथा उच्च अधिकारियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक केन्द्रीय संस्था की स्थापना करना।

(४) मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र में विशिष्ट कोर्स की व्यवस्था करना।

(५) मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र चलाना।

(६) प्रशिक्षण के विभिन्न पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन करना तथा उपयुक्त सुधार करना।

(७) भारत सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सुझाव पेश करना।

वरिष्ठ अधिकारियों का प्रशिक्षण

अप्रैल सन् १९५२ में पूना में बम्बई राज्य सहकारी सघ द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कालिज स्थापित किया गया था। अप्रैल सन् १९६१ में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रीय समिति के अन्तर्गत आ गया। राष्ट्रीय स्तर द्वारा इस कालिज के ले लेने के पश्चात् इसका पुनर्गठन किया गया और इसका नाम राष्ट्रीय सहकारी कालिज व अनुसन्धान संस्थान पूना रख दिया गया। कानिज के निम्न कार्य हैं —

(i) सहकारी विभाग व सहकारी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के ओरियेन्टेशन पाठ्यक्रम चलाना।

(ii) प्रशिक्षण केन्द्रों के प्राध्यापकों के लिये रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना।

(iii) सहकारी विकास की सूचना एकत्रित करना।

(iv) सहकारिता विषयक सर्वेक्षण व क्षेत्रीय अध्ययनों को संगठित करना।

मध्यस्तरीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण

पहले इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दो प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र थे। पूना, मद्रास, रांची, इन्दौर, मेरठ में क्षेत्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र और कोटा, पटियाला, गोपालपुर-बानसी, भावनगर कल्याणी, फंजाबाद, हैदराबाद तथा तिरुपति में खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र थे। सहकारी प्रशिक्षण समिति द्वारा कार्यक्रम को हाथ में लेने के पश्चात् माध्यमिक सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को स्वीकृत करने का काम प्रारम्भ किया गया। इस समय के पाठ्यक्रम तथा विषयों के लिये एक कर्मकारी दल भी नियुक्त किया गया। दल ने अपना प्रतिवेदन में प्रशिक्षण कार्यक्रम को पुनर्गठित करने की सिफारिश की। अगस्त सन् १९६३ से नये कार्यक्रम की अवधि ३६ सप्ताह रखी गयी जिसमें से २४ सप्ताह तक प्रशिक्षण केन्द्र पर सैद्धान्तिक प्रशिक्षण का व्यवस्था थी और शेष १२ सप्ताह का क्षेत्रीय प्रशिक्षण निरिचत किया। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में कुछ तदर्थ पाठ्यक्रम भी चलाये गये। इनमें श्रमिक ठेका, निर्माण सहकारिता, उपभोक्ता सहकारिता तथा सहकारी अकेक्षण सम्मिलित किए गए। इनके अतिरिक्त औद्योगिक सहकारिता, सहकारी बैंकिंग, सहकारी भूमिबन्धक बैंकिंग, विपणन आदि के सम्बन्ध में भी विशेष पाठ्यक्रम चालू किए गये।

कनिष्ठ कर्मचारियों का प्रशिक्षण

कनिष्ठ स्तर के विभागीय तथा सहकारी सस्थाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन कर्मचारियों में लेखापाल क्लर्क, अकेक्षक, सुपरवाइजर आदि होते हैं। उनके लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। कनिष्ठ वर्ग के कर्मचारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण का प्रबन्ध सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में किया जाता है। ऐसे केन्द्र इस समय ६४ हैं। यह सामान्य कार्य पाठ्यक्रम रखा गया है। कुछ मामलों में विशेष वर्ग के कार्यकर्ताओं जैसे कि लेखा-परिक्षक के लिए विशेष पाठ्यचर्चा निर्धारित की जाती है। पाठ्यक्रम की अवधि ६९ महीने के बीच होती है। उपभोक्ता भण्डारों के इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सहकारी प्रशिक्षण समिति, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों और राज्य सरकारी सघों के सहयोग से तीन सप्ताह का पाठ्यक्रम चलाती है।

प्रशिक्षित किये गये कर्मचारी

(i) दिसम्बर, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्षान्त तक प्रशिक्षित किये गये वरिष्ठ कर्मचारियों की संख्या गत वर्ष इसी वर्ष अवधि तक प्रशिक्षित किये गये १३०७ की अपेक्षा बढ़कर १३९० हो गयी। इस वर्ष में ८३ व्यक्तियों ने नियमित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया और २१४ व्यक्तियों ने सस्थान में आयोजित अन्य ११ कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस वर्ष में २१ व्यक्ति वरिष्ठ अधिकारियों के पाठ्यक्रम, १४ महा प्रबन्धों के पाठ्यक्रम, १२९ नवीकर, अनुस्थापन तथा अल्पावधि पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किये गये।

(ii) दिसम्बर १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में माध्यमिक श्रेणी के कुल १६७० कर्मचारियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण तथा अनुस्थापन प्राप्त किया।

सामान्य बुनियादी पाठ्यक्रम में इस वर्ष १०,१९४ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। इस अवधि में ७४२ व्यक्तियों को सहकारिता में उच्च डिप्लोमा दिया गया तथा ४९६ व्यक्तियों को सहकारी विपणन, बैंकिंग, भूमि विकास बैंकिंग औद्योगिक सहकारिता लेखापालन परीक्षा में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तदर्थ तथा अल्पकाल पाठ्यक्रमों में ४३२ व्यक्तियों ने भाग लिया।

(iii) जून १९६८ को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष के अन्त तक कनिष्ठ बुनियादी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या ६९८१४ हो गयी। इस वर्ष ७३८३ व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये और ३४०६ व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे थे। औद्योगिक सहकारिता के प्रायोगिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत ७१ व्यक्तियों को डिप्लोमा दिया गया। इस काल में ९६४ व्यक्तियों को उपभोक्ता सहकारिता में प्रशिक्षण दिया जायगा। ३० जून १९६८ तक प्रशिक्षित किये गये कनिष्ठ कर्मचारियों की संख्या ७२,६३२ हो गयी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतवर्ष में सहकारी समितियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था समिति के सगठन से बाहर है। समितियों के सामान्य संचालन गतिविधियों का प्रशिक्षण समितियों के अन्दर भी दिया जाता है। किन्तु अभी तक देश की अनेकों सहकारी समितियों में प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव पाया जाता है।

पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता (Co-operation in Five Year Plans)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने नवीन आर्थिक नीति घोषित की। इसका प्रभाव देश के सहकारी आन्दोलन पर भी पड़ा। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि सुधार के अनेक कार्यक्रम अपनाये गये हैं जिनसे किसानों की आर्थिक दशा धीरे-धीरे सुधरने लगी है। कृषि पदार्थों के मूल्य निरन्तर बढ़ने रहे हैं जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। किसान अब इस स्थिति में आ गये हैं कि सहकारिता का लाभ उठा कर अपने व्ययसाय की स्थायी उन्नति कर सकें। भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने इस आन्दोलन के विकास के लिये अनेक प्रयत्न किये हैं। राष्ट्रीय योजना में सहकारिता को उल्लेखनीय स्थान प्रदान किया गया। कुछ क्षेत्र सहकारी ढंग पर संगठित करने के लिये विशेष रूप से उपयुक्त हैं। किसानों को ऋण प्रदान करने, कृषि उपजों का क्रय-विक्रय एवं विधियन, उपभोक्ता सहकारिता, सहकारी कृषि, कारीगरों व मजदूरों की सहकारियाँ आदि क्षेत्रों में उत्तरोत्तर सहकारिता अधिक व्यवहार का मुख्य आधार बनती चली जाये।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता

हमारी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। योजनाओं के माध्यम से अधिकतम उत्पादन बेरोजगारी समाप्त करना, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। जुलाई सन् १९५१ में योजना आयोग ने लिखा कि प्रजातान्त्रिक राष्ट्र में योजना को सामाजिक ढंग पर चलाना आवश्यक है। योजना में प्रत्येक नागरिक को भाग लेने के समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिये। योजना आयोग ने इस बात पर भी बल दिया है कि नियोजित आर्थिक विकास के लिये सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सहकारिता में एच्छिक सहयोग और स्थानीय जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती

है। प्रजातन्त्र में नियोजन में सहकारिता एक आवश्यक अंग है। पंचवर्षीय योजना में कृषि, विपणन, प्रामाण्य एवं लघु उद्योगों का विकास, उपभोक्ता वस्तुओं के व्यापार आदि में सहकारिता को विशेष स्थान प्रदान किया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारी संगठन के लिये ७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। योजना में लगभग १२५ करोड़ रुपये अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। दीर्घकालीन ऋण देने का लक्ष्य ५ करोड़ रुपये था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में सभी प्रकार की सहकारी साख समितियों की संख्या १८ लाख थी जो कि इस योजना के अन्त में २४ लाख हो गयी। समितियों की संख्या में वृद्धि होने का प्रभाव समितियों की सदस्यता, अर्थात् पूंजी तथा कार्यशील पूंजी पर भी पड़ता है।

सभी किस्मों की सहकारी समितियाँ (प्रथम योजना)

मद	प्रथम योजना का आरम्भ (१९५०-५१)	प्रथम योजना का अन्तिम वर्ष (१९५५-५६)
१. समितियों की संख्या (लाखों में)	१८	२४
२. प्राथमिक समितियों की सदस्य संख्या (लाखों में)	१३७	१७६
३. अर्थात् पूंजी (करोड़ रुपये में)	४५	७७
४. कार्यकर पूंजी (करोड़ रुपये में)	२७६	४६९

[रिपोर्ट १९६८-६९ पृ० ७५; भारत सरकार (सहकारिता विभाग)]

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम योजना के आरम्भ से योजना के अन्तिम वर्ष में सभी मदों में वृद्धि हुई है। सभी प्रकार की समितियों में लगभग ३३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष १९३० की तुलना में प्राथमिक समितियों की सदस्यता में ३९ लाख की वृद्धि हुई। इन समितियों की अर्थात् पूंजी तथा कार्यशील पूंजी में क्रमशः ३२ करोड़ रुपये और १९३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

प्रथम योजना में विशेष कर कृषि साख पर विशेष ध्यान दिया गया। अल्प एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करने के लिये प्राथमिक कृषि साख समितियों का विकास किया गया। प्रथम योजना में अल्प एवं मध्यकालीन ऋण की प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है

प्रथम योजना में अल्प एवं मध्यकालीन ऋण

वर्ष	१९५०-५१	१९५५-५६
१. सहकारी समितियों की संख्या (लाख)	१०५	१२६
२. सदस्य संख्या (लाख)	४४	७८
३. इनके अन्तर्गत कृषक आवेदों का प्रतिशत	९	१५
४. अल्प एवं मध्यकालीन ऋण जो दिये गये (करोड़ रुपये)	२८.९	४९.६

(रिपोर्ट १९६८-६९, पृष्ठ ७, भारत सरकार (सहकारिता विभाग)

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि अल्प, एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करने वाली समितियों की संख्या में १,००० समितियों की वृद्धि हुई। सदस्य संख्या में ३४ लाख की वृद्धि हुई। प्रथम योजना के आरम्भ की तुलना में योजना के अन्त में अल्प एवं मध्यकालीन ऋण सुविधाओं के अन्तर्गत कृषक परिवारों के प्रतिशत में पर्याप्त वृद्धि हुई। अल्प एवं मध्यकालीन ऋणों में लगभग २०.७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

वर्ष १९५०-५१ में राज्य सहकारी बैंकों की संख्या १५ थी जो कि वर्ष १९५५-५६ में बढ़कर २४ हो गयी। बैंकों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप इनकी अथ पूंजी, निक्षेप तथा दिये गये ऋण तथा अग्रिम में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। इन अवधि में केन्द्रीय बैंकों की संख्या ५०५ से घट कर ४७८ हो गयी। किन्तु अथ पूंजी तथा निक्षेपों में वृद्धि हुई।

प्रथम योजना में दीर्घकालीन ऋणों के लिये भूमि बन्धक बैंकों का विकास किया गया। केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक तथा प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक दोनों की संख्या में वृद्धि हुई किन्तु अधिक वृद्धि नहीं की जा सकी। इन बैंकों की स्थिति निम्न प्रकार थी।

भूमि बंधक बैंक
(दीर्घकालीन ऋण)

वर्ष	१९५०-५१	१९५५-५६
१. बैंकों की संख्या		
(i) केन्द्रीय	५	९
(ii) प्राथमिक	२८६	३०२
२. इस वर्ष व्यक्तियों को दिये गये ऋण (करोड़ रुपये)	१३८	२८६
३. व्यक्तियों के नाम वकाया ऋण (करोड़ रुपये)	६.५९	१३.५७

इस तालिका से स्पष्ट है कि केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको की सख्या ५ से बढ़ कर ९ हो गयी और प्राथमिक बैंको की सख्या में १६ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि कोई विशेष नहीं थी। दीर्घकालीन ऋण जो प्रदान किया गया उसमें भी वृद्धि हुई किन्तु वकाया ऋण की राशि बहुत अधिक हो गयी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारी विक्री को बढ़ावा देने पर बल देने का लक्ष्य, रखा गया था। किन्तु योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जा सके। इस काल में सहकारी विपणन में कोई विशेष प्रगति भी नहीं हुई। प्रथम योजना अवधि में राज्य सहकारी विक्री समितियों द्वारा बेची गयी वस्तुओं का मूल्य सन् १९५१-५२ में १४५८ लाख रुपये से घट कर वर्ष १९५५-५६ में ८५१ लाख रुपये ही रह गया। प्राथमिक सहकारी समितियों का व्यापार ३४४७ लाख रुपये से घट कर २३७८ लाख रुपये हो गया। अतः कोई प्रगति न होकर व्यापार में कमी हुई। व्यापार में कमी होने का मुख्य कारण नियन्त्रण हट जाना था।

प्रथम योजना में उपभोक्ता प्राथमिक भण्डारों की भी उन्नति न हो सकी। प्राथमिक भण्डारों की सख्या में कमी हुई जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सदस्यता, निजी पूंजी विक्री आदि में भी कमी हुई। प्राथमिक भण्डार वर्ष १९५०-५१ में ९७५७ थे जिनकी सदस्यता १८४६ लाख थी। वर्ष १९५५-५६ में सख्या तथा सदस्यता घट कर क्रमशः ७३५९ तथा १४१४ लाख हो गयी इन भण्डारों की निजी पूंजी तथा विक्री वर्ष १९५०-५१ में क्रमशः ५५२७० लाख रुपये तथा ८२१५६९ लाख रुपये थी जो कि वर्ष १९५५-५६ में घट कर क्रमशः ४९० लाख तथा १४४८ लाख हो रह गयी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

द्वितीय योजना में ग्रामीण साक्षर सर्वेक्षण समिति के सुझावों के अनुसार सहकारिता के विकास का कार्यक्रम बनाया गया। प्रथम योजना तक सहकारिता विकास केवल ग्रामीण ऋण तक ही सीमित था। द्वितीय योजना प्रारूप के अनुसार "ऋण से आगे सहकारिता का विस्तार ग्रामों के अन्य अनेक कार्यों में करना होगा। सहकारी खेती भी उनमें से एक है। ग्रामों में सहकारिता फैलाने का मूल प्रयोजन यह है कि वहाँ की वस्तियाँ सहकारिता के आधार पर ऐसी सगठित हो जायें कि उनके जीवन का कोई भी पहलू उससे अधूरा न रहे।"¹

नवीन भारत के निर्माण में द्वितीय योजना में सहकारिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया। "लोकतन्त्रीय पद्धति पर आर्थिक विकास करने में सहकारिता के विविध रूपों में प्रयोग की बड़ी शुद्धता है। समाजवादी ढंग की हमारी परिकल्पना में कृषि उद्योग दोनों में बहुत बड़ी सख्या में विकेन्द्रीकृत इकाइयों की स्थापना निहित है। इन छोटी-छोटी इकाइयों के विस्तार और संगठन के साथ मुख्यतः एकत्र होकर प्राप्त हो सकते हैं। भारत में आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन पर भी जोर दिया जा रहा है और इसमें सहकारिता के सगठन के लिये बड़ा भारी क्षेत्र

द्वितीय योजना में इन लक्ष्यों के आधार पर कार्य प्रारम्भ किया गया। नवम्बर १९५८ में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारिता को एक नवीन क्षेत्र प्रदान किया। परिषद के अनुसार कृषि उत्पादन में गतिशीलता लाने, स्थानीय साधनों तथा जन शक्ति को संगठित करने और मुख्यतया ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिये सहकारिता आन्दोलन का उपयोग किया जाये। परिषद ने इस बात पर भी बल दिया कि सहकारी समितियों को प्राथमिक इकाइयों के रूप में ग्रामीण समुदाय के आधार पर गठित करनी चाहिये। ग्रामीण स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक विकास ग्राम समिति तथा ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के लिये ४७ करोड़ रुपये निर्धारित किये थे किन्तु वास्तविक व्यय केवल ३४ करोड़ रुपये ही हुआ। उस काल में रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक ने अपने भोगदान में पर्याप्त वृद्धि की। रिजर्व बैंक ने सहकारी ऋण की मात्रा में वृद्धि के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन) कोष तथा राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) कोषों की स्थापना की। सन् १९५६ में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भण्डार गृह मण्डल की स्थापना की। योजना के अन्त में सभी प्रकार की समितियों की संख्या, सदस्यता, अश पूंजी तथा कार्यकर पूंजी में वृद्धि हुई।

सभी प्रकार की सहकारी समितियाँ (प्रगति का स्वरूप)

भेद	१९६०-६१
१. समितियों की संख्या (लाखों में)	३.३
२. प्राथमिक समितियों की सदस्य संख्या (लाखों में)	३४२
३. अशपूंजी (करोड़ रुपये)	२२२
४. कार्यकर पूंजी (करोड़ रुपये)	१३१२

(स्रोत रिपोर्ट १९६८-६९ पृष्ठ ७५ भारत सरकार (सहकारिता विभाग))

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सभी प्रकार की समितियों की संख्या तथा सदस्यता में क्रमशः ४ हजार तथा १६६ लाख की वृद्धि हुई। अश पूंजी तथा कार्यकर पूंजी में क्रमशः १४५ करोड़ रुपये तथा ८४३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। स्पष्ट है कि अश पूंजी तथा कार्यशील पूंजी द्वितीय योजना के आरम्भ से अन्त में लगभग तीन-तीन गुनी हो गयी। अल्प एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करने वाली सहकारी समितियों की संख्या द्वितीय योजना के अन्त में १.०६ लाख से बढ़कर २.१२ लाख हो गयी। इनकी सदस्यता १९५५-५६ में ५८ लाख थी जो कि वर्ष १९६०-६१ में बढ़ कर १७० लाख हो गयी। लगभग ३०% वृषक आबादी इस क्षेत्र के अन्तर्गत लायी गयी। अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋणों की राशि बढ़कर ४९६ करोड़ से बढ़कर २०२.७५ करोड़ रुपये हो गयी। इस योजना में राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक

पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता

और भूमि बन्धक बैंको की प्रगति का अनुमान नीचे दी गई तालिका से लगाया जा सकता है।

राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक और भूमि बन्धक बैंक
(प्रगति का अखिल भारतीय स्वरूप)

भेद	१९५५-५६	१९६०-६१
I राज्य सहकारी बैंक		
(i) बैंको की संख्या	२४	२१
(ii) प्रदत्त अश पूंजी (करोड़ रुपये)	४ ३७	१८ २४
(iii) डिपोजिट्स (करोड़ रुपये)	३६ ६७	७२ ३३
(iv) इस वर्ष दिये गये ऋण तथा अग्रिम (करोड़ रुपये)	६७ ८६	२५८ २०
II केन्द्रीय सहकारी बैंक		
(i) बैंको की संख्या	४७८	३८०
(ii) प्रदत्त अश पूंजी (करोड़ रुपये)	८ ५०	३७ ९३
(iii) डिपोजिट्स (करोड़ रुपये)	५५ ७१	११० ५९
(iv) इस वर्ष दिये गये ऋण तथा अग्रिम (करोड़ रुपये)	७९ ८३	३५० ९१
III भूमि बन्धक बैंक		
(i) बैंको की संख्या .		१८
(क) केन्द्रीय	९	४६३
(ख) प्राथमिक	३०२	
(ii) इस वर्ष व्यक्तियों को दिये गये ऋण (करोड़ रुपये)	२ ८६	११ ६२
(iii) व्यक्तियों के नाम बकाया ऋण (करोड़ रुपये)	१३ ४७	३७ ७४

[स्रोत—रिपोर्ट १९६८-६९, भागत सरकार (सहकारी विभाग)]

उक्त तालिका के अनुसार राज्य सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंको की संख्या में कमी हुई किन्तु उनकी अश पूंजी, निक्षेप आदि में पर्याप्त वृद्धि हुई है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली भूमि बन्धक बैंको में केन्द्रीय तथा प्राथमिक दोनों की संख्या प्रदान किये गये ऋण दोनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विपणन समितियों के गठन में सततोजनक प्रगति हुई। सन् १९५८ में इन समितियों का पुनर्गठन तथा गठन मण्डी स्तर पर किया गया। इस काल में राष्ट्रीय वृष्टि क्रय-विक्रय सच भी स्थापित किया गया है। अनेक राज्यों में राज्य स्तरीय समठन स्थापित किये गये। इस योजना में विपणन समितियों

के विकास के लिये किये गये अनेक प्रयत्नों के फलस्वरूप वर्ष १९६०-६१ के अन्त में प्रारम्भिक विपणन समितियों की संख्या २५७६ थी। सहकारी क्रय-विक्रय समितियों द्वारा १९५५-५६ में ५२ करोड़ रुपये के वृषि उत्पादन का विक्रय किया गया जबकि वर्ष १९६०-६१ में १७४ करोड़ रुपये की विक्री की गयी। दूसरी योजना के अन्तर्गत सहकारी चीनी कारखानों के अलावा विभिन्न प्रकार की ४६४ सहकारी प्रोसेसिंग एक्को को सहायता प्रदान की गयी। सहकारी समितियों के लिये गोदाम निर्माण की योजना इसी योजना में प्रारम्भ की गयी। इस काल में लगभग १७१६ मण्डी स्तर के गोदामों और ४९८५ ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिये सहायता दी गयी। इन गोदामों के अतिरिक्त सहकारी समितियों ने अपने साधनों से मण्डी स्तर पर लगभग १००० गोदाम और ग्रामीण क्षेत्रों में १५०० गोदाम बनाये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सहकारी गृह आन्दोलन के विकास की तरफ भी ध्यान दिया गया। इस काल में यातायात एवं संचार मंत्रालय द्वारा एक अग्रगामी योजना स्वीकार की गयी जिससे कि पाँच मोटर यातायात सहकारी समितियों का गठन किया जा सके। जून १९६१ को भारत वर्ष में श्रम समितियों की संख्या २२९१ थी। इनमें सदस्यता, अर्ध-पूँजी तथा कार्यशील पूँजी क्रमशः १८५६१५, ४० लाख रुपये तथा २४६ लाख रुपये थी। वर्ष १९६०-६१ में इन समितियों ने ३२७ लाख रुपये का निर्माण कार्य किया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारिता को आधिक विकास और सामाजिक स्थायित्व का आधार माना गया है। योजना के अनुसार "समाजवाद और लोकतंत्र के मूल्यों से बचनबद्ध आयोजित अर्थव्यवस्था में, सहकारिता को उत्तरोत्तर आधिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य संगठन बनाना आवश्यक है। विशेषकर वृषि लघु मिर्चाई, लघु उद्योग, माल सवारने, क्रय-विक्रय, वितरण, पूति, ग्रामीण बिद्युतिकरण, ग्रह निर्माण, निर्माण कार्यों और स्थानीय समुदायों की अनिवार्य सुविधाओं की उपलब्धि में। यहाँ तक कि माध्यम व बड़े उद्योगों और यातायात के क्षेत्र की दृष्टि से गतिविधियों को सहकारिता के आधार पर चलाया जा सकता है।"

तृतीय योजना में सहकारिता के विकास पर ८० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी जो कि वृषि पर किये जाने वाले व्यय का ६१ प्रतिशत थी। योजना के अन्त तक समस्त देश की ग्रामीण जनसंख्या के ६० प्रतिशत भाग को सहकारिता के क्षेत्र में लाने का लक्ष्य रखा गया। अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋणा के लिये ५३० करोड़ रुपये तथा दीर्घ कालीन ऋणों के लिये १५० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जहाँ तक प्राथमिक सहकारी समितियाँ का प्रश्न है उनकी संख्या २१२ लाख से बढ़कर योजना के अन्त तक २३ लाख हो जायेगी और इनकी सदस्यता १७० लाख से बढ़कर ३७० लाख हो जाने का अनुमान लगाया गया। लगभग ६०० प्राथमिक विपणन समितियाँ स्थापित की जायेंगी और मण्डियों में ९९० गोदाम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ९२०० गोदाम बनाने के लक्ष्य रखे गये। लगभग ३२०० सहकारी वृषि समितियाँ स्थापित करने की योजना बनायी गयी। इनके

अतिरिक्त सहकारी उपभोक्ता समितियाँ, सहकारी प्रशिक्षण, श्रम समितियाँ, कारखानों आदि के लिये उपयुक्त व्यवस्थाएँ की गयीं।

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में ७६ करोड़ रुपये की वास्तविक धन राशि व्यय की गयी। इस काल में सभी प्रकार की समितियों की संख्या ३२ लाख से बढ़कर ३५ लाख हो गयी। इसकी वृद्धि के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त उन्नति हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार है

सभी प्रकार की सहकारी समितियाँ (प्रगति का रुख)

सद	१९६५-६६	वर्ष १९६०-६१ की तुलना में वृद्धि
१. समितियों की संख्या (लाखों में)	३५	०.२
२. प्राथमिक समितियों के सदस्य संख्या (लाखों में)	५०३	१६१
३. अस पूँजी (करोड़ रुपये)	४५१	२२९
४. कार्य कर पूँजी (करोड़ रुपये)	२८००	१४८८

[स्रोत—रिपोर्ट १९६८-६९, भारत सरकार (सहकारी विभाग)]

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में सहकारी समितियों की संख्या, सदस्यता, अस पूँजी तथा कार्यशील पूँजी में पर्याप्त वृद्धि हुई है। प्राथमिक समितियों की सदस्यता में १६१ लाख की वृद्धि हुई। सदस्यता में वृद्धि होने के कारण अस पूँजी तथा कार्यशील पूँजी में भी पर्याप्त वृद्धि हुई।

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना काल में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों की संख्या १७ मिलियन से बढ़कर २६.१ मिलियन हो गयी। देश के कृषि परिवारों का ४२ प्रतिशत इसके अन्तर्गत लाया गया। वर्ष १९६५-६६ में अल्प एवं मध्यकालीन ऋणों की राशि ३४१.७५ करोड़ रुपये थी जिसमें मध्यकालीन ऋणों की राशि ३६.९५ करोड़ रुपये थी तीसरी योजना के आरम्भ से राज्य सरकारों परस्पर मित कर, कार्यक्षेत्र व्यापक बनाकर तथा परिसमापन के माध्यम से जीवन क्षम इकाइयाँ बनाने के लिये ऋण समितियों को पुनर्गठित कर रही है। इस अवधि में राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक और भूमि बन्धक बैंकों की प्रगति नीचे की तालिका में दी जा रही है—

राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक और भूमि बन्धक बैंक
(प्रगति का अखिन भारतीय साख)

भद	वर्ष १९६५-६६	वर्ष १९६०-६१ की तुलना में वृद्धि अथवा कमी
I राज्य सहकारी बैंक		
(i) बैंको की सख्या	२२	+१
(ii) प्रदत्त असा पूंजी (करोड रुपयो मे)	२८.८३	+१०.५९
(iii) डिपोजिट (करोड रुपये)	१४६.५१	+७४.१८
(iv) इस वर्ष दिये गये ऋण तथा अग्रिम (करोड रुपये)	४७४.२२	+२१६.०२
II केन्द्रीय सहकारी बैंक		
(i) बैंको की सख्या	३४६	-३४
(ii) प्रदत्त असा पूंजी (करोड रुपये)	७३.३२	+३८.३९
(iii) डिपोजिट (करोड रुपये)	२३७.५९	+१२६.००
(iv) इस वर्ष दिये गये ऋण तथा अग्रिम (करोड रुपये)	७७१.६६	+४२०.७५
III भूमि बन्धक बैंक		
(i) बैंको की सख्या		
(क) केन्द्रीय	१८	—
(ख) प्राथमिक	६७३	२१०
(ii) इस वर्ष व्यक्तियों को दिये गये ऋण (करोड रुपये)	५७.९६	४६.३४
(iii) व्यक्तियों के नाम बकाया ऋण (करोड रुपये)	१६६.४१	११८.६७

[स्रोत—रिपोर्ट १९६८,६९, भारत सरकार (सहकारिता विभाग)]

तृतीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारी बैंको में एक वृद्धि हुई किन्तु केन्द्रीय सहकारी बैंको की सख्या में ३४ की कमी हुई। इस कारण इन बैंको का कार्य क्षेत्र व्यापक बनाया गया। इन समितियों की असा पूंजी, निक्षेप तथा प्रदान किये गये ऋण में पर्याप्त वृद्धि हुई।

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के विकास के पर्याप्त प्रगल्न किये गये। सहकारी विपणन समितियों द्वारा ३६० करोड रुपये की कृषि उपज का विक्रय किया गया जबकि वर्ष १९६०-६१ में केवल १७५ करोड रुपये की बिक्री हुई थी। सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के विकास के कार्यक्रम के अग के रूप में राष्ट्रीय विकास निगम ने कई योजनाओ का सूत्रपात किया है। इनमें शिखर

क्रय-विक्रय समितियों में तकनीकी एकक स्थापित करना मुख्य क्रय-विक्रय कर्मचारियों के पूल का निर्माण, अधिक खरीद के कारण जो हानि हो उससे बचाव करने लिये क्रय-विक्रय समितियों में मूल्य के उतार-चढ़ाव के लिये निधि स्थापित करना, विपणन समितियों की अगुआई को आगे मुहटव बनाना आदि है। योजना के अन्त में देश में कुल १५०० कृषि विपणन समितियाँ हो गयीं जबकि आरम्भ में १००४ थीं। वर्ष १९६५-६६ में ५१ चीनी के कारखाने सहकारी क्षेत्र में थे जिन्होंने २६ प्रतिशत राष्ट्रीय चीनी का उत्पादन किया। कपास के क्षेत्र में वर्ष १९६४-६५ में सहकारी समितियों ने ८८ प्रतिशत कच्ची कपास के औटाई का काम किया गया लगभग १० प्रतिशत कपास की पट्टियों को प्रेश किया गया। तीसरी योजना में सहकारी समितियों की योजना के अन्तर्गत लगभग ८०० क्रय विक्रय गोदाम और ६६०० गोदाम ग्रामों में बनाने के लिये सहायता प्रदान की गयी। वर्ष १९६५-६६ के अन्त में भण्डारण क्षमता २४ मिलियन टन हो गयी जबकि वर्ष १९६०-६१ में यह २३ मिलियन टन थी। जहाँ तक उर्वरक वितरण का प्रश्न है सहकारी समितियों द्वारा वर्ष १९६५-६६ में ८०.१० करोड़ रुपये के मूल्य के उर्वरकों का व्यापार किया गया जबकि वर्ष १९६०-६१ में २८.२ करोड़ रुपये के उर्वरक वितरित किये गये।

भारत सरकार ने सन् १९६२ में बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने के लिये उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुओं प्रदान करने की योजना चालू की। इस योजना को उपभोक्ता भण्डारों के राय सम्बद्ध किया गया। दिसम्बर १९६५ में थोक भण्डार और फुटकर भण्डार क्रमशः २३० तथा ७३३२ थे। वर्ष १९६५-६६ के अन्त में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण १९८१ करोड़ रुपये का था तथा शहरी उपभोक्ता समितियों का फुटकर विक्रय २०० करोड़ रुपये का था। इस प्रकार भण्डार आन्दोलन के क्षेत्र में इस योजना में पर्याप्त उन्नति हुई।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता भण्डार (पोक) जो संगठित हुये उनकी सख्या २५२ तथा कार्य कर रहे भण्डारों की सख्या २२८ थी। इन थोक भण्डारों की सख्या ४.१८ लाख व्यक्ति तथा ५९३३ प्राथमिक भण्डार थे। इन सहायकों की सख्या १९३६ थी। इन भण्डारों की कुल कायकर पूंजी १६.४२ करोड़ रुपये थी।

तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में ५५०१ सहकारी क्षेत्रीय समितियाँ गठित की गयी थी जिनकी सदस्यता ११८८३५ थी। इन समितियों के पास ५८३७६८ एकड़ भूमि थी। वर्ष १९६४-६५ में अम ठेका एवं निर्माण सहकारी समितियों की सख्या ४००० थी तथा इनकी सदस्यता २.७८ लाख थी। इस वर्ष इन समितियों ने १०.५ करोड़ का काम किया। जहाँ तक औद्योगिक सहकारी समितियों की सख्या का प्रश्न है वर्ष १९६४-६५ के अन्त में देश में कुल लगभग ५१००० समितियाँ थी। तीसरी योजना में प्रशिक्षण एवं शिक्षा व्यवस्था की तरफ भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। इस अवधि में सहकारी प्रशिक्षण एवं शिक्षा पर ५२१.५२ लाख रुपये व्यय किये गये। मार्च १९६६ के अन्त में ८७३ वरिष्ठ अधिकारियों ११८०४ मध्य स्तरीय कर्मचारियों तथा ५२९८८ कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

वार्षिक योजनायें (१९६६-६७)

तीसरी योजना के पश्चात् तीन वर्षों तक एक वर्षीय योजनायें चलाई गयीं। इसके पश्चात् चतुर्थ योजना प्रारम्भ की गयी है। इन एक वर्षीय योजनाओं में सहकारिता के क्षेत्र में विकास के पर्याप्त प्रयत्न किये गये। इस काल में विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के प्रयत्न किये गये। नृतीय योजना में चालू किये गये विनाश प्रयत्नों को आगे बढ़ाया गया। १९६६-६७ की अवधि में सहकारिता के क्षेत्र में ६३.९ करोड़ रुपये व्यय की सम्भावना है। वर्ष १९६७-६८ के अन्त में १.७५ लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ थीं। इनके अन्तर्गत ३५ धामीण और ४२ प्रतिशत कृषक आवादी थीं। अल्प एव मध्यकालीन ऋण प्रदान करने वाली समितियों की प्रगति निम्न प्रकार है —

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ

मद	१९६६-६७ (उपलब्धि)	१९६७-६८ उपलब्धि (अस्थायी)
१. समितियों की संख्या (लाख)	१.७९	१.७५
२. सदस्य संख्या (लाख)	२६७	२.८३
३. कृषक आवादी जो इनके अन्तर्गत हैं (प्रतिशत)	४१	४२
४. अल्प एव मध्यकालीन ऋण जो दिये गये (करोड़ रुपये)	३६६.४७ (३९.७१) ●	४०४.५८ (४६.०४) ●

● (कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल राशि में मध्यकालीन ऋण को बताते हैं)

१९६६-६७ के काल में प्राथमिक ऋण ढाँचे को पुनर्जीवित करने के प्रयत्न किये गये। समितियों के हट्टीकरण के फलस्वरूप इन समितियों की संख्या में कमी हुई। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या जून १९६७ के अन्त में १.७९ लाख थी जबकि जून १९६१ के अन्त में २.१२ लाख समितियाँ थीं। इन समितियों में ३०-६-१९६८ तक पुनः कमी हुई। इस समय तक ये समितियाँ घट कर १.७५ लाख हो गयीं। अल्प एव मध्यकालीन ऋण के क्षेत्र में १९६१-६२ से १९६६-६७ (६ वर्ष) में मध्य लगभग २७ करोड़ रुपये की औसत वार्षिक वृद्धि हुई थी।

वर्ष १९६७-६८ के अन्त में केन्द्रीय सहकारी बैंको की संख्या ३४४ हो गयी। इन बैंकों की अक्षरपूर्वी ९९.२४ करोड़ रुपये थी जिसमें सहकारी अक्षरदान २६.७९ करोड़ रुपये था। वर्ष १९६६-६७ में इनकी राशियाँ क्रमशः ३५.९९ करोड़ रुपये तथा २१.६३ करोड़ रुपये थीं। इन बैंकों के निपेक्ष वर्ष १९६७-६८ में २५९.३२

करोड़ रुपये से बढ़कर २०८ ५८ करोड़ रुपये हो गये। इनके द्वारा वर्ष १९६६-६७ में ९४३.५३ करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये गये जबकि वर्ष १९६७-६८ में यह राशि घटकर ८८६ करोड़ रुपये हो गयी। राजस्थान, मंसूर और गुजरात में कमजोर केन्द्रीय बैंको की पुनः स्थापना योजनाएँ आरम्भ की गयी हैं।

वर्ष १९६७-६८ के अन्त में देश में शीर्ष महकारी बैंक २५ थे। इनकी अंश पूंजी वर्ष १९६६-६७ तथा १९६७-६८ में क्रमशः ३१ १६ करोड़ रुपये तथा ३४.९७ करोड़ रुपये हो गयी। जहाँ तक इनकी निधियों का प्रश्न है इनमें पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष १९६७-६८ में इनकी राशि १४७ ३८ करोड़ रुपये में बढ़कर १८० ६७ करोड़ रुपये हो गयी। इन बैंको ने वर्ष १९६६-६७ तथा वर्ष १९६७-६८ में क्रमशः ५१३ १६ करोड़ रुपये तथा ६३५ ३ करोड़ रुपयों के ऋण प्रदान किये। वर्ष १९६६-६७ में ऋण स्थिरीकरण प्रवन्ध भी किया गया है। पंजाब राज्य को छोड़कर सभी राज्य सहकारी बैंको ने ऋण स्थिरीकरण विधियों का निर्माण कर लिया है।

देश में भूमि बन्धक बैंको के विकास के भी अनेक प्रयत्न किये गये हैं। अब राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में १९ केन्द्रीय भूमि विकास बैंक हैं। वर्ष १९६६-६७ तथा वर्ष १९६७-६८ में प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको की संख्या क्रमशः ७०७ तथा १०२७ हो गयी। इन बैंको द्वारा वर्ष १९६६-६७ में ५७ ५५ करोड़ रुपये के ऋण दिये गये थे जो कि वर्ष १९६७-६८ में बढ़कर ८३ ३५ करोड़ रुपये हो गये। इस काल में दकाया ऋण की राशि क्रमशः २०९ ३० करोड़ रुपये तथा २६९ ९८ करोड़ रुपये हो गयी। वर्ष १९६८-६९ में सामान्य कार्य-क्रमों के अन्तर्गत दीर्घकालीन ऋण की राशि १०० करोड़ रुपये तक बढ़ जाने की सम्भावना है।

३० जून १९६८ को प्राथमिक स्तर के विपणन ङंचे में ३३०० प्राथमिक विपणन समितियाँ थीं। इनमें से २४५१ समितियों में सन्कार की समेदारी थी। क्षेत्रीय आधार पर लगभग २८०० विपणन समितियाँ गठित की गयी थीं। वर्ष १९६८-६९ में वर्तमान विपणन समितियों को मजबूत बनाने का काम मुख्य था। वर्ष १९६७-६८ के अन्त में १५७८ विधायन इकाइयों में से लगभग १२०० इकाइयाँ विपणन समितियों के सहायक के रूप में स्थापित की गयी थीं। सहकारी चीनी मिलों के ८ राज्य सघ हैं। ये सभी सघ राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना सघ से सम्बद्ध हैं।

वर्ष १९६६-६७ में विपणन समितियों ने ३३८ करोड़ रुपये के मूल्य की वृत्ति उपज का कारोबार किया जबकि वर्ष १९६७-६८ में यह कारोबार ४६२ करोड़ रुपये का हो गया। इस कारोबार में स्थिति निम्न प्रकार है —

सहकारी विपणन कारोबार

मद	सहकारी समितियों द्वारा खरीदी बेची गयी कृषि उपज का मूल्य (करोड़ रुपये)	
	१९६६-६७	१९६७-६८ (अस्थायी)
१. खाद्यान्न	१४८	१६३
२. गन्ना	९५	१८०
३. अन्य फसलें	९५	११९
कुल	३३८	४६२

(Source — Report 1968-69 Govt of India (Co-operative Deptt))

सहकारी समितियों ने गत वर्षों में निर्यात व्यापार में भी भाग लेना प्रारम्भ किया है। वर्ष १९६७-६८ में कृषि उपज के लिये किये गये व्यापार की मात्रा का मूल्य लगभग ६० करोड़ रुपये हो गया जबकि वर्ष १९६६-६७ में ११ करोड़ रुपये के मूल्य का व्यापार किया गया था।

वर्ष १९६८-६९ के अन्त तक सहकारी चीनी कारखानों की संख्या ७९ तक पहुँच गयी। सहकारिता के क्षेत्र में कुल लाइसेंस शुदा क्षमता १५ २६ लाख मीटरी टन हो गयी। इन चीनी कारखानों की सदस्यता तथा अंश पूंजी जून १९६८ के अन्त में क्रमशः ३ ४१ लाख तथा ३७ ०७ करोड़ रुपये हो गयी। वर्ष १९६७-६८ में सहकारी चीनी कारखानों ने निर्यात व्यापार के लिये १.१४ लाख मीटरी टन चीनी प्रदान की।

जून १९६८ के अन्त में ३५१ थोक भण्डार थे जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या ३४५ थी। इन थोक भण्डारों से १०६१७ प्राथमिक भण्डार व शाखाएँ सम्बद्ध हो चुकी हैं। विभिन्न योजनाओं में लगभग १४००० भण्डारों की स्थापना हो चुकी है। इस समय बहु-विभागी भण्डारों/सुपर बाजारों की संख्या ७२ हो गयी जबकि ३० जून १९६७ को इनकी संख्या ३८ थी। थोक भण्डारों की कुल बिक्री वर्ष १९६६-६७ तथा १९६७-६८ में क्रमशः १७३ ६५ करोड़ तथा १७१.१० करोड़ रुपये हो गयी। ३० जून १९६८ तक १४ राज्य उपभोक्ता संघ स्थापित हो चुके हैं। इनकी अल्प पूंजी १३८.०० करोड़ रुपये थी जिसमें सहकारी अस्तित्व ५६.५४ प्रतिशत है। १९६६ में राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने अपना कार्यारम्भ कर दिया। संघ ने जून १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में २.५ करोड़ रुपये की बिक्री की।

सहकारी क्षेत्रों के अन्तर्गत वर्ष १९६६-६७ और १९६७-६८ में क्रमशः ५.२१ तथा ४.४९ समितियाँ गठित की गयीं। ३१ मार्च १९६८ को हमारे देश में कुल

८५.८२ सहकारी खेती समितियाँ थीं जिनकी सदस्यता २१४४४० थी तथा इनके पास ११ लाख एकड़ भूमि थी। इस प्रकार इन वर्षों में सहकारिता पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष १९६८-६९ के सम्बन्ध में कुछ आँकड़े निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाते हैं —

विभिन्न सहकारी कार्यक्रम

कार्यक्रम	१९६८ (अनुमानित)
१. प्राथमिक कृषि साज समितियों की सदस्यता (मितियन)	३०
२. इनके अन्तर्गत लाये गये कृषि परिवार (प्रतिशत)	४५
३. अल्प एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान किये गये (करोड़ रुपये)	४५०
४. दीर्घकालीन ऋण प्रदान किये गये (करोड़ रुपये)	१००
५. विपणन समितियों द्वारा कृषि उपज का विपणन (करोड़ रुपये)	४७५
६. कृषि विपणन समितियाँ (संख्या)	१६००
७. सहकारी समितियों द्वारा प्रदान किये गये उदरक (करोड़ रुपये)	२६०
८. भण्डारण (मितियन टन)	२६
९. ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण (करोड़ रुपये)	२७५
१०. गहरी उपभोक्ता समितियों की फुटकर बिक्री (करोड़ रुपये)	२७५

(Source — Fourth Five Year Plan 1969-74, Draft page 167)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वार्षिक योजनाओं (१९६६-६७) की अवधि में सहकारिता के क्षेत्र में पर्याप्त उत्थिति की गयी। विभिन्न क्षेत्रों में जनक विकास के प्रयत्न किये गये जिनके फलस्वरूप सहकारी आन्दोलन को नया रूप मिला है।

चतुर्थ योजना के लक्ष्य

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस काल में सर्वाधिक प्रयत्न आन्दोलन के ढाँचे को सुदृढ़ बनाने में किये जायेंगे। विभिन्न प्रकार की समितियों की हटीकरण योजना के अन्तर्गत लाया जायेगा। कमजोर समितियों का पुनर्गठन इस प्रकार किया जायेगा कि वे अच्छी तरह से काम करने लग जायें। विभिन्न चल रहे कार्यक्रमों को भागे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना में सहकारिता विभाग के लिये व्यय का प्रावधान निम्न प्रकार किया गया है —

सहकारी विकास कार्यक्रमों के लिये प्रावधान

विवरण	प्रावधान (करोड़ रुपये)
१. राज्य	६६.६८
२. केन्द्र शामिल प्रदेश	३.६८
३. केन्द्र चर्चित कार्यक्रम	२२.००
४. केन्द्रीय क्षेत्र	२८.७५
५. योग	१५१.११

[Source—Fourth plan, 1969-74, Draft page 167]

इस प्रकार चतुर्थ योजना में सहकारी विकास पर कुल १५१.११ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गयी है। इस काम में विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के विकास के प्रयत्न किये जायेंगे। सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। चतुर्थ योजना में विकास के लक्ष्य इस प्रकार रखे गये हैं

चतुर्थ योजना के लक्ष्य

कार्यक्रम	लक्ष्य १९७३-७४
१. प्राथमिक कृषि साख समितियों की सदस्यता (मिलियन)	४२
२. इनके अन्तर्गत लाये गये कृषि परिवार (प्रतिशत)	६०
३. अल्प एवं मध्यकालीन ऋण (करोड़ रुपये)	७५०
४. दीर्घकालीन ऋण (करोड़ रुपये)	७००
५. विपणन समितियों द्वारा बेची गयी कृषि उपज (करोड़ रुपये)	६००
६. सहकारी कृषि विधायन समितियाँ (संख्या)	२०००
७. समितियों द्वारा वितरित उर्वरक (करोड़ रुपये)	६५०
८. भण्डारण (मिलियन टन)	४.६
९. ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण (करोड़ रुपये)	५००
१०. शहरी उपभोक्ता वस्तुओं की फुटकर बिक्री (करोड़ रुपये)	४००

(Source — Fourth Five year plan 1969-74, Draft, page 167)

सहकारिता आन्दोलन की धीमी प्रगति के कारण

भारतवर्ष में पञ्चवर्षीय योजनाओं में अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी आन्दोलन की प्रगति धीमी रही। यद्यपि आर्थिक क्षेत्र में अनेक भागों में सहकारिता को अपनाया

पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता

गया है। सहकारी मातृ समितियाँ देश की कृषि माल व्यवस्था करने में असमर्थ रही हैं। वस्तुओं के त्रय विक्रय की समस्या ग्रामों में आज भी बनी हुई है। किसानों की दोगधानीन आवश्यकताएँ भी पूर्ण नहीं हो पायी हैं। देश के अनेक भागों में समितियाँ बहुत कमजोर हो चुकी हैं जो अपना कार्य भी नहीं करना पा रही हैं। समितियों की असफलता के कारण ग्रामीण जनता का विश्वास भी इनके कार्यों पर नहीं रहा है। सहकारिता आन्दोलन निर्बल वर्ग के लिये प्रारम्भ किया गया था किन्तु इस वर्ग को इसमें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। आन्दोलन के विषय में अनेक बाधाएँ रही हैं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

(१) शिक्षा का अभाव :

भारतवर्ष में अधिकांश जनता ग्रामों में रहती है। ग्रामीण लोग अधिकांशतः अनिश्चित हैं। जनता निरक्षर होने के कारण सहकारिता के गिद्दान्तों को नहीं समझ पायी। जिन उद्देश्यों को लेकर इसका विकास प्रारम्भ किया गया उनके विषय में किसानों को अभी तक जानकारी नहीं हो पायी है। यह एक सामान्य अनुभव की बात है कि किसानों भी प्रकार का आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शिक्षा लोगों की समझ बढ़ाती है। इसके माध्यम से रुढ़िवादी दृष्टिकोण समाप्त किया जा सकता है। किसान अशिक्षित होने के कारण वही विधियाँ काम में ला रहे हैं जो आज से १०० वर्ष पूर्व काम में ली जाती थी। उनका नवीन विधियों में विश्वास नहीं है। यद्यपि आजकल शिक्षा का विस्तार हो रहा है किन्तु ग्रामीण किसान जो बड़ी उम्र के हैं अभी तक निरक्षर हैं।

सहकारी आन्दोलन के विकास के लिये जन सहयोग मिलना नितान्त आवश्यक है। शिक्षा के अभाव में जन सहयोग सुलभ नहीं हो सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक समितियों के अधिकांश सदस्य अशिक्षित हैं। अतः उनका भी उचित विद्या नहीं हो पाया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी आन्दोलन को जनता का आन्दोलन घोषित किया गया किन्तु फिर भी जन सहयोग पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सका।

(२) सहकारी साख को सर्वाधिक महत्व

भारतवर्ष के सहकारिता आन्दोलन में आरम्भ में ही साख को सर्वाधिक महत्व दिया जाता रहा है। प्रथम योजना के अन्त तक केवल इसी क्षेत्र में विकास के प्रयत्न किये गये। किन्तु द्वितीय योजना के आरम्भ में अन्य क्षेत्रों में भी सहकारिता को महत्व दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये यह आवश्यक है कि वहाँ की अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सहकारिता को आधार मान लिया जाये। सहकारी आन्दोलन न तो साख सुविधाएँ ही पर्याप्त मात्रा में प्रदान कर पाया और न ही अन्य क्षेत्रों में। कृषि विकास के लिये आधुनिक विधियों का प्रयोग करना अत्यन्त आवश्यक है। वैज्ञानिक विधियों के अन्तर्गत उत्तम बीज, खाद, आधुनिक उपकरण तथा मिखाई व्यवस्था आवश्यक हैं। इन भागों में सहकारिता ने कोई विशेष प्रगति नहीं की। अतः देश में सहकारी आन्दोलन सफल नहीं हो सका।

(३) धन सम्बन्धित कठिनाइयाँ :

सहकारी समितियों के उचित संचालन के लिये पर्याप्त मात्रा में धन होना आवश्यक है। विशेषकर ऋण समितियों को धन सम्बन्धी व्यवहार करना पड़ता है। किसानों को ऋण प्रदान करने के लिये पर्याप्त धन के अभाव में सहकारी साख समितियाँ अधिक विवक्षित नहीं हो सकीं। विपणन समितियों को अधिक मात्रा में कृषि उपज खरीदने, उनके भण्डारण व्यवस्था तथा किसानों की अल्पकालीन फसल ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये धन आवश्यक होता है। इनके अतिरिक्त मास संचार समितियों औद्योगिक समितियों, गृह निमाण समितियों आदि के पास पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। हमारे देश में अभी तक सभी प्रकार की गणितियाँ आर्थिक दृष्टि से निर्बल हैं। यद्यपि वित्तीय व्यवस्था के लिये अनेक प्रयत्न किये गये हैं किन्तु अनेक समितियाँ इतनी कमजोर हो चुकी हैं जिनका जिन्दा रहना बहुत कठिन हो गया है। सहकारी समितियों के पास धन का अभाव इसलिये बना हुआ है कि उनके पास अक्ष पूंजी कम है। अन्य निधियाँ तथा कार्यशील पूंजी समितियों की अक्ष पूंजी पर निर्भर होती हैं। यदि अक्ष पूंजी पर्याप्त है तो अन्य निधियाँ भी बढ़ायी जा सकती हैं।

ऋण समितियों के मामले में धन सम्बन्धी कठिनाई का एक मुख्य कारण अवविपार वकाया ऋण की राशि में निरन्तर वृद्धि होना है। अधिकांश ऋण अनुत्पादक कार्यों के लिये किये जाते हैं। किसान अपने पुराने ऋणों को चुकाने में इनकी वार्षिक राशि से लेते हैं अतः वापस करने में कठिनाई आती है। फलतः वकाया राशि निरन्तर बढ़ती जाती है।

(४) सहकारी प्रशिक्षण एवं शिक्षा को कमी

सहकारी प्रशिक्षण से तात्पर्य उन कार्यक्रमों से जिसमें सहकारी संस्थाओं तथा सहकारी विभाग के वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। सहकारी शिक्षा से अभिप्राय उन सभी कार्यक्रमों का है जिसमें सहकारी पदाधिकारियों, सदस्यों तथा जनता की ज्ञान की वृद्धि की जा सके। सहकारी शिक्षा के द्वारा सहकारिता के मुख्य उद्देश्य तथा सिद्धान्तों की जानकारी प्रदान की जाती है। भारतवर्ष में इस दोनों व्यवस्थाओं का अभाव पाया जाता है। दूसरी तरफ समितियों के सदस्य सहकारिता के उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों से भी अवभिज्ञ हैं। अतः सहकारी आन्दोलन विकास नहीं कर सका।

(५) अकुशल नेतृत्व

भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल नेतृत्व का अभाव पाया जाता है। अधिकांश कारण अच्छे नेता संयार नहीं किये जा सके हैं। सहकारी समितियों को अकुशल नेतृत्व प्राप्त है। नेता कुशल ईमानदार, साहसी तथा कमठ होने आवश्यक हैं। किन्तु भारतवर्ष में स्वार्थयुक्त राजनीति वाले नेताओं का आधिपत्य है। ये व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये समितियों की निधियों का अनुचित उपयोग करते हैं। नेतृत्व को अकुशलता के कारण समितियों को निरन्तर हानि उठानी पड़ती है जिसके कारण इनकी शक्ति विगड़ती चली जाती है।

(६) अकुशल प्रबन्ध

सहकारी समितियों में प्रबन्धक अकुशल पाये जाते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि ये समितियाँ प्रबन्धकों को पर्याप्त वेतन देने में असमर्थ हैं अतः अच्छे, अनुभवी, प्रशिक्षित, ईमानदार तथा परिश्रमी व्यक्ति आकर्षित नहीं हो पाते हैं। आजकल वैज्ञानिक प्रबन्ध का महत्त्व बहुत बढ़ चुका है। किन्तु सहकारिता के क्षेत्र में इसका सर्वथा अभाव पाया जाता है। भारतवर्ष में प्रबन्धकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का भी अभाव पाया जाता है।

(७) उचित समन्वय का अभाव .

किसी भी संगठन के कुशल संचालन के लिये सभी भागों में उचित समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। एक ही समिति के अन्दर विभिन्न विभागों के अधिकारियों में समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियों में भी समन्वय स्थापित करना उपयुक्त रहता है। किन्तु भारतवर्ष में सघीय संस्थाओं के उचित ढाँचे के अभाव में सभी क्षेत्रों की समितियों में समन्वय स्थापित नहीं किया जा सका है।

(८) प्रतियोगिता

सहकारिता आन्दोलन को निजी क्षेत्र के व्यक्तियों से कठिन प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। प्राथमिक ऋण समितियों को महाजनों तथा ग्राहकारों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। विपणन समितियों तथा उपभोक्ता मण्डलों को निजी व्यापारियों से प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। निजी व्यापारी बहुत व्यापार कृतल तथा पर्याप्त साधनों वाले होते हैं अतः उनके सामने टिकना बहुत कठिन है। निजी क्षेत्र के व्यक्ति कभी-कभी तो इन समितियों में अपने एजेण्डों को सदस्य बनवा देते हैं और समितियों को नुकसान पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। इस स्थिति में सहकारिता आन्दोलन को सफलना बहुत कठिन है।

(९) दलबन्दी एवं पक्षपात :

भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियाँ राजनैतिक दलबन्दी का शिकार बनी हुई हैं। दलबन्दी से प्रभावित होकर अनेक व्यक्ति समितियों के सदस्य बन जाते हैं और उनका समितियों में अधिक प्रभाव हो जाता है। इसके कारण उनको समिति में उच्च स्थान प्राप्त हो जाते हैं। ये व्यक्ति अपने दल के व्यक्तियों तथा सम्बन्धियों को समिति के लाभ पहुँचाने में पक्षपात करते हैं। ऋण समितियों में ये व्यक्ति अपने दल के लोगों को ऋण देने में प्राथमिकता देने ह।

(१०) अपर्याप्त अकेक्षण, एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था

भारतवर्ष में सहकारी समितियों के अकेक्षण, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण का अभाव पाया जाता है। प्रतिवर्ष अनेकों समितियाँ बिना अकेक्षण के रह जाती हैं। निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के अभाव में अनेक प्रकार की अनियमितताएँ आने लगती हैं जिनका प्रभाव समिति की कुशलता पर पड़ता है। ह्यारे देश में अभी विभिन्न क्षेत्रों

मे सघीय ढाँचा भी पूर्ण नहीं है अतः पर्यवेक्षण नहीं हो पाता है। सहकारिता के क्षेत्र में अभी तक अन्वेषण, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के लिये कर्मचारियों की भी कमी पायी जाती है।

(११) अन्य :

देश के विभिन्न भागों में समितियों के पास भण्डारण व्यवस्था का अभाव है। विपणन समितियाँ इस समस्या के कारण बहुत नुकसान उठा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेकों भाग ऐसे हैं जहाँ अभी तक यातायात व्यवस्था नहीं है। न तो ग्राम-किमी रेलवे लाइन से सम्बद्ध है और नहीं किसी मड़क यातायात में। अतः आन्दोलन की व्यापकता में कठिनाई आती है। अभी तक सहकारी ऋण को सहकारी विपणन के साथ सम्बद्ध करने में भी विशेष प्रगति नहीं हुई है। इस व्यवस्था के हो जाने से ऋण समितियों के ऋण बमूनी में पर्याप्त आसानी हो जायेगी। सहकारी आन्दोलन का लाभ अभी तक निर्धन व्यक्तियों को नहीं मिल पाया है क्योंकि ऋण प्राप्त करने के लिये या तो व्यक्तिगत जमानत की आवश्यकता पड़ती है अथवा भूमि बन्धक रखनी पड़ती है। किन्तु निर्धन व्यक्तियों के पास दोनों प्रकार की जमानतों का अभाव पाया जाता है। अतः वे इन मुविधाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। उनको विवश होकर महाजनो के पास जाना पड़ता है। यही पर सहकारिता का मूल उद्देश्य समाप्त हो जाता है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतवर्ष में अनेकों कारणों से सहकारी आन्दोलन असफल रहा है। किन्तु इसे सफल बनाना आवश्यक है। इसके मुख्य मुद्दों का निम्न प्रकार है —

सहकारी आन्दोलन की सफलता के सुझाव

(१) सहकारी प्रशिक्षण व्यवस्था

सहकारी आन्दोलन की सफलता के लिए सहकारी समितियों में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। देश में सहकारी प्रशिक्षण व्यवस्था के लिये वरिष्ठ, मध्यस्तरीय तथा कनिष्ठस्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है जिनमें सहकारी मन्त्रालयों तथा सहकारी विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। देश की सभी समितियों के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रशिक्षण से कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। फलतः समितियों को लाभ हो सकेगा।

(२) सहकारी शिक्षा का विस्तार

देश में सहकारी शिक्षा का विस्तार करना आवश्यक है। समितियों के सदस्यों तथा अधिकारियों को सहकारिता के उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाये ताकि वे आन्दोलन का लाभ उठा सकें। आम जनता में सहकारिता के महत्व को जानकारी देनी चाहिए। सहकारी शिक्षा के विस्तार के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना, कक्षाएँ चलाना, प्रचार सामग्री का प्रकाशन करना, फिल्म प्रदर्शन, रेडियो वार्ता आदि प्रमुख माध्यम हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता

(३) समितियों को सुदृढ़ बनाना

सहकारी समितियों के दृढीकरण का कार्यक्रम चालू किया जा चुका है। किन्तु यह कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। समितियाँ सुदृढ़ बनाने के लिये उनकी सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि करनी पड़ेगी। वर्तमान परिस्थितियों में समितियों की सख्या में अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उनको आर्थिक आकार प्रदान करना चाहिए। दृढीकरण कार्यक्रम को अपनाने से समितियों की सख्या में कमी अवश्य होगी किन्तु सदस्यता, अशांजी तथा कार्यशील पूंजी में सतोपजनक वृद्धि होगी।

(४) वित्तीय सुविधायें

सहकारी समितियों के सफल संचालन के लिये सरकार को पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें तथा रिजर्व बैंक ने इस तरह प्रयत्न किये हैं किन्तु इस तरह अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वाहरी सहायता के अतिरिक्त समितियों को अपने आन्तरिक साधनों को भी बढ़ाना चाहिए क्योंकि आन्तरिक निधियाँ सर्वोत्तम मानी जाती हैं।

(५) समन्वय व्यवस्था

देश के सहकारी आन्दोलन में समन्वय स्थापित करना नितान्त महत्वपूर्ण है। सभी क्षेत्रों को सहकारी समितियों में समन्वय तथा एक ही क्षेत्र की विभिन्न समितियों में समन्वय स्थापित करना चाहिए। समन्वय कार्य के लिये सघीय तत्त्वार्थें बहुत सहायक सिद्ध हो सकती हैं। अतः देश में सहकारिता के क्षेत्र में सघीय ढाँचे को अधिक सुदृढ़ रूप प्रदान करना चाहिए।

(६) अकेक्षण तथा पर्यवेक्षण व्यवस्था

देश के सहकारी विकास में इन दोनों की बहुत आवश्यकता है। अकेक्षण की व्यवस्था देश के विभिन्न राज्यों के विभागों के रजिस्ट्रारों का उत्तरदायित्व है। आजकल कई जगह अकेक्षण कार्य के लिये सहकारी विभाग में अलग अकेक्षण की इकाई स्थापित की जा रही है। पर्यवेक्षण का कार्य सघीय संस्थाओं को प्रदान करना चाहिये।

(७) अन्य .

सहकारी आन्दोलन की सफलता के लिये अन्य उपाय भी काम में लाने चाहिये। विभिन्न सहकारी समितियों में बुझान, अनुभवों तथा परिश्रमी प्रयत्नों की निपुणता करनी चाहिये। सहकारी ढाँचे को सुदृढ़ बनाया जाये। सहकारी साख्त को सहकारी विपणन के साथ सम्बद्ध किया जाये ताकि बनाया घन की पूर्ति करने में सुविधा रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण व्यवस्था का भी उचित विकास किया जाना चाहिये। इन सन्भावों के आधार पर उन्नति के प्रयत्न किये जायेंगे तो निश्चय ही सफलता मिल सकेगी।

प्रश्न

१. भारत के सहकारी आन्दोलन के विषय में आप क्या जानते हैं ? आन्दोलन की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ? सफलता के लिये अपने सुझाव दीजिये ।
 २. पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी आन्दोलन की प्रगति विषय पर संक्षिप्त नोट लिखिये ।
 ३. भारतीय सहकारी आन्दोलन की नवीन प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिये । आन्दोलन के विकास के लिये आप क्या सुझाव पेश करेंगे ।
 ४. देश की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में सहकारी समितियों के महत्व की व्याख्या कीजिये ।
-

सहकारी अकेक्षण एवं पर्यवेक्षण (Cooperative Audit, Supervision)

अकेक्षण किसी संस्था की वित्तीय सुदृढता का सूचक है। सहकारिता में अकेक्षण सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है। समितियों के सदस्य इसके आधार पर यह जान सकते हैं कि संस्था से प्रबन्धक, संस्था के हित में उचित ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं। हमारे देश में सहकारिता को राजकीय संरक्षण प्राप्त है अतः सहकारिता के ताबज्जिनिक रूप को बनाये रखने और जन साधारण को विश्वास दिलाने के लिये कि आन्दोलन उचित दिशा में बढ़ रहा है, अकेक्षण आवश्यक है। सन् १९१५ में नियुक्त मॅकलेगन समिति ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है। “अकेक्षण का आशय केवल सहकारी समितियों के सतुलन चित्र को ही तैयार करना नहीं बरन् सदस्यों की भौतिक सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक रोक बनाय रखना भी है।”

मिर्षा समिति ने जो कि सन् १९६४ में नियुक्त की गयी थी, अपने प्रतिवेदन में लिखा है, “अकेक्षण को अपना दायरा कानून द्वारा चाही गयी आवश्यकताओं की सीमा में आगे बढ़ाना चाहिए और उन सभी परिस्थितियों की जांच की जानी चाहिए जो किसी संस्था की साधारण स्थिति को निर्धारित करती हो। उदाहरणतः अकेक्षणको का यह कर्तव्य हो कि वे ऐसी घटनाओं की सूचना दे जिनमें कानून अथवा उपविधियों के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ हो रोकड़ बाकी की जांच तथा लेखों की शुद्धता का प्रमाणीकरण करें, देखें कि ऋण उचित रूप से उचित अर्ध एव उद्देश्यों के लिये आवश्यक एवं पूरा जमानत पर दिये जाते हैं भुगतानों की जांच करें और साधारणतया यह देखें कि समिति सुदृढ नीतियों पर कार्य कर रही है एव समिति (Committee), अधिकारी तथा साधारण सदस्य अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व को समझते हैं।”

सहकारिता में अवेक्षण दो प्रकार का हो सकता है प्रथम वित्तीय अवेक्षण और द्वितीय वायपद्धति का अवेक्षण।^१ वस्तुतः सहकारी अवेक्षण का आशर-भूत रूप वित्तीय है और वायपद्धति का अवेक्षण वित्तीय अवेक्षण का पूरक होना चाहिए। वित्तीय अवेक्षण का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि ध्यापात्रिक मूल-बुझ की सामान्य मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए सहकारी समिति का कार्य उचित प्रकार में एवं ईमानदारी से चल रहा है या नहीं। दूसरी तरफ वायपद्धति के अवेक्षण के अन्तर्गत सहकारी समिति में पायी जाने वाली प्रशासनिक और प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थाओं की देखरेख की जाती है।

भारतवर्ष में अवेक्षण व्यवस्था

भारत में सहकारी समितियों की अवेक्षण व्यवस्था सामान्यतः सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा नियन्त्रित सहकारी कर्मचारी वर्ग द्वारा करवाने की है। पहले पंजाब में ऐसी व्यवस्था थी कि वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे अधिकारियों द्वारा अवेक्षण होना चाहिए जो कि रजिस्ट्रार के नियन्त्रण में न हो किन्तु बाद में यह प्रथा छोड़ दी गयी। उत्तर-प्रदेश में अवेक्षण का सरकार के वित्त विभाग का उत्तरदायित्व है। देश के अन्य भागों में अवेक्षण रजिस्ट्रार के नियन्त्रण में होता है।

सहकारिता के क्षेत्र में विकसित देशों में सहकारी अवेक्षण कार्य सघीय संस्थाओं के आधीन है। जर्मनी में सहकारी समितियों के अवेक्षण के लिए अवेक्षण सघ स्थापित कर लिये गये। कुछ देशों में सहकारी समितियाँ निजी व्यावसायिक अवेक्षक नियुक्त कर लेती हैं। भारतवर्ष में भी यह प्रथा बहुत सीमित अंग तक प्रचलित रही है।

अब प्रश्न उठता है कि क्या भारतवर्ष में अवेक्षण रजिस्ट्रार के प्रभाव से मुक्त अधिकारियों के हाथ में रखा जाये? इस प्रश्न की जांच 'सहकारी कानून पर समिति (१९५७) ने की। समिति का विचार था कि "अवेक्षण को रजिस्ट्रार तथा उसके विभागीय कर्मचारियों के अधिकार क्षेत्र से दूर रखने का एक मुख्य कारण यह है कि सहकारी विभाग सहकारी समितियों के कारोबार का प्रबन्धकर्त्ता है। यदि सहकारी समितियों का पर्यवेक्षण कार्य सहकारी विभाग सहकारी वित्तीय बैंकों की हस्तांतरित कर देता है तो अवेक्षण रजिस्ट्रार के आधीन रखा जा सकता है।" इस समिति ने वास्तव में देखा जाये तो अवेक्षण का उत्तरदायित्व सहकारी विभाग को देने का सुझाव दिया किन्तु पर्यवेक्षण कार्य सहकारी विभाग पाम न रखे ताकि इस बात की आलोचना करने का कोई अवसर पैदा नहीं होगा कि जो लोग सहकारी समितियों को चलाते हैं अथवा पर्यवेक्षण करते हैं वे ही अवेक्षण करते हैं।

सहकारी प्रशासन पर नियुक्त मेहता समिति ने सिफारिश की है कि अवेक्षण कार्य रजिस्ट्रार का वैधानिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। समिति ने आगे कहा कि रजिस्ट्रार के नियन्त्रण में मुख्य अवेक्षण अधिकारी की अक्षमता में एक पृथक अवेक्षण कक्ष होना चाहिए।

मिर्मा समिति (१९६४) ने अपने प्रतिवेदन में यह विचार व्यक्त किया है, "सहकारी समितियों का अकेक्षण किसी ऐसी अभिकरण से जो सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के प्रभाव से स्वतन्त्र हो कराया जाय। ऐसा अभिकरण लगभग उन्हीं रूपरेखाओं पर स्थापित किया जा सकता है जिन पर स्वायत्त निधि अकेक्षण अभिकरण गठित हैं और जो कई राज्यों में पहले मौजूद हैं। यह अभिकरण चाहे राज्य वित्त विभाग द्वारा नियन्त्रित हो चाहे राज्य के विकास आयुक्त द्वारा। इस सन्दर्भ में ग्रामीण माल सर्वेक्षण समिति का सुभाव, कि उन राज्यों में जहाँ विकास आयुक्त हैं, अकेक्षण को रजिस्ट्रार के वजाय विकास आयुक्त के अधिकार में रखा जाये, महत्वपूर्ण है। हमारे मत में इससे सहकारी समितियों के लेखों के निष्पक्ष एव वस्तुनिष्ठ अकेक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा। यह अन्ततः जर्मनी की भाँति, सहकारी समितियों द्वारा अपने पृथक अकेक्षण सच बनाकर अकेक्षण के कार्य को सम्भालने या इसे राज्य सहकारी सचो अथवा राष्ट्रीय सहकारी सचो को सौंप जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।"

सहकारी समितियों का अकेक्षण वास्तव में रजिस्ट्रारके विभागीय कर्मचारियों द्वारा नहीं करवाया जाना चाहिए क्योंकि ये प्रशान्त कार्य में लगे हुये होते हैं। अकेक्षण एक स्वतन्त्र अभिकरण के हाथ में होना उचित रहेगा। विभागीय क्षेत्रों में सहकारी समितियों के सचो द्वारा यह कार्य सम्पादित करवाया जाना चाहिए।

सहकारी अकेक्षण में कमियाँ एव सुधार के उपाय

भारतवर्ष में सहकारी अकेक्षण में अनेकी कमियाँ रही हैं जिनके कारण आन्दोलन की सही स्थिति जानने में कठिनाई रही है देश में अनेकी समितियाँ ऐसी रह जाती हैं जिनका वार्षिक अकेक्षण नहीं हो पाता है। इससे समितियों में कई प्रकार की अनियमितताएँ आ गयी हैं। मुख्य-मुख्य कमियाँ और सुझाव निम्न प्रकार हैं —

(१) हमारे देश में अकेक्षण कार्य के अन्तर्गत कम सहकारी समितियाँ आ पाती हैं। उदाहरणतः सहकारी वर्ष १९६१-६२ के प्रारम्भ में ३, २८, २४७ समितियों का अकेक्षण होना था जिनमें से ३०, ५१२ समितियों का अकेक्षण दो वर्षों से भी अधिक समय से होना था। वर्ष १९६१-६२ में २, ६५, ५३५ समितियों का अकेक्षण हुआ था जिनमें से १६, १३४ समितियाँ भी भूमित्त थीं जिनका दो वर्षों या अधिक समय से अकेक्षण होना था। इनके पश्चात् वर्षों में भी यही स्थिति रही है।

इस सम्बन्ध में यह सुझाव महत्वपूर्ण है कि देश की सभी सहकारी समितियों का उचित समय पर अकेक्षण होना चाहिए। इससे समितियों में अनियमितताएँ समय-समय पर जात होती रहती हैं।

(२) साधारणतः अकेक्षण कार्य सामान्य एव नीचे स्तर के अकेक्षकों को सौंपा जाता है। ये व्यक्ति अकेक्षण कार्य में अधिक दक्ष नहीं होते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अकेक्षण कार्य अनुभवी व्यक्तियों को सौंपा जाये। अकेक्षण करने के लिए पर्याप्त एव प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किये जाने चाहिए।

(३) भारतवर्ष में अवेक्षण रजिस्ट्रार का उत्तरदायित्व है। विभागीय अधिकारी अवेक्षण करते हैं अतः उपयुक्त अवेक्षण नहीं हो पाता है। आलोचना का मत है कि जो व्यक्ति सहकारिता के प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए हैं उन्हें अवेक्षण कार्य नहीं सौंपना चाहिए। सहकारी समितियों का अवेक्षण वास्तव में एक स्वतन्त्र अभिवरण को सौंपना चाहिए।

(४) भारतवर्ष में अभी तक अवेक्षण कार्य अधिक व्यापक नहीं है। इस बात की छानबीन नहीं की जाती है कि सहकारी समितियाँ सहकारी सिद्धान्तों पर बन रही हैं या नहीं। सहकारी समितियों के अवेक्षण को अवेक्षण के प्रतिवेदन में यह एक नियम बना लेना चाहिए कि क्या सहकारी सिद्धान्तों से विचलित होने का कोई उदाहरण सामने आया है। समिति के निर्बल एवं छोटे वर्गों के सदस्य उसके लाभ एवं सेवाओं का उचित उपभोग कर पा रहे हैं या नहीं। इन सब बातों की उचित जानकारी की जानी आवश्यक है।

उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखकर अवेक्षण कार्य को अधिक व्यापक बनना चाहिए। सभी प्रकार की सहकारी समितियों का उचित समय पर तथा अच्छी तरह से अवेक्षण होना आवश्यक है।

पर्यवेक्षण (Supervision)

सहकारी समितियों के गठन के पश्चात् सदस्यों में उनका विश्वास प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना अत्यन्त आवश्यक है। समितियों को समय समय पर उनकी कार्य प्रणाली में पर्यवेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। सन् १९१५ में नियुक्त मेन्लेगन समिति ने सुझाव दिया था कि सहकारी समितियों के लेखा पुस्तकों को निरन्तर जाँच करना और उनके प्रबन्ध का उचित समय पर परीक्षण नितान्त आवश्यक है। पर्यवेक्षण के अन्तर्गत प्रशासनिक सहायता देना, आर्थिक मामलों में परामर्श देना और सहकारी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में पर्यवेक्षण करना सम्मिलित किये जाते हैं। पर्यवेक्षण में वे बानें भी सम्मिलित की जाती हैं जो कि निरीक्षण तथा अवेक्षण से सम्बन्धित होती हैं।

सहकारी प्रशासन समिति (१९६३) ने पर्यवेक्षण कार्यों को बताते हुए लिखा है कि पर्यवेक्षण का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि समिति उस प्रकार से कार्य कर रही है या नहीं जिस ढंग से उसके कार्य की आशा की जाती है। पर्यवेक्षण में निम्न बातों की जाँच करनी होती है —

- (i) समिति की सम्पत्तियों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है।
- (ii) समिति में लेखा उचित प्रकार से और सही-सही किया जा रहा है या नहीं।
- (iii) समितियों का रूप सहकारी है या नहीं तथा उनमें अनुशासन की क्या स्थिति है ?
- (iv) व्यवसाय में इस प्रकार का दोष तो नहीं है जिसका समाधान किया जा सकता है।

उक्त सभी बातें पर्यवेक्षक को ध्यान में रखनी होंगी । इस सम्बन्ध में अंकेक्षक को सबसे अन्तिम रिपोर्ट प्रारम्भिक सामग्री के रूप में अधिक उपयोगी होगी । पर्यवेक्षण में उक्त चारों बातों को उचित छान-बीन करके कमियों को ज्ञात करने के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारियों को बतला कर दुरम्य करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

सहकारी आन्दोलन में आत्म निर्भरता लाने के लिये पर्यवेक्षण अनिवार्य पूवपिश्य है । मेकलेगन समिति के अनुसार "पर्यवेक्षण कार्य में सदस्य को सहकारी सिद्धान्तों की शिक्षा देने और नयी समितियों के गठन द्वारा आन्दोलन का प्रचार करने का कर्तव्य प्यनित होता है । पर्यवेक्षक का काम यह देपने से सम्बन्ध रखता है कि समिति का कार्य केवल व्यापार जंता ही नहीं बल्कि यथाय में सहकारी है ।"

भारतवर्ष में सहकारी समितियों का पर्यवेक्षण

पर्यवेक्षण कार्य भारत में अधिकांश राज्यों में सहकारी विभाग द्वारा सम्पन्न किया जाता है । कुछ राज्यों में यह कार्य सहकारी विभाग के हाथ में न होकर सहकारी समितियों की गैर-सरकारी सस्थाओं द्वारा किया जा रहा है । पंजाब तथा जम्मू काश्मीर में सहकारी विभाग पर्यवेक्षण करता है । मध्य प्रदेश एवं आसाम राज्या में प्राथमिक ऋण समितियों का पर्यवेक्षण केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा सहकारी विभाग करते हैं । उड़ीसा, तामिलनाड, केरल तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में प्राथमिक ऋण समितियों का पर्यवेक्षण केन्द्रीय ऋण सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है तथा रोप समितियों का पर्यवेक्षण सहकारी विभाग करता है । राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी बंगाल तथा विहार राज्यों में भी ऋण दात्री समितियों का पर्यवेक्षण केन्द्रीय सहकारी बैंक करते हैं । उत्तर-प्रदेश में यह कार्य राज्य सहकारी सभ करता है । बम्बई में सबसे पूर्व पर्यवेक्षण कार्य गैर सहकारी सस्थाओं द्वारा किया गया । जिला अथवा क्षेत्र स्तरो पर जिला अथवा क्षेत्रीय पर्यवेक्षण समितियाँ स्थापित की गयी हैं । विभिन्न क्षेत्रों की कृषीय एवं बहुउद्देश्यीय समितियाँ पर्यवेक्षण सभों से जोड दी गयी हैं । सभों में पर्यवेक्षक होते हैं जिनको पारिश्रमिक सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है । कृषि ऋण एवं बहुउद्देश्यीय समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियों का पर्यवेक्षण सहकारी विभाग द्वारा किया जाता है ।

पर्यवेक्षण की सस्थायें

पर्यवेक्षण निम्न सस्थाओं द्वारा किया जा सकता है—

(1) सहकारी विभाग :

भारतवर्ष में प्रारम्भ से ही अधिकांश राज्यों में पर्यवेक्षण कार्य सहकारी विभाग द्वारा किया जा रहा है । किन्तु आजकल इस कार्य को सहकारी विभाग द्वारा करने की आलोचना की जा रही है । कुछ विद्वानों का कहना है कि सहकारी विभाग आरम्भ में यह कार्य करता था तब तो उचित था किन्तु वर्तमान समय में इस आन्दोलन को आत्म निर्भर बनाने के लिये सहकारी विभाग को यह कार्य नहीं करना चाहिए ।

(२) केन्द्रीय ऋण समितियाँ :

पर्यवेक्षण कार्य करने वाली सस्थाओं में द्वितीय महत्वपूर्ण सस्थायें केन्द्रीय ऋण-दात्री समितियाँ हैं। केन्द्रीय ऋण-दात्री समितियाँ प्राथमिक ऋण-दात्री समितियों का उचित पर्यवेक्षण कर सकती हैं। जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है कि कुछ राज्यों में प्राथमिक ऋण समितियों का पर्यवेक्षण केन्द्रीय सहकारी बैंक-कर रहा है। सहकारिता के प्रशासन पर समिति और सहकारी ऋण पर समितियों ने अपने प्रतिवेदनो में केन्द्रीय सहकारी बैंको को पर्यवेक्षण के लिये उपयुक्त सस्थायें बताया है। किन्तु केवल ऋण समितियों का पर्यवेक्षण ही इन सस्थाओं द्वारा उपयुक्त हो सकता है।

(३) सहकारी पर्यवेक्षण सघ

महाराष्ट्र राज्य में पर्यवेक्षण सघों द्वारा पर्यवेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया है। हमारे देश में कई राज्यों में ऋण समितियों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की समितियों का पर्यवेक्षण सहकारी विभाग कर रहा है किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में यह उचित नहीं है। अतः यह कार्य सहकारी पर्यवेक्षण सघों द्वारा किया जाना चाहिए।

(४) जिला परिषद् एव पंचायत समितियाँ :

जिला परिषद् एव पंचायत समितियाँ भी पर्यवेक्षण कार्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं। "सहकारी समितियों एव पंचायतों पर कायकारी दल" ने इस विषय में विचार व्यक्त किया कि ये सहकारी समितियाँ और पंचायतें दोनों ही प्रजातन्त्रिक आधार पर स्थित हैं अतः इनको स्वतन्त्रता को समाप्त करना अनुचित है। पंचायत समितियाँ यदि पर्यवेक्षण कार्य करेंगी तो इनका अनुचित प्रशासन सहकारी समितियों पर बढ़ने लगेगा जिससे सहकारिता की आत्मानुभरता एव स्वतन्त्रता का हनन होगा। इसलिए पंचायत समितियाँ द्वारा पर्यवेक्षण करवाना ठीक नहीं है।

अब प्रश्न उठता है कि पर्यवेक्षण कार्य किन सस्थाओं द्वारा किया जाये। इस समस्या के समाधान के लिए सघीय समितियाँ उपयुक्त हैं। सघीय सस्थाओं द्वारा यह कार्य करने के सम्बन्ध में कई तकें दिये जा सकते हैं। प्रथम, सघीय सस्थाओं द्वारा यह कार्य करने से एक दूसरे से सम्बन्धित होने की भावना पैदा होगी। इससे प्राथमिक केन्द्रीय तथा शीर्ष समितियाँ एक सघीय ढाँचे को महसूस करेंगी। द्वितीय, सघीय समिति पर्यवेक्षण के माध्यम से आन्दोलन के प्रचार तथा कठिनाइयों को दूर करने में सुरक्षारमक रुचि ले सकती हैं। तीसरे, सहकारी विभाग इस कार्य से मुक्त हो कर अन्य कई कार्य कर सकेगा जो कि आन्दोलन की सफलता के लिए आवश्यक है।

सघीय सस्थाओं द्वारा पर्यवेक्षण बनाने के लिये दो उपाय महत्वपूर्ण हैं—

(१) जिन भागों में केन्द्रीय व शीर्ष समितियाँ नहीं हैं वहाँ इनका निर्माण, (२) केन्द्रीय एव शीर्ष स्तरों पर योग्य एव प्रशिक्षित कमचारी नियुक्त किये जाने चाहिए। वास्तव में योग्य एव प्रशिक्षित कमचारियों की जटिल समस्या है। इसके समाधान के लिये प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यापक बनाना चाहिये। इसमें सहकारी आन्दोलन को उचित मार्ग दर्शन हो सकेगा और यह आन्दोलन आत्म निर्भर हो सकेगा।

प्रश्न

१. सहकारी अंकेक्षण से आपका क्या अभिप्राय है ? आपकी राय में यह कार्य किसे करना चाहिए ?
 २. भारतवर्ष में सहकारी अंकेक्षण की क्या स्थिति है ? इसमें क्या-क्या कमियाँ हैं ? सुधार के सुझाव भी दीजिये ।
 ३. पर्यवेक्षण से आपका क्या अभिप्राय है ? यह कार्य किन-किन सस्याजो द्वारा किया जा सकता है ? आप किस सस्या को अधिक उपयुक्त समझते हैं ? कारण उतर दीजिए ।
-

द्वितीय खण्ड

राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन

राजस्थान में सहकारी आन्दोलन की उत्पत्ति एवं विकास (Begning and Development of Cooperative Movement in Rajasthan)

समाजवादी समाज का आधार सहकारिता है। इसके बिना कल्याणकारी राज्य के अन्तिम लक्ष्य की पूर्ति असम्भव प्रतीत होती है। सहकारिता के आधार समानता, सामूहिक प्रयाग, सामूहिक चेतना तथा एकता की भावना हैं। सहकारिता का प्रमुख लक्ष्य शोषणहीन समाज की स्थापना करना है। हमारी राष्ट्रीय नीति में सहकारी संगठनों के विकास पर बल दिया गया है जिससे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ये महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। हमारा देश बुनियादी तौर पर ग्रामी का देश है और ग्राम्य जीवन कृषि पर निर्भर है। कृषि कार्यक्रमों में सहकारिता अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। अधिक कठिनाइयों के कारण जो कार्य अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता उसे संगठित रूप से करना आवश्यक हो जाता है। अतः हमारी नियोजित अर्थ व्यवस्था में सहकारिता को आवश्यक समझा गया। राजस्थान में भी आर्थिक विपन्नता को समाप्त करने की आवश्यकता हुई और सहकारिता के माध्यम से राज्य की ग्रामीण एवं शहरी अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन के सकल्प किये गये। यहाँ जागीरदारी एवं जमींदारी के निराकरण के पश्चात् ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सहकारिता का महत्व और भी बढ़ गया। ग्राम्य जीवन स्तर में उन्नति, आवश्यक तकनीकी सुधार एवं रोजगार की वृद्धि के लिये सहकारिता मुख्य साधन समझा गया।

राजस्थान में सहकारी आन्दोलन की उत्पत्ति एवं विकास

अजमेर गेरवाडा के कृषकों की आर्थिक स्थिति १९ वीं शताब्दी के अन्त तक काफी दिगड चुकी थी। इस दशा में महाजनो के विरुद्ध आन्दोलन होना स्वाभाविक था। १९०४ में यह आन्दोलन सहकारिता के रूप में अजमेर में प्रगट हुआ। भारत

के प्रथम सहकारी अधिनियम तथा संशोधित सहकारी अधिनियम के अधीन १९१५ में सहकारी कार्यक्रम भरतपुर जिले में प्रारम्भ किया गया। इसके पश्चात् १९१६ में कोटा, १९२० में बीकानेर, १९२३ में जोधपुर, १९३४ में अलवर में आन्दोलन फूट गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति तक किसानगढ, जयपुर तथा जोधपुर में भी सहकारी कार्यक्रम चालू किये गये। धीरे धीरे यह कार्यक्रम अन्य भागों में भी फैला। आर्थिक नियोजन से पूर्व मुख्यतः ऋण देने का कार्य ही सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के कार्यक्रमों पर २५.७७ लाख रुपये व्यय किये गये। इस काल में सहकारी शिक्षा समितियों एवं सदस्यों की अनुदान तथा इनके अलावा केन्द्रीय सहकारी समितियों एवं ऋण बैंकों का गठन आदि कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया। सहकारी प्रशिक्षण के लिये एक स्कूल जयपुर में तथा तीन केन्द्र भरतपुर, झू गम्पुर तथा कोटा में स्थापित किये गये। १९५३ में एक शीर्ष सहकारी बैंक का निर्माण हुआ। इसी वर्ष राजस्थान सहकारी अधिनियम पारित किया गया। इन प्रयत्नों से आन्दोलन को काफी सहायता मिली। इस काल में अनुकूल वातावरण बनाया गया तथा भविष्य के विकास के लिये पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। विभिन्न प्रयत्नों के फलस्वरूप जो प्रगति हुई उसका विवरण अग्न लिखित है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता का विकास

मदें	इकाई	१९५१-५६
१. समितियाँ	सख्या	८०७७
२. सदस्यता	लाखों में	२.७५
३. प्राथमिक कृषि समितियाँ	सख्या	४८१२
४. सदस्यता		
५. सहकारिता के अन्तर्गत ग्रामीण परिवार	प्रतिशत	५
६. अल्प एवं मध्यकालीन ऋण	लाख रुपये में	८५.४६

(स्रोत—राजस्थान की आर्थिक प्रगति, जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर)

इस तालिका से स्पष्ट है कि योजना के आज तक कुल सहकारी समितियों की संख्या ८०७७ हो गयी तथा इनकी सदस्य संख्या २.७५ लाख थी। इस काल में ५ प्रतिशत ग्रामीण परिवार इस क्षेत्र के अन्तर्गत लाये गये। प्राथमिक कृषि समितियों की संख्या ४८१२ थी तथा सदस्य संख्या १.३२ लाख थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी विकास

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी क्षेत्र में १९३६९ लाख रुपये व्यय हुए। ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति के सुझावों के आधार पर कार्य चालू किये गये। इस समिति के प्रमुख सुझाव उत्पादन के आधार पर ऋण देना, माल का सग्रह, सहकारिता के विभिन्न स्तरों पर राज्य द्वारा हिस्ता पूंजी के रूप में साभेदारी की स्थापना करना आदि थे। द्वितीय योजना में कुछ आधार भूत समस्याएँ जैसे शीर्ष क्रय विक्रय समितियाँ, प्राथमिक भू-बन्धक बैंक, केन्द्रीय सहकारी भू-बन्धक बैंक आदि इसी काल में चालू की गयीं। इस काल में जो प्रगति हुई वह निम्न प्रकार है—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारिता की प्रगति

गठें	इकाई	द्वितीय योजना (१९५६-६१)
१. समितियाँ	संख्या	१८,३०९
२. सदस्यता	सालों में	९,६८
३. प्राथमिक ऋण समितियाँ	संख्या	१०,९१३
४. सदस्यता	संख्या	६,७२
५. सहकारिता के अन्तर्गत ग्रामीण परिवार	प्रतिशत	२६.००
६. अल्प एवं मध्यकालीन ऋण	लाख १० में	५६५.२३
७. दीर्घकालीन ऋण	लाख १० में	५.३९

(स्रोत—राजस्थान की आर्थिक प्रगति, जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर)

इस सारिणी के अनुसार कुल समितियाँ १८३०९ हो गयीं तथा सदस्य संख्या ९,६८ लाख हो गयी। सहकारिता के अन्तर्गत ग्रामीण परिवार २६ प्रतिशत जा गये। द्वितीय योजना के अन्त तक १०,९१३ प्राथमिक ऋण समितियाँ तथा ६,७२ लाख सदस्य संख्या हो गयी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सहकारिता का विकास

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी क्षेत्र में २४२.९१ लाख रुपये व्यय किये गये जबकि मूल प्रावधान ४०० लाख रुपये का था। इस योजना में प्रथम तथा द्वितीय योजना में की गयी प्रगति को अधिक गति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया तथा उन क्षेत्रों को भी सहकारी क्षेत्र में लाने का प्रयत्न किया गया जिनमें सहकारिता का प्रसार नहीं हुआ। ६७ प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारी क्षेत्र में लाने का मूल लक्ष्य था जो कि बाद में ५१ प्रतिशत कर दिया गया। तीसरी योजना में "४५.०० नयी सेवा सहकारी समितियों की स्थापना तथा १००० लघु आधार की ऋण ऋण देने वाली समितियों का पुनरावर्तन का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त २५

प्राथमिक भू-बन्धक बैंक, ५० केन्द्रीय बैंको की शाखाएँ खोलने, २५० ग्राम्य गोदामों का निर्माण करने, दो कॉटन जीनिंग फ़ैक्टरी, दो तेल मिल, दो दाल मिल, दो मूँगफली छीलने की मिल तथा एक चीनी मिल खोलने का लक्ष्य रखा गया।' इस आन्दोलन की प्रगति निम्न प्रकार हुई—

तृतीय योजना में सहकारी विकास

भदों	इकाई	१९६१	१९६६
१. सहकारी समितियाँ	सख्या	१८३०९	२२५८०
२ सदस्यता	सख्या	९,६७,९२८	१४,९२,३११
३ हिस्सा पूंजी	लाख रुपये	६२०	११४०
४. कार्यशील पूंजी	लाख रुपये	३२५१	५७००

(स्रोत—राजस्थान में सहकारी आन्दोलन—रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में तृतीय योजना के अन्त में कुल सहकारी समितियों की संख्या २२५८० हो गई जो कि १९६१ की तुलना में २३ प्रतिशत अधिक है। सदस्य संख्या १९६६ में १४,८२,३११ हो गयी जो कि १९६१ से ५४ प्रतिशत अधिक है। हिस्सा पूंजी तथा कार्यशील पूंजी में भी १९६१ से १९६६ में क्रमशः ८४ प्रतिशत एवं ७५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस योजना में सहकारी समितियों की स्थिति निम्न प्रकार थी —

सहकारी समितियाँ

समितियाँ	१९६०-६१		१९६५-६६	
	सख्या	सदस्य	सख्या	सदस्य
१. राज्य सहकारी बैंक	१	१४७	१	११२
२. केन्द्र सहकारी बैंक	२९	१६५२०	२६	१६०५१
३. केन्द्रीय ऋण दात्री समितियाँ	१५९	१८४०८	२६६	४३४७६
४. कृषि ऋणदात्री समितियाँ	१०९१३	६,७२,६९२	१२७०२	१०,१५,५२३
५. कृषि अऋणदात्री समितियाँ	११४२	२३,८२२	१६८०	४१,५३६
६. प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक	४५	९,७८९	५४	२९,०८४
७. अकृषि ऋण दात्री समितियाँ	२१०	३६,४९८	४९९	५८,०७७
८. अकृषि अऋण दात्री समितियाँ	४२९२	१,५२,१६७	५५८९	२,४२,०५४
९. अवसायन में आई समितियाँ	१४१८	३७,८८७	१७६३	४६,२९८
कुल योग	१८३०९	९,६७,९२८	२२,५८०	१४,९२,३११

स्रोत—(राजस्थान वार्षिक योजना प्रगति प्रतिवेदन १९६६-६७)

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि सभी प्रकार की सहकारी समितियों में १९६०-६१ की तुलना में वृद्धि हुई है। राज्य सहकारी बैंक और केन्द्र सहकारी बैंक को सदस्य सख्या को छोड़कर सभी समितियों की सदस्य सख्या में वृद्धि हुई है।

इस योजना में सेवा सहकारी समितियों के गठन योजना के अन्तर्गत २७३२ समितियों का गठन किया गया। दीर्घ कालीन ऋण देने के लिये १३ भूमि-बन्धक बैंक स्थापित हुये। बीज, खाद वितरण तथा कृषि उपज को एकत्रित करने के लिए इस काल में १५७ गोदामों की स्थापना की गई। तृतीय योजना में २४६ समितियाँ पाइलट क्षेत्र में तथा १२६ समितियाँ नान पाइलट क्षेत्र में गठित हुईं। सहकारी प्रशिक्षण व्यवस्था के लिये तीन प्रशिक्षण केन्द्र भरतपुर, जोधपुर तथा जयपुर में कार्य कर रहे हैं। अक्टूबर १९६२ में नया सहकारी अधिनियम लागू किया गया। वर्ष १९६५-६६ तक ८३ प्रतिशत ग्राम तथा ३३ प्रतिशत ग्रामीण परिवार सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया। समाज के पिछड़े वर्गों के हित की तरफ अधिक ध्यान दिया गया।

राज्य के सहकारिता आन्दोलन को गति प्रदान करने तथा उसके स्वरूप को अधिक उपयोगी बनाने के लिए १९६५ में नया सहकारी अधिनियम लागू किया गया। नये कानून का मूल उद्देश्य सहकारी तन्त्रियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने का माध्यम बनाने और समाज को समाजवादी पद्धति पर संगठित करना था।

वार्षिक योजनाओं में सहकारी आन्दोलन

(वर्ष १९६६-६७, १९६७-६८, १९६८-६९)

सहकारी समितियाँ ऋण के अतिरिक्त सरती खाद कृषि औजार, उन्नत बीज, कीट नाशक औषधियाँ खाद्य पदार्थ तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ भी उपलब्ध करा रही हैं। वर्ष १९६६-६७ में सहकारी भण्डारों की प्रगति विशेष रूप से सामने आयी है। इस वर्ष में सहकारी समितियों ने चावल मिल, चीनी मिल, मात सवार समितियाँ आदि कार्यों को भी अपने क्षेत्र के अन्तर्गत ले लिया है। कृषि ऋण दात्री समितियों को अधिक मजबूत बनाने के लिये पुनर्गठन योजना चालू की गई है। पुनर्गठन के अन्तर्गत समितियों का विनीनीकरण किया गया। जबकि वर्ष १९६६-६७ में सहकारी समितियों की सख्या २२३९२ हो गयी जिससे वर्ष १९६५-६६ में इनकी सख्या २२५८० थी। इसके विपरीत सदस्यता तथा हिस्सा पूंजी में वृद्धि हुई है। वर्ष १९६५-६६ में जहाँ सदस्य सख्या तथा हिस्सा पूंजी क्रमशः १४,९२,३१३ व ११४० लाख रुपये थी वह वर्ष १९६६-६७ में १६,३८,९१८ व १३०६५६ लाख रुपये हो गयी। कार्यशील पूंजी ५७०० लाख ए० से बढ़कर ६२९८६६ लाख रुपये हो गयी।

सभी प्रकार की सहकारी समितियाँ

समितियाँ	इकाई	वर्षान्त	
		१९६६-६७	१९६७-६८
१. सहकारी समितियाँ	सख्या	२२,३९२	२१,६६२
२. सदस्यता	सख्या	१६,३८,९१८	१७,४७,६६९
३. हिस्सा पूंजी	लाख रुपये	१३०६.५६	१४४८.७३
४. कार्य शील पूंजी	"	६२९८.६६	७४७६.९४

(स्रोत—प्रगति विवरण १९६८-६९, सहकारी विभाग, राजस्थान सरकार)

उक्त सारणी के आधार पर हम देखते हैं कि वर्ष १९६७-६८ में सहकारी समितियों के विलीनीकरण की योजनाओं के कारण उनकी संख्या २१,६६२ हो गयी परन्तु सदस्यता तथा हिस्सा पूंजी क्रमशः १७,४७,६६९ व १४,४८.७३ लाख रुपये हो गयी। लगभग ८७ प्रतिशत ग्राम तथा ३३ प्रतिशत ग्रामीण परिवार अब तक सहकारिता के अन्तर्गत लाये जा चुके हैं।

वर्ष १९६७-६८ में ६५९ समितियाँ पुनर्गठित की गयी। वर्ष १९६८-६९ में १४२६ समितियों को पुनर्गठित करने का लक्ष्य है। वर्ष १९६८-६९ में विभिन्न कार्यों में २५० लाख रुपये का दीर्घ कालीन ऋण वितरित करने का लक्ष्य है जिसमें से ३१-१-६९ तक ११५.१३ लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया। वर्ष १९६८-६९ में १२ करोड़ रुपये के अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण वितरित किये जाने का लक्ष्य है जिसमें से अल्पकालीन तथा मध्य कालीन ऋण क्रमशः १० करोड़ रुपये व २ करोड़ रुपये है।

वापिक योजनाओं में राज्य में सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने तथा उसके गुणात्मक विकास के लिये विशेष प्रयत्न किये गये। ३० जून १९६९ को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष के अन्त में राज्य के ३९ प्रतिशत ग्रामीण परिवार और ९० प्रतिशत से अधिक गाँव सहकारिता के अन्तर्गत लाये गये। समितियों के हठीकरण की तरफ भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण दात्री समितियों के सक्षम बनाने की तरफ कदम उठाये जा रहे हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में राज्य की १२,४५७ प्राथमिक कृषि ऋण दात्री समितियों का सर्वेक्षण किया गया। कमजोर एवं निष्क्रिय समितियों को सक्षम बनाने का कार्यक्रम वर्ष १९६७-६८ में प्रारम्भ हो चुका है। सक्षम इकाई बनाने के कार्यक्रम में वर्ष १९६७-६८, वर्ष १९६८-६९ में क्रमशः ६५९ एवं ७०० समितियों का पुनर्गठन हो चुका है। इन समितियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की निष्क्रिय एवं अर्थात्क दृष्टि से कमजोर समितियों जैसे औद्योगिक समितियाँ, फार्मिंग समितियाँ, धार्मिक ठंका, उपभोक्ता भण्डार आदि को हठीकृत किया जायगा। धार्मिक ठंका तथा औद्योगिक सहकारी समितियों का इस दृष्टि के लिए सर्वेक्षण कार्य सितम्बर सन् १९६९ में चालू किया जा चुका है।

सहकारी वर्ष १९६८-६९ के अन्त तक राजस्थान में सभी प्रकार की कुल सहकारी समितियों की संख्या २०,०३० थी जबकि इसके पहले के वर्ष में २१,६६२ समितियाँ थी। समितियों की संख्या में कमी का कारण था सहकारी ऋण समितियों का पुनर्सं गठन कार्यक्रम। ३० जून १९६९ को सभी प्रकार की सहकारी समितियों की सदस्यता १७,४७,६६१ से बढ़कर १८,३२,९७२ हो गयी और अक्ष पूंजी १४४८ ७३ लाख रुपये से बढ़कर १७०२ ६५ लाख रुपये हो गयी। कार्यशील पूंजी में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह ७४७६ ९४ लाख रुपये से बढ़कर १००९४*०४ लाख रुपये हो गयी है।

राजस्थान में सहकारी ऋण प्रदान करने वाली विभिन्न स्तरों पर जो सहकारी मस्थायें कार्य कर रही हैं उनके कार्य में भी अच्छी प्रगति हुई है। सहकारी वर्ष १९६८-६९ के अन्त में दीर्घ सहकारी बैंक की कुल सदस्य संख्या १२१ थी तथा अक्ष पूंजी १८२ ४८ लाख रुपये थी जिसमें राज्य सरकार का अग्रदान ४० ०० लाख रुपये था। प्राथमिक ऋण समितियों की संख्या ३० जून १९६९ के समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष के अन्त तक पिछले वर्ष ११४६० से घटकर ९६११ हो गयी। कृषि ऋण सभी सहकारी समितियों के पिछले दो वर्षों की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है —

कृषि ऋण द्वारा समितियों की तुलनात्मक औसत स्थिति

क्रम संख्या	विवरण	१९६७-६८	१९६८-६९
१.	प्रति समिति औसत सदस्यता	९७	१२२
२.	प्रति सदस्य औसत ऋण	८१	१२३
३.	प्रति समिति औसत बकाया	७८८५	१५०१९
४.	प्रति सदस्य औसत बकाया	१०४	१५१
५.	प्रति सदस्य औसतन अमानत	९	१०
६.	प्रति समिति औसतन अमानत	८९५	१२१५
७.	प्रति सदस्य औसतन अक्ष राशि	३७	४३
८.	प्रति समिति औसतन हिस्सा राशि	३६२९	५२०९
९.	प्रति समिति कार्यशील पूंजी	१५७३३	२५६२९

(स्रोत—प्रगति विवरण १९६९-७०, सहकारी विभाग, राजस्थान सरकार)

३० जून १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में त्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा ७६३*७७ लाख रुपये के मूल्य की खरीद और १२३६ ६९ लाख रुपये के मूल्य का विपणन किया। इस समय राज्य में २२ थोक भण्डार कार्य कर रहे हैं। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर आदि स्थानों के थोक भण्डारों द्वारा विभागीय भण्डार भी चलाये जा रहे हैं। राज्य के सभी जिलों में कुल ६४४ प्राथमिक भण्डार भी कार्यशील हैं।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम

सहकारिता विकास पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ५.४३ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है। इस काल में निम्नलिखित कार्यक्रम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है —

(१) वर्ष १९७३-७४ के अन्त तक राज्य के शतप्रतिशत ग्रामीण तथा ५० प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाया जायेगा।

(२) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि की जायेगी। वर्ष १९७३-७४ के अन्त तक कृषि ऋण दात्री समितियों को वर्तमान सदस्यता ११.८० लाख से बढ़ाकर २० लाख करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(३) चौथी योजना विधि में ३० करोड़ रुपये के अल्पकाल तथा मध्यकालीन ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस योजना में दीर्घकालीन ऋण १७ करोड़ रुपये के वितरित किये जायेंगे। वर्ष १९६९-७० तथा १९७०-७१ में क्रमशः ३ करोड़ तथा ३.३ करोड़ रुपये वितरित करने का प्रावधान किया गया है।

(४) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सहकारी बैंको तथा भूमि विकास बैंको की क्रमशः २५ व २६ शाखाएँ खोली जायेंगी। वर्ष १९६६-७० में केन्द्रीय सहकारी बैंको तथा भूमि विकास बैंको की क्रमशः ६-६ शाखाएँ तथा वर्ष १९७०-७१ में क्रमशः ५ व ४ शाखाएँ खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

(५) समितियों के दृढीकरण कार्यक्रम में चतुर्थ योजना में १० कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंको को मजबूत बनाने की योजना है जिनके लिए ३० लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। विपणन सहकारी समितियों के दृढीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ४५ लाख रुपये की धनराशि अतिरिक्त अन्न पूंजी अदान के लिए निश्चित की गयी है। इस योजना में उनकी विपणन समितियाँ खोली जायेंगी।

(६) चौथी योजना में राज्य में कृषि वित्त निगम की सहायता से ४१५ ग्रामीण गोदाम और ५३ विपणन समितियों के गोदाम तथा एक कोल्ड स्टोरेज बनाया जायेगा।

(७) राज्य में कार्य कर रहे उपभोक्ता भण्डारों को व्यवस्थापिक व्यय के लिए अनुदान अन्न-राशि अदान, कार्यशील पूंजी तथा ऋण आदि के लिए ११.२७ लाख रुपये की राशि चौथी योजना में रखी गयी है।

उपरोक्त विवरण में स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना में राज्य में सहकारी आन्दोलन को अधिक सुदृढ बनाया जायेगा। इसके लिये कमजोर समितियों को सशक्त बनाना पड़ेगा। फलस्वरूप समितियों की संख्या में कमी हो सकती है किन्तु सदस्यता, अन्न पूंजी, अमानित तथा कार्यशील पूंजी में पर्याप्त वृद्धि होने की सम्भावना है। इस

योजना में आन्दोलन को अधिक व्यापक बनाया जायेगा जिससे लगभग सभी ग्राम सहकारिता के क्षेत्र में जा सकेंगे ।

प्रश्न

१. राजस्थान में सहकारी आन्दोलन की उत्पत्ति एवं विकास के विषय में आप क्या जानते हैं ? पञ्चवर्षीय योजना में की गई प्रगति पर प्रकाश डालिये ।
 २. राजस्थान में सहकारी आन्दोलन सफल रहा है या असफल । सकारण उत्तर दीजिए ।
-

राजस्थान मे पंचवर्षीय योजना मे सहकारी आन्दोलन (Cooperative Movement in Five Year Plan in Rajasthan)

राजस्थान मे आर्थिक नियोजन के द्वारा आर्थिक दृढता प्राप्त करने के लिये कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य के लिये उचित वातावरण तैयार किया गया। समाजवादी समाज की विचारधारा के आधार पर सहकारिता को उचित प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। पंचवर्षीय योजनाओ मे मरुस्थल प्रान्त राज्य के विकास को नवीन मोड दिया गया है जिसमे सहकारी आधार को पर्याप्त महत्व मिला है। इस काल मे सहकारिता आन्दोलन ने प्रत्येक क्षेत्र मे बहुमुखी प्रगति की है। कुछ समय पूर्व राज्य मे आन्दोलन केवल ऋण सुविधाओ तक ही सीमित था किन्तु अब प्रत्येक क्षेत्र मे व्यापक होता जा रहा है। ऋण के अतिरिक्त सहकारी समितियाँ अपने सदस्यो को सस्ती खाद, उन्नत बीज, कीटाणुनाशक औषधियाँ कृषि उपकरण खाद्य पदार्थ तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ उपलब्ध करा रही है। सहकारिता को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के हर प्रयत्न किये जा रहे हैं। समाज के प्रत्येक क्षेत्र मे समितियाँ स्थान ले रही हैं। राजस्थान मे सहकारी उपभोक्ता भण्डारो ने राज्य मे निरन्तर बढ़ते हुये मूल्यो को रोकने व स्थिरता लाने मे पर्याप्त योग दिया है। विभिन्न प्रयत्नो के फलस्वरूप ३० जून १९६९ को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष के अन्त तक राज्य के ९० प्रतिशत से अधिक गाँव एव ३९ प्रतिशत ग्रामीण परिवार सहकारिता के अन्तगत आ चुके हैं।

राजस्थान मे प्रथम पंचवर्षीय योजना मे कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि राज्य मूल समस्याओ के समाधान मे लगा हुआ था। राज्य मे वास्तविक प्रगति १९५६ से प्रारम्भ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना मे ११% ग्राम और ५% ग्रामीण परिवार सहकारिता के अन्तर्गत लाये गये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे सहकारिता को जनता का आन्दोलन घोषित किया गया। इस काल मे आन्दोलन को तेज गति से बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। फलस्वरूप द्वितीय योजना मे

१५ प्रतिशत गाँव तथा २६ प्रतिशत ग्रामीण परिवार सहकारिता के क्षेत्र में लाये गये। तृतीय योजना में सभी ग्राम तथा ६७ प्रतिशत ग्रामीण परिवार सहकारिता में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया किन्तु विभिन्न समस्याओं के कारण इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

योजनाओं की उपलब्धियाँ

पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी विकास के लिये प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में क्रमशः २७.७७ लाख, १९३.६९ लाख २४२.९१ लाख रुपये व्यय किये गये। तृतीय योजना के पश्चात् वार्षिक योजनाओं में भी पर्याप्त मात्रा में धन व्यय किया गया। वर्ष १९६६-६७, १९६७-६८ में क्रमशः ३१.१९ एवं २१.४२ लाख रुपये व्यय किये गये।^१ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के विकास पर ५.४३ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।^२

सहकारी विकास के लिये किये गये विभिन्न प्रयत्नों के फल स्वरूप सहकारी समितियों की संख्या जो वर्ष १९५०-५१ में ३५९० थी बढ़ कर वर्ष १९६५-६६ के अन्त में २२५८० हो गयी। सदस्यता में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। वर्ष १९५०-५१ में समितियों की सदस्यता १४५२९० थी जो कि वर्ष १९६५-६६ के अन्त में बढ़कर १४९२३११ हो गयी।

प्रथम तीन योजनाओं में प्रगति

वर्ष	समितियों की संख्या	सदस्यता संख्या	अंश पूंजी	कार्यशील पूंजी (लाख रुपये)
१९५१-५२	४९०८	१९८५६७	५१.९	३४५
१९५५-५६	८०७७	२७४७१८	९८	६३५
१९६०-६१	१८३०९	९६७९२८	६२०	३२५१
१९६५-६६	२२५८०	१४९२३११	११४०	५७००

(Sources—Fact Sheets on Rajasthan and Progress Report 1966-67, Govt. of Rajasthan.)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है। समितियों की संख्या, सदस्यता, अंश पूंजी तथा कार्यशील पूंजी में वृद्धि हुई है। सहकारी वर्ष १९६८-६९ के अन्त तक राज्य में सब प्रकार की कुल २००३० समितियाँ थी जो कि पिछले वर्ष से कम थी। सदस्यता में वृद्धि हुई है। ३० जून १९६९ को सब प्रकार की समितियों की

१. वार्षिक योजना प्रगति प्रतिवेदन १९६७-६८, पृष्ठ २२७

२. प्रगति विवरण, १९६९-७०, सहकारी विभाग, राजस्थान सरकार पृष्ठ ८.

कुल सदस्यता १७४७६६९ से बढ़कर १८३२९७२ हो गयी तथा अश पूंजी १४४८ ७३ लाख रुपये में बढ़कर १७०२.६५ लाख रुपये हो गयी। कायशील पूंजी ७४७६ ९४ लाख रुपये से बढ़कर १००९४.०४ लाख रुपये हो गयी।

सहकारी साख (Co-operative Credit)

राजस्थान कृषक सदस्यों की अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक कायशील है। तृतीय योजना के अन्त में इस बैंक की सदस्यता १२२ तथा अश पूंजी १४३.०१ लाख रुपये थी। राज्य में जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक काय कर रहे हैं और ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक साख समितियाँ काय कर रही हैं। प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि साख समितियों की पर्याप्त प्रगति हुई है जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया जा रहा है।

कृषि साख समितियाँ

मद	इकाई	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६
१ संख्या (समितियाँ)	सख्या	१७०४	४८१२	१०९१३	१२७०२
२. सदस्यता	(०००)	३३	१३२	६७३	१०१५
३ अश पूंजी	लाख रुपये	६	२४	१९४	३४१.०८
४. कायशील पूंजी	"	३२	१३२	८८८	१५१८.९३

(Sources—A Pocket Guide containing important Statistics relating to Co-operative Movement in Rajasthan, March 1966 and Progress Report 1967-68, Co-operative Deptt Govt. of Raj)

प्रथम पंचवर्षीय योजनावधि में अल्प एवं मध्यकालीन ऋण ८५.४६ लाख रुपये के प्रदान किये गये। द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष १९६०-६१ के अन्त में अल्प एवं मध्यकालीन ऋणों की राशि ५६५.२३ लाख रुपये हो गयी। ३० जून, १९६६ को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष में इन समितियों ने ८ करोड़ रुपये सदस्यों में ऋण के रूप में वितरित किये। इस समय अवधिपार ऋण कुल ऋण का ४६.६ प्रतिशत था। ३० जून १९६९ को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष के अन्त में कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों की संख्या घट कर ९६९१ हो गयी जबकि इसके पिछले वर्ष के अन्त में ११४६० समितियाँ थीं। ३० जून, १९६९ को कृषि ऋणदात्री समितियों की कुल सदस्यता पिछले वर्ष के ११.२१ लाख से बढ़कर ११.८० लाख तथा अश पूंजी ४१५.९१ लाख रुपये से बढ़कर ५०४.८४ लाख रुपये हो गयी। वर्ष १९६८-६९ में इन समितियों की अमानतें तथा कायशील पूंजी क्रमशः ११७.७९

सात्र तथा २४९३.६७ लाख रुपये हो गयी । इन समितियों द्वारा वर्ष १९६८-६९ में ९.०४ करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये जो वर्ष १९६९-७० में बढ़कर १४.५६ करोड़ रुपये हो गये । पिछले वर्ष अवधिपार ऋण ४३.७ प्रतिशत था जो कि वर्ष १९६८-६९ में घट कर ३१ प्रतिशत रह गया ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (१९६९-७०) में अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण वितरण का लक्ष्य १६ करोड़ रुपये रखा गया है । वर्ष १९७०-७१ में १८ करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । १९७०-७१ में १८ करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वर्ष १९७३-७४ वर्ष में ३० करोड़ रुपये ऋण वितरित किया जायेगा ।

राज्य सहकारी बैंक अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंको के माध्यम में प्रदान करता है । वर्ष १९६८-६९ के अन्त में राज्य की दीर्घ बैंक की सदस्यता १२९ थी तथा उसकी अक्ष पूंजी १८२.४८ लाख रुपये थी । सहकारी वर्ष १९६९ के अन्त में सदस्य बैंको की ओर १५००.५४ लाख रुपये बकाया था जिसमें से ३५.५० लाख रुपये अवधिपार थे । कुल बकाया ऋण का यह अवधिपार ऋण लगभग २.४ प्रतिशत होता है । राज्य में जिला स्तर पर कृषि ऋण के लिये २५ जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्य कर रहे हैं । सहकारी वर्ष १९६९ के अन्त में इन बैंकों की कुल अक्ष राशि ४१४.२८ लाख रुपये थी और सदस्यता १३८६२ थी । इन बैंको ने वर्ष १९६८-६९ (सहकारी वर्ष) में सब प्रकार के १८८९.३० लाख रुपये के ऋण वितरित किये । सदस्य समितियों की तरफ १९१२.१८ लाख रुपये बकाया था जिस में ६३३.४० लाख रुपये अवधिपार थे जो कि कुल बकाया घन राशि का लगभग ३२.६ प्रतिशत था ।

दीर्घकालीन ऋण व्यवस्था के लिये भूमि विकास बैंक स्थापित किये गये हैं । केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक के माध्यम से प्राथमिक भूमि विकास बैंको द्वारा किसानों को दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिये ऋण प्रदान किया जाता है । तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष में प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक ५४ थे और सदस्यता २९०८४ थी । वर्ष १९६६-६७ में समितियों की संख्या घटकर ४४ हो गयी किन्तु सदस्यता बढ़कर ३७१९६ हो गयी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में दीर्घकालीन ऋणों की राशि ५.३९ लाख रुपये थी । वर्ष १९६८-६९ में इन ऋणों की राशि बढ़कर २.५ करोड़ रुपये हो गयी । इस ऋण में से ९२.२० लाख रुपये कुओं के निर्माण, १९.५८ लाख रुपये पुराने कुओं की मरम्मत ७०.६६ लाख रुपये पम्पिंग सैंट लगाने तथा ५३.६६ लाख रुपये ड्रवर्ट्स खरीदने और क्षेत्र राशि मवेशियों के बाड़े बनाने, कृषि यन्त्र खरीदने, भूमि सुधार, फार्म हाउस बनाने तथा पक्की नालियाँ बनाने के लिये दी गयी । राज्य की केन्द्रीय भूमि विकास बैंक की कुल अक्ष पूंजी ६२.९५ लाख रुपये थी जिसमें से ३४.५० लाख रुपये की राशि सरकार की थी । वर्ष के अन्त में इस बैंक की कार्यशील पूंजी ५९६.५६ लाख रुपये थी । यह बैंक प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको के माध्यम से सदस्यों को ऋण पहुँचाता है ।

राज्य में कृषि पुनर्वित्त निगम (एग्रीकल्चर रिफाइनमेंट कोर्पोरेशन) द्वारा दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये एक भू-संरक्षण एवं चार लघु सिंचाई योजनायें स्वीकार हो चुकी है । जिन पर कार्याक्रम भी हो चुका है । उक्त चार लघु

सिंचाई योजनाएँ कोटा जिले में सागोर, भरतपुर जिले में नदवाई, जयपुर जिले में गोविन्दगढ तथा अलवर जिले में कठूमर के लिये है। भू-संरक्षण योजना कोटा से इटावा स्थान के लिये होगी।

सहकारी ऋय विक्रय समितियाँ

राज्य में कृषि साख के अतिरिक्त ऋय-विक्रय में भी सहकारिता का विकास किया गया है। किसानों के सामने साख के अतिरिक्त दूसरी महत्वपूर्ण समस्या कृषि उपजों के विपणन की है। राज्य में विपणन व्यवस्था बहुत खराब थी जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित भाग नहीं मिल पाता था। अतः कृषकों को उचित मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से ऋय-विक्रय समितियों का निर्माण किया गया है।

सहकारी आन्दोलन के आरम्भ में ऋण समितियों का अधिक विकास हुआ था। अतः पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ऋय-विक्रय समितियों की संख्या अधिक नहीं थी। किन्तु पंचवर्षीय योजनाओं में इन समितियों की संख्या, सदस्यता तथा व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में आन्दोलन की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है —

प्राथमिक विपणन समितियाँ

वर्ष	इकाई	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६
१. समितियों	संख्या	१८	४७	१५९	१४६
२. सदस्यता	संख्या	९५५	३४९३	१८४०८	२७९५८
३. अक्ष बूँजी	लाख रुपये	अत्राप्य	३	३३	४५.५६

(Sources (i) A Pocket Guide Containing important Statistics relating to Co-operative Movement in Rajasthan,

(ii) Progress Report 1966-67, Co operative Deptt Rajasthan Govt.)

तृतीय योजना के अंतिम वर्ष राज्य में १४६ प्राथमिक विपणन समितियाँ तथा एक राज्य सहकारी ऋय-विक्रय संघ कार्य कर रहे थे। विपणन समितियों द्वारा ३० जून १९६६ तक समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष में ६४८.२६ लाख रुपये के मूल्य का ऋय तथा ८१३.६८ लाख रुपये का विक्रय किया गया जिसमें से निजी रूप में ५८५.११ लाख रुपये और आड़त पर २२८.५७ लाख रुपये का विक्रय हुआ है। ३० जून १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष के अन्त तक विपणन समितियों द्वारा ९४.८२ लाख रुपये का रासायनिक खाद, ४.२२ लाख रुपये का उन्नत बीज एवं १०.३१ लाख रुपये की अन्य वस्तुओं का वितरण किया गया है। राजस्थान राज्य सहकारी ऋय-विक्रय संघ द्वारा ११६.०४ लाख रुपये का रासायनिक खाद ३.८५ लाख रुपये की अन्य वस्तुओं का वितरण किया। विपणन समितियों द्वारा ३० जून १९६९ को समाप्त होने वाले

सहकारी वर्ष में ७६३'७७ लाख रुपये के मूल्य का क्रय तथा १२३६'६९ लाख रुपये के मूल्य का विक्रय किया गया है। इन समितियों ने वर्ष १९६८-६९ में ३७५'६४ लाख रुपये का रसायनिक खाद, २'०० लाख रुपये का उन्नत बीज, ३'९१ लाख रुपये के कृषि यन्त्र, ३ ८६ लाख रुपये के मूल्य की कोटनाशक औषधियाँ एवं ३'७९ लाख रुपये के मूल्य की अन्य वस्तुओं वितरित की हैं।

माल सँवार (प्रोसेसिंग) समितियाँ तथा अन्य उद्योग

किसानों की उपजों को सँवार कर बेचने से अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। अनेकों अमुविधाओं के कारण किसान स्वयं यह कार्य करने में असमर्थ होते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य में कई प्रकार की माल सँवार समितियाँ गठित की गई हैं। विभिन्न प्रकार की इकाइयों की प्रगति संक्षेप में निम्न प्रकार है —

(१) सहकारी चीनी मिल :

राजस्थान में २२ फरवरी १९७० को कृपको का सहकारी चीनी मिल चालू हो गया है जिसकी लागत लगभग २४० लाख रुपये हैं और १२५० बोरी चीनी दैनिक उत्पादन की क्षमता है। यह राज्य में सबसे बड़ी और आधुनिक चीनी मिल है। किसानों को इस मिल से एक तरफ उत्तम गन्ने के बीज, खाद के लिये ऋण तथा प्राविधिक मार्ग-दर्शन आदि सुविधायें प्राप्त होंगी और दूसरी तरफ गन्ने का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। इस मिल को राजस्थान सरकार ने ३५ लाख रुपया अदा पूँजी के रूप में दिये हैं तथा २ करोड़ रुपये के ऋण के लिये विभिन्न बैंकों व वित्त मस्थाओं से गारन्टी प्रदान की है।

(२) कताई मिल :

राज्य में राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल लि० गुनावपुरा को औद्योगिक साझेदारी प्राप्त हो चुका है। मिल के लिये कृषक सदस्यों से अदा पूँजी संचित की जा रही है। राज्य सरकार ने ९'५० लाख रुपये अदा की राशि प्रदान की है। इस मिल से राजस्थान के कपास उत्पादक तथा बुनकर दोनों को लाभ प्राप्त हो सकेगा।

(३) चावल मिलें :

राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र में ६ चावल मिलों की स्थापना की जा रही है। ये मिलें बारा हनुमानगढ़ उदयपुर, दून्दी, डूंगरपुर तथा वासभावा स्थानों पर लगेंगी। इन मिलों के लिये वर्ष १९६६-६७ में ३ लाख रुपये की राशि अदा पूँजी बजटदान देने के लिये स्वीकार की गयी थी। द्वितीय किस्त ५ २५ लाख रुपये की वर्ष १९६९-७० में स्वीकार हो चुकी है। ये चावल मिलें राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय सभ की देख-रेख में स्थानीय क्रय-विक्रय समितियों द्वारा स्थापित की जा रही हैं। इन मिलों की मशानें आ गयी हैं और वकशाप निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

(४) दाल मिलें :

सहकारिता के क्षेत्र के अन्तर्गत अब तक दो दाल मिलें जयपुर तथा केकड़ी

विपणन समितियों में लगायी जा चुकी हैं। वर्ष १९६८-६९ में इन मिलों ने १०,३२५ क्विन्टल दालें बनाकर बेची।

(५) मूंगफली छीलने का प्लांट :

गगापुरा विपणन सहकारी समिति में एक मूंगफली छीलने का प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट ने वर्ष १९६८-६९ में ३३५५ क्विन्टल मूंगफली छीलने का कार्य किया है।

(६) कृषि औजार बनाने का कारखाना :

कृषि यन्त्र निर्माण के लिये मुमैयूर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड को वर्ष १९६८-६९ में २३, ५९९*०० रुपये की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। यह सहायता प्रथम किस्त, अर्ध पूंजी, ऋण तथा अनुदान के रूप में प्रदान की गयी है। समिति कारखाना बनाने का कार्यवाही कर रही है।

(७) ग्वारगम तथा कंटलफोड प्लांट :

नागौर में ग्वारगम प्लांट और जयपुर में कंटलफोड प्लांट लगाये जा रहे हैं। ग्वारगम प्लांट के लिये मनीनरी का आडर किया जा चुका है तथा कंटलफोड की मनीनरी लग चुकी है। वर्ष १९६९-७० में राज्य में सहकारिता के आधार पर ये प्लांट स्थापित करने के लिये कुल ११ २५ लाख रुपये की आर्थिक सहायता अर्ध पूंजी तथा ऋण के रूप में प्रदान की है। यह सहायता राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि० को दी गयी है।

(८) कीटाणु नाशक औषधियों का कारखाना

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि० जयपुर को पेस्टीसाइड। इन्सेक्टीसाइड प्लांट लगाने के लिये राज्य सरकार ने १९९६००*०० रुपये की आर्थिक सहायता अर्ध पूंजी ऋण व अनुदान के रूप में दी है। यह सहायता वर्ष १९६७-६८ में दी गयी थी।

(९) शीत गोदामों का निर्माण :

वर्ष १९६६-६७ में अलवर तथा जयपुर में शीत भण्डारों के लिए राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि० जयपुर को ११*६० लाख रुपये की सहायता दी है जो कि ऋण के रूप में है। अलवर के शीत भण्डार का निर्माण कार्य हो रहा है तथा जयपुर के शीत भण्डार के कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। कोटा में एक शीत भण्डार स्थापित करने का कार्यक्रम अभी विचाराधीन है जिसको एग्जीक्यूटिव रिफाइनन्स निगम से सहायता प्राप्त होगी।

रिजर्व बैंक ने औद्योगिक समितियों को ऋण प्रदान करने की अपनी नीति में कुछ परिवर्तन किया है। राज्य सरकार की गारन्टी पर अब २२ लघु उद्योगों को ऋण देना स्वीकार किया है। ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से दिया जायेगा।

राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी आन्दोलन

सहकारी उपभोक्ता भण्डार

जनता को उचित मूल्य पर विभिन्न वस्तुओं प्रदान करने के लिये उपभोक्ता भण्डार स्थापित किये गये हैं। राज्य में राज्य के सहकारी आन्दोलन तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपादित योजनाओं के अन्तर्गत इन भण्डारों का विकास किया गया है। प्रथम योजना के आरम्भ में राज्य में कुल प्राथमिक भण्डार ३७२ थे और इनकी सदस्यता ५२२३८ थी। इनकी संख्या तथा सदस्यता में तीन योजनाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तृतीय योजना में थोक उपभोक्ता भण्डारों का विकास प्रारम्भ हुआ। वर्ष १९६२-६३ में ८ थोक भण्डार थे जिनकी सदस्यता ९८ थी। प्राथमिक भण्डारों की प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट है—

प्राथमिक भण्डार

(केन्द्रीय प्रतिपादित योजना को सम्मिलित करते हुए)

विवरण	इकाई	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६४-६५
१. भण्डारों की संख्या	संख्या	३७२	३९३	४०२	६१०
२. सदस्यता	संख्या	५२२३८	३८०२८	४१२०७	८८२५६
३. अन्न पंजी	(०००६०)	११०२	६११	९४७	१९६८
४. कायशील पंजी	"	२०५२	१२८४	१५९५	३९४८
५. क्रय	"	९३८६	२८८	१२८६९	४५८५२
६. विक्रय	"	९६८५	२२२	११३३५	४७०३८

(Source—A Pocket guide containing important statistics relating to cooperative movement in Rajasthan)

वर्ष १९६८-६९ के अन्त में राज्य में काय कर रहे प्राथमिक भण्डारों की संख्या ६४४ थी। केन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत गठित १६० प्राथमिक भण्डारों की सदस्य संख्या वर्ष १९६५-६६ के अन्त तक २७९१३ तथा अन्न पंजी ६७० लाख रुपये थी। इनके द्वारा इस वर्ष ३६३ लाख रुपये का क्रय एवं ३६८ लाख रुपये की विक्री की गयी।

केन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत तृतीय योजना के अन्त तक राज्य के मुख्य मुख्य नगरों में जिनकी आबादी ५०,००० या अधिक थी उनमें १० थोक भण्डार एवं १६० प्राथमिक भण्डारों का गठन किया जा चुका है। इन १० थोक भण्डारों द्वारा वर्ष १९६५-६६ में ४१३ लाख रुपये के माल की खरीद एवं ४१८ लाख रुपये के मान की विक्री की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६६-६७ में १२ अतिरिक्त थोक भण्डारों का गठन किया गया। इस प्रकार राज्य में कुल २२ थोक भण्डारों का गठन हो चुका है। तीन थोक सहकारी भण्डारों ने जयपुर, जोधपुर एवं

अजमेर में सहकारी बाजार भी चालू कर रहे हैं। थोक भण्डारों द्वारा जून ३०, १९६७ को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष में ६६५.१९ लाख रुपये का क्रय एवं ६६१.०९ लाख रुपये का विक्रय किया गया। इस समय इन थोक भण्डारों की सदस्यता ६८५५८, अर्थात् ४२.४५ लाख रुपये तथा कायशील पूंजी ९५.१५ लाख रुपये थी। वर्ष १९६७-६८ के लिए उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के लिए निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए थे—

१. उपभोक्ता सहकारी भण्डार की शाखाओं का गठन	...	१००
२ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में भण्डार का गठन	.	१
३ कालेजों में विश्वविद्यालय भण्डार की शाखाओं का गठन	.	४
४ प्रोसेसिंग इकाइयाँ		३

वर्तमान समय में राजस्थान में २२ थोक भण्डार विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। इनमें से जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर आदि के भण्डारों द्वारा विभागीय भण्डार (सुपर बाजार) भी चलाये जा रहे हैं। इन भण्डारों की सेवा स्थापक बनाने के लिए इनकी ११६ शाखाएँ भी खोली गयी हैं। भण्डारों की शीर्ष स्तर पर एक शीर्ष सस्मा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कार्य कर रही है। वर्ष १९६९-७० में उपभोक्ता थोक भण्डारों की योजना केन्द्रीय प्रकाशित योजना के स्थान पर राज्य क्षेत्र में गयी। वर्ष १९६९-७० में उपभोक्ता भण्डारों की निम्न आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है —

(१) उदयपुर एवं बीकानेर थोक भण्डारों को अतिरिक्त अशदान (५० हजार रुपए प्रत्येक)	..	१००,००० रुपये
(२) विभागीय भण्डार बीकानेर को व्यवस्थापन व्यय		३,००० रुपये
(३) ६ शाखाओं/प्राथमिक भण्डारों को अतिरिक्त अशराशि अशदान (४००० रुपये प्रत्येक)	..	२४,००० रुपये
(४) क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के मध्यम से दैनिक उपभोग की वस्तुओं के वितरण हेतु		२०,७०० रुपये

अन्य प्रकार की सहकारी समितियाँ

(१) हाथ करघा समितियाँ

राजस्थान में बुनकरों की एक शीर्ष समिति है। इस समिति की सदस्यता वर्ष १९६०-६१ में ११८ थी जो कि १९६४-६५ में १३६ हो गयी। इसकी कायशील पूंजी ४३५ हजार रुपये थी जो कि १९६४-६५ में ६६८ हजार रुपये हो गयी। इस शीर्ष समिति को वर्ष १९६६-६७ में ४ लाख रुपये का हानि पूर्ति के लिये अनुदान दिया गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में राज्य में बुनकरों की केन्द्रीय समितियों की भी प्रगति हुई है। वर्ष १९६०-६१ के केन्द्रीय बुनकर समितियों की संख्या ९ थी जिनकी संख्या वर्ष १९६४-६५ में ११ हो गयी। इनकी संख्या में वृद्धि की अपेक्षा सदस्यता में अधिक प्रगति हुई है। वर्ष १९६०-६१ में सदस्यता जहाँ १५७ थी वर्ष १९६४-६५ में ३३७ हो गयी। प्राथमिक बुनकर समितियों की प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है —

प्राथमिक धूनकर समितियाँ

विवरण	इकाई	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६४-६५
१. समितियाँ	सख्या	३०६	५६४	९४१	१०१२
२. सदस्यता	सख्या	१३९३७	१९५४४	२८६३४	३०६४८
३. अक्ष पूंजी	(०००६०)	१६१	२०४	६२७	८८१
४. कार्यशील पूंजी	"	३१८	७७८	४६९२	७००३
५. उत्पादन का मूल्य	"	९३८	५३	४०३८	५७५९
६. विक्रय का मूल्य	"	९४२	४३	४३१९	९१५२

(Source—A Pocket Guide Containing Important Statistics relating to Co-operative Movement in Rajasthan).

इन समितियों के विकास के लिए हाथ कर्पा यंत्रों पर विशेषी की छूट प्रदान की गयी है। अलिल भारतीय हाथ कर्पा बोर्ड के साधारण सिद्धान्त की सहायता योजना २४ के अनुसार हाथ कर्पा समितियों को दो रुपया या इसके ऊपर विक्री पर ५ पैसे प्रति रुपया के हिमाव से छूट की जा सकती है।

(२) गृह निर्माण समितियाँ

राजस्थान में वर्ष १९५०-५१ में १७ गृह निर्माण समितियाँ थी जिनकी सदस्यता एवं अक्ष पूंजी क्रमशः १७८० एवं १५७ हजार रुपये थी। वर्ष १९६०-६१ में समितियों की संख्या १२३ हो गयी। इनकी सदस्यता एवं अक्ष पूंजी क्रमशः ७२९० एवं ४६३ रुपये हो गयी। वर्ष १९६४-६५ में इन समितियों की संख्या २२१ हो गयी और सदस्यता बढ़कर ११३३४ हो गयी। इस समय अक्ष पूंजी एवं कार्यशील पूंजी क्रमशः ११३३ हजार एवं ७५७९ हजार रुपये हो गयी।

(३) श्रम ठेका समितियाँ

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में श्रम ठेका समितियाँ ३७४ थी। उनकी सदस्यता तथा कार्यशील पूंजी क्रमशः १२७७५ एवं ४८५ हजार रुपये थी। इसके पश्चात् चार वर्षों में इन समितियों ने अच्छी प्रगति की वर्ष १९६४-६५ में समितियों की संख्या ९७२ सदस्यता १७५४३ तथा कार्यशील पूंजी १७६३ हजार रुपये हो गयी। जून १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष तक प्रथमिक ठेका समितियों की संख्या घटकर ७२८ हो गयी।

(४) वन श्रम समितियाँ

वन श्रम समितियों की संख्या वर्ष १९६०-६१ में ६५ थी जो कि वर्ष १९६४-६५ में बढ़कर १०६ हो गयी। इनकी सदस्यता ४५१८ से बढ़कर ७९३६ हो

गयी और कार्यशील पूंजी ३३३ हजार रुपये से ५४२ हजार रुपये हो गयी। इन समितियों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति ने निम्न सुझाव दिये हैं —

(i) उदयपुर में चल रहे आदिवासी प्रशिक्षण व शोध केन्द्र में वन श्रमिक सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण दिया जावे।

(ii) राजस्थान वन श्रमिक सघ जो कि वन समितियों की शीर्ष संस्था है, की सिफारिश पर ही वन विभाग द्वारा समितियों को वन खण्ट स्वीकार किये जावें।

(iii) वन श्रमिक समितियों की वन उपज की विक्रय व्यवस्था वन श्रमिक सहकारी सघ द्वारा हो।

(५) मातायात समितियाँ

राजस्थान राज्य में वर्ष १९६०-६१ में ११० मातायात समितियाँ सक्रिय थी जिनकी सदस्यता ३१०२ थी और कार्यशील पूंजी ३०६१ हजार रुपये थी। वर्ष १९६४-६५ में समितियों की संख्या में ३ की वृद्धि हुई किन्तु सदस्यता में कमी हुई। अश पूंजी में भी कमी हुई। कार्यशील पूंजी में न्यूनताधिक वृद्धि हुई। वर्ष १९६६-६७ के अन्त में इन समितियों की संख्या पुन घटकर ११० हो गयी।

उक्त समितियों के अतिरिक्त राज्य में जून १९६७ की गमाप्त होने वाले सहकारी वर्ष के अन्त में ३४०७ औद्योगिक समितियाँ २०९ बाल सहकारी समितियाँ थी।

सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण

राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत शिक्षण तथा प्रशिक्षण व्यवस्था भी की गयी है। वरिष्ठ अधिकारियों, मध्यवर्ती अधिकारियों कनिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनके अतिरिक्त सहकारी कृषि समितियों के व्यवस्थापकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष १९६६-६७ के अन्त तक कुल ५२ सहायक रजिस्ट्रारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जो कुल सहायक रजिस्ट्रारों की संख्या का ७३ प्रतिशत है। वर्ष १९६६-६७ के अन्त तक कुल ४५२ निरीक्षक (कार्यकारी) तथा ३१० निरीक्षक (अक) को प्रशिक्षण दिया जा चुका है जो कि क्रमश कुल संख्या का ६४ तथा ६३ प्रतिशत है। वर्ष १९६७-६८ में ६ सहायक रजिस्ट्रारों ४३ निरीक्षकों (कार्यकारी) तथा १८ निरीक्षकों (अकेक्षण) को प्रशिक्षण दिया गया।

कनिष्ठ श्रेणी में विभागीय सहायक निरीक्षकों, प्राथमिक समितियों के व्यवस्थापकों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों विपणन समितियों के निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों तथा औद्योगिक समितियों के व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। प्रशिक्षण व्यवस्था के लिये इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिये राज्य में ३ प्रशिक्षणालय जयपुर, जोधपुर तथा भरतपुर में कार्य कर रहे हैं। इन तीनों प्रशिक्षणालयों की क्षमता क्रमश २४०, १६० तथा ३६० है। वर्ष १९६७-६८ में

राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी आन्दोलन

जयपुर प्रशिक्षणालय में १५१, जोधपुर में ७१ व भरतपुर में २५० व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

राजस्थान में स्पेशल कोर्स भी चालू किये गये हैं। ये सहकारी ऋण-विक्रय कोर्स, सहकारी भूमि बन्धक बैंक कोर्स, सहकारी औद्योगिक कोर्स तथा सहकारी अन्वेषण कोर्स हैं।

सहकारी अन्वेषण की नयी योजना

राजस्थान के सहकारी विभाग में पहले निरीक्षक (अन्वेषण) व निरीक्षक (कार्यकारी) दोनों ही सहायक रजिस्ट्रार के नियन्त्रण में कार्य करते थे किन्तु अब अन्वेषण शाखा अलग कर दी गयी है। इस नयी योजना के अन्तर्गत आठ विशेष खण्ड बना दिये गये हैं। ये खण्ड जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, पाली, भरतपुर आदि हैं। वर्ष १९६७-६८ में शीप सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक में काननरेन्ट आडिटर की भी नियुक्ति की गयी है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान में सहकारी विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनेको प्रयत्न किये गये हैं। इनके फलस्वरूप ३० जून १९६९ को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष के अन्त तक राज्य के ९० प्रतिशत से अधिक गाँव तथा ३९ प्रतिशत ग्रामीण परिवार सहकारिता के अन्तर्गत आ चुके हैं। इतना होते हुये भी राज्य में सहकारी आन्दोलन की प्रगति धीमी रही। इसके अनेक कारण हैं। प्रथम योजना में तो राजस्थान में मूल समस्याओं को सुलभाने के प्रयत्न किये गये थे। इस क्षेत्र में वास्तविक प्रगति द्वितीय योजना से प्रारम्भ हुई। राजस्थान के पश्चिमी भागों में निरन्तर अकाल की स्थिति रहने के कारण अकाल राहत कार्यक्रमों पर अधिक व्यय करना पड़ता है अतः अन्य क्षेत्रों में विकास तेज गति से नहीं हो पाता है।

राजस्थान के सहकारी आन्दोलन में नवीन प्रवृत्तियाँ

(१) समितियों की संख्या तथा सदस्यता

राज्य के सहकारी आन्दोलन में सभी प्रकार की समितियों की संख्या तथा सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष १९५१-५२ में सभी प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या तथा सदस्यता क्रमशः ४९०८ तथा १९८५६७ थी जो कि सहकारी वर्ष १९६८-६९ के अन्त में क्रमशः २००३० तथा १८३२९७२ हो गयी। इस प्रकार समितियों की संख्या तथा सदस्यता में बहुत वृद्धि हुई।

(२) अश पूंजी एवं कार्यशील पूंजी में वृद्धि

सहकारी समितियों की संख्या तथा सदस्यता में वृद्धि का प्रभाव अश पूंजी पर पड़ता है और अश पूंजी का प्रभाव कार्यशील पूंजी पर पड़ता है। सभी प्रकार की सहकारी समितियों की अश पूंजी तथा कार्यशील पूंजी वर्ष १९५१-५२ में क्रमशः ५१९ लाख तथा ३४५ लाख रुपये थी जो कि वर्ष १९६५-६६ में बढ़ कर ११४० लाख रुपये तथा ५७०० लाख रुपये हो गयी। ३० जून १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष के अन्त तक सभी प्रकार की सहकारी समितियों की अश पूंजी १७०२.६५ लाख रुपये तथा कार्यशील पूंजी १००९४.०४ लाख रुपये हो गयी।

(३) सहकारी साख के साथ गैर साख के क्षेत्र में प्रगति

नियोजित आर्थिक विकास से पूर्व राज्य में सहकारी आन्दोलन बहुत असतुलित था। पहले केवल साख समितियों की अधिक प्रगति की गयी। राजस्थान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से गैर साख के क्षेत्र में भी प्रगति के प्रयत्न किये हैं। द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में और आगे के वर्षों में विपणन समितियों गृह निर्माण समितियाँ, मान सवारा तथा औद्योगिक समितियों के विकास में अच्छी प्रगति हुई है। सहकारी भण्डारों का विकास भी तेज गति से हो रहा है।

(४) समितियों का दृढ़ीकरण :

राज्य के सहकारी आन्दोलन में कमजोर समितियों की संख्या अधिक होने के कारण विकास में कठिनाई उत्पन्न हो गयी। इसकी जाँच करने के प्रयत्न किये गये। वर्ष १९६५ में राज्य की १२४५७ प्राथमिक कृषि ऋण दानी सहकारी समितियों का सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण में आर्थिक दृष्टि से निष्क्रिय तथा कमजोर समितियों को सुदृढ़ एवं सक्षम इकाई बनाने का कार्यक्रम वर्ष १९६७-६८ से प्रारम्भ कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ७१०२ सक्षम समितियाँ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सक्षम बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष १९६७-६८ में ६५९ एवं वर्ष १९६८-६९ में ७०० समितियों का पुनर्गठन किया जा चुका है।

(५) सहकारी आन्दोलन में राज्य सरकार की अधिक रूचि

पंचवर्षीय योजनाओं में विकास काय क्रमों में ग्रामीण आर्थिक विकास का आधार सहकारी संगठन माना गया है। केन्द्रीय सरकार तथा सभी राज्य सरकारों ने इस विचारधारा को मान्यता दी और इसी के आधार पर उन्नति के प्रयत्न किये। राज्य सरकार ने सहकारिता आन्दोलन के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त सहायता की है। विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों में अल्पसूत्रीय असाहायता प्रदान किया है। ऋण तथा अनुदान भी दिये गये हैं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर अनेक समितियों को विभिन्न सुविधायें प्रदान की हैं। राज्य सरकार ने प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता के विकास के लिये क्रमशः २५ ७७, लाख, १९३ ६९ २४२ ९१ लाख रुपये व्यय किये हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सहकारिता विकास पर ५०४३ करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है। चतुर्थ योजना में राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की समितियों के दृढ़ीकरण, गोदाम निर्माण आदि में पर्याप्त सहायता प्रदान करेगी।

(६) सहकारी नीति में उचित परिवर्तन :

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने सहकारी नीति में परिवर्तन किया। सन् १९५८ में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने प्रस्ताव रखा कि सहकारी समितियों का संगठन ग्रामीण समाज की प्रमुख इकाई के रूप में किया जाये। इस समय यह निष्कर्ष लिया गया कि ग्राम स्तर पर सामाजिक तथा आर्थिक विकास का दायित्व सहकारी समितियों तथा ग्राम पंचायतों पर रखा जाये। राजस्थान सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार की इस नीति का अनुकरण किया और सहकारिता के विभिन्न भागों में नवीन नीतियाँ अपनायीं। तृतीय योजना के अन्त में अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन

राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी आन्दोलन

ऋणों में परिवर्तन की व्यवस्था की गयी। ऋण को परिवर्तित करने के लिये कृषि स्थिरता कोष की स्थापना की गयी है।

(७) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का अधिक योगदान

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से पूर्व हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने कृषि साख एवं सहकारिता के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं दिया। किन्तु पंचवर्षीय योजनाओं में इन क्षेत्रों में इस बैंक ने पर्याप्त योगदान दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने कृषि साख के लिये दो स्थाई कोष (i) राष्ट्रीय कृषि साख शेष कालीन कोष, (ii) राष्ट्रीय कृषि साख (रिपरीकरण) कोष, निर्मित किये हैं। इन कोषों से राज्यों के सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों को मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किये जाते हैं। इस व्यवस्था से राजस्थान में भी पर्याप्त सहायता मिली है। रिजर्व बैंक ने उन भागों के किसानों को राहत देने के लिये जहाँ सरकार अकाल घोषित कर दे, सन् १९६५-६६ में एक नयी योजना चालू की। इसके अन्तर्गत अल्प कालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन करने की व्यवस्था की।

(८) सहकारी शिक्षा प्रथा प्रशिक्षण व्यवस्था को व्यापक बनाना

सहकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था वरिष्ठ अधिकारियों, मध्यवर्ती अधिकारियों, कनिष्ठ श्रेणी से अधिकारियों आदि के लिये चालू की गयी है। राज्य में सहकारिता के विकास की गति प्रदान करने के लिये स्पेशल कोर्स भी चालू किये गये हैं। राजस्थान में गैर सरकारी व्यक्तियों को सहकारी शिक्षा प्रदान की जा रही है। पंचवर्षीय योजनाओं से पूर्व राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। राज्य में सहकारी श्रम समितियों के व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण कार्य क्रम भी चालू किया जा चुका है।

(९) औद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता

राजस्थान राज्य में सहकारी चीनी मिल २२ फरवरी १९७० को चालू हो गयी है। राज्य में कताई मिल को औद्योगिक साइसेन्स प्राप्त हो चुका है। सहकारिता के क्षेत्र में ६ चावल मिलें स्थापित की जा रही हैं। इनके अतिरिक्त शाल मिलें तथा अन्य कई कारखानें इस क्षेत्र में लगाये जा रहे हैं।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान के सहकारी आन्दोलन में अनेक नवीन प्रवृत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता में प्रवेश किया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसके क्षेत्र की और अधिक व्यापक करने की व्यवस्था की गयी है। इस आन्दोलन के तेज विकास के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं जिनका विवरण अगले अध्याय में किया गया है आशा है भविष्य में इन बाधाओं को दूर कर दिया जायेगा और सहकारिता आन्दोलन जो कि जनता का आन्दोलन है उसी के लिये हो सकेगा।

प्रश्न

- राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता में क्या प्रगति की है ? क्या यह प्रगति सतोपजनक है।

२. राजस्थान के सहकारिता आन्दोलन की नवीन प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विवरण दीजिये ।
 ३. राजस्थान में 'सहकारी साख' विपणन पर एक नोट लिखिये । विभिन्न सहकारी साख समितियों की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिये ।
 ४. राजस्थान में सहकारी विपणन की क्या स्थिति है । पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी विपणन समितियों की क्या प्रगति रही है ।
 ५. राजस्थान में सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन की प्रगति का विवरण देते हुये बताइये कि इस आन्दोलन को कहाँ तक सफलता मिली है ।
 ६. निम्न लिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये —
 - (i) राजस्थान में सहकारी साख
 - (ii) राजस्थान में सहकारी विपणन समितियाँ
 - (iii) राजस्थान में उपभोक्ता सहकारी समितियाँ
 - (iv) राजस्थान में सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण
 - (v) राजस्थान में हाथ करघा समितियाँ
 - (vi) राजस्थान में माल सवार समितियाँ एवं औद्योगिक सहकारी समितियाँ ।
-

राजस्थान में सहकारी आन्दोलन के विकास में बाधाएँ

राजस्थान में पञ्चवर्षीय योजनाओं में सहकारिता के विकास के अनेक प्रयत्न किये हैं किन्तु अधिक सफलता नहीं मिली है। यह राज्य अन्य कई राज्यों की तुलना में अधिक पिछड़ा हुआ है। दृष्टि उद्योग तथा वाणिज्य के क्षेत्र में यह अब भी बहुत पीछे है। यद्यपि यहाँ के लोग बहुत व्यापार कुशल माने जाते हैं। किन्तु अनेक समस्याओं के कारण इन व्यापारियों ने अन्य राज्यों में जाकर अपनी व्यापार कुशलता का परिचय दिया। राज्य के आर्थिक विकास में इनका कोई विशेष योगदान नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व राज्य अनेक छोटी-छोटी रियासतों में बँटा हुआ था। इनमें सहकारिता के आधार पर विकास के कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये। पञ्चवर्षीय योजनाओं के विकास पर बल दिया गया किन्तु अनेक बाधाओं के कारण पर्याप्त सफलता नहीं मिल पायी। इन बाधाओं का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

१ शिक्षा की कमी :

शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। अधिकांश जनता ग्रामीण भागों में रहती है जहाँ शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है यद्यपि आजकल ग्रामों में स्कूल खुल रहे हैं किन्तु अधिकांश किसान अशिक्षित हैं। शिक्षा के अभाव में किसी भी प्रकार का सत्यागत परिवर्तन करना बहुत कठिन है। व्यक्ति सहकारिता के अर्थ तथा सिद्धान्त को अभी तक नहीं समझ पाते हैं। अधिकतर व्यक्ति इतने रूढ़ीवादी हैं कि वे अपने परम्परागत धर्मों को बदलना नहीं चाहते हैं तथा उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन भी उचित नहीं समझते हैं। किसान अपने खेतों में जन्नी विनियो में कार्य करना अच्छा मानते हैं जो कि उनकी पीढ़ियों से चली जा रही है। राज्य के कई भागों में किसान अभी तक उतरी अवस्था में हैं जिस अवस्था में सैकड़ों वर्ष पूर्व था। राज्य की आम जनता अशिक्षित होने के कारण सहकारी

आन्दोलन के महत्त्व को नहीं समझ सकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन के विकास के लिये जनता का सहयोग आवश्यक है। सहकारी समितियों के कार्य भार को सम्भालने के लिये शिक्षित सचिवों की आवश्यकता पड़ती है। इन कठिनाइयों के कारण आन्दोलन को प्रोत्साहन नहीं मिल पाया।

ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के सदस्य भी अशिक्षित हैं। वे सहकारिता के सिद्धान्त तथा नियमों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारिता को जनता का आन्दोलन घोषित किया गया किन्तु अधिकतर लोग इसे अपनाते ही सँभार भी नहीं हैं। ग्रामों में कुछ ही व्यक्ति थोड़े-बहुत शिक्षित पाये जाते हैं। कुछ व्यक्ति गन्दी राजनीति में फँसे होते हैं जो कि अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए आन्दोलन का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। समितियों के सदस्य तथा ग्रामीण जनता अशिक्षित होने के कारण सहकारी समितियों के कार्य भार में भाग नहीं ले सकी है। जनता आन्दोलन के महत्त्व को न समझने के कारण इसमें विश्वास भी नहीं कर रही है। शिक्षा के अभाव में कुछ प्रभावशाली व्यक्ति आम सदस्यों का शोषण करते हैं। अशिक्षित लोग सहकारिता आन्दोलन को सरकार का आन्दोलन समझते हैं।

(२) सहकारी साख को अधिक महत्त्व

सहकारी आन्दोलन का प्रारम्भ साख से हुआ है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर साख देने पर जोर दिया गया है। यह एक सामान्य अनुभव की बात है कि केवल साख प्रदान करने से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती है। इस सहायता से न तो किसान ऋण मुक्त हो पाते हैं और न ही अधिक उत्पादन में सहयोग मिल पाता है। जब तक किसानों की सभी समस्याएँ नहीं सुलझा दी जाती हैं उनकी उन्नति बहुत कठिन है। किसान जो कुछ भी पँदा करते हैं उसके विपणन की समस्या बहुत जटिल है। राज्य के सहकारी आन्दोलन में विपणन समितियों ने इतनी प्रगति नहीं की है कि अधिकांश ग्रामीण जनता को उनसे लाभ हो पाया हो। फलतः किसान महाजनो तथा व्यापारियों को नीचे मूक्य पर अपनी उपजें प्रदान कर देते हैं जिससे उनको हानि होती है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आधुनिक विधियों का प्रयोग, सिंचाई व्यवस्था, उन्नत बीज, खाद, आधुनिक औजारों की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति अभी तक सहकारी आन्दोलन नहीं कर पाया है अतः जनता आन्दोलन की तरफ अधिक प्रभावित नहीं हो सकी है।

राजस्थान में अधिकांश ऋण चुकाने के लिए ही काम में लिए जाते रहे हैं। यद्यपि आजकल उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण प्रदान किये जा रहे हैं किन्तु वास्तव में ऋणों को जनता उत्पादन कार्यों में नहीं लगा पाती है क्योंकि जनता ऋणग्रस्त है। ऐसी स्थिति में समितियों द्वारा प्रदान किया गया ऋण वापिस लौटाने में बहुत बड़ी कठिनाई होती है यही कारण है कि सदस्यों पर बकाया राशि का प्रतिशत अभी तक ऊँचा है। किसान यदि उत्पादक कार्यों में धन लगाते हैं तो इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है और अपने ऋण को किस्त धापिस कर सकते हैं। किन्तु ऋण को पुराने ऋण चुकाने में लगा देने से किसानों की आय में कोई विशेष अन्तर

नहीं हो पाता है अतः यह समस्या जटिल होती जा रही है। ऐसी स्थिति में समितियों की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है।

प्राथमिक सहकारी साख समितियों के व्यवस्थापक अपने सम्बन्धित तथा दल के सदस्यों को ऋण अधिक प्रदान करते हैं। ऋण दते समय वापिस लौटाने की क्षमता की तरफ ध्यान नहीं देने के कारण बकाया राशि निरन्तर बढ़ती रहती है। राजस्थान में सहकारी साख को सर्वोच्च स्थान मिलने पर भी किसानों की साख सम्बन्धी आवश्यकताएँ अभी तक पूरी नहीं हो पायी हैं। भूमि वगैरह बैंक किसानों की दीर्घकालीन ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल हैं। किसान आবেदन पत्र देने के पश्चात् एक वर्षी अवधि तक भूमि बिकान बैंको में ऋण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अन्त में उनको ग्रामीण महाजनो तथा साहूकारों की गरण में जाना पड़ता है।

(२) वित्तीय कठिनाइयाँ

राज्य के सहकारी आन्दोलन के विकास में वित्तीय कठिनाई सबसे बड़ी बाधा है। अधिकांश समितियाँ आर्थिक दृष्टि में इतनी कमजोर हैं कि उनका धन रहना भी कठिन हो गया है। आर्थिक दृष्टि से निष्क्रिय एवं निबल समितियाँ अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती हैं। समितियों में सदस्यता कम हुई जिसके कारण असा पूँजी का अभाव रहता है। यह प्रायः निश्चित है कि जिन सस्थाओं में निजी निधियाँ कम होती हैं उनमें कायशील पूँजी का अभाव बना रहता है। समितियों का अनाधिक आकार होने के कारण लाभ भी नहीं हो पाता है। निजी निधियों में वृद्धि करने से जना राशि तथा ऋणों की राशि अधिक आकर्षित हो सकती हैं। किन्तु राजस्थान में समितियों की निजी निधियाँ बहुत निम्न हैं जिससे उनकी उधार लेने की क्षमता बहुत कम है।

सहकारी साख समितियों के पास इतना धन नहीं है कि वे अपने सदस्यों की साख सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। किसान तथा अन्य निधन व्यक्ति महाजनो तथा साहूकारों से ऋण लेकर अपना कार्य चलाते हैं। इस स्थिति में सहकारी आन्दोलन का उद्देश्य अतफल रह जाता है। सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति निरन्तर खराब होने का कारण बकाया राशि (अवधिपार) है। राज्य में प्रतिवर्ष किसी न किसी भाग में अकाल की स्थिति रहती है जिससे किसान अपने बल्कालीन ऋणों को लौटाने में असफल हो जाते हैं। अवधिपार राशि बढ़ती रहती है।

सहकारी साख समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियाँ जैसे विपणन समितियाँ, माल सवार समितियाँ, औद्योगिक समितियाँ गृहनिर्माण समितियाँ, श्रमिक ठेका समितियाँ, सहकारी उपभोक्ता भण्डार आदि भी आर्थिक कठिनाइयाँ के शिकार हैं। विपणन समितियों के पास इतना धन नहीं है कि वे भण्डारण की उचित व्यवस्था कर सकें। भण्डार गृह बनाने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है जो कि समितियों के लिये बहुत कठिन कार्य है। माल सवार समितियों तथा औद्योगिक समितियों के लिए भी बड़ी मात्रा में धन राशि चाहिए। सहकारी समितियाँ अपने कार्य को मुक्त रूप से चलाने के लिये राज्य सरकार तथा अन्य ऋण प्रदान करने वाली सस्थाओं की तरफ देखती रहती है। अन्य प्रकार की समितियों के पास भी धनभाव रहता है।

यद्यपि आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, राज्य सरकार तथा अन्य सस्यमें राज्य के सहकारी आन्दोलन को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं किन्तु फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। समितियाँ अपने सदस्यों की समय पर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती हैं तो उनका समितियों के प्रति विश्वास समाप्त हो जाता है। कुछ समितियाँ जो आर्थिक दृष्टि से निष्क्रिय एवं निर्बल हैं उनमें पुनः विश्वास प्राप्त करना बहुत कठिन है। इस समस्या के समाधान के लिये आजकल समितियों के दृढीकरण की तरफ विनय ध्यान दिया जा रहा है।

(४) सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण की कम सुविधाएँ

सहकारिता की सफलता सहकारी सिद्धान्तों को समझने और उनको ईमानदारी से कार्यात्मक रूप में परिणित करने पर निर्भर है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की साधारण शिक्षा जनता को नहीं प्रदान की गयी है। सहकारी सिद्धान्त को अच्छी तरह समझकर प्रयोग में लाया जाये तो सामूहिक भलाई हो सकती है। राज्य में अभी तक सहकारिता विषय की शिक्षा को भी अधिक महत्व नहीं दिया गया है। यद्यपि इस वर्ष वाणिज्य में यह अनिवार्य विषय बन चुका है। इससे सहकारिता के विषय में अधिक जानकारी ही सकेगी।

राज्य में सहकारी प्रशिक्षण की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं रही है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से सहकारी विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। किन्तु सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को उचित प्रशिक्षण अभी तक नहीं मिल पाया है। प्रशिक्षण के अभाव में कमचारियों तथा अधिकारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि नहीं हुई है। ग्रामीण सहकारी समितियों के प्रबन्धक भण्डाल के सदस्यों, समितियों के सचिवों तथा अन्य कमचारियों को प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। राज्य में अभी तक अनुसन्धान कार्यों का अभाव है।

सहकारी साख समितियों के कमचारियों तथा व्यवस्थापकों को सामान्य बैंकिंग नियमों का भी ज्ञान नहीं है। सहकारी विपणन समितियों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को साधारण विक्रय विधियों की जानकारी का अभाव है। उपभोक्ता भण्डारों में व्यापारिक गतिविधियों से परिचित व्यक्ति नहीं हैं क्योंकि भण्डार पर्याप्त मात्रा में वेतन नहीं दे पाते हैं। अन्य प्रकार की समितियों के पास भी प्रशिक्षित स्टाफ का अभाव है। निम्न कार्यकुशलता के कारण सहकारी आन्दोलन तेज गति से विकास नहीं कर पाया है।

(५) अकुशल नेतृत्व

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आन्दोलन की प्रगति के लिये अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पाया। अनेक भागों में साहसी, कर्मठ व्यक्ति, ईमानदार तथा कार्यकुशल नेताओं का अभाव है। समितियों में अनुशल एवं गन्दी राजनीति वाले नेताओं का अधिक प्रभाव पाया जाता है। इससे सहकारिता का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है। साहसी एवं कर्मठ व्यक्तियों के अभाव में समितियाँ कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकती हैं। राज्य में जनता अशिक्षित है अतः उसे उचित मार्ग दर्शन करने के लिये कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है।

ग्रामीण नेता जिनका समितियों में अधिक प्रभाव होता है अपने स्वार्थों की

राजस्थान में सहकारी आन्दोलन के विकास में बाधाएँ

पूति में लगे रहते हैं। अपने दल के व्यक्तियों तथा सम्बन्धियों को सुविधायें दिला देते हैं शेष सदस्य लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। अनेकों बार अनुचित व्यक्तियों को जो कि ऋण लेने के लायक नहीं है, ऋण मिल जाता है। समितियों में सदस्यता प्रदान करते समय दल को आधार माना जाता है चरित्र का कोई विवेक महत्व नहीं है। अतः राज्य में सहकारिता आन्दोलन असफल रहा है।

राजस्थान में सहकारी नेताओं में जनसेवा करने की भावना की कमी है। इस क्षेत्र के नेता न अच्छे शिक्षक हैं और न ही अच्छे प्रवक्ता। ये प्रशिक्षित भी नहीं हैं तथा दूरदर्शिता के गुणों का सर्वथा अभाव पाया जाता है। अच्छे नेताओं के गुणों के अभाव में सहकारिता विवसित नहीं हो पायी है। यह समस्या अधिकांश समितियों के मामले में है।

(६) कुशल प्रबन्धकों का अभाव

राजस्थान में सहकारी समितियों के अधिकांश प्रबन्धक अप्रशिक्षित एवं वक्रुण हैं। आजकल आधुनिक प्रबन्ध अथवा वैज्ञानिक प्रबन्ध का बहुत महत्व है। विश्व में वैज्ञानिक प्रबन्ध एवं सहकारिता का जन्म एक साथ ही हुआ है। सहकारी समितियों में वैज्ञानिक प्रबन्ध अपनाया जाना चाहिये। अधिकांश प्रबन्धक वैज्ञानिक प्रबन्ध के विषय में जानते तक नहीं हैं। जिन सस्थाओं में अच्छे प्रबन्धक होते हैं वे अपने कार्य को अच्छी तरह चला सकती हैं। कुशल प्रबन्धक शीघ्र तथा उचित निर्णय ले लेते हैं। वे दूरदर्शी होते हैं। अतः समितियों का उचित प्रबन्ध कर सकते हैं। कुशल प्रबन्धक तैयार करने के लिये प्रशिक्षण आवश्यक है। सहकारी समितियों के पास कुशल प्रबन्धक न होने के दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम, ये समितियाँ इनको पयापन पारिश्रमिक देने में असमर्थ हैं। अच्छे प्रबन्धकों को निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में अच्छा वेतन मिलता है अतः सहकारिता के क्षेत्र में वे आना पसन्द नहीं करते हैं। दूसरे, सहकारिता में प्रबन्धकों को उचित प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। इसलिये इनकी कार्य कुशलता निम्न होती है। फलतः सहकारी समितियों का प्रबन्ध निबल होता है।

कुशल प्रबन्धकों के अभाव में ऋण समितियाँ ऋण प्रदान करने का उचित निर्णय नहीं ले पाती हैं। कभी-कभी वे ऐसे सदस्यों को ऋण दे बैठती हैं जो कि ऋण वापिस करने में सव्या असमर्थ हैं। अकुशल प्रबन्धक समितियों की विभिन्न गति-विधियों में मग्नत्व स्थापित नहीं कर पाते हैं और न ही भावी विकास की अच्छी योजनाएँ तैयार कर पाते हैं।

अकुशल प्रबन्धकों के कारण विपणन समितियों को हानि हो जाती है। इनको मान के विक्रय के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की विधियों का ज्ञान नहीं होता है। विप्रेय व्यवस्था में बाजार अनुसन्धान तथा पूर्वानुमान का बहुत बड़ा महत्व है। अकुशल प्रबन्धकों के पूर्वानुमान कभी सही नहीं निकलते हैं। बाजार अनुसन्धान के विषय में भी वे अनभिज्ञ होते हैं अतः कोई अच्छे निर्णय नहीं ले पाते हैं। यही स्थिति अन्य प्रकार की समितियों में है। उपनोभता भण्डारों में तो प्रबन्धकों का व्यापार कुशल होना नितान्त आवश्यक है अन्यथा बहुत बड़े नुकसान की आशंका रहती है। औद्योगिक सहकारियों तथा माल सवार समितियों में भी कुशल प्रबन्धकों के बिना कार्य चराना बहुत ही कठिन है।

(७) अकालों की समस्या :

राजस्थान में प्रतिवर्ष राज्य के किसी न किसी भाग में अकाल की स्थिति बनी रहती है। राज्य के पश्चिमी भागों में पिछले वर्षों से निरन्तर अकाल पड़ रहा है। इस स्थिति में सहकारी ऋण समितियों ने जो अल्पकालीन ऋण प्रदान किये हैं उनकी वापसी नहीं हो पायी है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने पिछले वर्षों में उन भागों के किसानों के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने की सहायता दी है जो कि सरकार द्वारा अकाल घोषित क्षेत्र हो। वास्तव में देखा जाये तो यह कोई स्थायी उपचार तो है नहीं। राज्य में जब तक अकाल पहले रहेंगे विभिन्न प्रकार की समितियों की स्थिति अच्छी नहीं हो सकेगी।

राज्य में अकाल का मुख्य कारण अपर्याप्त वर्षा अथवा अनियमित वर्षा है। कृषि वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई के कोई विशेष साधन अनेको भागों में नहीं हैं। अतः जब तक सिंचाई की उन्नति नहीं हो सकेगी तब तक ऋण समितियाँ, विपणन समितियाँ, माल सवार समितियाँ तथा अन्य औद्योगिक समितियाँ सफल नहीं हो सकेंगी।

राज्य सरकार प्रतिवर्ष अकाल राहत के लिये बड़ी मात्रा में धन व्यय करती है। पिछले तीन-चार वर्षों से निरन्तर अकाल राहत में खर्च हो रहा है। इतनीसे सहकारिता के क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में अधिक धन व्यय करना बहुत कठिन है। सरकार को अकाल राहत के लिये युद्ध स्तर पर मुकाबला करना पड़ता है। अतः राज्य की विकास योजनाओं में धन का अभाव हो जाता है।

(८) दलबन्दी तथा पक्षपात को बढ़ावा

राजस्थान के सहकारी आन्दोलन में प्रायः यह देखा गया है कि कुछ स्वार्थी लोग समितियों में अपना प्रभाव अनुचित तरीकों से बढ़ा लेते हैं। इसके कारण उनकी समिति में अच्छा पद प्राप्त हो जाता है। इससे दलबन्दी की वृद्धि होती है। ये नेता लोग अपने दल के लोगों को ऋण शीघ्र स्वीकार कर देते हैं। अन्य व्यक्तियों को समय पर ऋण नहीं मिल पाता है। इस कारण लोगों का विश्वास समितियों पर से उठ जाता है। धीरे-धीरे इन समितियों की स्थिति खराब होने लगती है। कभी दलबन्दी में ऐसे अनुचित व्यक्तियों को ऋण मिल जाता है जो कि वापस नहीं हो पाता है। सहकारी आन्दोलन में यह एक बहुत ही बड़ी व्यावहारिक कठिनाई है।

ग्रामों में राजनीति इतनी गन्दी हो चुकी है कि लोग आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। चाहे तरफ दलबन्दी और जातिवाद का बोलबाला है। इन दोनों बुराइयों पर पक्षपात की बुराई आधारित है। सहकारिता का उद्देश्य इन बुराइयों को समाप्त करके सुखी समाज का निर्माण करना था जबकि स्थिति इसके विपरीत हो चुकी है। स्वयं सहकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार पनप रहा है। समितियों में अल्प गत के सदस्यों के साथ अन्याय तथा उनका शोषण होता है। राज्य के अनेक भागों में आजकल यही स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस बुराई को यथा शीघ्र समाप्त कर देना आवश्यक है।

(९) कठिन प्रतियोगिता

राज्य के कृषि क्षेत्र में ग्रामीण महाजनो का आज भी प्रभुत्व है। किसान

इन्से ऋण लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये महाजन कई प्रकार से समितियों के मार्ग में बाधाएँ उपस्थित करते हैं। समितियों के विभिन्न सदस्यों में ये लोग फूट डाल देते हैं और अपने स्वार्थों की रक्षा करते हैं। महाजन लोग कहीं-कहीं पर अपने पक्ष के व्यक्तियों को समितियों में सदस्य बना देते हैं और समितियों में अपने हितों के आधार-पर कार्य करवा लेते हैं।

कृषि विपणन समितियों को स्थानीय व्यापारियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। समितियाँ अपने सदस्यों का माल स्वयं इकट्ठा कर लेती हैं अतः स्थानीय व्यापारियों की कड़ी समाप्त होने लगती है। ये व्यापारी अपने हितों की रक्षा के लिये कई प्रकार की चाल चलते हैं और समितियों में फूट डालकर दलबन्दी करवा देते हैं। कभी-कभी ये व्यापारी समितियों के व्यवस्थापकों से साँठ-गाँठ कर लेते हैं तथा अपना काम निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ व्यापारी गण किसानों को फमलो के लिये ऋण भी प्रदान करते हैं और उनकी फसल स्वयं खरीद लेते हैं। सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी न होने के कारण ये समितियाँ सदस्यों को पर्याप्त फसलो के ऋण नहीं देती हैं। अतः समितियों को कठिन प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। स्थानीय व्यापारी त्रय-विक्रय कार्यों में इतने बक्ष होने हैं कि उनको हानि नहीं हो पाती है किन्तु समितियों के कर्मचारी तथा प्रबन्धक व्यापार कुशल नहीं होते हैं जिससे समितियों को हानि होने की अधिक सम्भावना रहती है।

अन्य प्रकार की समितियों, जैसे उपभोक्ता भण्डारी, माल सवार समितियों, औद्योगिक समितियों, बुनकरों की समितियों को भी कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। कई-कई समितियाँ तो इस गला काट प्रतियोगिता में समाप्त भी हो जाती हैं।

(१०) उचित समन्वय का अभाव .

राज्य के सहकारी आन्दोलन में उचित समन्वय (co-ordination) का अभाव है। समन्वय मधीय सस्थाओं द्वारा किया जा सकता है। यद्यपि सहकारी साख में प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक समितियाँ हैं, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक है और राज्य स्तर पर शीर्ष सहकारी बैंक है किन्तु फिर भी शीर्ष सम्पाये नीचे को मस्थाओं की गति विधियों में समन्वय स्थापित नहीं कर पायी है। अन्य क्षेत्रों में भी यही स्थिति है।

एक क्षेत्र के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों की समितियों में भी समन्वय नहीं है। उचित समन्वय के अभाव में आन्दोलन का विकास बहुत कठिन है। आन्दोलन को उफलासा के लिये सभी भागों का उचित सहयोग आवश्यक है।

(११) अकेक्षण, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का अभाव :

राज्य के सहकारी आन्दोलन में अकेक्षण, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण का अभाव है। इनके अभाव में समितियों में अनियमिततायें तथा गड़बड़ियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। राज्य की सभी समितियों का समय पर उचित अकेक्षण नहीं हो पाता है। प्रतिवर्ष अनेको समितियाँ अकेक्षण तथा निरीक्षण से मुक्त रह जाती हैं। इनमें समितियों की निवियों का दुरपयोग होता है। राज्य में अनेको समितियाँ हिखाव का उचित लेखा नहीं करती हैं अकेक्षण न होने के कारण व्यवस्थापक गण उरते नहीं

है और अपनी मन मानी चलाते हैं। हाल ही राजस्थान में सरकारी विभाग से अवेक्षण शाखा को अलग किया है और इसको ८ खण्डों में विभक्त कर दिया है। राज्य के विभिन्न भागों की समितियों का अवेक्षण इन आठ खण्डों के आधार पर किया जायेगा। आशा है निकट भविष्य में यह व्यवस्था अच्छी हो जायेगी।

समितियों के सफल संचालन के लिये यह आवश्यक है कि उनके लेखा पुस्तकों की सावधानी पूर्वक तथा निरन्तर जाँच की जावे और उनके सामान्य प्रबंध का समय समय पर परीक्षण किया जाये। पर्यवेक्षक समिति के दोषों को दर्शाते हैं और उन्हें दुरुस्त भी करने में मदद करते हैं। किन्तु राज्य में अभी तक पर्याप्त मात्रा में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

(१२) साख को विपणन के साथ जोड़ने में कम प्रगति .

आजकल हमारे देश में साख को विपणन के साथ जोड़ने पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। इससे ऋण समितियाँ अपने द्वारा दिये गये ऋण को सुविधा पूर्वक वापिस प्राप्त कर लेती हैं। राजस्थान में साख को विपणन के साथ सम्बन्ध करने की तरफ यद्यपि प्रयत्न किये गये हैं किन्तु कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी।

(१३) अन्य :

समितियाँ सदस्यों को या तो दो सदस्यों की व्यक्तिगत सदस्यों की जमानत पर ऋण देती हैं अथवा अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा पर ऋण दिया जाता है। ये दोनों सुविधायें बड़े किसानों को अमानती से मिल जाती हैं किन्तु छोटे एवं भूमिहीन किसानों के पास उचित जमानत का अभाव होता है। अतः यह आन्दोलन केवल बड़े एवं समृद्ध किसानों को ही लाभ पहुँचा पाया है। सहकारी ऋण समितियाँ आजकल केवल उत्पादक कार्यों के लिये ही ऋण प्रदान करती हैं। किसानों को अन्य आवश्यकताओं के लिये महाजनो के पास जाना पड़ता है जिससे सहकारिता का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। इसके लिये उत्पादक ऋणों के साथ साथ अनुत्पादक ऋणों की तरफ भी विचार किया जाना चाहिये। राजस्थान के अनेक भागों में अभी तक यातायात के साधनों का अभाव है। कई ग्रामीण क्षेत्र न तो सड़क से और न ही रेलवे लाइन से शहरों अथवा मण्डियों से मिले हुए हैं। ऐसे भागों में समितियाँ अधिक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती हैं। कृषि विपणन समितियों के सामने सबसे बड़ी समस्या भण्डारण की है।

उपरोक्त समस्याओं के कारण राज्य में सहकारी आन्दोलन उन्नति नहीं कर पाया। जनता का स्वयं का आन्दोलन जनता द्वारा सरकारी आन्दोलन बताया जाता है। अनेक समितियाँ निष्क्रिय हो चुकी हैं। सदस्यों का अपनी समितियों में विश्वास नहीं है। अतः उक्त समस्याओं के समाधान के लिये आवश्यक प्रयत्न करने चाहिये।

आन्दोलन की सफलता के सुझाव

राजस्थान के ग्रामीण समाज के आर्थिक उत्थान के लिये सहकारी आन्दोलन ही एक मात्र सहारा है। इस आन्दोलन को पूर्णतः सफल बनाने के प्रत्येक प्रयत्न किये जाने चाहिये। सहकारिता के क्षेत्र में जो बुराईयाँ अथवा अनियमिततायें आ गयी हैं उन्हें यथा शीघ्र दूर करने के प्रयत्न किये जाने चाहिये। राज्य सरकार ने

वर्तमान समय में आन्दोलन को सक्रिय करने के लिये समितियों के दृढीकरण की योजना चालू की है। इससे कई समस्याओं का समाधान हो सकेगा। राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन के विकास के लिये निम्नलिखित सुझाव महत्त्वपूर्ण हैं —

(१) सहकारी शिक्षा :

सहकारी शिक्षा से तात्पर्य उन सभी कार्यक्रमों से है जिनमें सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों सदस्यों आदि के ज्ञान की वृद्धि की जाये। सहकारिता के मुख्य उद्देश्यों तथा कार्य प्रणाली की जानकारी प्रत्येक सदस्य तक पहुँचानी आवश्यक है। "सहकारी समितियों की सफलता अन्य बातों की अपेक्षा बहुत अग तक संस्था के प्रत्येक सदस्य की निष्ठा पर निर्भर करती है। इसमें व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा समिति के हित की भावना सर्वोपरि होनी चाहिये। मानसिक दृष्टिकोण में यह परि-वर्तन लाने के लिये यह आवश्यक है कि स्कूल व कॉलेज जान वाले विद्यार्थियों के दिमाग में सहकारिता के आदर्शों को बँटाया जाय। एक सबके लिये और सब एक के लिये" सिद्धांत को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना चाहिये। सहकारी शिक्षा निम्न प्रकार से प्रदान की जा सकती है —

- (i) विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या कक्षा चलाना,
- (ii) प्रचार सामग्री का प्रकाशन करना,
- (iii) रेडियो वार्ता फिल्म प्रदर्शन आदि द्वारा प्रचार करना,
- (iv) समितियों की साधारण सभाओं और शैलीनामों के अवसर वा सहकारी शिक्षा देने के काम में उपयोग करना।

(२) सहकारी प्रशिक्षण

सहकारी प्रशिक्षण से तात्पर्य उस कार्यक्रम से है जिसके अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं व सहकारी विभाग के वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण से कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों की कार्य कुशलता में वृद्धि की जाती है। राज्य के सहकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, मध्यवर्ती अधिकारियों तथा कनिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। विभाग के कर्मचारियों को स्पेशल कोर्स के अन्तर्गत भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अति-रिक्त गैर सरकारी व्यक्तियों को सहकारी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। किन्तु राज्य की विभिन्न समितियों के कर्मचारियों, व्यवस्थापकों को अभी तक उचित प्रशिक्षण नहीं मिल पाया है। वास्तव में देखा जाये तो आन्दोलन की सफलता ही इनको प्रशिक्षित करने में है। सहकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था इतनी व्यापक की जाये कि सभी समितियों के वेतन भोगी कर्मचारी तथा प्रबन्धकों को पुराने प्रशिक्षण मिल जाये। सरकार को इस तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

(२) वित्तीय सहायता

राज्य का सहकारी आन्दोलन वित्त सम्बन्धी समस्या से ग्रस्त है अतः सरकार को इस तरफ अधिक ध्यान देना चाहिये। आर्थिक स्थिति में सुधार एक तो समितियों को निजी निधियों को बढ़ा करके किया जा सकता है और दूसरे, सरकार द्वारा ऋण, अनुदान या अदा पूंजी में अक्षयदान प्राप्त करके। जो समितियाँ आर्थिक

दृष्टि से कमजोर हैं और वे अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती हैं उन्हें सरकार अश पूंजी, अनुदान अथवा ऋण के रूप में सहायता प्रदान करे। यद्यपि राज्य सरकार ने इस तरफ प्रयत्न किया है किन्तु आवश्यकता से कम कार्य हुआ है।

राज्य सरकार के अतिरिक्त रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा व्यापारिक बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, सहकारी समितियों को ऋण सहायता प्रदान करें। रिजर्व बैंक जो सहायता प्रदान कर रही है उससे अधिक सहायता प्रदान करें।

राज्य सरकार समितियों के व्यवस्थापकीय व्ययों के लिये अनुदान प्रदान करे। विशेषकर उन समितियों को ऐसी सहायता देनी चाहिये जो कि आर्थिक दृष्टि से अधिक दृढ़ नहीं हैं। उनकी स्थिति ठीक होने पर यह सहायता बन्द भी की जा सकती है। कृषि विपणन समितियों के पास इतना धन नहीं होता है कि वे अपने निजी गोदाम बना सकें। इसके लिये सरकार गोदाम बनाने के लिये ऋण अथवा अनुदान प्रदान करे।

राज्य सरकार ऋण समितियों, विशेषकर केन्द्रीय भूमि विकास बैंक में अधिक सहायता प्रदान करे। इस बैंक से अधिक ऋण-पत्र खरीदकर अथवा सरकार भागीदार बन कर सहायता प्रदान कर सकती है जिससे किसानों की दीघकालीन ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। दीघकालीन ऋणों की पूर्ति के लिये राज्य में कृषि पुनर्वित्त निगम भी प्रयत्नशील है। यह निगम राज्य में चार लघु सिचाई योजनाओं में ९० प्रतिशत तक ऋण प्रदान करने के लिये केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक के ऋण पत्रों में धन लगायेगा। निगम को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिये अधिक ऋण पत्र खरीदने चाहियें।

(४) समितियों का दृढीकरण :

जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है कि राजस्थान में कमजोर समितियों की संख्या अधिक है। कुछ समितियाँ अपना कार्य भी अच्छी तरह से नहीं चला पा रही हैं। इस समस्या के समाधान का एक मात्र उपाय समितियों को सुदृढ़ बनाना है। राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में समितियों के दृढीकरण की योजना चाखू की है। इस योजना के अन्तर्गत ऋण समितियों को सम्मिलित किया गया है। किन्तु अन्य प्रकार की समितियाँ भी सुदृढ़ नहीं हैं। अतः भविष्य में सभी प्रकार की समितियों को सुदृढ़ बनाया जाये। समितियों के दृढीकरण का कार्य जितना शीघ्र हो सके पूरा कर देना चाहिये ताकि आन्दोलन को नयी दिशा तथा शक्ति प्रदान हो सके। भविष्य में नयी समितियाँ केवल उन्हीं भागों में स्थापित की जाये जिन भागों में समितियाँ नहीं हैं अन्यथा वर्तमान समितियों के कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाया जाय।

समितियों के दृढीकरण के अन्तर्गत समितियों की संख्या कम हो सकती है किन्तु उनकी कुल सदस्यता, अश पूंजी, कार्यशील पूंजी आदि में वृद्धि हो जाती है। सदस्यता में वृद्धि हो जाने से अश पूंजी में वृद्धि हो जाती है। अश पूंजी के साथ साथ रक्षित कोष आदि भी बढ़ते हैं। इस प्रकार निजी पूंजी अधिक हो जाती है। जिन समितियों की निजी पूंजी अधिक होती है उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ मानी जाती है अतः

राजस्थान में सहकारी आन्दोलन के विकास में बाधाएँ

उनको अधिक ऋण प्राप्त हो जाते हैं और जमा भी अधिक एकत्र हो जाते हैं। फलतः कार्यशील पूँजी में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है।

(५) आन्दोलन को व्यापक बनाना :

सम्पूर्ण देश की भाँति राजस्थान में भी सहकारी राख की तरफ अधिक प्रयत्न किये गये हैं। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये सहकारिता को सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाओं में प्रविष्ट कराना चाहिये। किसानों की ऋणप्रसूता के अतिरिक्त कई समस्याएँ हैं। इनमें से महत्त्वपूर्ण विपणन की है। विपणन समितियों का इतना विकास किया जाना आवश्यक है कि किसान महाजनों एवं स्थानीय व्यापारियों के पक्ष से मुक्त हो जायें। राज्य में लघु उद्योगों के विकास में तथा हाथ करघा उद्योग की उन्नति के लिये सहकारी समितियों का अधिक सहारा देना चाहिये। वर्तमान समितियों को सशक्त बनाया जाये।

(६) समन्वय स्थापित करना :

सहकारी आन्दोलन के तेज गति से विकास के लिये विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय की आवश्यकता है एक ही क्षेत्र की विभिन्न स्तरों की समितियों में उपरी सस्थाएँ समन्वय कार्य की तरफ अधिक ध्यान देवें। उदाहरणतः जिला स्तर पर प्राथमिक बैंकों में केन्द्रीय सहकारी बैंक समन्वय स्थापित करें। सभी जिलों की केन्द्रीय बैंकों में शीर्ष बैंक समन्वय स्थापित करें। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में सघीय सस्थाएँ समन्वय कार्य की तरफ पर्याप्त ध्यान देवें ताकि उन्नति तेज गति से हो सके।

(७) अन्वेषण, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की व्यवस्था

सहकारी अन्वेषण में इस बात की छानबीन भी सम्मिलित की जानी चाहिये कि सहकारी समिति के कार्य कलाप सहकारी सिद्धान्तों का कहीं तक पालन कर रहे हैं तथा समिति के लाभ निर्बल अथवा छोटे सदस्यों को कहीं तक मिल पाये हैं। "अन्वेषण व्यवस्था को दृढ़ बनाना चाहिये तथा भारी कारोबार वाली समस्त बड़ी-बड़ी सस्थाओं में समदर्ती (Concurrent) अन्वेषण की व्यवस्था होनी चाहिये। अन्वेषण के लिये लेखे तैयार करने की विधियाँ नियमित की जानी चाहिये तथा इसकी अवज्ञा के लिये प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों को उत्तरदायी होना चाहिये।"

राज्य में सघीय सहकारी सस्थाओं को प्राथमिक समितियों की गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिये अधिकारिक उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहिये। पर्यवेक्षण के लिये पर्याप्त कर्मचारियों के वेतन के लिये सरकार को व्यवस्था करना चाहिये। अन्वेषण एवं पर्यवेक्षण की उचित व्यवस्था होने से जो अनियमितताएँ रहती हैं तथा पक्षपात होते हैं उनमें कमी हो सकेगी।

(८) मगडारण की उचित व्यवस्था -

सहकारी विपणन समितियों तथा माल संचार समितियों के पास केवल अनाज ही होता है। इसके अतिरिक्त थोड़ी मात्रा में जमा और ऋण की राशि होती है। धनाभाव में ये समितियाँ गोदामों के निर्माण पर बड़ी मात्रा में धन व्यय नहीं सकती

है। इसके लिये सरकार को चाहिये कि विभिन्न स्थानों पर भण्डारगृहों का निर्माण करे जिससे इन समितियों को माल सुरक्षित रखने की सुविधा प्राप्त हो सके। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय सघ लि० जयपुर को वर्ष १९६६-६७ में अलवर तथा जयपुर में शीत भण्डार चलाने के लिये ११ ६० लाख रुपये आर्थिक सहायता ऋण के रूप में दी गयी थी। जयपुर के शीत भण्डार ने कार्यारम्भ कर दिया है। अलवर के शीत भण्डार का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है इनके अतिरिक्त रासायनिक खाद को सुरक्षित रखने के लिये गोदामों की आवश्यकता है इनका निर्माण शीघ्र होना चाहिये।

(९) कृषि साख को विपणन के साथ सम्बन्ध करना.

कृषि साख के क्षेत्र में अवधिपार बकाया धन का प्रतिशत अधिक है। किसानों को जो ऋण प्रदान किये जाते हैं वे समय पर वापिस नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिये कृषि साख को विपणन के साथ सम्बद्ध किया जाता है। राजस्थान में इस क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं हो पायी है। भविष्य में इस तरफ अधिक ध्यान देना चाहिये ताकि कृषि ऋण की वसूली विपणन समितियों द्वारा की जा सके।

(१०) कुशल प्रबन्धक.

राजस्थान में कई सहकारी समितियों में कमकारी एवं प्रबन्धक अवैतनिक कार्य करते हैं। ये ठाकुर लम्बी अवधि तक निस्वाध सेवा करते रहने पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। अतः कुशल प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिये उचित वेतन व्यवस्था करनी चाहिये। भविष्य में प्रबन्धकों की नियुक्ति करते समय अनुभव, प्रशिक्षण आदि अनेक बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये।

(११) सहकारी ढाँचे को सुदृढ़ बनाना

राज्य के सहकारी आन्दोलन में सहकारिता के सघीय ढाँचे को अधिक सुदृढ़ बनाया जाये। सघीय समितियाँ प्राथमिक समितियों को मांग दर्शन दें, विभिन्न प्रकार की सलाह प्रदान करें तथा आर्थिक सहायता प्रदान करें। सभी प्रकार की समितियों में उचित सघीय ढाँचा तैयार हो जायेगा तो विकास तेज गति से होने लगेगा।

(१२) अन्य

राज्य के सहकारिता आन्दोलन के विकास के लिये निम्नलिखित मुद्दा भी महत्वपूर्ण है

(i) कृषि विपणन समितियों में किसानों को ही प्रवेश देना चाहिये। कृषि उपजों के व्यापारियों को सदस्यता में नहीं लेना चाहिये क्योंकि ये व्यापारी कृषि विपणन समितियों के उद्देश्य को समाप्त कर देते हैं।

(ii) धार्मिक समिति में किसी भी ठेकेदार को सदस्यता नहीं देनी चाहिये। ठेकेदारों को छोड़कर अन्य अधार्मिक व्यक्तियों को सदस्यता में प्रवेश की कुल संख्या के ५ प्रतिशत तक या अधिकतम ५ तक छूट दी जा सकती है।

(iii) यातायात सहकारियों में श्रमिकों, चालकों और यान्त्रिकों तक ही सदस्यता को सीमित रखना चाहिये। जो व्यक्ति स्वयं यातायात का व्यापार कर रहे हों उन्हें सदस्य नहीं बनाना चाहिये। यातायात सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिये।

(iv) उपभोक्ता सहकारी समितियों में उपभोक्ता वस्तुओं के व्यापारियों को सदस्यता में नहीं लेना चाहिये। उपभोक्ता आन्दोलन तथा विपणन आन्दोलन में कड़ा बन्धन होना चाहिये ताकि उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के नियम सयुक्त प्रयत्न किये जा सकें।

(v) औद्योगिक समितियों की सदस्यता कारीगरों श्रमिकों तथा अन्य इस प्रकार के लोग, जो औद्योगिक समिति की निष्ठापूर्वक सेवा करने के इच्छुक हों, तक ही सीमित रखना चाहिये। स्वयं उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों को औद्योगिक समितियों में नहीं लेना चाहिये।

उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखकर यदि विकास किया जायेगा तो निकट भविष्य में आन्दोलन जनता की अनेक समस्याओं के निवारण में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकेगा। इससे निर्धन जनता अपना आर्थिक स्थिति ठीक कर सकेगी। कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हो सकेगी। फलतः राज्य की आय में वृद्धि होगी। आशा है राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आन्दोलन को सशक्त बनाया जायेगा।

प्रश्न

१. राजस्थान में सहकारी आन्दोलन की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ? आन्दोलन की सफलता के लिये सुझाव पेश कीजिये।
२. क्या राजस्थान में सहकारी आन्दोलन सफल रहा है ? यदि नहीं तो इसकी सफलता के लिये आप क्या सुझाव देते हैं ?
३. राजस्थान के सहकारिता आन्दोलन को मुख्य-मुख्य समस्याओं का विवेचन कीजिये। इनके निराकरण के उपाय भी बताइये।
४. राजस्थान के सहकारी आन्दोलन में क्या-क्या कमियाँ हैं ? इन्हें दूर करने के उपाय बताइये।

तृतीय खण्ड

सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास का अर्थ (Definition of Community Development)

सामुदायिक विकास जनता के सर्वांगीण विकास का नया कदम है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में मूलभूत परिवर्तन लाने की नवीन प्रवृत्ति विकसित हुई है। विश्व के अनेक अल्पविकसित राष्ट्रों ने इस कार्यक्रम को अपनाया है। कुछ विद्वानों का विचार है कि सामुदायिक विकास एक पुरानी विचारधारा है किन्तु आवरण नया है। वास्तव में यह बात सत्य भी है। प्रत्येक पुराने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये आधुनिकतम विधियाँ अपनानी उपयुक्त रहती हैं। सामुदायिक विकास भी ग्रामीण दशा सुधारने का एक नवीनतम तरीका है। विश्व के विभिन्न देशों, जैसे दक्षिण-पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका के विभिन्न देशों ने इस आवरण को अपनाया है। कार्यक्रम का नाम विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न है किन्तु वास्तविक अर्थ एक ही है। भारतवर्ष में इस कार्यक्रम का सूत्रपात २ अक्टूबर, सन् १९५२ को किया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के आर्थिक विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण पुनर्संगठन (Rural Reconstruction) को उचित स्थान देना आवश्यक समझा गया। ग्राम्य जीवन को सुखी एवं सम्पन्न बनाने के लिये सामुदायिक विकास योजनाएँ चालू की हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने ग्रामोद्धार के महत्त्व को बहुत पहले ही अनुभव कर लिया था। उनकी विचारधारा को कार्यक्रम में परिणित करने के लिये यह कार्यक्रम उनके जन्म दिन से प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जनता की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा में सुधार करने का सक्लप किया गया। भारत के गाँवों की दशा इतनी गिरी हुई थी कि साधारण से प्रयत्नों से कोई विशेष सुधार करना कठिन था। ग्रामों में अनेकों लोग भूमि होन थे अथवा छोटे-छोटे व्यापार के सेतो बाने थे। बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या थी। जमीनहीन लोग निर्धन थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन स्थान पान का स्तर बहुत

निम्न था। ऐसी स्थिति में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम ग्राम सुधार कार्यक्रमों में सबसे अधिक प्रभावशाली है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर्याप्त आर्थिक साधनों, प्राविधिक ज्ञान, उचित अनुभव तथा ग्रामीण सहयोग की विचारधारा पर आधारित है। ग्रामीण जनता की आत्म-निर्भरता का तरफ यह एक उत्कृष्ट प्रयत्न है। इससे स्वस्थ एवं सम्पन्न समाज का निर्माण हो सकेगा। अपने मावनों को संगठित करके ग्रामीण जनता देश के विकास में अधिक से अधिक भाग ले सकेगी। सरकार आवश्यक सहायता, निर्देशन समय-समय पर देती रहेगी।

सामुदायिक विकास का अर्थ

सामुदायिक विकास ग्रामीण दशा सुधारने की एक नयी विधि है। पिछड़े हुए ग्रामीण समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दशा सुधारने का ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से राजकीय एवं स्थानीय प्रयत्नों में उचित समन्वय स्थापित किया जाता है। ग्रामीण जनता इस कार्यक्रम के द्वारा राष्ट्रीय जीवन से अपना सम्बन्ध स्थापित कर सकती है और देश के विकास में सहयोग प्रदान कर सकती है। 'सामुदायिक विकास एक ऐसा संयुक्त प्रयास है जिससे स्थानीय जनता तथा सरकार मिलकर विकास कार्यों में भाग लेते हैं। स्थानाय प्रयत्नों को इन कार्यक्रमों में अधिक स्थान दिया जाता है और सरकार उचित मार्ग दर्शन एवं सहायता प्रदान करती है। हमारे देश में भी अन्य देशों की भाँति सामुदायिक विकास का आधार स्वेच्छिक है जिसमें सरकार प्रशिक्षण, परामर्श, ऋण एवं आर्थिक सहायता, ओजार आदि की उचित व्यवस्था करती है। ग्रामीण जनता अपने स्थानीय साधन जैसे ग्राम में उपलब्ध सामान, श्रम भूमि तथा प्रबन्ध को व्यवस्था स्वयं करती है। सामुदायिक विकास का अर्थ समझाने के लिये विभिन्न परिभाषायों को देलना आवश्यक है। कुछ परिभाषायें निम्न प्रकार हैं —

इंग्लैण्ड में कैंब्रिज में हुए एक सम्मेलन में सामुदायिक विकास की परिभाषा निम्न प्रकार दी गयी—“सामुदायिक विकास ऐसा आन्दोलन है जिसका उद्देश्य समुदाय की प्रेरणा शक्ति से सम्पूर्ण समाज को उच्चतर जीवन यापन की व्यवस्था करना है। यदि यह प्रेरणा शक्ति समुदाय की तरफ से नहीं आती है तो ऐसी विधियाँ का प्रयोग करके इसे बढ़ावा देना जिससे यह आन्दोलन को सजग बना सके।”

संयुक्त राष्ट्र सत्र के अनुसार, सामुदायिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिलकर, समुदाय के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए, इनकी राष्ट्रीय जीवन में लगाकर तथा उन्हें देश की उन्नति में सहयोग प्रदान करने के लिये प्रयत्न करते हैं।

भलाया में हुए सम्मेलन में सामुदायिक विकास को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया, “सामुदायिक विकास एक ऐसा आन्दोलन है जो समुदाय की प्रेरणा शक्ति और सहयोग से, सम्पूर्ण समुदाय के उच्चतर जीवन के प्रवर्तन के लिए चलाया जाता है।”

श्री वी० टी० कृष्णामाचारी ने सामुदायिक विकास आन्दोलन को जन आन्दोलन बताया है। उनके अनुसार राष्ट्रीय सेवा आन्दोलन व्यक्तियों में एक अच्छे जीवन-यापन तथा यह उनमें अपने ही प्रयत्नों द्वारा एव पढोसियों की सहायता से, जीवन स्तर उन्नत करने की भावना पैदा करेगा।

एक अन्य परिभाषा निम्न प्रकार है—

सामुदायिक विकास सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें समुदाय के व्यक्ति, आयोजन एव कार्य करने, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं को परिभाषित करने, आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये समूह तथा व्यक्तिगत योजनाएँ तैयार करने तथा योजनाओं को कार्यरूप देने और यदि आवश्यकता पड़े तो समुदाय से बाहर की (सरकारी तथा गैर-सरकारी) सहायता प्राप्त करने के लिये अपने आपको संगठित करते हैं।”

सामुदायिक विकास हृद्दिवादी विचार धाराओं को त्यागने की एक विधि है। यह ग्रामीण समुदाय के कल्याण के लिये कुछ निश्चित योजनाओं को कार्यरूप में परिणित करने का कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत व्यक्तियों को अपने साधनों से विकास करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। भारतवर्ष में सन् १९५२ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किये गये वे सघन-विकास क्षेत्रों के रूप में थे। इन पूर्व निश्चित कार्यक्रमों को जनता के सहयोग से सरकार एक समूह के रूप में एक साथ मिलाकर चलाती है।

अतः स्पष्ट है कि सामुदायिक विकास ग्रामीण दशा सुधारने की एक नयी प्रक्रिया है। इसमें राजकीय एव स्थानीय प्रयत्नों से पिछड़े ग्रामीण समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दशा सुधारने के प्रयत्न किये जाते हैं।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषतायें

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की निम्नलिखित प्रमुख विशेषतायें हैं —

(१) सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक संयुक्त प्रयास है जो सरकार तथा स्थानीय व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया जाता है। यह राजकीय सूत्रों और स्थानीय समुदाय में समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। सामुदायिक विकास में स्थानीय प्रयत्न साहस एव साधनों की सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है। किन्तु आवश्यकता पड़ने पर ऐच्छिक आधार पर यह प्रयत्न किया जाता है कि सरकार से उचित परामर्श, मार्ग दर्शन एव सहायता ली जाकर स्वयं समुदाय प्रगति की ओर अग्रसर हो।

(२) सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत व्यापक है। ग्रामीण जनता के जीवन स्तर सुधारने तथा आय बढ़ाने के लिये स्थानीय साधनों का अधिकतम विरोहन करना जिसमें कृषि तथा इससे सम्बन्धित अन्य बातें ग्रामीण उद्योग, शिक्षा, संचार साधन, स्वास्थ्य, गृह व्यवस्था ग्राम कल्याण आदि की उचित प्रगति की जा सके।

(३) इस कार्यक्रम का आधार जनतान्त्रिक है। प्रबन्ध एव संगठन में ग्रामीण जनता का सक्रिय सहयोग होता है। विकास कार्य के प्रशासनिक अधिकार निम्न-

स्तर की संस्थाओं को सुपुर्ण कर दिये जाते हैं। ये संस्थायें ग्राम स्तर पर पचायत, प्रखण्ड स्तर पर पचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् हैं। इस जन-तान्त्रिक आधार के अन्तर्गत कार्यक्रम के नियोजन तथा संचालन का दायित्व जन प्रतिनिधियों के हाथ में होता है। सरकार का सम्बन्ध तो केवल परामर्श, देख-रेख तथा उच्च स्तरीय नियोजन तक है।

(४) सामुदायिक विकास कार्यक्रम में पचायत सहकारी समिति, पाठशाला, आदि तीन संस्थाओं का उल्लेखनीय योगदान है। पचायत, ग्राम स्तर पर विकास कार्यों को संचालित करता है। सहकारी समिति आर्थिक मामलों को हाथ में लेती है और पाठशाला सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन करती है। तीनों प्रकार की संस्थायें इस कार्यक्रम का आधार हैं।

(५) सामुदायिक विकास में ग्रामीण स्तर पर ग्राम सेवक (V. L. W) होता है और खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी होता है। ये दोनों सामुदायिक विकास कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनकी कार्यकुशलता पर पूर्ण योजना आधारित होती है।

(६) सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहले तीन सोपान का था—राष्ट्रीय प्रसार सेवा, सघन (सामुदायिक विकास) तथा सघनोत्तर। किन्तु अप्रैल १९५८ के पश्चात् श्री बलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर अब कार्यक्रम दो चरणों में पूरा किया जाता है। पहले जब तीन सोपानों के अन्तर्गत कार्यक्रम चलता था तब पहला सोपान तीन वर्ष का था जिसमें चार लाख रुपये का बजट था। दूसरा भी तीन वर्ष का था जिसका खर्चा ८ लाख रुपये था और तृतीय सोपान में प्रत्येक वर्ष सिर्फ़ तोस हज़ार रुपये ही व्यय किये जा सकते थे। किन्तु बाद में दो सोपानों में प्रथम पांच वर्ष का जिसमें बारह लाख रुपये रहते हैं और दूसरा भी पांच वर्ष का होता है जिसमें पाँच लाख रुपये व्यय किये जाते हैं।

(७) सामुदायिक विकास में समुदाय की पूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नियोजित कार्यक्रम के आधार पर विकास किया जाता है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता की आवश्यक दशायें

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विकास के लिये मुख्य-मुख्य सिद्धान्त निम्न लिखित हैं—

(१) ग्रामीण जनता के सघनों से विकास :

सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्रामीण जनता की क्षमता पर विश्वास किया जाना आवश्यक है। अल्प विकसित राष्ट्रों में इस बात का महत्त्व और भी अधिक हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास इनकी जनता के सघनों द्वारा किया जाना चाहिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस विश्वास पर आधारित है कि ग्रामीण जनता में उच्चतर जीवन प्राप्त करने की अपार शक्ति है यदि सरकार उचित परामर्श, निर्देशन एवं सहयोग प्रदान करती है। ग्रामीण व्यक्ति, समुदाय के जीवन को स्वयं बना सकते हैं। खाद्य संकट जैसी विकट समस्या के समाधान का एक मात्र उपाय ग्रामीण जनता की क्षमता पर निर्भर है। इस समुदाय की क्षमता को काम में लाने

सामुदायिक विकास का अर्थ

के लिए सरकार उचित वातावरण तैयार कर सकता है किन्तु वास्तव में विश्वास करने की उत्सुकता एवं भावना जनता के दिलों दिमाग से आनी चाहिये। ग्रामीण क्षमता के विकास में कई कठिनाइयाँ हैं जैसे अशिक्षा निघनता अस्वस्थता आदि। सामुदायिक विकास उन सभी समस्याओं का समाधान करके ग्रामीण क्षमता का उचित उपयोग करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। ग्रामीण जनता की काय शक्ति को बढ़ाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन नितान्त आवश्यक है। इससे जनता विकास करने की प्रेरणा ले सकती है। व्यक्ति अपने साधनों से तथा अपने प्रयत्नों से आगे बढ़ने को उत्सुक होते हैं सहकारिता के आधार पर विकास करने की भावना जाग्रत होती है जिससे पूरा समुदाय का विकास हो सके। अतः ग्रामीण जनता की काय शक्ति में अधिक विश्वास करके ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफलता से चल सकते हैं।

(२) जन सहयोग (People's Participation)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम जनता का आन्दोलन है। ग्रामीण समुदाय के विकास में जन सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। जनता अपनी प्रगति के लिये विकास कार्यक्रमों में पर्याप्त भाग लेकर ही आगे बढ़ सकती है। व्यक्ति अपने सम्मिलित साधनों एवं प्रयत्नों से अपनी क्षमता एवं आत्म निर्भरता का विकास कर सकते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में केवल सरकारी सहायता की स्वीकृति से काय नहीं चल सकता है। इनकी सफलता समुदाय को लाखों व्यक्तियों के दिलों के सहयोग पर निर्भर है। अपने स्वयं के सुधार एवं विकास के लिए व्यक्ति कार्यक्रमों का संचालन स्वयं करें तभी विकास सम्भव है। सरकार तो इन कार्यक्रमों में एक आवेदक के रूप में है। यह आन्दोलन अच्छे जीवन स्तर को बनाने के लिये आकांक्षा उत्पन्न कर सकता है।

योजनाओं के विभिन्न स्तरों पर विशेषतः सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में जन सहयोग एक आधार है। इन कार्यक्रमों में जन सहयोग के अनेक पहलू हो सकते हैं। प्रथम, ग्रामीण समस्याओं गैर-सरकारी संस्थाओं, विशेषकर ग्राम पंचायतों के—द्वारा जन सहयोग का उचित विदोहन हो सकता है। द्वितीय, सामुदायिक विकास कार्यों के लिए सहकारी सहायता स्थानीय साधनों को बढ़ाने के लिये हो सकती है। तृतीय, जनता स्वयं अपने धर्म, धन तथा सामग्री से आन्दोलन को सकल बनाये। चतुर्थ, विकास में जनता नवीन पद्धतियों को अपनाये। पंचम, स्थानीय उपक्रम तथा उचित नेतृत्व का विकास करके आन्दोलन को गति प्रदान की जाये। अन्तिम जनता की रुढ़िवादी विचारधारा में परिवर्तन आये जिससे भविष्य के लिए भी आशाओं का जन्म हो।

श्री बलवन्त राय मेहता समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में जन सहयोग के अर्थ को व्यापक बतलाया। समिति के अनुसार जन सहयोग का आशय केवल यही नहीं है कि लोग कार्यक्रम में व्ययों का कुछ भाग तकदी अदा कर दें अथवा धारी-रिक धर्म के रूप में प्रदान करें बल्कि उन्हें यह जानकारी हो कि आन्दोलन उनका है सरकार तो केवल उनकी सहायता के लिए प्रयत्नशील है। केवल विशेषज्ञों, अधिकारियों आदि की सेवाओं से सफलता प्राप्त करना कठिन है। "जनता का उत्साह

एव दिल से सहयोग सामुदायिक विकास के नाटक में मूल तत्व है।¹ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तभी सम्भव है जबकि वहाँ की जनता यह अनुभव करे कि देश के प्रबन्ध के लिये वह स्वयं उत्तरदायी है। अतः सामुदायिक विकास में जन सहयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्व है।

(३) लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण :

सामुदायिक विकास में लोकतन्त्र में विश्वास करना आवश्यक है। भारतवर्ष में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को सन् १९५७ के पश्चात् श्री बलवतराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर अपनाया गया। इसके अंतर्गत विकास कार्यों के प्रशासनिक अधिकार ऐसी संस्थाओं को सौंपा जाता है जिसमें जनता के प्रतिनिधि हों। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के कार्यक्रम के नियोजन तथा संचालन का उत्तरदायित्व जनता के प्रतिनिधिओं के हाथ में होता है। ये संस्थाएँ हैं—ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में मनुष्य को अधिक महत्त्व दिया जाता है। उसकी व्यक्तिगत एव चुनाव की स्वतन्त्रता का आदर किया जाता है। हम वर्तमान समय में एक तरफ लोकतन्त्र के निर्माण में लगे हैं और उसी समय अल्प विकसित अथ व्यवस्था को विकास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बड़ी सहायता की जन-सहायता की लोकतन्त्र की जानकारी आवश्यक है। इसके अनेकों लाभों में सभी को भाग लेना चाहिये। लोकतन्त्र के निर्माण में जिस प्रकार की शिक्षा विधियाँ अपनायी जाती हैं उसी प्रकार की विधियाँ सामुदायिक विकास में प्रयोग में लायी जानी चाहिए। सामुदायिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि स्थानीय सरकार के सुदृढ़ बनने के साथ-साथ व्यापक हो सकती है। इसमें जो कार्यक्रम हैं वे मभी स्थानीय प्रशासन के द्वारा संचालित करने से जनता अपने उत्तर-दायित्व को स्वयं समझेंगी और जो भी विकास काय होगा वह भी उनका अपना होगा। सामुदायिक विकास में जनता का सहयोग तभी सम्भव है जबकि लोकतन्त्र को आधार माना जाये।

(४) वैज्ञानिक एवं प्राविधिक विधियों का उपयोग :

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिये वैज्ञानिक एवं प्राविधिक विधियों का उपयोग अत्यन्त आवश्यक है। ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक विधियों एवं उपकरणों का प्रयोग करने से तेज गति से विकास सम्भव है। ग्रामीण जनता सामान्यतः आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के लाभ नहीं उठा पाती है। अशिक्षा के कारण न तो जनता इस परिवर्तन के महत्त्व को समझती है और न ही किसी नयी विचारधारा को अपनाने को तैयार हो पाती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम नवीन विधियों तथा वैज्ञानिक तरीकों को काम में लाने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इन कार्यक्रमों में कृषि, कुटीर उद्योग, व्यापार आदि में नवीन विधियों का उपयोग होता है जिसके महत्त्व को जनता अच्छी तरह

1. "The real enthusiasm and whole hearted Co-operation of the rural people are essential ingredients in the drama of Community Development" Rural Democracy & Community Participation - By Harpad R Subramonia Iyer

सामुदायिक विकास का अर्थ

समझने लगती है। जनता के स्वास्थ्य, गृह व्यवस्था, यातायात एवं सनार व्यवस्था, सिंचाई, भूमि के कटाव को रोकना, पानी एवं ईंधन की पूर्ति आदि में तकनीकी विधियों और वैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु ग्रामीण जनता को ये विधियाँ तभी सहायक हो सकती हैं जबकि चतुराई से इनको अपनाया जाय। ग्रामीण जनता अनेक कारणों से नवीन विधियों एवं उपकरणों का प्रयोग बहुत सीमित रूप में कर पाती है। सामुदायिक विकास ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि इन क्षेत्रों की जनता के नये विज्ञान और तकनीकी ज्ञान को उपयोगी बना सकती है।

(५) ग्रामीण जन समुदाय के विकास को महत्व

सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण समुदाय के विकास का कार्यक्रम है। भारतवर्ष में अधिकांश जनता ग्रामों में रहती है जो कि अशिक्षित है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन लाना अत्यन्त आवश्यक है। यह कार्य सामुदायिक विकास कार्यक्रमों द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। ग्रामीण जनता की क्षमता को कोई सीमा नहीं है यदि उसको सरकारी सहायता मिले तो देश का आर्थिक विकास तेज गति से हो सकता है। खाद्य संकट के निराकरण में ग्रामीण जनता का सहयोग आवश्यक है। किन्तु समस्या के समाधान के लिये अनेकों नवीन विधियों का प्रयोग करना पड़ता है तथा कई प्रकार की कृषि के लिये सुविधायें प्रदान करने पड़ती हैं। सामुदायिक विकास इन कार्यक्रमों में विशेष सहयोग दे सकता है। अतः भारत के विकास के लिये ग्रामीण उत्थान आवश्यक है।

भारत वर्ष में अब भी अधिकांश ग्रामीण जनता निर्धन, अशिक्षित, और अस्वस्थ है। इसकी स्थिति में सुधार किये बिना देश की स्थिति नहीं सुधर सकती है। अतः सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण समुदाय के विकास को ही महत्त्व दिया गया है।

(६) नियोजित कार्यक्रम

किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व उसके लिये क्रमबद्ध योजना बनाना उचित रहता है। ग्रामीण भागों में सामुदायिक विकास में जो कार्यक्रम निर्धारित किये जाते हैं वे क्रमबद्ध योजना पर आधारित होते हैं। योजना में 'घुनाव' की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक रूप सम्पन्न हो सकने वाले सबसे आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। कार्यक्रम निर्धारण से पूर्व अनुभूत आवश्यकताओं पर विचार विमर्श किया जाता है फिर कार्य को नियोजित ढंग से सम्पन्न किया जाता है।

(७) सामाजिक न्याय में विश्वास

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का सामाजिक न्याय में विश्वास होना चाहिये। ग्रामीण जनता के सभी श्रेणियों में इनसे सहायता मिलनी आवश्यक है। इन कार्यक्रमों के आधार पर कुछ ही व्यक्तियों ने यदि पर्याप्त लाभ उठा लिया तो उनसे सामुदायिक विकास का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। इन कार्यों में कमजोर व्यक्ति के विकास की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिये। यदि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से समाज के कुछ ही व्यक्तियों का कल्याण हो पाता है और ग्रामीण निधन जनता लाभ नहीं उठा पाती है जो सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। अतः सामाजिक न्याय भी एक आधारभूत मान्यता होनी चाहिये।

(८) विभिन्न क्षेत्रों में उचित सामंजस्य

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में कई क्षेत्र सम्मिलित किये जाते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समान सेवा, सहकारिता, रोजगार, संचार आदि। इन सभी के विकास के लिये उचित सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। सामंजस्य स्थापित होने से विकास की गति तेज हो सकती है अन्यथा कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(९) सरकारी परामर्श एवं सहायता :

सामुदायिक विकास कार्यक्रम जैसे तो जनता का आन्दोलन है। समुदाय अपने अपने साधनों को संगठित करके प्रगति के लिये उचित प्रयत्न करते हैं किन्तु फिर भी सरकारी निर्देशन तथा कई प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ग्रामीण समुदाय की अपार क्षमता को तभी काम में लिया जा सकता है जबकि उचित आर्थिक एवं तकनीकी सहायता अच्छी तरह से मिल सके। यह कार्य सरकार ही कर सकती है।

(१०) सहकारिता :

सामुदायिक विकास में सहकारिता का महत्वपूर्ण स्थान है। सहकारी समितियों को पंचायतों के साथ मिलजुलकर कार्य करना चाहिये। सहकारिता के आधार पर कई प्रकार के कार्यक्रमों को सम्पन्न कराया जाता है। गाँवों में कृषि एवं कुटीर उद्योगों में उत्पादन कार्यक्रम के लिये सहकारी समितियाँ सर्वोत्तम हैं। सहकारी भावना को सामुदायिक विकास में बहुत महत्व दिया जाता है। सहकारी आन्दोलन तथा सामुदायिक विकास आन्दोलन दोनों में निकट का सम्बन्ध है। दोनों के विकास में एक दूसरे का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। उदाहरणतः भारतवर्ष में सहकारी आन्दोलन १९०४ में प्रारम्भ हुआ और सामुदायिक विकास १९५२ में। किन्तु सहकारिता का तेज गति से विकास सन् १९५२ के पश्चात् ही हुआ है क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को अपना देने के कारण सहकारिता का भी पर्याप्त विकास हुआ। अतः दोनों का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है।

सामुदायिक विकास आन्दोलन की सफलता के लिये उक्त सभी सिद्धान्तों को ध्यान में रखने की नितान्त आवश्यकता है।

सामुदायिक विकास के उद्देश्य (Aims of Community Development)

सामुदायिक विकास का सबसे प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण समुदाय का सभी क्षेत्रों में विकास करना है। समाज के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक ढाँचे में उचित परिवर्तन लाना आवश्यक है। भूख, बीमारी, अज्ञानता, निर्धनता आदि को दूर करने के लिये विकास कार्यक्रमों का सहारा लिया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक गाँव की तथा ग्रामीण परिवार की संगठित एवं बहुउद्देशीय योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करना है। ये योजनाएँ कृषि उत्पादन बढ़ाने, वर्तमान ग्रामीण उद्योगों को सुधारने और नये संगठित करने, स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने, बच्चों व प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्थाएँ, मनोरंजन सुविधायें और कार्यक्रम, गृह निर्माण,

परिवारों के रहने की दिशाओं सुधारने के सम्बन्ध में होती हैं। सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य इन योजनाओं को सफल बनाना है। इस उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

(१) सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ग्राम जनता के सामान्य दृष्टिकोण की बदलना है। जब तक जनता उच्च जीवन स्तर के लिये आशा नहीं रखेगी तब तक जनता में उत्साह नहीं आ सकेगा। यदि जनता इस कार्यक्रम को अपना मान कर चलेगी तो उचित नेतृत्व भी मिल पायेगा और पर्याप्त विकास भी हो सकेगा। इसलिये जनता के दृष्टिवादी एवं पुराने दृष्टिकोण में उचित परिवर्तन आवश्यक है।

(२) द्वितीय उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तरदायी नेतृत्व का विकास करना। उचित नेतृत्व होने से ग्रामों का उचित विकास हो सकेगा। ग्रामों में निरन्तर नियोजन और विकास कार्यक्रम ग्राम के सगठनों द्वारा बनाये जाने चाहिये। यदि नेतृत्व अच्छा है तब तो ये नियोजन के लिये निर्धारित कार्यक्रम विकास में पर्याप्त सहायता कर सकेंगे अन्यथा नहीं। ग्रामीण सगठन जैसे पंचायत, सहकारी समितियाँ, युवक मण्डल, स्त्रियों के सगठन, किसानों के सघ, मनोरंजन क्लब, ग्राम विकास परिषद् आदि नियोजन एवं विकास का कार्यक्रम उत्तरदायित्व से निभाने का प्रयत्न करें तभी विकास हो सकता है।

(३) आन्दोलन का उद्देश्य यह भी है कि ग्रामीण जनता को आत्म निर्भर बनाया जाये। ग्राम्य जनता की उन्नति से उत्तरदायी व्यक्तियों का निर्माण होता है जो कि कुशलता पूर्वक देश के विकास में भागीदार हो सकते हैं।

(४) ग्रामीण जनता को अधिक एवं अच्छा भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवार्थ, सड़क, कुँए, मनोरंजन आदि सामुदायिक विकास का केन्द्रीय उद्देश्य है। ग्रामीण समुदाय को आय बढ़ाने के लिये पर्याप्त प्रयत्न किये जाते हैं। प्रथम प्रयत्न कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये नवीन कृषि विधियाँ, उन्नत बीज, साद, आधुनिक उपकरण आदि के उपयोग पर जोर देता है। ग्रामीण उद्योगों के विकास की तरफ पर्याप्त ध्यान देना भी महत्त्वपूर्ण है जिससे ग्राम जनता को अधिक रोजगार की सुविधायें हो सकती हैं।

(५) सामुदायिक विकास का यह भी उद्देश्य है कि ग्रामीण युवकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे अपने समुदाय के विकास के अपने उत्तरदायित्व को समझ सकें। इसके लिये यह आवश्यक है कि युवकों को शीघ्र एवं लगातार विकास कार्यों में संलग्न रखा जाये।

(६) ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार करना आवश्यक है। जीवन स्तर में सुधार लाने के लिये शिक्षा की व्यवस्था, सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था काल में वृद्धि आवश्यक है। विभिन्न कार्यक्रमों से जो कि सामुदायिक विकास के अन्तर्गत हैं इन सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। अतः सामुदायिक विकास का उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार करना भी है।

(७) विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की सांस्कृतिक विचारधारा में भी पर्याप्त परिवर्तन करना भी है। शिक्षा के विकास तथा अन्य परिस्थितियों के

कारण शहरी जनता की संस्कृति में तो परिवर्तन आ जाता है किन्तु ग्राम्य समुदाय की संस्कृति में परिवर्तन नहीं आ पाता है। देश के विकास के लिये सांस्कृतिक विकास भी आवश्यक है। इसके लिये सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत सहायक सिद्ध हुये हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण पाठशालाओं और अध्यापकों का सहयोग लिया जाता है। ग्रामीण अध्यापक इन लोगों में सामाजिक शिक्षक हो सकता है जो कि ग्राम्य विकास में बहुत सहायक है।

(८) सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण जनता को बीमारी से छुटकारा विलाते है। इनके माध्यम से जनता को बीमारियों के कारण समझाये जाते है। ग्रामों में सफाई व्यवस्था तथा उचित स्वास्थ्य सुविधाये की जाती है।

(९) देश की खाद्य समस्या का समाधान ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करके ही किया जा सकता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कृषि उत्पादन में निरन्तर वृद्धि करने में मदद करते है जिससे देश की तेज गति से बढ़ने वाली जनता को भोजन प्रदान किया जा सकता है।

अत स्पष्ट है कि ग्रामीण भारत का निर्माण इन कार्यक्रमों पर आधारित है। ग्राम्य समुदाय का सर्वांगीण विकास इनका मुख्य ध्येय है। सामुदायिक योजना एक आन्दोलन है जो कि सुप्त जनसमूह में नयी चेतना तथा नवीन आशाओं का संचार कर रहा है। हमारे देश में सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को सुलझाने का एक नया रास्ता सुझाया गया है। ग्रामों में स्थानीय प्रेरणा शक्ति, उत्तरदायित्व, सहकारिता का उदय हुआ है।

सामुदायिक विकास का स्थान (The Role of Community Development)

सामुदायिक विकास का देश के सर्वांगीण विकास में उल्लेखनीय स्थान है। देश की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिये यह कार्यक्रम सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके अन्तर्गत किये गये कार्यों में बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि, लघु सिंचाई व्यवस्था, कुओं का निर्माण, सफाई, शिक्षा का प्रसार, ग्रामीण उद्योगों का विकास सहकारी समितियों की प्रगति, शिशु कल्याण योजनाएँ, पशु विकास, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना आदि। सामुदायिक विकास का मुख्य लक्ष्य सहयोग एवं सहभावना उत्पन्न करना है।

अल्प विकसित राष्ट्रों में सामाजिक एवं वैज्ञानिक उन्नति नहीं हो पायी है। विश्व में वर्तमान समय में वैज्ञानिक एवं प्रविधिक क्षेत्र में बहुत उन्नति हो चुकी है। संसार की आधी जनता को इससे बहुत लाभ पहुँचा है। उसके जीवन स्तर उत्पादन तथा आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। किन्तु भारत में अन्य विकासशील राष्ट्रों की भाँति तकनीकी युग के पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाये हैं। लगभग आधे विश्व में जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। अतः खाद्य समस्या विकट होती जा रही है। भारतवर्ष में भी अनेक कारणों से खाद्य संकट एक गम्भीर समस्या है। इसके निराकरण के लिये विश्व के अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सामुदायिक विकास का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है। ग्रामीण भारत

का इनके आधार पर विकास करके खाद्य समस्या का समाधान किया जा सकता है। वर्तमान युग में तकनीकी प्रगति से होने वाले ताबो को अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है; इससे ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होगी और सम्पन्न समाज का निर्माण हो सकेगा।

भारतवर्ष में सामुदायिक विकास गांधीजी की विचार धारा पर आधारित है। ग्रामीण जनता की अपार कार्य क्षमता का उचित विकास सामुदायिक विचार के माध्यम से किया जा सकता है। यदि इस क्षमता का पूर्ण उपयोग हो जाता है तो देश का खाद्य संकट दूर हो सकता है और देश पर्याप्त उपनिवेश बन सकता है। निर्धनता को समाप्त किया जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो कि पुराने विचारों के विधियों पर आधारित है, नया मोड़ देना आवश्यक है। आर्थिक क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन होने से ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास सम्भव है। यह सब सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से करना सर्वाधिक उपयुक्त है।

ग्रामीण जनता को आत्म निर्भर बनाने में सामुदायिक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि उद्योग तथा व्यापारिक गतिविधियों का पर्याप्त विकास करने से ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि की जा सकती है। उससे रोजगार में भी पर्याप्त वृद्धि सम्भव हो जाती है। ग्रामीण स्थायी दायित्वों को सम्पत्ति में बदला जा सकता है। जनता निर्भरता प्राप्त हो जाने से देश सम्पन्न होता है। अब सामुदायिक विकास एक सम्पन्न समाज बनाने की सर्वोत्तम प्रक्रिया है।

सामुदायिक विकास सांस्कृतिक विकास में बहुत उपयोगी है। ग्रामीण पार-जालाओं के माध्यम से अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाता है। समता में आगे बढ़ने की भावना जागृत होती है। मनोरंजन गतिविधियों में भी पर्याप्त कृति सम्भव हो सकती है।

सामुदायिक विकास के आन्दोलन ने ग्रामीण स्तर पर विद्यालयों और तकनीकी सलाह सेवाओं में पर्याप्त सम्पर्क स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि क्षेत्र में विकास के लिये निरन्तर सहयोग मिलता रहता है। आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग में इस आन्दोलन ने बहुत सहायता की है। कृषि क्षेत्र में आर्थिक अधिक मात्रा में उत्पादकता बढ़ी है। नवीन उपकरण तथा उन्नत बीज का उपयोग किया जा रहा है। सघन कृषि कार्यक्रम कृषि नीति में बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिजली गणना सामुदायिक विकास एवं सहकारिता पर आधारित है। ग्रामीण जनता को उपकरण विद्यालयों का सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में नवीन विधियाँ तथा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता प्रदान की जाती है और सहायता भी प्रदान की जाती है।

भारतवर्ष में अन्य अर्थिक जनसंख्या का ज्ञान देश की अर्थिक मजबूती के लिये सबसे बड़ी सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति का उचित उपयोग कई कारणों से नहीं हो पाता है। अज्ञान एवं मनोभाव में उत्पादन की नवीन विधियों का काम में नहीं लाया जा सकता है। इस अर्थिक जनसंख्या को सही ढंग से त्रिजली गणना के माध्यम से ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता है। इस जनसंख्या का समाहित सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का बड़ाका देकर ही किया जा सकता है। ग्रामीण जनता में

कृषि तथा छोटे उद्योगों का अधिक विकास करके अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में कृषि, ग्रामीण उद्योग, व्यापार यातायात आदि क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति करने से उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे अधिक आय होती है। इस आय को जब पुनः विनियोजित किया जाता है तो अधिक रोजगार प्राप्त होता है इस प्रकार चक्र निरन्तर चलने से ग्रामों में बेरोजगारी की समस्या बिलकुल ही समाप्त हो सकती है। रोजगार मिनन के अतिरिक्त सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से श्रमिका तथा किसानों की उत्पादकता में भी वृद्धि की जा सकती है।

किसी भी देश के विकास के लिये यह आवश्यक है कि सभी क्षेत्रों में उत्पादकता (Productivity) में पर्याप्त वृद्धि हो। यदि ग्रामों में प्राचीन विधियों को काम में लाया जाता है और अपूर्व मायनों से विकास किया जाता है तो उत्पादकता असम्भव है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। उदाहरणतः कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों में नवीन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग उन्नत बीज खाद आधुनिक उपकरण काम में लाये जाते हैं जिससे प्रति एकड़ उपज में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार ग्रामीण उद्योगों में नवीन विधियों को काम में लाकर उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। इसमें कम कीमत पर अधिक उत्पादन होता है जिससे किसानों तथा श्रमिकों की आय बढ़ती है सम्पन्नता में वृद्धि होती है।

सामुदायिक विकास भोजन के सम्बन्ध में उचित सुझाव देना कर सकता है। समुदायिक सघ न भी अपने व्यावहारिक खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से भोजन के स्तर को सुधारने के प्रयत्न प्रारम्भ किये हैं। सामुदायिक विकास में यह कार्यक्रम अच्छी तरह से चालू किया जा सकता है। सामुदायिक विकास केवल ग्रामीण जनता को उचित भोजन की शिक्षा प्रदान कर सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिये किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता है इसकी जानकारी देने से किसानों का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अच्छे भोजन बनाने की विधियों की शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के विस्तार की बड़ी भारी आवश्यकता है। ग्राम सेवक इनमें बहुत मदद कर सकते हैं। ये जनता को परिवार नियोजन के उद्देश्य तथा लाभों की भली प्रकार समझा सकते हैं। जनसंख्या समस्या समाधान में परिवार नियोजन बहुत आवश्यक कार्यक्रम हो गया है अतः सामुदायिक विकास के द्वारा इसे सफल बनाना आवश्यक है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामुदायिक विकास ग्रामीण जनता के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिये उपयुक्त भूमिका अदा कर सकता है। ग्रामीण ढाँचे में मूलभूत परिवर्तन लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इससे देश की आय में वृद्धि हो सकेगी और अधिक पूँजी का निर्माण हो सकेगा। फलतः अधिक व्यक्तियों को रोजगार की सुविधायें मिलने लगेगी। देश आत्म निर्भर हो सकेगा। निर्धनता समाप्त हो जायेगी और सर्वांगीण विकास होने लगेगा।

सामुदायिक विकास की सीमायें (Limitations of Community Development)

भारतवर्ष में सामुदायिक विकास की कुछ सीमायें हैं जिसके कारण अधिक उन्नति नहीं हो पायी। ग्रामीण जनता को शिक्षित बनाना तथा उन्हें नवीन विचार-धारा में अवगत करना अत्यन्त कठिन कार्य है। कार्य के नवीन ढंग अपनाना और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना एक लम्बी अवधि की प्रक्रिया है। अधिकांश जनता किसी भी परिवर्तन को लाने में विश्वास नहीं कर पाती है। स्वीवादी विचारधारा तथा सामाजिक रीति रिवाज वही है जो सैकड़ों वर्ष पूर्व थे। इस स्थिति में सामुदायिक विकास एक सीमित क्षेत्र तक उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में जन सहयोग का अभाव रहा है जिसके कारण निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकी। जनता आन्दोलन के महत्त्व को अभी तक नहीं समझ पायी है। वह आन्दोलन को अपना आन्दोलन न समझकर सरकारी आन्दोलन समझती है। इस विचारधारा से जो सामुदायिक विकास का प्रमुख उद्देश्य है वह समाप्त हो जाता है। आन्दोलन की सीमित सफलता का कारण जनता अभी तक अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पायी है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम देना की सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। यह एक विधि मात्र है जिसके माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। अभी तक भारतवर्ष में सरकारी सहायता भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पायी है। इन कार्यक्रमों को चलाने के लिये पर्याप्त कर्मचारियों का अभाव रहता है अतः सभी क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम अच्छी तरह से नहीं अपनाये जा सके हैं।

ग्रामीण विकास के लिये वित्तीय साधनों की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश विज्ञान निचन है। सरकार को तर्फ से अधिक से अधिक वित्तीय सहायता की आशा की जाती है। वास्तव में देखा जायें तो आन्दोलन का प्रारम्भ ग्रामीण साधनों को बड़ी मात्रा में संगठित करके विकास करने के लक्ष्य पर आधारित था किन्तु यह अनेक कारणों से सरकार पर निर्भर रहने लगा है।

सामुदायिक विकास में विशेषज्ञों की सेवाओं तथा पूरे कार्यक्रम को प्रसासन के ढाँचे में लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। व्यवहार में यह समस्या बड़ी कठिन है। कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में उचित समन्वय भी नहीं है।

भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक प्रगतिशील नेतृत्व नहीं मिल पाया है। उचित नेतृत्व के अभाव में ग्रामीण समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। ग्रामों में आपसी पूट, जातिवाद की भावना, निधनता, अशिक्षा आदि अनेक बाधाएँ सामुदायिक विकास के क्षेत्र को सीमित बनाये हुये हैं।

प्रश्न

1. सामुदायिक विकास से आप क्या समझते हैं ? इसके क्या उद्देश्य हैं ?

२. सामुदायिक विकास कार्य-क्रम का अर्थ स्पष्ट करते हुये इसकी विशेषताओ की व्याख्या कीजिये ।
 ३. सामुदायिक विकास कार्य-क्रमो की सफलता की कौन-कौन सी आवश्यक दशायेँ है ?
 ४. सामुदायिक विकास का स्थान निर्धारित करते हुये इसकी सीमाओ की व्याख्या कीजिये ।
-

भारत में सामुदायिक विकास की उत्पत्ति एवं विकास

इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व विश्व में ग्राम, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की प्रमुख इकाई था। उस समय लोगों की आवश्यकताएँ सीमित थी। स्वावलम्बन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार भूत तत्व था। ग्रामीण जीवन अत्यन्त सरल एवं अच्छा था। किन्तु मशीनी-युग के आगमन से विश्व के ग्रामीण जीवन में एक नया मोड़ आया। ग्राम्य जीवन अस्त व्यस्त होने लगा। जनता का निरन्तर शोषण एक मुख्य विशेषता बन गयी। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का स्वावलम्बन प्रायः नष्ट हो गया। आर्थिक असंतुलन दिगड गया जिससे व्यक्ति निर्धन होने लगे। बेकारी बढ़ने लगी। भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन काल में ग्रामीण उद्योगों की स्थिति बहुत खराब हो गयी। ग्राम केवल कच्चा माल उत्पन्न करने वाला स्थान बन गया। कृषि की भी अवनति हुई। गाँव का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन छिन्न-भिन्न हो गया। अधिकांश जनता निर्धन हो गयी। अर्थजो के अत्याचार भी बहुत बढ़ चुके थे। व्यक्तियों का नैतिक पतन होने लगा।

इस स्थिति में एक नवीन चेतना बानी स्वाभाविक थी। प्रायः यह निश्चित है प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ब्रिटिश शासन के अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध लहरें उठने लगीं। भूखी, नगी और पीड़ित जनता की पुकार राष्ट्रीय नेताओं ने सुनी। फलतः ग्रामीण समस्याओं को सोचने के लिये बाध्य होना पडा। भारत के महान नेता महात्मा गान्धी ने सबसे पहले ग्रामोद्धार का नारा लगाया। उन्होंने आवाज बुलन्द की कि तब तक स्वराज निरयक्त है जब तक भारतीय ग्रामों में नया जीवन और नयी चेतना जागृत नहीं हो जाती। गान्धी जी ने ग्रामोत्थान के लिये एक विस्तृत कार्य-क्रम तैयार किया। उन्होंने कहा साम्प्रदायिक एकता, अस्पृश्यता का निवारण, ग्रामोद्योग की उत्पत्ति, खादी प्रचार, शिक्षा प्रसार, सफाई, मातृभाषा के प्रति प्रेम, पिछड़े जातियों का उत्थान, आर्थिक समानता, किसान, मजदूर तथा विद्यार्थियों में संगठन आदि ग्राम-विकास के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हैं।

गान्धी जी के अतिरिक्त सन् १९२१ में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी ग्राम-पुन-स्थान कार्यक्रम चालू किया। उन्होंने धीरे धीरे भूमि जिले में श्री निकेतन नामक स्थान पर प्रयोग प्रारम्भ किया। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम्य जीवन को आत्म निर्भर बनाना, आर्थिक, शारीरिक तथा बौद्धिक विकास के नवीन प्रयत्न करना आदि कार्यक्रम रखे गये थे। महाकवि ने कालीग्राम परगना के आठ ग्रामों में पुनर्निर्माण केन्द्र स्थापित करवाये। पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत सफाई, शिक्षा, मलेरिया निवारण पीने के पानी का प्रबन्ध, भयकर बीमारियों की रोकथाम, बाल मृत्यु रोकना, बाढ़ व अकाल से रक्षा, सहकारिता का विकास आदि बातें सम्मिलित की गयीं। इस समय मिल जुल कर कार्य करने की भावना जागृत करने, ग्राम नेतृत्व विकसित करने आदि के प्रयत्न किये गये। सहकारी समितियों का विकास किया गया। स्त्रियों को खाना बनाना, कसोदा काढ़ने, सिलाई आदि सिखाने, उनकी शिक्षा आदि की व्यवस्था की गयी। महाकवि के ये प्रयत्न सीमित क्षेत्र के लिये थे किन्तु अत्यन्त व्यवहारिक थे। इनके कार्यक्रम में राजकीय सहायता नहीं मिली अतः आर्थिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक खोज का अभाव रहा।

इस काल में देश के अन्य भागों में सुधारवादी प्रयत्न चालू किये गये। केरल राज्य में मार्तंडम् में ग्रामीण सुधार की योजना प्रारम्भ की गयी। ग्रामों में युवकों का संगठन हुआ। डा० स्पेन्सर हैच इस कार्य क्रम में आग्रणी थे। उन्होंने आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से समाज को समृद्ध बनाने की योजना दी थी। इनके अलावा श्री एफ० एल० ब्रून ने गुडगाँव में ग्राम सुधार का प्रयत्न किया। श्री ब्रून ने अपनी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण भागों में खाद के गड्डे बनाना, कृषि के नवीन उपकरणों का उपयोग, उन्नत बीज का उपभोग, सफाई, कुएँ बनाना तथा स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया। किन्तु जन सहयोग के अभाव में ये प्रयत्न भी सफल साबित नहीं हुये।

भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन काल सन् १९३७ में कुछ प्रदेशों में कांग्रेस मन्त्री गण्डल स्थापित हुये। इनमें ग्राम सुधार के लिये व्यवस्था की गयी। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ग्राम विकास आयुक्त रखे गये। इस समय सामुदायिक संगठन तथा सहकारी प्रयत्नों पर अधिक जोर दिया गया। मद्रास में भी एक इसी प्रकार का प्रयास किया गया। इसे फिरका विकास योजना कहा जाता है। ग्रामीण जनता को सुखी एवं समृद्धिवादी बनाने का इस कार्यक्रम में प्रमुख उद्देश्य रखा गया। स्थानीय प्रेरणा शक्ति एवं साधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिये सहकारिता को आधार बनाया गया। इस योजना में फिरका एक इकाई मानी गयी और प्रत्येक फिरके में २५ से ३० तक गाँव सम्मिलित किये गये थे। फिरको में गहन विकास कार्यक्रम अपनाये जाने लगे। सन् १९४६ में ३४ फिरको में सघन विकास के प्रयत्न किये गये तथा सन् १९५० में ५० अन्य फिरको में योजना कार्यान्वित की गयी। इस कार्यक्रम के लिये प्रांतीय स्तर पर विकास फिरका बोर्ड बनाया गया जिसके सदस्य प्रान्त के सभी विकास विभागों के प्रधान थे।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् १९४८ में इटावा जिले के महोवा नामक स्थान में एक अप्र-विकास योजना चालू की गयी। यह योजना एलवर्ट मेयर नामक अमरीकी विद्वान की प्रेरणा से कार्यान्वित की गयी। कार्यक्रम में तीन अमरीकी तथा

६ भारतीय विशेषज्ञ सम्मिलित किये गये। ये व्यक्ति प्रशासन, सहकारिता, कृषि, ग्राम एवं नगर परियोजना का कार्य भार मम्भालते थे। विकास कार्यों में शिक्षा, सफाई, भूमि सुधार कृषि विकास महत्त्वपूर्ण थे। इटावा अन्न योजना को सफलता मिली। इस समय भी ग्रामीण जनता का पर्याप्त सहयोग नहीं मिल सका और स्थानीय नेतृत्व भी अच्छा नहीं मिला।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् नीलोखेड़ी योजना सामुदायिक विकास में उल्लेखनीय प्रयत्न है। दिल्ली के निकट नीलोखेड़ी में कुछ शरणार्थी बसाये गये। यहाँ गाँव के आस-पास बलदली भूमि तथा जंगल था। यहाँ एक स्वावलम्बी बस्ती बसायी गयी। नीलोखेड़ी योजना श्री सुरेन्द्र कुमार दे के नेतृत्व में थी। बस्ती के लोगों ने भूमि सुधार कर कृषि प्रारम्भ की। कुछ लोगों ने श्रमिक सहकारी समितियाँ बनायी। छोटे एवं कुटीर उद्योगों का भी विकास किया गया। दलदली भूमि में से ७५० एकड़ भूमि साफ करके खेती की व्यवस्था की गयी तथा इसमें सिंचाई के साधन जुटाये गये। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। फल तथा सब्जियाँ चारों तरफ होने लगी। शिक्षा का विकास हुआ जिसमें कृषि को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया। स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। चिकित्सा व्यवस्था के अन्तर्गत एक छोटा अस्पताल भी खुला। सहकारिता का पर्याप्त विकास किया गया। बस्ती में एक औद्योगिक पाठशाला खोली गयी जिसमें सुहार एवं बर्देई का काम सिखाया जाने लगा। रेडियो, ट्रैक्टर, छमाई, बिजली का काम तथा कला का प्रतिक्षण देने की व्यवस्था हुई।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त दिल्ली के निकट फरोदाबाद में भी इसी प्रकार की योजना चालू की गयी। यह भी शरणार्थियों के पुनर्वास बस्ती में थी। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की यहाँ व्यवस्था की गयी। खाद्यान्न के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास प्रारम्भ किया गया।

सामुदायिक विकास के लिये ऊपर के सभी प्रयास महत्त्वपूर्ण अवश्य थे किन्तु सम्पूर्ण देश के विकास के लिये एक आन्दोलन का रूप नहीं था। इस स्थिति में सरकार का इस ध्यान तरफ गया। सन् १९४९ में वित्त आयोग स्थापित हुआ जिसने प्रसार सेवा की आवश्यकता पर बल दिया। इस समय देश में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन प्रारम्भ हो चुका था। आन्दोलन के काम की जाँच करने के लिये खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय ने सन् १९५२ में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने वित्त आयोग को प्रसार कार्य की सिफारिश को आगे बढ़ाया।

‘अधिक अन्न उपजाओ’ समिति की सिफारिश

इस समिति ने सुझाव दिया कि प्रसार कार्य के लिये तालुका या तहसील सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होनी चाहिये। विकास खण्डों में सौ से एक सौ बीस ग्राम सम्मिलित किये जा सकते हैं जिनमें एक प्रसार अधिकारी होगा। प्रसार अधिकारियों को कृषि पशुपालन तथा सहकारिता के कर्मचारियों से सहायता मिलेगी। समिति ने सिफारिश की कि ग्रामीण जीवन के प्रत्येक पहलू में पर्याप्त सुधार करना राष्ट्रीय प्रसार सेवा का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिये। आन्दोलन के मुख्य दो सिद्धान्त हैं—

(१) सुधार के प्रयत्नों में प्रेरणा-शक्ति जनता की तरफ से होनी चाहिये। सरकार तो आवश्यकता पड़ने पर परामर्श और आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है।

अपार ग्रामीण शक्ति जिसका कोई उपयोग नयी हो पा रहा है, देश के विकास में काम में लाना चाहिये।

(२) ग्रामीण जीवन की सभी आर्थिक समस्याओं को सहकारिता के आधार पर सुलझाना चाहिये।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सयुक्त राष्ट्र सघ की सहायता योजना से सहायता मिलने लगी। अल्प विकसित राष्ट्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिये सन् १९५१ में दक्षिण एव दक्षिणी पूर्वी एशिया में सामुदायिक कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये। इसके अतिरिक्त अमरीका ने विकासशील राष्ट्रों को भी सहायता देनी प्रारम्भ की। भारतवर्ष को भी ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के लिये सहायता मिली।

भारतवर्ष में सन् १९५१ से नियोजित आर्थिक विकास आरम्भ हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार सामुदायिक विकास एक विधि है, ग्रामीण प्रसार का एक रास्ता है, जिसमें आर्थिक नियोजन ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक जीवन को बदलने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रथम याजना में देश के कृषि उत्पादन में वृद्धि करने मातायात की सुविधाये, शिक्षा, ग्राम स्वास्थ्य और सफाई पर ध्यान देने का उद्देश्य निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त ग्रामों का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन उत्थल करने के लिये सांस्कृतिक परिवर्तन कार्यारम्भ करना भी महत्त्वपूर्ण उद्देश्य था। इनकी प्राप्ति के लिये बड़े आकार के तथा सुव्यवस्थित कार्यक्रम की तरफ ध्यान गया और सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

सामुदायिक विकास का आरम्भ

भारत में सामुदायिक विकास के संगठित कार्यक्रम का सूत्रपात २ अक्टूबर सन् १९५२ को चुने हुए ५५ योजना केन्द्रों से प्रारम्भ हुआ। प्रत्येक केन्द्र में ५०० वर्गमील क्षेत्र सम्मिलित किया गया तथा प्रत्येक में ३०० ग्राम और जनसंख्या दो लाख थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में सुधार एवं विस्तार के लिये चालू किया गया था। सन् १९५३ में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्य प्रारम्भ किया गया। देश में सामुदायिक विकास से जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिये अग्र योजनायें (Pilot Schemes) शुरू की गयीं; इन योजनाओं में कृषि सुधार, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने पर अधिक बल दिया था। इनके अतिरिक्त सामाजिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य तथा सावजनिक निर्माण कार्यों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जो ५५ योजनायें चालू की गयीं उनमें प्रत्येक योजना में तीन विकास खण्ड थे। प्रत्येक विकास खण्ड में लगभग १०० ग्राम सम्मिलित किये गये। खण्ड को पुन ५ से १० तक के ग्रामों के समूह में विभाजित किया गया। इन समूहों में ग्राम सेवक नियुक्त किये गये।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा

सामुदायिक विकास प्रारम्भ होने पर राष्ट्रीय प्रसार सेवा की आवश्यकता अनुभव हुई। इससे पूर्व सरकार के विभिन्न विभागों में अलग-अलग कार्य किये जाते

ये। एक विभाग के कार्यों का सम्बन्ध दूसरे विभाग से नहीं था। अतः अधिक श्रम एवं धन व्यय होता था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा में गांव के सर्वांगीण विकास के प्रयत्न किये जाते हैं। विभिन्न सरकारी विभागों ने आपस में मिलकर विभिन्न कार्यों को एक संगठित रूप प्रदान किया। राष्ट्रीय प्रसार सेवा के संचालन के लिये विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की आवश्यकता हुई। ग्राम स्तर पर ग्राम मेवक नियुक्त किये गये। खण्ड स्तर पर खण्ड अधिकारी (बी० टी० ओ०) होता है। इसके ऊपरी स्तर पर अनुमण्डलीय अधिकारी, जिलाधीश तथा राज्य स्तर पर विकास आयुक्त होता है। प्रत्येक विकास खण्ड में विभिन्न विभागों में प्रसार कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। कर्मचारी अपने क्षेत्र के विरूपित होते हैं और अपने-अपने विभाग के विकास के प्रयत्न करते हैं। विकास खण्डों में कृषि, महकारिता, पशुपालन, ग्राम-पंचायत, समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार तथा छोटे उद्योगों के लिये कर्मचारी होते हैं। कार्यक्रम के विस्तार के साथ साथ इनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। ये व्यक्ति ग्रामीण जनता को देव में होन वाले विभिन्न प्रयोगों की जानकारी प्रदान करते हैं। कर्मचारी अपने विषय के विद्वान एवं प्रशिक्षित होते हैं। हमारे देश में विकास प्रसार सेवा के अन्त-गत सन् १९५३ में अक्टूबर में मौ विकास खण्ड स्थापित किये गये। राष्ट्रीय प्रसार सेवा में अधिक ध्यान कृषि तथा सिंचाई पर दिया गया। सन् १९५६ के अन्त में हमारे देश में कुल २७०० खण्ड थे।

सामुदायिक विकास में परिवर्तन

प्रारम्भ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तीन चरणों (Stages) का था। प्रथम, प्रसार कार्यक्रम जो कि तीन वर्ष का था। इसमें चार लाख रुपये व्यय किये जाते थे। द्वितीय चरण की तीन वर्ष की अवधि थी जिसमें ८ लाख रुपये व्यय करने की व्यवस्था थी। तृतीय चरण, सघनोत्तर चरण था जिसमें प्रतिवर्ष लगभग ३० हजार रुपये व्यय किये जा सकते थे। किन्तु बाद में श्री बलवन्त राय मेहता समिति के सुझाव के आधार पर कार्यक्रम को दो चरणों में विभक्त किया गया। सन् १९५७ में यह समिति नियुक्त हुई थी। इस समिति ने लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण पर विशेष जोर दिया। अन्य भी कई महत्वपूर्ण सुझाव पेश किये गये जिन्हें भारत सरकार ने मान लिया।

श्री बलवन्त राय मेहता समिति के अनुसार निम्न बातों पर विशेष धन देना आवश्यक है —

- (१) राष्ट्रीय प्रसार सेवा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये स्थायी होनी चाहिये।
- (२) विकास खण्ड योजना विकास की इकाई मानी जानी चाहिये।
- (३) सभी प्रकार के विकास कार्यक्रमों, सरकारी कर्मचारियों तथा जनता के मध्य कार्य एवं विचार में एकता स्थापित करनी चाहिये।
- (४) ग्रामीण सस्याओं के माध्यम से जनता का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण बदलना चाहिये।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में खण्डों के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा धन व्यय करने की व्यवस्था की गयी। अब कार्यक्रम दो चरणों में में होकर गुजरता है। प्रत्येक चरण पांच वर्ष का होता है। आजकल सभी ग्राम खण्डों के अन्तर्गत आते हैं।

वर्ष १९६८-६९ के अन्त में देश में ५२६५ विकास खण्ड थे जिनमें से ९९९ प्रथम चरण में और ४८९ द्वितीय चरण में थे।^१ दोष खण्डों में दोनों चरण पूरे कर लिये थे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमों पर ९० करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया था किन्तु ४६.१८ करोड़ रुपये ही व्यय हो पाये। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में सम्पूर्ण देश में ९९८ विकास केन्द्र स्थापित किये गये जिसमें १४० हजार ग्राम सम्मिलित थे। सामुदायिक विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २०० करोड़ रुपये की धन राशि का प्रावधान किया गया किन्तु १८८.८९ करोड़ रुपये ही वास्तव में व्यय हो सके। इस योजना में देश के सभी ग्रामों को सामुदायिक विकास में सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया था। किन्तु सन् १९५८ में अवधि बढ़ा दी गयी। द्वितीय योजना के अन्त में दश में ३१०० विकास केन्द्र प्रारम्भ हो चुके थे और देश की लगभग आधी जनसंख्या कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर रही थी तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर ३२१९ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे। इस धन राशि में से २८७७ करोड़ रुपये सामुदायिक विकास २८२ करोड़ रुपये पंचायत तथा ६ करोड़ रुपये केन्द्रीय योजनाओं के लिये थे। तृतीय योजना अवधि में सामुदायिक विकास पर वास्तविक व्यय २७६८ करोड़ रुपये, पंचायतों पर ११७ करोड़ रुपये हुआ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात् १९६६ से १९६९ तक एक वर्षीय योजनाओं में कुल सामुदायिक विकास तथा पंचायतों पर ९९४ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में (१९६९-७४) में ११५८ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है। चतुर्थ योजना में तृतीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में बहुत कम धन व्यय करने की व्यवस्था की गयी है।

कार्यक्रम (The Programme)

ग्रामीण जीवन के नईमुखी विकास के लिये सामुदायिक विकास कार्यक्रम अनिवार्य है। कार्यक्रम के माध्यम से परिश्रम व आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। सामुदायिक विकास आरम्भ निर्भरता के लिये सर्वोत्तम कार्यक्रम है। इसके प्रमुख उद्देश्य, प्रत्येक गाँव की भूहायता करना, ग्राम विकास की योजना बनाना और उसे पूर्ण करना जिससे हृषि उपज में वृद्धि हो तथा ग्रामीण उद्योगों, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन-सहन की दृष्टि में पर्याप्त सुधार हो। कार्यक्रम की सफलता के लिये भारतीय ग्रामवासियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना आवश्यक है। इसके लिये व्यक्तियों के दिलों में उत्तम जीवन ग्राहण की इच्छा उत्पन्न करनी होगी। जनता में परस्पर सहयोग की भावना का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जनता अपने कार्यों का प्रबन्ध एवं संचालन स्वयं कर सकेगी। ग्रामीण व्यक्तियों की प्राथमिक आवश्यकताएँ जैसे भोजन, वस्त्र तथा आवास को उचित व्यवस्था में कार्यक्रम का स्थान उल्लेखनीय है।

सामुदायिक विकास गतिविधियों के कार्यक्रम के माध्यम से अपनाया जा सकता है। किसानों की उत्तम खेती विधियाँ सिखाने के लिये सुधार कार्यक्रम का सहारा लेना पड़ता है। जनता में उत्तम स्वास्थ्य तथा सफाई रखन की भावना इन क्षेत्रों में कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित की जा सकती है। इसी प्रकार सामुदायिक विकास के प्रत्येक अंग में कार्यक्रम के आधार पर चयन पड़ता है। कार्यक्रम ऐसा होना चाहिये जो कि उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। इसमें ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के प्रयत्न किये जाने चाहिये। क्योंकि सुधार उस समय तक सम्भव नहीं हो सकेगा जब तक ग्रामीण जीवन के समस्त अंगों के विकास के लिये सुसंगठित प्रयास नहीं किया जाता। इसी कारण भारत वर्ष में सामुदायिक विकास आन्दोलन में उन सभी समस्याओं को सम्मिलित किया गया है जो कि ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न लिखित गतिविधियाँ सम्मिलित की गयी हैं :—

- (१) कृषि विकास
- (२) ग्रामीण उद्योगों का विकास
- (३) शिक्षा
- (४) स्वास्थ्य एव सफाई
- (५) निर्माण कार्य—गृह-निर्माण
- (६) यातायात व्यवस्था में सुधार
- (७) स्त्रियों तथा बच्चों के कल्याण कार्यक्रम
- (८) सहकारिता

उपरोक्त गतिविधियाँ एक व्यापक कार्यक्रम के अन्तर्गत हैं। इनमें कृषि विकास को अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि यह ग्राम्य जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। कार्यक्रम का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

(I) कृषि और सम्बन्धित क्षेत्र

भारत कृषि प्रधान देश है जिसमें अविकाश जनता का मुख्य व्यवसाय होती है। विकास कार्यक्रमों में कृषि विकास को प्राथमिकता देना अत्यन्त आवश्यक है। भारतीय किसान निर्धन है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता (Productivity) भी निम्न है। अनेक देशों की तुलना में भारत में प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम है। उत्पादकता बढ़ाने के लिये कृषि कार्यों में नवीन विधियों तथा आधुनिक औजारों का उपयोग नितान्त आवश्यक है। ग्रामीण जनता अशिक्षित होने के कारण इनका उपयोग करने से वंचित रह जाती है। व्यक्तियों का दृष्टिकोण रूढ़ीवादी है। किसी भी प्रकार के परिवर्तन में उनका विश्वास नहीं है। दूसरी तरफ भारतवर्ष में जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है। किन्तु इस गति से खाद्यान्न का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। अतः देश में खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है। खाद्य समस्या के समाधान के लिये दो उपाय हो सकते हैं। प्रथम विदेशों से खाद्यान्न का आयात और द्वितीय, देश में इनका अधिक उत्पादन। देश के आर्थिक विकास के लिये प्रथम उपाय उपयुक्त नहीं है इसलिये देश में उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

कृषि विकास के लिये उन्नत बीज, खाद तथा पर्याप्त मात्रा में आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। किसानों को नवीन विधियों को उपयोग में लाने का प्रशिक्षण भी आवश्यक है। इनके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्रों में विकास को महत्व देना चाहिये। विकास कार्यक्रमों में पशु विकास, सिंचाई आदि की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। ये कार्यक्रम सामुदायिक विकास के अन्तर्गत आते हैं।

उन्नत बीज

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में विकास खण्डों में उन्नत बीजों के उपयोग करने की योजना चालू की गयी है। देश भर के उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिये बड़ी मात्रा में बीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिये बीजों की आवश्यकता का उचित अनुमान लगाया जाता है और फिर उनका उत्पादन किया जाता है पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक खण्ड में एक बीज उत्पादन फार्म की स्थापना प्रस्तावित की गयी है। इन बीजों को भण्डारों में सुरक्षित रखने के लिये

सहकारी समितियों में भण्डारण व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है। बीजों को ब्रैजिनिक विधि से रखने के लिये पर्याप्त एवं सुरक्षित गोदाम बहुत आवश्यक हैं। इनके अभाव में बीज मल्ट हो जाते हैं अथवा खराब हो जाते हैं जिससे उगते नहीं हैं। उत्तम बीजों के उपयोग से प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि हो सकती है। भारतवर्ष में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत उन्नत बीज उपलब्ध कराये जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में उन्नत बीज पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश में उन्नत बीज लगभग १२०० लाख एकड़ भूमि में बँये गये। वर्ष १९७०-७१ में २७४० लाख एकड़ भूमि में उन्नत बीज उत्पादित किये जायेंगे।

वर्तमान समय में बीजों की वृद्धि के परीक्षण, प्रमाणीकरण, भण्डारण, ऋण तथा वितरण के तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रबन्धों को मजबूत बनाना चाहिये। सरकार अप्रमाणित बीज वितरण पर रोक लगा देगी जो कि सहकारी समितियों अथवा अन्य सरप्रायो द्वारा वितरित किये जाते हैं।

भारतवर्ष में सितम्बर १९६७ के अन्त में ४४.७७ लाख क्विंटल उन्नत बीजों का वितरण किया गया जो कि सितम्बर १९६६ में बढ़कर ४६.५६ लाख क्विंटल हो गया।¹ राष्ट्रीय बीज निगम, जो कि सन् १९६३ में स्थापित किया गया था, उन्नत बीजों के उत्पादन में वृद्धि के प्रयत्न कर रहा है। निगम अधिक पैदावार करने वाली किस्म के बीजों को सुखाने की मशीनें साफ करने और बर्ग बनाने के कारखाने स्थापित करेगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नये बनाये गये बीज विधान के प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणित करने के लिये उचित प्रशासनिक मशीनरी का विकास किया जायेगा। इस नये विधान की दो मुख्य विशेषताये हैं—प्रथम बीजों का प्रमाणीकरण और दूसरी, बीजों के नमूने निकाल कर उनकी किस्म की जांच करना।² उन्नत बीजों के अधिक उपयोग से प्रति एकड़ उपज में पर्याप्त वृद्धि होगी। फलतः देश का कुल कृषि उत्पादन बढ़ जायेगा।

रासायनिक उर्वरक

कृषि विकास के लिये रासायनिक खाद की खपत बढ़ती जा रही है। रासायनिक खाद भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टियों में भिन्न-भिन्न अनुपात में काम में लाया जाता है। वर्ष १९६५-६६ के अन्त में एक अनुमान के अनुसार प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत विश्व के औसत वा मानवा हिस्सा है। तृतीय योजना के अन्त में उर्वरकों की खपत ६ लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन, १५ लाख मीट्रिक टन पी_२ओ_५ और ०.९ लाख टन के० ओ०^२ थी।

सितम्बर १९६७ के अन्त में समाप्त होने वाले वर्ष में २८४७० लाख क्विंटल रासायनिक खाद का वितरण किया गया जबकि सितम्बर १९६८ के अन्त तक यह बढ़कर ३८७९५ लाख क्विंटल हो गया। रासायनिक खाद की माँग निरन्तर बढ़ती जा रही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक माँग ३.७० मिलियन टन नाइट्रोजन, १.८० मिलियन टन P_२O_५ और १.१० मिलियन टन K_२O हो जायेंगी।

1 India 1969, P 263

2. Fourth Five Year Plan 1969-74 Draft p. 121.

रासायनिक खाद के सम्बन्ध में सबसे बड़ी समस्या उसके कुशल एवं उचित उपयोग की है। खाद को मितव्ययिता के आधार पर काम में लाना चाहिये। इसके लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उर्वरक मिश्रण तैयार किये जा रहे हैं और मिट्टी की जाँच की जा रही है। इस काल में चलती-फिरती प्रयोगशालायें भी चानू की जायेंगी।

कार्बनिक तथा हरी खाद

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हरी खाद के उपयोग का क्षेत्र लगभग २५ लाख एकड़ था हरी खाद की पूर्ण के लिये समुचित फसल पद्धतियों को अपनाया जा रहा है वर्ष १९७०-७१ तक हरी खाद के उपयोग का क्षेत्र लगभग ६४० लाख एकड़ हो जायेगा। गोबर, मल-मूत्र तथा फार्म का कूड़ा भी स्थानीय खाद के रूप में अत्यन्त उपयोगी है। कृषकों के लिये गोबर गैस सयन्त्र उपलब्ध किया गया है। भविष्य में इनको अधिक लोक प्रिय बनाने की योजना है। वर्ष १९७०-७१ के अन्त तक राहरी कम्पोस्ट का लक्ष्य ५४ लाख मी० टन निश्चित किया गया है। विशेष विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक गन्दे नाले एवं बिछा के उपयोग के लिये योजना लागू की गयी है। सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के द्वारा इन खादों को अधिक लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

उन्नत कृषि औजार

सामुदायिक विकास कार्यों में उन्नत कृषि औजारों का वितरण भी महत्वपूर्ण है। प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में उन्नत कृषि के औजारों का कार्यक्रम बहुत पिछड़ा हुआ रहा है। इसके अनेक कारण हैं जैसे लोहा एवं इस्पात का अभाव, औजारों की अच्छी डिजायनों की कमी, निर्माण व्यय अधिक, किसानों के सामने वित्त समस्या, मरम्मत का अभाव, बल-पुर्जों की प्राप्ति की कठिनाई तथा प्रदर्शन की भी कमी आदि। कृषि औजारों के निर्माण तथा अधिक उपयोग में लाने के लिये कृषि मशीन एवं औजार बोर्ड स्थापित किया गया है। ग्रामों में ग्राम सेवकों के सहयोग में बिनास खण्डों में कृषि औजारों की मरम्मत आदि के लिये उचित मार्ग निर्दिष्ट किया जायेगा। सितम्बर १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में कार्यक्रम के अधीन लगभग ७०४ लाख उन्नत औजार वितरित किये गये।

उन्नत कृषि पद्धतियाँ

कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिये उन्नत कृषि पद्धतियों को काम में लाना आवश्यक है। इसमें धान की खेती के लिये जापानी पद्धति उपयुक्त मानी जाती है। इन पद्धतियों में उन्नत बीज का चुनाव, उन्नत छोटे पौधे लगाने के उपाय, पौधों के बीच जगह रखना, उचित मात्रा में खाद देना, वैज्ञानिक फसलों का क्रम आदि सम्मिलित किये जाते हैं। गन्ने तथा गेहूँ के लिये उन्नत विधियाँ प्रचलित की जा रही हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खण्ड के कृषि-विशेषज्ञ विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के उपयोग के विषय में मार्ग दर्शन करते हैं।

भूमि संरक्षण

भूमि निरन्तर उपयोग, बाढ़ तथा तेज वायु के कारण कटती रहती है। मिट्टी के कटाव के कारण इसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। भू-संरक्षण को रोकने

के लिये अनेक प्रयत्न किये जा सकते हैं जैसे पानी के बहाव को रोकना अथवा कम करना, बाढ़ लगाना, सीढ़ीनुमा खेत बनाना, वृक्षारोपण करना आदि। कृषि-विभाग के अधिस्तारी ग्राम सेवक तथा पंचायतों के माध्यम में इन कार्यों को अपनाया जाता है। वर्ष १९६७-६८ में कृषि भूमि का सरक्षण ३.५ मिलियन एकड़ क्षेत्र में किया गया। किन्तु वर्ष १९६८-६९ में ३.४ मिलियन एकड़ भूमि में सरक्षण प्रदान किया गया।

सिंचाई

भारतवर्ष में वर्षा अनिश्चित एवं अनियमित है। देश के अनेक भागों में अपर्याप्त वर्षा भी होती है। अतः सिंचाई द्वारा पानी की पूर्ति करनी आवश्यक है। सिंचाई बड़ी तथा छोटी दोनों प्रकार की विधियों द्वारा की जा सकती है। विशेषतः उपयुक्त सिंचाई के साधनों के विषय में परामर्श देते हैं। विकास कार्यक्रमों में छोटी सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। लघु सिंचाई कार्यक्रमों से लण्डों में वर्ष १९६७-६८ में १३ लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधायें प्रदान की गयीं। वर्तमान समय में लघु सिंचाई योजनाएँ अधिकाधिक स्तर तक चालू की जा रही हैं। और इनको ग्रामीण विजलीकरण योजनाओं से सम्बद्ध किया जा रहा है। लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्य महत्वपूर्ण पहलू, सर्वेक्षण और अनुसन्धान के वर्तमान सगठनों को दृढ़ बनाया जा रहा है और जल उपयोग एवं प्रबन्ध का विस्तार किया जा रहा है।

पशु पालन

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों की आय बढ़ाने के लिये पशु पालन का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। पशु विकास कार्यक्रमों को फसलों के सघन कृषि कार्यक्रमों की परम्परा में आयोजित करना आवश्यक है। पशु विकास के लिये उनकी तन्मूल सुधारनी चाहिये। देश में दूध तथा दूध उत्पादनों की मांग बढ़ रही है। इसकी पूर्ति के लिये सघन पशु विकास कार्यक्रम अपनाये जा रहे हैं। पशु विकास में दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता उचित मात्रा में चारे की व्यवस्था करना है। इसके लिये आधुनिक ढंग से चारे और घास के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अनुसन्धान के द्वारा घास और चारे की अनेक अच्छी किस्मों का पता लगाया गया है। देश के विभिन्न भागों में सघन पशु विकास और प्रमुख गाँव सण्डों में सघन भूसा घास विकास कार्यक्रम अपनाने का प्रस्ताव है।

भारतवर्ष में भेड़ तथा ऊँट विकास कार्यक्रम भी अपनाये गये हैं। उन्नत भेड़ प्रजनन के लिये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और दक्षिण पठारी भाग के चुने क्षेत्रों में स्थानीय नस्लों को अच्छी ऊँट वाले विदेशी भेड़ों से गर्भित कराया जाता है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्तमान किस्म के चुने हुये प्रजनन पर जोर दिया जाता है। राजस्थान में एक केंद्रीय भेड़ एवं ऊँट अनुसन्धान संस्थान स्थापित किया गया है। इस राज्य में भेड़ के ऊँट काटने, वर्गीकरण करने और बाजार के लिये ऊँट तैयार करने के लिये विशेष योजना तैयार की गयी है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत मुर्गी पालन को भी सम्मिलित किया जाता है मुर्गी पालन अनेक व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का महत्वपूर्ण घन्घा है। मुर्गियों से अण्डे प्राप्त किये जाते हैं जो कि भोजन में बहुत महत्वपूर्ण हैं।

आधुनिक ढंग से मुर्गी पालन के विकास के लिये इनके परिवहन, वितरण तथा अण्डे और मुर्गी के मांस को तैयार करने के लिये प्रभावशाली प्रबन्ध की आवश्यकता है।

देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत उन्नत पशुओं का वितरण किया जा रहा है। सितम्बर १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में ३९१५० पशुओं का वितरण किया गया जबकि सितम्बर १९६८ के समाप्त होने वाले वर्ष में ३१७०६ पशुओं का वितरण ही हो सका।

(II) स्वास्थ्य और सफाई

विकास खण्डों में चिकित्सा विशेषज्ञ स्वास्थ्य एव सफाई की व्यवस्था करने में मदद करते हैं। चिकित्सा सुविधाओं में एक स्थायी ओपघालय, चलता फिरता स्वास्थ्य केन्द्र, मातृत्व और शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिये यह आवश्यक है कि सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई, कूड़ा डालने की उचित व्यवस्था, गन्दे गड्ढों का निर्माण आदि कार्यक्रम अपनाए जाने आवश्यक है। ग्राम सेवक सफाई के लिये ग्रामों में उचित परामर्श देते हैं। सितम्बर १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में ५९१५४ शौचालय (Latrines) बनाये गये और इससे अगले वर्ष में ४७२८६ शौचालयों का निर्माण किया गया। इन्हीं वर्षों में क्रमशः १९६२ लाख मीटर तथा ११४१ लाख मीटर पक्की नालियों का निर्माण किया गया। गन्दे पानी के गड्ढों का निर्माण उपरोक्त वर्षों में क्रमशः १६० लाख तथा ११९ लाख था।

ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था का अभाव पाया जाता है। पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिये। इसके लिये कुओं का निर्माण आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुओं के पानी को जो कि आस पास जमा हो जाता है इकट्ठा नहीं होने देना चाहिये। सितम्बर १९६७ तथा १९६८ को समाप्त होने वाले वर्षों में देश के विभिन्न भागों में क्रमशः ३०६०९ तथा २४५४९ पीने के पानी के कुओं का निर्माण किया गया। विकास कार्यक्रमों में पीने के पानी के कुओं में सुधार भी किया गया है।

विभिन्न प्रकार के व्यापक रोगों से बचने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें फैलने से रोका जाये। चेचक तथा हैजे से बचने के लिये टीके लगवाने आवश्यक है। मलेरिया पर भी वैज्ञानिक विधियों से नियन्त्रण किया जा सकता है। इन रोगों के नियन्त्रण के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक खण्ड का डाक्टर पाठशालाओं में जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करे और सुधार के उपाय प्रस्तुत करे। देश के विभिन्न भागों में पचायत अथवा खण्ड समिति द्वारा मातृ तथा शिशु कल्याण, परिवार नियोजन, सफाई आदि के महत्व से अवगत कराया जाये।

(III) सामाजिक शिक्षा

लोकतान्त्रिक समाज की स्थापना के लिये सामाजिक शिक्षा अत्यन्त उल्लेखनीय है। शिक्षा में शार्मण जड़ता में नये विचार पनपते हैं और विकास का अच्छा वातावरण तैयार होता है। अशिक्षा के कारण रूढ़ीवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन करना बहुत कठिन है। किसान के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना बहुत कठिन कार्य है। शिक्षा के माध्यम से समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह जानने लगता है कि व्यक्तिगत

रूप में उसका समाज में नया स्थान है। शिक्षा वचपन से लेकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में चलती रहती है। शिक्षा के विस्तार से व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन विकसित होता है। आज भारतवर्ष में अधिकांश जनता निरक्षर है। सामाजिक, सांस्कृतिक, तथा आर्थिक जीवन में कोई भी परिवर्तन इसलिये सम्भव नहीं हो पा रहा है क्योंकि अधिकांश व्यक्ति परिवर्तन में विद्वान नहीं करते हैं और न ही परिवर्तन के महत्व को समझते हैं। कृषि विकास में नवीन विधियों का प्रयोग करने, उन्नत बीजों तथा खाद का प्रयोग करने के लिये शिक्षा बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के विस्तार की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया गया है। शिक्षा के माध्यम से संगीत, चित्रकारी, नाटक तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास किया जा सकता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रयत्नों का व्योरा निम्न तालिका में दिया गया है —

सामुदायिक विकास कार्यक्रम—विकास
(सामाजिक शिक्षा)

विवरण	वर्षान्त	
	सितम्बर १९६७	सितम्बर १९६८
१. प्रौढ शिक्षण केंद्र चालू किये गये (संख्या)	४१६२०	४३७०४
२. प्रौढ शिक्षित किये गये (संख्या)	९,६८,३९७	१४,८०,११४
३. कार्य करने वाले ग्राम सेवाओं के संगठित कम्प (संख्या)	१७७,२६	८८९१
४. प्रशिक्षित नेता (संख्या)	४,६१,२०९	३,०४,९२४

(Source . India 1969, p. 263)

विकास योजनाओं में नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण, व्यक्तियों को साक्षर बनाना, पुस्तकालय खोलना, नाटक, भेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन, खेल-कूद आदि व्यवस्थाओं का होना नितांत आवश्यक है। ग्रामीण नेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए जिससे इन क्षेत्रों को उचित नेतृत्व मिल सके। प्रतिवर्ष सामुदायिक विरास कार्यक्रमों के अन्तर्गत नेताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रौढ शिक्षा भी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। सामाजिक शिक्षा से रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। समुदाय के व्यक्तियों में मिलजुल कर सहकारिता के आधार पर कार्य करने की भावना बढ़ती है।

(VI) परिवहन एवं संचार व्यवस्था

ग्रामीण भारत के विकास के लिए ग्रामीण सड़कों एवं संचार व्यवस्था का अत्यधिक महत्व है। देश के अनेक भाग ऐसे हैं जो कि रेलवे स्टेशन तथा पक्की सड़क

से बहुत दूर है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसी प्रकार इन भागों की वृषि उपज के विपणन के लिये मण्डी तक पहुँचने में भी बहुत कठिनाई आती है। ग्रामीण सड़कों बहुउद्देश्यीय सड़कों नहीं हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी से ये सड़कें नष्ट हो जाती हैं और इनमें गड़बड़े पड़ जाते हैं। अतः इन भागों में सड़कों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता देनी आवश्यक है।

अच्छी सड़कों के निर्माण से ग्रामों का सम्पर्क शहरों से हो जाता है। किसान अपनी उपजों को उचित मूल्यों पर मण्डियों में बेच कर अधिक आय प्राप्त करते हैं। सड़कों के निर्माण से ग्रामों में कुटीर उद्योगों का भी आधुनिक तरीकों से विकास किया जा सकता है। आवश्यक सामान को आसानी से दूसरी जगहों से लाया जा सकता है और तैयार माल बेचा जा सकता है। अधिक एव सामाजिक विकास में भी सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण सड़कों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को रेनबे के साथ जोड़ा जा सकता है। इससे ग्रामों के चहुँमुखी विकास में पर्याप्त मदद मिल सकेगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत १६,००० से १७,००० मील लम्बी कच्ची सड़कों के निर्माण की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया था। इनका उद्देश्य महत्वपूर्ण ग्रामों को मण्डियों तथा जिला मुख्यालयों में जोड़ना था। सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत किये गये प्रयत्नों से निम्न प्रगति हुई है —

सामुदायिक विकास में संचार विकास

विवरण	वर्षान्त	
	नितम्बर १९६७	सितम्बर १९६८
१. नयी कच्ची सड़कों का निर्माण (किलोमीटर)	३०,५५४	२७,९५७
२. वर्तमान कच्ची सड़कों में सुधार (किलोमीटर)	४९१३९	४०८८९
३. सड़कसे पानी पार करने के नालों का निर्माण (सख्या)	१९१३२	१६,२६०

(Source India 1969 p 264)

वर्तमान समय में प्रत्येक गाँव को एक दूसरे के साथ जोड़ना अत्यन्त आवश्यक है। बाद में इन्हीं सड़कों को शहरी सड़कों से जोड़ना पड़ेगा। इन कार्यक्रमों में ग्रामीण जनता के श्रम सहयोग की आवश्यकता भी पड़ेगी। भविष्य में विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों में संचार व्यवस्था पर अधिक ध्यान देना होगा। इसके अभाव में ग्रामों का विकास असम्भव है। सामुदायिक विकास योजनाओं के विभिन्न कार्यक्रमों को चालू करने तथा उनकी सफलता में भी संचार व्यवस्था से पर्याप्त सहायता मिल सकेगी। सड़कों के अभाव में अनेक कार्यक्रमों को चलाने में बहुत कठिनाई आती है।

(V) ग्रामीण गृह निर्माण

भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की व्यवस्था सतोष जनक नहीं है। अच्छा घर स्वास्थ्य के लिये परमावश्यक है। गाँवों में भोपडियाँ तथा घास-फूस के घर बनाये जाते हैं। रहने के पर्याप्त मकान भौतिक एवं सामाजिक आवश्यकतायें हैं। गाँवों में बिना उचित योजना के घरों का निर्माण किया जाता है। मकानों में न उचित खिडकियाँ हैं और न पर्याप्त रोशनीदात हैं। अनेकों मकान वर्षा काल में ढह जाते हैं। घरों में न सौचालय व्यवस्था होती है और न ही गन्दे पानी के निकास के लिये व्यवस्था होती है। धुँआ भी चारों तरफ फैला रहता है।

सामान्यतः अनेक घर ऐसे हैं जिनमें पशु तथा व्यक्ति साथ-साथ कमरों में रहते हैं। घरों में बहुत गन्दगी रहती है। ग्रामों में गृह निर्माण के अच्छे तरीके प्रचलित नहीं होते हैं। ग्रामीण जनता सफाई तथा अच्छे घरों के महत्त्व को समझ भी नहीं पाती है। घरों में पशु वीर्य व्यक्ति साथ-साथ रहने से व्यक्तियों में सफाई के प्रति अच्छी आवृत्ति विकसित नहीं हो पाती है। पशुओं के मल मूत्र गन्दगी आदि से बीमारियाँ फैलती हैं। ग्रामों में गृह निर्माण निर्धारित योजना के अनुसार होना चाहिये। प्रत्येक घर में कम से कम दो कमरे पर्याप्त जगह के साथ होने चाहिये। कमरों में पर्याप्त खिडकियाँ तथा रोशनीदात होने चाहिये ताकि प्रकाश एवं शुद्ध हवा आती रहे। घरों में रसोई की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिये। घरों में जो चूल्हा काम में लाया जाता है उसका धुआँ कमरों में नहीं जाये इसके लिये धुँये-रहित चूल्हे बनाने चाहिये।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास बजट के अन्तर्गत १०.१० लाख रुपये गृह निर्माण के लिये रूचे गये थे किन्तु प्रथम योजना में कुल वास्तविक व्यय ३६ लाख रुपये किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्य क्रमों के अन्तर्गत गृह निर्माण के लिये १६ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चतुर्थ योजना में भी ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण पर पर्याप्त ध्यान दिया गया।

(VI) ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग

पण्डित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार "तम्र उद्योग राष्ट्र के आर्थिक विकास में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। आज देश के सामने बेरोजगारी की विकट समस्या है और इसे हल करने में ग्रामीण उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।" भारतवर्ष में कृषि भूमि पर भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। ग्रामों में खेती के अतिरिक्त रोजगार के अन्य साधन ग्रामीण उद्योग हैं किन्तु इनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। देश के अनेक भागों में किसानों को वर्ष के कुछ माहिनो में बेकार रहना पड़ता है। यदि ग्रामीण उद्योगों का विकास किया जाये तो अतिरिक्त समय में निर्यन्त कृषक कार्य कर सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में इन उद्योगों ने उत्पादन बढ़ाने तथा रोजगार की अधिक सुविधाएँ प्रदान करने में पर्याप्त सहायता की है। समाजवादी समाज की स्थापना के लिये आय का उचित वितरण आवश्यक है। छोटे उद्योगों ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सहायता प्रदान की। प्रथम योजना में दस्तकारों को विकास कार्यक्रमों के

अन्तर्गत सहायता प्रदान की गयी। इनको प्रशिक्षण, प्राविधिक परामर्श, उन्नत औजार तथा विश्वी व्यवस्था की सुविधायें प्रदान की गयीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन पर अधिक ध्यान दिया गया। प्रथम योजना में इन कार्यों पर ८३ करोड़ तथा दूसरी योजना में लगभग १८० करोड़ रुपये व्यय किये गये। वर्ष १९५०-५१ में हाथ करधे का वस्त्र उत्पादन ७४० करोड़ गज था जो कि वर्ष १९६०-६१ में बढ़ कर लगभग १९० करोड़ गज हो गया। लगभग ३० लाख दुतकरी को अनिरीक रोजगार की सुविधायें प्राप्त हुई। खादी के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। वर्ष १९५०-५१ में इनका उत्पादन ७० लाख गज था जो कि बढ़कर वर्ष १९६०-६१ में ४८ करोड़ गज हो गया। वर्ष १९६०-६१ में अम्बर खादी का उत्पादन २६० लाख गज हो गया। उपरोक्त कार्यक्रमों में १३ लाख से भी अधिक व्यक्तियों को जहाँ रोजगार प्राप्त हुआ और लगभग २ लाख व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार मिला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामोद्योग कार्यों में लगभग ५ लाख दस्तकारों तथा ग्रामीण स्त्रियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। बच्चे रेगम के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का विकास अधिक तेज गति से करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण ग्रामीण उद्योगों के विकास पर अधिक दल देना आवश्यक समझा गया। तीसरी योजना में लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के कार्य क्रम पर २४०-७६ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। अनुसूचित पंचवर्षीय योजना (१९६९-७४) काल में इस क्षेत्र में २९४-७१ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार किया गया है। विभिन्न ग्रामीण उद्योगों में लगे हुए कारीगरों तथा दस्तकारों को उन्नत औजार तथा मशीनें प्रदान की गयीं तथा उचित परामर्श भी दिया गया। इस काल में ऋण सुविधाओं का भी अधिक विस्तार किया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग न ४७ मधन ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं चालू कच्चापे जिनमें विकास खण्डों ने पर्याप्त मदद दी।

सामुदायिक विकास कार्य क्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास के लिये उन्नत औजारों एवं मशीनों के लिये सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। सितम्बर १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष को लोहारगिरी तथा बटई के लिये क्रमशः ६०६ लाख तथा ६०५ लाख रुपये के उन्नत औजार तथा मशीनें वितरित की गयीं। विकास कार्य क्रमों में प्रशिक्षण तथा विपणन व्यवस्था भी की जाती है।

(VII) महिला और शिशु कल्याण

स्त्रियों और बच्चों की वर्तमान आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से तथा निरन्तर और व्यवस्थित ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्राम समुदाय के कमजोर और निर्धन वर्गों के बच्चे बहुत पिछड़ी अवस्था में होते हैं। पिछले १५ वर्षों में कल्याण विस्तार परियोजनाओं के माध्यम से यद्यपि इन क्षेत्रों में पर्याप्त कार्य किया गया है किन्तु नाकी आंखों में कुछ बाजों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रथम बात तो यह है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के सहयोग से प्रारम्भ की गयी अतिरिक्त कल्याण विस्तार परियोजनाओं की पहली अवस्था पूर्ण हो चुकी है और दूसरी अवस्था को पूर्ण करने के लिये ये अलग अलग अवधि तक चलेंगी। इन परियोजनाओं

को चालू रखने के लिये ठीस आधार की व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। द्वितीय बात यह है कि कुछ इच्छुक गणठनों और महिला गणठनों को कुछ वर्ष पूर्व कल्याण विस्तार केन्द्र सौंपे गये थे, उनमें से अधिकांश सुनिश्चित अपेक्षित साधनों के बिना स्थापित सेवाओं को बचाये रखने या उनका विस्तार करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। अन्तिम, पूर्व स्थापित केन्द्रों को सुदृढ करने के साथ साथ स्त्रियों और बच्चों के भावी कार्य क्रमों को इस प्रकार से संगठित किया जाये कि सभी ग्रामीण भागों में निरन्तर सेवाएँ उपलब्ध होतीं रहें। भविष्य में परिवार तथा बाल कल्याण कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है

(१) ग्रामीण बच्चों, विशेषतः पाठशाला के बच्चों के लिये समुचित समाज सेवाओं की व्यवस्था,

(२) महिलाओं और युवतियों को गृह विज्ञान, माता शिक्षा, पोषाहार स्वास्थ्य शिक्षा और बच्चों की देखभाल की शिक्षा की व्यवस्था,

(३) स्त्रियों के लिये अनिवार्य स्वास्थ्य और प्रभूति सेवाओं की व्यवस्था,

(४) महिलाओं और बच्चों के लिये मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्य क्रमों की प्रोत्साहन,

(५) ग्रामीण स्त्रियों को अनिश्चित आय प्राप्त करने में सहायता करना।

ग्रामीण स्त्रियों के लिये आय व्यवस्था करने के लिये उन्हें लघु उद्योगों तथा निर्माण कार्यों में लगाने का प्रयत्न किया जाय।

आत्मकल परिवार और शिशु कल्याण कार्यक्रम दो पारस्परिक सम्बन्धित भागों में विकसित हो रहे हैं। भविष्य में उपलब्ध साधनों के भीतर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तरोत्तर सामुदायिक विकास खण्डों की संख्या बढ़ेगी। दूररे, जिन भागों में स्थानीय समुदाय आवश्यक प्रयत्न करने के लिए तैयार है वहाँ सहायता के आवश्यक साधन उपलब्ध कराये जायेंगे। परिवार और शिशु कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास सेवाओं की व्यवस्था करने में लगे हुई पंचायत राज संस्थाओं और अन्य एजेंसियों से पूर्ण सहयोग लिया जाये। इसके लिये निम्न लिखित बातों का होना आवश्यक है—

(i) पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य संस्थानों से अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिये उनका भाग लेना आवश्यक है। विकास सेवाओं में पाठशाला और प्राथमिक सेवाएँ भी शामिल हैं।

(ii) विकास खण्ड के भीतर तथा बाहर के स्वेच्छिक कार्यकर्ताओं का भाग लेना,

(iii) पंचायत, सहायक समुदाय और स्वेच्छिक समन्वय के स्थानीय नेताओं का सहयोग प्राप्त करना।

विकास खण्डों में परिवार और शिशु कल्याण परियोजनायें प्रारम्भ की जाती हैं वहाँ विकास खण्ड के स्तर पर परिवार और शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। केन्द्र में पर्याप्त कर्मचारी एवं भवन व्यवस्था होनी आवश्यक है। इस मुख्य केन्द्र में स्त्रियों के प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था भी होनी चाहिए। विकास खण्डों में मुख्य केन्द्र के अतिरिक्त पाँच उपकेन्द्र भी स्थापित किये जायें जिनमें पूरे समय तक काम करने वाले कर्मचारी (बाल मेडिकार्थ) उपलब्ध हों। इन उपकेन्द्रों के

अतिरिक्त चौथी योजना में दत्त सहायता प्राप्त केन्द्र भी स्थापित किये जायेंगे। परिवार और बाल कल्याण कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं, स्वैच्छिक सगठनों और ग्रामीण कार्यकर्ताओं के सहयोग में चलाया जायेगा। यह विचार किया गया है कि पंचायत समिति परिवार और शिशु कल्याण केन्द्रों की स्थापना और ग्रामीण विकास एवं कल्याण के अन्तर्गत दिने गये सम्पूर्ण कार्य के लिये उत्तरदायी है।

परिवार और बाल कल्याण कार्यक्रम बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में चलाया जाना चाहिये। महिलाओं के कल्याण के लिये जो योजनाएँ चालू हैं, भविष्य में उन्हें जारी रखा जायेगा। इन योजनाओं में महिलाओं के लिए सक्षिप्त पाठ्यक्रमों की व्यवस्था उनके प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिये सामाजिक एवं जायिक मूनिटों की स्थापना, धर्मजीवी महिलाओं के लिये छात्रावास और विभिन्न कार्यों को चलाने के लिये महिला मण्डलों की सहायता आदि कार्य सम्मिलित हैं। बच्चों के कल्याण के लिये भी इसी प्रकार के अनेक कार्यक्रम हैं इनमें बच्चों के गृह सम्मिलित हैं जो या तो अनाथ हैं या जिन्हें देखने के लिये कोई भी नहीं है। इनमें पोषण, देखभाल, छुट्टी मनाने के गृह एवं विविध तथा बच्चों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय केन्द्र सम्मिलित हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान समुक्त राष्ट्र सच की एजेंडिया यूनेस्को और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन की सहायता से पूव व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये ६५ केन्द्र स्थापित किये गये। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस तरफ अधिक ध्यान दिया जायेगा।

(VIII) पिछड़ी जातियों तथा वर्गों का कार्यक्रम

पिछड़ी जातियां तथा वर्गों के कल्याण के विशेष कार्यक्रमों पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में ३० करोड़ रुपये, द्वितीय योजना में ७९ करोड़ रुपये और तीसरी पंचवर्षीय योजना में १०२ करोड़ रुपये व्यय हुये। इन २११ करोड़ रुपये में से ११५ करोड़ रुपये अनुसूचित आदिम जातियां ७२ करोड़ रुपये अनुसूचित जातियों, २२ करोड़ रुपये अन्य पिछड़े वर्गों पर व्यय किये गये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आदिम जातीय क्षेत्रों में स्थिति विकास खण्डों में ४३ विकास खण्ड बहु-उद्देशीय विकास के लिये चुने गये और आदिम जातियों के कल्याण के लिये जो व्यवस्था की गयी, उसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिये उपलब्ध साधनों में वृद्धि की गयी। सन् १९६० में इन खण्डों के विकास का विस्तार किया गया। इस विस्तार के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि तीसरी योजना में समस्त देश में आदिम जातीय विकास खण्ड कार्यक्रम अपनाये जायें। तृतीय पंचवर्षीय योजना से अन्त तक ४१५ आदिम जातीय विकास खण्ड प्रारम्भ किये गये।

सन् १९६१ की जनगणना के आधार पर देश की कुल जनसंख्या का लगभग १५ प्रतिशत भाग अनुसूचितों का है। लगभग ९० प्रतिशत अनुसूचित लोग ग्रामों में निवास करते हैं। अधिकांश व्यक्ति कृषि अथवा छोट-मोट कामों में लगे रहते हैं। प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जातियों के लिये विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग ७२ करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस धन राशि में से ३४ करोड़ रुपये शिक्षा योजनाओं, ११ करोड़ रुपये आर्थिक दशा सुधारने तथा २७ करोड़ रुपये स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनाओं पर व्यय किये गये।

भारतवर्ष में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या ४० लाख से अधिक है। तृतीय योजना में अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्यों पर ३ करोड़ रुपये व्यय

किये गये। इन जातियों के कल्याण के लिये रुचि रखने वाले सामाजिक कार्य कर्त्ताओं का अभाव है अतः कल्याण कार्यों में कठिनाई आती है।

(IX) सहकारिता और पंचायत कार्यक्रम

ग्रामीण भागों में सहकारी समितियों का विकास सामुदायिक विकास का महत्वपूर्ण कार्य है। सहकारी समितियाँ ग्रामीण विकास में बहुत सहायक हैं। ग्रामीण ऋण समितियाँ ऋण प्रदान करती हैं। विपणन समितियाँ किसानों के उत्पादनों का क्रय-विक्रय करती हैं उन्हें सहायता भी प्रदान करती हैं। छोटे तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिये भी सहकारिता महत्वपूर्ण है। ग्रामीण आर्थिक जीवन का विकास सहकारी समितियों द्वारा सम्भव हो सकता है। अतः सहकारिता सामुदायिक विकास का महत्वपूर्ण अंग है। पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता के क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का विकास किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को चलाने का कार्य भार ग्राम पंचायत पर होता है। पंचायतें विभिन्न समितियों के माध्यम से विकास कार्य सम्पन्न कराती हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में श्री बलदेव राय मेहता समिति के मुझावों के अनुसार जनतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। पंचायतें इसमें महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं।

प्रश्न

१. सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विन-विन गति विधियों को सम्मिलित किया गया है? पंचवर्षीय योजनाओं में इन कार्यों में क्या प्रगति हुई है?
२. कृषि क्षेत्र में सामुदायिक विकास का क्या महत्व है? कृषि के कौन-कौन से कार्यक्रम सामुदायिक विकास में सम्मिलित किये गये हैं?
३. 'ग्रामोद्योग और सामुदायिक विकास' विषय पर निबन्ध लिखिये।

सामुदायिक विकास प्रशासनिक ढांचा

सामुदायिक विकास योजनाओं को कार्यरूप में परिणित करने के लिये प्रशासनिक ढांचा आवश्यक है। यद्यपि एक जनता का कार्य-क्रम है किन्तु सरकार प्रशासन की उचित व्यवस्था करती है। कार्य-क्रम में गतिविधियाँ बहुत व्यापक होती हैं अतः उनके समन्वय के लिये प्रशासन अत्यन्त आवश्यक है। भारतवर्ष में प्रारम्भ में सामुदायिक विकास चालू करने के लिये सबसे ऊपर केन्द्रीय समिति गठित की गयी। इस समिति का कार्य व्यापक नीतियाँ निर्धारित करना तथा सामान्य देख-रेख का कार्य करना है। समिति को सलाह मण्डल (Advisory Board) सहायता प्रदान करता है। केन्द्रीय समिति के अन्तर्गत प्रारम्भ में सामुदायिक योजना प्रशासन (Community Projects Administration) संगठित किया गया। इस समय सामुदायिक योजना प्रशासन (CPI) छोटे से कार्यालय के रूप में था किन्तु बाद में एक बड़ा संगठन हो गया। सन् १९५६ में सामुदायिक विकास के लिये अलग मंत्रालय स्थापित किया गया किन्तु सामुदायिक योजना प्रशासन (CPI) को समाप्त नहीं किया गया। प्रशासन स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य व्यापक आन्दोलन को एकात्मक मार्ग प्रदान करना था। प्रशासन की सहायता के लिये आयोजन, अर्थ, जन-प्रशिक्षण के लिये विशेषज्ञों की नियुक्ति की गयी। इनके अतिरिक्त कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आवास आदि के लिये परामर्श देने के लिये विशेषज्ञ भी नियुक्त हुये।

सामुदायिक विकास मंत्रालय सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिये उत्तरदायी है। यह मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम तैयार करने, योग्य बनाने, बजट निर्धारित करने, निर्देशन देने तथा देश व्यापी कार्य क्रम के समन्वय का कार्य करता है। प्रारम्भ में यह मंत्रालय केवल सदेश वाहक रूप में था। इसका मुख्य कार्य विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य बिक्रम आयुक्तों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना था। केन्द्र में विभिन्न मंत्रालय तथा राज्य सरकारों अपने अपने क्षेत्रों में विकास खण्डों के

माध्यम से सम्पूर्ण विकास कार्यक्रम को चलाते थे और सामुदायिक विकास मंत्रालय उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करता था। कुछ समय पश्चात् यह अनुभव किया गया कि सहकारिता तथा ग्राम्य स्वराज विषय भी सामुदायिक विकास मंत्रालय के साथ मिला देने आवश्यक है। श्री बलवन्त राय समिति ने इनके पक्ष में सिफारिश की। फलतः भारत सरकार ने पंचायत तथा सहकारिता को इस मंत्रालय में मिला दिया। हमारे देश में सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के संगठन में समय-समय पर परिवर्तन किये गये हैं किन्तु संगठन का वर्तमान ढांचा निम्न प्रकार है —

केन्द्र

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिये केन्द्र में सामुदायिक विकास एवं सहकारी मंत्रालय है। केन्द्रीय समिति में मूल नीति निर्धारित की जाती है। वर्तमान समय में इसके सदस्य खाद्य, कृषि तथा सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्री और आयोजन आयोग के सदस्य हैं। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष होता है।

राज्य स्तर

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिवर्तित करने का दायित्व राज्य सरकारों का है। राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति अथवा इसके समकक्ष अन्य समिति होती है। समितियों के अध्यक्ष मुख्य मन्त्री होते हैं। सदस्यों में विकास विभागों के मन्त्री तथा विकास से आयुक्त सचिव होते हैं। विकास आयुक्त राज्यों में सामुदायिक विकास खण्डों का मार्ग दर्शन करते हैं। यह राज्य के विकास विभागों के मुख्य अधिकारियों का प्रमुख होता है। इसका कार्य विभिन्न विभागों के विकास कार्यों को समन्वित करना है। विकास आयुक्त के कार्यों को निम्न तीन भागों में बाँटा जाता है —

- (1) विकास आयुक्त केन्द्र से निर्देशन प्राप्त करता है और केन्द्र को राज्य में विकास का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। वह कार्यक्रम के सम्बन्ध में केन्द्र को अपने सुझाव भी भेजता रहता है।
- (11) केन्द्र में जिस प्रकार सामुदायिक विकास मंत्रालय कार्य करता है उसी प्रकार राज्यों में विकास आयुक्त कार्य करता है। आयुक्त राज्य में विकास कार्यक्रमों का समन्वय करता है। समय-समय पर उचित एवं आवश्यक निर्देशन भी सम्बन्धित अधिकारियों को देता रहता है।
- (111) विकास आयुक्त जिलाधीश के साथ प्रशासनिक सम्बन्ध बनाये रखता है।

इस प्रकार विकास आयुक्त केन्द्र तथा राज्य के वास्तविक कार्य क्षेत्र अधिकारियों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह अधिकारी राज्य स्तर पर प्रत्येक प्राविधिक मन्त्रालय एवं विभाग से निकट का सम्बन्ध स्थापित रखता है। प्रत्येक खण्ड को आवश्यक कमचारियों की सहायता की योजना भी यही तैयार करता है।

जिला स्तर

जिला स्तर पर कार्यक्रम चलाने के लिये जिला परिषदों की स्थापना की गयी है। इनमें पंचायत समितियों के प्रधान, संसद सदस्यों और विधान सभा के

सदस्यो सहित जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। जिला स्तर पर प्रशासन अधिकारी जिलाधीन होता है।

खण्ड स्तर

प्रत्येक जिले में विकास खण्ड होने है। खण्ड स्तर पर पंचायत समितियों की स्थापना की गयी है। पंचायत समितियों में ग्राम पंचायतों के सरपंच, निर्वाचित स्त्रियाँ और पिछड़ी एवं अनुमूचित जातियों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। समिति के निर्देश में खण्ड विकास अधिकारी (Block Development Officer) और कृषि सहकारिता पशुपालन आदि से सम्बन्धित आठ विस्तार अधिकारी कार्य करते हैं।

ग्राम स्तर

ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर कार्यक्रम का नियन्त्रण करती है। ग्राम स्तर पर प्रशासन का कर्मचारी ग्राम सेवक होता है। यह बहुधन्वी विस्तार कार्य-कर्ता होता है। विकास खण्ड के विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञों का निर्देशन तथा सहायता ग्राम सेवक को मिलती रहती है। इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रशासनिक ढाँचे में अंतिम कड़ी पर ग्राम सेवक होता है।

विकास खण्ड के कर्मचारी

जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है विकास खण्ड में खण्ड विकास अधिकारी महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को सफलता पूर्वक चलाने के लिये ही खण्ड अधिकारी का पद निर्धारित किया गया। खण्ड बनने से पूर्व तकनीकी विभाग कार्यक्रम चलाया करते थे किन्तु अनेक समस्याओं के कारण खण्ड विकास अधिकारी का पद आवश्यक समझा गया। इस पद के लिये राज्य सरकार की प्रशासकीय सेवा, कृषि विभाग, राजस्व विभाग तथा अन्य विभागों से अधिकारी लिये गये। इन व्यक्तियों को सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में छ सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात् छ सप्ताह का दूसरा प्रशिक्षण भी दिया जाता है जो कि खण्ड अधिकारी की मदद की जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में होता है। वास्तव में देखा जाये तो ग्रामीण विकास की सफलता खण्ड विकास अधिकारी की योजना पर बहुत अंश तक निर्भर है। वह खण्ड स्तर पर विकास कार्यक्रम के कर्मचारियों का कॅप्टन है। खण्ड विकास अधिकारी विभिन्न प्रसार अधिकारियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है।

खण्ड विकास अधिकारी के कार्य

खण्ड विकास अधिकारी खण्ड दल (Block Team) का प्रशासकीय अधिकारी होता है। इसके मुख्य कार्य निम्न लिखित हैं —

(१) खण्ड विकास अधिकारी खण्ड में कृषि कार्यक्रमों के लिये अपने नीचे के अधिकारियों की सहायता से योजना तैयार करता है। आने वाले वर्ष के लिये कृषि उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। इनके लिये वर्तमान फसलों के नमूनों उत्पादन स्तर प्रायः आन्तरिक एवं बाहरी साधनों आदि के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करवाना पड़ता है। इन साधनों तथा वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर भविष्य के लिये

योजना तैयार की जाती है। उत्पादन के सम्बन्ध में विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं।

(२) खण्ड विकास अधिकारी का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कृषि योजनाओं की सफलता के लिये आन्तरिक तथा बाहरी साधनों का अच्छी तरह संगठन करना। इस कार्य के अन्तर्गत उचित समय पर बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई का सामान, उन्नत उपकरण आदि का वितरण करना। इस कार्य को पूर्ण करने के लिये विकास अधिकारी को अपने खण्ड के कृषि कार्यों के लिये एक चाट तैयार करना चाहिए। उसे यह भी ज्ञात होना चाहिये कि उपरोक्त आवश्यक वस्तुयें कहाँ उपलब्ध हो सकती हैं ताकि समय पर इनको उपलब्ध कराया जाये।

(३) खण्ड विकास अधिकारी खण्ड स्तर पर ग्रामीण विकास गतिविधियों का समन्वय भी करता है। अपने दो नीचे के अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिये समन्वय अत्यन्त आवश्यक है। समन्वय अधिकारी होने के ताते विकास अधिकारी को अपने नीचे के कर्मचारियों की समय-समय पर बैठकें बुलानी चाहिये।

(४) खण्ड विकास अधिकारी अपने खण्ड में कार्य करने वाले प्रशासकीय अधिकारियों का प्रशासकीय अध्यक्ष होता है अतः उनके कार्यों की देख-रेख करना उसका प्रमुख उत्तरदायित्व है। खण्ड अधिकारी प्रसार अधिकारियों के घूमने के कार्यों (Tour programmes) का आयोजन एवं समन्वय करता है। वह ग्राम सेवकों के मुख्य कार्यालयों की देख-रेख के लिये जाते हैं और उनके रजिस्टर तथा रिकार्ड की जाँच करते हैं। ग्राम सेवकों ने दिये गये निर्देशनों के आधार पर कार्य किया है या नहीं और रिकार्ड उचित प्रकार से रखे हैं या नहीं आदि के सम्बन्ध में जाँच भी की जाती है।

(५) खण्ड विकास अधिकारी अपने खण्ड में प्रगति एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध में मूल्यांकन करते हैं। लक्ष्य एवं प्राप्ति को ध्यान में रख कर यह मालूम करते हैं कि विकास कार्यक्रमों से कहाँ तक सफलता मिली है।

(६) खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति के गैर सरकारी अधिकारियों के अन्तर्गत सचिव का भी कार्य करता है।

(७) खण्ड विकास अधिकारी समय-समय पर ग्रामीण जनता को सामुदायिक विकास के महत्त्व की जानकारी प्रदान करने के लिये और ग्रामीण आवश्यकताओं की जानकारी के लिये अनेक प्रकार के आयोजन करता है। वह ग्रामीण नेताओं से विचार विमर्श करता है।

खण्ड विकास अधिकारी खण्ड स्तर पर अनेक विकास कार्यों के लिये खण्ड कार्यक्रम तैयार करता है। खण्ड कार्यक्रम निम्नलिखित कार्यों से सम्बन्धित है—
 (१) कृषि (२) सिंचाई (३) बजर भूमि का सुधार (४) पशुपालन (५) सहकारिता (६) ग्रामीण एवं लघु उद्योग (७) यातायात व्यवस्था (८) शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा (९) स्वास्थ्य, सफाई एवं गृह-निर्माण (१०) स्त्रियाँ एवं शिशु कल्याण आदि। कुछ अन्य कार्य भी ग्रामीण आवश्यकताओं के आधार पर इनमें सम्मिलित किये जा सकते हैं।

खण्ड के प्रसार अधिकारी

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में खण्ड स्तर पर विभिन्न कार्यों के लिये कुछ विशेषज्ञ नियुक्त किये जाते हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में प्रचार की विधियों की जानकारी प्रदान करते हैं। ये अधिकारी ग्राम सेवकों को मार्ग प्रदर्शन करते हैं। प्रत्येक खण्ड में ८ विस्तार अधिकारी होते हैं—जो निम्न प्रकार हैं—(१) कृषि विस्तार अधिकारी (२) पशु सुधार अधिकारी (३) पचायत अधिकारी (४) सहकारिता अधिकारी (५) ग्रामीण एवं लघु उद्योग अधिकारी (६) निर्माण अधिकारी (७) शिक्षा तथा समाज शिक्षा अधिकारी (८) स्त्रियाँ एवं शिशु कल्याण अधिकारी। प्रसार अधिकारी खण्ड स्तर पर अपने-अपने क्षेत्रों में परामर्श देते हैं। प्रसार अधिकारियों को एक तरफ ग्राम सेवकों तथा खण्ड विकास अधिकारियों के मध्य कड़ी का काम करना पड़ता है और दूसरी तरफ जन सहयोग प्राप्त करना पड़ता है।

(१) कृषि प्रसार अधिकारी

कृषि विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में कृषि उत्पादकता बहुत निम्न है। उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये कृषि में वैज्ञानिक विधियों को अपनाना नितान्त आवश्यक है। हमारे देश में अधिकांश किसान अशिक्षित हैं अतः आधुनिक विधियाँ एवं उपकरण काम में लाने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। कृषकों को इन विधियों से परिचित करवाना पड़ता है। कृषि प्रसार अधिकारी आधुनिक अनुसंधान एवं प्रयोगों से परिचित होता है। किसानों को जानकारी देने के लिये कृषि प्रसार अधिकारी प्रदर्शनों का प्रबन्ध करता है जिनमें उन्नत बीज, रासायनिक खाद का उपयोग, उन्नत औजार एवं वैज्ञानिक विधियों का उपयोग बतलाया जाता है। किसानों को यह समय-समय पर उचित परामर्श देता है। कृषि प्रसार अधिकारी फसल को नष्ट करने वाले कीड़े मारने के नवीन तरीके और पीधों की बीमारियों का निदान करने की विधियाँ बतलाता है। हमारे देश में अधिकांश क्षेत्रों में अनाज रखने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसके कारण बहुत अनाज नष्ट हो जाता है। आजकल सहकारिता के क्षेत्र में भण्डार की व्यवस्था की जा रही है। प्रसार अधिकारी किसानों को इन गोदाओं का लाभ उठाने को प्रेरित कर सकता है। इसके अतिरिक्त मेड बाँधना, वृक्षारोपण, भू संरक्षण आदि कार्य भी यही अधिकारी देखता है।

कृषि प्रसार अधिकारी किसानों को तत्काली सहायता प्राप्त करने में उचित सहायता प्रदान करता है। कृषकों को कम्पोस्ट खाद बनाने में भी सहायता देता है। यह किसानों को हरी खाद के लिये खेतों में मूँग, सनई गुवार आदि लगाने की सलाह देता है।

(२) पशु सुधार अधिकारी

भारतवर्ष में पशु विकास समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पशु विकास के मार्ग में अनेकों कठिनाइयाँ हैं। भारतीय पशुओं की स्थिति बहुत खराब है। उनको पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं मिल पाता है और नहीं शुद्ध पानी मिल पाता है। उनके रहने के लिये अच्छे प्रबन्ध का अभाव पाया जाता है। अनेक कारणों से भारतीय पशुओं से विश्व के अन्य पशुओं की तुलना में बहुत कम दूध प्राप्त होता है। हमारे देश

मे मवेशियों की संख्या विश्व के अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक है किन्तु अधिकांश निम्न कोटि के हैं। पशुओं से दूध के अतिरिक्त, मास, चमड़ा, सींग, दात, हड्डियाँ आदि प्राप्त होते हैं। पशुओं के गोबर से अच्छी किस्म की खाद तैयार की जाती है। अतः इनको उन्नत बनाने के लिये खण्ड विकास मुख्यालय में आदर्श ग्राम परियोजना प्रारम्भ की गयी है। इस परियोजना के अन्तर्गत आधुनिक विधियों से मवेशियों की देखभाल, निवास की उचित व्यवस्था, भेड़ बकरियों के विकास के प्रयत्न, मछली पालन, आदर्श कुक्कुट केन्द्र आदि कार्यक्रम सम्मिलित किये गये हैं। खण्डों में मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिये उन्नत नस्ल के साँड़ की व्यवस्था की जाती है। जिन भागों में साँड़ नहीं रखे जाते हैं वहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाओं दी जाती है। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये अच्छे एवं पर्याप्त चारे की व्यवस्था भी आवश्यक है। पशु सुधार अधिकारी इन कार्यक्रमों को चालू करने तथा कार्य रूप में परिणित करने में पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। अनेकों पशुओं की रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। ये अधिकारी रोगों का निदान करते हैं। पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिये टीका लगाने का प्रबन्ध भी करते हैं।

भारतवर्ष में भेड़ पालन व्यवसाय भी महत्त्वपूर्ण है। यहाँ भेड़ों की संख्या पर्याप्त है किन्तु उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अधिकांश भेड़ों की नस्ल अच्छी नहीं है। उनसे ऊन कम तथा अच्छी किस्म की नहीं मिल पाती है। अतः इनकी नस्ल सुधारने में प्रसार अधिकारी बहुत सहायता करते हैं। मुर्गीपालन भी ग्रामीण क्षेत्रों में आय का मुख्य साधन है। इनके लिये अच्छी किस्म के पक्षियों का वितरण किया जा रहा है। सरकार आदर्श मुर्गी खाने बनाने के लिये आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है प्रसार अधिकारी इन कार्यक्रमों में पर्याप्त मदद करता है। जिन भागों में मछली पालन सुविधाएँ हैं वहाँ इसे भी उन्नत किया जा रहा है। अतः पशु प्रसार सुधार अधिकारी पशु विकास के लिये बहुत आवश्यक है।

(३) पंचायत प्रसार अधिकारी

पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायतों के विकास के प्रयत्न करता है। पहले पंचायत तथा सहकारिता के लिये प्रत्येक खण्ड में एक ही अधिकारी होता था किन्तु बाद में अलग-अलग अधिकारी नियुक्त किये गये। पंचायत प्रसार अधिकारी ग्रामीण जनता को आत्म-निर्भरता के गहत्व की जानकारी देता है। पंचायतों के माध्यम से अधिकाधिक काम करवाने में यह अधिकारी पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। पंचायत प्रसार अधिकारी को पंचायत संचालन के विषय में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह अधिकारी शिक्षा तथा प्रचार के माध्यम से पंचायतों की स्थिति सुधारने में मदद करता है। ग्रामीण जनता को पंचायत का कल्याणकारी राज्य में गहत्व बतलाने का सर्वोत्तम स्रोत यही अधिकारी हो सकता है। वह पंचायतों का आकार विस्तृत करने के प्रयत्न करता है। ग्रामीण कार्य-क्रम बहु-धनी होते हैं अतः पंचायत के लिये सभी कार्य साय करने में कठिनाई होती है। पंचायत प्रसार अधिकारी उप-समितियाँ बनाने की सलाह देता है। पंचायत अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी के सहयोग से जनता को पंचायत के नियमों की जानकारी देने के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। यह अधिकारी पंचायतों को बजट बनाने में सहायता प्रदान करता है। कार्यक्रम में प्राथमिकता निर्धारित करना अत्यन्त कठिन कार्य है। इसमें अधिकारी मदद करता है। कार्य-क्रम के लिये लक्ष्य निर्धारित करने में उसकी सहायता अपेक्षित

है। पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों में निफट के सम्बन्ध की आवश्यकता पड़ती है। प्रसार अधिकारी इन दोनों संस्थाओं का आवश्यक एवं उचित मार्ग दर्शन भी करता रहता है। इनके अतिरिक्त वह ग्रामीण आवश्यकताओं के आधार पर नियोजन, स्वीकृत कार्यक्रमों को कार्यरूप देना। ग्रामों में मानव एवं साधन शक्ति का संगठन और प्रगति का मूल्यांकन करता है।

(४) सहकारिता अधिकारी

भारतवर्ष के ग्रामीण विकास में सहकारिता को उल्लेखनीय स्थान प्रदान किया गया है। कृषि, ग्रामीण उद्योग, वाणिज्य, रोजगार आदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में इसकी बड़ी आवश्यकता है। ग्रामों में कृषि साख समितियाँ, विपणन समितियाँ, यातायात समितियाँ, सहकारी खेती, बुगकर समितियाँ, आवास समितियाँ आदि स्थापित की गयी हैं। सहकारिता प्रसार अधिकारी इन समितियों के विकास में पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। भारतीय कृषक एवं अधिकांश ग्रामीण जनता अशि-
क्षित है अतः सहकारिता के महत्व को अभी तक समझ ही नहीं पायी है। यह अधिकारी जनता को सहकारिता के सिद्धान्तों से अवगत कराता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के विकास के सम्बन्ध में अनेक बाधाएँ हैं। इनके निराकरण के उचित उपाय ढूँढना इस अधिकारी का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। खण्ड में सहकारी समितियों की देख रेख करना, नवीन समितियों का संगठन करना तथा कमजोर समितियों को सुदृढ़ बनाने में सहायता देना आदि कार्य भी प्रसार अधिकारी करता है। वह अधिकांश ग्रामीण जनता को सहकारी क्षेत्र में लाने के प्रयत्न करता है। सहकारी विपणन व्यवस्था, सहकारी खेती, उचित भण्डारण, सेवा सहकारियों के द्वारा यह अधिकारी ग्रामीण जनता को उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है। कृषि साख के क्षेत्र में किसानों को अल्प एवं दीर्घ कालीन ऋण दिलाने का प्रयत्न करता है।

(५) ग्रामीण एवं लघु उद्योग अधिकारी

ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का विशेष महत्त्व है। कृषक वर्ष के कुछ दिनों में बेरोजगार रहते हैं। कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में ग्रामोद्योग का विकास अत्यन्त आवश्यक है। खण्ड स्तर पर इसके विकास के लिए एक प्रसार अधिकारी होता है यह अधिकारी प्राचीन उद्योगों को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय माधुनों के आधार पर नवीन उद्योगों के विकसित करने के प्रयत्न करता है। वह खण्ड में अतिरिक्त कच्चे माल, मानव शक्ति, बाजार, कार्यक्षमता आदि का अध्ययन करके उद्योगों के विकास की सम्भावना की जानकारी करता है। जिन उद्योगों की अधिक सम्भावना है उनके संगठन के निरन्तर सुझाव देता है। जिन व्यक्तियों के पास वर्ष से पूरे दिनों के लिये रोजगार नहीं है, उन्हें रोजगार बतलाता है। जनता को उद्योगों के विकास के लिए प्राविधिक तथा वित्त सहायता जो मिल सकती है उसे दिलवाने का प्रयत्न करता है। कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के सामने तैयार माल के विपणन की बड़ी भयंकर समस्या है। प्रसार अधिकारी बिक्री में पर्याप्त मदद करता है। उद्योगों को चलाने के विषय में इससे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में निरन्तर अनुसन्धान कार्य चलते रहते हैं। इन अनुसन्धानों के नतीजे इस अधिकारी द्वारा जनता तक पहुँचाये जाते हैं। ग्राम विकास के लिये यह अधिकारी अनेक प्रयत्न करता है।

(६) निर्माण अधिकारी

प्रत्येक विकास खण्ड में एक निर्माण अधिकारी अथवा ओवरसियर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, सफाई, आवास आवागमन, खेती तथा लघु बिचाई कार्यों के लिए कई प्रकार के निर्माण कार्य होते हैं। इन कार्यों में तकनीकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। निर्माण अधिकारी इन क्षेत्रों में पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। जिन भागों में पानी उपलब्ध है वहाँ सर्वेक्षण कार्य इस अधिकारी द्वारा किये जाते हैं। कुएँ, तालाब आदि निर्माण में सहायता देता है। गृह निर्माण कार्यों में वह आदर्श घन बनाने में सहायक होता है। ग्रामों में यातायात की व्यवस्था के लिये सड़कों का निर्माण करवाने में मदद देता है। ग्रामों में अनेक स्थानों पर कच्ची सड़कों का निर्माण किया जाता है उनमें भी ओवरसियर से आवश्यक सहायता ली जा सकती है। ग्रामों में पाठशालाएँ, औपचारिक, पंचायत भवन आदि के नवने बनाना है। इनके अतिरिक्त यह ग्रामों में गलियों को पक्का बनवाने, पीने के पानी के कुएँ बनाने तथा अन्य निर्माण कार्यों में देख-रेख करता है।

(७) शिक्षा तथा समाज शिक्षा अधिकारी

भारतवप में साक्षरता अभियान सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। सामुदायिक विकास की सफलता से लिए जन सहयोग नितान्त आवश्यक है किन्तु यह सभी मिल सकता है जबकि जनता शिक्षित हो। इसके लिए खण्ड स्तर पर समाज शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इस अधिकारी के कार्य सम्पूर्ण विकास कार्यक्रम को जनता के सामने रखना, उमका महत्व समझना विकास कार्यक्रमों के प्रति रूचि पैदा करना आदि मुख्य हैं। ये सामुदायिक भावना जागृत करते हैं। गोष्ठियों तथा सामूहिक विचार विमर्श के माध्यम से लोगों में मिल जुल कर समस्याओं को दूर करने की आदत विकसित करते हैं। वे शिक्षा के माध्यम के विकास का उचित माध्यम उपस्थित करते हैं। इसके अतिरिक्त युवक मण्डल, महिला समूह, किसान मण्डल, विभिन्न रूचि के समूह आदि का निर्माण करना भी मुख्य कार्य है। समाज शिक्षा अधिकारी साक्षरता आन्दोलन, साक्षरता के लिए शिक्षा का आयोजन, स्वास्थ्य शिक्षा, नागरिकता के लिये शिक्षा, ग्राम पुस्तकालय तथा वाचनालय की स्थापना आदि कार्यक्रमों का आयोजन करता है। मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भी यह प्रसार अधिकारी सहायता प्रदान करता है। वे गतिविधियाँ लोकनृत्य, नाटक, भजन, कीर्तन, कथाएँ, मेले, प्रदर्शनियाँ, खेल, तमांगे आदि हैं।

(८) महिला एवं शिशु कल्याण अधिकारी

महिलाओं तथा शिशु कल्याण के लिये खण्ड स्तर पर एक अधिकारी होता है। यह कार्य महिलाएँ ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। विकास कार्यक्रमों में महिलाओं के लिये साक्षरता केन्द्र स्थापित किया जाता है। स्त्रियों के लिये सीना पिरोना, रूपड़े बुनना, खिचीना बनाना, अम्बर चरना, तथा अन्य दस्तकारियाँ बहुत लाभदायक हो सकती हैं। यह अधिकारी इन कार्यों में पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। बालकों के कल्याण कार्यों में भी वे बहुत सहायक होने हैं।

ग्राम सेवक

ग्राम सेवक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रशासनिक ढांचे में सबसे अन्तिम कड़ी है। ग्रामीण विकास में उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह एक बहुप्रयोजन कर्मचारी होता है। ग्राम सेवक के मुख्य कार्य लोगों को उनकी समस्याओं से अवगत कराना, साधनों का उचित उपयोग बताना, अच्छे जीवन बिताने की भावना जाग्रत करना, कृषि विकास में उन्नत बीज तथा आधुनिक उपकरणों का महत्व समझाना, सरकारी तथा अन्य स्रोतों से सहायता दिलवाना आदि हैं। कृषकों की हालत सुधारने के लिये नवीन विधियों का उपयोग बतलाना भी उसी का कार्य है। कृषि के अतिरिक्त सभी प्रकार के विकास कार्यक्रमों में वह किसानों का मार्ग दर्शक, मित्र एवं सहायक है।

ग्राम सेविका

सामुदायिक विकास आन्दोलन प्रारम्भ होने के कुछ समय पश्चात् यह आवश्यक समझा गया कि महिलाओं के कार्यक्रम की सफलता के लिए ग्राम सेविकाओं की नियुक्ति की जाये। प्रत्येक खण्ड में दो ग्राम सेविकाओं की व्यवस्था की गयी। ये सेविकाएँ महिलाओं के कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायता प्रदान करती हैं। भारतवर्ष में ग्रामीण परिस्थितियों से परिचित ग्राम सेविकाओं का अभाव है अतः उनका कार्य कोई सन्तोषजनक नहीं रहा है। कुछ भागों में जहाँ स्त्रियाँ कुशल नेता हैं और उनको समर्थन मिला है वहाँ ग्राम सेविकाओं ने अच्छा कार्य किया है।

अन्य

उपरोक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रगति सहायक, चिकित्सक, स्टोक मैन, कम्पाउण्डर, लेडी हेल्थ विजिटर, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आदि भी हैं। प्रगति सहायक खण्ड अधिकारों की सहायता से सार्वजनिकी का कार्य सम्भालता है। चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की देखरेख करता है। वह रोग को फैलने से रोकता है। कम्पाउण्डर इस प्रकार के औषधालयों में मलहम तथा दवा आदि तैयार करता है। वह चिकित्सक की सहायता करता है। चिकित्सक को, गफ्टाई इन्स्पेक्टर, खण्ड के स्वास्थ्य सर्वेक्षण में पर्याप्त सहायता करता है। लेडी हेल्थ विजिटर गर्भवती स्त्रियों तथा शिशुओं के स्वास्थ्य की देख-रेख करती है।

पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास

पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण सर्वांगीण विकास के लिये सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपनाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास का व्यापक दृष्टिकोण है। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं से पूर्व प्रामोन्नति के अनेक प्रयत्न किये गये थे किन्तु पर्याप्त सफलता नहीं मिल सकी थी। इनके मुख्य कारण थे जन सहयोग की अपेक्षा करना तथा देहातो के बहुमुखी विकास के कार्यक्रमों का अभाव। वर्तमान सामुदायिक विकास योजनाओं में विकास करने वाली सरकारी संस्थाएँ पूर्वं आयोजित और समन्वित कार्यक्रमों में एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। इनके माध्यम से राष्ट्रीय योजना देहाती जीवन की आवश्यकताओं की तरफ अग्रसर होती है। पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्राम सुधार के अब तक किये गये समस्त प्रयत्नों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्याप्त आर्थिक साधनों, तकनीकी ज्ञान, अनुभव, ग्राम्य सहयोग के आधार पर इसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ किया गया है। योजना बद्ध आर्थिक विकास में ग्रामीण समुदायों की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दशा सुधारने के अनेक प्रयत्न किये गये हैं किन्तु उनमें सामुदायिक विकास सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास

भारतवर्ष में सामुदायिक विकास का सूत्रपात २ अक्टूबर १९५२ को चुने हुये ५५ परियोजना केन्द्रों में हुआ। प्रत्येक योजना का क्षेत्र लगभग ५०० वर्गमील रखा गया जिसमें ३०० गाँव सम्मिलित किये गये। एक परियोजना में तीन विकास खण्ड रसे गये जिनमें प्रत्येक में १०० ग्राम तथा लगभग ६०-७० हजार जनसंख्या सम्मिलित की गयी। प्रथम योजना काल में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास योजना कार्य के क्षेत्र में ९० करोड़ रुपये व्यय किये गये जो कि कुल व्यय का ३८ प्रतिशत था। प्रथम योजना के अन्त में कुल मिलाकर १२०० विकास खण्ड बनाये गये। इनमें से ३०० विकास खण्ड सामुदायिक विकास तथा ९०० विकास खण्ड राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के आधीन हैं। कुछ अवधि के पश्चात् राष्ट्रीय विस्तार

मेवा के ४०० विकास खण्डों में बहुत तेज गति से विकास कार्य किये गये। सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार एक ही कार्यक्रम के परस्पर सम्बद्ध पक्ष थे। प्रथम योजना में १२२९५७ ग्राम इस योजना के अन्तर्गत लाये गये जिनमें से सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार में क्रमशः ३२९५७ तथा ९०,००० थे। देश में कुल ७९८ लाख जनसंख्या सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमों के अन्तर्गत थी। इसमें से २०४ लाख व्यक्ति सामुदायिक तथा ५९४ लाख व्यक्ति राष्ट्रीय विस्तार के अन्तर्गत थे। प्रथम योजना में विकास की स्थिति नीचे दी गयी तालिका से स्पष्ट हो सकती है।

प्रथम योजना में चालू विकास खण्ड

	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६	योग
विकास खण्ड					
सामुदायिक विकास	२४७	५३	—	—	३००
राष्ट्रीय विस्तार	—	२५१	२५३	३९६	९००
योग	२४७	३०४	२५३	३९६	१२००
ग्राम संख्या					
सामुदायिक विकास	२५,२६४	७६९३	—	—	३२९५७
राष्ट्रीय विस्तार	—	२५१००	२५३००	३९६००	६००००
योग	२५२६४	३२७९३	२५३००	३९६००	१२२९५७
आवादी (लाखों में)					
सामुदायिक विकास	१६४	४०	—	—	२०४
राष्ट्रीय विस्तार	—	१६६	१६७	२६१	५९४
योग	१६४	२०६	१६७	२६१	७९८

[स्रोत—द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पृष्ठ ८९]

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास का प्रारम्भ था जत अनेक कठिनाइयाँ सामने आयी। इस काल में मूल्यांकन की तीसरी रिपोर्ट में कार्यक्रमों के कुछ व्यावहारिक अंगों की तरफ ध्यान दिया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम को और अधिक व्यापक रूप देने का कार्यक्रम तैयार किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इस बात पर बल

दिया कि दूसरी योजना के अन्त तक देश के सभी भागों में राष्ट्रीय विस्तार खण्डों को सामुदायिक विकास खण्डों में परिवर्तित कर देना चाहिये। इस काल में ३८०० अतिरिक्त विकास खण्ड चलाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये। इस समय यह भी व्यवस्था की गयी कि ११२० विकास खण्डों को सामुदायिक विकास खण्डों में बदल दिया जायेगा। द्वितीय योजना में कार्यक्रम चलाने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि ग्रामीण जनता में इन कार्यक्रमों में भाग लेने की भावना जागृत की जाये। जन सहयोग इस आन्दोलन की आधारभूत मान्यता है। जनता स्वयं यह महसूस करे कि यह आन्दोलन उनका तथा उनके लिये ही है। अतः दूसरी योजना में जन सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल देने के लक्ष्य रखे गए।

**द्वितीय योजना के सामुदायिक योजना प्रशासन का अस्थायी कार्यक्रम
(खण्ड के लक्ष्य)**

वर्ष	राष्ट्रीय विस्तार सेवा	सामुदायिक विकास खण्डों में उनका परिवर्तन
१९५६-५७	५००	—
१९५७-५८	६५०	२००
१९५८-५९	७५०	२६०
१९५९-६०	९००	३००
१९६०-६१	१०००	३६०
योग	३८००	११२०

[स्रोत—द्वितीय पंचवर्षीय योजना पृष्ठ ७०]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम पर २०० करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि उत्पादन के अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति होगी।

- (१) सहकारी कार्यक्रमों की प्रगति जिसमें सहकारी कृषि भी सम्मिलित है।
- (२) ग्रामीण विकास की सन्धिय सस्थाओं के रूप में पंचायतों का विकास।
- (३) चक्रवर्ती।
- (४) ग्रामीण तथा लघु उद्योगों की प्रगति।

(५) ग्रामों में निर्बल व्यक्तियों की सहायता के लिए कार्यक्रम संगठित करना विशेषकर छोटे किसान, भूमिहीन किसान, श्रमिक तथा दस्तकारों के लिए।

(६) युवकों और महिलाओं के लिये विभिन्न कार्यक्रमों को तेज गति प्रदान करना ।

(७) आदिवासी क्षेत्र में पर्याप्त कार्य करना ।

ग्रामीण आवश्यकताओं जैसे ग्रामीण सड़कों का निर्माण, सफाई, पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था शिक्षा आदि का कार्य आरम्भिक अवस्था में ही प्रारम्भ करना होगा । सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रमों की जाँच करने के लिए सन् १९५७ में एक दल नियुक्त किया गया था जिसके अध्यक्ष श्री बलवन्त राय मेहता थे । इन दल के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं अतः उनके सम्बन्ध में जानना आवश्यक है ।

मेहता समिति के सुझाव

मेहता समिति ने कार्यक्रमों की जाँच की और अपने प्रतिवेदन में इनको सफल बनाने के लिए अनेक सुझाव दिये जो निम्न प्रकार हैं -

(१) ग्रामीण विकास का काम जनता द्वारा चुनी गयी स्थानीय संस्थाओं को सौंप देना चाहिये । इस समिति ने लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण पर विशेष बल दिया । इसके लिए पंचायत समिति तथा जिना-परिषद स्थापित करने का सुझाव रखा । ग्राम-पंचायतें पंचायत समितियों का चुनाव करेंगी । जिला स्तर पर जिना-परिषद होनी चाहिये जिसमें ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष उस क्षेत्र के सदर और राज्य विधानमन्त्रालय के सदस्य तथा जिले के अधिकारी होंगे । जिनाधीन इन परिषदों के अध्यक्ष होंगे ।

(२) समिति ने इस बात पर भी बल दिया कि योजनाओं के कार्यक्रम तथा उनके लक्ष्य स्थानीय प्रतिनिधियों के सहयोग से निर्धारित किये जाने चाहिये ।

(३) समिति ने कार्यक्रम की तीन अवस्थाओं को समाप्त करने की भी सिफारिश की । ये तीन अवस्थाएँ (i) राष्ट्रीय विस्तार, (ii) सघन विकास (iii) सघन विकास के बाद की अवस्था आदि हैं ।

(४) समिति का यह सुझाव भी महत्वपूर्ण था कि केन्द्र के विभिन्न मन्त्रालय जो ग्राम विकास के कार्यक्रम चला रहे हैं उनमें सामुदायिक विकास मन्त्रालय सम्बन्ध स्थापित करे ।

(५) समिति ने सुझाव दिया कि ग्राम सेवक के अन्तर्गत जो क्षेत्र रखा जाये वह अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए । जहाँ तक परिवारों तथा व्यक्तियों की संख्या का प्रश्न है समिति ने कहा कि एक ग्राम सेवक के अन्तर्गत ८०० परिवार अथवा ४००० जनसंख्या से अधिक नहीं होना चाहिये ।

(६) समिति ने श्रुति और ग्रामोद्योग के विकास के सम्बन्ध में भी सुझाव पेश किया ।

आन्दोलन का नवीन रूप

श्री बलवन्त राय मेहता समिति के सुझावों के आधार पर सरकार के आन्दोलन को नवीन रूप प्रदान करने के लिये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये । उन परिवर्तनों का उल्लेख निम्न है :-

(१) सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पहले तीन अवस्थाएँ थी—राष्ट्रीय प्रसार सेवा, सघन तथा सघनोत्तर अवस्था। प्रथम अवस्था तीन वर्ष की थी जिसमें एक मीमित कार्यक्रम ही कार्यान्वित किया जाता था। इसमें चार लाख रुपये की लागत थी। द्वितीय चरण भी तीन वर्ष की अवधि का था। इसका ८ लाख रुपये का बजट रखा जाता था। तृतीय सोपान में प्रत्येक वर्ष में केवल तीस हजार रुपये ही व्यय किये जा सकते थे। श्री बलवन्त राय मेहता समिति ने इन अवस्थाओं के भेद को समाप्त करने की सिफारिश की। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास के पाँच-पाँच वर्ष के दो सोपान बना दिये। प्रथम अवस्था में १२ लाख रुपये और दूसरी में ५ लाख रुपये रखे गये। इस परिवर्तन के फलस्वरूप सामुदायिक विकास को समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक करने की अवधि अक्टूबर १९६० से बढ़ाकर अक्टूबर १९६३ तक कर दी।

(२) मेहता समिति ने लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण पर विशेष जोर दिया था। सन् १९५८ में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इन पर विचार किया और इसे आवश्यक घोषित किया। लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण के लिये ग्राम पंचायतें तथा ग्रामीण सहकारियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण समझी गयीं। जिला स्तर पर भी प्रजातान्त्रिक संस्थाओं की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। इस नीति के परिणामस्वरूप विकास योजनाएँ बनाने और लागू करने के अधिकार तथा साधन जनता की प्रतिनिधि संस्थाओं को सौंप दिया गया। २७ अक्टूबर १९५९ में सर्वप्रथम राजस्थान में ऐसा प्रयत्न किया गया। इसके पश्चात् १ नवम्बर १९५९ में आन्ध्रप्रदेश में ये कदम उठाये गए। राजस्थान में ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतें, विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समितियाँ तथा जिला स्तर पर जिला परिषदों की स्थापना की गयी। ग्रामीण जनता ग्राम पंचायतों का चुनाव करती है। पंचायत समितियों में ग्राम पंचायतों में चुने गए सरपंच, महिलाएँ, पिछड़ी जातियों तथा अनुमूचित जातियों के कुछ प्रतिनिधि भी होते हैं। जिला परिषदों में जिले की पंचायत समितियों के प्रधान उस जिले के सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य तथा कुछ अन्य अधिकारी सदस्य होते हैं।

(३) नवीन परिवर्तनों में खण्ड की योजना व विकास की इकाई बनाने पर जोर दिया गया। खण्ड में योजना में निम्न बातें सम्मिलित की जायेंगी —

- (i) विकास खण्ड के कार्यक्रम तथा बजट की मदें।
- (ii) विभिन्न विभागों के बजटों की मदें।
- (iii) स्थानीय जनता के द्वारा किये गये कार्य।
- (iv) अकृषक तथा अर्ध-कृषक मजदूरों के कार्य।
- (v) अन्य कार्य।

उपरोक्त महत्वपूर्ण परिवर्तनों के आधार पर तृतीय योजना में कार्य किया गया। द्वितीय योजना में सामुदायिक विकास पर १८८ ८९ करोड़ रुपये व्यय किये गये जबकि प्रथम योजना में ४६ १८ करोड़ रुपये ही व्यय किये गये थे। प्रथम एवं दूसरी योजना में व्यय निम्न प्रकार किया गया—

प्रथम तथा दूसरी योजना में व्यय

विवरण	प्रथम योजना (करोड़ रुपए)	द्वितीय योजना (करोड़ रुपए)
१ विकास खण्ड के प्रधान कार्यालय (आवायात, कार्यालय भवन तथा अन्य सामान सहित)	१०.४१	५४.७६
२ कृषि तथा पशु पालन	३.५५	११.००
३ मिचाई तथा अन्य	१०.८३	४८.५९
४ ग्रामीण उद्योग	२.८१	७.०१
५ स्वास्थ्य तथा ग्रामीण सफाई	३.७९	१६.८७
६ शिक्षा	३.४४	१२.०६
७ सामाजिक शिक्षा	२.००	१०.१९
८ संचार	५.१६	१२.६१
९ ग्रह निर्माण	१.७३	१०.९०
१० अवगोहृत	२.७६	३.१३
योग	४५.६८	१८७.१२

(Source India 1969 p 258)

उपरोक्त तालिका में केन्द्रीय योजनाओं की राशि नहीं सम्मिलित की गयी है। इस मद में प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में क्रमशः २० लाख रुपये तथा २२७ करोड़ रुपय व्यय किये गये।

मुख्य संशोधित लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

मदें	लक्ष्य १९६०-६१	उपलब्धियाँ	
		१९५६-५७	१९६०-६१
१ विकास खण्ड सख्या	३१३७	१५६४	३१००
२ अन्तगत आये गाँव हजार	३७०	२०९०	३७०
३ अन्तगत आयी जनसंख्या लाख	२०३१	११२७	२१००

[Sources — (i) दूसरी पंचवर्षीय योजना १९५९-६० की प्रगति रिपोर्ट
(ii) तृतीय पंचवर्षीय योजना।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्यों में परिवर्तन करके जो नवीन लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उनमें ३१३७ विकास खण्डों का लक्ष्य रखा गया था। योजना के अन्त में ३१०० विकास खण्ड आरम्भ किये जा चुके थे। इनमें लगभग ३७ लाख

ग्राम तथा २१ करोड़ व्यक्ति सम्मिलित हो चुके थे। विकास खण्डों में एक तिहाई खण्ड इस प्रकार के थे जिनमें पाँच वर्ष की अवधि का प्रथम चरण पूरा हो चुका था।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास

तृतीय पंचवर्षीय योजना में द्वितीय योजना के अन्तिम वर्षों में किये गये नवीन प्रयत्नों के आधार पर कार्यक्रम चलाने की व्यवस्था पर जोर दिया गया। योजना प्रारूप के अनुसार सामुदायिक विकास को नयी दिशा में अग्रसर होना होगा तथा पुराने कार्यक्रमों में नयी उपलब्धियाँ प्राप्त की जाएँगी। तृतीय योजना काल में द्वितीय अवस्था के लगभग दो हजार प्रखण्ड हो जाएँगे तथा एक हजार से भी अधिक विकास कार्यक्रम के दम वर्ष पूर्ण कर चुकेगे। इस योजना के प्रारम्भिक रूपरेखा में निम्न-लिखित क्षेत्र निश्चित किये गए जिनमें कार्यक्रमों का आधार विकास खण्ड तथा जिला हों।—

(१) कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्र जैसे लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, पशु पालन प्रामीण वन आदि।

(२) सहकारिता विकास।

(३) ग्रामीण तथा लघु उद्योग।

(४) प्राथमिक शिक्षा।

(५) ग्रामीण क्षेत्रों में जल पूर्ति तथा अन्य आवश्यक सुविधायें।

(६) ग्रामीण मानव शक्ति के उत्तम उपयोग के लिए निर्माण कार्यक्रम।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में विकास खण्डों की सफलता स्वाध्याय तथा आत्म निर्भरता के लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर जाँची जायेगी। तीसरी योजना के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित निर्धारित किये गये —

(१) राष्ट्रीय आय में पाँच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि करना। पूँजी का विनियोजन इस प्रकार करना कि वृद्धि का यह ऋण आगे भी चलता रहे।

(२) साक्षात् उत्पादन इतना बढ़ाया जायेगा कि देश को बाहर से अनाज मँगवाने की आवश्यकता न पड़े।

(३) आय तथा सम्पत्ति की विषमता को कम किया जायेगा।

(४) देश की मानव शक्ति के उचित उपयोग के प्रयत्न किये जायेंगे तथा अधिक व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा प्रदान की जायेगी।

इन लक्ष्यों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत सहायक भिन्न हो सकता है। देश को रूढ़िवादी बनाने में ग्रामीण उत्थान बहुत महत्वपूर्ण है। साक्षात् उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषि क्षेत्र में पर्याप्त प्रयत्न करने होंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कृषि विकास के लिये सर्वोत्तम माने गये। रोजगार की सुविधायें ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी।

तृतीय योजना में कार्यक्रम के लिये ३२१९ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। इस पत्र राशि में से २८७७ करोड़ रुपये सामुदायिक विकास, २८२ करोड़ रुपये पचायता तथा ६ करोड़ रुपये केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत रखे गये थे। वर्ष १९६१-६२ में ५३५३ करोड़ रुपये तथा वर्ष १९६२-६३ में ५५५३ करोड़ रुपये व्यय करने के प्रावधान रखे गये थे। किन्तु तीसरी योजनावधि में कुल व्यय २६९१ करोड़ रुपये हुआ। इसमें से २६७३२ करोड़ रुपये विभिन्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार व्यय किये गए (शेष केन्द्र योजनाओं में व्यय किये गये) —

तीसरी योजना में व्यय

विवरण	तीसरी योजना (करोड़ रुपये)
१ विकास खण्ड प्रधान कार्यालय (मातायात कार्यालय भवन तथा अन्य सामान को सम्मिलित करते हुये)	८० ९९
२ वृषि एव पशु पालन	३० ३१
३ सिंचाई तथा भूमि संरक्षण	५८ ६०
४ ग्रामीण उद्योग	१३ ५३
५ स्वास्थ्य एव सिंचाई	२३ १८
६ शिक्षा	१४ ०६
७ सामाजिक शिक्षा	१३ ७९
८ संचार	१८ ४८
९ गृह निर्माण	११ ६७
१० विविध	२ ८४

(Source India 1969 p 258)

तृतीय पंचवर्षीय योजना में विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण मनुष्य शक्ति के उपयोग का कार्यक्रम कुओं के निर्माण का कार्यक्रम आदि थे। ग्रामीण मनुष्य शक्ति को रोजगार सुविधायें प्रदान के प्रयत्न किये गये। तीसरी योजना में १९३३ करोड़ रुपये इस कार्यक्रम पर व्यय किए गए जिससे ८२५ लाख मनुष्य दिन (Mondays) का रोजगार दिया गया। रोजगार सुविधायें निर्माण कार्यक्रमों जैसे लघु सिंचाई सुविधाओं, मिट्टी के कटाव को रोकने वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, सड़कों के निर्माण आदि में प्रदान की गयी। तीसरी योजना में १६१५०६ कुओं का निर्माण किया गया।

तीसरी योजना में प्राप्ति

मदें	कुल प्राप्ति का बर्षान्ति १९६५-६६
(i) कृषि:	
(१) उन्नत बीज वितरित किये गये (क्विंटल)	५७७००००
(२) रासायनिक उर्वरक वितरित किये गये (क्विंटल)	२६९३७०००
(३) रासायनिक पेस्टी माइड्स वितरित किये गये (क्विंटल)	२९३२०४
(४) उन्नत उपकरण वितरित किये गये (संख्या)	७९२२९७
(५) कम्पोस्ट गड्डे खोदे गये (संख्या)	५४५४०००
(ii) भूमि सुधार :	
(१) शुद्ध सिंचित क्षेत्र (अनिरिक्त) हेक्टेयर	११५५५०६
(२) भूमि सरक्षण (हेक्टेयर)	४९३६६६
(iii) पशुपालन :	
(१) उन्नत पशुओं की पूर्ति (संख्या)	३९३४०
(२) उन्नत पशुओं की पूर्ति (संख्या)	१५३०९६९
(iv) स्वास्थ्य और सफाई :	
(१) ग्रामीण दौंचालयों का निर्माण (संख्या)	८१३३०
(२) पक्के नालों का निर्माण (संख्या)	१९४४०००
(३) प्रायोगिक लग गलियों को पक्का किया गया (बग मीटर)	१२६५०००
(४) गन्दे पानी के गड्डों का निर्माण (संख्या)	२०८१८०
(५) पीने के पानी के कुओं का निर्माण (संख्या)	४१०६४
(६) पीने के पानी के कुओं को सुधारा गया (संख्या)	५०६३१
(v) सामाजिक शिक्षा :	
(१) प्रौढ शिक्षा केन्द्र चाल किये गये (संख्या)	५६७१८
(२) प्रौढ शिक्षित किये गये (संख्या)	१०३२००२
(३) नेता प्रशिक्षित किये गये (संख्या)	४६४१८६
(vi) संचार :	
(१) नयी कच्ची सड़कों का निर्माण (किलोमीटर)	३०८३९
(२) वर्तमान कच्ची सड़कों का सुधार (किलोमीटर)	४९८४६
(३) सड़क से पानी पार करने वाले कच्चे नालों का निर्माण (संख्या)	२४७८५
(vii) ग्रामीण एवं लघु उद्योग :	
(१) उन्नत उपकरणों का मूल्य जो वितरित किये गये :—	
(a) लुहार गिरी (रुपये)	६४९३९९
(b) साहो गिरी (रुपये)	९०२२१२

वार्षिक योजनाओं (१९६६-६९) में सामुदायिक विकास

तृतीय पंचवर्षीय योजना के पदचात एक वर्षीय योजनाओं (१९६६-६९) में विकास कार्यक्रम निरन्तर चलते रहे। इन तीन वर्षों में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में कृषि के उन्नत तरीकों का शीघ्र एवं प्रभावकारी प्रसार किया गया। सन् १९६६ के आरम्भ में सामुदायिक विकास को खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय के अन्तर्गत लाया गया। इस परिवर्तन के साथ आत्म निर्भर आर्थिक विकास तथा खाद्यान्न में आत्म निर्भरता पर विशेष बल दिया गया।

जनवरी १९६७ के आरम्भ में सम्पूर्ण ग्रामीण भारत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आ चुका था। इस समय प्रथम चरण में १८५३ विकास खण्डों में २२२०३ खण्ड द्वितीय चरण तथा ११९०३ विकास खण्ड द्वितीय चरण के बाद की अवस्था में थे।^१ जनवरी १ १९६९ की देश में कुल ५२६५३ सामुदायिक विकास खण्ड थे। इनमें से ६९३ विकास खण्ड प्रथम चरण २४९६५ विकास खण्ड द्वितीय चरण और २०७१३ विकास खण्ड तृतीय चरण के बाद की अवस्था में थे। अभी तक चार विकास खण्ड विस्तार के पूर्व की अवस्था में ही थे।

वर्ष १९६६-६७ तथा १९६७-६८ में क्रमशः ४०३९ तथा ३००६ करोड़ रुपये सामुदायिक विकास पर व्यय किया गया जिसमें केन्द्र की योजना का अंश सम्मिलित नहीं है। इन व्ययों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है —

आर्थिक योजनाओं में व्यय

मदें	१९६६-६७ (करोड़ रुपये)	१९६७-६८ (करोड़ रुपये)
१ विकास खण्ड प्रधान कार्यालय (यातायात कार्यालय भवन अन्य साधनों को जोड़ते हुये)	१३ ८०	१० ६१
२ कृषि और पशु पालन	६ ५९	४ २५
३ सिंचाई एवं भू संरक्षण	६ ०८	४ ०३
४ ग्रामीण उद्योग व धंधे	१ ८६	१ ५८
५ स्वस्थ एवं सफाई	२ ६७	२ ७०
६ शिक्षा	१ ३१	१ ११
७ सामाजिक शिक्षा	१ ०७	१ १७
८ संचार	४ ३१	२ ८७
९ गृह निर्माण	१ ००	० ९३
१० विविध	१ ७०	० ८१
योग	४० ३९	३० ०६

(Source India 1968 p 258)

1 India 1967 p 236

2 India 1969 p 256

वर्ष १९६८-६९ में सामुदायिक विकास पर २२ ३४ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था तथा पञ्चायतों के क्षय में १.३९ करोड़ रुपये रखे गये थे।

इस वर्ष केन्द्र का भाग ०.८२ करोड़ रुपये, राज्यों का २० ४५ तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का १ ०७ करोड़ रुपये का प्रावधान था।

वार्षिक योजनाओं में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से जो प्रगति हुई है उसका विवरण निम्न प्रकार है —

सामुदायिक विकास कार्यक्रम-प्रगति

महें	वर्षान्त कुल प्राप्तिमाँ	
	सितंबर १९६७	सितंबर १९६८
I कृषि-		
(१) उन्नत बीज वितरित किए गए (क्विटल)	४४७६५००	४६५५७००
(२) रासायनिक खादे वितरित की गईं (क्विटल)	२८४७०१००	३८७९५६००
(३) रासायनिक पेस्टीसाइड्स वितरित (क्विटल)	३२४३९९	३७७६३१
(४) उन्नत उपकरण बटि गए (संख्या)	७०४३३३	४६१०८३
(५) कृषि डेमोन्स्ट्रेशन (संख्या)	७४८२००	१०९७९००
(६) कम्पोस्ट के गड्डे खोदे गए (संख्या)	३४०७३००	२२५३४००
II भूमि सुधार -		
(१) शुद्ध अविरित संचित क्षेत्र (हेक्टेयर)	१३५४९७६	१२५५४११
(२) भूमि संरक्षण (हेक्टेयर)	३९६५११	४७०२७३
III पशु पालन -		
(१) उन्नत पशुओं की प्रुति (संख्या)	३९१५०	३१७०६
(२) उन्नत पक्षियों की प्रुति (संख्या)	१५७३७५७	१४९८२४९
IV स्वास्थ्य एवं सफाई -		
(१) निर्मित देहाती शौचगृह (संख्या)	५९१५४	४७२८६
(२) पक्के निर्मित नाले (मीटर)	१९६२०२५	११४१५८३
(३) ग्रामीण तग मरिद्या पक्की की गयी (वर्ष मीटर).....	१४३९२०७	११३३६२४
(४) गन्दे पानी के गड्डों का निर्माण (संख्या) -	१६०४४८	११९६७१
(५) पीने के पानी के कुओं का निर्माण (संख्या)	१०६०९	२४५४९
(६) पीने के पानी के कुओं में सुधार (संख्या)	४२३९७	२५४१०

V सामाजिक शिक्षा :		
(१) प्रौढ शिक्षण केन्द्र चालू किए गए (संख्या)	४१६२०	४३७०६
(२) प्रौढ शिक्षित किए गए (संख्या)	९६८३९७	१४८०११४
(३) कार्य करके वाले ग्राम सहायको के कैंम्प संगठित किए गए (संख्या)	१७७२६	८८९१
(४) प्रशिक्षित नेता (संख्या)	४६१५०९	३०५९२४
VI संचार :		
(१) नयी कच्ची सड़को का निर्माण (किलोमीटर)	३०५५४	२७९५७
(२) वर्तमान कच्ची सड़को में सुधार (किलोमीटर)	४९१३९	४०८८९
(२) सड़क से पानी पार करने वाले कच्चे नालो का निर्माण (संख्या)	१९१३२	१६१६०
VII ग्रामीण एवं लघु उद्योग		
(१) लौहार गिरी के लिए बाँटे गए उप-उपकरण (रूपये)	६०६९०४	२६५७१२
(२) खाती गिरी के लिए बाँटे गए उपकरण (रूपये)	६०५०२०	३७१३७८

[Source—India 1969 P. 264]

विशेष कार्यक्रमो में ग्रामीण मानव शक्ति उपयोग कार्यक्रम, कुओ का निर्माण तथा व्यावहारिक खाद्य कार्यक्रम आदि हैं। वर्ष १९६७-६८ में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुविधायें निर्माण कार्यो के माध्यम से प्रदान किया गया जिनमें ५.५१ करोड़ रुपये व्यय किए गए और १.९९ करोड़ मनुष्य दिन रोजगार की सुविधायें प्रदान की गयी। खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत तृतीय योजना के अब तक २२१ विकास खण्ड लाए गए। वर्ष १९६६-६७, वर्ष १९६७-६८ तथा वर्ष १९६८-६९ में क्रमशः १३४, १७७ तथा २०३ अतिरिक्त विकास खण्ड इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना एवं सामुदायिक विकास :

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास तथा पंचायतो पर ११५८ करोड़ रुपये व्यय किए जाने का प्रावधान किया गया है। सामुदायिक विकास विभाग के माध्यम से ४५० नए विकास खण्डों में व्यावहारिक न्यूट्रीशन कार्यक्रम चालू किए जायेंगे। इस योजना में लगभग १२०० विकास खण्डों में महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए मिश्रित कार्यक्रम व्यापक किया जाएगा। इन विशेष कार्यक्रमों के अतिरिक्त कार्यक्रमों में पर्याप्त विकास किया जाएगा।

सारांश

भारतवर्ष में समय-समय पर इस बात पर सन्देह रहा—कि सामुदायिक विकास योजनाएँ सफल रही। कुछ विद्वानों ने तो इस आन्दोलन को अनावश्यक भी बतलाया किन्तु यह बात अवश्य है कि जितना धन व्यय हुआ है उतनी सफलता नहीं मिली है। अधिकांश ग्रामीण जनता आज भी सामुदायिक विकास को सरकारी कार्यक्रम समझती है। आन्दोलन को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि प्रसार की गति धीमी होनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों में छलाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण सहयोग का अभाव रहा है। जन-सहयोग एक आधार-भूत मान्यता होते हुए भी इसका अभाव पाया जाता है। सामुदायिक विकास आन्दोलन में कुछ दोष प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों के भी रहे हैं। अतः अधिकारियों तथा कर्मचारियों के दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है। इससे ग्रामीण जनता की समस्याओं को भली भाँति समझ सकेंगे।

प्रश्न

१. "पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास कार्यक्रम" पर संक्षिप्त नोट लिखिए।

सामुदायिक विकास आन्दोलन की प्रगति की समीक्षा

सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण जनता की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशा सुधारने की एक विधि है। वास्तव में यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है अतः प्रारम्भ में कार्यक्रम की सफलता के लिये हमें सतर्क रहने की अत्यन्त आवश्यकता है। कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिये हमें तीव्र बातों पर विचार करना पड़ेगा। प्रथम, आन्दोलन से हमें भौतिक लाभ हुये हैं या नहीं। द्वितीय, कार्यक्रम की समाज तथा जीवन पर क्या प्रक्रिया रही है और तृतीय सम्पूर्ण विकास कार्यक्रम का देश की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आन्दोलन की उपलब्धियाँ

प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर क्रमशः ४६.१८ करोड़ रुपये, १८८.८९ करोड़ रुपये तथा २६९.१ करोड़ रुपये की धन राशि व्यय की गयी। वार्षिक योजनाओं (१९६६-६९) में ९९.४ करोड़ रुपये की धन राशि व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। इन व्ययों के फलस्वरूप अनेक क्षेत्रों में कुछ उपलब्धियाँ भी हुई हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में देश में ९९८ विकास केंद्र आरम्भ किये गये जिनमें लगभग १,४०,००० ग्राम सम्मिलित किये गये थे और इनमें जनसंख्या लगभग ७.७ करोड़ थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ३१०० विकास केंद्र प्रारम्भ किये जा चुके थे जिनमें लगभग ९७ लाख ग्राम तथा लगभग २१ करोड़ जनसंख्या थी। जनवरी १, १९६७ को देश में विकास खण्डों की संख्या ५२६८ थी जिनमें से ४ विकास खण्ड विस्तार से पूर्व की अवस्था में ही थे। इस समय १८५३ विकास खण्ड अवस्था, २२२०३ दूसरी अवस्था और १११०३ विकास खण्ड द्वितीय अवस्था के बाद की स्थिति में थे। विभिन्न विकास खण्डों के अन्तर्गत ४०.४६ करोड़ व्यक्ति एवं ५६६९०० ग्राम आ गये थे। जनवरी १, १९६९ को ५२६५३ सामुदायिक विकास खण्डों के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रामीण भारत था। इस समय ६९३ विकास खण्ड प्रथम चरण में थे। द्वितीय

चरण में २४६६६ विकास खण्ड तथा इस अवस्था के बाद की स्थिति में २०७१३ विकास खण्ड थे ।

(१) कृषि—

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में कृषि पर अधिक जोर दिया गया है । इस क्षेत्र में उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, उन्नत उपकरणों आदि के वितरण में सामुदायिक विकास ने महत्वपूर्ण कार्य किया है । तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में ५७'७० लाख किबटल उन्नत बीजों का वितरण किया गया । इस वर्ष २६६ ३७ लाख किबटल रासायनिक उर्वरक तथा २९३ लाख किबटल रासायनिक पेस्टोसाइड्स वितरित किये गये । लगभग ७९२ लाख उन्नत उपकरण इसी वर्ष वितरित किये गये । इस प्रकार कृषि क्षेत्र में विकास के पर्याप्त प्रयत्न किये गये । वर्ष १९६६-६७ में ५९'१२ लाख किबटल उन्नत बीजों का वितरण किया गया जो कि पिछले वर्ष से अधिक था ।

(१) भूमि सुधार —

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भूमि सुधार कार्यक्रमों की तरफ भी ध्यान दिया गया । भूमि सुधार में सिंचाई व्यवस्था तथा भूमि संरक्षण कार्यक्रम सम्पन्न किये गये हैं । वर्ष १९६५-६६ में ११ ५६ लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधायें प्रदान की गयीं जबकि वर्ष १९६६-६७ में १३ ३७ लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई व्यवस्था की गयी । वर्ष १९६६-६७ में संरक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत ४ ९४ लाख हेक्टेयर भूमि लायी गयी । वर्ष १९६६-६७ में यह बढ़ कर ५'५३ लाख हेक्टेयर हो गयी । इस प्रकार इस क्षेत्र में भी प्रगति हुई ।

(३) पशुपालन कार्यक्रम —

पशु सुधार कार्यक्रमों में पशुओं की नस्ल सुधारने का कार्य अत्यन्त उल्लेखनीय है । नस्ल सुधारने के लिये हमारे देश के विभिन्न भागों में उन्नत पशुओं का अभाव है । सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इस प्रकार की उत्तम किस्म के पशु वितरित किये जाते हैं । तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष (१९६५-६६) में ३९३४० पशुओं की प्रीति की गयी जबकि वर्ष १९६६-६७ में केवल ३०९७२ पशुओं का वितरण हुआ । वर्ष १९६५-६६ में १५'३१ लाख पक्षियों का वितरण किया गया और यह संख्या १९६६-६७ में बढ़ कर १६ १२ लाख हो गयी ।

(४) स्वास्थ्य एवं सफाई

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा सफाई दोनों ही महत्वपूर्ण पहलू हैं । जनता को रहन सहन की दशाओं, सफाई आदि का उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है । सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय, पक्की नालियाँ, ग्रामों में तंग गलियों को पक्का करना, गन्दे पानी के गड्ढों का निर्माण, पीने के स्वच्छ पानी के लिये कुँबों का निर्माण आदि कार्य सम्पन्न कराये जाते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर पीने के पानी के अच्छे कुँबों का अभाव पाया जाता है । गन्दे पानी की नालियाँ भी नहीं होती हैं । इन सबका ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है । स्वास्थ्य का प्रभाव उनकी कार्यक्षमता पर पड़ता है । तृतीय पंच-

वर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में देश के विभिन्न भागों में ८१३३० शौचालय बनाये गये। इस वर्ष १९४४ तकने नालों का निर्माण १२.६५ लाख वर्ग मीटर ग्रामीण तट गलियों को पक्का करने का कार्य, २०८ लाख गन्दे गड्डों का निर्माण, ४१०६४ पीने के पानी के कुओं का निर्माण तथा ५०६३१ कुओं के सुधारने के कार्य किये गये।

(५) सामाजिक शिक्षा —

लोकतन्त्र में समाज के प्रत्येक नागरिक के लिये समाज शिक्षा आवश्यक समझी जाती है। समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिये कि विभिन्न सामाजिक समूहों में उसका क्या स्थान है। सामाजिक शिक्षा के माध्यम से जनता को जानकारी करायी जाती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में प्रौढ शिक्षा के कार्य चालू किये गये। तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष में ५६७१८ प्रौढ शिक्षा केन्द्र चालू किये गये। इस अवधि में कुल १०.३२ लाख प्रौढ व्यक्तियों को साक्षर किया गया। इस अवधि में ४६४ लाख से भी अधिक नेताओं को प्रशिक्षित किया गया।

(६) संचार —

ग्रामीण क्षेत्रों में संचार व्यवस्था का अभाव पाया जाता है। इन भागों में अनेक ग्राम इस प्रकार के हैं जिनमें तो रेलवे लाइन से मिले हुये हैं और नहीं किसी मण्डी या शहर से सड़क या नायायान में जुड़े हुये हैं। विकास में संचार का बहुत महत्व है अतः सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से संचार की सुविधायें प्रदान की गयी हैं। इन कार्यक्रमों में कच्ची सड़कों का निर्माण उल्लेखनीय है। तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष ३०८३९ किलोमीटर नयी कच्ची सड़कों का निर्माण किया गया। इस अवधि में ४९८४६ वर्तमान कच्ची सड़कों का सुधार किया गया तथा लगभग २४ हजार से भी अधिक सड़क से पानी पार करने के नाले बनाये गये हैं।

(७) ग्रामीण तथा लघु उद्योग.—

ग्रामीण उद्योगों में चर्म उद्योग, मधुमक्खी पालन, तेल पेरना, साबुन बनाना, रस्सी बनाना, टोकरी बनाना, दरजी का काम आदि हैं। खण्ड स्तर पर इनके प्रसार के लिये एक अधिकारी होता है जो कि खण्ड के लोगों को अन्य उद्योगों की भी जानकारी देता है तथा प्रारम्भ में आर्थिक सहायता भी दिलवाता है। ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत लुहारगिरी तथा बर्दईगिरी के लिये उन्नत उपकरण वितरित किये जाते हैं। लुहारगिरी के लिये सितम्बर १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में २६५७१२ रुपये के उपकरण वितरित किये गये जबकि इससे पिछले वर्ष ६०६९०४ रुपये के उपकरण बाँटे गये।

उपरोक्त कार्यक्रमों में किये गये कार्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामुदायिक विकास में कार्य आवश्यक हुआ है किन्तु जो लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। उपर के विवरण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में अधिक कार्य कर रहे हैं किन्तु अब क्षेत्रों में उसकी अपेक्षा कम कार्य हुआ है।

विशेष कार्यक्रम

सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण मानव शक्ति कार्यक्रम, कुओं के निर्माण का कार्य तथा व्यवहारिक न्यूट्रीशन कार्यक्रम, मुख्य हैं। इसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

ग्रामीण मनुष्य शक्ति के उपयोग के कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों को अनिश्चित रोजगार की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में ये कार्यक्रम १९८ विकास खण्डों में व्यक्त हैं। तृतीय योजना में १९.३३ करोड़ रुपये इस कार्यक्रम पर व्यय किये गये जिसके फलस्वरूप ८.२५ करोड़ मनुष्य दिनों का रोजगार प्रदान किया गया। वर्ष १९६७-६८ में व्यय की राशि ५.५१ करोड़ रुपये और १.९९ करोड़ मनुष्य दिन की रोजगार सुविधायें प्रदान की गयीं। पिछले राज्यों के प्रगति प्रतिवेदनों में इस बात पर बल दिया जाता है कि वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार की सुविधायें मिली हैं और ग्रामीण श्रमिकों को आय में भी वृद्धि हुई है।

कुआ निर्माण कार्यक्रम

जिन ग्रामों में पीने के पानी के कुओं का अभाव पाया जाता है वहाँ पीने के पानी के सरल साधनों की व्यवस्था की जाती है। यह कार्यक्रम केन्द्र द्वारा चालू किया गया है और राज्य की योजनाओं का भाग है। इस कार्यक्रम को 'स्थानीय विकास वर्क्स कार्यक्रम' कहा जाता है। तृतीय योजना में ११६५०६ कुओं। हाथ पम्पों का निर्माण किया गया जिनमें केन्द्रीय सहायता २०.७५ करोड़ रुपये थी और सावजनिक देन १२.७६ करोड़ रुपये थी।

व्यवहारिक न्यूट्रीशन कार्यक्रम

यह कार्यक्रम UNICEF, FAO और WHO की सहायता से चालू किया गया है। तृतीय योजना के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत २२१ विकास खण्ड आ चुके थे। वर्ष १९६६-६७, वर्ष १९६७-६८ तथा वर्ष १९६८-६९ में क्रमशः १३४ विकास खण्ड, १७७ विकास खण्ड तथा २०३ विकास खण्ड अतिरिक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गये।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अनेक भौतिक उपलब्धियाँ हैं। इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयत्न किये गये हैं। कृषि के उत्पादन में वृद्धि में सहयोग मिला है। सिंचाई सुविधाओं, उन्नत बीज उबरक तथा उपकरणों के वितरण के कारण कृषि उत्पादनता में भी वृद्धि हुई है। ग्रामीण उद्योगों को भी सहायता मिली है। इन भागों में कच्ची मडकों का निर्माण किया गया है। इन सभी कार्यक्रमों में स्थानीय पहल आत्मविश्वास तथा अच्छे नेतृत्व का अभाव है। जनता की धारणा अधिकांश विकास खण्डों में सामुदायिक विकास के प्रति-अच्छी नहीं है। ग्रामीण जनता सामुदायिक विकास आन्दोलन को अपना न समझकर सरकार का आन्दोलन समझती है। जनता अभी तक आन्दोलन को पर्याप्त सहयोग नहीं दे पायी है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का लक्ष्य या कि 'स्वयं

सहायता करो' की भावना उत्पन्न की जाये किन्तु यह पूर्ण नहीं हो सका। कार्यक्रम सरकारी साधनों पर पूर्ण रूप से आधारित हो गया है जबकि सरकारी साधन तो केवल प्रारम्भ में सहायता मात्र के लिये थे। सामुदायिक कार्यक्रम में अनेक कमियाँ हैं। इनके कारण यह अधिक उपयोगी नहीं हो सका।

विकास खण्डों की प्रगति में कमियाँ

(१) विकास खण्डों में पर्याप्त कर्मचारियों का अभाव —

विकास खण्डों में विभिन्न प्रसार कार्यों के लिये अनेक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। ये अधिकारी तथा कर्मचारी कार्यक्रम को कायम रूप में परिणित करने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं। ग्राम सेवक इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है जो कि ग्राम स्तर का कर्मचारी होता है। अनेक विकास खण्डों में पर्याप्त मात्रा में इन कर्मचारियों की कमी पायी जाती है। ग्राम सेवकों का क्षेत्र अधिक विस्तृत है इसे छोटा बनाने की आवश्यकता है। इस कार्य से अधिक ग्राम सेवकों की आवश्यकता पड़ेगी। कर्मचारियों के अभाव में वर्तमान व्यक्तियों पर अधिक कार्यभार लादा जाता है जिससे उनकी कार्यक्षमता में कमी हो जाती है। कर्मचारियों के अभाव के साथ-साथ अनेक व्यक्ति साहसी, कर्मठ, ईमानदार तथा सच्चे सेवक भी नहीं हैं। कई कर्मचारी तथा अधिकारी तो जनता के सामने अपने आप को अफसर मानते हैं जबकि उनको चाहिये कि वे अपने आपको सेवक समझें। जो कर्मचारी तकनीकी कार्यक्रमों में सहायता देने वाले होते हैं वे पूर्ण प्रशिक्षित होने चाहिये।

(२) श्रमदान को बेगार समझा जाता है —

सामुदायिक व्यक्तियों में श्रमदान का महत्व बहुत अधिक है। किन्तु हमारे देश में अनेक कारणों से इसे बेगार माना गया है। ग्रामों में आर्थिक एवं सामाजिक असमानता पायी जाती है। श्रमदान कार्यों में धनी एवं सम्पन्न व्यक्ति भाग लेना अनुचित समझते हैं। निधन व्यक्ति इन कार्यों में भाग लेते हैं किन्तु उनमें असन्तोष व्याप्त होने लगता है। श्रमदान के महत्व को अभी तक जनता नहीं समझ पायी है।

(३) ग्रामीण जनता से सम्पर्क का अभाव —

विकास खण्ड स्तर पर अनेक प्रसार अधिकारी होते हैं। विस्तार अधिकारियों के मुख्य कार्य ग्रामीण जनता से प्रभावशाली सम्पर्क स्थापित करना है विभिन्न बातों की उनकी जानकारी प्रदान करना तथा प्रसार कार्य सम्पन्न कराना आदि सामान्यतः विस्तार अधिकारी लोगों से उचित सम्पर्क स्थापित करने में असफल रहते हैं। ग्रामीण जनता को वे अपनी तरफ ओरुपित नहीं पाते हैं क्योंकि वे अपने आप को अफसर समझते हैं। किसानों को वे रूढ़िवादी तथा अशिक्षित बताते हैं। उनका व्यवहार भी किसानों के साथ बहुत अच्छा होना चाहिये किन्तु अनेकों प्रसार अधिकारी सामान्य जनता से मिलना भी उपयुक्त नहीं समझते हैं। विकास अधिकारियों के अनिरीक्षित ग्राम सेवक भी ग्रामों में जनता से अच्छे सम्पर्क स्थापित करने में असमर्थ रहते हैं।

(४) आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को लाभ —

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से अधिक लाभ नहीं हुआ है। देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण नेतृत्व धनी तथा सम्पन्न व्यक्तियों के हाथ में है। निर्बल व्यक्तियों को किसी भी कार्यक्रम में सहायता नहीं मिल पाती है। आर्थिक सहायता तथा ऋण उन्हीं व्यक्तियों को मिल पाते हैं जो पहले से ही सम्पन्न हैं अथवा प्रभावशाली दल के अन्तर्गत हैं। सामान्यतः ऋण तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये भूमि अथवा पर्याप्त सम्पत्ति की जमानत की आवश्यकता होती है किन्तु जिन निधन व्यक्तियों के पास भूमि नहीं है जोर सम्पत्ति भी नहीं है उनको इस आन्दोलन का लाभ नहीं मिल पाता है। ये व्यक्ति पहले भी थमिक थे और आज भी उसी अवस्था के थमिक हैं। सामुदायिक विकास का उद्देश्य कमजोर व्यक्तियों को अधिक सहायता देना था किन्तु व्यवहार में यही वर्ग लाभ नहीं उठा पाया है। जो व्यक्ति सम्पन्न है तथा जिनके पास पर्याप्त भूमि है उन्हें उन्नत बीज, उपकरण तथा उपरज बहुत लाभ पहुँचाते हैं। निश्चय ही उनकी आय में वृद्धि होती है और वे अधिक सम्पन्न होते हैं किन्तु निर्बल व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से ये कार्यक्रम लाभ नहीं पहुँचा पाते हैं।

(५) जन सहयोग का अभाव —

सामुदायिक विकास आन्दोलन में जन सहयोग नितान्त आवश्यक है। इस आन्दोलन को प्रारम्भ किए लम्बी अवधि व्यतीत हो चुकी है किन्तु अभी तक जन सहयोग का अभाव पाया जाता है। जनता इसे अपना आन्दोलन न समझकर सरकार का आन्दोलन ही समझती है। अधिकांश ग्रामीण व्यक्ति अशिक्षित हैं अतः आन्दोलन के महत्व को वे समझ भी नहीं पाते हैं। इसके अभाव में जनता में सरकार जब तक सहायता देती है कार्य चलता है विकास रुक जाता है।

(६) उचित नेतृत्व का अभाव —

ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक उचित नेतृत्व का अभाव पाया जाता है। अधिकांश नेता अशिक्षित तथा अप्रशिक्षित होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों की गन्दी राजनीति में फँसे रहते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भी इनका आधार दलबन्दी रहता है। नेतृत्व यही प्रयत्न करते रहते हैं कि उनके दल के लोगों को अधिक लाभ पहुँच सके ताकि उनकी राजनीतिक स्थिति बनी रहे। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में नेताओं के प्रतिक्षण की व्यवस्था की गयी है किन्तु इसमें कोई विशेष लाभ नहीं पहुँच सका है।

उक्त विवरण में स्पष्ट है कि भारतवर्ष में यह आन्दोलन अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका है। जनता अपने स्वयं के आन्दोलन को अपना स्वीकार नहीं करती है आन्दोलन जन सहयोग पाने में असमर्थ रहा है। जनता की भावना आन्दोलन के प्रति अच्छी नहीं है इस स्थिति में ऐसे प्रयत्न करने चाहियें कि आन्दोलन सफल हो सके।

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण

सामुदायिक विकास जनता का आन्दोलन है। यह एक प्रकार की शिक्षा एवं सगठन की विधि है। ग्रामीण जनता पुरानी विचार धारा की होती है। रूढ़ीवादी विचार उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधक होते हैं। शिक्षा के रूप में सामुदायिक विकास उनको परिवर्तन के लिये तैयार करती है। यह सगठन की एक विधि है। इसके माध्यम से जनता आपसी सहयोग से कार्य करती है और नयी संस्थाओं की स्थापना करके सरकारी सहायता का पूर्ण लाभ उठाती है। इन विकास कार्यक्रमों में जन सहयोग नितान्त आवश्यक है। यह सभी हो सकता है जब उचित स्थानीय नेतृत्व का निर्माण हो सके। जन सहयोग का आशय केवल जन श्रमदान तथा वस्तुओं प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि ग्रामीण जनता सम्पूर्ण कार्यक्रम को अपना समझे और सर्वांगीण विकास के लिये स्वयं योजना बना कर कार्य करे।

विकेन्द्रीकरण एक ऐसी विधि है जिसमें सरकार अपने कुछ कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को दूसरी सत्ता को सौंपती है। प्रश्न उठता है इसकी सत्ता कौंसी हो? शास्त्र में लोकतन्त्र में जनता के चुने प्रतिनिधियों द्वारा ये कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व पूरे किये जाने चाहिये। स्पष्ट है कि लोकतन्त्र के आधार पर सत्ता का विकेन्द्रीकरण ही लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण है। भारतवर्ष में पहले सत्ता का विकेन्द्रीकरण केवल राज्य स्तर तक ही हुआ था। किन्तु इसके आगे भी विकेन्द्रीकरण आवश्यक समझा गया। श्री बलवन्त राय मेहता समिति ने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण पर विशेष जोर दिया व समिति ने सुझाव दिया विकास-कार्य के प्रशासनिक अधिकार भिन्न स्तर पर संस्थाओं को सौंप दिए जाएँ, जिससे प्रत्येक क्षेत्र में कार्यक्रम की योजना तथा उसके संचालन का दायित्व वहाँ के प्रतिनिधि सभाल सकें। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इस सुझाव को मान लिया कि जिला स्तर पर विकास-कार्य का उत्तरदायित्व जिले के लोकप्रिय प्रतिनिधियों को दिया जाये।

लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण का दूसरा नाम पंचायती राज रखा गया है। यह त्रिसूत्रीय ढाँचा है। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा होती है जिसकी कार्यकारिणी

ग्राम पंचायत होती है। खण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। इन तीनों का चुनाव लोकतांत्रिक आधार पर किया जाता है। इस प्रकार उत्तरदायित्व और अधिकार जनता को सौंपे गये हैं। भारतवर्ष में वर्तमान समय में २१२४६५ ग्राम पंचायतें कार्यशील हैं। जिनके अन्तर्गत ग्रामीण जनता का लगभग ९८ प्रतिशत भाग है।

ग्रामसभा

ग्राम पंचायत के सभी प्रौढ मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। ग्राम सभा की कार्यकारिणी ग्राम पंचायत होती है। इसका क्षेत्र एक गाँव अथवा अधिक गाँव होते हैं। देश के सभी राज्यों में इसे कानूनी रूप प्रदान किया जा चुका है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत का चुनाव करती है। ग्राम सभा के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—

- (१) जैसा कि कहा जा चुका है ग्राम सभा का सबसे प्रमुख कार्य ग्राम पंचायत की नियुक्ति करना है।
- (२) ग्राम पंचायत वार्षिक बजट और कार्यक्रम तैयार करती है। ग्राम सभा उस पर विचार करके सुझाव देती है।
- (३) ग्राम सभा पंचायत के प्रशासन की वार्षिक समीक्षा पर विचार विमर्श करती है और टिप्पणियाँ देती है।
- (४) सामुदायिक सेवाओं के लिए लोगों को प्रेरित करना।
- (५) ग्राम पंचायत की वार्षिक जाँच रिपोर्ट पर विचार करना।

ग्रामीण भागों के उत्पादन योजना कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनको लागू करना ग्राम सभा का उत्तरदायित्व है। कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करके आवश्यक स्थानीय साधनों की व्यवस्था करना ग्राम सभा का कार्य समझा जाना चाहिए। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के कार्य कलाओं पर पूर्ण नजर रखनी चाहिए। इसके अभाव में वह शक्तिशाली नहीं बन सकती है। ग्राम सभायें पंचायती राज का मूल आधार हैं। किन्तु व्यवहार में ग्राम सभायें शक्तिशाली नजर नहीं आती हैं। सर्वोच्च जनता इस बात से अनिभिन्न है कि ग्राम की सर्वोपरि सत्ता उन्हीं में निहित है। वे ग्राम पंचायत को अधिक शक्तिशाली मानते हैं और स्वयं उस पर भार रखने में असमर्थ रहते हैं। लोकतन्त्र के उद्देश्य की यही पर पूर्ति नहीं हो पाती है।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्य कारिणी होती है ग्राम पंचायत का चुनाव इसी के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर की सबसे महत्वपूर्ण सत्ता है। ग्राम के आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का दायित्व इसी पर है। ग्राम सभा अपने नीति सम्बन्धी निर्णयों को ग्राम पंचायत को कार्यरूप देने के लिए प्रदान कर देती है। ग्राम पंचायतें कृषि उत्पादन ग्रामीण उद्योग, सामान्य चरागाहों का प्रबन्ध, चिकित्सा सुविधाएँ, ग्रामीण सड़कों, गलियों, तालाबों तथा कुँवों को बनाये रखना आदि कार्यों के लिए जिम्मेवार होती हैं। कुछ स्थानों पर पंचायतों को

प्राथमिक शिक्षा के देखभाल का कार्य भी सौंपा जाता है। इस समय देश में ११२४६५ ग्राम पंचायतें हैं जिसके अन्तर्गत लगभग ९८% ग्रामीण जन-संख्या आती है।

ग्राम पंचायत के कार्य

ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के विकास कार्यों के लिये उत्तरदायी होती हैं। ये नागरिक सुविधायें, स्वास्थ्य, जन्म मरण का व्योरा रखना, ग्रामीण-घाग का विकास, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विनास आदि कार्य करती हैं किन्तु आजकल कृषि, पशुपालन, लघु बिजली, ग्रामोद्योग, बुनियादी शिक्षा, सहकारिता, स्वास्थ्य, सफाई, यातायात आदि पर विशेष जोर दिया जाता है। स्थानीय जनशक्ति का उचित विकास करना इनका महत्वपूर्ण कार्य है। ये संस्थायें स्थानीय साधनों का संगठन करके विकास कार्यों में जुटाती हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य निम्न-लिखित हो सकते हैं —

(१) ग्रामीण क्षेत्रों के चरागाहों, बगीचों, तालाबों, बेकार भूमि, ग्रामीण वन आदि की देख-रेख रखना।

(२) ग्रामीण स्तर पर स्थानीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग तथा उनको विकास कार्यों के लिये समुचित रूप से संगठित करना।

(३) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रदान करना।

(४) बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वाले व्यक्तियों को उत्पादन कार्यों में लगाने की व्यवस्था करना।

उक्त कार्यों को सम्पन्न करने के लिये ग्राम पंचायतों को धन की आवश्यकता होती है। ग्राम पंचायतों के सामने वर्तमान समय में वित्तीय साधनों की समस्या है। पंचायतों का सबसे मुख्य साधन स्थानीय कर हो सकते हैं। ये मकान, जायदाद पशुधन, गाड़ियों, व्यवसाय आदि पर कर लगा कर धन प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायतें सावजनिक भूमि को किराये पर देकर, मकानों पर कर लगाकर, बिजली, पानी आदि पर कर लगा कर अपनी आय बढ़ा सकती हैं। कुछ राज्यों में पंचायतें लगान वसूल करती हैं। ग्राम पंचायतों को पंचायत समितियों से भी सहायता मिलती है।

पंचायत समिति

पंचायत समिति खण्ड स्तर पर होती है। पंचायती राज में यह जिना परिपक्व तथा ग्राम पंचायत के मध्य की कड़ी के रूप में होती है। मेहता समिति ने इस संस्था की स्थापना पर विशेष जोर दिया। देश के कुछ राज्यों को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों ने पंचायत समितियों की स्थापना की है और उनको पर्याप्त अधिकार प्रदान किये हैं। पंचायत समितियों में प्रायः ग्राम पंचायत के सरपंच सदस्य होते हैं और उनके अतिरिक्त महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों के लोगों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। पंचायत समितियों के अध्यक्ष प्रधान होते हैं। पंचायत समिति खण्ड स्तर के आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए उत्तरदायी होती है। खण्ड विकास अधिकारी तथा विभिन्न प्रसार अधिकारी समिति के निर्देशन पर कार्य करते हैं।

पंचायत समिति के कार्य

पंचायत समितियाँ सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को कार्यरूप में परिणित करने के लिये महत्वपूर्ण सहाय्य है। इनके मुख्य-मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं।

(१) कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए यथा सम्भव प्रयत्न करना। पंचायत समितियों के अन्तर्गत कृषि प्रसार अधिकारी होता है जोकि इन कार्यों में पर्याप्त सहायता प्रदान करता है।

(२) ग्रामीण व लघु-उद्योगों को विकास के लिये बढ़ावा देना।

(३) स्थानीय साधनों, विशेषकर मानव शक्ति के सर्वात्म उपयोग की व्यवस्था करना।

(४) सहकारी समितियों के विकास में योगदान देना।

(५) ग्राम पंचायतों को पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करना।

(६) स्वेच्छक संगठनों के योग पर बल देना।

(७) खण्ड स्तर पर पशु सुधार कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

(८) पंचायत प्रसार अधिकारी के सहयोग से पंचायतों के विकास का कार्यक्रम चलाना।

(९) खण्ड स्तर पर महिला व बाल कल्याण कार्यक्रमों का विकास करना।

(१०) कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण व नियन्त्रण करना।

उक्त विवरण में स्पष्ट है पंचायत समितियाँ खण्ड स्तर की महत्वपूर्ण सहाय्य होती हैं। खण्ड विकास योजनाओं का निर्माण तथा उनको कार्यरूप में परिणित करना इनका मुख्य कार्य है। पंचायत समितियों के विभिन्न कार्यों को सम्पन्न करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता होनी है। अतः यह आवश्यक है कि इन सहाय्यों को पर्याप्त अनुदान उचित समय पर मिल जाये।

जिला परिषद

पंचायतों राज में जिला स्तर पर जिना परिषद है। ये इस राज में सबसे ऊपरी कड़ी होती है। जिना परिषद के सदस्य पंचायत समितियों के प्रधान, कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि, सदस्य, विधान सभा के सदस्य तथा कुछ अन्य व्यक्ति होते हैं। कुछ राज्यों को छोड़ कर देश के सभी राज्यों में इनकी स्थापना हो चुकी है। कुछ राज्यों में सहकारी समितियों को भी इनमें प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। जिना परिषदों का कार्य विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। मद्रास तथा मंसूर राज्यों में ये सामाजिक कार्य करते हैं। ये सहाय्य पंचायत समितियों के कार्यों की देख-भाल करती हैं तथा उनको उचित परामर्श भी देती हैं। महाराष्ट्र में इनको विकास व प्रशासन के क्षेत्रों में कार्य संचालन का अधिकार दिया गया है। आन्ध्रप्रदेश में जिना परिषद माध्यमिक शिक्षा, बहुउद्देश्यीय पाठशालाओं, औद्योगिक शिक्षा आदि का कार्य देखती है। उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में इनको प्रशासनिक अधिकार प्रदान

किए गये हैं। अन्य राज्यों में परिषदों को कार्य संचालन का अधिकार नहीं है। ये केवल पर्यवेक्षण तथा समन्वय स्थापित करने का कार्य करती हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, आसाम, आन्ध्रप्रदेश, मंसूर आदि राज्यों में जिला परिषद पंचायत समितियों को अनुदानों की स्वीकृति प्रदान करती है। राजस्थान, पंजाब, मंसूर, मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश, आसाम तथा आन्ध्रप्रदेश में ये पंचायत समितियों के कार्यों की देखभाल करती है तथा आवश्यक सहायता भी प्रदान करती हैं। कुछ राज्यों में परिषद ग्राम पंचायतों के कार्यों की देखरेख भी करती है।

उपरोक्त तीनों सस्यायें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, खण्ड स्तर पर पंचायत समितियाँ और जिला स्तर पर जिला परिषद पंचायती राज की विभिन्न कड़ियाँ हैं। सरकार अपने अधिकारों तथा जिम्मेदारियों को विकेंद्रीकृत करके उन्हें सौंप देती है। सस्यायें लोकतन्त्र के उद्देश्य को समक्ष रख कर अधिकारों तथा कतव्यों को निभाती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में तीनों सस्यायों का ढांचा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन सस्यायों द्वारा जनता का विकास जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। सरकार तो केवल उनकी सहायता मात्र देती है।

क्या पंचायतें आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साधन बन सकती हैं ?

साधारणतया यह प्रश्न सुना जाता है कि क्या पंचायतें आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं ? कुछ विद्वानों का कहना है कि धनवान व्यक्ति तथा प्रभावशाली व्यक्ति पंचायतों में अपना प्रभाव जमा लेते हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। यह बात अनेकों स्थानों पर सत्य भी है। धनवान व्यक्ति निर्बतों पर अपना कई प्रकार से प्रभाव रखते हैं और पंचायतों में उनके मतों के आधार पर महत्वपूर्ण पदों पर आ जाते हैं। वे अपने निजी स्वार्थों के आधार पर कार्य करते हैं। ग्रामीण जनता इतनी शिक्षित है नहीं कि ये पंचायती राज के महत्व को समझ सके। अतः यह भय निश्चित ही देश की ग्रामीण जनता के आर्थिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन में बाधक होगा। किन्तु इस दोष को हल करना आवश्यक है। यह कभी कोई स्थायी नहीं है। इसे दूर करने के कई उपाय हो सकते हैं।

हमने समाजवादी नमूने का समाज बनाने का दृढ़ सकल्प लिया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण बहुत आवश्यक है। और लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज से ही सम्भव हो सकता है। समाजवादी समाज को स्थापना की हमारी नीति सत्ता के विकेंद्रीकरण पर निर्भर है। आर्थिक क्षेत्र में पंचायतों का योगदान आवश्यक है। पंचायतों के नेता अपने अधिकारों तथा कतव्यों को निभायें तो वास्तव में पर्याप्त ग्रामीण उन्नति हो सकती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इन नेताओं में कतव्य तथा दायित्वों के निभाने की भावना पैदा करता है।

ग्राम पंचायतें सामुदायिक विकास का समर्थन प्राप्त करके ग्रामीण साधनों का विवेकान्वयन अन्य किसी भी सस्था से अधिक अच्छी तरह से कर सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के सुस्त व्यक्तियों, भूमि तथा पानी के साधनों, समुदाय के नेताओं के गुणों का उपयोग ये सस्यायें सबसे महत्वपूर्ण ढंग से करने में समर्थ हैं। आपसी सहयोग सहकारी व्यवहार आदि के माध्यम से पंचायतें सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति का सर्वोत्तम

साधन हैं। पंचायते युवक तथा महिला मण्डलों को उत्साह प्रदान करा सकती हैं। धर्मदान के लिए जनता को संगठित करना अत्यन्त कठिन कार्य है। ग्राम पंचायत ही इस कार्य को कर सकती है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि-उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयत्न किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में मिट्टी का कटाव रोवना, मिचाई व्यवस्था, उन्नत बीज, खाद तथा उपकरणों की व्यवस्था महत्वपूर्ण हैं। ग्राम पंचायते ग्राम स्तर पर इन कार्यक्रमों को चनाने में अत्यन्त आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सबसे अधिक महत्वपूर्ण धन्दा है। इसका विकास करके ग्रामीण जनता की आय बढ़ायी जा सकती है। ग्राम पंचायते ग्रामीण जनता को सम्पन्नता के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होती है। अतः सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को अपनाने में सबसे अधिक सहायता इन्हीं की हो सकती है। ग्राम पंचायतें कृषि विकास की योजना तैयार करती हैं तथा सरकारी सहायता से सम्पन्न करती हैं। पंचायते ग्रामीण जनता की राय को उचित दिशा प्रदान कर सकती हैं। भूमि सुधार कार्यक्रमों के अधिक प्रचार के लिए पंचायतें उपयुक्त वातावरण तैयार कर सकती हैं।

ग्राम पंचायतों की शक्ति को काम में लाने की कुछ बुराइयाँ भी हैं। इन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने आवश्यक हैं। कुछ बुराइयाँ इस प्रकार की हैं जो कि इतनी महत्वपूर्ण सस्था की मात्र को समाप्त कर देती हैं। अतः उनसे बचना चाहिये। अब प्रश्न उठता है कि इन बुराइयों से बचने के लिए पंचायतों को गलतियाँ नहीं करने देना चाहिये। कुशल प्रशासन में गलतियाँ कर सकती हैं किन्तु जो गलतियाँ दूर की जा सकती हैं उन्हें दूर अवश्य कर देना चाहिये। जान-बूझ कर जो गलतियाँ की जाती हैं उन्हें नहीं होने देना चाहिये। ग्राम सभा ही इनको दूर करने में महत्वपूर्ण साधन हो सकती है।

पंचायती राज की समस्याएँ

पंचायती राज की सफलता के मार्ग में कुछ समस्याएँ आ सकती हैं। ये समस्याएँ कुछ तो आन्तरिक हैं और कुछ बाहरी। सबसे पहली समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में धनी व्यक्तियों के हाथ में नेतृत्व चला जाना। पंचायती राज की आरम्भ की अवस्था में विभिन्न स्तरों पर केवल धनी एवं सम्पन्न व्यक्ति ही प्रभाव वाली पदों के लिए चुने जायेंगे। वास्तव में ऐसा ही हुआ है। देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पन्न व्यक्ति ही इन सस्थाओं में चुने जाते हैं। निर्धन जनता को ये नेता अनेक कारणों से दबा लेते हैं। इस प्रकार का नेतृत्व अपनी शक्तियों को ग्रामीण जनता की भलाई में न लगाकर अपने हितों की रक्षा में लगा रहता है। किन्तु यह समस्या धीरे-धीरे जनता के ज्यो ज्यो समझ आयेगी अपने आप मिट जायगी।

द्वितीय महत्वपूर्ण समस्या है राजनैतिक दल बन्दी। इन क्षेत्रों में राजनैतिक दल बन्दी से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण समुदाय दलों में विभक्त हो जाता है। जिससे गठित प्रयास बहुत कठिन हैं। भारतवर्ष में आज यह समस्या विद्यमान हो गयी है। ग्राम पंचायतें राजनीति का अखाड़ा बन चुकी हैं। अतः जनता का इनके प्रति विश्वास भी समाप्त होता जा रहा है।

तृतीय समस्या स्थानीय प्रबन्ध के अधिकारियों में कार्य कुशलता का अभाव है। नेताओं की अनुभव का अभाव है। अनेक नेता अप्रतिष्ठित भी होने हैं। इस

समस्या का समाधान प्राणक्षण सुविधाये हो सकती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कार्यरूप देने के लिए उचित नेतृत्व आवश्यक है।

पंचायती राज की सफलता में आजकल इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार भी बाधक है। स्थानीय सत्ता में लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि वे अपने और दल के हिता की रक्षा के लिए अत्याय बेईमानी तथा अत्य अनेक बुराइयों का सहारा लेते हैं। अतः पंचायती राज का जो उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं हो सकता है।

उक्त समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ग्रामीण माधना के विकास का उचित आयोजन करके सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय का कल्याण पंचायती राज से ही सम्भव है। किन्तु इसमें विभिन्न संस्थाओं में उचित समन्वय होना आवश्यक है। जनता के हिता को सर्वोपरि रख कर पंचायती राज का विकास किया गया तो निश्चय ही इसके उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी और देश में ग्रामीण समुदाय मज्ज्द हो सकेगा।

राजस्थान में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण

राजस्थान में अक्टूबर २ १९५९ में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण अपनाया गया। इस समस्या से ही पंचायतो का बहुत बड़ा महत्त्व रहा है। जिला परिषद् तथा पंचायत समितियों के साथ पंचायतों आधार है। इन तीनों संस्थाओं का सामुदायिक विकास में उल्लेखनीय स्थान है।

पंचायतें

पंचायत के सदस्य का चुनाव घाड़ के आधार पर होता है। ग्राम के सभी प्रौढ सरपंच का चुनाव करते हैं। सरपंच के नीचे उप-सरपंच होता है जिसका चुनाव पंच अपने में से करते हैं। सरपंच पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है।

ग्राम स्तर पर पंचायत-लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सबसे नीचे की कड़ी होती है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। पंचायत अपने-अपने क्षेत्रों में पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था करती है। वे छोटे सिंचाई कार्यों में सहायता देती हैं। राजस्थान में ग्राम पंचायतें वे सभी कार्य करती हैं जो कि इस अध्याय में दिए जा चुके हैं। इस समय राज्य में कुल ७३८८ पंचायत हैं।

पंचायत समितियाँ

सम्पूर्ण राजस्थान राज्य २३२ पंचायत समितियों में विभक्त है। पंचायत समितियों की औसत जन संख्या ५०००० से ८०००० तक है। पंचायत समितियाँ जिला परिषद् तथा पंचायतों के मध्य की कड़ियाँ हैं। सादिक अली समिति के सुझावों के आधार पर पंचायत समितियों के सचिवालय तथा चुनाव में अनेक परिवर्तन किए हैं। अब पंचायत समिति में समिति क्षेत्र के राज्य विधान सभा सदस्य ग्रामदानी गावों के सदस्य दो महिला सदस्य दो अनुसूचित जाति सदस्य दो अनुसूचित वंश (यदि उनकी जन संख्या समिति के क्षेत्र की जनसंख्या के ५% से अधिक है) के प्रतिनिधि, आदि सदस्य होने हैं।

पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव राज्य विधान सभा के सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति के द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम सभाओं के अध्यक्ष (Chairman) द्वारा किया जाता है।

राज्य में पंचायत समितियाँ वर्तमान समितियों (Standing Committees) के माध्यम से कार्य करती हैं। प्रत्येक पंचायत समिति में तीन स्टेन्डिंग कमेटियाँ होती हैं जो निम्न प्रकार हैं —

- (१) उत्पादन कार्यक्रमों के लिए
- (२) सामाजिक सेवा के लिए
- (३) वित्त, कर निर्माण और प्रशासन के लिए।

पंचायत समितियों के महत्त्वपूर्ण कार्य

(१) कृषि —

पंचायत समितियाँ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनायें बनाती हैं। और इनको कारगरूप में परिणित करवाती हैं। यह कार्य कृषि प्रसार अधिकारी की सहायता से करती हैं।

(२) पशु पालन —

खण्ड स्तर पर पशुपालन कार्य पंचायत समितियों के हाथ में है। पशु विकास में नस्ल सुधारने के प्रयत्न किए जाते हैं। पंचायत समितियाँ उन्नत नस्ल के साँडों तथा पक्षियों का वितरण करती हैं। पशुओं को रोगों से बचाने के लिए चिकित्सा व्यवस्था की जाती है। भेड़ विकास के लिए भी प्रयत्न किए जाते हैं।

(३) स्वास्थ्य एवं सफाई—

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य तथा सफाई की व्यवस्था का दायित्व पंचायत समितियों पर है। स्वास्थ्य के लिए सफाई निरन्तर आवश्यक है। पंचायत समितियाँ चिकित्सा व्यवस्था, पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, सौचालय आदि के लिए सहायता प्रदान करती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में चेकक उन्मूलन का कार्य भी महत्त्वपूर्ण है।

(४) शिक्षा —

राज्य में ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पंचायत समितियों के हाथ में है। अनुसूचित जातियों तथा बच्चों के लिए जो पाठशालायें चालू की गयी हैं उनको भी पंचायत समितियों के अन्तर्गत रखा जाता है।

(५) संचार —

पंचायत समितियाँ, पंचायतों को मिलाने के लिए सड़को का निर्माण तथा उनकी मरम्मत करवाती हैं। इन सड़को के किनारे पेड़ पीघे लगाने का कार्य भी करवाती हैं।

(६) सहायिता —

पंचायत समितियाँ सहायिता के प्रवर्तन में सहायता प्रदान करती हैं। ये सेवा समितियों, औद्योगिक, मिर्चाई, कृषि तथा अन्य समितियों के निर्माण तथा उनको मुहूर्त बनाने में सहायक होती हैं।

(७) ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग—

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए पंचायत समितियाँ ग्रामीण, कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास करती हैं।

(८) पिछड़े वर्गों के मध्य कार्य—

पंचायत समितियाँ सरकारी सहायता से अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित वंश तथा पिछड़े वर्ग के लाभ के लिए होस्टल निर्मित कराना। ये स्वेच्छिक सामाजिक कल्याण रागठनों को शक्ति प्रदान करती हैं।

(९) अन्य—

अल्प-व्यय, बीमा आदि के माध्यम से मितव्ययिता को प्रोत्साहन देती हैं।

जिला परिषद्

जिला परिषद् त्रिस्तरीय ढाँचे में सबसे ऊपर की कड़ी होती है। राजस्थान में इस समय २६ जिला परिषद् हैं जो कि प्रत्येक जिले में एक हैं। परिषद् जिले की पंचायत समितियों के प्रधानों, आमद सदस्यों, राज्य विधान सभा के सदस्यों तथा जिलाधीश (बिना मताधिकार) का बना होता है। इनके अतिरिक्त दो महिलायें, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित वंश (यदि इसकी जनसंख्या राज्य की जनसंख्या के ५% से अधिक है) आदि प्रतिनिधि सदस्य होते हैं।

जिला परिषद् कोई प्रशासनीय कार्य नहीं करता है यह पंचायत समितियों के विकास कार्यों में समन्वय स्थापित करता है साधारणतया जिला परिषद् समितियों के कार्यों की देखरेख भी करते हैं। ये पंचायत समितियों तथा पंचायतों से सम्बन्धित गतिविधियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देती हैं।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण बहुत अच्छी तरह अपनाया गया है तथा सामुदायिक विकास योजनाओं के विकास में पर्याप्त सहायता प्रदान कर रहा है।